"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 मई 2026 — वैशाख 16, शक 1948

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मई 2026

सूचना

No.- RULE-8/67/2026-LABOUR.— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का सं. 37) की धारा 133 की उप–धारा (1) और धारा 135 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2021 के प्रारूप को छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना क्रमांक एफ 10–2/2021/16, दिनांक 25 मई 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

और भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5321 (अ), दिनांक 21 नवम्बर 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, धारा 3, उप–धारा (ii) में प्रकाशित हुई है, के द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के सभी प्रावधानों को प्रभाव में लाया गया है।

अतः अब, राज्य शासन, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 एवं धारा 135 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन द्वारा निर्मित–

1. छत्तीसगढ कारखाना नियम, 1962;
2. छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) नियम, 2008 ;
3. छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1999;
4. छत्तीसगढ़ ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) नियम, 1973;
5. छत्तीसगढ़ बीड़ी और सिगार कर्मकार (सेवा शर्तें), नियम 1968;
6. छत्तीसगढ़ मोटर परिवहन कर्मकार नियम, 1963;
7. छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) नियम, 1981;

ऐसे अधिक्रमण से पूर्व उन संबंधित बातों के सिवाय, जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त धारा 133 की उप–धारा (1) और धारा 135 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, छत्तीसगढ़ राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया हो, की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों को एक प्रारूप में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (एक) में व्यक्ति/संगठन का नाम और पता निर्दिष्ट करना होगा, कॉलम (दो) में उस नियम या उप–नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना है और कॉलम (तीन) में संशोधित नियम या उप–नियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव और कॉलम (चार) में उसके कारण निर्दिष्ट करने होंगे।

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.–**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, नियम, 2026 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये किसी ऐसी प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसके लिए राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन समुचित सरकार है, लागू होंगे।

(4) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें.–** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संहिता के विभिन्न धाराओं या इन नियमों के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किए गए अपीलीय प्राधिकारी;

(ख) **'परिशिष्ट'** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(ग) **''अनुमोदित''** से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमोदित;

(घ) **'मण्डल'** से अभिप्रेत है, संहिता की धारा 17 के अधीन गठित मण्डल, जब/जैसा और जहाँ प्रासंगिक है;

(ड.) **''बेल्ट''** में सम्मिलित है, कोई भी ड्राइविंग पट्टा या रस्सी;

(च) **''कलैण्डर वर्ष''** से अभिप्रेत है, किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाली बारह माह की कालावधि;

(छ) **"आकस्मिक अवकाश'** से अभिप्रेत है, व्यक्तिगत कारणों से कर्मचारी की कर्तव्य से आकस्मिक अनुपस्थिति के अन्तर्गत आने वाले अवकाश;

(ज) **"बालक''** का वही अर्थ होगा जो कि बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खण्ड (दो) में इसके लिये समनुदेशित है;

(झ) **''संहिता''** से अभिप्रेत है, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का सं. 37);

(ञ) **''विभाग''** से अभिप्रेत है, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

(ट) **''डिग्री** (तापमान की)'' से अभिप्रेत है, सेल्सियस पैमाने पर (मापक्रम) की डिग्रीयां;

(ठ) **"अभिहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी, जिसे संहिता की धारा 119 के उद्देश्य से सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(ड) **"जिला मजिस्ट्रेट"** से अभिप्रेत है, किसी प्रतिष्ठान के संबंध में यथास्थिति, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट, जिसमें उस राजस्व जिले, जिसमें प्रतिष्ठान अवस्थित है, में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यकारी शक्तियां निहित है:

परन्तु किसी ऐसी प्रतिष्ठान की दशा में, जो भागतः एक जिले में और भागतः किसी अन्य जिले में अवस्थित है, उक्त प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट होगा;

(ढ) **"इलेक्ट्रॉनिक रूप"** से अभिप्रेत है, कोई जानकारी, जो ई–मेल द्वारा प्रस्तुत की गई हो या संहिता के उद्देश्य से किसी भी रीति में अभिहित पोर्टल पर अपलोड की गई हो या डिजिटल रूप से संदाय की गई हो;

(ण) **"परिवार",** जब किसी कर्मकार के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, से अभिप्रेत है–

(एक) पति या पत्नी;

(दो) कर्मकार के दत्तक बच्चों सहित बच्चे, जो उस पर आश्रित हैं और अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाए हैं; तथा

(तीन) माता–पिता, दादा–दादी, विधवा बेटी और विधवा बहन, जो ऐसे कर्मकार पर आश्रित हैं;

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आश्रितों को शामिल नहीं किया जाएगा, जो तत्समय, ऐसे स्रोतों से 21,000/– प्रति माह से अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं या जैसा कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये।

(त) **"धुआं"** में शामिल है, गैस या वाष्प;

(थ) **"परिसंकटमय पदार्थ"** से अभिप्रेत है, कोई पदार्थ या पदार्थ की ऐसी मात्रा, जो कि **अनुसूची–क** (भाग–एक एवं भाग–दो) में विहित है अथवा इसके रसायन या भौतिक रसायन गुणों से तैयार की जाती हैं अथवा इसके उपयोग से शारीरिक रूप से या मानव के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है अथवा अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण को क्षति हो सकती है;

(द) **"श्रम आयुक्त"** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी, जिसे इस प्रकार या श्रम आयुक्त की हैसियत से राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(ध) **"अनुज्ञप्ति अधिकारी"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संहिता के विभिन्न धाराओं या इन नियमों के प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए अनुज्ञप्ति अधिकारी;

(न) **"प्रबन्धक"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जिसे कारखाने के अधिभोगी के द्वारा इस रूप में नामांकित या नियुक्त किया गया हो, जो कारखाने के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को देखता है;

(प) **"राष्ट्रीय मानक"** से अभिप्रेत है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और ऐसे मानकों के अभाव में, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानक;

(फ) **"आधिकारिक पोर्टल"** से अभिप्रेत है, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का आधिकारिक वेब पोर्टल;

(ब) **"संयंत्र या उपस्कर"** में शामिल है, कोई संयंत्र, उपस्कर, गियर, मशीनरी, साधित्र या साधन अथवा उसका कोई पुर्जा ;

(भ) **"शक्ति"** से अभिप्रेत है, विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप, जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता है;

(म) **"दाब"** से अभिप्रेत है, बार में उतना वायुदाब, जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है;

(य) **"दाब संयंत्र"** से अभिप्रेत है, वायु मंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित उसके पाइपों और अन्य फिटिंगों के साथ दाब वाहिका;

(र) **"मूलगति उत्पादक"** से अभिप्रेत है, कोई इंजन, मोटर या अन्य साधित्र, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है या अन्यथा प्रदान करता है;

(ल) **"लोक स्वास्थ्य प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी;

(व) **"अर्हता प्राप्त नर्स"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय नर्सिंग परिषद संहिता, 1947 के अधीन मान्यता प्राप्त नर्सिंग की अर्हता रखता/रखती है, और जो छत्तीसगढ़ नर्स पंजीकरण परिषद, या भारत में किसी अन्य राज्य के पंजीकृत समकक्ष निकाय द्वारा पंजीकृत है;

(श) **"उत्तरदायी व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, नियोजक द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट कर्तव्य या कर्तव्यों का पालन करने के लिये उत्तरदायी हो और जिसके पास ऐसे कर्तव्य या कर्तव्यों के उचित पालन के लिये पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा अपेक्षित प्राधिकार हो;

(ष) **"पंजीकरण अधिकारी"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संहिता के विभिन्न धाराओं या इन नियमों के प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए पंजीकरण अधिकारी;

(स) **"धारा"** से अभिप्रेत है, संहिता की धारा;

(ह) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(क्ष) **"कार्यस्थल"** से अभिप्रेत है, वे सभी स्थान, जहाँ कर्मकारों से उपस्थित रहने या कार्य किये जाने की अपेक्षा है, और जो नियोजक के नियंत्रण के अधीन है;

(2) सभी अन्य शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में

परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जैसा कि संहिता में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो
पंजीकरण

3. **धारा 3 के तहत् पंजीकरण के लिए आवेदन** – (1) (एक) कोई नियोक्ता किसी ऐसे प्रतिष्ठान के लिए, जो पहले से पंजीकृत नहीं है, पंजीकरण हेतु विभागीय पोर्टल पर **प्ररूप–एक** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा, जिसमें प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रतिष्ठान के पंजीकरण, पहचान का प्रमाण और नियोक्ता के पते, जैसा कि प्ररूप में निर्दिष्ट है, से संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। प्ररूप में डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा आवेदक आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा।

(दो) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत आबंटित आवेदक अथवा प्रतिष्ठान के स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा उस समय के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान को आबंटित किसी अन्य विशिष्ट संख्या अथवा प्ररूप में दिए गए अन्य किसी विवरण का सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकता है।

(तीन) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, तो पंजीकरण का प्रमाण–पत्र **प्ररूप–दो** में डिजिटल रूप से तत्काल किन्तु पूर्ण आवेदन जमा किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, ऐसा न करने पर ऐसे प्रतिष्ठान को पंजीकृत मान लिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण–पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।

परन्तु, यह आपवादिक परिस्थितियों में राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण राज्य को प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की किसी श्रेणी के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है और इस प्रकार उपलब्ध कराए गए **प्ररूप–एक** में आवेदन भेजने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(चार) नियम 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए **अनुसूची–एक** के अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

यदि पंजीकरण के लिए आवेदन, संहिता की धारा 3 की उप–धारा (1) में यथा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो नियम 3 के तहत् यथा निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

(पांच) पंजीकरण प्रमाण–पत्र अहस्तांतरणीय होगा और पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर हार्ड कॉपी के रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2) (एक) कारखानों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए सहायक संचालक सह निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता की श्रेणी से अनिम्न का अधिकारी पंजीकरण प्राधिकारी होगा और कारखानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए श्रम पदाधिकारी की श्रेणी से अनिम्न का अधिकारी, पंजीकरण प्राधिकारी होगा।

(दो) ऐसे मामले में, जहाँ प्रतिष्ठान कारखानों की श्रेणी के साथ–साथ अन्य प्रतिष्ठानों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, वहाँ कारखानों के लिए सहायक संचालक सह निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और श्रम पदाधिकारी संयुक्त रूप से पंजीकरण प्राधिकारी होंगे।

(तीन) संहिता के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी उप–नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने वाले नियोक्ता को उसमें उल्लिखित समय के भीतर इसका अनुपालन करने का निदेश दे सकता है और ऐसे नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अधिकारी द्वारा जारी निदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(3) किमी प्रतिष्ठान के संबंध में कोई कर्मचारी, जो तत्समय लागू किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून अथवा राज्य श्रम कानून के अंतर्गत पहले से पंजीकृत है, उसका नियोक्ता संहिता के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर पंजीकरण संबंधी विवरणों को विभागीय पोर्टल पर अद्यतित करेगा।

(4) गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोई पंजीकरण रद्द किया जा सकता है परन्तु यह कि प्रतिष्ठान को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा 30 दिन की अवधि के भीतर यह कारण बताने का एक अवसर दिया गया हो कि उसका पंजीकरण प्रमाण–पत्र क्यों न रद्द किया जाए।

(5) नियोक्ता द्वारा संहिता अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा योजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में उसके द्वारा तैयार अथवाः पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(6) (एक) स्वामित्व, प्रबंधन अथवा विशिष्ठ पोर्टल पर पंजीकरण **प्ररूप–एक** दिए गए किसी विवरण में बदलाव को नियोक्ता द्वारा ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर विभागीय पोर्टल पर अद्यतित किया जाएगा।

(दो) जहाँ, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण अधिकारी संतुष्ट है कि प्रतिष्ठान के विवरण में परिवर्तन हुआ है, जैसा कि **प्ररूप–दो** में पंजी में दर्ज किया गया है, तो वह, उक्त पंजी में संशोधन करेगा तथा उसमें, जो परिवर्तन हुआ है, उसे दर्ज करेगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र को तद्नुसार संशोधित किया जाएगा।

(7) ऐसे प्रतिष्ठान का नियोक्ता, जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसके कारोबार से संबंधित कार्यकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, तत्समय लागू केन्द्रीय श्रम संहिताओं के अंतर्गत देय बकायों का पूरा ब्यौरा देने के पश्चात विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण को रद्द करने के लिए विहित प्ररूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

परन्तु, यह कि जब तक नियोक्ता द्वारा सभी सांविधिक विवरणियां जमा न कर दी जाएं, तत्समय लागू केन्द्रीय श्रम संहिताओं और किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून या राज्य श्रम कानून के अंतर्गत सभी सांविधिक बकायों का भुगतान न कर दिया जाए और उस आशय से संबंधित एक स्व–प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ जमा न किया जाए, तब तक पंजीकरण के रद्द किए जाने संबंधी ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(8) पंजीकरण अधिकारी **प्ररूप–तीन** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिष्ठान का एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें प्रतिष्ठान के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे, जिसके संबंध में उसके द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

(9) नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्र में, जहाँ प्रस्तावित प्रतिष्ठान स्थित है, वहाँ के क्षेत्राधिकार में आने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को अथवा जहाँ पर कार्य निष्पादित किया जाना अथवा जैसी भी स्थिति हो, किसी कार्य के आरंभ अथवा पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा, जिसमें कार्य के आरम्भ होने, पूर्ण होने और प्रतिष्ठान के बंद होने की, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक तिथि की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न **प्ररूप–चार** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ स्वतः साझा हो जाएगी।

4. धारा 4 के अंतर्गत अपील.– (1) पंजीकरण अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट नियोक्ता ऐसे आदेश के विरुद्ध **अनुसूची–दो** के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष अथवा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक वा स्पीड पोस्ट से अपील भेज सकता है।

(2) जिस मामले में अपील का ज्ञापन उपयुक्त हो, उसमें अपीलीय अधिकारी अपील स्वीकार करेगा, उसकी पावती भेजेगा और ऐसी अपील को स्वीकार किए जाने के संबंध में सूचित करेगा, सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में अपील को इलैक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करेगा।

(3) अपील स्वीकार कर लिए जाने पर अपीलीय अधिकारी पंजीकरण अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को अपील का नोटिस भेजेगा और पंजीकरण अधिकारी अपीलीय अधिकारी को उस मामले के अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट में ऑनलाइन भेजेगा।

(4) अपील प्राप्त होने पर अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह अपील की सुनवाई के लिए नोटिस

में निर्धारित की गई तारीख और समय पर उसके समक्ष उपस्थित हो और अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता या उसके प्राधिकृत एजेंट या उसके द्वारा सम्मन किए गए अन्य किसी व्यक्ति को सुनवाई करने के बाद की गई अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि उलटने या भिन्न आदेश के लिए आदेश पारित करेगा।

(5) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो आवेदक को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आदेश की प्रति भेजकर अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ताओं के उपस्थित होने में विफल रहने के कारण अपील को खारिज कर सकता है।

(6) यदि कोई अपील उप–नियम (5) के अंतर्गत खारिज कर दी गई है, तो अपीलकर्ता आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील को बहाल करने के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता समुचित कारण से उपस्थित नहीं हो पाया, तो अपीलीय अधिकारी उस अपील को पुनः बहाल करेगा।

(7) अपीलीय अधिकारी का उप–नियम (6) के तहत् आदेश अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है और इस अपील को निष्पादन अपील के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(8) इस नियम के अंतर्गत अपील का निपटान, उप–नियम (4) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

5. **धारा 5 के तहत् कार्य आरंभ और समाप्त करने की सूचना** – प्रत्येक प्रतिष्ठान चाहे वह कारखाना या अनुबंध ठेका श्रम या भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित प्रतिष्ठान, का नियोक्ता, कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी को **प्ररूप–चार** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा और कार्य समाप्त होने की सूचना के साथ यह प्रमाण–पत्र संलग्न करेगा कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों के सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर दिया गया है।

अध्याय–तीन

नियोक्ता और कर्मचारियों के कर्तव्य

6. **धारा 6 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत कर्मचारी की वार्षिक स्वास्थ्य जांच** – किसी कारखाना (संहिता की धारा 2(यक) अथवा धारा 82 के तहत् शामिल न हो), भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य, बीड़ी एवं सिगार कार्य, बागान, मोटर परिवहन कार्य अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, के लिए वार्षिक रूप से निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण कराने की व्यवस्था करेगा। चिकित्सा परीक्षण,

प्ररूप–पांच में प्रोफॉर्मा के अनुसार एक योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। योग्य चिकित्सक द्वारा संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु, कारखाना जो कि, संहिता की धारा 2(यक) अथवा धारा 82 के तहत् शामिल है, के नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक रूप से निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण कराने की व्यवस्था करेगा। चिकित्सा परीक्षण, **प्ररूप–पांच (क)** में प्रफॉर्मा के अनुसार एक योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। योग्य चिकित्सक द्वारा संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त चिकित्सा परीक्षण ऐसे हॉस्पिटल में हो, जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम अधिनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकृत हो।

परन्तु, नियोक्ता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, 2025 के प्रासंगिक नियम के तहत् कर्मचारी (कर्मचारियों) की चिकित्सा जांच की सुविधा का लाभ उठा सकता है।

7. **धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन कर्मचारी को नियुक्ति पत्र.–** किसी भी कर्मचारी को, किसी भी प्रतिष्ठान में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे विहित **प्ररूप–छः** में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया होः

परन्तु कि, किसी कर्मचारी को, जिसे अपेक्षित विवरण वाला नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, इस नियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

8. **धारा 10 की उप–धारा (1) और धारा 11 के अंतर्गत दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना.–**

(1) किसी प्रतिष्ठान में, कारखाना, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य, बागान, बीड़ी एवं सिगार कार्य में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा प्रबंधक अथवा अधिष्ठाता इसकी सूचना **प्ररूप–सात** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को देगा और जिला अधिकारी अथवा उप मंडल अधिकारी, नजदीकी थाने के प्रभारी अधिकारी और घायल अथवा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों को दूरभाष पर सूचित करेगा।

(2) किसी प्रतिष्ठान में, जो कारखाना, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य, बागान, बीड़ी एवं सिगार कार्य हो सकता है, किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है, जिसके कारण दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति अड़तालीस घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने से रोक दिया जाता है तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रबंधक अड़तालीस घंटे की अवधि पूर्ण होने

पर के बारह घंटों के भीतर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को **प्ररूप–सात** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देगा।

(3) किसी प्रतिष्ठान में संलग्न **अनुसूची–तीन** में यथानिर्दिष्ट किसी खतरनाक घटना, जिसके कारण कोई शारीरिक चोट अथवा अपंगता आती है या नहीं, बारह घंटे के भीतर **प्ररूप–सात** में सूचना निम्नलिखित को भेजी जाए–

(क) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप मंडल अधिकारी

परंतु यदि उक्त उप–नियमों के अंतर्गत सूचनाएं और रिपोर्ट भेजने के बाद ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना में घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक उप–नियम (1) और उप–नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को इसकी सूचना दूरभाष से और इलैक्ट्रॉनिक रूप से देगा और मृत्यु के बारह घंटे के भीतर लिखित में इस सूचना की पुष्टि भी करेगा।

परन्तु आगे यह भी यदि उप–नियम (2) में उल्लिखित 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने की अयोग्यता की अवधि दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं आती है किन्तु बाद में आती है अथवा एक से अधिक बार आती है, तो संदर्भित रिपोर्ट निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता **प्ररूप–सात** में दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में अशक्तता की वास्तविक कुल अवधि 48 घंटे पूर्ण होने के 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

9. धारा 12 की उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के अंतर्गत रोग की सूचना –

(1) किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता, अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा, जिसमें संहिता की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित कोई रोग होता है, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को **प्ररूप–आठ** में एक सूचना सात दिन की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(2) यदि कोई अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करता है जो किसी प्रतिष्ठान में नियोजित है या रहा है और जो अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित माना जाता है, तो अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी विलम्ब के मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि–

(क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता,

(ख) वह रोग जिससे वह रोगी को पीड़ित मानता है, और

(ग) उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसमें रोगी कार्यरत है या अंतिम बार कार्यरत था।

10. **धारा 13 के खंड (घ) और (छ) के तहत् कर्मचारी के दायित्व.–** यदि किसी कर्मचारी को प्रतिष्ठान में किसी असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति की जानकारी मिलती है तो वह नियोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि अथवा सुरक्षा अधिकारी अथवा प्रबंधक को जितनी जल्दी संभव हो इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा लिखित में अथवा दूरभाष से सूचित करेगा और ऐसा प्रतिनिधि या अधिकारी अथवा प्रबंधक, जैसी भी स्थिति हो, नियोक्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित करेगा।

11. **धारा 14 की उप–धारा (3) अंतर्गत कर्मचारी के अधिकार–** कर्मचारी से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के आसन्न खतरे की मौजूदगी के संबंध में सूचना मिलने पर नियोक्ता इस संबंध में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। नियोक्ता चाहे वह संतुष्ट हो अथवा न हो, इस प्रकार किए गए कार्यो की एक रिपोर्ट निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

अध्याय–चार

उपजीविकाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

12. **धारा 17 के तहत् राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी मण्डल.–**

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी मण्डल का गठन करेगी, जो इस संहिता द्वारा या इसके तहत् उसके प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करेगा, और राज्य सरकार को निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर सलाह देगा–

(क) इस संहिता के तहत् घोषित या बनाए जाने वाले मानक, नियम और विनियम;

(ख) इस संहिता के प्रावधानों और उससे संबंधित मानकों, नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन;

(ग) राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, इसे संदर्भित उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित नीति और कार्यक्रम के मुद्दे; तथा

(घ) इस संहिता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इसे संदर्भित कोई अन्य मामला।

(2) **सदस्य.–** संहिता की धारा 17 के उद्देश्य के लिए राज्य उपजीविकाजन्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी मण्डल में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

(एक) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (पदेन) – अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर (पदेन) – सदस्य

(तीन) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य (पदेन)

(चार) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य सचिव (पदेन)

(पांच) आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य (पदेन)

(छः) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य (पदेन)

(सात) संचालक, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य (पदेन)

(आठ) सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल — सदस्य (पदेन)

(नौ) सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल — सदस्य (पदेन)

(दस) आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रमिक कल्याण मण्डल — सदस्य (पदेन)

(ग्यारह) सीईओ/संचालक, ईएसआईएस, छत्तीसगढ़ शासन — सदस्य (पदेन)

(बारह) नियोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि — सदस्य

(तेरह) कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि — सदस्य

(चौदह) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र
से संबंधित पांच ख्याति प्राप्त व्यक्ति — सदस्य

खंड (बारह), (तेरह), (चौदह) में निर्दिष्ट सदस्य, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामांकित किये जायेंगे।

(3) **पदावधि.–** उप–नियम (2) के खंड (बारह), (तेरह), (चौदह) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, तीन वर्ष होगी।

परन्तु, जब तक नये सदस्यों के नाम निर्देशन की अधिसूचना राज्य शासन द्वारा नहीं की जाती है, तब तक पुराने सदस्य ही मण्डल के सदस्य मान्य होंगे।

(4) **नामनिर्देशन.–** सदस्यों के नामनिर्देशन तथा उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रक्रिया वही होंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

(5) **त्याग पत्र.–**

(क) राज्य मंडल का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, राज्य मंडल के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा लिखित में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है;

(ख) ऐसे सदस्य का पद, जिस तारीख को उसका त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है; अथवा राज्य सरकार द्वारा त्याग पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, से रिक्त माना जायेगा;

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्याग पत्र के कारण या अन्यथा उद्‌भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा।

(6) **सदस्यता की समाप्ति.–** राज्य मंडल का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, राज्य मंडल की लगातार तीन बैठकों में ऐसे राज्य मंडल के अध्यक्ष द्वारा ऐसी अनुपस्थिति का अवकाश स्वीकृत कराए बिना, उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह राज्य मंडल का सदस्य नहीं रहेगा;

परन्तु राज्य सरकार, यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य लगातार तीन बैठकों में किसी उपयुक्त कारण के फलस्वरूप उपस्थित नहीं हो सका तो, यह निर्देश दे सकती है कि इस प्रकार पद की समाप्ति नहीं की जाये और ऐसा निर्देश दिए जाने पर वह सदस्य, राज्य मंडल का सदस्य बना रहेगा।

(7) **सदस्यता के लिए निरर्हता.–** कोई व्यक्ति, राज्य मंडल का सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा, यदि–

(एक) विकृतचित्त का है और ऐसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है;

(दो) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; अथवा

(तीन) उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें तीन माह अथवा उससे अधिक समय का कारावास हुआ है।

(8) **सदस्यता से हटाना.–** राज्य सरकार, राज्य मंडल के किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य राज्य मंडल में जिस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधित्व करने हेतु रखा गया था, उस हित में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है;

परन्तु ऐसा कोई सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है।

(9) **सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता.–**

(एक) किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता, उसके द्वारा सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए की गई यात्रा के लिए उसको लागू नियमों द्वारा शासित

होगा और उसके वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(दो) राज्य मंडल के गैर–सरकारी सदस्यों को ऐसे स्थानों पर राज्य मंडल की बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान, राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए निर्धारित दर अनुसार किया जायेगा।

(10) **मंडल की बैठक तथा गणपूर्ति.–**

(एक) राज्य मंडल की बैठक, वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार हो सकती है;

परन्तु अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, उसकी विशेष बैठक बुलाएगा।

(दो) किसी बैठक में किसी कारोबार का संव्यवहाँर तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उस बैठक में कम से कम 6 सदस्य उपस्थित न हों;

परन्तु यदि किसी बैठक में 6 सदस्य से कम उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष, अन्य तारीख के लिये बैठक के स्थगन की जानकारी उपस्थित सदस्यों को देते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना देते हुए बैठक को स्थगित कर सकेगा कि स्थगित बैठक में कारोबार को निपटाने की प्रस्थापना करता है, चाहे उसमें विहित गणपूर्ति हो या न हो, और उसके लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या को विचार में लिये बिना, स्थगित बैठक में कारोबार का निपटारा करेः

परन्तु यह और कि, जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय के लिए बैठक बुलाता है, जो उसकी राय में आवश्यक प्रकृति का है, तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

(11) **अध्यक्ष, बैठकों की अध्यक्षता करेगा.–** अध्यक्ष, मंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष, मंडल की बैठक में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई सदस्य, अध्यक्षता करेगा तथा ऐसा नामनिर्देशन न होने पर, बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(12) **बैठक के कार्यवृत्त.–** मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, बैठक के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद, समस्त सदस्यों को वितरित की जायेगी। ऐसी पुष्टि के पश्चात्, उसे कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किए जायेंगे, जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(13) **अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते.–** मंडल तथा उसकी उप–समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(14) **सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृन्दों की नियुक्ति.–**

(एक) मंडल, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से, किसी अधिकारी को, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी से अनिम्न हो, मंडल के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(दो) मंडल, सरकार की सहमति से, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(15) परामर्शी समिति अथवा तकनीकी समिति का गठन – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सलाहकार बोर्ड की तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का गठन कर सकती है, जिसमें इतनी संख्या में सदस्य हों और ऐसी योग्यताएं हों, जो राज्य सरकार या राज्य सलाहकार बोर्ड के कार्य के निर्वहन में सहायता करने के लिए निर्धारित की जा सकती हैं।

13. धारा 21 की उप–धारा (1) और (2) के अधीन अंतर–राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सांख्यिकी का संग्रहण और पोर्टल – नियोक्ता अंतर–राज्यीय प्रवासी श्रमिकों और उनकी उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के विस्तृत आंकड़े राज्य सरकार या श्रमिकों के ऐसे सदस्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट वेव पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

14. धारा 22 की उप–धारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति.–

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोक्ता सुरक्षा समिति का गठन करेंगे जिसमें –

(क) सामान्यतः एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हों; या

(ख) संहिता की धारा 2(यक) के अधीन यथापरिभाषित ''परिसंकटमय प्रक्रिया'' चलाई जाती हो; या

(ग) संहिता की धारा 82 के अधीन ''खतरनाक संक्रिया'' घोषित कोई प्रक्रिया या संक्रिया चलाई जाती हो:

(2) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(3) कर्मकारों के प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा किया जाएगा।

जहाँ कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, वहाँ सदस्यों का चुनाव प्रतिष्ठान के कर्मकारों द्वारा किया जा सकता है:

परन्तु समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।

(4) सुरक्षा समिति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और उपयुक्त रूप में निम्नलिखित की सूचना प्राप्त किये जाने का अधिकार होगा–

(क) कार्यस्थल पर कर्मकारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ–साथ ऐसे प्रतिष्ठान में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण में प्राप्त ब्यौरे।

(5) प्रतिष्ठान के स्वामी, नियोक्ता, अधिभोगी, अधिकारी अथवा प्रबंधक, सुरक्षा समिति की अनुशंसाओं के प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

15. सुरक्षा समिति का संगठन.–

सुरक्षा समिति का संगठन – (1) सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे,

(क) कोई वरिष्ठ अधिकारी, जो संगठन में अपने पद से समिति के कार्यकरण में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकता है, अध्यक्ष होगा।

(ख) एक सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी जहाँ उपलब्ध हो, तथा ऐसे मामले में सुरक्षा अधिकारी, समिति का सचिव होगा; और

(ग) उत्पादन, अनुरक्षण और खरीद विभागों से एक–एक प्रतिनिधि।

(2) (एक) सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, जो बीस से अधिक नहीं होगी।

(दो) सुरक्षा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा, और यथासंभव वे अधिकारी, अधिमानतः प्रतिष्ठान के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे, जो प्रतिष्ठान के कार्यकरण से सीधे सम्पर्क में हैं या जुड़े हैं।

(तीन) सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, नामतः–

(क) जहाँ पर एकल वार्ताकारी या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 की 35) की धारा 14 की उप–धारा (2) या उप–धारा (3) के अंतर्गत वार्ताकारी यूनियन या उप–धारा (4) के अंतर्गत वार्ताकारी परिषद है, वहाँ पर एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगी और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस रूप में होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सुरक्षा समिति में औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों की संख्या के अनुपात में, जो ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करेगी;

(ख) जहाँ पर खंड (क) में उल्लिखित कोई भी एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहाँ पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार सुरक्षा समिति में अपने बीच में से कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करेगी–

परन्तु, नियोक्ता कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार के अन्य प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है–

परन्तु आगे यह कि सुरक्षा समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों की कुल संख्या में महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

परन्तु जहाँ पर कोई भी मान्यताप्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद दोनों नहीं है और जहाँ पर सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वहाँ पर मामले को श्रम आयुक्त के पास भेजा जाएगा, जो पक्षों को सुनकर मामले में निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) उप–नियम (1) में यथानिर्दिष्ट सुरक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड किया जाएगा।

(4) सुरक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(क) 'सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति' में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग प्रदान करना;

(ख) स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवेश से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और आने वाली समस्याओं का व्यवहाँर्य समाधान निकालना;

(ग) सभी कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता का सृजन करना;

(घ) शैक्षिक, प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी कार्यकलापों का संचालन;

(ड.) सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, सुरक्षा अंकेक्षणों, जोखिम आकलन, आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा करना और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;

(च) उन मामलों की देख–रेख करना, जो कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और सुधारात्मक उपाय सुझाना; और

(छ) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

16. सुरक्षा अधिकारियों की अर्हतायें.–

(1) कोई भी व्यक्ति कारखाना अथवा भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह निम्नलिखित धारित न करता हो –

(एक) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहाँरिक अनुभव; अथवा

(दो) भौतिकी अथवा रसायन विज्ञान में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहाँरिक अनुभव; अथवा

(तीन) इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा और पर्यवेक्षीय हैसियत के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का व्यावहाँरिक अनुभव; अथवा

(चार) इस संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।

(2) उप–नियम (1) में निहित बातों के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो –

(एक) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास केन्द्र या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग में न्यूनतम पांच वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है जो कारखानों, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों तथा गोदी कार्य का संचालन करता है; अथवा

(दो) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास उद्योग या किसी अन्य संस्थान में दुर्घटना से बचाव के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, परामर्शी अथवा अनुसंधान में पूर्णकालिक रूप से न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव है; भी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

17. **कारखानों तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के मामलों में सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व** – सुरक्षा अधिकारी का कार्य चोट लगने की व्यक्तिगत घटनाओं को रोकने से संबंधित अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने हेतु परामर्श और सहायता देनी होगी और ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात् –

(एक) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की आयोजना और ऐसे आयोजन में संबंधित विभागों को परामर्श देना;

(दो) सभी रोजगार अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चयनित रोजगारों में विस्तृत रोजगार सुरक्षा अध्ययनों का संचालन करना;

(तीन) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावकारिता की जांच और मूल्यांकन करना;

(चार) संयंत्र सुरक्षा संबंधी निरीक्षण कार्यों के संचालन से संबंधित मामलों पर सलाह देना;

(पांच) कार्य की वास्तविक स्थितियों तथा कामगारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने हेतु संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित वास्तविक स्थितियों को समाप्त करने और कामगारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सलाह देना;

(छः) औद्योगिक दुर्घटनाओं एवं बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना;

(सात) चयनित दुर्घटनाओं की जांच करना;

(आठ) संहिता की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अधिसूचित किए जाने योग्य बीमारियों के मामलों की जांच करना;

(नौ) संबंधित विभागों के साथ मिलकर अभियानों, प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यकलापों, जो कार्य की सुरक्षित दशाओं और प्रक्रियाओं की प्रतिष्ठान करने और बनाए रखने में कामगारों के हित का संवर्धन और अनुरक्षण करेंगे, का आयोजन करना; और

(दस) प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को लगने वाली चोट से बचाव के लिए समुचित प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार और संचालित करना।

18. **सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधायें.–** प्रतिष्ठान का नियोक्ता, प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपकरण तथा जानकारी देगा, जो कि उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन किए जाने के लिए आवश्यक हो।

19. **अन्य कर्तव्य करने का प्रतिषेध.–** किसी भी सुरक्षा अधिकारी से ऐसा कोई कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी, जो नियम 17 में विहित किए गए कर्तव्यों के पालन से असंगत हो।

20. **सुरक्षा अधिकारियों की संख्या.–** ऐसे प्रत्येक कारखाना और भवन या अन्य संनिर्माण कार्य जहाँ सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य है, **अनुसूची–चार** में वर्णित अनुसार सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिसे आवधिक रूप से मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा संशोधित किया जा सकेगा :

परंतु यह कि कोई भी नियुक्ति, जब किसी कारखाना और भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में की जाती है, तो ऐसे सुरक्षा अधिकारियों की अर्हताएं, अनुभव, निबंधन एवं सेवा की शर्तों का पूरा विवरण देते हुए, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिसूचित की जायेगी।

अध्याय–पांच

कार्य के घंटे और वेतन के साथ वार्षिक अवकाश

21. **धारा 25 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत अंतराल और विस्तार के साथ दैनिक और साप्ताहिक घंटे –** (1) किसी भी कामगार को किसी भी प्रतिष्ठान में एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा अथवा इसकी अनुमति नहीं होगी।

(2) उप–नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक दिन अंतराल और स्प्रैड ओवर (विस्तार) के साथ कार्य की अवधि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार होगी।

22. **धारा 26 की उप–धारा (2) के अधीन साप्ताहिक विश्राम दिवस.–** (1) संहिता की धारा 26 के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय बाहर किसी विशिष्ट स्थान पर साप्ताहिक विश्राम दिवस को दर्शाने वाला नोटिस चिपकाया जाएगा। जहाँ पर अवकाश का दिन प्रतिष्ठान में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए एक नहीं है, वहाँ पर नोटिस में प्रत्येक अभिचलन या व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्ति के लिए अनुमत अवकाश को हिंदी या अंग्रेजी में दर्शाया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 26 की उप–धारा (1) के प्रावधानों से ऐसे श्रमिकों को छूट दे सकती है, जो वह ठीक समझे।

23. **प्रतिपूर्ति अवकाश**– (1) ऐसे किसी कार्य में लगे कामगार के मामले को छोड़कर जिसमें किसी कार्य को तकनीकी कारणों से लगातार दिन भर किया जाए, इस संहिता की धारा 26 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अनुमेय किए जाने वाले प्रतिपूर्ति अवकाशों को इस तरह से दिया जाएगा कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं दिए जाएं।

(2) प्रतिष्ठान का प्रबंधक, जिस माह में कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है, की समाप्ति पर अथवा उससे पहले आगामी माह के दौरान दिए गए प्रतिपूर्ति अवकाशों वाले कामगारों तथा उनकी तारीखों से संबंधित एक नोटिस उस स्थान पर जिस पर धारा 26 के अंतर्गत निर्धारित कार्यावधियों का नोटिस प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करेगा। किसी प्रतिपूर्ति अवकाश के संबंध में नोटिस में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन उस अवकाश की तारीख से न्यूनतम तीन दिन पहले किया जाएगा।

(3) किसी प्रतिपूर्ति अवकाश अथवा अवकाशों को, जिसका कोई कामगार पात्र है, उसे कार्यमुक्त अथवा बर्खास्त करने से पहले दिए जाएंगे तथा इन्हें कार्यमुक्त अथवा बर्खास्तगी से पहले दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी नोटिस अवधि का भाग नहीं माना जाएगा।

24. **धारा 27 के अधीन समयोपरि हेतु अतिरिक्त वेतन.–** (1) जहाँ किसी प्रतिष्ठान में कोई कामगार, यथास्थिति, एक दिन में आठ घटों से अधिक अथवा किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक के लिए कार्य करता है, तो वह अपने वेतन के साधारण दर की दुगने दर में ऐसे समयोपरि कार्य के लिए वेतन का पात्र होगा तथा प्रत्येक वेतन कालावधि के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी भी दिन समयोपरि गणना में, किसी घंटे के 15 से 30 मिनट के अंश को, 30 मिनट गिना जाएगा तथा 30 मिनट से अधिक समय के मामले में, इसे पूर्ण घंटे के रूप में, वास्तविक आधार पर एक घंटा गिना जाएगा।

(3) यदि किसी कामगार के मामले में माह के आधार पर भुगतान किया जाता है, तो उसका वेतन अथवा आय के गणना करने में, दैनिक वेतन, उसके मासिक वेतन का 1/26वां भाग होगा तथा अन्य किसी कामगार के मामले में वह, यथास्थिति, दैनिक वेतन अथवा आय होगी।

(4) कारखानों, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यों, मोटर परिवहन कार्यो में, निम्नलिखित कार्यों और परिस्थितियों के अधीन किसी एक दिन में कामगारों के लिए कार्य विस्तार बारह घंटे से अधिक होंगी, अर्थात्:–

(क) तत्काल मरम्मत;

(ख) प्रारम्भिक अथवा अनुपूरक प्रकृति के कार्य;

(ग) कार्य, जो अनिवार्य रूप से इतने सविराम प्रकृति के हैं कि ऐसे अंतराल, जिनके दौरान ये कार्य नहीं करते हैं, जबकि इस कार्य के दौरान सामान्यतः अंतरालों से अधिक विश्राम की आवश्यकता होती हो;

(घ) ऐसे कार्य, जो तकनीकी कारणों से सतत् रूप से किया जाना अनिवार्य होता है:–

(ङ) अत्यधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के बनाने अथवा आपूर्ति में संलग्न कर्मकार, जिन्हें प्रतिदिन बनाया अथवा आपूर्ति किया जाता है;

(च) ऐसी प्रक्रिया में संलग्न कामगार, जिसे निर्धारित मौसमों को छोड़कर, अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

(छ) ऐसी प्रक्रिया में संलग्न कामगार, जिसे प्राकृतिक ताकतों की अनियमित कार्रवाई पर आश्रित समय को छोड़कर, अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

(ज) इंजन कक्ष अथवा बायलर हाउस अथवा पावर प्लांट की देखभाल अथवा पारेषण मशीनरी में संलग्न कामगार;

(झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में संलग्न कामगार;

(ञ) रेल वैगन अथवा लॉरी अथवा ट्रकों की लोडिंग अथवा अनलोडिंग में संलग्न कामगार;

(ट) कार्य की आपवादिक अधिकता; और

(ठ) ऐसे किसी कार्य में संलग्न कर्मकार, जिसे केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का कार्य अधिसूचित किया गया है:

परन्तु, किसी भी कामगार को साल की किसी भी तिमाही में 144 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

25. **धारा 30 के तहत् दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध.–** किसी भी कर्मकार को, कारखाने में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वह पहले से ही किसी अन्य समतुल्य प्रतिष्ठान में पूर्ववर्ती बारह घंटों के भीतर ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, कार्य कर रहा हो।

26. **धारा 31 की उप–धारा (2) के अंतर्गत कार्य अवधियों का नोटिस** . – धारा 31 की उप–धारा (2) में संदर्भित नोटिस को प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड अथवा इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रमुख स्थानों पर दर्शाया जाएगा तथा **प्ररूप–नौ** में इसका रखरखाव किया जाएगा और ऐसे नोटिस की प्रति इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।

अध्याय–छः
पंजियों, अभिलेखों और विवरणियों का संधारण
(धारा 33 के तहत् नियम)

27. **धारा 33 के अंतर्गत रिपोर्टों, रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों का रख–रखाव एवं प्रस्तुत करना**. – (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता रख–रखाव करेगा –

(अ) कर्मचारियों का रजिस्टर **प्ररूप–दस** में

(ब) उपस्थिति–सह–मस्टर रोल **प्ररूप–दस (क)** में

(स) वेतन, समयोपरि तथा कटौती का रजिस्टर **प्ररूप–दस (ख)** में

(2) इस अध्याय के अंतर्गत रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा भौतिक रूप में रखे जाएंगे। रजिस्टरों में, प्रविष्टियां अंग्रेजी अथवा हिन्दी में की जाएंगी। प्रत्येक नियोक्ता, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अथवा राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर उनके समक्ष अभिलेखों और रजिस्टरों को प्रस्तुत करेगा।

परन्तु, सभी रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को, उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तिथि से पांच कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए मूल रूप में संरक्षित किया जाएगा;

(3) प्रत्येक नियोक्ता वेतन संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के नियम 44 और वेतन संहिता, 2019 की धारा 50 की उप–धारा (3) के अंतर्गत यथा निर्धारित **प्ररूप–दस (ग)** में कर्मचारियों को वेतन भुगतान के एक दिन पहले वेतन पर्ची इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हस्तगत जारी करेगा;

(4) जिन प्रतिष्ठानों को वेतन संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्टर रखना अपेक्षित है, ऐसे प्रतिष्ठानों के नियोक्ता को उन संहिताओं और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निम्नलिखित रजिस्टरों और वेतन पर्चियों को रखना अपेक्षित होगा, जिसे इन नियमों के अधीन उस नियोक्ता के द्वारा रखा जाना समझा जाएगा, नामतः–

(क) कर्मचारियों का रजिस्टर;

(ख) उपस्थिति–सह–मस्टर रोल रजिस्टर;

(ग) वेतन, समयोपरि तथा कटौती का रजिस्टर;

(घ) वेतन पर्ची

(5) इस संहिता और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत रखे जाने वाले अपेक्षित सभी रजिस्टरों, और अन्य अभिलेखों को सम्पूर्ण रूप में तथा अद्यतन रूप में तथा जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया जाए, कार्यालय में या कार्य स्थल के अहाते के भीतर निकटतम सुविधाजनक भवन में अथवा तीन किलोमीटर की परिधि में किसी स्थान में रखा जाएगा।

(6) वार्षिक विवरणी –

(क) जिस नियोक्ता पर इस संहिता के नियम लागू होते हैं, वे हर वर्ष 1 मार्च को या उससे पहले व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) में बनाए गए नियमों के तहत् **प्ररूप–ग्यारह** और **ग्यारह(क)** में वार्षिक विवरणी राज्य सरकार के विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करें जिसमें पिछले साल के बारे में जानकारी हो, बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या किसी अन्य तरह से रखे गए लेखे, बहियां, रजिस्टर और दस्तावेज दिखाने के लिए मांग कर सकता है।

स्पष्टीकरणः– इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ, ''इलेक्ट्रोनिक रूप'' की अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में दिया गया है।

(ख) यदि नियोक्ता, जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रतिष्ठान को वेच देता है, उसका अधित्याग कर देता है या काम बंद कर देता है, तब वह ऐसी बिक्री, अधित्याग की तारीख से एक महीने के अंदर या काम बंद कर देने की तारीख से चार महीने के अंदर, जैसी भी स्थिति हो, राज्य सरकार के विभागीय पोर्टल पर पूर्व वर्ष के अंत में और बिक्री, अधित्याग या काम बंद करने की तिथि के बीच की अवधि के संबंध में खंड–क में उल्लिखित **प्ररूप–ग्यारह तथा ग्यारह (क)** में एकीकृत विवरणी अपलोड करेगा।

(ग) हस्त रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों के मामले में उनमें प्रविष्टियां स्याही में स्पष्ट रूप में अंग्रेजी या हिंदी में दर्ज की जाएंगी।

(घ) हस्त रजिस्टर और अन्य अभिलेख उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप में संरक्षित किए जाएंगे।

परन्तु जब मूल अभिलेख पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तब उनकी सत्य प्रतिलिपियों को अगर उपलब्ध हैं तो, विहित अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(ङ) ऐसे रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष मांगने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा रजिस्टरीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

28. **नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन**– प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान के कार्य स्थल के विशिष्ट स्थान पर, प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, कार्य घंटे, वेतन अवधि, ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख, गत 5 वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना तथा खतरनाक घटना का विवरण, ऐसे प्रतिष्ठान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का नाम एवं पता तथा कामगारों के बकाया वेतन के भुगतान की तारीख का नोटिस अंग्रेजी या हिन्दी में प्रदर्शित करेगा अथवा प्रदर्शित कराएगा।

29. **विवरणी** – किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता अपने क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को **प्ररूप–ग्यारह** में अपने प्रतिष्ठान से संबंधित विवरणी प्रतिवर्ष भेजेगा ताकि यह उसके पास प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 28 फरवरी तक पहुंच जाएं, साथ ही इसकी एक प्रति श्रमायुक्त को इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाए।

30. **दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर** – संहिता की धारा 33 के खंड (क) के उप–खंड (पांच) द्वारा अपेक्षित दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर **प्ररूप–बारह** में रखा जाएगा।

31. **धारा 33 के खंड (क) के अंतर्गत सवैतनिक अवकाश का रजिस्टर** – (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का अधिष्ठाता, एजेंट अथवा प्रबंधक **प्ररूप–तेरह** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा मैनुअली अपने प्रत्येक कर्मचारी के सवैतनिक अवकाश का रिकार्ड रखेगा।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर इसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उसे नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक की इसे समुचित ढंग से नए रजिस्टर में अंतरित नहीं किया गया हो।

अध्याय–सात
निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं अन्य प्राधिकारी

32. **धारा 34 की उप–धारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की अर्हताएं एवं अनुभव.–**

(1) विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, श्रम संबंधी विषयों में अनुभव रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग के किसी अधिकारी को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता नियुक्त कर सकेगी।

33. **धारा 35 की उप–धारा (1) के खंड (दस) के अंतर्गत किन्हीं वस्तुओं अथवा पदार्थों के सैम्पल लेने की शक्ति –** (1) कोई निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता प्रतिष्ठान के नियोक्ता को सूचित करके विभागीय पोर्टल के अंतर्गत अधिदेशित निरीक्षण योजना के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में सैंपल या पदार्थ लेगा तथा इस प्रकार लिए गए सैंपल, प्रतिष्ठान में प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी वस्तु या पदार्थ का पर्याप्त प्रतिदर्श होंगे, ऐसा प्रयोग होने पर –

(क) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह मानना हो कि यह इस संहिता के किसी उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में है, अथवा

(ख) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के मत में प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को शारीरिक चोट अथवा उसके स्वास्थ्य पर जोखिम आने की संभावना हो।

(2) जब निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता उप–नियम (1) के अंतर्गत सैंपल लेता है, तो वह उस उप–धारा के अंतर्गत सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित नहीं रखता है, सैम्पल लेगा, सैम्पल को तीन भागों में बांटेगा, प्रभावी ढंग से सील लगाएगा एवं समुचित ढंग से उन्हें मार्क करेगा, तथा उस व्यक्ति को भी अपनी सील एवं मार्क उस पर लगाने की अनुमति देगा ।

(3) उपर्युक्तानुसार सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसी अपेक्षा रखता है, तो इस नियम के अंतर्गत लिए गए सैम्पल को बांटने, सील करने तथा मार्क करने हेतु उपकरण उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता –

(क) उप–नियम (1) के अंतर्गत सूचित व्यक्ति को सैंपल का एक भाग तुरन्त देगा;

(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण एवं उस पर रिपोर्ट हेतु किसी सरकारी विश्लेषक अथवा नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) को तुरन्त भेजेगा।

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु रखेगा जिसके समक्ष उस पदार्थ के संबंध में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, चलाई जाती हैं।

(5) इस नियम के अंर्तगत विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे सौंपे गये किसी पदार्थ से किसी सरकारी विश्लेषक अथवा नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के अंतर्गत

रिपोर्ट के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज उस पदार्थ के संबंध में प्रारम्भ की गई किसी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

34. **धारा 35 की उप–धारा (1) के खंड (चौदह) के अंतर्गत निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की शक्तियां एवं कार्य –** धारा 35 की उप–धारा (1) में दी गई निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर संहिता के तहत् उसे सौंपी गई शक्तियों के निष्पादन के उद्देश्य से, निम्नलिखित सभी या कोई कार्य करने की शक्ति होगी, अर्थात्–

(क) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात, जैसा आवश्यक माना जाए, नियोक्ता अथवा अधिष्ठाता अथवा स्वामी को संहिता तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों के तहत् सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं के उपबंधों की अनुपालन नहीं करने का उल्लेख करते हुए प्रतिषेध अथवा सुधार नोटिस जारी करेगा।

(ख) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि किस सीमा तक पूर्ववर्ती निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को दूर किया गया है तथा पूर्व में जारी किए गए नोटिसों का पालन किया गया है तथा उसके निष्कर्ष तथा निरीक्षण के दौरान सामने आयी कमियों के साथ–साथ संहिता अथवा इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों के तहत् उसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को रिकार्ड किया जाएगा तथा उनका रख–रखाव किया जाएगा।

(ग) किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को सुरक्षित करने के प्रयोजन हेतु, किसी भी व्यक्ति की तस्वीर लेना, निरीक्षण करना, जांच करना, मापना, प्रतिलिपि बनाना, फोटोग्राफ, स्केच या परीक्षण, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी भवन या कक्ष, किसी संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या उपकरणों, किसी पंजी या दस्तावेज या कोई भी अन्य, जो उपलब्ध हो, का निरीक्षण करना।

(घ) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के मामले में, जो एक विधिवत योग्य चिकित्सा व्यवसायी है, ऐसी चिकित्सा परीक्षाएं करेगा, जो संहिता के तहत् अपने कर्तव्यों के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

(ङ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, अन्य विभागों या एजेंसियों को धारा 38 की उप–धारा (2) या संहिता में यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य धारा के तहत् जारी किए गए आदेशों का पालन करने के लिए, ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं।

35. **धारा 37 के तहत् तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा और प्रमाणन के लिए पैनल में शामिल किए जाने वाले विशेषज्ञों की योग्यता और अनुभव.–**

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी योग्यता और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने के लिए एक योजना तैयार कर सकती है, जो ऐसे स्टार्ट–अप प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग के उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) उप–नियम (1) के तहत् पैनल में शामिल विशेषज्ञ,–

(क) एक वेब आधारित योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा एक यादृच्छिक (रैण्डम) तरीके से तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षा और प्रमाणीकरण सौंपा जा सकता है;

(ख) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट योजना में निर्दिष्ट तरीके से और उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा और प्रमाणीकरण करना; .

(ग) ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जो ऐसी योजना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और संबंधित नियोक्ता और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को अपनी रिपोर्ट जमा कर सकते हैं।

36. **धारा 38 की उप–धारा (1) के भाग (क) के उप–भाग (घ) के तहत् वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की रीति.–** प्रत्येक अधिभोगी, कारखाने के अन्य क्षेत्रों या उसके भाग में प्रभावित श्रमिकों को धारा 38 की उप धारा (1) के भाग (क) के उप–भाग (क) के तहत् दी गई निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के कारण वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेगा।

परंतु यह कि वैकल्पिक रोजगार के कारण प्रभावित व्यक्ति की मजदूरी कम नहीं की जाएगी :

बशर्ते कि यदि किसी आदेश द्वारा कारखाने का पूरा अथवा कोई हिस्सा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तो नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित श्रमिकों को मजदूरी और अन्य लाभों के लिए वेतन संहिता 2020 के अनुसार दिनों की संख्या के लिए भुगतान करे।

37. **धारा 42 की उप–धारा (1) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति**

(1) चिकित्सा अधिकारी वह चिकित्सक होगा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में दी गई परिभाषानुसार मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा योग्यता रखता हो तथा जो इस अधिनियम की धारा 35, 36, 37 तथा 40 के खंड (ङ) के अनुसार भारतीय चिकित्सा रजिस्टर तथा खंड (1) में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हो।

(2) चिकित्सा अधिकारी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त चैस्ट रेडियोग्राफ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) वर्गीकरण सहित उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

38. **धारा 42 की उप–धारा (2) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के कार्य –**

(1) संहिता की धारा 42 की उप–धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा जांच हेतु तारीख, समय एवं स्थान से संबंधित पूर्व में नोटिस देकर तथा ऐसे परीक्षण हेतु भेजे गए कामगार की जांच करने पर, आयु एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखकर उसे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक और कामगार को भेजेगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी, आयु निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक, ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसा भी मामला हो, जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है।

(3) चिकित्सा अधिकारी सरकार के निदेशानुसार ऐसी जांच करेगा तथा निम्नलिखित रिपोर्ट देगा –

(क) संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार ऐसे खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान के कामगारों की जांच एवं प्रमाणन;

(ख) की गई किसी प्रक्रिया की जोखिमकारी प्रकृति अथवा कार्य की जोखिमकारी दशा के कारण किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी का चिकित्सकीय पर्यवेक्षण हेतु जहाँ चिरकालिक उपजीविकाजन्य बीमारी के मामले घटित हो चुके हैं;

(ग) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी अथवा प्रतिष्ठान के विवरण के संबंध में जिनमें कार्य संचालन में जिनमें नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के स्वास्थ्य पर हानि होने का जोखिम शामिल है; या

(घ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी, जहाँ बीमारी के मामले सामने आ चुके हैं अथवा इस संहिता की तृतीय अनुसूची में यथा निर्धारित बीमारियां प्रचलित हैं, का उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना; या

(ङ) किसी भी कारखाने या भवन एवं अन्य निर्माण कार्य या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी भी तरह के प्रतिष्ठान में नियोजन के लिए किशोर की आयु का पता लगाना तथा फिटनेस जारी करना।

अध्याय–आठ
महिलाओं के नियोजन हेतु विशेष उपबंध

39. **धारा 43 के अधीन प्रतिष्ठान में महिलाओं का नियोजन.–** रात्रि के दौरान अथवा पूर्वान्ह 6 वजे से पूर्व तथा अपराह्न 7 बजे के बाद महिलाओं के नियोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जायेगा, अर्थात्:–

(1) महिला कर्मचारी की सहमति **प्ररूप–चौदह** में ली जायेगी;

(2) प्रत्येक नियोक्ता महिला श्रमिकों के लिए एक शिकायत पेटी रखेगा।

(3) प्रत्येक नियोक्ता प्रतिष्ठान के आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर स्थानीय पुलिस स्टेशन, पुलिस नियंत्रण कक्ष और महिला सहायता केंद्र के फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।

(4) महिला कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आश्रय, विश्राम कक्ष और रात्रि शिशुगृह की व्यवस्था करना।

(5) किसी भी महिला को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का सं. 36) के अधीन निर्धारित प्रसूति लाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा;

(6) महिला कर्मचारी को उसके आवास से लाने और ले जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेंगी;

(7) शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, प्रवेश एवं बाहर जाने के रास्ते जैसी सुविधाओं या सुविधा–केन्द्रों सहित कार्य स्थल पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए; शौचालय, वॉशरूम तथा पेयजल सुविधाएं ऐसे कार्य स्थल के पास ही होनी चाहिए जहाँ महिला कर्मचारी नियोजित हैं तथा इन सुविधाओं के रास्ते में क्लोज़्ड–सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) चौकसी की उपयुक्त व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराएंगी;

(8) संरक्षित, सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध करायी जायें, ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में कोई हानि न हो।

(9) प्रतिष्ठान में और साथ ही वाहनों के भीतर, दोनों स्थलों में प्रमुख स्थानों पर समर्पित दूरभाष संख्याएं प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि कोई भी महिला कर्मचारी किसी आकस्मिकता या आपातस्थिति में उनका उपयोग कर सके।

(10) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेद्ध एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 14), जो प्रतिष्ठानों पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

40. धारा 44 के अंतर्गत खतरनाक संक्रियाओं में महिलाओं के नियोजन की पर्याप्त सुरक्षा.– राज्य सरकार जोखिमकारी एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठानों की श्रेणी एवं योजना, तथा मानकों को समय–समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।

अध्याय–नौ

ठेका कर्मकारों एवं अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों आदि के लिए विशेष प्रावधान

भाग–एक

ठेका श्रम

41. धारा 47 की उप–धारा (1) और (2) के अंतर्गत ठेकेदार की योग्यता एवं मानदंड – लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु ठेकेदार को एक कंपनी के रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप में अनुन्मुक्त दिवालिया अथवा गत दो वर्षों के दौरान किसी समय ऐसे अपराध का दोषी नहीं माना जाए जो तीन माह से अधिक के कारावास से दंडनीय हो ।

42. धारा 47 की उप–धारा (3) के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तें –

(1) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि :

(क) कार्य के घंटे धारा 25 से संबंधित इन नियमों के अनुरूप होंगे।

(ख) वेतन का भुगतान वेतन संहिता, 2019 (2020 का 29) के अनुसार किया जाएगा।

(ग) यदि ठेकेदार का ठेका कामगार प्रधान नियोक्ता के परिसर में कार्य कर रहा है तो शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, नहाने की सुविधा यदि अपेक्षित हो, कपड़े बदलने का कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैंटीन एवं शिशुगृह जैसी सुविधाएं या सुख–साधन उपलब्ध कराना प्रधान नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा।

(घ) अन्य सभी सुविधाएं एवं पात्रताएं ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) यदि ठेकेदार ठेका कामगार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में असफल रहता है, तो श्रमायुक्त अथवा उसका प्रतिनिधि बैंक गारंटी देकर ठेका कामगारों, जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है, को नियम 46 के अंतर्गत जमा किए गए सुरक्षा जमा में से ऐसा भुगतान करवाएगा।

(3) ठेकेदार, ठेका कार्य ऑर्डर मिलने के 15 दिन के अंदर उस ठेका कार्य आर्डर के ब्यौरे के बारे में नियम 50 में विनिर्दिष्ट ढंग से सूचित करेगा।

43. धारा 48 की उप–धारा (1) के अंतर्गत ठेकेदार लाइसेंस के लिए आवेदन का प्ररूप एवं तरीका – किसी राज्य के भीतर ठेकेदार द्वारा लाइसेंस की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदन संहिता की धारा 119 में संदर्भित प्राधिकारी (एतदुपरांत इस अध्याय में प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) को **प्ररूप–पंद्रह** में विभागीय पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन ढंग से किया जाएगा।

44. धारा 47 की उप–धारा (1) या उप–धारा (2) अथवा धारा 119 की उप–धारा (1) के अंतर्गत एक से अधिक जिले अथवा सम्पूर्ण राज्य के लिए ठेकेदार हेतु एकल लाइसेंस –

(1) यदि कोई ठेकेदार निम्नलिखित के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक हैः–

(एक) ठेका श्रमिकों की आपूर्ति अथवा नियुक्ति; अथवा

(दो) एक से अधिक जिले अथवा सम्पूर्ण राज्य में धारा 47 की उप–धारा (1) अथवा उप–धारा (2) के अंतर्गत ठेका कार्य लेता है या निष्पादित करता है, तो वह नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को **प्ररूप–सोलह** में विभागीय पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करेगा।

(2) इस नियम के अंतर्गत एकल लाइसेंस के लिए आवेदन प्राधिकारी के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाएगा।

(3) प्राधिकारी द्वारा संबंधित जिला से इलैक्ट्रॉनिक रूप से परामर्श किया जाएगा, और यदि ऐसे पत्राचार के जारी होने की तारीख से तीस दिन के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन किया गया मान लिया जाएगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत सभी आवेदनों को ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर या तो अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा, जिस अवधि के बीतने पर यह मान लिया जाएगा कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है और लाइसेंस उप–नियम (1) में संदर्भित पोर्टल पर स्वतः जारी हो जाएगा।

(5) इस प्रकार से जारी लाइसेंस की प्रति या प्रतियां उस जिला को भेजी जाएंगी जिसके क्षेत्राधिकार में वह ठेका कार्य आता है। और जिस कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया है।

(6) इस नियम के अंतर्गत जारी लाइसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य होगा।

45. लाइसेंस के प्ररूप, निबंधन एवं शर्ते – (1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस **प्ररूप–सोलह** में होगा।

(2) प्रदान किया गया अथवा नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, नामतः–

(एक) यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा;

(दो) ठेकेदार द्वारा, किसी भी दिन, ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(तीन) इन नियमों में यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, लाइसेंस जारी करने एवं नवीकरण हेतु जमा की गई फीस, जैसा भी मामला हो, वापस नहीं होगी;

(चार) ठेकेदार द्वारा कामगारों को देय वेतन की दरें वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी तथा जहाँ समझौते, निपटान अथवा पंचाट द्वारा दरें निर्धारित की गई हैं, वहाँ ये दरें इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

46. धारा 48 की उप–धारा (2) के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया –

(1) इन नियमों में से किसी नियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने से पहले, ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए 1000/– रूपये की दर से गणना की गई राशि की बैंक गारंटी, जिनके संबंध में लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, लाइसेंस की शर्तों के निष्पादन हेतु प्राधिकार के साथ तथा संहिता के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में ठेकेदार द्वारा जमा की जाएगी।

यदि ठेकेदार एक लाख अथवा अधिक किन्तु एक लाख पचास हजार से कम ठेका श्रमिकों को नियोजित करने का प्रस्ताव करता है तो सुरक्षा राशि 10 करोड़ रूपये होगी, एक लाख पचास हजार किन्तु दो लाख से कम ठेका श्रमिक नियोजित करने पर यह राशि 15 करोड़ रुपये होगी, दो लाख अथवा अधिक ठेका श्रमिक होने पर सुरक्षा राशि 20 करोड़ रुपये होगी।

(2) जहाँ जारी किये गए ठेका लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गयी है, उस मामले में **प्ररूप–सोलह** में आवेदक के अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी नए लाइसेंस हेतु उसके आवेदन के लिए सुरक्षा जमा को उप–नियम (1) के अंतर्गत समायोजित कर सकता है।

(3) लाइसेंस जारी करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क नीचे तालिका में यथा विनिर्दिष्टानुसार होगा, नामतः–

क	49 ठेका श्रमिकों तक के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं	शून्य
ख	50 तथा अधिक किन्तु 100 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	1000 रूपये
ग	101 तथा अधिक किन्तु 300 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	2000 रूपये
घ	301 तथा अधिक किन्तु 500 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	3000 रूपये
ङ	501 तथा अधिक किन्तु 1000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	5000 रूपये
च	1001 तथा अधिक किन्तु 5000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	10000 रूपये
छ	5001 तथा अधिक किन्तु 10000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	20000 रूपये
ज	10001 तथा अधिक किन्तु 20000 ठेका श्रमिकों से कम के लिए	30000 रूपये
झ	20001 से अधिक ठेका श्रमिकों के लिए	40000 रूपये

47. धारा 48 के अंतर्गत लाइसेंस का नवीकरण– (1) प्रत्येक ठेकेदार लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु लाइसेंस प्राधिकारी को विभागीय पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन उप–नियम (1) में उल्लिखित पोर्टल पर लाइसेंस अवधि के समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले जमा किया जाएगा, परन्तु यह आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने के 90 दिन से पहले नहीं किया जाएगा।

(3) लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु देय शुल्क वही होगा जो नियम 46 के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए है।

परन्तु यदि लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन उप–नियम (2) में निर्दिष्ट समय के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीनीकरण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा ।

(4) संबंधित प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह 7 दिनों के भीतर लाइसेंस का इलैक्ट्रॉनिक रूप से नवीनीकरण करे, ऐसा न होने पर लाइसेंस

जारी किया हुआ और स्वसृजित माना जाएगा तथा इस असफलता की जिम्मेदारी ऐसे प्राधिकारी की होगी।

(5) लाइसेंस में किए गए किसी भी परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन की तिथि से 15 दिनों के भीतर **प्ररूप–पन्द्रह** में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर लाइसेंस में संशोधन कराया जा सकता है। आवेदन में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि सहित संशोधन का पूरा विवरण, आवश्यक सुरक्षा जमा राशि, तथा यदि कोई हो तो शुल्क का अंतर जमा किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही भुगतान के प्रमाण के रूप में कोषागार चालान/ई–चालान अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज़ की प्रति संलग्न करनी होगी।

48. सुरक्षा जमा की वापसी – (1) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, यदि ठेकेदार अपने लाइसेंस को आगे नवीनीकृत नहीं करना चाहता, तो वह लाइसेंस और काम के पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण जिसमें राशि वापस करना अपेक्षित है, उसकी प्रति के साथ उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा (बैंक गारंटी के रूप में) की वापसी के लिए प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन करे।

(2) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या सुरक्षा जमा या उसके किसी भी भाग को जब्त करने के लिए कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी का निर्देश देगा।

(3) यदि ठेकेदार के सुरक्षा जमा के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को ठेकेदार के सुरक्षा जमा में से काट लिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार को उप–नियम (1) के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

(4) वापसी के लिए कोई भी आवेदन, जहाँ तक संभव हो, आवेदन करने के तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

49. धारा 48 की उप–धारा (4) के अधीन ठेकेदार का दायित्व– (1) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दरें वेतन संहिता 2019 (2019 का 29) के तहत् निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी और जहाँ दरें समझौते, निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई हैं, वहाँ इस प्रकार से निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

(2) उस स्थिति में जहाँ ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिक वाला अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हैं, वहाँ ठेकेदार के कामगारों के लिए छुट्टियां, काम के घंटे और अन्य सेवा शर्तें प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा उसी अथवा समान कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम पर रखे गए श्रमिकों के समान होंगी। समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, इस मामले को संबंधित श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रमायुक्त को संदर्भित किया जाए, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(3) अन्य मामलों में, ठेकेदार के ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें, छुट्टियां, कार्य के घंटे और सेवा की शर्तें संहिता और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में विनिर्दिष्टानुसार होंगी।

(4) सभी ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत अनुप्रयोज्यता के अध्ययीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का सदस्य बनाया जाएगा।

(5) ठेकेदार इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को श्रमिकों की संख्या या काम की शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना देगा।

50. धारा 50 के तहत् कार्य आदेश की सूचना और सूचना के लिए समय–सीमा –

(1) प्रत्येक ठेकेदार अनुबंध कार्य आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुबंध के कार्य आदेश के बारे में प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसमें विवरण जैसे कि प्रधान नियोक्ता का नाम, उस परिसर का पता जहाँ काम किया जा रहा है, अनुबंध कार्य की शुरुआत की तारीख, उस कार्य आदेश के तहत् नियोजित अनुबंध श्रमिकों की संख्या, कार्य आदेशों की अवधि शामिल होंगे।

(2) कार्य आदेश का विवरण ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उप–नियम (1) के अंतर्गत भेजा जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के अंतर्गत सूचना श्रमायुक्त या उनके प्रतिनिधि को श्रमायुक्त की वेबसाइट पर यथाअधिसूचित विभागीय पोर्टल या ई–मेल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से भी भेजी जाएगी।

51. धारा 51 के तहत् लाइसेंस का निरसन अथवा निलम्बन –

(1) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस किसी महत्वपूर्ण तथ्य को बदल कर अथवा छिपाकर प्राप्त किया गया है अथवा यदि ठेकेदार उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो गया है जिनके अध्यधीन लाइसेंस प्रदान किया गया अथवा ठेकेदार ने संहिता के अध्याय–ग्यारह के भाग–एक के किसी उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ठेकेदार से उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसकी जांच करेगा और यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लगता है कि ठेकेदार द्वारा इस ठेका व्यवसाय को जारी रखने से कामगारों का काफी नुकसान होगा, तो वह लाइसेंस के निरसन अथवा निलम्बन अथवा अन्यथा कार्रवाई के लिए कारणों को रिकार्ड करते हुए सकारण आदेश पारित कर सकता है तथा वह इलेक्ट्रॉनिक ढंग से या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा ठेकेदार को सूचित करेगा और इस आदेश की एक प्रति श्रमायुक्त तथा संबंधित राज्य प्राधिकारियों को पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) यदि ठेकेदार ने निर्धारित समयावधि के अंदर संहिता के संबंधित उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी सकारण आदेश जारी करते हुए निलंबन को वापिस ले लेगा या अन्यथा निलंबन जारी रखा जाएगा।

(3) यदि ठेकेदार उप–नियम (1) में दिए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो लाइसेसिंग प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए तत्काल लाइसेंस के निरसन का आदेश पारित करेगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से या पंजीकृत डाक द्वारा या स्वीड पोस्ट द्वारा देगा। इस आदेश की प्रति इलैक्ट्रॉनिक ढंग से श्रमायुक्त तथा संबंधित राज्य प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

52. **धारा 52 की उप–धारा (1) के अधीन अपील.–** संहिता की धारा 52 की उप–धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी वे होंगे, जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाये।

53. **धारा 55 के तहत् वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी –** (1) ठेकेदार वेतन की अवधि तय करेगा, जिसके संबंध में वेतन देय होगा और कोई वेतन अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी प्रतिष्ठान में या किसी ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध में वेतन देय है, के वेतन का भुगतान वेतन अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

(3) वेतन केवल बैंक अंतरण या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

(4) ठेका श्रमिकों के वेतन का भुगतान किसी भी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो या ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अंतर्गत अनुमत हो।

(5) ठेका श्रमिकों के वेतन के भुगतान के संबंध में मजदूरी की अवधि, तारीख और समय को दर्शाने वाला एक नोटिस कार्य–स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी एक प्रति ठेकेदार द्वारा मुख्य नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पावती के तहत् भेजी जाएगी।

(6) प्रत्येक ठेकेदार (पचास से कम ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों सहित) अर्ध–वार्षिक विवरणी **प्ररूप–ग्यारह (क)** में भेजेगा ताकि यह संबंधित श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रमायुक्त तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अर्ध–वर्ष की समाप्ति के अर्थात जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक 30 दिनों के भीतर पहुंच जाए।

(7) यदि ठेकेदार वेतन अवधि पूरी होने के 7 दिनों के भीतर ठेका श्रमिक को वेतन का भुगतान करने में विफल रहता है, प्रधान नियोक्ता आवश्यक कार्रवाई करेगा और 15 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा नियोजित संबंधित ठेका

श्रमिक को पूरी मजदूरी या अदत्त शेष राशि, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करेगा एवं ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई राशि या तो किसी भी अनुबंध के तहत् ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में या प्रमुख नियोक्ता के पास पड़ी सुरक्षा जमा से कटौती करके वसूल की जाएगी।

(8) किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक प्रधान नियोक्ता अनुबंध के मामलों को छोड़कर दिए गए परिणाम को प्राप्त करने के लिए वार्षिक विवरणी को **प्ररूप–ग्यारह (भाग–दो)** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा ताकि प्राधिकरण और संबंधित श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रमायुक्त तक वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में मार्च माह के पहले दिन तक अवश्य पहुंच जाए।

54. **धारा 55 की उप–धारा (4) के अंतर्गत सुरक्षा जमा राशि से मजदूरी का भुगतान** – (1) यदि ठेकेदार या प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो संबंधित श्रम आयुक्त या उसके प्रतिनिधि या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सक्षम अधिकारी इसकी जांच करेगा अथवा करवाएगा तथा ठेकेदार का पक्ष जानने के पश्चात ऐसी राशि का, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में जमा की गई राशि से भुगतान करने का आदेश पारित करेगा। ठेकेदार ऐसे श्रम आयुक्त या प्रतिनिधि या सक्षम अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा पारित आदेश में विनिर्दिष्ट सुरक्षा जमा को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर फिर से प्रस्तुत करेगा, अथवा अन्यथा उसका लाइसेंस निलंबित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

55. **धारा 56 के अंतर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र** – प्रत्येक संबंधित ठेकेदार मांग पर, ऐसे ठेका श्रमिक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अवधि, किए गए कार्य और अनुभव का विवरण देते हुए ठेका श्रमिक को **प्ररूप–सत्रह** में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा।

56. **धारा 57 की उप–धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिषेध** – यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी प्रतिष्ठान की कोई गतिविधि एक मुख्य गतिविधि अथवा अन्यथा है, तो पीड़ित पक्ष श्रमायुक्त को संबंधित दस्तावेजों के साथ कारण का उल्लेख करते हुए एक आवेदन कर सकता है एवं श्रमायुक्त संबंधित पक्ष को सुनने के बाद आदेश पारित करेगा।

भाग–दो

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार

57. **धारा 61 के अंतर्गत अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार को यात्रा भत्ता**– नियोक्ता अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं) या बस से या किसी अन्य यात्री परिवहन के माध्यम से रोजगार के स्थान से गृह राज्य में उसके निवास स्थान तक आने एवं जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा, यदि उसने पूर्ववर्ती बारह महीनों में संबंधित प्रतिष्ठान में कम से कम एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए काम किया है;

परन्तु, यात्रा भत्ता अंतर–राज्यीय प्रवासी कामगार को बारह महीनों में एक बार दिया जाएगा। यदि रोजगार की अवधि के बीच में अंतर– राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और उसने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहाँ अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार अब काम कर रहा है और ऐसे कामगार ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी अवधि सहित पिछले बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का भुगतान वर्तमान नियोक्ता करेगा।

58. **धारा 63 के अंतर्गत अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की शुरूआत करना–** श्रम विभाग द्वारा प्रवासी कर्मकारों के प्रश्नोत्तर एवं शिकायतों को दूर करने के लिए एक टोल–फ्री नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

59. **धारा 64 के अंतर्गत अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगारों का अध्ययन–** राज्य सरकार अंतर – राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान कर सकती है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकार अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शामिल विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श कर सकती है।

भाग–तीन

श्रव्य–दृश्य कर्मकार

60. **धारा 66 की उप–धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत श्रव्य दृश्य कामगारों के लिए समझौता–** निर्माता के साथ श्रव्य–दृश्य कामगारों के लिए समझौते का प्रारूप **प्ररूप–अठारह** में विनिर्दिष्ट है। इस समझौते को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जाएगा।

61 **धारा 66 की उप–धारा (1) के अंतर्गत विवादों को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया –** इस विवाद को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप होगी।

भाग–चार

बीड़ी एवं सिगार कर्मकार

62. **अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन प्ररूप एवं अनुज्ञप्ति शुल्क.–**

(1) धारा 119 की उप–धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, किसी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप–पंद्रह** में किया जायेगा।

(2) आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा, अर्थात् :–

(क) श्रम आयुक्त द्वारा यथा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुमोदित रेखांक, जो कि दर्शाता हो,–

(एक) उस स्थान या परिसर क्षेत्र, जो विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाये जाते हों एवं निकटतम इमारतें, संरचनाओं, सड़कों, नालियों तथा इस तरह से अन्य सहित ऐसी जगह या परिसर के समीपस्थ आसपास के क्षेत्र; तथा

(दो) योजना, ऊंचाई और आवश्यक क्रास–सेक्शन, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, वेन्टीलेशन से संबंधित विवरण, आगजनी की स्थिति में बचाव हेतु व्यवस्था, संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, यदि कोई हो, गलियारे या मार्ग में विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिये उपयोग के लिये आशायित विभिन्न इमारतों के संबंध में विवरण;

(ख) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लाइसेंस के लिए अधिसूचित शुल्क को दर्शाने वाला ई–चालान।

(3) अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा यह विचारण में लिया जावेगा कि क्या औद्योगिक परिसर में पूर्व अनुमोदन के विरूद्ध परिवर्तन किया गया है या आवेदक द्वारा कोई अन्य औद्योगिक परिसर, आवेदन की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती बारह माह की अवधि के दौरान कर्मकारो के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की दृष्टि से बंद कर दिया गया हो।

63. अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिये आवेदन.–

(1) धारा 74 के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन, **प्ररूप–पंद्रह** में इलेक्ट्रानिक रूप से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा, अर्थात्:–

(क) अनुज्ञप्ति की प्रति, जिसका नवीकरण किया जाना है;

(ख) ई–चालान में दर्शित हो कि राजपत्र में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुज्ञप्ति की नवीनीकरण हेतु समुचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(2) नियम 62 के उप–नियम (3) के उपबंध, जहाँ तक संभव हो, इस नियम के अधीन प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगे।

64. अनुज्ञप्ति के प्ररूप तथा निर्बंधन एवं शर्तें.–

(1) धारा 74 के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति, **प्ररूप–उन्नीस** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जायेगा।

(2) धारा 74 के अधीन स्वीकृत या नवीनीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्निलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :–

(एक) विनिर्माण प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट औद्योगिक परिसर के मात्र उस हिस्से पर ही की जाएगी;

(दो) औद्योगिक परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी;

(तीन) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये बिजली चालित मशीनरी का उपयोग, परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा;

(चार) सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के अलावा, औद्योगिक परिसर को विस्तारित नहीं किया जाएगा और इस तरह की अनुमति के अलावा, ऐसे परिसर में किसी भी इमारत में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(पांच) अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगी;

(छः) इन नियमों में उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने या नवीनीकरण करने हेतु देय शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा;

(सात) क्षेत्र में कर्मकारों के कल्याण के प्रावधानों का अनुपालन, सामान्यतः जनता के हित और अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

(आठ) अनुज्ञप्ति की वैधता पाँच वर्ष रहेगी।

65. **शुल्क.–** धारा 74 के अधीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली शुल्क **अनुसूची–छः** अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

66. **शुल्क जमा करना.–** इन नियमों के तहत् देय सभी शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे।

67. **अप्रतिदेय शुल्क.–** यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 74 के तहत् किसी भी अनुज्ञप्ति को देने या नवीनीकृत करने से इंकार करता है, तो उसका भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

68. **धारा 75 के अधीन अपील.–** अनुज्ञापन प्राधिकारी के, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने या नवीनीकरण से इंकार करने के आदेश के विरूद्ध आवेदक राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समझ अपील –

(क) आदेश, जिसके विरूद्ध अपील चाही गयी है, की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की कालावधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए;

(ख) आदेश की एक प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की गई, संलग्न किया जाना चाहिए;

(ग) कारण और तथ्य को दर्शाते हुए ज्ञापन;

(घ) अपील शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में 100 रूपये का कोषालय चालान भी आवेदन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। इस शुल्क को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकेगा।

69. **नम करना एवं काटना.–** राज्य सरकार, औद्योगिक परिसर के बाहर कर्मचारियों द्वारा बीड़ी या तम्बाकू के पत्तों को नम (गीला करने) और काटने की अनुमति ऐसी शर्तों के अध्यधीन दे सकेगा, जैसा कि इस संबंध में समय–समय पर विहित किया जाये।

70. धारा 76 के अधीन औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी अथवा तंबाकू के पत्तो को गीला करने अथवा काटने की अनुमति.–

(1) कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता, औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी या तम्बाकू के पत्ते गीला करने या काटने की अनुमति प्राप्ति हेतु **प्ररूप–बीस** में ऑनलाईन श्रमपदाधिकारी/सहायक श्रमायुक्त अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसके परीक्षण उपरांत प्राधिकारी अपने अभिमत सहित 07 दिवस के भीतर श्रमायुक्त को अग्रेषित करेगा। श्रमायुक्त, ऐसे आवेदन को अपने अभिमत के साथ सात दिवस के समयावधि में राज्य शासन को प्रेषित करेगा। राज्य शासन तीस दिवस की समयावधि में आवेदन पर निर्णय करेगी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन औद्योगिक परिसर के बाहर कर्मचारियों द्वारा बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इस प्रकार दी गई अनुमति केवल उसी अवधि के लिए वैध होगी जो अनुमति देने के आदेश में निर्दिष्ट है।

(एक) उपरोक्त अनुमति के लिए आवेदन करने वाले नियोक्ता के पास धारा 74 के तहत् जारी वैध अनुज्ञप्ति होगा।

(दो) उस स्थान की उपयुक्तता जहाँ इसका उपयोग बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करना या काटना केवल उसी स्थान पर किया जाएगा जहाँ अनुमति दी गई है।

(चार) औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए नियोक्ता द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या उन श्रमिकों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी जिनके लिए धारा 74 के तहत् अनुज्ञप्ति जारी किया गया है।

(पांच) राज्य शासन, पूर्वगामी नियमों और शर्तों के अलावा, अनुमति में ऐसे अन्य नियमों और शर्तों को निर्धारित और निर्दिष्ट कर सकता है, विशिष्ट मामलों में जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) नियोक्ता उप–नियम (1) के तहत् अनुमत कार्य का रिकॉर्ड **प्ररूप–इक्कीस** में बनाए रखेगा।

भाग–पांच

कारखाना

71. धारा 79 के अंतर्गत कारखानों के रेखांकों का अनुमोदन.–

(1) किसी कारखाने के लिए किसी भी भवन या संरचना का निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार या कारखाने या कारखाने के हिस्से के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त न हो जाए। ऐसी अनुमति के लिए **प्ररूप–बाइस** में ऑनलाइन

आवेदन, आधिकारिक पोर्टल पर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को किया जाएगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगेः–

(क) निर्माण प्रक्रिया का प्रक्रिया प्रवाह आरेख, जो इसके विभिन्न चरणों में प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण से अनुपूरित हो;

(ख) कच्चे माल, मध्यवर्ती और तैयार उत्पादों का विवरण उनकी सूची के साथ और कर्मकारों के स्वास्थ्य पर उनके हानिकारक प्रभावों और उपचारात्मक उपायों के विवरण। रासायनिक पदार्थों के मामले में, उनके रासायनिक नाम और भंडारण मात्रा का उल्लेख किया जाएगा;

(ग) नक्शे, जिसमें दर्शित हो –

(एक) कारखाने के स्थान तथा ठीक आसपास के स्थान के समीप के भवनों और अन्य संरचनाओं, सड़को, नालियों आदि को सम्मिलित करते हुए जो 1:500 से कम न होने वाले मान से बनाया गया हो;

(दो) विस्तृत चित्र, जिसमें विभिन्न इमारतों और संरचनाओं की योजना, ऊंचाई और आवश्यक क्रॉस–सेक्शनल एलिवेशन शामिल हैं, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन और आपातकालीन स्थिति में बचने के साधनों से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण शामिल हैं। लागू होने की स्थिति में योजनाओं में संयंत्र और मशीनरी के लेआउट, गलियारों और मार्गों की स्थिति, अग्निशमन व्यवस्था, ऊँचाई में कार्य हेतु सुरक्षा व्यवस्था, केमिकल्स, खतरनाक पदार्थों, ज्वलनशील तरल या गैसों के संचयन की जगह और तरीका, कैंटीन, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र, शौचालयों और मूत्रालयों और अन्य स्वच्छता प्रावधानों को भी स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा और ऐसे पैमाने पर जो 1:100 से कम न हो, पर तैयार किया जाएगा;

(घ) स्थापित किये जाने वाले उत्थापक यंत्र, दबाव संयंत्र, रिएक्टर्स तथा परिरूद्ध स्थान का विवरण;

(ङ) प्रस्तावित कारखाने के संबंध में अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनापत्ति प्रमाणपत्रों का विवरण, यदि कोई हो;

(च) प्रत्येक कार्य कक्ष में नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या के संबंध में विवरण, प्रत्येक कमरे में नियोजित होने के लिए प्रति कर्मचारी उपलब्ध हवादार क्षेत्र और क्यूबिक स्थान के क्षेत्र के साथ;

(छ) प्रस्तावित कारखाने के लिए लागू संहिता और नियमों और उसके तहत् अनुसूची की अन्य अपेक्षाओं के संबंध में विवरण;

(ज) फैक्ट्री से प्रभावित हो सकने वाले पर्यावरण तथा जीवन की सुरक्षा स्थिति का मनसेक्षण करने हेतु मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अपेक्षित हो सकने वाली ऐसी अन्य विशिष्टयां जैसे कि किसी सक्षम व्यक्ति से, जिसे प्रणाली का 5 वर्ष से कम अनुभव न हो, संयंत्र के डिजाइन तथा प्रचलन के बारे में सैफ्टी रिपोर्ट, निक्षेपों को निराकृत करने का तरीका,

जहरीले पदार्थों को निष्प्रभावी करने के उपाय, यदि कोई हों तथा इस प्रकार की और बातें;

(2) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि प्लान अपेक्षाओं के अनुसार हैं, तो वह प्लान को उन शर्तों के, यदि कोई हैं, अधीन, जिन्हें वह अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु निर्दिष्ट करें अनुमोदन करने के लिये और हर एक प्लान की क्रमशः एक प्रति आवेदक को विभागीय पोर्टल में और एक प्रति क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को, इस प्रकार अनुमोदित प्रक्षेत्र को कारखाना अथवा कारखाने के भाग के रूप में उपयोग में लेने से पूर्व अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन कराना अपेक्षित करते हुए, भेजने के लिये आदेश कर सकेगा।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट किसी कारखाने या कारखाने के हिस्से के रूप में उपयोग करने के लिए निर्मित, पुनः निर्मित, विस्तारित या कब्जे वाले किसी भी भवन में कोई निर्माण प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि इन नियमों के साथ संलग्न उन भवनों के संबंध में **प्ररूप–तेईस** में स्थायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाए तथा मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को ऑनलाइन उपलब्ध न करा दिया गया हो और उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(4) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट स्थायित्व का प्रमाण पत्र किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

72. **धारा 79 की उप–धारा (2) के तहत् कारखाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति.–** कारखाने के लिए अनुज्ञप्ति चाहने वाला अधिभोगी, विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर **प्ररूप–पंद्रह** में कारखाने के बारे में विवरण देते हुए **अनुसूची–पांच** में विनिर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क की राशि के भुगतान के प्रमाण के रूप में कोषागार चालान/ई–चालान की प्रति या अन्यथा के साथ कारखाने की अनुज्ञप्ति से संबंधित दस्तावेज अपलोड करते हुए, इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा। प्ररूप को डिजिटल रूप से या किसी अन्य तरीके से पोर्टल पर यथा अपेक्षित रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगाः

परन्तु, यह कि कारखाने के विभिन्न श्रेणियों के लिये **अनुसूची–पांच** के भाग–क, भाग–ख, भाग–ग में निर्धारित शुल्क, उस वर्ष, जिसमें ये नियम प्रवृत्त होंगे, के पहले दिन से लागू होगा तथा उसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष में देय शुल्क में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

73. **अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तें.–**

(क) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए ऐसे सभी आवेदनों का नवीनीकरण, निम्नलिखित शर्त पर किया जाएगाः

(एक) आवेदक द्वारा वांछित अवधि के लिए यथा लागू नवीनीकरण शुल्क का भुगतान;

परन्तु, यह कि ऐसी अनुज्ञप्ति नवीनीकरण शुल्क का भुगतान न करने पर शून्य और बातिल हो जाएगा।

(दो) प्रत्येक वर्ष अधिसूचित समय–सीमा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत वार्षिक विवरणी दाखिल करना;

परंतु यह कि ऐसी अनुज्ञप्ति शून्य और बातिल हो जाएगा, यदि उक्त एकीकृत वार्षिक विवरणी, प्रत्येक वर्ष अधिसूचित समय–सीमा के भीतर विधिवत दाखिल नहीं किया जाता है।

(तीन) कारखाने में उपलब्धता के अनुरूप सभी लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स, प्रेशर वेसल, खतरनाक मशीनों, परिरूद्ध स्थान और किसी भी अन्य उपकरण की टेस्टिंग रिपोर्ट जमा करना, जिनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन ज़रूरी है।

(चार) परिसंकटमय कारखाना होने पर ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान का अनुमोदन और कारखाने में तय समय पर किए गए मॉक ड्रिल की रिपोर्ट जमा करना।

(पांच) कारखानों की प्रकृति के अनुरूप सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा करना, जैसा की निर्धारित किया जायेगा।

(ख) कारखाने में किसी भी दिन स्थापित शक्ति की सीमा से अधिक या किसी भी दिन नियोजित होने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या से अधिक, कारखाने में कोई भी उपांतरण या परिवर्तन या कारखाने के नाम में कोई परिवर्तन या कब्जे में परिवर्तन या परिवर्तन को प्रभावित करता है, विनिर्माण प्रक्रिया या कारखाने के विस्तार में या अनुज्ञप्ति आवेदन में निर्दिष्ट ऐसे विवरण में परिवर्तन, जिनके लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आच्छादित नहीं किए जाएंगे।

74. अनुज्ञप्ति का नवीकरण.– (क) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र, अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के दिनांक से कम से कम तीस दिवस पूर्व, **प्ररूप–पंद्रह** में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ नियम 72 के अधीन दी गई अनुसूची में उल्लिखित शुल्क की रकम की देनगी के प्रमाण के रूप में कोषागार चालान संलग्न किया जाएगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन की अवधि बढ़ा सकेगी।

(ख) उप–नियम (क) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के उपरान्त या यदि अवधि में वृद्धि की गई हो तो ऐसी बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के उपरान्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण के हेतु किए गए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा तथा अनुज्ञप्ति का तब तक नवीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक उसके साथ उप–नियम (क) में निर्दिष्ट की गई अनुसूची में उल्लिखित शुल्क की रकम तथा उस अनुज्ञप्ति हेतु, जिसका कि नवीकरण

किया जाना है, देय शुल्क में 25 प्रतिशत के अतिरिक्त शुल्क की अदायगी के प्रमाण के रूप में कोषागार चालान संलग्न न किया गया हो।

75. **अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया.**– अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 72 और नियम 74 के तहत् आवेदन करने पर, संहिता में निर्धारित समयावधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप–चौबीस** में अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है:

परन्तु, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी।

76. **अनुज्ञप्ति का संशोधन.**– (1) यदि किसी समय, अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान, अधिभोगी को किसी दिन संस्थापित शक्ति की सीमा या किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या को बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है या कारखाने के नाम में किसी भी परिवर्तन या अधिभोगी में परिवर्तन करे, वह अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर एक आवेदन करेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी तद्नुसार अनुज्ञप्ति में संशोधन कर सकेगा।

(2) संशोधन के लिए आवेदन, **प्ररूप–पंद्रह** में, अनुज्ञप्ति के संशोधन शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में कोषालय ई–चालान के साथ ऑनलाइन किया जाएगा, जो रूपये एक सौ होगा और किसी भी एक दिन में संस्थापित कुल अधिकतम शक्ति, जो बढ़ाया जाना आशायित है, के आधार पर, या कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी एक दिन नियोजित होने के लिए आशयित कर्मकारों की अधिकतम संख्या या दोनों के आधार पर देय शुल्क की रकम को जोड़कर, उसमें से मूल अनुज्ञप्ति के लिए पहले से ही प्रेषित राशि कम करके होगी।

77. **अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन.**– यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या छिपाकर प्राप्त किया गया है या यदि अधिभोगी, ऐसी शर्तों, जिसके अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, का पालन करने में विफल रहा है या अधिभोगी ने संहिता के भाग–सात अध्याय–ग्यारह के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है या संहिता या उसके तहत् बनाए गए नियमों का बार–बार उल्लंघन किया है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, अधिभोगी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और 15 दिनों में न्यायसंगत और उचित उत्तर की मांग करेगा। अधिभोगी से 15 दिनों के भीतर उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी जांच करेगा और यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि अधिभोगी द्वारा व्यवसाय जारी रखना अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है, तो वह रद्द करने या निलंबन या अन्यथा के कारणों को अभिलिखित कर एक आख्यापक आदेश पारित कर सकेगा और अधिभोगी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा। आदेश की एक प्रति, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ को पृष्ठांकित की जाएगी।

78. **अपील**.– धारा 119 में निर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसने इस भाग से संबंधित अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकृत करने से इंकार कर रहा है, या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित

कर रहा है, के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को अपील कर कर सकता है तथा ऐसा प्राधिकारी, आदेश द्वारा इस भाग से संबंधित अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकरण करने से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या निलंबित करने वाले किसी भी आदेश की पुष्टि, संशोधन या उलट कर सकता है। आवेदक :–

(क) आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप अथवा अन्य प्रकार से एक आवेदन प्रस्तुत करें;

(ख) उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की एक प्रति संलग्न की जाये;

(ग) आधार और तथ्यों वाले ज्ञापन;

(घ) अपील शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में 100 रूपये का कोषालय चालान भी आवेदन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। यह शुल्क, समय–समय पर अधिसूचित अनुसार परिवर्तित भी हो सकता है।

79. शुल्क जमा करना.– इन नियमों के तहत् देय सभी शुल्क, इस संबंध में अधिसूचित खाते के राज्य शीर्ष के तहत् शासकीय कोषालय में जमा किये जायेंगे।

80. धारा 80 के तहत् परिसर के स्वामी का दायित्व.–

कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व–

(1) जहाँ किसी परिसर में पृथक–पृथक भवन विभिन्न अधिभोगियों को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग के लिये पट्टे पर दिये गये है, वहाँ पहुंच मार्गो जल निकासो, जल प्रदाय, प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसी सामान्य सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने के लिये परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा।

(2) जहाँ किसी परिसर में स्वतंत्र या स्वतः पूर्ण मंजिलें या फ्लेट विभिन्न अधिष्ठाता को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, वहाँ परिसर का स्वामी निम्नलिखित के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए ऐसे दायित्वाधीन होगा, मानो वह कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक हो–

(एक) शौचालय, मूत्रालय और धुलाई की सुविधाएँ, जहाँ तक उन प्रयोजनों के लिए जल के सामान्य प्रदाय का बनाए रखना संबंधित है;

(दो) ऐसी मशीनरी और संयंत्र पर बाड़ लगाना जो स्वामी का हो और अधिष्ठाता की अभिरक्षा या उसके प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट रूप में न्यस्त न किया गया हो;

(तीन) मंजिलों या फ्लेटों तक पहुँचने के लिए निरापद साधन और सीढ़ियों और सामान्य मार्गों का बनाए रखना और सफाई;

(चार) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियाँ;

(पाँच) उत्तोलकों और उत्थापकों का अनुरक्षण, और

(छः) परिसर में उपलभ्य किन्हीं अन्य सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन उप–नियम (1) एवं उप–नियम (2) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के संबंध में, परिसर के स्वामी को आदेश जारी करने की शक्ति होगी।

(4) जहाँ किसी परिसर में सामान्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई की सुविधाओं सहित पृथक कमरे विभिन्न अधिष्ठाता को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, वहाँ स्वामी के दायित्व के बारे में उप–नियम (2) के उपबंध लागू होंगे;

परन्तु स्वामी शौचालयों, मूत्रालयों तथा धुलाई की व्यवस्था और अनुरक्षा करने से सम्बद्ध अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(5) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को उप–नियम (4) में निर्दिष्ट परिसर के स्वामी को संहिता की धारा 24 के उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में आदेश देने की शक्ति होगी।

81. धारा 82 के तहत् खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया.–

(1) किसी कारखाने में किए जा रहे निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रियाओं या संक्रिया को, धारा 82 के तहत् खतरनाक संक्रिया घोषित किया जाता है :–

(एक) वातित जल का विनिर्माण और उससे संबंधित प्रक्रियाएं;

(दो) क्रोमिक अम्ल या अन्य क्रोमियम यौगिकों युक्त इलेक्ट्रोलाइट के उपयोग से धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग या ऑक्सीकरण;

(तीन) विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत;

(चार) कांच विनिर्माण;

(पांच) धातुओं को पीसना या चमकाना (पालिश);

(छः) सीसा और सीसा के कुछ यौगिकों का विनिर्माण और शोधन;

(सात) पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन;

(आठ) अति ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ और ज्वलनशील दाबयुक्त गैसें;

(नौ) कच्ची खाल और चमड़े का निमज्जन और उनका शोधन और उससे अनुषंगिक प्रक्रियाएं;

(दस) प्रिटिंग प्रेस और टाइप फाउंड्री में की जाने वाली शीशे की प्रक्रियाएं;

(ग्यारह) रसायनिक कार्य;

(बारह) मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण;

(तेरह) जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संपीड़न;

(चौदह) दाबयुक्त हवा या भाप के विस्फोट से नोदित रेत, धातु की गोलियां, या गिट्टीयां या अन्य अपघर्षक की जेट (तीव्र बौछार) से वस्तुओं की सफाई या चिकनाई आदि।

(पन्द्रह) अभ्रक का अनुरक्षण और प्रसंस्करण, अभ्रक के किसी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया या अन्यथा, जिसमें किसी भी रूप में अभ्रक का उपयोग किया जाता है;

(सोलह) संक्षारक पदार्थों का अनुरक्षण और अभिचालन;

(सत्रह) पत्थर का अभिचालन या सिलिका मुक्त कोई अन्य सामग्री;

(अठारह) सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांटस;

(उन्नीस) कार्बन–डाई–सल्फाईड संयंत्र;

(बीस) मैंगनीज और उसके यौगिकों का विनिर्माण या अभिचालन;

(इक्कीस) उन कारखानों पर लागू होगा, जिनमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण, संधारण या उपयोग किए जाते हैं;

(बाईस) स्लेट पेंसिलों का विनिर्माण;

(तेईस) खतरनाक कीटनाशकों का विनिर्माण या अभिचालन;

(चौबीस) कार्सिनोजेनिक–डाई–इंटरमीडिएट का विनिर्माण या अभिचालन;

(पच्चीस) उच्च शोर स्तर की संक्रियाएं;

(छब्बीस) विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयान का विनिर्माण;

(सताईस) फाउंड्री की संक्रियाएं;

(अठ्ठाईस) इंडक्शन फर्नेस में पिघलने (गलन) की प्रक्रिया;

(उनतीस) पावर प्रेस;

(तीस) शीयर्स, स्लिटर्स और गिलोटिन मशीनें ;

(इकतीस) एलपीजी/एसिटिलीन/आर्गन का उपयोग कर वेल्डिंग/कटिंग का कार्य।

(2) **अनुसूची–सात** से **अनुसूची–सैतीस** में विनिर्दिष्ट किये गये उपबंध, किसी वर्ग या किसी भी प्रकार के कारखानों, जिनमें कि प्रत्येक अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई खतरनाक संक्रियाएं की जाती हों, पर लागू होंगे और विभिन्न अनुसूचियों में आने वाले शब्द 'प्रथम नियोजन' से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रियाओं या संक्रियाओं में तीन कैलेण्डर माह से अधिक कालावधि के लिए नियोजन समाप्त होने के पश्चात् उनमें नियोजन या पुनः नियोजन।

(3) **अनुसूची–सात** से **अनुसूची–सैतीस** में विनिर्दिष्ट उपबंधों के होते हुए भी, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, प्रबंधक या अधिभोगी को या दोनों को लिखित आदेश जारी कर, ऐसी समयावधि में, ऐसे उपाय करने के लिये निर्देशित कर सकेगा, जैसा कि कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को, खतरे की दशा को दूर करने की दृष्टि से इस प्रकार जारी आदेश में विनिर्दिष्ट हो या जहाँ

ऐसी प्रक्रिया, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की राय में उसकी जांच के आधार पर जहरीली या विषैली या अधिक खतरनाक बन सकती हो, को निलंबित करने के आदेश दे सकेगा।

(4) अधिभोगी, कारखाना में खतरनाक निर्माण संक्रियाओं में नियोजित समस्त कर्मकारों का चिकित्सीय परीक्षण **प्ररूप–5(क)** में कराया जाना सुनिश्चित करेगा। पुनर्परीक्षण की आवृत्ति संबंधित अनूसूची में दिए अनुसार होगीः

परन्तु, संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित क्नीनिकल, पैथालॉजिकल एवं अन्य जांचों के अतिरिक्त भी, चिकित्सा अधिकारी, खतरनाक संक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों के ऐसी जांच एवं परीक्षण कराने हेतु, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अनुशंसा कर सकता है। अधिभोगी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई समस्त अतिरिक्त जांच एवं परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेगा। अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त चिकित्सा परीक्षण ऐसे हॉस्पिटल में हो, जो छत्तीसगढ़ नर्सिग होम अधिनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकृत हो।

(5) किसी कर्मकार के संबंध में **अनुसूची–सात** से **अनुसूची–सैतीस** तक के अधीन कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित की गई चिकित्सकीय परीक्षा तथा जांच के पंजी या अभिलेख, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पोर्टल में इलेक्ट्रानिक रूप से संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे तथा उक्त कर्मकार का कारखाना में नियोजन बंद होने के पश्चात् पांच वर्ष बीतने तक सुरक्षित रखे जायेंगे।

(6) चिकित्सा अधिकारी, **अनुसूची–सात** से **अनुसूची–सैतीस** में यथा विनिर्दिष्ट किसी खतरनाक संक्रिया में नियोजित और/या नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की परीक्षण के पश्चात्, **प्ररूप–पच्चीस** में एक फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा। स्वास्थ्य पंजी, **प्ररूप–छब्बीस** में संधारित की जायेगी।

82. **धारा 83 के अंतर्गत स्थल मूल्यांकन समितियां.–** (1) राज्य सरकार, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने के प्रारंभिक स्थल या ऐसे किसी कारखाने के विस्तार के लिए अनुमति देने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए उसे सलाह देने के प्रयोजनों हेतु, एक स्थल मूल्यांकन समिति नियुक्त कर सकती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(क) राज्य का मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, जो इसका अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य शासन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सचिव नियुक्त कर सकेगा।

(ग) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 4 के तहत् नियुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल का एक प्रतिनिधि;

(घ) राज्य के उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि;

(ङ) राज्य के वन विभाग का एक प्रतिनिधि;

(च) उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ;

(छ) राज्य सरकार के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का एक प्रतिनिधि, और पांच से अनधिक सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सहयोजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित होंगे –

(एक) एक वैज्ञानिक, जिसे कारखाने में अंतर्वलित खतरनाक प्रक्रिया का विशेष ज्ञान है;

(दो) स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि, जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थापित किया जाना है; और

(तीन) तीन से अनधिक अन्य व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझे जायें।

(2) कोई सदस्य, जब तक कि विधि न्यायालय द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित न हो और इस संहिता के प्रयोजनों के संबंध के सिवाय किसी भी समय उसके इस समिति के सदस्य रहने की अवधि के दौरान उसके ज्ञान में आई किसी निर्माण या व्यापारिक व्यवसाय या अन्य कार्य प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी, प्रकट नहीं करेगा।

(3) साइट एप्राइजल के लिये आवेदन :–

(क) संहिता की धारा 2(यक) के तहत् खतरनाक प्रक्रिया कारखानों के संबंध में साइट एप्राइजल का आवेदन, साइट एप्राइजल कमेटी के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायगा।

(ख) साइट एप्राइजल के लिये आवेदन, **प्ररुप–सत्ताईस** में विभागीय पोर्टल में प्रस्तुत किया जावेगा। कमेटी, आवेदन प्ररुप में किसी विशिष्ट मद पर जानकारी लेने से अभियुक्ति दे सकेगी यदि वह यह समझती है कि वह विचाराधीन आवेदन से सुसंगत नहीं है।

(4) कमेटी के कार्य :–

(क) कमेटी का सचिव साइट एप्राइजल के प्राप्त आवेदनों को पृथक् रजिस्टर में रजिस्टर करने की व्यवस्था करेगा तथा सात दिनों की कालावधि के भीतर उसकी अभिस्वीकृति देगा।

(ख) सचिव, कमेटी की बैठक ऐसी रीति में निर्धारित करेगा कि प्राप्त हुए और रजिस्टरांकित किए गए सभी आवेदन उनकी प्राप्ति के दिनांक से एक महीने की कालावधि के भीतर कमेटी को निर्देशित किए जायें।

(ग) कमेटी आवेदनों के शीघ्रता से निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्य के लिये एक प्रक्रिया अपना सकेगी।

(घ) कमेटी साइट एप्राइजल के आवेदन की, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाये गये एनवायरमेन्ट (प्रोटेक्शन) नियम, 1986 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने

और प्रक्रियाओं तथा संक्रियाओं को क्रियान्वित करने के संबंध में प्रतिषेध तथा निर्बन्धनों के संदर्भ में जांच करेगी।

(ङ) कमेटी साइट की उपयुक्तता के संबंध में अपना दृष्टिकोण निश्चित करने के लिये, यदि आवश्यक हो, दस्तावेज बुला सकेगी, विशेषज्ञों का परीक्षण कर सकेगी तथा स्थल निरीक्षण कर सकेगी और अन्य कार्यवाही कर सकेगी।

(च) जहाँ कहीं प्रस्तावित स्थल के बाबत उद्योग मंत्रालय या पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की अनापत्ति अपेक्षित हो वहाँ साइट–एप्राइजल कमेटी द्वारा साइट एप्राइजल के आवेदन पर केवल ऐसी अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

83. **धारा 84 की उप–धारा (1) के अधीन अधिभोगी द्वारा सूचना का प्रकटीकरण की रीति.–** परिसंकटमय प्रक्रिया अंतर्वलित प्रत्येक कारखाने के स्वामी को, कारखाने में कार्यरत कर्मकारों, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, स्थानीय प्राधिकरण, जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित हैं और आम जनता के लिए खतरों के बारे में सभी जानकारी को निम्नलिखित रीति से प्रकट करना चाहिये, जिसमें स्वास्थ्य के खतरे और विनिर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रियाओं में सामग्री या पदार्थों के संपर्क या संचालन से उत्पन्न होने वाले ऐसे खतरों को दूर करने के उपाय शामिल हैं –

किसी 'परिसंकटमय प्रक्रिया' को क्रियान्वित करने वाले कारखाने का अधिभोगी निम्नलिखित उपलब्ध करायेगा–

(क) प्रत्येक 2 वर्ष में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से अनुमोदित कारखाने के लिए ऑनसाईट आपातकालीन योजना और विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय और उसमें कार्यरत कर्मकारों और कारखाने के आसपास रहने वाले आम जनता को दुर्घटना होने की स्थिति में किया जाने वाला आवश्यक सुरक्षा उपायों से अवगत कराना;

(ख) कारखाने में चलाई जा रही 'परिसंकटमय प्रक्रियाओं' की सूची;

(ग) धारा 84 की उप–धारा (2) के तहत् उसमें कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में विस्तृत नीति और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी नीति की सूचना देना और उसके बाद, और प्रत्येक 12 महीने के बाद, उक्त नीति में किये गये किसी भी परिवर्तन को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करना;

(घ) निर्माण प्रक्रिया के दौरान संभावित खतरों की पहचान करने के लिए किया जाने वाला खतरा पहचान अध्ययन, जो कर्मकारों या निकटस्थ आबादी पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है;

(ङ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रत्येक बारह महीने के बाद किसी भी घटना की संभावना और परिणामों को कम करने के लिए किये गये सभी परिसंकटमय प्रक्रियाओं और खतरनाक प्रक्रियाओं के जोखिम मूल्यांकन अध्ययन जैसे सुरक्षा अंकेक्षण, फाल्ट ट्री एनालिसिस, इवेंट ट्री एनालिसिस, जोखिम और संचालन रिपोर्ट या जोखिम और संचालन रिपोर्ट के मामले में जब भी आवश्यक हो;

(च) सभी खतरनाक पदार्थों की सभी सामग्री सुरक्षा डेटा शीट का स्थान और उपलब्धता;

(छ) पदार्थों के संपर्क में आने या उन्हें अभिचालन करने से उत्पन्न होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे;

(ज) अधिभोगी द्वारा शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपाय;

(झ) खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले उपाय;

(ञ) कारखाने में उपलब्ध कराये गये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का विवरण;

(ट) खतरनाक पदार्थों के किसी भी रिसाव या रिसन के मामले में कर्मकारों द्वारा किये जाने वाले उपाय;

(ठ) कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधिभोगी द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी।

84. धारा 84 की उप–धारा (1) के अधीन सामग्री सुरक्षा डेटा शीट.–

(1) 'खतरनाक प्रक्रिया' करने वाले सामग्री ले जाने वाले प्रत्येक कारखाना का स्वामी, कारखाने में विनिर्माण, परिवहन और भंडारण में अभिचालित की जाने वाल सामग्री के प्रत्येक खतरनाक पदार्थ के संबंध में, सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) के रूप में जानकारी प्राप्त करने या विकसित करने की व्यवस्था करेगा। यह, संदर्भ के लिए किसी कर्मकार के अनुरोध पर अभिगम्य होगा।

(क) ऐसी प्रत्येक सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगीः

(एक) लेबल पर प्रयुक्त पहचान;

(दो) पदार्थों के खतरनाक तत्व;

(तीन) खतरनाक पदार्थ की भौतिक और रसायनिक विशेषताएं;

(चार) आग, विस्फोट और प्रतिक्रियाशीलता की संभावना सहित खतरनाक पदार्थों के भौतिक खतरे;

(पांच) संकेत और लक्षण, और किसी भी चिकित्सा शर्तों, जो सामान्यतः पदार्थों के संपर्क से बहुत गंभीर हो सकती है,

का पहचान करने सहित खतरनाक पदार्थों के स्वास्थ्य के लिए खतरा;

(छः) प्रवेश का प्राथमिक मार्ग;

(सात) संहिता की धारा 88 के तहत् निर्धारित किसी भी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रसायनिक और विषाक्त पदार्थों के जोखिम की अनुज्ञेय सीमा, और उक्त अनुसूची में शामिल नहीं होने वाले रसायन के संबंध में, निर्माता, आयातक या अधिभोगी द्वारा कोई जोखिम सीमा का प्रयोग या अनुशंसा;

(आठ) खतरनाक पदार्थ के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए आम तौर पर लागू होने वाली कोई भी सावधानियां, जो ज्ञात हैं, जिसमें उपयुक्त स्वच्छ प्रथाओं, दूषित उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के दौरान सुरक्षात्मक उपाय, रिसन और रिसाव की सफाई के लिये प्रक्रियाएं शामिल हैं ;

(नौ) कोई भी आम तौर पर लागू नियंत्रण उपाय, जैसे उपयुक्त इंजीनियरिंग, नियंत्रण, कार्य अभ्यास, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग;

(दस) आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाएं;

(ग्यारह) सामग्री सुरक्षा डेटा शीट तैयार करने की तिथि, या उसमें अंतिम परिवर्तन; तथा

(बारह) सामग्री सुरक्षा डेटा शीट तैयार करने या वितरित करने वाले विनिर्माता, आयातक, अधिभोगी या अन्य जिम्मेदार पक्ष का नाम, पता और दूरभाष क्रमांक, जो आवश्यक होने पर खतरनाक पदार्थ और उपयुक्त आपातकालीन प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता है।

(ख) किसी खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट प्राप्त या विकसित करते समय अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि दर्ज की गई जानकारी, खतरे के निर्धारण में उपयोग किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य को सटीक रूप से दर्शाती है। यदि वह किसी पदार्थ के खतरों, या खतरों से बचाव के तरीकों के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाता है, तो यह नई जानकारी, सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में यथाशीघ्र शक्य जोड़ दी जायेगी।

(ग) ऐसी सामग्री सुरक्षा डेटा शीट का एक उदाहरण **अनुसूची–अड़तीस** में दिया गया है।

(2) लेबलिंग– खतरनाक पदार्थ के प्रत्येक कंटेनर को, पहचानने के लिए स्पष्ट रूप से लेबल या चिहिन्त किया जायेगा :

(क) कंटेनरों की सामग्री;

(ख) खतरनाक पदार्थ के विनिर्माता या आयातक का नाम और पता;

(ग) शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे; तथा

(घ) खतरनाक पदार्थ के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।

85. धारा 84 की उप–धारा (1) के तहत् कर्मकारों को सूचना का प्रकटीकरण.–

(1) परिसंकटमय प्रक्रिया को संचालित करने वाला कारखाने के अधिभोगी सभी कर्मकारों को विनिर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रियाएं खतरनाक सामग्री या पदार्थों के अभिचालन के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगी :

(क) संहिता की धारा 84 की आवश्यकताएं;

(ख) कारखाने में किए गए 'परिसंकटमय प्रक्रियाओं' की सूची;

(ग) नियम 84 के रूप में सभी सामग्री सुरक्षा डेटा शीट का स्थान और उपलब्धता;

(घ) पदार्थों के संपर्क में आने या उन्हें संचालित करने से उत्पन्न होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे;

(ङ) अधिभोगी द्वारा शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपाय;

(च) खतरनाक पदार्थों के भंडारण और परिवहन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मकारों द्वारा किये जाने वाले उपाय;

(छ) 'परिसंकटमय प्रक्रिया' या खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों द्वारा उपयोग किये जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण;

(ज) नियम 84 के तहत् प्रदान किये गए खतरनाक पदार्थों के कंटेनरों पर उपयोग किये जाने वाले विभिन्न लेबल और चिन्हों का अर्थ;

(झ) संकेत और लक्षण, जो खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने पर प्रकट होने की संभावना है, और जिसे रिपोर्ट करना है;

(ञ) खतरनाक पदार्थों के किसी भी रिसाव या रिसन के मामले में कर्मकारों द्वारा किये जाने वाले उपाय;

(ट) कारखाने की आपातकालीन योजना में कर्मकारों की भूमिका, विशेष रूप से निकासी प्रक्रियाओं में;

(ठ) कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधिभोगी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

(2) उप–नियम (1) द्वारा अपेक्षित जानकारी की प्रतिलिपि बनाई जायेगी और कार्यस्थलों पर पुस्तिकाओं या पत्रक की आपूर्ति और चेतावनी सूचनाओं के

प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से कर्मकारों को अवगत कराया जायेगा।

(3) कारखाने में प्रदर्शित पुस्तिकाएं, पत्रक और चेतावनी सूचना अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे और उन्हें समझाया भी जायेगा।

(4) अधिभोगी, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो, तो उप–नियम (1) के तहत् कर्मकारों और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को दी गई जानकारी को संशोधित करेगा।

(5) कार्य के प्रक्रिया या संक्रिया या तरीकों में किसी भी बदलाव की स्थिति में या जब प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ पुनः स्थापित किया जाता है या गंभीर दुर्घटना होने की स्थिति में, इस प्रकार प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक सीमा तक संशोधित किया जायेगा।

(6) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अधिभोगी को, आवश्यक समझे जाने पर, कर्मकारों को अग्रतर जानकारी प्रदान करने का निर्देश दे सकता है।

86. धारा 84 की उप–धारा (1) के तहत् आम जनता को जानकारी का प्रकटन.–

(1) "खतरनाक प्रक्रिया" संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी उस सामान्य जनता को सूचित करेगा जो ऐसे क्षेत्र में रह सकती है, जो किसी दुर्घटना से प्रभावित हो सकता है। ऐसी सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) कारखाने का नाम और पता, जहाँ स्थित है;

(ख) जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान, नाम और स्थिति से;

(ग) पुष्टि हो कि कारखाने को औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा निदेशालय और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से अनुमोदन है;

(घ) बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा में, परिसर में चल रही खतरनाक प्रक्रिया (प्रक्रियाओं) के, सरल शब्दों में स्पष्टीकरण;

(ङ) उपयोग किये जाने वाले खतरनाक पदार्थों के सामान्य नाम, जो उनकी प्रमुख हानिकारक विशेषताओं के संकेत के साथ दुर्घटना उद्भूत कर सकते हैं, जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं;

(च) प्रासंगिक सुरक्षा विधियों के तहत् अपने विधिक दायित्वों के अनुपालन में ऐसी दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों का संक्षिप्त विवरण;

(छ) कारखाने में स्वीकृत आपदा नियंत्रण की अनुमोदित उपायों की मुख्य विशेषताएं;

(ज) आम जनता के लिये कारखाने की आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का विवरण;

(झ) जनता के सदस्यों की, कार्यवाही पर सामान्य सलाह को चेतावनी सुनने के रूप में लेनी चाहिये;

(ञ) ऐसी प्रकृति की संभावित दुर्घटनाओं से निपटने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क सहित कारखाने में व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण; तथा

(ट) विवरण, जहाँ अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(2) अधिभोगी, कोई और सूचना भी देगा,–

(क) समय–समय पर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निर्देशित आम जनता के लिए;

(ख) आम जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुरोध पर।

(3) उप–नियम (1) और (2) में निर्धारित सूचना, क्षेत्रीय भाषा या हिन्दी में होगी।

87. धारा 84 की उप–धारा (1) के तहत् स्थानीय प्राधिकरण को सूचना प्रकटीकरण.– 'खतरनाक प्रक्रिया' करने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले स्थानीय प्राधिकारी, जिसमें कारखाना स्थित है, को लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा, अर्थातः–

(क) नियम 86 में निर्धारित अनुसार आम जनता को दी गई जानकारी,

(ख) आम तौर पर संग्रहित या प्रक्रिया में खतरनाक पदार्थों की नामों और मात्राओं का विवरण।

88. धारा 84 की उप–धारा (2) के तहत् स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति.–

(1) संहिता की धारा 2(यक) के तहत् प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले या संहिता की धारा 82 के तहत् खतरनाक घोषित प्रक्रियाओं या संक्रियाओं को संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, कार्य पर कर्मकारों का स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में अपनी नीति का एक लिखित विवरण तैयार करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और स्थानीय प्राधिकरण को प्रत्येक दो वर्ष में एक विस्तृत स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति के बारे में अथवा उक्त नीति में किये गये किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करेगा।

(3) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में निम्न अंतर्विष्ट होना चाहिए या निम्नलिखित संव्यवहृत होना चाहिए–

(क) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए शीर्ष प्रबंधन के आशय और प्रतिबद्धता और सभी प्रासंगिक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की घोषणा;

(ख) विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपते हुए घोषित नीति को पूरा करने के लिए संगठनात्मक ढांचा; तथा

(ग) नीति को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्था।

(4) विशेष रूप से, नीति में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होना चाहिए :–

(क) कर्मकारों को शामिल करने की व्यवस्था;

(ख) उनके वृत्ति की उन्नति पर विचार करते समय विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रदर्शन को ध्यान में रखने के आशय;

(ग) परिसर में प्रवेश करने वाले ठेकेदारों, उप–ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करना;

(घ) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कारखाने के स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य का विवरण प्रदान करना;

(ङ) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की स्थिति के आवधिक मूल्यांकन के लिए सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन जैसी प्रासंगिक तकनीक और तरीके और सभी उपचारात्मक उपाय करना;

(च) संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री के क्रय के साथ–साथ व्यक्तिगत के चयन और रोजगार से संबंधित सभी निर्णयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को एकीकृत करने के अपने आशय को बताना;

(छ) सूचनात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था और अपने कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर और जनता को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः प्रशिक्षित करना।

(5) अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित घोषित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति की एक प्रति, कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) नीति को निम्न द्वारा व्यापक रूप से जाना जाएगा –

(क) ठेका कर्मकारों, प्रशिक्षुओं, परिवहन कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि सहित सभी कर्मकारों को प्रतियां उपलब्ध कराना;

(ख) विशिष्ट स्थानों पर पॉलिसी की प्रतियां प्रदर्शित करना; तथा

(ग) अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संचार का कोई अन्य माध्यम।

(7) अधिभोगी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति को, जितनी बार उपयुक्त हो, संशोधित करेगा, किन्तु यह आवश्यक रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में संशोधित करेगा :

(क) जब भी कार्य पर व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कोई विस्तार या संशोधन किया जाता है; या

(ख) जहाँ भी विनिर्माण प्रक्रिया में नए पदार्थ या वस्तुएं संचालित की जाती है; जिससे ऐसे पदार्थों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो।

(8) अधिभोगी, प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति अद्यतन करेगा तथा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजेगा।

89. धारा 84 की उप–धारा (5) के तहत् मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को खतरनाक प्रक्रिया उद्योग के अधिभोगी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी.–

(1) 'खतरनाक प्रक्रिया' करने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, लिखित रूप में, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को, कर्मकारों, स्थानीय प्राधिकारी और आम जनता को दी गई सभी सूचनाओं की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(2) कारखाने में प्रयुक्त, उत्पादित या संग्रहित खतरनाक पदार्थों के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट के संकलन की एक प्रति, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और स्थानीय निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) अधिभोगी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए समय–समय पर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करेगा।

(4) इस नियम के तहत् वांछित सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारित **प्ररुप–अठ्ठाईस** में प्रस्तुत की जाएगी।

90. धारा 84 की उप–धारा (7) के तहत् औद्योगिक अपशिष्ट की जानकारी.–

(1) नियम 85, 86, 87 और 89 के तहत् दी गई जानकारी में, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट की मात्रा, उनकी विलक्षणता और उपचार की विधि, जिसमें ठोस अपशिष्ट का भस्मीकरण, तरल अपशिष्ट का रासायनिक और जैविक उपचार और उनके अंतिम निपटान की व्यवस्था शामिल होगा।

(2) इसमें ढेर (स्टैक) या अन्य विवर के माध्यम से छोड़े गए गैसीय अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में जानकारी और पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्क्रबर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स या इसी तरह की अन्य व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी।

(3) अधिभोगी, उप–नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट सूचना, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को भी प्रस्तुत करेगा।

91. धारा 84 के तहत् दिशा–निर्देश जारी करना.– धारा 84 या धारा 85 की अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य के लिए, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, यदि आवश्यक समझे, समय–समय पर खतरनाक प्रक्रिया करने वाले कारखानों के अधिभोगियों को दिशा–निर्देश जारी कर सकता है। इस तरह के दिशा–निर्देश राष्ट्रीय मानकों, अभ्यास संहिता या अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर आधारित होंगे।

92. धारा 85 के अधीन परिसंकटमय प्रक्रिया में कार्यरत कर्मकारों की चिकित्सीय जांच.–

(1) परिसंकटमय प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय जांच, एक योग्य चिकित्सक निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) रोजगार से पहले एक बार, विशेष कार्य करने के लिए व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस का पता लगाने के लिए;

(ख) बारह महीने की अवधि में एक बार, उन सभी कर्मकारों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए, जो उन उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य खतरों से संबंधित हैं, जिनका वे सामना करते हैं; और ऐसे मामलों में, जहाँ योग्य चिकित्सक की राय हो कि किसी कर्मचारी के संबंध में कम अंतराल पर स्वास्थ्य जांच करना आवश्यक हो;

(2) किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी द्वारा **प्ररूप–पच्चीस** में दिए गए फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना, पहली बार नियोजित नहीं किया जाएगा, यदि चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को संहित की धारा 2 (यक) के तहत् आने वाली किसी भी खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित होने के लिए अयोग्य घोषित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के पास अपील करने का अधिकार होगा, जो मामले को सिविल सर्जन/चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को संदर्भित करेगा, जिनकी राय इस संबंध में अंतिम होगी। यदि निरीक्षक स्वयं भी चिकित्सा अधिकारी है, तो वह स्वयं आवेदन का निपटारा कर सकता है।

(3) पूर्वोक्त रूप से की गई पूर्व नियोजन और आवधिक चिकित्सा परीक्षाओं का विवरण, स्वास्थ्य पंजी **प्ररूप–छब्बीस** में दर्ज किया जाएगा।

(4) प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की किसी भी असामान्यता या अनुपयुक्तता का दावा करने वाले चिकित्सा अधिकारी के किसी भी निष्कर्ष की सूचना, तुरंत सिविल सर्जन/चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को दी जाएगी, जो कि संबंधित कर्मकार की जांच करेगा और 30 दिनों के भीतर अधिभोगी को अपने निष्कर्षों को सूचित करेगा। यदि सिविल सर्जन/चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की यह राय है कि इस प्रकार परीक्षित कर्मकार को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रक्रिया से दूर ले जाना आवश्यक है, तो वह तद्नुसार अधिभोगी को निर्देश देगा, जो उक्त कर्मकार को उस प्रक्रिया में नियोजित नहीं करेगा। तथापि, इस प्रकार ले जाये गए कर्मचारी को वैकल्पिक नियोजन प्रदान किया जाएगा, यदि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तरह से अक्षम न हो, उस स्थिति में, प्रभावित कर्मकार को उपयुक्त पुनर्वास किया जाएगाः

परंतु, यह कि चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी भी कर्मकार की स्वयं जांच करेंगे, जब वह 'खतरनाक प्रक्रिया' में अपने नियोजन की उपयुक्तता का पता लगाने या किसी भी कर्मकार के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है।

(5) उप–नियम (2) के तहत् किसी भी प्रक्रिया में नियोजन से हटाए गए कर्मकार को चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसी प्रक्रिया में पुनः नियोजित किया जा सकता है और इस आशय की प्रविष्टियां स्वास्थ्य पंजी पर की जायेगी।

(6) निरीक्षक, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो उप–नियम (1) के तहत् यथा अपेक्षित चिकित्सा परीक्षण के लिए किसी कर्मकार को चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के पास भेज सकता है।

(7) इन नियमों के तहत् और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा या उसके समक्ष किए गए किसी भी चिकित्सा सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित कर्मचारी को ऐसी चिकित्सा परीक्षा से करने से मना नहीं किया जाएगा।

93. धारा 85 के अधीन उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र.–

(1) परिसंकटमय प्रक्रिया करने वाले किसी भी कारखाने के संबंध में, कारखाने के परिसर के अंदर एक उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था किया जाएगा और अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा, जिसमें नीचे दिए गए पैमाने के अनुसार सेवाएं और सुविधाएं होगी :–

(क) 50 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए–

(एक) अधिभोगी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अपने क्लिनिक में रिटेनर शिप आधार पर एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं। वह नियम 92 में निर्धारित अनुसार पूर्व नियोजन और आवधिक चिकित्सा परीक्षण करेगा और किसी भी आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा;

(दो) प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित कम से कम पांच व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक, कार्य अवधि के दौरान हमेशा उपलब्ध रहेगा; तथा

(तीन) एक पूर्णरूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स।

(ख) 51 से 200 कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए–

(एक) एक उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र, जिसमें कम से कम पंद्रह वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र का एक कमरा हो, जिसमें फर्श और दीवारें चिकनी और अभेद्य सतह से बनी हों और पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन के साथ–साथ **अनुसूची–उनतालिस** के अनुसार उपकरण हो;

(दो) एक अंशकालिक योग्य चिकित्सा व्यवसायी, केन्द्र का समग्र प्रभारी होगा, जो सप्ताह में कम से कम दो बार कारखाने का दौरा करेगा और जिसकी सेवाएं, चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान आसानी से उपलब्ध होगी;

(तीन) एक योग्य और प्रशिक्षित ड्रेसर–सह–कंपाउंडर पूरे कार्य अवधि के दौरान ड्यूटी पर होगा; तथा

(चार) सभी विभागों में एक पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स।

(ग) 200 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए–

(एक) पांच सौ तक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए एक पूर्णकालिक योग्य चिकित्सा व्यवसायी और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों या उसके भाग के लिए, एक और चिकित्सा अधिकारी;

(दो) एक उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र, जिसमें कम से कम दो कमरे हों, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम पन्द्रह वर्गमीटर का फर्श क्षेत्र हो, जिसमें फर्श और दीवारें चिकनी और अभेद्य सतह से बनी हों और पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन के साथ–साथ **अनुसूची–उनतालीस** के अनुसार उपकरण हों।

(तीन) कार्य अवधि के दौरान एक नर्स, एक ड्रेसर–कम–कंपाउंडर और एक स्वीपर–कम–वार्ड बॉय होगा; तथा

(चार) उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा आपात स्थिति के प्रबंध के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा।

(2) उप–नियम (1) के तहत् नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्य चिकित्सक के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 30) में यथा परिभाषित कोई भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी और जो खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित भारतीय चिकित्सा पंजी में और अधिनियम की धारा 35 के खण्ड (1) 36, 37 और 40 में परिभाषित राज्य चिकित्सा पंजी में नामांकित है और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम तीन महीने की अवधि के औद्योगिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र होना चाहिएः परंतु यह कि –

(क) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या समकक्ष रखने वाले व्यक्ति को पूर्वोक्त प्रशिक्षण प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे, इस उप–नियम की अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकता हैं, यदि उनकी राय में अपेक्षित योग्यता रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति, नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है; तथा

(ग) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए योग्य चिकित्सा व्यवसायी के रूप में कार्य कर चुका है, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, इस शर्त के अध्यधीन कि उक्त व्यक्ति, तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण का उपरोक्त प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लेगा, योग्यता को शिथिल कर सकेगा।

(3) उपरोक्त प्रमाणपत्र वाले पाठ्यक्रम की पाठ्य चर्चा, और राज्य पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले संगठनों को महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और सरकार के श्रम संस्थान द्वारा, महानिदेशक कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान द्वरा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

(4) एक योग्य चिकित्सक की नियुक्ति के एक महीने के भीतर, कारखाने का अधिभोगी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–

(क) योग्य चिकित्सक का नाम और पता:

(ख) योग्यता;

(ग) अनुभव, यदि कोई हो; तथा

(घ) उप–नियम, जिसके तहत् नियुक्त किया गया था।

94. धारा 85 के अधीन एम्बुलेंस वैन.–

(1) खतरनाक प्रक्रिया करने वाले किसी भी कारखाने में, उप–नियम (2) अनुसार मदों से सुसज्जित एक उपयुक्त रूप से निर्मित एम्बुलेंस वैन उपलब्ध कराई जाएगी और उसका अच्छी तरह से रख–रखाव किया जाएगा और एक पूर्णकालिक चालक–सह–मैकेनिक और प्रशिक्षित सहायक द्वारा दुर्घटनाओं या बीमारी के गंभीर मामलों के अभिवहन के प्रयोजनों के लिए प्रथम सहायता के रूप में संचालित किया जाएगा। एम्बुलेंस वैन का उपयोग यहां निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा और सामान्य रूप से व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर या उसके आसपास तैनात किया जायेगा:

परंतु, यह कि दो सौ से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाला कारखाना, किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए निकट के अस्पताल या अन्य स्थानों से अल्प सूचना पर ऐसी सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है।

(2) एम्बुलेंस में निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए:–

(क) सामान्य –

– तह और समायोजन उपकरणों के साथ एक पहिएदार स्ट्रेचर; स्ट्रेचर के शीर्ष को ऊपर की ओर झुकाने में सक्षम होने के साथ;

– उपकरणों के साथ फिक्स्ड सक्शन यूनिट;

– उपकरणों के साथ निश्चित ऑक्सीजन की आपूर्ति;

– कवर के साथ तकिया; चादरें; –कंबल;–तौलिए;

– उत्सर्जन बैग; बिस्तर पैन; मूत्रालय; कांच।

(ख) सुरक्षा उपकरण –

– तीस मिनट के जीवन के साथ फ्लेयर्स;

– बाढ़ रोशनी;

– फ्लैश लाइट; शुष्क पाउडर जैसे अग्निशामक

– इंसुलेटेड गौंटलेट्स।

(ग) आपातकालीन देखभाल उपकरण–

(एक) पुनर्जीवन –

– पोर्टेबल सक्शन यूनिट; पोर्टेबल ऑक्सीजन इकाईयां;

– बैग–वाल्व–मास्क, हाथ से संचालित कृत्रिम वेंटिलेशन यूनिट;

– एयरवेज; मुंह की गैसें; ट्रेवोस्टॉमी एडाप्टर;

– शार्ट स्पाइन बोर्ड;– प्रशासन इकाई के साथ आई.बी. तरल पदार्थ;

– बीपी मैनोमीटर;

– गुग;

– स्टेथोस्कोप।

(दो) स्थिरीकरण –

– लंबे और छोटे गद्देदार बोर्ड;

– वायर लैडर स्प्लिंट्स;

– त्रिकोणीय पट्टी;

– लंबे और छोटे स्पाइन बोर्ड।

(तीन) ड्रेसिंग –

– गौज पैड – 4'' X 4'';

– यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10'' X 36''

– एल्न्युमिनियम फॉयल का रोल;

– चिपकने वाला टेप 3'' ; सेफ्टी पिन;

– वैन्डेज शीट;

– बर्न शीट।

(चार) जहर –

– आईपेकैक का सिरप;

– सक्रिय चारकोल खुराक में पहले से पैक किया गया;

– सांप के काटने की किट;

– पीने का पानी।

(पांच) आपातकालीन दवाएं –

– आवश्यकता के अनुसार (केवल चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार)

95. धारा 85 के तहत् परिशोधन सुविधाएं.–

'खतरनाक प्रक्रिया' करने वाले प्रत्येक कारखाने में, आपात स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था किए जाएंगेः

(क) पूरी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स;

(ख) कर्मकारों के साथ–साथ उन व्यक्तियों के लिए, जो खतरनाक और संक्षारक पदार्थों से दूषित होते है, कपड़े धोने के लिए पानी के आसानी से सुलभ साधन, भीगे हुए कपड़े और ऐसे साधन, नीचे दी गई तालिका में दर्शित पैमाने के अनुसार होंगेः–

तालिका

किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या	शावर की संख्या
50 व्यक्तियों तक	2
51 से 100 के बीच	3
101 से 200	तत्पश्चात् प्रत्येक 50 व्यक्तियों के लिए 3+1
201 से 400	तत्पश्चात् प्रत्येक 100 व्यक्तियों के लिए 5+1
401 और ऊपर	तत्पश्चात् प्रत्येक 200 व्यक्तियों के लिए 7+1

(ग) आसुत जल या उपयुक्त तरल से भरी पर्याप्त संख्या में आई वॉश की बोतलें, आसानी से स्थित बक्से या अलमारी में रखा जाना और एक विशिष्ट संकेत द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना, जो हर समय दर्शित हो।

96. धारा 85 के तहत् खतरनाक पदार्थों को संचालित करने वाले व्यक्तियों की योग्यता–

(1) खतरनाक पदार्थों के संचालन की निगरानी के लिए अपेक्षित सभी व्यक्तियों के पास निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव होंगेः–

(क) 5 वर्ष के अनुभव के साथ रसायन विज्ञान में डिग्री या केमिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; या

(ख) 2 वर्ष के अनुभव के साथ केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर या केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री।

(ग) ऊपर निर्धारित अनुभव, रसायनिक उद्योग में प्रक्रिया संचालन और रखरखाव में होना चाहिये।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, पर्यवेक्षक से स्वास्थ्य और सुरक्षा में प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा कर सकता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और अवधि और प्रशिक्षण आयोजित करने वाले संगठन को डीजीओएसएच या डीजीओएसएच द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

97. धारा 85 के तहत् कर्मकारों के लिए सुलभ स्वास्थ्य अभिलेख.– खतरनाक प्रक्रिया करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को, स्वास्थ्य अभिलेखों को सुलभ बनाना होगा, जिसमें खतरनाक प्रक्रिया के लिए कर्मकारों के जोखिम के अभिलेख या किसी भी कर्मकार के चिकित्सा अभिलेख, जैसी भी स्थिति हो, को उसके अवलोकन के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत् उपलब्ध कराया जाएगाः–

(क) प्रत्येक छः महीने में एक बार या चिकित्सा परीक्षण के तुरंत बाद, जो भी पहले हो;

(ख) यदि योग्य चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की राय हो कि कर्मकार ने संहिता की तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी परिवर्तनीय बीमारी के संकेत और लक्षण प्रकट हों;

(ग) यदि कर्मकार रोजगार छोड़ देता है;

(घ) यदि निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई एक ऐसा निर्देश देता हैः–

(एक) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता;

(दो) केन्द्र या राज्य सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकरण;

(तीन) निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम;

98. **धारा 86 के तहत् कतिपय स्थितियों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मण्डल.–** केन्द्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी मण्डल, किसी खतरनाक प्रक्रिया में संलग्न कारखाने से जुड़ी एक असाधारण स्थिति की घटना की स्थिति में, कारखाने में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विफलता या उपेक्षा के कारण प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले आम जनता के लिए या ऐसे कारखाने या अन्य जगहों में भविष्य में ऐसी असाधारण स्थितियों की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए या राज्य सरकार या राज्य व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी मण्डल द्वारा निर्धारित किसी भी उपाय या मानकों को अपनाने में किसी भी विफलता या उपेक्षा के कारणों का पता लगाने की दृष्टि से, कारखाने में अवलोकनीय स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों की जांच कर सकता है।

99. **धारा 88 के तहत् कारखानों में रसायनों और विषाक्त पदार्थों के एक्सपोजर की अनुज्ञेय सीमा.–** अधिनियम या उसके तहत् बनाए गए नियमों में किसी भी अन्य प्रावधानों की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, **अनुसूची–चालीस** में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं सभी कारखानों पर लागू होंगी।

100. **धारा 90 के तहत् निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के आदेश के विरूद्ध अपील.–**

(1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, संहिता की धारा 90 के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी होंगे।

(एक) अधिभोगी या प्रबंधक, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर समुचित प्राधिकारी को **प्ररूप–उन्तीस** में आवेदन करेगा।

(दो) समुचित प्राधिकारी 7 दिनों के भीतर मामले को, कारखानों के उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निर्दिष्ट करेगा।

(तीन) उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर मामले की जांच करेंगे।

(चार) उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, अगले 15 दिनों के भीतर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(पांच) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर आदेश पारित करेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता उप–नियम (1) के खण्ड (तीन) में दी गई समयावधि को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

101. धारा 91 के तहत् छूट के लिए नियम बनाने की शक्ति.– राज्य सरकार, लिखित रूप में अधिसूचना द्वारा, धारा 91 के उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसार या धारा 91 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के वर्ग में कार्य करने वाले किसी भी कर्मकार या कर्मकारों के वर्ग के संबंध में, किसी पद धारण करने वाले व्यक्ति को संहिता के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है।

भाग–छः

बगान

(धारा 92 एवं 93 के तहत् नियम 102 से 119 तक)

102. कर्मकारों के लिए सुविधायुक्त आवास.– प्रत्येक नियोक्ता, बगान में रहने वाले कर्मकारों और उनके परिवार के लिए कार्य के स्थान के यथा संभव निकट में सुविधायुक्त आवास प्रदान करेगा।

103. सुविधायुक्त आवास का मानक और विनिर्देश.– बगान में कर्मकारों के लिए सभी सुविधायुक्त आवास में महिला कर्मचारियों के लिए अलग कमरे होंगे। प्रत्येक कमरे में ताजी हवा के संचलन द्वारा पर्याप्त वायुसंचार सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था किया जाएगा तथा पर्याप्त और उपयुक्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी और बनाए रखा जाएगा। कमरे या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक वास स्थान, इस तरह के आयामों के होंगे, ताकि कमरे का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रसोई और शौचालय के क्षेत्र को छोड़कर, कम से कम 10 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र उपलब्ध हो सके। आवासों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वे गर्मी, हवा, बारिश से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सके और फर्श की सतह चिकनी, सख्त और अभेद्य हो।

104. सुविधायुक्त आवास के लिए स्थल.–

(1) सुविधायुक्त आवास, सूखी अच्छी जल निकासी वाली भूमि पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो बागान से दूरी से संबंधित अपेक्षा के अनुरूप, उचित दूरी के भीतर स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति करता है। सामग्री क्षेत्रों में, घरों को दलदल और दलदल से सुरक्षित दूरी पर और उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) उस क्षेत्र में और उसके आस–पास, जिसमें आवास उपलब्ध कराया गया है, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा।

(3) नियोक्ता, उस क्षेत्र में, जहाँ घर स्थित हैं, वहाँ तक पहुंचाने वाली सड़कों और रास्तों के साथ–साथ उस क्षेत्र में सीवर और नालियों को भी अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा।

(4) नियोक्ता, जनता को बागान के उन हिस्सों में निःशुल्क पहुंच से वंचित नहीं करेगा, जहाँ कर्मकारों को रखा गया है।

(5) नियोक्ता, सभी घरों के आसपास के क्षेत्र को कचरे और मलमूत्र से मुक्त रखेगा और शौचालयों और नालों को प्रतिदिन साफ किया जाएगा और उनके भीतर या उनके आसपास के सभी कचरे को एकत्र, हटाया और स्वच्छता से निपटाया जाएगा।

105. मकानों का रख–रखाव.– (1) नियोक्ता, अपने व्यय पर, कर्मकारों के आवास के लिए प्रदान किए गए सभी मकान को समुचित और सुरक्षित स्थिति में बनाए रखेगा और वार्षिक रूप से अनुरक्षण और ऐसे अन्य मरम्मत कार्य करेगा, जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित हो।

(2) मकान में रहने वाला कर्मकार, और संहिता के तहत् नियुक्त निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, मकान, जो कि कर्मकार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो, की स्थिति में किसी भी दोष को, जहाँ निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, नियोक्ता के ध्यान में लाता है, तो नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह कम से कम संभव विलम्ब के साथ उन्हें ठीक करे।

(3) नियोक्ता, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सभी मकानों को चूने से पोतई कराएगा और सभी दरवाजों, खिड़कियों और अन्य लकड़ी के ढांचे को तीन वर्ष में एक बार वार्निश या पेंट करवाएगा।

106. आवास, किराया मुक्त होगा.– अपने बागान में रहने वाले कर्मकारों और उनके परिवारों को प्रदान किए गए वास स्थान के लिए नियोक्ता द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

107. बच्चो के लिए शिशुगृह.– बागान का प्रत्येक नियोक्ता, जिसमें पचास या अधिक कर्मकार (किसी भी ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों सहित) कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे, शिशुगृह की सुविधा प्रदान करेंगे।

108. कर्मकारों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं.– प्रत्येक नियोक्ता, यदि उसके बागान में छः से बारह वर्ष की आयु के बीच के कर्मकारों के बच्चों की संख्या 25 से अधिक है, तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्कूल या स्कूल की व्यवस्था करेगा और अनुरक्षित रखेगा।

109. चिकित्सा सुविधा –

(1) बागान का प्रत्येक नियोक्ता, अपने बागान में एक अस्पताल की व्यवस्था करेगा। बागान में दो प्रकार के अस्पताल होंगे, अर्थात् उद्यान अस्पताल और समूह अस्पतालः–

(एक) उद्यान अस्पताल बाहरी रोगियों, किसी विस्तृत निदान और उपचार की आवश्यकता नहीं रखने वाले रोगियों, संक्रामक मामलों, दाई का

कार्य, शिशुओं और बच्चों की सामान्य प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल और कर्मकारों के आवधिक निरीक्षण का निपटान करेंगे।

(दो) समूह अस्पताल, सामान्य रूप से सामने आने वाले सभी प्रकार के मामलों से कुशलता से निपटान करने में सक्षम होंगे, किन्तु नियमित उपचार के लिए उपयोग नहीं किए जायेंगे। समूह अस्पतालों में प्रवेश, उद्यान अस्पताल के चिकित्सक की सिफारिश पर ही होगा।

(2) उपकरण और दवाएं– प्रत्येक औषधालय, उद्यान अस्पताल और समूह अस्पताल ऐसे उपकरण और दवाएं आदि अनुरक्षित रखेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) चिकित्सा अभिलेख– प्रत्येक औषधालय, उद्यान या समूह अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित संधारित करेंगे–

(एक) प्रत्येक रोगी के संबंध में चिकित्सा अभिलेख, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाये; तथा

(दो) ऐसे विनियमों का पालन करना, जो राज्य सरकार द्वारा मेडिकल स्टोर नियम के संबंध में बनाए जाये।

110. मनोरंजन सुविधाएं.–

(1) प्रत्येक नियोक्ता निम्नलिखित प्रदान करेगा और अनुरक्षित रखेगा,–

(एक) राज्य के श्रम आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ वयस्क कर्मकारों और बच्चों के लिए एक रेडियो और टेलीविजन सेट और इन्डोर खेलों के व्यवस्था के साथ, निवासी कर्मकारों या उनके भाग के प्रत्येक एक सौ पचहत्तर परिवारों के लिए एक पैमाने पर मनोरंजन केन्द्र, प्रत्येक बागान या उसके बाह्य उद्यान के लिए कम से कम एक केन्द्र होगा।

(दो) जहाँ उचित दूरी के भीतर, पर्याप्त फ्लैट, खुला स्थान हो, वहाँ वयस्क और बाल कर्मकारों के लिए एक खेल का मैदान या मैदान, जिसमें बाहरी खेलों के लिए आवश्यक खेल उपकरण हो, उपलब्ध हो;

(2) उपलब्ध कराये जाने और अनुरक्षित रखे जाने वाले प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र को, कर्मकारों के आवासों के यथा संभव निकटस्थ सुविधाजनक रूप से स्थित होना चाहिए।

111. बागान के भीतर कीटनाशकों, कीटाणुनाशकों, रासायनिक और विषाक्त पदार्थों का उपयोग, संचालन, परिवहन और भंडारण.–

(1) किसी भी कीटनाशक, कीटाणुनाशक रासायनिक और विषाक्त पदार्थों का परिवहन या भंडारण इस तरह से नहीं किया जायेगा कि वे खाद्य पदार्थों या जानवरों के चारे या पीने के पानी के सीधे संपर्क में आ जाये।

(2) यदि परिवहन या भंडारण में कोई कीटनाशक, कीटाणुनाशक, रसायन और विषाक्त पदार्थ का रिसाव होते पाया जाता है, तो यह नियोक्ता की

जिम्मेदारी होगी कि वह मिट्टी या पानी के विषाक्तता और प्रदूषण, यदि हो, को रोकने के लिए तत्काल उपाय करे।

(3) कीटनाशकों, कीटाणुनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों वाले पैकेजों को, अलग–अलग कमरों या परिसरों में, ऐसे सामानों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों या परिसर में दूर रखा जायेगा या कीटनाशकों की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताला और चाबी से बंद करके अलग–अलग अलमीरा में रखा जायेगा।

(4) कीटनाशक, कीटाणुनाशक, रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर, पर्याप्त आयाम के साथ अच्छी तरह से निर्मित, सूखे, अच्छी तरह से रोशनी वाले और पर्याप्त हवादार होने चाहिए।

112. **कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों को संचालित करने में महिलाओं और बाल कर्मकारों के नियोजन पर प्रतिबंध या निर्बंधन.–** किसी भी महिला कर्मकार या बाल कर्मकार को कीटनाशक, कीटाणुनाशक, रसायनिक और विषाक्त पदार्थों के संचालन या भंडारण या परिवहन में संलग्न रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

113. **पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं.–** कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन की निगरानी एक सक्षम व्यक्ति द्वारा की जायेगी, जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिये–

(एक) वह कृषि या विज्ञान में स्नातक होना चाहिए या उसके पास मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित रसायनों और विषाक्त पदार्थों से निपटने का पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र होना चाहिये;

(दो) उसे एक नामित प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए; तथा

(तीन) उसके पास कर्मकारों को प्राथमिक उपचार देने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।

114. **कर्मकारों का प्रशिक्षण.–**

(1) कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों को संचालित करने में शामिल कर्मकारों को, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित संस्थानों में सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और उन्हें प्रदान किए गए सुरक्षा उपकरणों को संभालने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

(2) कृषि रसायनिक या अन्य रासायनिक पदार्थों को प्रयोज्य करने, संभालने, परिवहन करने या संपर्क में आने वाले सभी कर्मकारों को, कम से कम निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए–

(एक) सामान्य उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य;

(दो) कीटनाशकों के मामले में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के नियमन, नाम और बायोसाइड क्रिया;

(तीन) व्यक्तिगत सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरणों का सही उपयोग;

(चार) रासायनिक पदार्थों, उपकरणों, तकनीकों, साइनेज, चिकित्सा परीक्षण आदि के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निवारक उपाय और उपचार;

(पांच) विषाक्तता या रासायनिक पदार्थों के अनुचित संपर्क से जुड़े मामलों के लिए आपातकालीन प्रक्रियाएं, प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा सहायता;

(छः) रासायनिक पदार्थों को संभालने और कृषि रसायनों के सही अनुप्रयोग के लिए तकनीकें;

(सात) वाहन चालकों के लिए कृषि–रसायनों का सुरक्षित संचालन और परिवहन; तथा

(आठ) बागान के लिए उपयुक्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण।

115. कर्मकारों की समय–समय पर चिकित्सा जांच.–

(1) प्रत्येक कर्मचारी, जो कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों को संभालने, निपटने या छिड़काव या मिश्रण के कार्य में लगा हुआ है, उसकी शुरूआत में रोजगार के समय और उसके बाद वर्ष में एक बार इस संबंध में अधिसूचित अस्पतालों में चिकित्सकीय जांच की जायेगी।

(2) चिकित्सा परीक्षा और परीक्षण, **प्ररूप–पांच** के अनुसार दर्ज किये जायेंगे।

(3) विषाक्तता के लक्षण दिखने वाले किसी भी व्यक्ति की तुरंत जांच की जायेगी और उचित उपचार किया जायेगा।

116. स्वास्थ्य अभिलेख का रखरखाव.– प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक कर्मकार का स्वास्थ्य अभिलेख संधारित करेगा, जैसे वार्षिक चिकित्सा परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जब आवश्यक को, बागान में रखी जाएगी और प्रत्येक कागमार की ऐसे अभिलेख तक पहुंच होगी।

117. धुलाई, स्नान और सामान घर की सुविधा.–

(1) प्रत्येक नियोक्ता, उन कर्मकारों को धोने, स्नान करने और सामान घर की सुविधा प्रदान करेगा, जो कीटनाशकों, कीटाणुनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों को संचालित करने हेतु कार्यरत हैं।

(2) सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण–

(क) इसके संचालन, वितरण, मिश्रण, छिड़काव के दौरान कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों को संचालित करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त कपड़ों से पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जायेगा।

(ख) सुरक्षात्मक कपड़े, उन सामग्रियों से बने होंगे, जो किसी भी प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक और विषाक्त योगों के प्रवेश को रोकते हों या विरोधी हों। सामग्री भी धोने योग्य होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक उपयोग के बाद जहरीले तत्वों को हटाया जा सके।

(ग) सुरक्षात्मक कपड़ों के एक पूरे सूट में निम्नलिखित कपड़े शामिल होंगे, अर्थात्:–

(एक) टोपी के साथ सुरक्षात्मक बाह्य वस्त्र;

(दो) रबर के दस्ताने या ऐसे अन्य सुरक्षात्मक दस्ताने, जो तरल पदार्थ के लिए अभेद्य सामग्री से बने अग्र भाग तक फैले हुए हो ;

(तीन) धूलरोक चश्मा;

(चार) जूते;

(पांच) पुनः प्रयोज्य कपड़े के मास्क।

118. **कीटनाशकों, कीटाणुनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों की सूची का प्रदर्शन.–** प्रत्येक नियोक्ता, केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों की सूची को, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 46) के तहत् प्रदर्शित करेगा।

119. **निवारक सूचना.–** बागानों में प्रत्येक नियोक्ता, निम्नलिखित निवारक सूचना को उस स्थान पर या उसके पास प्रदर्शित करेगा, जहाँ कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों का संचालन किया जाता है–

(एक) चौंगा, दस्तानें, रबर के गम–बूट और चौड़े किनारों वाली टोपी जैसे सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग करें;

(दो) कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों से दूषित कपड़े न पहनें;

(तीन) सुरक्षात्मक कपड़ों को साबुन और पानी से धोकर साफ करें;

(चार) बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों का संचालन करने की अनुमति न दें;

(पांच) कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों का संचालन करते समय खाना, पीना, धुम्रपान या चबाना नहीं चाहिये;

(छः) बंद नोजल को कभी भी अपने मूंह से न फोड़ें;

(सात) रिसाव करने वाले स्प्रेयर का प्रयोग न करें। त्वचा, मुंह और आंखों को दूषित होने से बचाएं;

(आठ) खेतों में लावारिस कीटनाशकों को अंदर न लें;

(नौ) हवा के प्रतिकूल कभी भी कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों का छिड़काव न करें।

(दस) खेतों में कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों को लावारिस न छोड़े;

(ग्यारह) विनिर्माताओं द्वारा सुझाए गए कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों के छिड़काव वाले खेतों में मनुष्यों और पशुओं को उस समय अवधि में प्रवेश करने की अनुमति न दें;

(बारह) कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों के कंटेनरों को किसी कुएं या बहती धारा के पास न धोएं;

(तेरह) साफ पानी, साबुन और तौलिये को इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखें;

(चौदह) खाने, पीने, धुम्रपान करने या चबाने और कार्य के बाद हाथ बाह्य त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोयें;

(पन्द्रह) कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों को भंडार गृह में बंद करके, बच्चों और अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखें;

(सोलह) छिड़काव वाले खेत में प्रवेश न करें। निर्माताओं द्वारा सुझाए गए शाकनाशी सहित सभी कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों के लिए, पुनः प्रवेश अवधि का पालन करें;

(सत्रह) कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों को उनके मूल, लेबल वाले कंटेनरों में रखें;

(अठारह) तत्काल उपयोग के अलावा कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों को, बिना लेबल वाले कंटेनरों में न डालें;

(उन्नीस) कंटेनरों को अच्छी तरह से खाली करने और धोने के बाद सुरक्षित रूप से फेंक दें, उन्हें जल स्त्रोत से दूर किसी स्थान पर दफन किया जा सकता है;

(बीस) यदि कंटेनरों से कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों के निशान को हटाना असंभव है, तो कंटेनर को कभी भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग न करें।

अध्याय–दस

अपराध और शास्ति

120. धारा 111 की उप–धारा (1) तहत् शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी और उसकी रीति.–

(1) **अनुसूची–इकतालीस** में विनिर्दिष्ट अधिकारी, अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में संहिता की धारा 111 की उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी होगा।

(क) उप–नियम (1) के तहत् नियुक्त अधिकारी, जब संहिता के तहत् किसी अपराध का संज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह के संज्ञान में आने के पन्द्रह दिनों के भीतर, उस व्यक्ति, जिसके बारे में माना गया है कि उसने अपराध किया है, पर एक नोटिस की तामिल करेगा।

(ख) व्यक्ति, जिसको नोटिस तामिल किया गया है, वह नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर जवाब देगा, जो पन्द्रह दिनों से अधिक नहीं होगा।

(ग) उप–नियम (1) के तहत् नियुक्त अधिकारी, किसी भी व्यक्ति को जांच के उद्देश्य से अपेक्षित किसी भी अभिलेख/दस्तावेज के साथ अपने सामने पेश होने के लिए बुला सकता है।

(घ) उप–नियम (1) के तहत् नियुक्त अधिकारी, ऐसी जांच शुरू होने के साठ दिनों के भीतर जांच पूरी करेगा और एक आख्यापक आदेश पारित करेगा।

(ङ) अधिरोपित और प्राप्त की गई शास्ति की राशि, धारा 115 की उप–धारा (1) के तहत् स्थापित निधि में जमा की जाएगी और इसका अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप–तीस** में संधारित किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 111 की उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

121. धारा 111 की उप–धारा (3) के अधीन शास्ति के लिए अपीलीय प्राधिकारी.–

(1) राज्य सरकार, संहिता की धारा 111 के प्रयोजन के लिए **अनुसूची–बयालीस** में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करेगी।

(2) पीड़ित व्यक्ति, संहिता की धारा 111 की उप–धारा (3) के तहत् निर्धारित अवधि के भीतर **प्ररूप–इकतीस** में, उप–नियम (1) के तहत् अधिकृत अधिकारी को अपील करेगा।

(3) अधिरोपित शास्ति के 10 प्रतिशत की दर से शुल्क, अपील के साथ संलग्न होगा, जिसे ई–चालान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जायेगा और शासकीय कोषालय में जमा किया जायेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, संहिता की धारा 111 की उप–धारा (4) में निर्धारित रीति में अपील का निर्णय करेगा।

122. धारा 114 की उप–धारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराध शमन करने की पद्धति –

(1) धारा 114 की उप–धारा (1) के अंतर्गत अपराधों के शमन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिकारी अपराधों के लिए कम्पाउन्डिंग नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी की जाएगी, जो कि उक्त धारा की उप–धारा (1) के अंतर्गत शमन योग्य है।

(2) जिस व्यक्ति को उप–नियम (1) के तहत् नोटिस दिया गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप–बत्तीस** में आवेदन कर सकता है तथा सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, सम्पूर्ण कम्पाउन्डिंग राशि इलेक्ट्रॉनिक अंतरण अथवा अन्य किसी रूप से जमा कर सकता है।

(3) उप–नियम (1) में उल्लिखित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जिससे कंपोजीशन नोटिस से संबंधित ऐसी राशि प्राप्त हुई हो, को कंपोजिशन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर एक कंपोजीशन प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा नोटिस दिए गया, अभियोजन के प्रारंभ से पहले एक महीने के भीतर कंपोजिशन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

(5) धारा 110 की उप–धारा (1) के परंतुक के अध्यधीन और धारा 114 के अंतर्गत शमन करने वाले ऐसे प्रावधानों का पालन करने के लिए नियोक्ता को अवसर दिए बिना कोई अभियोग नहीं लगाया जाएगा।

(6) धारा 114 की उप–धारा (1) के अंतर्गत अपराधों के शमन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिकारी कम्पाउन्डिंग पंजी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से **प्ररूप–तैंतीस** में संधारित करेगा।

अध्याय–ग्यारह
सामाजिक सुरक्षा निधि

123. धारा 115 के तहत् सामाजिक सुरक्षा निधि.–

(1) धारा 115 की उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, धारा 114 की उप–धारा (4) में यथा विनिर्दिष्ट अपराध की प्रशमन से प्राप्त राशि और 111 की उप–धारा (6) में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति की राशि, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में जमा की जायेगी।

(2) संहिता की धारा 115 की उप–धारा (2) के तहत् प्रशासित निधि के अन्य स्त्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं,–

(क) मंडल को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और सब्सिडी;

(ख) सभी स्वैच्छिक दान;

(ग) उधार ली गई कोई राशि।

(घ) राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य स्त्रोत।

(3) सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए उपयोग की जाने वाली निधियों का अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप–चौतीस** में संधारित करेगा।

(4) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की कल्याणकारी योजनाओं की, धारा 115 की उप–धारा (3) के अनुसार निधि को ऐसी रीति में उपयोजित की जायेगी, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

अध्याय–बारह
विविध

124. धारा 119 के तहत् विहित नियम.–

(1) **समुचित प्राधिकारी–** राज्य सरकार, कारखाने के संबंध में या बीड़ी और सिगार कार्य के लिए और संलग्न ठेका कर्मकारों या उनके किन्हीं सहयोजना के लिए औद्योगिक परिसर के संबंध में सामान्य अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए **अनुसूची–तैंतालीस** के अनुसार अथवा संहिता के तहत् उनमें से किसी एक के लिए एकल अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए **अनुसूची–चौवालीस** के अनुसार समुचित प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) **धारा 119 की उप–धारा (2) के तहत् अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन–**

(क) सामान्य अनुज्ञप्ति या एकल अनुज्ञप्ति के इच्छुक आवेदक, इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप–पंद्रह** में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(ख) यदि आवेदक, बीड़ी और सिगार के कार्य के लिए या ठेका कर्मकारों को संलग्न करने के लिए किसी भी कारखाने या औद्योगिक परिसर के लिए एकल अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, तो लागू अनुज्ञप्ति शुल्क, कारखानों के लिए **अनुसूची–पांच** में, बीड़ी और सिगार के कार्य के औद्योगिक परिसर के लिए **अनुसूची–छः** और ठेका कर्मकारों को कार्य पर रखने के लिए नियम 45 के उप–नियम (3) में विहित है। राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा, शुल्क में परिवर्तन करेगी।

(ग) यदि आवेदक कारखाने, बीड़ी और सिगार के कार्य के लिए और ठेका कर्मकारों को कार्य पर रखने के लिए, औद्योगिक परिसर के लिए या उसके किसी भी संयोजन के लिए एक सामान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, तो प्रयोज्य अनुज्ञप्ति शुल्क, आवेदक द्वारा यथा वांछित प्रतिष्ठान के लिए एकल अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क की राशि होगी।

(3) **अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार–** आवेदक को ठेका कर्मकारों को कार्य पर रखने के लिए अनुज्ञप्ति के संबंध में, नियोजित अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों सहित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

(4) **धारा 119 की उप–धारा (3) के तहत् कार्रवाई–** समुचित प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, आवश्यक कार्रवाई करेगा और यदि आवश्यक हो, तो उप–नियम (5) और (6) में निर्धारित अनुसार आवश्यक जांच करेगा।

(5) कारखाने, औद्योगिक परिसर में बीड़ी और सिगार कार्य हेतु और ठेका श्रमिकों के नियोजन या किसी अन्य संयोजन के लिए कॉमन लाइसेंस अथवा इनमें से किसी के लिए सिंगल लाइसेंस–

(1) कोई भी व्यक्ति इस संहिता के तहत् जो कारखाने, औद्योगिक परिसर में बीड़ी और सिगार कार्य हेतु और ठेका श्रमिकों के नियोजन या किसी अन्य संयोजन के लिए कॉमन लाइसेंस अथवा इनमें से किसी के लिए सिंगल लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो वह **प्ररूप–पंद्रह** में निर्धारित शुल्क के साथ पोर्टल पर नामित प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) कारखाने, औद्योगिक परिसर में बीड़ी और सिगार कार्य हेतु और ठेका श्रमिकों के नियोजन के लिए लाइसेंस हेतु इस नियम से जुड़ी अनुसूचियों में संलग्न शुल्क देय होगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित तरीके और प्रक्रिया का पालन करते हुए नामित प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर संहिता में निर्धारित समयावधि में **प्ररूप–पैंतीस** में लाइसेंस जारी करेगा।

(6) **धारा 119 की उप–धारा (6) के तहत् अपील–** कोई भी व्यक्ति, जो अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकृत करने से इंकार करने या उप–नियम 5 में यथा संदर्भित सामान्य अनुज्ञप्ति या उप–नियम 6 में यथा संदर्भित एकल अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित करने वाले समुचित प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित है, तो वह राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी को अपील कर सकता है और ऐसा प्राधिकारी, जो अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकृत करने से इंकार करता है या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित करता है, आदेश द्वारा, किसी भी ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है, संशोधित कर सकता है या उलट सकता है, तब आवेदक निम्नलिखित करेगाः–

(क) आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करें;

(ख) उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की गई है;

(ग) आधार और तथ्यों वाले ज्ञापन;

(घ) अपील शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में अनुज्ञप्ति शुल्क का 10% राशि कोषालय चालान भी आवेदन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। यह शुल्क, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार समय–समय पर परिवर्तित भी हो सकता है।

125. **धारा 121 की उप–धारा (2) के तहत् सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति पर सर्वेक्षण की रीति.–** मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 121 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त समिति, किसी भी समय, किसी प्रतिष्ठान के सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान, या प्रतिष्ठान के नियोक्ता या प्रबंधक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति, जो तत्समय इस उद्देश्य हेतु प्रतिष्ठान का प्रभारी है, को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद, किसी अन्य समय, जो उसके या समिति के द्वारा आवश्यक पाया जाता है, प्रतिष्ठान और बाहर में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सर्वेक्षण कर सकता है–

(1) नियोक्ता या प्रबंधक या अन्य व्यक्ति, इस तरह के सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाओं को वहन करेगा, जिसमें संयंत्र और मशीनरी की जांच और परीक्षण के लिए सुविधाएं और सर्वेक्षण के लिए प्रासंगिक नमूने और अन्य डेटा का संग्रह शामिल है।

(2) सर्वेक्षण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, प्रत्येक कर्मकार और व्यक्ति, यदि सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा आवश्यक हो तो, स्वयं को ऐसी चिकित्सा परीक्षा करने के लिए प्रस्तुत करेगा, जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाये और सभी जानकारी, जो उसके कब्जे में है और सर्वेक्षण से संबंधित है, प्रस्तुत करेगा।

(3) उप–नियम (2) के तहत् किसी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्यतीत किया गया कोई भी समय, समयोपरि कार्य के लिए मजदूरी और अतिरिक्त मजदूरी की गणना के उद्देश्य से, वह समय माना जाएगा, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने प्रतिष्ठान में कार्य किया था।

(धारा 135 की उप–धारा (2) के भाग (यक) के तहत् नियम 126 से नियम 128)

126. संविदा कामगारों के लिए शिकायत निवारण तंत्र –

1. संविदा कामगार, प्रधान नियोक्ता के स्तर पर, अपने स्वास्थ्य, कार्य स्थिति तथा मजदूरी से संबंधित शिकायतों को जमा कर सकते हैं, जो मामले की जांच कर उसकी शिकायत का निवारण करेंगे, यदि कोई हो।
2. एक समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें एक अध्यक्ष शामिल होगा, जो मुख्य नियोक्ता का अधिकृत प्रतिनिधि होगा। समिति में प्रमुख नियोक्ता और ठेकेदारों के प्रतिनिधि होंगे। उपर्युक्त समिति एक माह की अवधि के भीतर ठेका कामगारों की शिकायतों की सुनवाई करेगी और उनका निपटान करेगी।
3. यदि ऐसी शिकायतों को उठाने के एक माह के भीतर शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है, तो मुख्य नियोक्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को शिकायत (शिकायतों) को अग्रेषित करेगा।

127. ठेकेदार के नियमित कामगार की वार्षिक बढ़ौत्तरी– वह कामगार, जो ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्य के लिए नियमित रूप से नियुक्त हो तथा जिसका नियोजन रोजगार की स्थिति के पारस्परिक रूप से स्वीकृत मानकों द्वारा नियंत्रित होगा, अपनी मजदूरी के दो प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी का पात्र होगा।

128. सक्षम व्यक्ति– (1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी व्यक्ति को, यदि वह व्यक्ति इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची में निर्धारित की गई अर्हता, अनुभव और अन्य अर्हताएं धारित करता है तो ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि हेतु जो विनिर्दिष्ट की गई है, कारखाने में स्थित भवनों, संकटमय मशीन, उत्तोलक और उत्थापक, उत्थापन मशीनों और उत्थापन टैकल्स, दाब संयंत्र, सीमित क्षेत्र, संवातन प्रणाली और ऐसी अन्य प्रणाली या संयंत्र या उपकरणों की जाँच, परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण, जैसा कि संहिता और उसके अन्तर्गत अनुरक्षित गए नियमों में निर्दिष्ट है, हेतु सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है:

परन्तु, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो असाधारण रूप से अनुभवी और जानकार है तो सक्षम व्यक्ति के संबंध में योग्यता की अर्हता शिथिल कर सकता है, लेकिन उसके नियंत्रण के अधीन सुविधाओं से संबंधित आवश्यकताएं नहीं:

परन्तु यह और भी कि, जहाँ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के अधीन कार्यरत व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, वहाँ राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी और ऐसे व्यक्ति को ऐसी मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त 'निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता' के अधिकार नहीं होंगे:

परन्तु यह और भी कि, इस उपबंध के अधीन मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा और जाँच, परीक्षण तथा निरीक्षण करने के प्रयोजन हेतु शारीरिक रूप से योग्य होगा।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी ख्याति प्राप्त संस्थान जिसमें ऐसे व्यक्ति हों, जिन्होंने उप–नियम (1) से उपाबद्ध अनुसूची में निर्धारित की गई अर्हताएँ और अनुभव धारण किया है जो भवनों, संकटमय मशीनों उत्तोलक और उत्थापक उत्थापन मशीनों और लिफ्टिंग टैकल्स, दाब संयंत्र सीमित स्थान, संवातन प्रणाली और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र तथा उपकरणों की जाँच, परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण जैसा कि संहिता और उसके अन्तर्गत अनुरक्षित गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है, करने के प्रयोजनों हेतु उक्त संस्थान को ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि हेतु जो विनिर्दिष्ट की जाए, सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति या किसी संस्थान, जो संहिता और उसके अधीन अनुरक्षित गए नियमों के प्रयोजन हेतु 'सक्षम व्यक्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त करने का आशय रखते हैं, विहित **प्ररूप–छत्तीस** में व्यक्ति से अथवा **प्ररूप–सैतीस** में संस्थान से आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसे आवेदनों को पंजी में अंकित करेगा और आवेदक की सक्षमता तथा उसके नियंत्रण में उपलब्ध संसाधनों के संबंध में स्वयं का समाधान करने के उपरान्त आवेदक को 'सक्षम व्यक्ति' के रूप में मान्य कर सकेगा। ऐसे आवेदन का 60 दिवसों की अवधि में या तो विहित **प्ररूप–अड़तीस** में सक्षमता प्रमाण–पत्र जारी करके या कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए उसे अस्वीकार करके उसका निस्तारण करेगा।

(4) सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता के लिए हर आवेदन के साथ नीचे दी गई तालिका में बताए अनुसार ऑनलाइन फीस जमा करने का ट्रेजरी चालान होना चाहिए:

तालिका

सरल क्रमांक	सक्षमता प्रमाण पत्र	दायरा	मान्यता के लिए शुल्क

1	व्यक्ति के लिए	राज्य	25,000/– रुपये (उन प्रावधानों की परवाह किए बिना जिनके लिए सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है)
2	संस्थान के लिए	राज्य	25,000/– रुपये (उन प्रावधानों की परवाह किए बिना जिनके लिए सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है)
3	व्यक्ति के लिए	कारखाना	50,000/– रुपये (उन प्रावधानों की परवाह किए बिना जिनके लिए सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है)

(5) इस नियम के तहत् जारी किया गया प्रमाण पत्र ऊपर दी गई तालिका में दर्शाई गई शुल्क का भुगतान करने पर बारह माह की अवधि के लिए होगा।

(6) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यदि यह विश्वास करने का कारण है कि सक्षम व्यक्ति–

(क) द्वारा सक्षमता प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है;

(ख) द्वारा संहिता और उसके अंतर्गत अनुरक्षित गए नियमों के उद्देश्य या प्रयोजन से असंगत रीति में परीक्षण, जाँच और निरीक्षण किया है या कार्य किया है या संहिता और इसके अंतर्गत अनुरक्षित गए नियमों में अपेक्षित कार्य करना छूट गया है;

(ग) किसी अन्य कारण से जो लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, के द्वारा अनउपयुक्त हो गया है सक्षम व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद उसका सक्षमता प्रमाण–पत्र रद्द कर सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन हेतु एक संस्थान में एक संगठन भी शामिल है।

(7) किन्हीं ऐसे लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिग टेकल्स, दाब संयंत्र या संवातन प्रणाली को जैसी भी स्थिति हो, जिन्हें राज्य के बाहर के किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अभिलिखित कारणों से उनका पुनः प्रमाणीकरण कर सकेगा–

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विपुल कुमार गुप्ता, उप–सचिव.

अनुसूची

स. क्र.	धारा या नियम या सुरक्षा मानक जिसके अंतर्गत सक्षमता मान्य की जाएगी	अपेक्षित अर्हताएँ	इस प्रायोजन हेतु अनुभव	उसके नियंत्रण में सुविधाएँ
1	2	3	4	5
1	(एक) धारा 18 के उप धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 73 के तहत् बिन्दु क्र. 6 – योजना अनुमोदन तरीका (दो) धारा 18 के उप धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 21 के तहत् बिन्दु क्र. 14 – भवन एवं मशीनरी की सुरक्षा	सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष	(1) संरचनाओं के अभिकल्प या सन्निर्माण या जाँच या मरम्मत का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। (2) नॉन–डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विभिन्न प्रचलित व्यवहाँरिक संहिता और कम्पन्न तथा प्राकृतिक बलों का भवन के स्थायित्व पर प्रभाव का ज्ञानय और (3) संरचना अथवा भवन की सुरक्षा के संबंध में विश्वसनीय निर्णय पर पहुँचने की क्षमता।	
2	धारा 18 के उप धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 73 के तहत् बिन्दु क्र. 13 – वेल्डिंग, कटिंग एवं ब्रेजिंग	वैद्युतिकी या यांत्रिकी में स्नातक या उसके समकक्ष।	(1) निम्न में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव : (क) अभिकल्प या संचालन या अनुरक्षण या (ख) संबंधित मशीनों उनके रक्षक सुरक्षा युक्तियों और साधित्रों की जाँच उनके परीक्षण और निरीक्षण। (2) वहः (क) सुरक्षा युक्तियों और उनके ठीक प्रकार से चालन का जानकार होगाय (ख) त्रुटियों और विफलता को अग्रसर करने वाले अन्य कारणों को पहचानने में दक्ष होगाय और (ग) उसमें वेल्डिंग, कटिंग एवं ब्रेजिंग करने हेतु सुरक्षा युक्तियों और साधित्रों के ठीक प्रकार चालन के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने की क्षमता होगी।	माप हेतु गेज गति मापने हेतु उपकरण और वेल्डिंग, कटिंग एवं ब्रेजिंग के उपयोग में सुरक्षा निश्चित करने के अन्य कोई उपकरण या युक्ति।

3	(एक) धारा 18 के उप–धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 11 के तहत् बिन्दु क्र. 42 – दाब संयंत्र (दो) धारा 18 के उप–धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 73 के तहत् बिन्दु क्र. 43 – जल मुद्रांकित गैस धारक (तीन) धारा 2 के उप–धारा (1) के खण्ड (यक) के सरल क्र. 29 के तहत् बिन्दु क्र. 117 – अति ज्वलनशील द्रव और गैस	केमिकल या वैद्युतिक या मेटलर्जिकल या यांत्रिकी इंजीनियरिंग स्नातक या उसके समकक्ष	(1) निम्न में कम से कम 10 वर्ष का अनुभवः अथवा (क) अभिकल्प या स्थापना या अनुरक्षण, (ख) दाब संयंत्रों की जाँच उनका परीक्षण और निरीक्षण। (2) वहः (क) प्रेशर वेसल्स से संबंधित व्यवहाँरिक संहिता और जाँच प्रक्रिया का जानकार होगा, (ख) अन–फायर्ड प्रेसर वेसल्स और दाब के अन्तर्गत चलित उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित अन्य कानूनी अपेक्षाओं का जानकार होगा, (ग) प्रेशर वेसल्स पर प्रयोज्य होने वाली नान–डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक का जानकार होगा। (घ) दाब संयंत्र की सुरक्षा के संबंध में त्रुटि पहचानने में और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम होगा।	हायड्रोलिक टेस्ट, डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट करने हेतु सुविधाएँ, मापने हेतु गेज, उपकरण युक्तियाँ या प्रेशर वेसल्स यंत्रों के उपकरण से सुरक्षा निश्चित करने हेतु अन्य कोई उपकरण या गेज।
4	धारा 18 के उप–धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 8 के तहत् बिन्दु क्र. 44 – उत्तोलक और उत्थापक	वैद्युतिकी या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष	(1) निम्न में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव : (क) अभिकल्प या स्थापना या अनुरक्षण, या (ख) उत्तोलक और उत्थापक के निरीक्षण और जाँच प्रक्रिया (2) वहः (क) प्रचलित संबंधित व्यवहाँरिक संहिता और जाँच प्रक्रिया का जानकार होगा (ख) उत्तोलक और उत्थापक की सुरक्षा अन्तर्विष्ट करने वाली कानूनी अपेक्षाओं का जानकार होगा (ग) त्रुटि पहचानने और उत्तोलक और उत्थापक की सुरक्षा के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम होगा	लोड टेस्टिंग सुविधाएँ, टेन्साइल टेस्टिंग गेज, मापन के उपकरण, युक्तियाँ और उत्तोलक और उत्थापक की सुरक्षित कार्य दशा की सुरक्षा कार्य दशा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित अन्य कोई उपकरण।

5	धारा 18 के उप–धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 9 के तहत् बिन्दु क्र. 45 – उत्थापक यंत्र, जंजीरे, रस्सियां और उत्थापक टैकल	यांत्रिकी या वैद्युतिकी या मैटलर्जीकल इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष	(1) निम्न में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव : (क) अभिकल्प स्थापना या अनुरक्षण, या (ख) उत्थापक यंत्र, जंजीरे, रस्सियां और उत्थापक टैकल की जाँच उनका परीक्षण और निरीक्षण। (2) वह : (क) प्रचलित संबंधित व्यवहाँरिक संहिता और जाँच प्रक्रिया का जानकार होगाय (ख) फ्रेक्टर मेकेनिक्स और जिस पदार्थ से पुर्जे बने हों, उनकी मेटलर्जी (धातु विज्ञान) का जानकार होगा। (ग) उत्थापक यंत्र और उत्थापक टैकल के स्ट्रेस बिअरिंग, कम्पोनेन्ट तथा भागों के हीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेस रिलिविंग तकनीकी का जानकार होगाय (घ) त्रुटि पहचानने तथा उत्थापक यंत्र, जंजीरे, रस्सियां और उत्थापक टैकल की सुरक्षा के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम हो।	लोड टेस्टिंग टेन्साइट टेस्टिंग मापने के उपकरण युक्तियाँ और उत्थापक यंत्र और उत्थापक टैकल की सुरक्षित कार्य दशा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित गेज और अन्य कोई उपकरण या सुविधाएँ।
6	धारा 18 के उप–धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 73 के तहत् (एक) बिन्दु क्र. 46 – पावर प्रेस (दो) बिन्दु क्र. 48 – सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन (तीन) बिन्दु क्र. 55 – तापीय द्रव हीटर्स (चार) बिन्दु क्र. 57 – ओवन तथा ड्रायर्स	वैद्युतिकी या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष।	(1) निम्न में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव : (क) अभिकल्प या संचालन या अनुरक्षण या (ख) संबंधित मशीनरी, उनके रक्षकों, सुरक्षा उपकरणों और यंत्रों का परीक्षण, जांच और निरीक्षण। (2) वहः (क) सुरक्षा युक्तियों और उनके ठीक प्रकार से चालन का जानकार होगा (ख) त्रुटियों और विफलता को अग्रसर करने वाले अन्य कारणों को पहचानने में दक्ष होगा और (ग) उसमें सुरक्षा युक्तियों और साधित्रों और मशीन रक्षकों के ठीक प्रकार चालन के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने की क्षमता होगी।	माप हेतु गेज गति, तापमान आदि मापने हेतु उपकरण और इन संकटमय मशीनो के उपयोग में सुरक्षा निश्चित करने के अन्य कोई उपकरण या युक्ति।

7	धारा 18 के उप–धारा (2) के खण्ड (च) के सरल क्र. 73 के तहत् बिन्दु क्र. 80 – रसायनिक कार्य	रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष	(एक) रासायनिक कार्यो के संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी के डिजाइन, निर्माण, स्थापना और परीक्षण में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। (दो) रासायनिक कार्यो के संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी के संबंध में प्रचलित प्रासंगिक आचार संहिता और परीक्षण प्रक्रियाओं से वह भलीभांति परिचित होना चाहिए।	मीटर, उपकरण और यंत्र विधिवत रूप से अंशांकित और प्रमाणित होने चाहिए ताकि परिरूद्ध स्थानों में कार्य करने की सुरक्षा के परीक्षण और प्रमाणीकरण किए जा सकें।
8	(एक) धारा 2 के उप–धारा (1) के खण्ड (यक) के सरल क्र. 5 के तहत् बिन्दु क्र. 93 – शक्ति जनन उद्योग (2) – कोयला, लिग्नाईट एवं गैस विद्युत स्टेशन (दो) धारा 2 के उप–धारा (1) के खण्ड (यक) के सरल क्र. 24 के तहत् बिन्दु क्र. 112 एस्बेस्टस और उसके उत्पादों का विनिर्माण, संधारण और प्रसंस्करण	वैद्युतिकी या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष	(एक) संवातन प्रणाली और धूल, धूम तथा वाष्प निष्कासन और संग्रहण की प्रणालियाँ तथा अन्य सहायक उपकरणों के अभिकल्प, फेब्रीकेशन, स्थापना तथा जाँच करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। (दो) वह संवातन और धूल, धूम तथा वाष्प निष्कासन प्रणाली सुसंगत व्यवहाँरिक संहिता और परीक्षण विधियों का जानकार होगा और प्रणाली को प्रभावशीलता के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम होगा।	संवातन प्रणाली के उपकरणों के परीक्षण की सुविधा और धूल, धूम तथा वाष्प के लिए निष्कर्षण प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए गेज और इन प्रणालियों की दक्षता और पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए आवश्यक कोई अन्य उपकरण।
9	(एक) धारा 2 के उप–धारा (1) के खण्ड (यक) के सरल क्र. 11 के तहत् बिन्दु क्र. 99 – ड्रग एवं फार्मास्यूटीकल उद्योग (दो) धारा 2 के उप–धारा (1) के खण्ड (यक) के सरल क्र. 23 के	रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा केमिकल या यांत्रिकी या वैद्युतिकी इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष	(एक) प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले प्लांट, इक्विपमेंट और मशीनरी के डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग में कम से कम 7 साल का अनुभव। (दो) प्रक्रिया के संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी के संबंध में प्रचलित प्रासंगिक आचार संहिता और परीक्षण प्रक्रियाओं से वह भलीभांति परिचित होना चाहिए।	प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले प्लांट, उपकरण और मशीनरी की टेस्टिंग करने के लिए मीटर, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस ठीक से कैलिब्रेट और सर्टिफाइड होने चाहिए।

	तहत् बिन्दु क्र. 111 – धातुओ की पिसाई या पॉलिश (तीन) धारा 2 के उप–धारा (1) के खण्ड (यक) के सरल क्र. 25 के तहत् बिन्दु क्र. 113 – वनस्पति और प्राणी स्त्रोत से तेल और वसा का निस्कर्षण (चार) धारा 2 के उप–धारा (1) के खण्ड (यक) के सरल क्र. 39 के तहत् बिन्दु क्र. 127 – नैनो–पार्टिकल का उपयोग करने वाले उद्योग			

प्ररूप–एक

(नियम 3 देखें)

मौजूदा प्रतिष्ठानों/नए प्रतिष्ठान के पंजीकरण हेतु/पंजीकरण प्रमाण–पत्र में संशोधन हेतु आवेदन

क. प्रतिष्ठान के विवरण :–

1. एलआईएन के माध्यम से प्रतिष्ठान के विवरणों की पुनः प्राप्ति
2. प्रतिष्ठान का नाम
3. प्रतिष्ठान का स्थान और पता

3. क. पैन (पीएएन)

4. प्रतिष्ठान के अन्य विवरण

   क. प्रतिष्ठान में सीधे नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या

   ख. नियोजित ठेका कर्मचारियों की कुल संख्या

   ग. नियोजित अंतर राज्यिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्या

5 (क) कारखानों के लिए

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	योजना अनुमोदन के विवरणों के साथ डाक का पूरा पता और कारखाने की स्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

5 (ख) भवन और अन्य निर्माण कार्य हेतु :

सन्निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	काम समाप्ति की संभावित अवधि	स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का विवरण
(5)	(6)	(7)	(8)

6. स्वामित्व प्रकार/क्षेत्र:

7. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधि:

8. चयनित एनआईसी कोड का विवरण:

9. प्रतिष्ठान की पहचान, नियोक्ता/प्रतिनिधि का ई–हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर:

ख. नियोक्ता का विवरण **:-**

1. नियोक्ता/अधिभोगी/स्वामी/मुख्य कार्यपालक/आदि का नाम और पतारू

2. पदनाम –

3. नियेक्ता के पिता/पति का नाम –

4. ई–मेल पता, दूरभाष और मोबाईल नंबर :

ग. प्रबंधक का विवरणः–

1. प्रबंधक या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम/पताः–

2. प्रबंधक का पता:

3. ई–मेल पता, दूरभाष और मोबाईल नंबर:

घ. ठेकेदार का विवरणः–

ठेकेदार का नाम एवं पता	ठेकेदार का ई–मेल, पता और मोबाईल नंबर	कार्य का नाम	कार्यरत ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	कार्य के प्रारंभ होने/समाप्ति की संभावित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ड. अन्य विवरण: –

नियोक्ता का हस्ताक्षर/ई–हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर

दिनांक :–

स्थान :–

प्ररूप–दो

(नियम–3(1) देखें)

प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या दिनांक

व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 (2020 का 37) की धारा 3 की उप–धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों से अंतर्विष्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र एतद्द्वारा ..... (प्रतिष्ठान का नाम) को प्रदान किया जाता है

1. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले काम का प्रकृति (कृपया निशान लगाएं)

   (अ) कारखाना

   (ब) ठेका कार्य

   (स) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य

   (द) कोई अन्य कार्य (जो ऊपर शामिल नहीं किए गए है)

2. प्रतिष्ठान का विवरणः

   क. प्रतिष्ठान में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्याः

   ख. ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या

   ग. ठेकेदारों की संख्या और उनके विवरणः

   घ. नियोजित अंतर–राजयिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्याः

3 (क) कारखानों के लिएः–

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	योजना अनुमोदन के विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति	अधिवक्ता और प्रबंधक का नाम एवं पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

3 (ख) खदानों के लिएः–

खनिजों के नाम	खदानों की लीज सीमा (एकड़ में)	स्वामी का नाम और पता	लक्षित औसत मासिक उत्पादन (टन)	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3 (ग) गोदी कार्य के लिएः–

गोदी कार्य/मुख्य पत्तन का नाम	गोदी कार्य के प्रकार	मात्रा सहित संचालित एवं संग्रहीत कार्गो का नाम	मात्रा सहित संचालित एवं संग्रहीत रसायनों का नाम	मात्रा सहित संचालित एवं संग्रहीत जोखिमकारी रसायनों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3 (घ) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य हेतुः–

निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	काम समाप्ति की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्रधिकारी के अनुमोदन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

4. पंजीकरण अधिकारी की टिप्पणीः

स्थान :

दिनांक :

पदनाम सहित पंजीयन अधिकारी का हस्ताक्षर/ई–हस्ताक्षर/डीएससी

पंजीकरण की शर्तें

(1) नियम 4 के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:

(क) पंजीकरण प्रमाण–पत्र गैर–हस्तांतरणीय होगा;

(ख) सीधे प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों और ठेका कर्मचारियों की संख्या किसी भी दिन पंजीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नही होगा; और

(ग) इन नियमों में उपबंध अनुसार संचित करें, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के अनुदान के लिए भुगतान की गई शुल्क गैर–प्रतिदेय होगी।

(2) नियोक्ता कामगारों की संख्या या पंजीयन अधिकारी के कार्य शर्तो के बदलाव की सूचना को 30 दिनों के भीतर देगा, यदि कोई हो,

(3) नियोक्ता किसी कार्य के आरंभ और समापन के 30 दिनों के भीतर कार्य क्षेत्र में आने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जहाँ प्रस्तावित प्रतिष्ठान है या जैसा भी मामला हो, कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य के आरंभ होने या जैसा भी मामला हो समाप्ति की वास्तविकता तिथि, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र–चार में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ काम चल रहा है।।

प्ररूप–तीन

(नियम–3(8) देखें)

प्रतिष्ठान का पंजी

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	पंजीकरण की संख्या और तारीख	पंजीकृत प्रतिष्ठान का नाम और पता एवं स्थान	नियोक्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण	कामगारों की कुल संख्या और कुल हॉर्सपॉवर (यदि कोई हो)	ठेका कामगारों की कुल संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(क) कारखाना (ख) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य (ग) ठेका कार्य (घ) अंतरराज्यीय प्रवासी कार्य (ड) अन्य कोई कार्य (जो उपर शामिल नही किए गए है)						

प्ररूप–चार

(नियम–3(9) और नियम–5 देखें)

कार्य के आरंभ/समाप्ति का नोटिस अथवा प्रतिष्ठान का बंद होना

1. पंजीकरण सं:
2. प्रतिष्ठान का नाम और पता:–
3. नियोक्ता का नाम और पदनाम (जिनका प्रतिष्ठान के मामलों के ऊपर अंतिम नियंत्रण है):–
4. पूर्ण पता जिस पर प्रतिष्ठान से संबंधित पत्राचार किया जाना है:–
5. प्रतिठान के कार्य की प्रकृति :–
6. कार्य आरंभ करने हेतु नोटिस के मामले में कार्य की अनुमानित अवधि :–
7. कार्य की समाप्ति/प्रतिष्ठान के बंद होने के मामले में, समाप्ति/बंद होने की तारिख :

मैं/हम एतद् द्वारा यह सूचित करता हूँ/करते है कि प्रतिष्ठान जिसका पंजीकरण संख्या .... है दिनांक ..... के कार्य आरंभ होने की संभावना है। .....(दिनांक)/..... (दिनांक) से प्रभावी होने की संभावना है।

कार्य समाप्ति के मामले में :

मैं/हम इस बात को प्रमाणित करता हूँ/करते है कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों को सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थो के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

प्ररूप–पांच

(नियम–6 देखें)

स्वास्थ्य परीक्षण

भाग–क (क्रम संख्या 1–11) : कर्मचारी द्वारा भरा जाना है:

1. कर्मचारी का नाम..... 2. लिंग .....

3. आयु (जन्म तिथि के साथ)..... 4. कंपनी .....

5. पदनाम ..... 5क. यूएएन .....

6. प्रभारी नियोक्ता/कार्यकारी संपर्क .....

7. पूरा व्यक्तिगत/संयंत्र का पता .....

8. मोबाईल/फोन ..... 9. ई–मेल .....

10. बीमारी (वर्तमान) उपचार और दवा, यदि कोई हो .....

11. रोजगार की प्रकृति (अधिक विवरण प्रस्तुत करें, यदि खतरनाक और काम से संबंधित है जैसे भौतिक, रसायनिक, जैविक, एर्गोनोमिक आदि) .....

दिनांक : कर्मचारी के हस्ताक्षर

————————

————————————————

भाग–ख:

12. किए गए चिकित्सा परीक्षण और रिपोर्ट अनुलग्नक के रूप में संलग्न की जानी चाहिए। नीचे दिए गए परीक्षणों की चिकित्सा अधिकारी की व्याख्या/राय (केवल असामान्य होने पर इंगित करने के लिए, संलग्न परीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए):

क. लंबाई, वजन, छाती, कमर की परिधि, बॉडी मास इंडेक्स : .....

ख. दृष्टि (नेत्र रोग विशेषज्ञ परीक्षण) :

एक – दाएं और बाएं दोनो आखों की दृष्टि स्पष्टता .....

दो – कलर विजन .....

ग. ब्लड प्रेशर .....

घ. कंप्लीट ब्लड काउंट .....

ड. ब्लड शुगर (उपवास/पीपीबीएस/एचबीए1सी).....

च. एसपीओ 2.....

छ. ब्लड यूरिया नाईट्रोजन (बी यू एन) .....

ज. एसजीओटी/एसजीपीटी .....

झ. लिपिड प्रोफाइल .....

ञ. ईएसआर .....

ट. थायराइड प्रोफाइल .....

ठ. एक्स–रे छाती आदि .....

ड़ ईसीजी .....

ढ़ अन्य यदि कोई हो .....

---

13. अंतिम निदान/राय/उपचार यदि कोई हो, योग्य चिकित्सक द्वारा सलाह .....

14. क्या व्यक्ति को दौरे से संबंधित विकार है या ऊंचाई पर काम करने में कठिनाइयां हैं? यदि हाँ, तो बचने के लिए कार्यो की व्याख्या करें:हां/नही/एनए/(लागू नही)

दिनांकः

योग्य चिकित्सक के हस्ताक्षर

मोहर

नोट : उपरोक्त सभी जानकारी आवेदक और जांच चिकित्सक के बीच अत्यधिक गोपनीय है। नियोक्ता या किसी अन्य एजेंसी/व्यक्तियों के साथ उपरोक्त को साझा करने की अनुमति केवल आवेदक/कर्मचारी से सहमति प्राप्त करने पर ही दी जाती है।

प्ररूप–पांच (क)

(नियम–6 देखें)

संहिता की धारा 2(यक) या धारा 82 के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार किसी योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा चिकित्सा जांच संचालित की जाएगी

क. जनसांख्यिकीय :

प्रश्न	उत्तर
दिनांक	
कर्मकार का नाम	
आयु	
स्थायी पता	
लिंग	
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या	
परिवार की कुल मासिक आय	
क्या कर्मचारी ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत है, यदि हां तो, आईपी संख्या उपलब्ध करायें।	
क्या कर्मचारी ईएमआई योजना के अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के अधीन है? (यदि हां, तो योजना का नाम उपलब्ध करायें)	

ख. व्यवसायिक इतिहास

प्रश्न	उत्तर	टिप्पणी
वर्तमान पदनाम		
कार्य प्रोफाइल		
वर्तमान कार्य प्रोफाइल में सेवा की अवधि		
प्रति पाली कार्य घंटे		
प्रति सप्ताह रात की पाली		
प्रति माह रात की पाली		

ग. चिकित्सा ब्यौरे की संक्षिप्त समीक्षाः पूर्व में रोग की पहचान की गई या वर्तमान में उपचाराधीन है या वर्तमान में निम्नलिखित से पीड़ित है

प्रश्न	उत्तर (हां/नही)	टिप्पणी
रक्तहीनता		
पीलिया		
दमा		
सीओपीडी		
किसी अन्य फेफड़े के रोग का इतिहास (यदि हां, तो कृपया निर्दिष्ट करें)		
सर घूमना/चक्कर आना		
मधुमेह संबंधी रोग		
उच्च रक्त चाप		
कोई कैंसर रोग (यदि हां, तो कृपया कैंसर का उल्लेख करें)		
पीठ के निचले भाग में दीर्घकालिक दर्द		
हॉथ या कुहनी में दीर्घकालिक दर्द		
हार्निया		
हाइड्रोसील		
अपस्फीत नस		
बवासीर		
कार्य के दौरान अंग–विच्छेद/फैक्चर/हड्डी या जोड़ का उखड़ जाने वाली चोट का इतिहास (यदि हां, तो कृपया उल्लेख करें)		
त्वचाशोध (यदि हां. तो जगह का उल्लेख करें)		
श्रवण दोष		
दृष्टि दोष		
पिछले 1 वर्ष से किसी बड़ी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हो (यदि हाँ, तो रोग का नाम)		
पिछले 1 वर्ष में व्यवसायजनित चोट : यदि हां, तो चोट का स्थान और उसकी बारंबारता का उल्लेख करें।		

घ. वर्तमान लक्षण–रोग मॉड्यूल

प्रश्न	उत्तर (हां/नही)	टिप्पणी
धूम्रपान की आदत		
चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला या गुटखा		
शराब की लत		
त्वचा रोग (इरिटेट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस/एक्जिमा/क्लोरेने/एलर्जिक कांटेक्टट डर्मेटाइटिस)		
रासायनिक अभिकर्ता या जैविक अभिकर्ता की प्रतिक्रिया के कारण आंख/नाक/ गला की जलन		
पली के आरंभ होते ही श्वसन संबंधी कठिनाई/सीने में जकड़न/सूखी खांसी जैसे लक्षण		
वर्तमान में टीबी से पीड़ित		
पीलिया या हेपेटाइटिस		
दृष्टिदोष से पीड़ित/ श्रवण दोष से पीड़ित		
कोई मौजूदा चोट (अंग–विच्छेद/फ्रैक्चर/हड्डी या जोड़ का उखड़ जाने वाली चोट)		

ड. शारीरिक जांच

जांच की तारीख :

प्रश्न	उत्तर (हां/नहीं) या यथा उपयुक्त	टिप्पणी
सामान्य त्वचा की स्थितिः (यदि कोई त्वचाशोध है, तो कृपया उसके स्थान का उल्लेख करें)		
भार (किलोग्राम में).		
कद (मीटर में)		
तापमान (फॉरेनहाइट)		
रक्तचाप		
नब्ज		
एसपीओ2		
श्वसन दर		

च. अन्वेषण रिपोर्ट

- **नियमित रक्त जांच : रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करें**
- **जीवनकाल में एक बार रक्त समूहन और आरएच टाइपिंग और एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस (रिपोर्ट हर साल होने वाले वार्षिक चिकित्सा परीक्षण के साथ संलग्न की जाएगी)**

मानदंड	उत्तर (सामान्य/वृद्धि/कमी)	मान
हीमोग्लोबिन %		
कुल डब्ल्यूबीसी गणना और अंतर गणनाः		
प्लेटलेट गणना		
ईएसआर		
एफबीएस		
पीपीबीएस		
एचबीए1 सी स्तर		
बीयूएन		
क्रिएटिनिन		
कुल प्रोटिन		
एल्बूमिन		
ग्लोबुलिन		
एसजीओटी		
एसजीपीटी		
बिलिरूबिन		
युरिन आरई		
युरिन एमई		
बलगम की जांच एएफबी हेतु		

छ. मानक छाती का एक्स रे (पी.ए) दृश्य : रिपोर्ट की छायाप्रति एक्स–रे फिल्म (भौतिक/डिजीटल) के साथ संलग्न करें।

दिनांक

मानदंड	उत्तर (सामान्य/असामान्य)	मान (यदि कोई महत्वपूर्ण है)
रिपोर्ट		

ज. नेत्र परीक्षणः रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करे

दिनांक :

मानदंड	मान / परिणाम / विवेचन
कॉर्नियल अपारदर्शिता / स्कारिंग आदि जैसे किसी भी व्यतिक्रम के लिए नेत्र का दृश्य निरीक्षण	
दृश्य तीक्ष्णताः दाय	
दृश्य तीक्ष्णताः बायां	
वर्ण दर्शन	
दृष्टि का दायरा	
बाइनोकुलरिटी	
लैटरल फोरिया	
वर्टिकल फोरिया	
एस्टीरिओएस्कोपिक विजन और डेप्थ पर्सेप्शन टेस्टिंग	

झ. 12–लीड ईसीजी : अंतिम रिपोर्ट :

ञ. दोनो कान के ऑडियोमेट्री रिपोर्ट :

दिनांक :

मानदंड	(सामान्य / असामान्य)	मान (यदि कोई महत्वपूर्ण है)
रिपोर्ट		

ट. स्पाईरोमेट्री रिपोर्ट :

दिनांक :

मानदंड	(सामान्य / असामान्य)	मान (यदि कोई महत्वपूर्ण है)
रिपोर्ट		

ठ. ऊंचाई पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट (जैसा लागू हो) :

ड. नियोक्ता और योग्य चिकित्सक द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति के रूप में किसी अन्य सूचना / जांच / जैविक जांच

योग्यता प्राप्त चिकित्सक का हस्ताक्षर

प्ररूप–छह

(नियम–7 देखें)

नियुक्ति पत्र

(एक) कर्मचारी का नाम

(दो) जन्म तिथि :

(तीन) पिता / माता का नाम :

(चार) आधार संख्या :

(पांच) प्रतिष्ठान की श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) :

(छः) यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) या बीमा संख्या (ईएसआईसी) (यदि उपलब्ध हो) :

(सात) पदनाम :

(आठ) कौशल की श्रेणी :

(नौ) कार्यभार ग्रहण की तिथिः

(दस) वेतन/मूल वेतन और महंगाई भत्ता :

(ग्यारह) आवास सहित अन्य भत्ते, जो भी लागू हो :

(बारह) उच्च वेतन या उच्च पद प्राप्त करने का अवसर :

(तेरह) सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) लाभों की प्रयोज्यता :

(चौदह) निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की व्यापक प्रकृति :

(पन्द्रह) कोई अन्य जानकारी :

हस्ताक्षर

अधिभोगी या नियोक्ता या मालिक या प्रबंधक

प्ररूप–सात

(नियम–8 देखे)

दुर्घटना या खतरनाक घटना की नोटिस

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता की कोड संख्याः

घायल व्यक्ति की ई.एस.आई.सी. बीमा संख्या :

1. नियोक्ता का नामः
2. कार्यस्थल/परिसर का पता जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी हैः
3. उद्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन श्रमिक पहचान संख्या
4. शाखा या विभाग और सटीक स्थान जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है
5. घायल व्यक्ति का नाम और पताः
6. (क) लिंग

   (ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर)

   (ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय
7. स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति संबद्ध हैः
8. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तिथि, पाली, और घंटाः
9. (क) घायल व्यक्ति ने दुर्घटना या खतरनाक घटना के दिन किस समय कार्य आरंभ किया थाः

   (ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के

   दिन के लिए उसे पूर्ण या आंशिक मजदूरी देय हैः
10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृतिः

    (ख) यदि मशीनरी के कारण यह घटना हुई तोः

    (एक) मशीन का नाम और उसके पुर्जे का नाम बताएं जिससे दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई हैः

    (दो) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय मशीन को शक्ति द्वारा चलाया गया थाः

    (ग) दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति क्या कर रहा थाः

    (घ) आपकी राय में, क्या घायल व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय–

(एक)उस पर लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहा थाः या

(दो) अपने नियोक्ता की ओर से या उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन कर कार्य कर रहा थाः या

(तीन) अपने नियोक्ता के अनुदेशों के बिना कार्य कर रहा था?

(ड) यदि (घ) एक, दो या तीन का उत्तर सकारात्मक या हां में है, तो उल्लेख करें कि क्या यह कार्य नियोक्ता के ट्रेड या व्यापार के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में था।

11. यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना नियोक्ता के वाहन में यात्रा करने के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या–

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से या कार्यस्थल के लिए यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था;

(ख) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता की व्यक्त या निहित अनुमति से यात्रा कर रहा थाः

(ग) नियोक्ता सार्वजनिक परिवहन सेवा की अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है जो नियोक्ता के साथ की गई व्यवस्थाओं के अनुसरण वाहन उपलब्ध कराता हैः और

(ग) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा की सामान्य कार्य प्रमाणी में परिचालन किया/नहीं किया जा रहा हैः

12. यदि आपातकालीन घटना के कारण दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित हुई, तो उल्लेख करें–

(क) इसकी प्रकृतिः और

(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति जहाँ दुर्घटना या खतरनाक

घटना घटी है उस परिसर में या आस–पास अपने नियोक्ता के व्यवसाय या व्यापार के प्रयोजनार्थ नियोजित था।

13. संक्षेप में वर्णन करें कि दुर्घटना या खतरनाक घटना कैसे घटीः

14. गवाहों का नाम और पता

(1)

(2)

15. (क) चोट की प्रकृति और उसकी गंभीरता (जैसे घातक, उंगली खोना,

पैर का फ्रैक्चर, स्कॉल्ड, स्कैच के बाद सेप्सिस आदि अथवा अन्य किसी प्रकार का संक्रमण)

(ख) चोट की जगह (जैसे दायां पैर, बायां हाथ, बायी आंख अथवा अन्य कोई भाग)

16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना

घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या

घायल व्यक्ति 48 घंटो से अधिक समय तक काम नहीं कर पा रहा था।

(ख) कार्य को वापसी की तारीख और समय

17. (क) चिकित्सक, औषधालय या अस्पताल जहाँ से

घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है:

(ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित औषधालय/पैनल चिकित्सक का नाम

18. (क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई?

(ख) यदि हॉ, मृत्यु की तारीख

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हर दृष्टि से सहीं है।

स्वामी/नियोक्ता/प्रबंधक/एजेंट का हस्ताक्षर और नाम तथा पदनाम

रिपोर्ट को प्रेषित करने की तिथि:

स्थान:

प्ररूप–आठ

(नियम–9 देखें)

रोग की सूचना

(1) नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक का नाम और पता

(2) प्रतिष्ठान का नाम और पताः

(3) प्रतिष्ठान की प्रकृतिः

(4) रोगी का विवरणः

(क) रोगी का नामः

(ख) रोगी की कामगार संख्याः

(ग) रोगी का पताः

(घ) रोगी का सटीक व्यवसाय :

(5) रोगी किस रोग से पीड़ित हैः

(6) रोग का पता लगने की तिथिः

(7) चिकित्सक का विवरणः

(8) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है–

तारीखः

नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–नौ

(नियम–26 देखें)

कार्य अवधि का नोटिस

प्रतिष्ठान का नाम.....स्थान.....जिला.....

कार्य समूह की अवधि, रिले	पुरूष												महिला												स्मूह का विवरण, कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
	नियोजित पुरूषो की कुल संख्या												नियोजित महिलाओं की कुल संख्या													
	क			ख			ग			घ			ड़			च			छ			ज				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

कार्य दिवसों में

से.....

तक.....

से.....

तक.....

से.....

तक.....

आंशिक कार्य दिवसों में

से.....

तक.....

से.....

तक.....

दिनांक, जब यह सूचना पहली बार प्रदर्शित की गई है:

प्रबंधक या एजेंट का हस्ताक्षर

दिनांक:.....

प्ररूप–दस

(नियम–27 देखें)

कर्मचारी रजिस्टर

(रजिस्टर इलेस्ट्रॉनिक रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकता है जिस में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

प्रतिष्ठान का नामः		
नियोक्ता/अधिष्ठाता का नामः		
श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)		
प्रतिष्ठान का नामः		
1.	कर्मचारी कोड	
2.	नाम	
3.	उपनाम	
4.	लिंग	
5.	पिता/पति/पत्नी का नाम	
6.	जन्म की तारीख	
7.	जन्म स्थान	
8.	राष्ट्रीयता	
9.	शैक्षणिक स्तर	
10.	नियुक्ति की तारीख	
11.	पदनाम	
12.	श्रेणी (अकुशल, अर्ध–कुशल, कुशल या अतिकुशल)	
13.	कर्मचारियों/कामगार का प्रकार	
14.	मोबाईल नंबर	
15.	सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)	
16.	पैन (पीएएन)	
17.	पीपीएफ संख्या	
18.	नामिती	
19.	ईपीएस/एनपीएस	
20.	परिवार का विवरण	
21.	तैनाती का विवरण	
22.	वेतनमान	
23.	पदोन्नति	
24.	ईएसआईसी बीमित व्यक्ति संख्या	
25.	आधार संख्या	
26.	बैंक खाता संख्या	
27.	बैंक	
28.	शाखा (आईएफएससी)	
29.	वर्तमान पता	

30.	स्थायी पता	
31.	सेवा पुस्तिका संख्या	
32.	निकासी की तिथि	
33.	निकासी का कारण	
34.	पहचान–चिन्ह	
35.	फोटो	
36.	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	
37.	टिप्पणियां	

प्ररूप–दस (क)

(नियम–27)

उपस्थिति रजिस्टर–सह–मस्टर रोल

(उपस्थिति रजिस्टर–सह–मस्टर रोल का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है जिससें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="15">माह के लिए.....वर्ष 20.....</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रतिष्ठान का नामः</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td colspan="2">नियोक्ता/स्वामी का नामः</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या/श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्रमांक संख्या</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कर्मचारी कोड</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>नाम</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पदनाम</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पाली</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>कार्य स्थल/अनुभाग/विभाग</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्रवेश और निकास की तिथि और समय</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="14">कार्य किए गए कुल दिनों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="14">कार्य किए गए समयोपरि घंटों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="14">कार्य स्थल के बाहर यात्रा या कार्य, यदि कोई हो तो उसका संक्षेप में ब्यौरा</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="14">रजिस्टर –प्रबंधक का हस्ताक्षर</td><td></td></tr>
</table>

प्ररूप–दस (ख)

(नियम–27 देखे)

वेतन, ओवरटाइम और कटौतियों के लिए रजिस्टर

(रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी रखा किया जा सकता है, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित विवरण शामिल है।)

प्रतिष्ठान का नामः		
नियोक्ता/स्वामी का नामः		
प्रतिष्ठान की पंजीयन संख्या /श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)		
dd/mm/yyyy से dd/mm/yyyy(महीने/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/पीस रेटेड) तक वेतन अविधि		
1.	क्रम संख्या	
2.	कर्मचारी कोड संख्या	
3.	नाम	
4.	पदनाम	
5.	मजदूरी दर	
	(क) मूल वेतन	
	(ख) डीए	
	(ग) अन्य भत्ते	
	(घ) कुल	
6.	कार्य किए गए दिनों की संख्या	
7.	समयोंपरि काम किए गए घंटे	
8.	कमाई गई मजदूरी राशि	
	(क) मूल वेतन	
	(ख) डीए	
	(ग) अन्य भत्ते	
	(घ) समयोपरि भुगतान	
	(ड़) कुल कमाई गई मजदूरी	
9.	कटौती	
	(क) ईपीएफ	
	(ख) ईएसआईसी	
	(ग) सोसायटी	
	(घ) आय कर	

	(ङ) बीमा	
	(च) अन्य भत्ते	
	(छ) जुर्माने की वसूली	
	(ज) नुकसान/क्षति की वसूली	
	कुल कटौती	
10.	कुल भुगतान	
11.	कर्मचारियों द्वारा रसीद / बैंक लेनदेन आईडी	
12.	भुगतान की तारीख	
13.	नियोक्ता/प्रतिनिधि के आद्याक्षर	
14.	टिप्पणी	

प्ररूप–दस (ग)

(नियम–27 देखें)

वेतन पर्ची

प्रतिष्ठान का नाम :				
पता :			अवधि :	
1.	कर्मचारी का नाम :			
2.	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम :			
3.	पदनाम :			
4.	यूएएन :			
5.	बैंक खाता संख्या :			
6.	वेतन अवधि :			
7.	देय वेतन की दर	(क) मूल वेतन	(ख) महंगाई भत्ता	(ग) अन्य भत्ते
8.	कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की इकाई			
9.	समयोपरि वेतन			
10.	देय सकल वेतन			
11.	कुल कटौती	(क) भविष्य निधि	(ख) ईएसआई	(ग) अन्य
12.	भुगतान किया गया निवल वेतन			

प्ररूप–ग्यारह

(नियम–29 देखें)

वार्षिक विवरणी

31 दिसम्बर को समाप्त वर्ष .....हेतु

व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 और इनके तहत् बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ऑन–लाइन भरे जाने हेतु एकल वार्षिक एकीकृत विवरणी

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

(1) इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को या उससे पहले समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

(2) यह विवरणी ठेका या श्रम–बल आपूर्तिकर्ता के मामले में, जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी नियोजित किए गए हों।

सभी प्रतिष्ठानों के लिए लागू–भाग– I

क. सामान्य सूचनाः

क्र. सं.			**कॉलम भरे जाने के लिए अनुदेश**
1.	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन), पंजीयन क्रमांक
2.	विवरणी की अवधि	.....से.....तक	अवधि कलेंडर वर्ष होना चाहिए
3.	प्रतिष्ठान का नाम		
4.	ई–मेल आईडी (नियोक्ता)		
5.	दूरभाष संख्या (नियोक्ता)		
6.	मोबाइल नम्बर (नियोक्ता)		
7.	परिसर का नाम		
8.	उप–मोहल्ला		
9.	जिला		
10.	राज्य		
11.	पिन–कोड		
12.	भू–निर्देशांक		
ख (क)	दिवस में कार्य घण्टे		
ख (ख)	पालियों की संख्या किसी पाली में घण्टो की संख्या		

ग. तैनात श्रमबल का ब्यौरा

ब्यौरा	सीधे नियोजित				ठेकेदार के माध्यम से नियोजित				कुल योग
कौशल श्रेणी	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध–कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध–कुशल	अकुशल	
1. वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पुरूष/महिला/उभय लिंगी (पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)
2. वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)
3. वर्ष के दौरान प्रवासी कर्मचारियों की अधिकतम संख्या ;औसत संख्या के आधार पर 59द्ध	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)
4. कार्यरत नियोजित अवधि के कर्मचारियों की संख्या	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)	(पु/म/अ)

घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण

क्र. सं.	एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम	नियोजित ठेका श्रमिक की संख्या
01.		

ड. प्रदान की गई विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	साविधिक (विधान निर्दिष्ट करें)	भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24(v) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ ठेका श्रमिक सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था
2.	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और ओएसएच संहिता, 2020	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहॉ पचास या अधिक कामगार कार्यरत है।

	की धारा 24 के अनुसार)		
2क	यदि उपरोक्त 2 नहीं उपलब्ध कराया गया है तो क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियम के तहत् शिशु गृह भत्ता दिया जाता है	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदर्भ नियम
3.	एम्बुलेंस कक्ष (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	कारखाना, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिनमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, पर लागू।
4.	सुरक्षा समिति (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22(1) के अनुसार)	वर्ष में हां या नहीं और लागू नहीं होने पर निशान लगाएं	500 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानो और बीओसीडब्ल्यू जिसमें 250 या उससे अधिक कारगार कार्यरत है।
5.	सुरक्षा अधिकारी (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22(2) के अनुसार)	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	सामान्य कारखाना के मामले में 500 या अधिक कामगारों और खतरनाक कारखानों के मामले में 250 या अधिक कामगारो और बीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, के लिए लागू।
6.	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 12(2) के अनुसार)	नियुक्त योग्यता प्राप्त चिकित्सक की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित न्यूनतम चिकित्सक की संख्या हेतु कोई निर्देश नहीं है

च. औद्योगिक संबंध			**भरने हेतु अनुदेश**
1.	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (आईआर संहिता , 2020 की धारा 3)	हाँ/नहीं और लागू नहीं	औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार कार्यरत हैं
(क)	उसके गठन की तारीख		
2.	क्या सुरक्षा निवारण समिति का गठन किया गया है (आईआर संहिता, 2020 की धारा 4)	हाँ/नहीं और लागू नहीं	20 या अधिक कामगारो को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान
3.	प्रतिष्ठान में पंजीकृत यूनियनों की संख्या		
4.	क्या कोई एकल समझौता संघ मौजूद है (आईआर संहिता , 2020 की धारा 14)	हाँ/नहीं	
5.	क्या किसी भी वार्ता परिषद का गठन किया गया है (आईआर संहिता , 2020 की धारा 14)	हाँ/नहीं	
6.	वर्ष के दौरान बर्खास्त किए गए, पदच्युत किए गए, छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या		

	बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए,	बर्खास्त किए गए/सेवा समाप्त किए गए या हटाए गए	कुल योग	

7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रम दिवस				
क्र. सं.	कारण	अवधि/दिनांक	व्यर्थ गए श्रम दिवसों की संख्या		
(क)	हड़ताल				

(ख)	तालाबंदी				
8.	छंटनी/कामबंदी का ब्यौरा				
क्र. स.	अवधि के दौरान छंटनी किये गये व्यक्तियों की संख्या	छंटनी किए गए कर्मचारियो को किए गए भुगतान का ब्यौरा	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रम दिवसों की संख्या	300 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है।
1.					
2.					

छ. प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित ब्यौरा :				
क्र. स.	महिला कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियो की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों की मजदूरी में कटौती, यदि कोई हो, की संख्या
1.				
2.				

ज. बोनस भुगतान का विवरणः			
क्र. स.	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि	बोनस भुगतान की तिथि

झ. दुर्घटनाओ, खतरनाक घटनाओं और सूचनीय बीमारियो का ब्यौराः				
क्र. स.	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके कारण घायल	ओएसएच संहिता 2020 की धारा 10 के	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 11	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ

	व्यक्ति को ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।	अनुसार घातक दुर्घटनाओ की कुल संख्या और मृतकों के नाम।	के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओ की कुल संख्या	ओएसएच संहिता, 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सूचनीय बीमारियों के मामलों की कुल संख्या।

ञ. दुर्घटनाओ, खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रम दिवस और उत्पादन :

क्र. स.	दुर्घटना/खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रम दिवस	खोया हुआ उत्पादन

भाग–दो

[नियम–29 देखें]

31 दिसम्बर ..... को समाप्त अवधि

(प्रधान नियोजक द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए)

1. प्रधान नियोजक का नामः
2. प्रतिष्ठा का नामः
3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या (एलआईएन):
4. ठेकेदारों, भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा, आदिः

सं. क्र.	माह	ठेकेदारों का नाम और पता	ठेकेदार का एलआई एन	कार्य का नाम	नियोजित ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के अनुसार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस आदि सहित)	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के भुगतान की तारीख	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी की राशि (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी के भुगतान की तारीख (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	टिप्पणियां

प्रधान नियोजक के हस्ताक्षर

प्ररूप–ग्यारह (क)

(नियम–53 देखें)

(श्रमायुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अर्ध वार्षिक विवरणी (जनवरी से जून/ जुलाई से दिसम्बर))

1. ठेकेदार का नाम और पताः
2. प्रधान नियोक्ता का नाम और पता तथा एलआईएनः
3. ठेकेदार का एलआईएनः
4. ठेकेदार के लाइसेंस की संख्या (यदि लागू हो):
5. स्थान/स्टेशन के साथ ठेका कार्य का नामः
6. ठेका कामगारों की संख्या, भुगतान की गई मजदूरी आदि का विवरण :

सं. क्र.	माह	नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या	एक माह में भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि	समयोपरि	बोनस	प्रधान नियोक्ता से ठेकेदारा द्वारा प्राप्त मजदूरी विल की तारीख और राशि	ईएसआईसी की ईसीआर सख्या	ईपीएफ की ईसीआर संख्या	यथा स्वीकार्य रूप में माह की 7 तारीख या देय तिथि तक भुगतान की गई मजदूरी हां/नहीं	टिप्पणी
1	जनवरी									
2	फरवरी									
3	मार्च									
4	अप्रैल									
5	मई									
6	जून									

तारीख :

ठेकेदार का हस्ताक्षर

प्ररूप–बारह

(नियम–30 देखें)

दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर

घायल / मृत व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो)	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की तारीख	निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को रिपोर्ट किए जाने की तारीख	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की प्रकृति	घायल व्यक्ति की कार्य वापसी की तारीख	घायल व्यक्ति के कार्य पर अनुपस्थित होने के दिनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप–तेरह

(नियम–31 देखें)

मजदूरी के साथ छुट्टी के लिए रजिस्टर

भाग एक वयस्क

भाग–दो–किशोरियाँ

प्रतिष्ठानः

कामगार का नाम :

विभाग : पिता का नाम :

स.क्र.	रजिस्टर में कामगारों की क्र.सं.	सेवा में प्रविष्ट की तारीख	व्यवधान					प्रभाव से अवकाश	क्या अगले 12 महीनों के दौरान छुट्टी वांछित नही है	वह तिथि जिस में कामगार को छुट्टी दी जाती है	दी गई छुट्टी की मजदूरी	डिस्चार्ज किए गए कर्मचारी		टिप्पणी
			बीमारी और दुर्घटनाएं	प्राधिकृत छुट्टी	तालाबंदी या कानूनी हड़ताल	अनैच्छिक बेरोजगारी	अन्य					डिस्चार्ज की तिथि	देय छुट्टी के बदले भुगतान की तिथि और राशि	
(1)	(2)	(3)	(4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

नोटः– प्रत्येक कामगार को अलग पेज आबंटित किया जाएगा

प्ररूप–चौदह

(नियम–39 देखे)

रात की पाली में काम करने के लिए महिला कर्मचारियों की सहमति

प्रतिष्ठान का नाम	
नियोक्ता का नाम	
महिला कर्मचारी का नाम	
महिला कर्मचारी का पदनाम	
प्रभारी पर्यवेक्षक का नाम	
रात्रि पाली में कितनी महिलाए काम कर रही हैं	
रात्रि पाली की कार्यावधि	..... बजे से ..... बजे तक
उपलब्ध परिवहन सुविधाएं	
अन्य सुरक्षा समस्या	
आपात स्थिति के लिए संपर्क नंबर	
गंभीर बीमारी (यदि कोई हो, तो विवरण दें)	
महिला कर्मचारी के हस्ताक्षर	
पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर	

दिनांक .....

नियोक्ता/अधिभोगी/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–पन्द्रह

(नियम 43, 62 और 72 देखे)

लाइसेंस के लिए आवेदन

लाइसेंस/लाइसेंस का नवीकरण/लाइसेंस में संशोधन (कॉमन/सिंगल लाइसेंस सहित) के लिए ऑनलाइन आवेदन
प्रतिष्ठान की रूपरेखा : पंजीयन क्रमांक श्रम पहचान संख्या..... दिनांक
पावती सं. ..... आवेदन की तिथिः .....
एक. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है :
1. प्रतिष्ठान का नामः
2. प्रतिष्ठान का पता
(क) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का पताः
(ख) ईमेल सहित निगमित कार्यालय का पताः
3. दूरभाष संख्याः
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलापः (दिए गए सभी लागू कार्यकलापों को चुनें)
5. चयनित एनआईसी संहिता का ब्यौराः
6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृतिः
7. प्रतिष्ठा का पहचानकर्ताः (चुनें): ई–हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर
दो. नियोक्ता का ब्यौरा
1. नियोक्ता का पूरा नामः ..... प्रतिष्ठान के साथ संबंध
2. नियोक्ता का पूरा पता :
3. नियोक्ता की ईमेल आईडी :
4. नियोक्ता का मोबाइल नंबरः

तीन. नियोजित होने वाले/नियोजित ठेका श्रमिकों का विवरण (यदि लाइसेंस कार्यवार अपेक्षित है)

कार्यक्षेत्रों का स्थान	कार्य का नाम	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ की तिथि	पूरा होने की तिथि	प्रतिष्ठान का नाम जिसमे ठेका श्रमिक नियोजित हैं/होने के लिए प्रस्तावित हैं	साइट प्रभारी का नाम, पता, ईमेल आईडी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. किसी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्याः 24
6. लाइसेंस शुल्क की राशिः **आईएनआर** **(लेनदेन आईडीः)**
7. सुरक्षा जमा राशिः **आईएनआर** **(लेनदेन आईडीः)**

चार. प्रतिष्ठानों का ब्यौरा जिनके लिए कॉमन लाइसेंस अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्थाई प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

पांच. प्रतिष्ठानों का ब्यौरा जिसके लिए एकल लाइसेंस अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)						
राज्य का नाम जहाँ प्रतिष्ठान स्थित है	प्रत्येक कार्य का नाम	श्रमिकों की अधिकतम संख्या जिन्हें नियोजित किया जाएगा / नियोजित हैं	आरंभ की तिथि	स्थाई प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	नियोजित / नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम सख्या	पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

छः. कारखाने के लिए

1. प्रतिष्ठान का नाम	2. निर्माण प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की प्रकृति				
	2 क	2 ख	2 ग	2 घ	2 ङ
	पिछले बारह महीनों में कारखाने में ले जाने के लिए (पहले से मौजूद कारखानों के मामले में); तथा	अगले बारह महीनों के दौरान कारखाने में ले जाने के लिए (में सभी कारखानों का मामला);	क्या इसमें खतरनाक प्रक्रिया शामिल है (विवरण दें);	क्या इसमें कोई खतरनाक संचालन शामिल है (पूर्ण या आंशिक रूप से) (विस्तार से बतायें);	क्या कोई रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, संभाला जाता है, संग्रहीत किया जाता है या वहाँ संसाधित किया जाता है।

3. पिछले बारह के दौरान निर्मित प्रमुख उत्पादों के नाम, मात्रा और मूल्य			
स.क्र.	नाम	मात्रा	मूल्य
1			
2			

4. कामगारों का विवरण (बिजली पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के अलावा)		
4 (क) वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित श्रमिकों की अधिकतम संख्या।	4 (ख) पिछले बारह महीने के दौरान किसी एक दिन में कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या (पहले से मौजूद कारखानों के मामले में)।	4 (ग) कार्यकर्ता की संख्या होना चाहिए आमतौर पर कारखाने में कार्यरत।

5. संस्थापित / स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की प्रकृति (किलोवाट / मेगावाट में) .....

5 (क) स्थापित पावर (किलोवाट/मेगावाट में)	5 (ख) बिजली स्थापित करने का प्रस्ताव

6. विद्युत उत्पादन की प्रकृति (कैप्टिव पावर प्लांट सहित)			
6 (क) क्षमता (किलोवाट/मेगावाट में)	6 (ख) वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित श्रमिकों की अधिकतम संख्या।	6 (ग) पिछले बारह महीनों के दौरान किसी एक दिन में कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या (पहले से मौजूद कारखानों के मामले में)।	6 (घ) कारखाने में सामान्यतया नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या।

(7) अधिभोगी का पूरा नाम और आवासीय पता, अर्थात्			
(क) किसी निजी फर्म के या प्रतिष्ठान के मामले में कारखाने के भागीदार/मालिक	(ख) कंपनी या फर्म के मामले में निदेशक	(ग) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले कारखाने के मामले में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कारखाने के मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति।	मालिक का पूरा नाम और परिसर या भवन का पता (उसकी सीमा को सम्मिलित करते हुये)
7 (क)	7 (ख)	7 (ग)	(8)

9. उस व्यक्ति का पूरा नाम और आवासीय पता जो संहिता के प्रयोजनों के लिए कारखाने का प्रबंधक होगा।

(10) राज्य सरकार द्वारा पुराने या नए भवन और कारखाने के निर्माण या विस्तार के लिए संदर्भ संख्याओं और अनुमोदन /साइट के आबंटन की तारीखे।	(11) व्यापार अपशिष्ट और अपशिष्ट के निपटान के लिए की गई व्यवस्थाओं के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तारीख, यदि कोई हो और इस तरह की मंजूरी देने वाले प्राधिकरण का नाम।	(12) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, छत्तीसगढ़ द्वारा योजनाओं के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तारीखें।	(13) मुख्य निरीक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा ऑनसाइट आपातकालीन योजनाओं के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तारीखें

सात. बीड़ी और सिगार के लिए (बीड़ी सिगार कर्मचारियों का विवरण ऑनलाइन भरा जाएगा)

नियोक्ता के वित्तीय संसाधन जैसे (चल और अचल संपत्तियों का विवरण और मूल्य, बैंक संदर्भ, आयकर निर्धारण आदि।)	क्या नियोक्ता ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क धारक है?	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक परिसर में निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों का मूल्य	उद्योग में आवेदक का पिछला अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)

क्या औद्योगिक परिसर का प्रस्तावित स्थल किसी मौजूदा औद्योगिक परिसर के स्थल के परिवर्तन के बराबर है और यदि हां तो ऐसे परिवर्तन के कारण	क्या कोई औद्योगिक परिसर आवेदक द्वारा आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह महीनें की अवधि के दौरान बंद किया गया था और यदि हां, तो उसके कारण	तंबाकू प्राप्त करने का स्त्रोत	क्या बीड़ी या सिगार या दोनों का निर्माण स्वयं द्वारा या किसी प्रोपराइटर या ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क के पंजीकृत माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेचा जाएगा।	क्या परिसर की योजनाएं संलग्न है.....
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

<u>लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन</u>
1. लाइसेंस संख्याः दिनांकः
2. एलआईएन और पैन :
3. प्रतिष्ठान का नाम और पताः
4. पूर्व लाइसेंस की समाप्ति की तिथिः
5. क्या नियोक्ता/ठेकेदार का लाइसेंस स्थगित किया गया थाः
6. जमा किए गए शुल्क का व्यौराः (ई भुगतान की रसीद संलग्र करें) : राशि..... भुगतान की तारीख
नियोक्ता/अधिभोगी/ठेकेदार का ई हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक :

लाइसेंस के संशोधन के लिए आवेदनः
1. लाइसेंस संख्याः दिनांकः
2. एलआईएन और पैन :
3. प्रतिष्ठान का नाम और पताः
4. विवरण जिसके लिए संशोधन मांगा गया है :
(क) वर्तमान में नियोजित कामगारों के अधिकतम संख्या : (नियोजित होने वाले कामगारों की अधिक संख्या में बढ़ोतरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त शुल्क/सुरक्षा जमा भरने की आवश्यकता होगी) :
(ख) ई भुगतान के माध्यम से किए गए शुल्क के भुगतान का तारीख सहित ब्यौरा
(ग) जारी किए गए लाइसेंस में संशोधन की अपेक्षा करने का अन्य विवरण (अपेक्षित संशोधन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाएं)

नियोक्ता/अधिभोगी/ठेकेदार का ई–हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर
दिनांक
स्थान

प्ररूप–सोलह

(नियम–45 देखें)

लाइसेंस का प्रोफॉर्मा

लाइसेंस संख्या. .....

पंजीकरण संख्या ..... पंजीकरण की तारीख. .....

..... को एतद्वारा लाइसेंस दिया जाता है

जिसे ..... परिसर के रूप में जाना जाता है

जो..... में स्थित है।

कार्य की प्रकृति .....

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के उपबंधों और उसके तहत् बनाए गए नियमों के अधीन, इसके बाद बताई गई सीमाओं के भीतर एक प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग हेतु।

.....20.. जारी करने वाला प्राधिकारी

क्रम संख्या	जारी करने की अवधि	के लिए वैध किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या	शुल्क	भुगतान की तारीख	विलंब से भुगतान के लिए अतिरिक्ति शुल्क	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

संशोधन :

संशोधित किए जाने का वर्ष	किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या	संशोधन शुल्क के भुगतान की तारीख	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नामोदिष्ट प्राधिकारी के ई–हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप–सत्रह
(नियम–55 देखें)
ठेका कर्मचारी का अनुभव प्रमाणपत्र

जिससे भी सबंधित हो
1. ठेकेदार/नियोक्ता का नाम* :
2. ठेकेदार/नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या* :
3. ठेकेदार/नियोक्ता की ई–मेल आईडी* :
4. ठेका/नियोक्ता की मोबाइल संख्या* :
5. कार्य की प्रकृति और स्थान :
6. मुख्य नियोक्ता का नाम* :
7. मुख्य नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या.* :
8. मुख्य नियोक्ता की ई–मेल आईडी* :
9. मुख्य नियोक्ता की मोबाइल संख्या* :
10. कामगार का नाम* :
11. यूएएन /आधार संख्या :
12. मोबाइल संख्या :
13. कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या :
14. बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम यदि भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है :
15. रोजगार की अवधि :
16 पद :

ठेकेदार की मुहर सहित हस्ताक्षर

*जो भी लागू न हो वो काट दें।

प्ररूप–अठारह

(नियम–60 देखें)

निर्माता और श्रव्य–दृश्य कर्मकार के मध्य अनुबंध

प्रथम पक्ष मैसर्स .....कार्यालय में आज दिनांक.....माह .....वर्ष (इसमें इसके पश्चात् निर्माता के रूप में निर्दिष्ट है) अनुबंध किया जाता है और दूसरे पक्ष श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....(इसमें इसके पश्चात् 'श्रव्य–दृश्य कर्मकार' के रूप में निर्दिष्ट है) ..... निवासरत है, शब्द 'निर्माता' और 'श्रव्य–दृश्य कर्मकार' में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासन और कानूनी प्रतिनिधि में शामिल होंगे, के मध्य यह अनुबंध किया जाता हैः–

अतएव, यह अनुबंध इस प्रकार है :–

1. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुबंध की अवधि श्रव्य–दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह अवधि .....अनुगामी महीनों से अधिक नहीं होगी।

2. यह कि श्रव्य–दृश्य कर्मकार स्टूडियों, स्थान या कार्य स्थल में निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, उसकी पिछली कार्य की आवश्यकता के अधीन और उसकी सहमति पर, उसके संबंधित कार्य पर यथासमय, जब उसकी आवश्यकता होगी, उपस्थित होने के लिए सहमत होता है।

3. यह कि पूर्वोक्तानुसार श्रव्य–दृश्य सेवाओं के प्रतिफल का, निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत हैं और इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और श्रव्य–दृश्य कर्मकार .....रूपये (रूपये.....) की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत है और समान किश्तों में.....रूपये का अग्रिम शेष रूपये . .....देय है।

4. यह कि श्रव्य–दृश्य निर्माण कार्य की स्थिति में, निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होने पर और निर्माता को अभी भी श्रव्य–दृश्य कर्मकार की सेवाएं आवश्यक है, ताकि श्रव्य–दृश्य निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके और निर्माता, भुगतान करने के लिए सहमत है तथा श्रव्य–दृश्य कर्मकार आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उत्पादन के पूरा होने तक, ऊपर दिए गए खंड 3 में यथा वर्णित रीति में देय होगा।

5. यह कि उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि की तुलना में श्रव्य–दृश्य कर्मकार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है, तो निर्माता, श्रव्य दृश्य कर्मकार का पूर्ण भुगतान करेगा तथा री–रिकॉर्डिंग कार्य/सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।

6. यह कि यदि आवश्यक हो तो श्रव्य–दृश्य कर्मकार, जैसी भी स्थिति हो, प्रारंभिक कार्य के लिए पूर्व की पाली में निर्धारित समय से पहले स्टूडियो, स्थान या कार्य–स्थान में आना और उस स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा ऐसी प्रारंभिक उपस्थिति के लिए प्रति घंटे या उसके भाग के लिए रूपये..... की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

7. यह कि यदि वह एक घंटे के विराम के साथ, कार्यदिवस से परे निरंतर काम करना जारी रखता है और उस स्थिति में, निर्माता द्वारा सुविधाओं के अतिरिक्त घंटो के दौरान काम के लिए उसे रूपये.....की दर से मजदूरी का भुगतान और जलपान और परिवहन सुविधा प्रदान किया जाएगा।

8. यह कि निर्माता और श्रव्य–दृश्य कर्मकार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत अथवा तय किये अनुसार निर्माता, डयूटी पर आने पर परिवहन और भोजन अथवा यात्रा भत्ते का भुगतान और डयूटी या भोजन भत्ते उपलब्ध करायेगा।

9. यह कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्चों, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्ते का भुगतान करेगा, जब श्रव्य–दृश्य कर्मकारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक हो।

10. यह कि इस अनुबंध के अंतर्गत, निर्माता को श्रव्य–दृश्य कर्मकार को उसके रोजगार और/या कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए उसका बीमा कराना होगा।

11. यह कि जहाँ आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे, किसी अन्य कारण से, निर्माता को श्रव्य–दृश्य के निर्माण कार्य करने से रोका जाता है :–

(क) निमार्ण कार्य के स्थगित होने की स्थिति में, निर्माण कार्य के स्थगन की अवधि के दौरान, वह इस अनुबंध के प्रचालन को स्थगित करने का हकदार होगा। निर्माता, श्रव्य–दृश्य कर्मकार पर इस तरह के स्थगन के बारे में लिखित में सूचना देने का कार्य करेगा और ऐसी सूचना की तामिली की तारीख तक अपने ऊपर संभव देयकों का भुगतान करेगा। फिल्म पर कार्य पुनः शुरू करने पर, यह अनुबंध पुनर्जीवित हो जाएगा और स्थगित अवधि को छोड़कर, खंड–1 में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से निर्माण कार्य बंद होने की स्थिति में, निर्माण कार्य की समाप्ति से इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता, श्रव्य–दृश्य कर्मकार पर इस तरह की समाप्ति की लिखित में सूचना देने के लिए एक सूचना जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य–दृश्य कर्मकार के सभी राशि का भुगतान करेगा।

12. यह कि यदि निर्माता, इस अनुबंध के अधीन श्रव्य–दृश्य कर्मकार के कर्तव्यों के निष्पादन या आवश्यक सेवाओं को करने की अनिच्छा के संबंध में, अन्य कारणों से अपने कार्यावधि की समाप्ति से पहले इस अनुबंध को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता, केवल अनुबंध की निर्धारित राशि की शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य–दृश्य कर्मकार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य–दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा।

13. यह कि निर्माता के पास, इस अनुबंध के अधीन श्रव्य–दृश्य कर्मकार के कर्तव्यों के निष्पादन या आवश्यक सेवा करने की अनिच्छा के संबंध में, श्रव्य–दृश्य कर्मकार की कदाचार के आधार पर, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य–दृश्य कर्मकार को भुगतान, श्रव्य–दृश्य कर्मकार के ऑडियो–विजुअल में कुल कार्य, और अनुबंध के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को, ध्यान में रखते हुए गणना कर, इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। इस खंड के तहत् समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि श्रव्य–दृश्य कर्मकार के विरूद्ध निर्माता के आरोपों को निर्माता संगठन एवं श्रव्य–दृश्य कर्मकार संगठन, जिससे निर्माता और श्रव्य–दृश्य कर्मकार क्रमशः संबंधित हो, के प्रतिनिधियों की बराबर संख्या वाली फोरम में साबित न कर दिया जाये। फोरम का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य दृश्य कर्मकार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता, इस अनुबंध के अन्तर्गत कार्य के लिए किसी अन्य श्रव्य–दृश्य कर्मकार को संलग्न कर सकता है।

14. यह कि इस अनुबंध के पूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य–दृश्य कर्मकार के काम को श्रव्य–दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा कि श्रव्य–दृश्य कर्मकार फिल्म के क्रेडिट टाईटल पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

15. यह कि निर्माता के पास, स्क्रीन पर श्रव्य–दृश्य कर्मकार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका, उसके कपडे, मेकअप और हेयर स्टाईल पूरी तरह से तय करने का अधिकार होगा, और श्रव्य–दृश्य कर्मकार, इस संबंध में निर्माता के निर्देशों का पूर्णतः और स्वेच्छापूर्वक से पालन करेंगे,

बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को, श्रव्य–दृश्य कर्मकार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

16. यह कि श्रव्य–दृश्य कर्मकार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता से इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी, जैसे कि निर्माता था जैसा कि श्रव्य–दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

17. यह कि निर्माता को सभी यात्रा और आवास खर्च, किराए, भोजन की लागत और ऐसे अन्य भत्तों, जो प्रथागत होते हैं, का भी भुगतान करना होगा, जब श्रव्य–दृश्य कर्मकार को स्थान पर कार्य करना अपेक्षित किया जाता है।

18. इस अनुबंध के अधीन निर्माता को श्रव्य–दृश्य कर्मकार को उसके रोजगार और/उसके कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए उसका बीमा कराना होगा।

19. जहाँ निर्माता को आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से श्रव्य–दृश्य के प्रोडक्शन को आगे बढ़ने से रोका जाता है :–

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में, उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान, उसे इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख तक अपने सभी भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड 1 में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य–दृश्य कामगार के सभी राशि का भुगतान करेगा।

20. यदि निर्माता इस समझौते के तहत् आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य–दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य–दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य–दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

21. निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत् आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य–दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य–दृश्य कामगार को भुगतान, श्रव्य–दृश्य कामगार के ऑडियो–विजुअल में कुल काम और इस समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। इस खंड के तहत् समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य–दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य–दृश्य शामिल है क्रमशः श्रव्य–दृश्य कामगार हो सकता है। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य–दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य–दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

22. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य–दृश्य कामगार के काम को श्रव्य–दृश्य कामगार के काम को श्रव्य–दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य–दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

23. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य–दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, उसके कपड़े, मेकअप और हेयर–स्टाइल और श्रव्य–दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य–दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

24. यह कि श्रव्य–दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी श्रमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता या जैसा कि श्रव्य–दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते है।

25. यह कि श्रव्य–दृश्य कर्मकार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल के सभी विनियमों का, जैसी भी स्थिति हो, का पालन करेगा।

26. यह कि निर्माता, श्रव्य–दृश्य कर्मकार के लिखित रूप में सहमति के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को इस अनुबंध के लाभ को न ही सौपेंगे और न ही स्थानांतरण करेंगे।

27. यह कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान, इस अनुबंध पर लागू होंगे।

28. यह कि निर्माता, श्रव्य–दृश्य कर्मकार की पूर्व अनुमति के बिना, इस अनुबंध के तहत् श्रव्य–दृश्य कर्मकार के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य–दृश्य कर्मकार के कार्य का उपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों ने एक–दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तिथि, माह और वर्ष पर इस अनुबंध को स्वीकार किया है।

1. साक्षी निर्माता नाम और पता.....

2. साक्षी श्रव्य–दृश्य कर्मकार नाम और पता.....

प्ररूप–उन्नीस

(नियम–64 देखें)

बीड़ी कार्य के लिए लाइसेंस का प्ररूप

लाइसेंस संख्या ––––––––––––––––––

पंजी. क्र. –––––––––––––––––––– पंजीकरण की तारीख ––––––––––––

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के प्रावधानों और उसके तहत् बनाए गए नियमों के अधीन, इसके बाद यहां बताई गई सीमाओं के भीतर एक प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए स्थित परिसर के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ––––––––––––––––20....

जारी करने वाला प्राधिकारी

स.क्र.	जारी करने की अवधि	तक मान्य	किसी एक दिन में कर्मचारियों/कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	शुल्क	शुल्क भुगतान की तिथि	देर से भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क	भुगतान की तिथि

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

संशोधन :

वर्ष जब संशोधित	किसी एक दिन में कर्मचारियों/कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	संशोधन शुल्क के भुगतान की तिथि	भुगतान की तिथि

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–बीस

(नियम–70 देखें)

औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी के पत्तों को गीला करने या काटने के उद्देश्य से बीड़ी के पत्ते उपलब्ध कराने की अनुमति के लिए एक आवेदन

प्रति,

श्रम अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त,

जिला – ..... छत्तीसगढ़

विषय– औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी के पत्तों को गीला करने या काटने के उद्देश्य से बीड़ी के पत्ते उपलब्ध कराने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

आदरणीय महोदय,

मैंने यहां यह घोषणा की है कि, निम्नलिखित कर्मचारीः–

स.क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पता	लिंग (पुरूष/महिला/उभयलिंगी)	कर्मचारी की उम्र	अनुमति की अवधि (माह एवं वर्ष)	
				से	तक

मेरे कर्मचारी हैं जिन्हें मैं अपने औद्योगिक परिसर के बाहर गीला करने और काटने के उद्देश्य से बीड़ी के पत्ते दे रहा हूँ, मैं यहाँ प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ कि मेरे उपरोक्त कर्मचारियों की ओर से मेरे औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी के पत्ते लेने की अनुमति दी जाए। मैं सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप–इक्कीस

(नियम–70 देखें)

बाह्य कार्य का लेखा

औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करने की अनुमति हेतु शासकीय आदेश क्रमांक एवं दिनांक....

दिनांक	स्थान या जहाँ बाह्य कार्य की अनुमति थी	कार्य की प्रकृति	कर्मकार की प्रकृति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररूप–बाईस

(नियम–71 देखें)

योजनाओं के अनुमोदन के लिए और किसी भी भवन के निर्माण/विस्तार/या कारखाने के रूप में उपयोग करने की अनुमति के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम .....
2. आवेदक का पता जिस पर वह इस संबंध में सूचित करना चाहता है.....
3. आवेदक की आधार संख्या.....। पैन कार्ड नंबर.....
4. कारखाने का पूरा नाम और डाक पता.....
5. कारखाना जहाँ स्थित है/स्थित किया जाने वाला है उस स्थान सड़क/रेलवे की स्थिति..... .....नगर/ग्राम.....तहसील.....जिला.....
6. विनिर्माणी प्रक्रिया :–
   (क) (यदि कारखाना नया है) की जायेगी/(यदि कारखाना विद्यमान है).... जा रही है। (ब्यौरे दीजिये).....
   (ख) क्या इसमें धारा 2(यक) के अधीन परिभाषित किए गये अनुसार ''परिसंकटमय प्रक्रिया'' सम्मिलित हैं? (ब्यौरे दीजिए).....
   (ग) क्या इसमें धारा 82 के अधीन घोषित किए गये अनुसार कोई खतरनाक प्रक्रिया पूर्णतः या आंशिक रूप से सम्मिलित है (ब्यौरे दीजिए).....
   (घ) यदि (ख) एवं (ग) के लिये हां है तो क्या सुसंगत अनुसूची के अनुसार बनाई जाने वाली प्रतिष्ठानों/व्यवस्थाओं को योजना में सम्मिलित कर लिया गया है? .....
7. (क) कारखाने में नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की संख्या.....
   (ख) क्या संहिता और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सभी कर्मकारों के लिए अपेक्षित साधन और सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में योजना में सोच विचार कर लिया गया है?
8. (क) क्या संयंत्र में किसी प्रकार की लिफ्ट/होईस्ट/लिफ्टिंग मशीनें स्थापित/ स्थापित की जाने वाली है? (ब्यौरे दीजिए).....
   (ख) यदि (क) के लिए ''हां'' है तो क्या संहिता और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार व्यवस्था के संबंध में योजना में सोच विचार कर लिया गया है? (ब्यौरे दीजिए).....
9. (क) क्या किसी कर्मकार से विभिन्न तलों पर या ऊंचाई पर, जहाँ से उसके गिर जाने की संभावना है या मशीनों या फिटिंग्स या सीमित स्थान गड्ढ़े या नाबदान के कारण संकुचित (कन्जेस्टेड) स्थल पर कार्य करने की अपेक्षा की जायेगी? (ब्यौरे दीजिए)..... ..
   (ख) यदि ऐसा है तो, क्या संहिता और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार पहुँच, बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था के उपबंध के बारे में योजना में सोच विचार कर लिया गया है? (ब्यौरे दीजिए).....

10. क्या खतरनाक धूम्र/गैस निष्कासित होने या उसका विस्फोट होने की कोई संभावना है? यदि हाँ तो क्या संहिता और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किए जाने वाले उपयुक्त इंतजाम की व्यवस्था के बारे में योजना में सोच विचार कर लिया गया है? (ब्यौरे दीजिए)

11. निर्माण हेतु कौन से पदार्थों का उपयोग किया है/किया जाएगा

(क) भवन हेतु (ब्यौरे दीजिए)....

(ख) छत के लिए (ब्यौरे दीजिए)....

12. नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रस्तुत की गई जानकारी की विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत की गई ड्राईंग की विशिष्टियाँ–

(1) .....

(2) .....

दिनांक :..... **अधिभोगी के हस्ताक्षर ई–हस्ताक्षर/डीएससी**

प्ररूप–तेईस

(नियम–71 देखें)

स्थायित्व का प्रमाणपत्र

1. कारखाने का नाम.....
2. ग्राम, नगर और जिला जिसमें कारखाना स्थित है. .....
3. कारखाने के डाक का पूरा पता.....
4. कारखाने के अधिभोगी का नाम.....
5. कारखाने में की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया का नाम.....
6. तलों की संख्या जिन पर कर्मकारों को नियोजित किया जाएगा.....
7. निर्माण सामग्री, दीवाल, छत वगैरह .....
8. भवनों/संरचनाओ की संख्या, ब्यौरा दीजिये .....
   (क) भू तल पर निर्मित क्षेत्रफल.....
   (ख) कुल निर्मित क्षेत्रफल तथा प्रत्येक तल की ऊंचाई.....
9. की गई जाँच :–
   (क) रिबाउन्ड हेमर टेस्ट –
   (ख) अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट–
   (ग) अन्य कोई टेस्ट, अर्थात् :–
10. स्टील स्ट्रक्चर व शीट की छतों की जाँच का ब्यौरा :–
    (क) ऊंची चिमनीः यह स्व–समर्थित हैं या तनावपूर्ण रस्सियों द्वारा बंधी हुई है, क्या तनाव रस्सियाँ/नींव बन्धन सुरक्षित और अच्छी स्थिति में हैं :
    (ख) स्टील स्ट्रक्चर संबंधी अन्य प्रेक्षणः यदि कोई है
    (ग) स्टील रूफ के स्थायित्व संबंधी अन्य प्रेक्षणः यदि उपलब्ध हों –
11. कमी/मरम्मत की आवश्यकता, यदि कोई है :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भवन/भवनों का, निरीक्षण किया है, जिनके की नक्शे मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उनके पत्र क्रमांक ..... दिनांक.....से अनुमोदित किये जा चुके हैं और उसके विभिन्न भागों की, जिसमें मशीनों, संयंत्रों आदि को जो वहाँ लगाए गये हैं विशेष संदर्भ में नीवों को सम्मिलित करते हुए जाँच की है। मेरी राय में, उक्त भवन मुख्य कारखाना निरीक्षक के उपरोक्त उल्लिखित पत्र द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसार निर्मित/पुनर्निमित/विस्तारित/उपयोग में लिया गया है/लिए गये हैं और यह कि उनकी संरचना मजबूत है और यह कि उनको.....के विनिर्माण, जिसके लिए मशीनरी, संयंत्र आदि का लगाया जाना आशयित है के लिए कारखाना/कारखाने के भाग की तरह उसका/उनका उपयोग करने में उसके/उनके स्थायित्व को खतरा नहीं होगा।

अधिभोगी के हस्ताक्षर.....
दिनांक .....

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
अर्हता .....
पता .....
दिनांक.....

मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक.....

यदि किसी कम्पनी या संगठन द्वारा नियोजित हो तो कम्पनी या संगठन का नाम और पता

प्ररूप–चौबीस

(नियम–75 देखें)

कारखाने चलाने की अनुज्ञप्ति

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत कारखाने के रूप में उपयोग के लिए –

अनुज्ञप्ति क्र. ..... रजिस्ट्रीकरण क्र. .....

(इस क्रमांक को कार्यालय में पत्राचार के दौरान अनिवार्य रूप से उल्लेख करें)

शुल्क भुगतान रू. .....

ई–चालान नं.	राशि	दिनांक

एतद्द्वारा ..... जिला स्थित ..... के अधिभोगी को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है (उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के प्रावधानों और उसके तहत् बनाए गए नियम और इसके साथ संलग्न शर्तों के अधीन)

केवल उपरोक्त स्थान पर परिसर के लिए मान्य (उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और नियमों के तहत् अनुमोदित योजना के अनुसार)।

(एक) कारखाने के रूप में उपयोग के लिए ..... (शब्दों में .....) श्रमिकों को वर्ष के दौरान किसी एक दिन में और ..... अश्वशक्ति (शब्दों में .....) जहाँ ..... की निर्माण प्रक्रिया के लिए उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

(दो) कारखाने के रूप में उपयोग के लिए ..... (शब्दों में .....) श्रमिकों को वर्ष के दौरान किसी एक दिन में और बिजली उत्पादन ..... मेगा वाट (शब्दों में .....) से अधिक नहीं है।

यह अनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर सन् 20.... तक प्रवृत्त रहेगी।

शेष राशि : .....

स्थान : .....

दिनांक : .....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः– इस प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता www.cglabour.nic.in पर सत्यापित की जा सकती है।

(यह अनुज्ञप्ति तैयार की जाएगी और कारखाने में प्रदर्शित की जाएगी और मांग पर कारखाना निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी)

(1) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर्याप्त शुल्क के लिए मूल चालान के साथ निर्धारित प्रारूप (उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के रूप में प्रारूप संख्या 17) में पिछले वर्ष के दिसंबर के पहले दिन या उससे पहले किया जाएगा। आवेदन देर से जमा करने पर निर्धारित लाइसेंस शुल्क का 25 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

नोटः– वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या की गणना के लिए उस दिन नियोजित श्रमिकों (सभी शिफ्टों में) की कुल संख्या और सभी एजेंसियों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को भी इस कुल संख्या में शामिल किया जाएगा।

(2) सभी शुल्क ई–चालान के माध्यम से निम्नलिखित ..... लेखा शीर्ष के तहत् कोषागार में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे। रसीदें उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत् इस शीर्ष को सभी ई–चालान प्ररूपों पर सही ढंग से पुनः पेश करने के लिए यह कि ट्रेजरी या बैंक की मुहर स्पष्ट रूप से चिपकाई गई है ध्यान रखा जाएगा।

(3) उसमें किसी भी संशोधन को प्रभावी करने के लिए एक डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करने का शुल्क नियमों में निर्धारित है।

प्ररूप–पच्चीस

(नियम–81 देखें)

फिटनेस का प्रमाणपत्र

सरल क्रमांक ..... परीक्षण का दिनांक...../...../.....

कर्मकार का नाम .....

आयु.....वर्ष..... लिंग.....आधार क्रमांक .....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

कारखाने/संस्थान का नाम, जहाँ वह नियोजित होना चाहता/चाहती है .....

कार्य का प्रकार, जहाँ वह नियोजित होना चाहता/चाहती है.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपरोक्त व्यक्ति का परीक्षण किया है एवं परीक्षण से जितना सुनिश्चित किया जा सके उसके अनुसार वह :–

नियोजन के लिए योग्य	अस्थायी रूप से अयोग्य (तीन माह पश्चात् पुनः परीक्षण के लिए लाया जा सकता है)	नियोजन के लिए अयोग्य

अंतिम प्रमाणपत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक यदि जारी हो तो.....

चिकित्सा अधिकारी की अनुंशसा .....

परीक्षण किये गये व्यक्ति के बाएं हाथ के अगूंठे की निशानी एवं हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्ररूप–छब्बीस

(नियम–81 देखें)

स्वास्थ्य पंजी

(व्यवसाय में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें खतरनाक संचालन घोषित किया गया है)

1. कारखाने का नाम .....
2. कारखाने का पता .....
3. कारखाना चिकित्सा अधिकारी का नाम .....
4. कारखाना चिकित्सा अधिकारीओं की योग्यता .....
5. कारखाना चिकित्सा अधिकारीओं की संपर्क संख्या .....
6. कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की संख्या .....
7. क्या कारखाने में ओ.एस.एच. कोड 2020 की धारा 2(यक) के अनुसार खतरनाक प्रक्रियाएं शामिल है
8. क्या छ.ग. ओ.एस.एच. नियम 2022 के नियम 92 के तहत् अनुसूची सात से अनुसूची सैतीस में निर्दिष्ट खतरनाक प्रक्रिया कारखाने में किये जाते है .....

स.क्र.	कर्मकार का नाम	लिंग पु./म./उ.	आयु वर्ष में	आधार कार्ड नं.	कारखाने के पहचान पत्र का नंबर	स्वास्थ्य परीक्षण की तारीख	स्वास्थ्य परीक्षण का प्रकार (नियोजन के पूर्व/सामयिक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्वास्थ्य परीक्षण का परिणाम (योग्य/ अयोग्य)	अधिसूचनीय योग्य रोग यदि परिलक्षित हुआ हो तो (हाँ/ना)	नियोजन परिवर्तन अथवा पुनर्वासन के लिए परामर्श दिया गया (हाँ/ना)	नियोजन परिवर्तन अथवा पुनर्वासन के लिए परामर्श का आधार	कारखाना चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्ररूप–सत्ताईस

(नियम–82 देखे)

स्थल मूल्यांकन समिति के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता :

2. स्थल स्वामित्व तिथि :

   (1) स्थल का राजस्व विवरण जैसे सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट संख्या आदि।

   (2) क्या स्थल को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 के तहत् केन्द्र सरकार का अनुमोदन लिया गया है।

   (3) क्या प्रस्तावित स्थल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(फ) के प्रावधानों को आकर्षित करता है, यदि हां, तो प्रतिबंधों की प्रकृति।

   (4) स्थानीय प्राधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में साइट स्थित है।

3. साइट योजना :

   (1) सीमाओं की स्पष्ट पहचान के साथ साइट योजना और कब्जा किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्र और प्रस्तावित साइट के पास निम्नलिखित विवरण दिखा रहा है:

      (क) आसपास के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारक, यदि कोई हो।

      (ख) आसपास की विनिर्माण इकाइयों और मानव आवास, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, पेट्रोल प्रतिष्ठानों, एलपीजी और अन्य खतरनाक पदार्थों के भंडारण और प्रस्तावित इाकाइयों से उनकी दूरी के नाम।

      (ग) आसपास के क्षेत्र में जल स्त्रोत (नदियां, धाराएं, नहरें, बांध, जल निस्पंदन संयंत्र इत्यादि)

      (घ) निकटतम अस्पताल, दमकल केन्द्र, नागरिक सुरक्षा स्टेशन और पुलिस स्टेशन और उनकी दूरियां।

      (ङ) हाई टेंशन विद्युत पारेषण लाइनें, पानी, तेल, गैस या सीवरेज के लिए पाइप लाइन, रेलवे लाइनें, सड़कें, स्टेशन, घाट और अन्य समान प्रतिष्ठान।

   (2) मिट्टी की स्थिति और गहराई का विवरण जिस पर कठोर स्तर प्राप्त हुआ।

   (3) आसपास की पहाड़ियों और स्तरों में अंतर दिखाते हुए क्षेत्र का समोच्च नक्शा।

   (4) प्रवेश और निकास बिन्दुओं, सड़कों, भीतर, पानी की नालियों आदि को दर्शाने वाली फैक्ट्री की प्लॉट योजना।

4. परियोजना रिपोर्ट :

   (1) परियोजना की मुख्य विशेषताओं का सारांश।

   (2) संगठन की स्थिति (सरकारी, अर्ध–सरकारी, सार्वजनिक या निजी आदि)।

   (3) कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या।

   (4) बिजली और पानी की आवश्यकताओं की अधिकतम मात्रा और उनकी आपूर्ति का स्त्रोत।

   (5) प्रस्तावित आपूर्ति में भवनों और प्रतिष्ठानों के ब्लॉक आरेख।

   (6) हाउसिंग कॉलोनी, अस्पताल, स्कूल और अन्य ढांचागत सुविधाओं का विवरण प्रस्तावित।

5. प्रस्तावित निर्माण इकाई/कारखाने की संगठनात्मक संरचना :

(1) संगठन आरेख :

(क) सामान्य रूप से प्रस्तावित उद्यम।

(ख) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण विभाग और संचालन और तकनीकी विभागों से उनका जुड़ाव।

(2) प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति।

(3) अपशिष्ट और अपशिष्ट के उपचार के लिए आबंटित क्षेत्र।

(4) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण उपायों पर परिव्यय का प्रतिशत।

6. साइट से संबंधित मौसम संबंधी आंकड़े :

(1) औसत, न्यूनतम और अधिकतम–

(क) तापमान

(ख) आर्द्रता;

(ग) पिछले दस वर्षो के दौरान पवन वेग।

(2) हवा की दिशा के मौसमी बदलाव।

(3) अब तक दर्ज किए गए क्षेत्र में बाढ़ के दौरान उच्चतम जल स्तर तक पहुंच गया।

(4) क्षेत्र का बिजली और भूकंपीय डेटा।

7. संचार लिंक :

(1) बाहरी संचार के लिए टेलीफोन/टेलेक्स/वायरलेस और अन्य संचार सुविधाओं की उपलब्धता।

(2) आंतरिक संचार सुविधाएं प्रस्तावित।

8. निर्माण प्रक्रिया की जानकारीः

(1) प्रक्रिया प्रवाह आरेख।

(2) प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त विवरण।

(3) महत्वपूर्ण प्रक्रिया पैरामीटर जैसे दबाव का निर्माण, तापमान में वृद्धि और भागने वाली प्रतिक्रियाएं।

(4) अन्य बाहरी प्रभाव जो सुरक्षा संबंधी प्रभाव वाले प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नमी या पानी का प्रवेश, असंगत पदार्थो के साथ संपर्क, अचानक बिजली की विफलता।

(5) निर्माण प्रौद्योगिकी में अंतर्निहित सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों या उपायों/शामिल की मुख्य विशेषताएं।

9. खतरनाक सामग्री की जानकारी :

(1) कच्चे माल, मध्यवर्ती, उत्पाद और उप–उत्पाद और उनकी मात्रा (प्रत्येक खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटाशीट संलग्न करें।)

(2) कच्चे माल के लिए प्रस्तावित मुख्य और मध्यवर्ती भंडारण/मध्यवर्ती/उत्पाद/उत्पादों द्वारा (किसी भी समय संग्रहित की जाने वाली अधिकतम मात्रा।

(3) सामग्री के प्रवाह और बहिर्वाह के लिए उपयोग की जाने वाली परिवहन विधियां, उनकी मात्रा और संभावित मार्गो का पालन किया जाना चाहिए।

(4) प्रस्तावित सुरक्षा उपाय–

– हैंडलिंग या सामग्रीः

– आंतरिक और बाहरी परिवहन, और

– निपटान (तैयार उत्पादों की पैंकिंग अग्रेषण)।

10. उपशिष्ट और प्रदूषण के निपटान/निपटान पर सूचनाः

(1) प्रमुख प्रदूषण (गैस, तरल, ठोस) उनकी विशेषताएं और मात्राएं (औसत और चरमभार पर)

(2) उनके उपचार और निपटान की विधि से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा।

(3) वायु, जल और मृदा प्रदूषण की प्रत्याशित समस्याएं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित उपाय, जिसमें अपशिष्ट का उपचार और निपटान शामिल है।

11. प्रक्रिया खतरों की जानकारी :

(1) पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

(2) जोखिम मूल्यांकन अध्ययन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

(3) प्रकाशित (खुली या वर्गीकृत) रिपोर्ट, यदि कोई हो, दुर्घटना की स्थितियों पर उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य खतरों या इसी तरह के पौधों को कहीं और (देश के भीतर या बाहर)

12. प्रस्तावित सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य उपायों की जानकारीः

(1) अग्निशमन सुविधाओं और पानी की न्यूनतम मात्रा का विवरण। आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक CO_2 और या अन्य अग्निशमन उपाय।

(2) प्रस्तावित आंतरिक चिकित्सा सुविधाओं का विवरण।

13. आपातकालीन तैयारी पर जानकारीः

(1) ऑनसाइट आपातकालीन योजना।

(2) पड़ोसी कारखानों के समूह के साथ पारस्परिक सहायता योजना के लिए प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो।

14. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है और इसे प्रस्तुत करते समय कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप–अठ्ठाईस

(नियम–89 देखें)

खतरनाक प्रक्रिया उद्योग के अधिभोगी द्वारा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

1. कारखाने का नाम .....
2. पता .....
3. उत्पाद .....
4. विनिर्माण प्रक्रिया .....
5. (क) कच्चा माल.....
   (ख) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता.....
6. (क) तैयार उत्पाद .....
   (ख) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता.....
7. (क) मध्यवर्ती उत्पाद.....
   (ख) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता.....
8. कारखाने से संबद्ध खतरे
9. सुरक्षा उपायों का निरीक्षण करना
10. आग और विस्फोट का जोखिम
11. अग्निशमन व्यवस्था
12. उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण
13. पारस्परिक सहायता सदस्य
14. सुरक्षा समिति का गठन
15. परिसंकटमय कचरे के निपटान के लिए विवरण

अधिभोगी के हस्ताक्षर

प्ररूप–उन्तीस

(नियम–100 देखें)

निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील हेतु आवेदन

क. अभिभोगी / प्रबंधक का नाम :.....

ख. कारखाने का नाम और पताः .....

ग. शिकायत का विवरण :.....

घ. दावे का कारण : .....

ङ. दस्तावेज का विवरण संलग्न : .....

अधिभोगी / प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप–तीस

(नियम–120 देखें)

शास्ति पंजी

कार्यालय का नाम..... उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता/सहायक श्रमायुक्त

पता .....

महीने के लिए .....(वर्ष के साथ माह का नाम)

स. क्र.	उस व्यक्ति का नाम और पता जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है।	उस व्यक्ति के संबंध में प्रतिष्ठान का नाम और पता जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है।	अधिरोपित शास्ति से संदर्भित तिथि एवं नंबर	अपराध जिसके लिए शास्ति अधिरोपित की गई है।	शास्ति की राशि	डिपोजिट की तिथि	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है?	शास्ति अधिरोपित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(क) महीने के अंत में एकत्र की गई कुल शास्ति :

(ख) निधि में राशि के हस्तांतरण का विवरण :

(एक) दिनांक :

(दो) राशि :

(तीन) हस्तांतरण का बैंक विवरण :

उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता/
सहायक श्रमायुक्त के हस्ताक्षर और मुहर

प्ररूप–इकतीस

(नियम–121 देखें)

शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए प्रपत्र

प्रति,

अपीलीय प्राधिकरण

(संहिता की धारा 111(3) के अधीन)

महोदय,

व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 111(3) के अधीन मैंने निम्नलिखित विवरणों के साथ प्र.क्र..... दिनांक ..... शास्ति अधिरोपितकर्ता अधिकारी का पद एवं नाम ..... कार्यालय ..... के आदेश के विरूद्ध अपील का चयन किया हैं।

1. प्रतिष्ठान/कारखाना का नाम और पता :
2. अपील करने वाले व्यक्ति का नाम और पते का विवरण :
3. अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि :
4. अपील के लिए आधार :
5. अधिरोपित शास्ति का 10% राशि जमा करने संबंधी दस्तावेज :
6. अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने संबंधी आदेश :
7. अन्य आवश्यक दस्तावेज :

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया नहीं गया है या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपील करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम : .....

दिनांक : .....

स्थान :.....

मोबाईल नंबर :.....

ई–मेल (यदि कोई हो) :.....

प्ररूप–बत्तीस

(नियम–122 देखे)

अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी

(धारा 114(1) के अधीन)

1. आवेदक का नाम .....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम .....
3. आवेदक का पता .....
4. आवेदक के संबंध में प्रतिष्ठान का नाम और पता.....
5. अपराध का विवरण .....
6. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध प्रतिबद्ध है .....
7. संहिता के अधीन अपराध के लिए अधिकतम शास्ति प्रदान करना.....
8. आवेदक के विरूद्ध अभियोजन लम्बित है या नहीं.....
9. क्या अपराध, पहला अपराध है या आवेदक, ने पूर्व में कोई अन्य अपराध किया था, यदि अपराध किया था, तो अपराध का पूरा विवरण.....

   .....
10. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है.....

    .....

दिनांक :

आवेदक (नाम एवं हस्ताक्षर)

प्ररूप–तैंतीस

(नियम–122 देखें)

प्रशमन पंजी

कार्यालय का नाम..... उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता /सहायक श्रमायुक्त

पता .....

महीने के लिए .....(वर्ष के साथ माह का नाम)

(क)

स.क्र.	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसका अपराध प्रशमनीय है	उस व्यक्ति के संबंध में प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसका अपराध प्रशमनीय है	प्रशमन के संदर्भ की तारीख और संख्या	अपराध जो प्रशमनीय हैं	शास्ति की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) महीने के अंत में एकत्रित कुल शास्ति :

(ग) निधि की राशि के हस्तांतरण का विवरण :

(एक) दिनांक :

(दो) राशि :

(तीन) हस्तांतरण का बैंक विवरण :

उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता/
सहायक श्रमायुक्त के हस्ताक्षर और मुहर

प्ररूप–चौंतीस

(नियम–123 देखें)

सामाजिक सुरक्षा निधि का पंजी

स.क्र.	निधि के लिए प्राप्त राशि	स्त्रोत से प्राप्त	प्राप्त करने की तिथि	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल को जमा का विवरण		
				राशि	दिनांक	बैंक का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रारूप–पैंतीस

(नियम–124 देखे)

कॉमन अनुज्ञप्ति

कॉमन अनुज्ञप्ति सं. पंजीकरण सं.

सामान्य लाइसेंस एतद्द्वारा अधिभोगी/नियोक्ता ..... को मेसर्स ..... पता ..... के उपयोग के लिए दिया जाता है। :–

(क) कारखाने के लिए –

(एक) कारखाने के रूप में उपयोग के लिए ..... (शब्दों में .....) श्रमिकों को वर्ष के दौरान किसी एक दिन में और ..... अश्वशक्ति (शब्दों में .....) जहाँ ..... की निर्माण प्रक्रिया के लिए उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

(दो) कारखाने के रूप में उपयोग के लिए ..... (शब्दों में .....) श्रमिकों को वर्ष के दौरान किसी एक दिन में और बिजली उत्पादन ..... मेगा वाट (शब्दों में .....) से अधिक नहीं है।

(ख) बीड़ी और सिगार निर्माण का औद्योगिक परिसर जहाँ ..... कर्मचारी एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।

(ग) ..... ठेका मजदूरों (50 से अधिक) को एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन ..... काम के लिए ..... सुरक्षा राशि रुपये जमा की गई है।

शुल्क की जानकारी :

जमा शुल्क	दिनांक	चालान नं.

यह कॉमन अनुज्ञप्ति दिनांक ..... से दिनांक ..... तक वैद्य रहेगी।

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

जारी दिनांक :

प्रारूप–छत्तीस

(नियम–128 देखे)

नियम 123 के उप–नियम (3) अधीन विहित, किसी व्यक्ति की सक्षमता प्रमाण–पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन

1. नाम .....

2. जन्म का दिनांक .....

3. संगठन का नाम (यदि स्व–नियोजित न हो) .....

4. पदनाम .....

5. शैक्षणिक अर्हता (प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ संलग्न करें) .....

6. व्यवसायिक अनुभव का विवरण (क्रमानुसार) .....

7. व्यवसायिक निकायों की सदस्यता (यदि कोई है) .....

8. (एक) उसके नियंत्रण में की सुविधा (परीक्षण, जाँच आदि).....

   (दो) इन सुविधाओं को चिन्हित करने की व्यवस्था तथा उनकी सत्यता अनुरक्षित करने की व्यवस्था.....
   .....

9. वह प्रयोजन, जिस हेतु सक्षमता प्रमाण–पत्र वांछित है (धारा या नियम या सुरक्षा मानक को निर्दिष्ट करें) .....

10. क्या आवेदक अन्य परिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है? (यदि हाँ तो विवरण दें)..
    .....

11. अन्य कोई सुसंगत सूचना .....

12. आवेदक द्वारा घोषणा :

मैं .....एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना सही है, मैं यह वचन देता हूँ कि :

(क) मेरे नियंत्रण में की सुविधाओं में किसी परिवर्तन (बढ़ाना या घटाना) की स्थिति में या मेरे द्वारा उपर्युक्त संगठन छोड़ने पर मैं तत्काल मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को सूचित करूंगा।

(ख) सुविधाओं को अच्छी और व्यवस्थित स्थिति से अनुरक्षित रखूँगा, विनिर्माता के अनुदेशों या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नियतकालिक रूप में सही अंशशोधित रखूँगा, और

(ग) सक्षमता प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट सभी शर्तों को और मुख्य निरीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा।

स्थान और दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

संस्थान द्वारा घोषणा (यदि नियोजित है)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री..... जिनका विवरण ऊपर दिया गया है हमारे नियोजन में हैं और उसे संस्थान की ओर से संहिता के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित करता हूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि :

(क) सक्षम व्यक्ति द्वारा हमारे नियोजन के त्यजन के मामले को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को सूचित करूंगा;

(ख) उसकी इच्छा के अनुसार उपरोक्त समस्त सुविधा अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखूंगा और प्रदान करूंगा;

(ग) सुविधाओं में कोई परिवर्तन (बढ़ाना या घटाना) मुख्य निरीक्षक को सूचित करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पदाभिधान.....

टेलीफोन सं.....

प्राधिकारिक मुद्रा.....

प्रारूप–सैंतीस

(नियम–128 देखे)

किसी संस्था को सक्षमता प्रमाण–पत्र स्वीकृति हेतु आवेदन का प्ररूप

1. संगठन का नाम और पूरा पता.....

2. संगठन की प्रास्थिति (क्या शासकीय, स्वशासी, सहकारी, निगमित या निजी है यह विनिर्दिष्ट करें)..... .....

3. प्रयोजन जिस हेतु सक्षमता प्रमाण–पत्र चाहा गया है (धारा या नियम या सुरक्षा मानक विनिर्दिष्ट करें) .....

4. क्या संगठन इस या अन्य किसी परिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है? यदि ऐसा है, तो विवरण दीजिए .....

5. अनुसूची में निर्दिष्ट अर्हता और अनुभव धारित करने वाले नियोजित कर्मचारियों का विवरण..... .....

क्रमांक	पदनाम	अर्हताएँ	अनुभव	धारा या नियम या सुरक्षा मानक जिनके अधीन सक्षमता चाही गई है
1. 2. 3.				

6. सुविधाओं का विवरण (ऊपर मद 3 से सुसंगत और नियतकालिक अंश शोधित करने और अनुरक्षित करने हेतु की गई व्यवस्थाएँ.....

7. अन्य कोई सुसंगत सूचना.....

मैं, ...एतद्द्वारा.....की ओर से प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य है। मैं यह वचनबद्ध करता हूँ कि–

(एक) सुविधाओं को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखूंगा और विनिर्माता के अनुदेशों या राष्ट्रीय मानक के अनुसार नियतकालिक रूप से उन्हें अंशशोधित करूंगा।

(दो) सक्षमता प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट शर्तों तथा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा।

स्थान : .....

दिनांक : .....

.....

(संस्था के प्रमुख या संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पदाभिधान.....

प्रारूप–अड़तीस

(नियम–128 देखे)

किसी व्यक्ति अथवा संस्था को जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र

मैं..... उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 2 (ठ) और उसके अधीन अनुरक्षित गए नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (संस्था का नाम)..... या श्री (आवेदक का नाम)..... जो (संगठन का नाम) .....संगठन में नियोजित है को धारा..... और उसके अधीन अनुरक्षित गए नियमों के अधीन.....पर स्थित कारखाने में उपयोग किए जा रहे यथास्थिति, ऐसे भवनों, संकटमय मशीन, उत्थापक और उत्तोलक, उत्थापक मशीन और उत्थापक टेकल, दाब, संयंत्र, सीमित स्थान, अनुसूची क्रमांक..... की अपेक्षानुसार संवातन प्रणाली और धूल/धूम्र निष्कासन प्रणाली या संयंत्र और उपकरण की जाँच करने, उनका परीक्षण करने, निरीक्षण करने और उनके प्रमाणीकरण करने हेतु सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्य करता हूँ।

यह प्रमाण–पत्र.....से. ..... तक ..... विधिमान्य रहेगा।

यह प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है–

(एक) जाँच, परीक्षण और निरीक्षण संहिता और उनके अधीन अनुरक्षित गए नियमों के अनुसरण में किए जाएंगे।

(दो) जाँच, परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किए जाएंगे।

(तीन) सक्षमता प्रमाण–पत्र यदि सक्षम घोषित व्यक्ति द्वारा आवेदन में इंगित संगठन छोड़ दिया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा।

(चार) सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्य संस्था मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच, परीक्षण और निरीक्षण हेतु प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों के नाम, पद और अर्हताओं के बारे में अवगत कराए रखेगी।

(पांच).....

(छः).....

.....

धारा ..... प्राधिकारिक मुद्रा..... मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के हस्ताक्षर

टिप्पणी– प्रत्येक सुसंगत धारा के अधीन एक पृथक् प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। एक व्यक्ति या संस्था को अधिनियम की एक से अधिक धाराओं के प्रयोजन हेतु सक्षम के रूप में मान्य किया जा सकेगा।

अनुसूची–क
(नियम 2(थ) देखिये)
खतरनाक पदार्थ
(भाग–एक)

(क) **विषाक्त रसायन :** रसायन, जिसकी गंभीर विषाक्तता का निम्नलिखित मान हे, और जो अपने भौतिक और रसायनिक गुणों के कारण व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा करने के लिये सक्षम है :–

क्र.सं.	विषाक्तता	मौखिक विषाक्तता एलडी 50 (मिलीग्राम / किग्रा)	त्वचीय विषाक्तता एलडी 50 (मिलीग्राम / किग्रा)	सॉस लेना विषाक्तता एलसी 50 (मिलीग्राम / एल)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अत्यंत विषैला	>5	>40	<0.5
2.	अत्यधिक विषैला	>5–50	>40–200	>0.5–2.0
3.	विषैला	>50–200	>200–1000	>2–10

(ख) **ज्वलनशील रसायन :**

(एक) **ज्वलनशील गैसे :** वे गैसें, जो 20 डि.से. और 101.3 केपीए के मानक दाब पर:–

(क) 13 प्रतिशत या पैमाने से कम हवा के मिश्रण से ज्वलनशील;

(ख) कम ज्वलनशील अवच्छेद पर ध्यान दिये बिना, कम से कम 12 प्रतिशत पाइंट की हवा के साथ ज्वलनशील श्रेणी।

टीप– ज्वलनशीलता का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ संख्या 10156 सन् 1990 या भारतीय मानक ब्यूरों आईएसआई सं. 14461 सन् 1985 द्वारा अपनाई गई विधियों के अनुसार परीक्षण या गणना द्वारा किया जाएगा।

(दो) **अत्यंत ज्वलनशील तरल पदार्थ :** रसायन, जिसका फ्लैश पाइंट 23 डि.से. से कम या बराबर है और क्वथनांक पाइंट 35 डि.से. से कम है।

(तीन) **बहुत अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ :** रसायन, जिसकी फ्लैश पाइंट 23 डि.से. से कम या बराबर है और प्रारंभिक क्वथनांक पाइंट 35 डि.से. से अधिक है।

(चार) **उच्च ज्वलनशील तरल पदार्थ :** रसायन, जिनकी फ्लैश पॉइंट 60 डि.से. से कम या उसके बराबर है किन्तु 23 डि.से. से अधिक है।

(पांच) **ज्वलनशील तरल पदार्थ :** रसायन, जिसकी फ्लैश पाइंट 60 डि.से. से अधिक है किन्तु 90 डि.से. से कम है।

(ग) **विस्फोटक** : विस्फोटक से अभिप्रेत है ठोस या तरल या चमकदार पदार्थ (या पदार्थों का मिश्रण) या कोई वस्तु।

(क) जो कि गैस उत्पादन की रसायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, इस तरह के ऐसे तापमान और दाब में तथा ऐसी गति में, जिससे आसपास क्षति होने की संभावना है, स्वतः विस्फोट करने में सक्षम है।

(ख) जो कि गैर–विस्फोटक स्वतः पुष्ट उष्माक्षेपी रसायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गर्मी, प्रकाश, ध्वनि, गैस या धुम्रपान या इनके संयोजन के प्रभाव से विस्फोट पैदा होता है।

भाग–दो

परिसंकटमय एवं विषैले रसायनों की सूची

1. एसीटेल्डिहाइड
2. एसीटिक अम्ल
3. एसीटिक एनहाइड्राईड
4. एसीटोन
5. एसीटोन साइनोहाइड्रीन
6. एसीटोन थाइयोसेमिकार्बेझाइड
7. एसीटोनाइट्राईल
8. एसीटाइलिन
9. एसीटाइलिन टेट्रा क्लोराइड
10. एक्रोलिन
11. एक्रिलमाईड
12. एक्रिलोनाइट्राइल
13. एडिपोनाइट्राइल
14. आलडिकार्ब
15. आल्ड्रिन
16. एलिल एल्कोहल
17. एलिल अमाइन
18. एलिल क्लोराइड
19. एल्युमिनियम (पावडर)
20. एल्युमिनियम अजाईड
21. एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड
22. एल्युमिनियम क्लोराइड
23. एल्युमिनियम फ्लोराइड
24. एल्युमिनियम फोसफॉइड
25. एमीनो डाइफेनाइल
26. एमीनों पायराडाइन
27. एमीनोफेनॉल–2
28. एमीनोटेरीन
29. एमीटोन
30. एमीटोन डायालेट
31. अमोनिया
32. अमोनियम क्लोरो प्लेटिनेट
33. अमोनियम नाइट्रेट
34. अमोनियम नाइट्राइट
35. अमोनियम पाइक्रेट
36. एनाबेसाइन
37. एनीलाईन
38. एनीलाइन 2,4,6– ट्राइ मिथाइल
39. एन्थ्राक्वीनोन
40. एन्टीरमोनी पेन्टाफ्लोराइड
    एन्टीमाइसिन ए
41. एएनटीयू
42. आर्सेनिक पेन्टोक्साइड
43. आर्सेनिक ट्राइआक्साइड
44. आर्सेनस ट्राइक्लोराइड
45. आरसाइन
46. एसफॉल्ट
47. एजिनफो–इथाइल
48. एजिनफोस –मिथाइल
49. बेसीट्रासिन
50. बेरीयम एजाइड
51. बेरीयम नाइट्रेट

52. बेरीयम नाइट्राइड
53. बेन्जल क्लोराइड
54. बेन्जीनामाइन,3–ट्राइफ्लोरोमिथाइल
55. बेन्जीन
56. बेन्जीन सल्फोनाइलक्लोराइड
57. बेन्जीन.1–(क्लोरोमिथाइल)–4 नाइट्रो
58. बेन्जीन आर्सेनिक अम्ल
59. बेन्जीडाइन
60. बेन्जीडाइन साल्ट
61. बेन्जीमीडेजाल. 4,5–डाइक्लोरो–2(ट्राइफ्लोरो मिथाइल)
62. बेन्जोक्विनोन–पी
63. बेन्जोट्राइक्लोटराइड
64. बेन्जोइल क्लोराइड
65. बेन्जोइल पेरोआक्साइड
66. बेन्जील क्लोराइड
67. बेरीलियम (पाउडर)
68. बाइसाइक्लों (2,2,1) हेप्टेन–2–कार्बोनाइट्राइल
69. बायफिनाइल
70. बिस (2–क्लोरोइथाइल) सल्फाइड
71. बिस (क्लोरोमिथाइल) किटोन
72. बिस (टेर–बुटिल पेरोक्सील) साइक्लोहेग्जिन
73. बिस (टेरबुटिलपेरोक्सी) बुटेन
74. बिस (2,4,6–ट्राइमिटरो फिनाइलेमाइन)
75. बिस (क्लोरोमिथाइल) एथर
76. बिसमुथ और कंपाउन्डस
77. बिसफेनाल –ए
78. बिटोस्केनेट
79. बोरोन पाउडर
80. बोरोन ट्राइक्लोराइड
81. बोरोन ट्राइफ्लोराइड
82. बोरोन ट्राइफ्लोराइड कोम्प. विथ मैथिलेथर,1:1
83. ब्रोमाइन
84. ब्रोमाइन पेन्टाफ्लोराइड
85. ब्रोमोक्लोरोमिथेन
86. ब्रोमोडाइलोन
87. बुटाडाइन
88. बुटेन
89. बुटेनोन–2
90. बुटाइल अमाइन टर्ट
91. बुटाइल ग्लानइसिडल इथर
92. बुटाइल आइसोवलारेट
93. बुटाइल पेरोक्सीलमेलिएट टर्ट
94. बुटाइल मिनाइल इथर
95. बुटाइल–एन–मर्केप्टन
96. सी.आई.बेसिक ग्रीन
97. केडमियम आक्साईड
98. केडमियम स्टीयरेड
99. कैल्शियम आर्सेनेट
100. कैल्शियम कार्बाइड
101. कैल्शियम साइनाइड
102. केमफेक्लोर (टोक्साफिन)
103. केनेथेरिडिन
104. केपटेन
105. कार्बाकोल क्लोराइड
106. कार्बराइल
107. कार्बोफुरन (फुराडन)
108. कार्बन टेट्राक्लोराइड
109. कार्बन डाइ सल्फाइड
110. कार्बन मोनो आक्साइड
111. कार्बन फेनोथियोन
112. कार्वोन
113. सेल्युलोज नाइट्रेट
114. क्लोरो एसीटिक अम्ल
115. क्लोरीन
116. क्लोराफेनविनफोज
117. क्लोरीनेटेड बेन्जीन
118. क्लोराइन
119. क्लोरीन ऑक्साइड
120. क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड
121. क्लोरमेफॉस
122. क्लोरमेक्वेट क्लोराइड
123. क्लोरेाएसेटल क्लोराइड
124. क्लोरोएसेटलडिहाइड
125. क्लोरोएनीलिन –2

126. क्लोरोएनीलिन–4
127. क्लोरोबेंजीन
128. क्लोरोएथाइल क्लोरोफॉर्मेट
129. क्लोरोफॉम
130. क्लोरोर्फामाइल मार्फोलाइन
131. क्लोरोमिथेन
132. क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर
133. क्लोरोनाइट्रोबेन्जीन
134. क्लोरोफेसिनॉन
135. क्लोरोसलफॉनिक अम्ल
136. क्लोरोथियोफोस
137. क्लोरोजुरॉन
138. क्रोमिक अम्ल
139. क्रोमिक क्लोराइड
140. क्रोमियम पाउडर
141. कोबाल्ट कॉर्बोनिल
142. कोबाल्ट नाइट्रील मिथाइलडाइन कंपाउन्ड
143. कोबाल्ट (पाउडर)
144. कोलकिसाइन
145. कॉपर और कंपाउन्डस
146. कॉपर ऑक्सीऔक्लॉइड
147. कोमफ्यूराइल
148. कोमाफोस
149. कोमाटेट्रालाइड
150. क्रिमाडाइन
151. क्रोटिनल डिहाइड
152. क्रोटोनल डिहाइड
153. क्युमिन
154. साइनोजेन ब्रोमाइड
155. साइनोजेन आइयोडाइड
156. साइनोफोज
157. साइनोथोएट
158. साइन्युरिक फ्लोराइड
159. साइक्लो हेक्जीलामाइन
160. साइक्लोहेक्जन
161. साइक्लोहेक्जीनॉन
162. साइक्लो हेक्जीमाइड
163. साइक्लो पेन्टोडाइन
164. साइक्लो पेन्टेन
165. साइक्लो टेट्रामिथाइल ऐनटेट्रानाइट्रामाइन
166. साइक्लो ट्राइमिथेलिन एट्रीन नाइट्रानाइन
167. साइपर मेथरीन
168. डीडीटी
169. डेकाबोरेन (1:4)
170. डीमेटोन
171. डेमेटोनएस–मिथाइल
172. डाइ–एन–प्रोफाइल पेरोक्सिडाइकार्बोनेट (कोन्स.–80 प्रतिशत)
173. डायलिफोज
174. डायजोडिनाइट्रोफिनॉल
175. डाइबिन्जाइल पेरोक्सिडाइकार्बोनेट (कोन्स.–90 प्रतिशत)
176. डायबोरेन
177. डायक्लोरो एसीटाइलिन
178. डायक्लोरोबेन्जाकोनियम क्लोराइड
179. डायक्लोरोइथाइल इथर
170. डायक्लोरोमिथाइल फिनाइलसिलेन
181. डायक्लोरोफिनोल–2,6
182. डायक्लोरोफिनोल–2,4
183. डायक्लोरोफेनाक्सी– एसिटिक अम्ल
184. डायक्लोरोप्रोपेन –2,2
185. डायक्लोरोसेलिसिलिक अम्ल–3,5
186. डायक्लोरवोस (डीडीवीपी)
187. डाइक्रोफोस
188. डाइलड्रिन
189. डाइपोक्सी ब्युटेन
190. डाइइथाइल कार्बोमजाइन साइट्रेट
191. डाइइथाइल क्लोरोफोसफेट
192. डाइइथाइल एथटेनॉलमाइन
193. डाइइथाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट (कोन्स.–30 प्रतिशत)
194. डाइइथाइल फिनाइलीन डायामाइट
195. डाइइथेलेमाइन
196. डाइइथिलिन ग्लाइकोल
197. डाइइथिलिन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट

198. डाइइथिलिन ट्राइमाइन
199. डाइइथिलिनग्लाइकोल ब्युटाइल ईथर
200. डाइग्लाइसिडाइल इथर
201. डाइजीटाक्सीन
202. डाइहाइड्रोपेरोक्सीडाइप्रोपीन (कोन्स.–30 प्रतिशत)
203. डाइसोब्यूटाइल पैराक्साइड
204. डाइमेफोक्स
205. डाइमेथोएट
206. डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन
207. डाइमिथाइल हाइड्राजाइन
208. डाइमिथाइल नाइट्रोसोआमाइन
209. डाइमिथाइल पिफिनाइलिन डायमाइन
210. डाइमिथाइल फोस्फोरेमाइडी साइनाइडिक अम्ल (टीएबीयूएम)
211. डाइमिथाइल फोस्फोरोक्लोराइडोथायोएट
212. डाइमिथाइल सुफोलेन (डीएमएस)
213. डाइमिथाइल सल्फाइड
214. डाइमिथाइलेमाइन
215. डाइमिथाइलेनाइलाइन
216. डाइमिथाइलकार्बोनाइल क्लोराइड
217. डाइमेटीलन
218. डाइनाइट्रो ओ–क्रेसोल
219. डाइनाइट्रो फेनॉल
220. डाइनाइट्रो टोल्यूइन
221. डाइनोसेब
222. डाइनाइटर्ब
223. डायोक्सेन–पी
224. डायोक्सेथियोन
225. डायऑक्साइन एन
226. डायफॉसिनान
227. डायफोस्फोरामाइड आक्टामिथाइल
228. डाइफिनाइल मिथेन डाइ–आइसोसाइनेट (एमडीआई)
229. डाइप्रोपायलिन ग्लाइकोल ब्युटाइल ईथर
230. डायप्रोपायलिन ग्लाइकोल मिथाइल ईथर
231. डाइसेक–ब्यूटाइल पेरोक्सीडाइ कार्बोनेट (कोन्स.–80 प्रतिशत)
232. डायसुफोटोन
233. डायथियाजामाइन आयोडाइड
234. डायथायोबायुरेट
235. एन्डोसुल्फान
236. एन्डोथियोन
237. एन्ड्रीन
238. एपीक्लोरोहाइड्राइन
239. ईपीएन
240. अरगोकेल्सीफेराल
241. अर्गोटेमाइन टार्टरेट
242. इथेनस्लमफेनाइल क्लोराइड, 2 क्लोरो
243. इथेनाल 1–2 डाइक्लोरासेटेट
244. इथियॉन
245. एथोप्रोफोस
246. इथाइल एसीटेट
247. इथाइल एल्कोहल
248. इथाइल बेंजीन
249. इथाइल बीस एमाइन
250. इथाइल ब्रोमाइड
251. इथाइल कार्बामेट
252. इथाइल ईथर
253. इथाइल हेक्सानोल –2
254. इथाइल मर्केप्टन
255. इथाइल मर्क्यूरिक फोस्फेट
256. इथाइल मेथाक्राइलेट
257. इथाइल नाइट्रेट
258. इथाइल थायोसाइनेट
259. इथाइलेमाइन
260. एथिलिन
261. एथिलिन क्लोरोहाइड्राइन
262. एथिलिन डाइब्रोमाइड
263. एथिलिन डायामाइन
264. एथिलिन डायामाइन हाइड्रोक्लोराइड
265. एथिलिन फ्लोरोहाइड्राइन

266. एथिलिन ग्लाइकोल
267. एथिलिन ग्लाइकोल डायनाइट्रेट
268. एथिलिन ऑक्साइड
269. एथिलेनाइमाइन
270. एथिलिन डाय क्लोराइड
271. फेमामिफोस
272. फेमिट्रोथियोन
273. फेन्सल्फोथियोन
274. फ्लुमेटिल
275. फ्लोरीन
276. फ्लोरो 2– हाइड्रॉक्सी बुटीरिक अम्ल एमिड साल्ट एस्टर्स
277. फ्लोरो एसेटामाइड
278. फ्लोरेा एसेटीक अम्ल एमिड साल्ट और एस्टर्स
279. फ्लोरोएसेटाइलक्लोराइड
280. फ्लोरेाब्यूटिरीक अम्ल एमिड साल्ट एस्टर्स
281. फ्लोरोक्रोटोनिक अम्ल एमिड साल्ट एस्टर्स
282. फ्लोरोयूरेसिल
283. फोनोफॉस
284. फोर्मलडिहाइड
285. फोर्मेटानेट हाइड्रोक्लोराइड
286. फोर्मिक अम्ल
287. फोर्मोपेरानेट
288. फोर्मोथियॉन
289. फोस्थियोटन
290. फ्यूबरीडेजोल
291. फ्यूरॉन
292. गेलियम ट्रायक्लोराइड
293. ग्लाइकोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सी्एसेटोनाइट्राइल)
294. ग्वानाइल–4 – नाइट्रोसेमिनोगुनाइल–1–टेट्राजिन
295. हेप्टाक्लोर
296. हेक्जामिथाइल टेट्रा–ऑक्सीयासाइक्लोनानएट (कोन्स.–75 प्रतिशत)
297. हेक्जाक्लोरोबेंजीन
298. हेक्जाक्लोरो साइक्लोहेक्स्न (लिनडेन)
299. हेक्जाक्लोरो साइक्लोपेन्टाडाइन
300. हेक्जाक्लोरो डायबेजो–पी–डायऑक्सीन
301. हेक्जाक्लोरो नेपथेलिन
302. हेक्जाफ्लोरो प्रोपेनॉन सेस्क्वीहाइड्रेट
303. हेक्जामिथाइल फोस्फोरोमाइड
304. हेक्जामिथिलिन डायामाइड एन एन डाइब्युटाइल
305. हेक्जेन
306. हेक्जानाइट्रोस्टीलबीन 2,2,4,4,6,6
307. हेक्जीन
308. हाइड्रोजन सेलेनाइड
309. हाइड्रोजन सल्फाइड
310. हाइड्राजाइन
311. हाइड्राजाइन नाइट्रेट
312. नाइट्रोक्लोरिक अम्ल (गैस)
313. हाइड्रोजन
314. हाइड्रोजन ब्रोमाइड
315. हाइड्रोजन साइनाइड
316. हाइड्रोजन क्लोराइड
317. हाइड्रोजन पेरोक्साइड
318. हाइड्रोक्वीनॉन
319. इंडीन
320. इन्डीयम पाउडर
321. इंडोनेथासिन
322. आयोडिन
323. आयरिडियम टेट्रा क्लोराइड
324. आयरन पेन्टा कार्बोनाइल
325. आइसोबेन्जान
326. आइसोएमिल एल्कोहल
327. आइसोब्यूटिल एल्कोहल
328. आइसोबुटायरो नाइट्राइल
329. आइसोसाइनिक अम्ल 3,4–डाईक्लोरोफिनाइल एस्टर
330. आइसोड्रिन
331. आइसोफ्लोरोफास्फेट
332. आइसोफोरोन डायआइसो साइनेट

333. आईसोप्रोपाइल एल्कोहल
334. आईसोप्रोपाइल क्लोरोकार्बोनेट
335. आईसोप्रोपाइल फोर्मेट
336. आईसोप्रोपाइल मिथाइल पायराजोलाइल डाइमिथाइल कार्बामेट
337. जुगलॉन (5–हाइड्रोक्सी नेफ्थेलिन – 1, 4 डायोन)
338. केटिन
339. लेक्टोनाइट्राइल
340. लेडआर्सेनाइट
341. लेड उच्चतापमान पर (पिघला हुआ)
342. लेड अजाइड
343. लेड स्टाइफानेड
344. लेप्टोफोस
345. लेनीसाइट
346. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
347. लिथियम हाइड्राइड
348. एन–डायनाइट्रोबेन्जीन
349. मैग्नीशियम पावडर या रिबिन
350. मेलाथियोन
351. मेलेइक एड हाइड्राइड
352. मेलोनोनाइट्राइल
353. मैंग्नीज ट्राइकार्बोनाइल साईक्लोपेन्टाडाइन
354. मेक्लोर इथामाइन
355. मेफोस्फोलान
356. मर्क्यूरिक क्लोराइड
357. मर्क्यूरिक ऑक्साइड
358. मर्क्यूरिक एसिटेट
359. मर्क्यूरिक फलमिनेट
360. मर्क्यूरिक मिथाइल क्लोराइड
361. मेसिटाइलिन
362. मेथाएक्रोलिन डाइएसिटेट
363. मेथाएक्रिलिक एनहाइड्राइड
364. मैथाक्राइलो नाइट्राइल
365. मैथाक्राइलोल ऑक्सीइथाइल आईसोसाइनेट
366. मैथानिडोफोस
367. मिथेन
368. मिथेनसल्फोनाइल फ्लोराइड
369. मेथिडाथियोन
370. मेथियोकार्ब
371. मेथोनाइल
372. मेथोक्सी इथेनोल(2–मिथाइल सेलोसोल्व)
373. मेथोक्सीएथाइल मर्क्यूरिक एसिटेट
374. मिथाइएक्रीलोल क्लोराइड
375. मिथाइल 2– क्लारोक्रायलेट
376. मिथाइल एल्कोहल
377. मिथाइल अमाईन
378. मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमिथेन)
379. मिथाइल क्लोराइड
380. मिथाइल क्लारोफॉम
381. मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट
382. मिथाइल साइक्लोहेक्जीन
383. मिथाइल डाईसल्फाईड
384. मिथाइल ईथाइल किटोन पेरोक्साइड (कोन्स.–60 प्रतिशत)
385. मिथाइल फॉरमेट
386. मिथाइल हाईड्राजीन
387. मिथाइल आइसोब्युटाइल किटोन
388. मिथाइल आइसोसाइनेट
389. मिथाइल आइसोथायोसाइनेट
390. मिथाइल मर्क्यूरिक डायसाइनामाइड
391. मिथाइल मर्काप्टन
392. मिथाइल मेथाक्रायलेट
393. मिथाइल फेनकेपटॉन
394. मिथाइल फास्फोनिक डायक्लोराइड
395. मिथाइल थायोसाइनेट
396. मिथाइल ट्राइक्लारोसाइलेन
397. मिथाइल विनाइल किटोन
398. मिथाइलिन बीस (2–क्लारोएनीलाइन)
399. मिथाइलिन क्लोराइड
400. मिथाइलिनबीस–4,4 (2–क्लारोएनीलाइन)
401. मेटोलकार्ब

402. मेवीनफोस
403. मेजाकार्बेट
404. मिटोमाइसिन सी
405. मोलीबडेनम पॉवडर
406. मोनोक्रोटोफोस
407. मोर्फोलाइन
408. म्यूसीनोल
409. मस्टर्ड गैस
410. एन ब्युटाइल एसीटेट
411. एन ब्युटाइल एल्कोहल
412. एन– हक्जेन
413. एन– मिथाइल– एन, 2,4,6– टेट्रानाइट्रोएनाइलिन
414. नेफ्था
415. नेफ्था सोल्वेंट
416. नेफ्थालीन
417. नेफ्थाइल एमाइन
418. नीकल कार्बोनाइल/नीकल टेट्राकार्बोनाइल
419. नीकल पॉवडर
420. निकोटीन
421. निकोटीन सल्फेट
422. नाइट्रीक अम्ल
423. नाइट्रीक ऑक्साइड
424. नाइट्रो बेंजीन
425. नाइट्रोसेल्यूलोज (ड्राय)
426. नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
427. नाइट्रोसाइक्लोहेक्जेन
428. नाइट्रोजन
429. नाइट्रोजन डायऑक्साइड
430. नाइट्रोजन ऑक्साइड
431. नाइट्रोजन ट्रायफ्लोराइड
432. नाइट्रोग्लीसरीन
433. नाइट्रोप्रोपेन–1
434. नाइट्रोप्रोपेन–2
435. नाइट्रोसो डायमिथाइल एमाइन
436. नोनेन
437. नोरबोरमाइड
438. ओ– क्रेसोल
439. ओ– नाइट्रो टॉल्यून
440. ओ– टॉल्यूडाइन
441. ओ– जायलिन
442. ओ/पी नाइट्रोएनिलाइन
443. ओलीयम
444. ओओ डायइथाइल एस इथाइल सल्फेट मिथाइल फोस
445. ओओ डायइथाइल एस प्रोफाथीयो मिथाइल फोसडीथीयोट
446. ओओ डायइथाइल एस इथाइल सल्फानाइल मिथाइलफोस्फोरोथीयोट
447. ओओ डायइथाइल एस इथाइल सल्फानाइल मिथाइलफोस्फोरोथीयोट
448. ओओ डायइथाइल एस इथाइल थायोमिथाइल फास्फोरोथीयोट
449. ऑरगानो रोहडीयम कॉम्पलेक्स
450. ऑरोटीक अम्ल
451. ऑस्मीयम टेट्रोक्साइड
452. ऑक्साबेन
453. ऑक्जामाइल
454. ऑक्सेटेन, 3, 3–बीस (क्लोरोमिथाइल)
455. ऑक्सीडाइफेनोक्सरसाइन
456. ऑक्सी डाइसल्फोटोन
457. ऑक्सीजन (द्रव्य)
458. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड
459. ओजोन
460. पी– नाइट्रोफिनोल
461. पैराफिन
462. पेराऑक्जो्न (डायेथाइल 4 नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट)
463. पैराक्वाट
464. पैराक्वाट मेथोसल्फेट
465. पेराथायोन
466. पेराथायोन मिथाइल
467. पेरिस ग्रीन
468. पेंटा बोरेन
469. पेंटा क्लोरोइथेन
470. पेंटा क्लोरोफिनोल
471. पेंटा ब्रोमोफिनोल
472. पेंटाक्लोरो नेफ्थलिन

473. पेंटाडायसील–अमाइन
474. पेंटेरिथायोटोल टेट्रानाइट्रेट
475. पेंटेन
476. पेंटेनोन
477. परक्लोरीक अम्ल
478. परक्लोरोइथाइलीन
479. पेरोक्सीएसेटिक अम्ल
480. फिनोल
481. फिनोल,2, 2–थायोबीस (4,6–डायक्लोरो)
482. फिनोल 2,2–थायोबीस (4 क्लोरो 6– मिथाइल फिनोल)
483. फिनोल, 3– (1–मिथाइल एथिल) मिथाइलकार्बामेट
484. फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लाराइड
485. फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट
486. फिनाइल सिलाट्रेन
487. फिनाइल थायोरिया
488. फिनाइलिन पी– डायेमाइन
489. फॉरेट
490. फॉसाजेटीन
491. फॉसफोलान
492. फॉसजीन
493. फॉस्मेट
494. फॉस्फामिडोन
495. फॉस्फाइन
496. फॉस्फोरिक अम्ल
497. फॉस्फोरिक अम्ल डायमिथाइल (4– मिथाइल थियो) फिनाइल
498. फॉस्फोरिक अम्ल डायमिथाइल एस (2–बीस) एस्टर
499. फोस्फोरोथायोइक अम्ल मिथाइल (एस्टर)
500. फोस्फोरोथायोइक अम्ल, ओओ डायमिथाइल एस–(2– मिथाइल)
501. फोस्फोरोथायोइक, मिथाइल–इथाइल एस्टर
502. फोस्फोरस
503. फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड
504. फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड
505. फोस्फोरस ट्रायक्लोराइड
506. फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड
507. फ्थालिक एनहाइड्राइड
508. फायलोक्वीनोन
509. फायसोस्टीगनाइन
510. फायसोस्टीगनाइन सेलीसायलेट (1:1)
511. पायक्रीक अम्ल (2,4,6–ट्रायनाइट्रोफेनोल)
512. पायक्रोटोक्सीन
513. पायपरडाइन
514. पायप्रोटल
515. पायरायनिफोस– इथाइल
516. प्लेटीनस क्लोराइड
517. प्लेटीनम टेट्राक्लोराइड
518. पोटेशियम आर्सेनाइट
519. पोटेशियम क्लोरेट
520. पोटेशियम सायनाइड
521. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
522. पोटेशियम नाइट्राइड
523. पोटेशियम नाइट्राइट
524. पोटेशियम पैरोक्साइड
525. पोटेशियम सिल्वरसायनाइट
526. पॉवडर्ड मेटल्स और मिश्रण
527. प्रोमेकार्ब
528. प्रोम्युरीट
529. प्रोपेनसल्टोन
530. प्रोपरगाइल एल्कोहल
531. प्रोपरगाइल ब्रोमाइड
532. प्रोपेन– 2– क्लोरो–1,3 डायो डायसिटेट
533. प्रोपियोलेक्टोन बिटा
534. प्रोपियोनाइट्राइल
535. प्रोपियोनाइट्राइल,3– क्लोरो
536. प्रोपियोफिनोन, 4– अमीनो
537. प्रोपाइल क्लोरोफॉरमेट
538. प्रोपाइलिन डायक्लोराइड
539. प्रोपाइलिन ग्लायकोल, एलायलेथर

540. प्रोपाइलिन आइमाइन
541. प्रोपाइलिन ऑक्साइड
542. प्रोथोएट
543. सुडोसुमीन
544. पायराजोक्सोन
545. पायरीन
546. पायरायडीन
547. पायरायडीन, 2– मिथाइल–3– विनाइल
548. पायरायडीन, 4– नाइट्रो–1– ऑक्साइड
549. पायरायडीन, 4–नाइट्रो–1– ऑक्साइड
550. पायरीमायनील
551. क्वीनलीफोस
552. क्वीनोन
553. रहोडीयम ट्रायक्लोराइड
554. सल्कोमाइन
555. सरीन
556. सेलेनीयस अम्ल
557. सेलेनीयम हेक्जाक्लोराइड
558. सेलेनीयम ऑक्सीक्लोराइड
559. सेमीकार्बजाइड हाइड्रोक्लोराइड
560. साइलेन (4– एमीनो बूटाइल) डायइथोक्सीमेथ
561. सोडीयम
562. सोडीयम एन्थ्रा– क्वीनोन– 1– सल्फोनेट
563. सोडीयम आर्सेनेट
564. सोडीयम आर्सेनाइट
565. सोडीयम अजाइड
566. सोडीयम केकोडायलेट
567. सोडीयम क्लोरेट
568. सोडीयम साइनाइड
569. सोडीयम फ्लोरो– एसीटेट
570. सोडीयम हाइड्रोक्साइड
571. सोडीयम पेंटाक्लोरो–फेनेट
572. सोडीयम पायक्रेमेट
573. सोडीयम सेलेनेट
574. सोडीयम सेलेनाइट
575. सोडीयम सल्फाइड
576. सोडीयम टेलोराइट
577. स्टेनेन एक्सेटोक्सी ट्रायफिनाइल
578. स्टीबाइन (एंटीमनी हाइड्राइड)
579. स्ट्राइकनाइन
580. स्ट्राइकनाइन सल्फेट
581. स्टायफिनिक अम्ल् (2,4,6– ट्रायनाइट्रोरेसोर्सिनोल)
582. स्टायरीन
583. सल्फोटेक
584. सल्फोक्साइड, 3– क्लोरोप्रोपाइल ऑक्टाइल
585. सल्फर डायक्लोराइड
586. सल्फर डायोक्साइड
587. सल्फर मोनोक्लोराइड
588. सल्फर टेट्राफ्लोराइड
589. सल्फर ट्रायोक्साइड
590. सल्फयुरिक अम्ल
591. टेल्यूरिम (पॉवडर)
592. टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड
593. टीइपीपी (टेट्राइथाइल पायरोफोस्फेट)
594. टरबुफोस
595. टर्ट–ब्युटाइल एल्कोहल
596. टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सी कार्बोनेट
597. टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सी आयसोप्रोपाइल
598. टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सीसेटेट (कोन्स 70 प्रतिशत)
599. टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सीपायवेलेट (कोन्सा 77 प्रतिशत)
600. टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सीसो–ब्युटाइरेट
601. टेट्रा हाइड्रोफुरान
602. टेट्रा मिथाइल लेड
603. टेट्रा नाइट्रोमिथेन
604. टेट्रा क्लोरोडायबेन्जो–पी–डायोक्सीन, 1, 2, 3,7,8 (टीसीडीडी)
605. टेट्रा इथाइल लेड

606. टेट्राफ्लोरीथाइन
607. टेट्रामिथाइलीन डायसल्फोटेटरामाइन
608. थेलिक ऑक्साइड
609. थेलियम कॉर्बोनेट,
610. थेलियम सल्फेट
611. थेलोस क्लोराइड
612. थेलोस मेलोनेट
613. थेलोस सल्फेट
614. थायोकॉर्बजाइड
615. थायोसाइनामिक अम्ल, 2 (बेन्जोथायजोलिथियो) मिथाइल
616. थायोफेमोक्स
617. थायोमिटोन
618. थायोनेजिन
619. थायोनाइल क्लोराइड
620. थायोफेनोल
621. थायोसेमीकार्बाजाइड
622. थायोरिया(2– क्लोरोफिनाइल)
623. थायोरिया(2– मिथाइल–फिनाइल)
624. ट्रायपेट (2,4–डायमिथाइल–1,3–डायथायोलेन)
625. टायटेनियम पॉवडर
626. टायटेनियम टेट्रा–क्लोराइड
627. टॉल्यून
628. टॉल्यून–2,4–डाई– आईसोसाइनेट
629. टॉल्यून 2,6–डाई आईसोसाइनेट
630. ट्रान्स –1 ,4– डाई क्लोरो–ब्यूटिन
631. ट्राइ नाइट्रोएनीसोल
632. ट्राइ (सोइलोहेक्सोइल) मिथाइलस्टेइनाइल 1,2,4 ट्राइजोल
633. ट्राइ (सोइलोहेक्सोइल) स्टेनाइल–1 एच –1,2,3,–ट्राइजोल
634. ट्राइमिनोंट्रायनाइट्रोबेन्जीन
635. ट्रायएमफोस
636. ट्राइजोफोस
637. ट्राइब्रोमोफेनाल2,4,6
638. ट्राइक्लोरोनेफ्थालिन
639. ट्राइक्लोरो क्लोरोमिथाइल साइलेन
640. ट्राइक्लोरो एसेटाइल क्लोराइड
641. ट्राइक्लोरो डायक्लोरोफिनाइलसाइलिन
642. ट्राइक्लोरो इथाइल साइलेन
643. ट्राइक्लोरो इथायलिन
644. ट्राइक्लोरो मिथिन सल्फेनाइल क्लोराइड
645. ट्राइक्लोरोनेट
646. ट्राइक्लोरोफेनाल 2,3,6
647. ट्राइक्लोरोफेनाल 2,4,5
648. ट्राइक्लोरोफिनाइल साइलेन
649. ट्राइक्लोरोफोन
650. ट्राइथोक्सीसाइलेन
651. ट्राइथाइलेमाइन
652. ट्राइथाइलिन मेलामाइन
653. ट्राइमिथाइल क्लोरोसाइलेन
654. ट्राइमिथाइल प्रोपेन फोस्फाइड
655. ट्राइमिथाइल टीनक्लोराइड
656. ट्राइनाइट्रो एलिनाइन
657. ट्राइनाइट्रोबेंजीन
658. ट्राइनाइट्रोबेंजोइक अम्ल
659. ट्राइनाइट्रो फेनेटोल
660. ट्राइनाइट्रो–एम–क्रेसोल
661. ट्राइनाइट्रोटोल्युन
662. ट्राइ–ओरथोक्रेसिलफोसफेट
663. ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड
664. ट्रीस (2– क्लोरोइथाइल) एमाइन
665. टर्पेन्टाइन
666. यूरेनियम और उसके कंपाउन्डस
667. वेलिनोमाइसिन
668. वेनेडियम पेन्टाक्साइड
669. विनाइल एसीटेट मोनोनेर
670. विनाइल ब्रोमाइड
671. विनाइल क्लोराइड
672. विनाइल साइक्लोहेक्सेन डाइऑक्साइड
673. विनाइल फ्लोराइड
674. विनाइल नार्बोमिन
675. विनाइल टोल्युन
676. विनाइल्डीन क्लोराइड
677. वारफारिन

678. वारफारीन सोडीयम
679. जायलिन डायक्लोराइड
680. जायलाडाइन
681. जिंक डायक्लोरो पेंटा नाइट्राइल
682. जिंक फास्फाइड
683. जिर्कोनियम और कंपाउन्डस

अनुसूची–एक
(नियम 3 देखिये)
प्रतिष्ठान के पंजीयन हेतु शुल्क की अनुसूची

स.क्र	प्रतिष्ठान का वर्ग	पंजीयन शुल्क
1	10 से 50 श्रमिकों तक नियोजित प्रतिष्ठान	रू.1000/–
2	51 से 100 श्रमिकों तक नियोजित प्रतिष्ठान	रू. 3000/–
3	101 से 200 श्रमिकों तक नियोजित प्रतिष्ठान	रू. 5000/–
4	201 से 500 श्रमिकों तक नियोजित प्रतिष्ठान	रू. 7000/–
5	500 से अधिक श्रमिकों तक नियोजित प्रतिष्ठान	रू. 10,000/–

अनुसूची–दो
(नियम 4 देखिये)
अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	कारखाना	संयुक्त मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की श्रेणी से निम्न का न हो।
2.	कारखानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठान	उप श्रमायुक्त की श्रेणी से निम्न का न हो

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

घटनाओं के निम्नलिखित वर्गों को खतरनाक घटनाओं के रूप में नामित किया गया है,चाहे वे व्यक्तिगत चोट या अक्षमता से जुड़े हों या नहीं, अर्थात् :–

(एक) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त किसी भी उठाने वाले उपकरण या पाईपलाइन या उपकरण का फटना;

(दो) क्रेन, डेरिक, विंच, होईस्ट या अन्य उपकरण, जिसका उपयोग व्यक्तियों या सामान या उसके किसी हिस्से को ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए किया जाता हैं, या क्रेन को ओव्हरटर्निंग करने में उपयोग किया जाता हैं, का ढहना या विफल होना।

(तीन) विस्फोट, विस्फोटकों के कारण विस्फोट, आग, रिसाव या हानिकारक जहरीली गैसों की रिसाव, किसी भी पिघली हुई धातु के फटने, रिसाव या बाहर निकलने या गर्म तरल या गैस से किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट या किसी भी कमरे या स्थान को नुकसान होता है, जहाँ व्यक्ति कार्य करता हैं।

(चार) किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या गैस के संपीड़न के परिणामस्वरूप किसी तरल या ठोस के वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट।

(पांच) भवन या निर्माण सामग्री को संभालने के लिए उपकरण या होईस्ट या कन्वेयर या अन्य समान उपकरण उठाने या टूटने या रस्सी, चैन या ढीले गियर की विफलता या भवन या अन्य निर्माण कार्य में प्रयुक्त क्रेनों का ओव्हरटर्निंग; ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना;

(छः) किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, छत के पुल, सुरंग, चिमनी, दीवार, भवन या मिट्टी के नीचे या किसी अन्य संरचना, मंच, मंचन, मचान या फॉमवर्क सहित पहुंच के किसी भी साधन का ढहना; संपर्क कार्य, उत्खनन और संचरण का ढहना;

(सात) खतरनाक पदार्थों का छलकाव या रिसाव और उनके कंटेनर को नुकसान;

(आठ) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरण का ढहना, पलटना, गिराना या टकराना;

(नौ) किसी उत्खनन, लदान या परिवहन मशीनरी का ऊंचाई से गिरना;

(दस) जमीन के नीचे काम करने में एक स्तंभ या किसी स्तंभ का हिस्सा या कोयला बंकर या हॉपर के कई स्तंभों की तात्कालिक विफलता;

(ग्यारह) नीचे काम करने में चट्टान–विस्फोट; कामकाज के किसी भी हिस्से का समय से पहले ढहाव;

(बारह) किसी मशीन या उपकरण के एक अनिवार्य भाग का टूटना, तड़कना या विफलता, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है ;

(तेरह) किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने वाली स्लाइड, किसी भी मशीनरी को क्षति पहुंचाने या सामान्य खनन कार्यों में रूकावट पैदा करने वाली स्लाइड;

(चौदह) खुली खदान में काम करने में डंप या साइड में विफलता; कोई दरार;

(पन्द्रह) किसी भी संरचना या प्रतिष्ठान की विफलता, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या बिजली के फ्लैश–ओवर के कारण उत्पन्न चिंगारी, जिससे किसी व्यक्ति को जलन होती है;

(सोलह) पेट्रोलियम या रसायनिक रिसाव का कोई प्रमुख अनियंत्रित उत्सर्जन;

(सत्रह) या कोई अन्य घटना, जो कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निर्धारित किया जाये।

अनुसूची–चार
(नियम 20 देखिये)
सुरक्षा अधिकारियों की संख्या

(क) कारखानों के लिए –

स.क्र.	रोजगार	सुरक्षा अधिकारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	500 से 1000 कर्मचारी	एक सुरक्षा अधिकारी
2.	1001 से 2000 कर्मचारी	दो सुरक्षा अधिकारी
3.	2001 से 5000 कर्मचारी	तीन सुरक्षा अधिकारी
4.	5000 से ऊपर कर्मचारी	प्रत्येक 2500 अतिरिक्त कर्मचारियों पर एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी

(ख) खतरनाक प्रक्रिया/खतरनाक संचालन करने वाले कारखानों के लिए –

स.क्र.	रोजगार	सुरक्षा अधिकारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	250 से 500 कर्मचारी	एक सुरक्षा अधिकारी
2.	501 से 1000 कर्मचारी	दो सुरक्षा अधिकारी
3.	1001 से 2000 कर्मचारी	तीन सुरक्षा अधिकारी
4.	2001 से 5000 कर्मचारी	पांच सुरक्षा अधिकारी
5.	5000 से ऊपर कर्मचारी	प्रत्येक 1000 अतिरिक्त कर्मचारियों पर एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी

(ग) भवन या अन्य निमार्ण कार्य के लिए –

स.क्र.	रोजगार	सुरक्षा अधिकारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	250 से 500 कर्मचारी	एक सुरक्षा अधिकारी
2.	501 से 1000 कर्मचारी	दो सुरक्षा अधिकारी
3.	1001 से 2000 कर्मचारी	तीन सुरक्षा अधिकारी
4.	2001 से 5000 कर्मचारी	पांच सुरक्षा अधिकारी
5.	5000 से ऊपर कर्मचारी	प्रत्येक 1000 अतिरिक्त कर्मचारियों पर एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी

अनुसूची–पांच

(नियम 72 देखिये)

पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए देय शुल्क का मान और कारखानों के लिए अनुज्ञप्ति में संशोधन

भाग– क

भाग 'ख' एवं 'ग' में विनिर्दिष्ट कारखानों को छोड़कर, कारखानों के लिए अनुज्ञप्ति के पंजीकरण या नवीनीकरण तथा संशोधन के लिए देय शुल्क का मान, जैसा कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 2ब(एक) में परिभाषित अथवा धारा 81 के तहत् अधिसूचित किया गया है।

एच.पी.	श्रमिकों की संख्या											
	01–09 कार्य	10–20 कार्य	21–50 कार्य	51–100 कार्य	101–250 कार्य	251–500 कार्य	501–750 कार्य	750–1000 कार्य	1001–1500 कार्य	1501–2000 कार्य	2001–5000 कार्य	5000 से अधिक कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0–10	1440	2410	3370	4820	5790	11580	17370	19300	28960	38610	43440	57920
10–20	1920	3370	4820	7240	9650	14480	19300	24130	38610	43440	57920	72400
21–50	2410	4820	7240	9650	14480	19300	24130	33780	43440	57920	72400	86880
51– 100	3860	9650	14480	19300	24130	28960	33780	45850	57920	72400	86880	96530
101– 250	4820	14480	19300	24130	28960	33780	45850	53090	72400	86880	96530	106190
251– 500	7240	19300	24130	28960	33780	43440	57920	67570	86880	96530	106190	120670
501– 750	9650	24130	28960	33780	43440	53090	67570	77220	96530	106190	115840	125490
751– 1000	11580	28960	38610	43440	57920	62740	77220	86880	106190	115840	125490	135150
1001–2000	24130	33780	43440	53090	67570	77220	86880	96530	115840	125490	135150	144800
2001–3000	33780	38610	53090	67570	86880	106190	125490	144800	164110	183410	202720	222030
3001–4000	43440	53090	62740	77220	96530	115840	135150	154450	173760	193070	212380	231680
4001–5000	53090	62740	77220	96530	115840	135150	154450	173760	193070	212380	231680	250990
5000 से अधिक	62740	77220	96530	115840	135150	154450	173760	193070	212380	231680	250990	270300

भाग–ख

भाग 'ख' एवं 'ग' में विनिर्दिष्ट कारखानों को छोड़कर, कारखानों के लिए अनुज्ञप्ति के पंजीकरण या नवीनीकरण तथा संशोधन के लिए देय शुल्क का मान, जैसा कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 2ब(एक) में परिभाषित अथवा धारा 81 के तहत् अधिसूचित किया गया है।

(वार्षिक शुल्क रुपयों में)

श्रमिकों की संख्या								
20 तक	21 से 50	51 से 100	101 से 250	251 से 500	501 से 1000	1001 से 1500	1501 से 2000	2000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1140	2410	3860	4820	9650	24130	33780	38610	62740

भाग–ग

भाग 'ख' एवं 'ग' में विनिर्दिष्ट कारखानों को छोड़कर, कारखानों के लिए अनुज्ञप्ति के पंजीकरण या नवीनीकरण तथा संशोधन के लिए देय शुल्क का मान, जैसा कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 2ब(एक) में परिभाषित अथवा धारा 81 के तहत् अधिसूचित किया गया है।

(वार्षिक शुल्क रुपयों में)

मेगावाट	श्रमिकों की संख्या				
	100 तक	101–250	251–500	501–1000	1000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	48360	57920	67570	77230	86880
20–50	57920	67570	77230	86880	96530
50–100	67570	77230	86880	96530	106190
100–250	77230	86880	96530	106190	115840
250–500	86880	96530	106190	115840	125490
500–1000	96530	106190	115840	125490	135150
1000 से अधिक	115840	125490	135150	144800	154450

कारखाने के विभिन्न श्रेणियों के लिये अनुसूची–चार के भाग–क, भाग–ख, भाग–ग में निर्धारित शुल्क, उस वर्ष, जिसमें ये नियम प्रवृत्त होंगे, के पहले दिन से लागू होगा तथा उसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष में देय शुल्क में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

अनुसूची–छः
(नियम 65)
बीड़ी और सिगार कार्य हेतु परिसर की लाईसेंस हेतु शुल्क की अनुसूची–

	शक्ति से चलित मशीनों का उपयोग करने वाले औद्योगिक परिसरों के लिए शुल्क	शक्ति से चलित मशीनों का उपयोग नहीं करने वाले औद्योगिक परिसरों के लिए शुल्क
	(1)	(2)
वित्तीय वर्ष, जिसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है अथवा नवीनीकरण किया जाना है, में नियोजित कर्मकारों का अथवा प्रस्तावित नियोजन, यदि –	रू.	रू.
(क) दस से अधिक परन्तु बीस से कम	1500	1000
(ख) बीस से अधिक परन्तु पचास से कम	2500	2000
(ग) पचास से अधिक परन्तु सौ से कम	4000	3000
(घ) सौ से अधिक परन्तु दो सौ पचास से कम	7000	5000
(ङ) दो सौ पचास अथवा अधिक	10000	7000

अनुसूची–सात
(नियम 81)
वातितपेय का विनिर्माण तथा उससे आनुशंगिक प्रक्रिया

1. **यंत्रों की बाड़ लगाना.–** बोतलों या सायफनों के भरने के काम में लाए जाने वाले समस्त यंत्र इस प्रकार निर्मित किए जायेंगे, रखे जाएंगे या बाड़ युक्त किए जाएंगे, जिससे जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, फटने वाली बोतल या सायफन के टुकड़े की प्रतिष्ठान में नियोजित किसी व्यक्ति के लगने से रोक हो सके।

2. **फेस गार्ड्स तथा लोहे के दस्ताने.–**

(1) दखलकार, बोतलों या सायफनों के भरने के कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए

(क) चेहरा, गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त फेस गार्डसः और

(ख) दोनों बाहों की रक्षा करने के लिए पूरी बाहों के लिए उपयुक्त दस्तानेः प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगाः परन्तु यह कि –

(एक) खण्ड 2 उस दशा में लागू नहीं होगी, जहाँ स्वचालित यंत्र से भरी जाती हों, जो इस प्रकार निर्मित हो कि फटने वाली बोतल का कोई भी टुकड़ा न निकल सकता हो; और

(दो) जहाँ यंत्र इस प्रकार निर्मित हो कि उस पर कार्य कर रहे बोतल भरने वाले की केवल एक वाह ही खतरे में हो तो उस हाथ के लिए जो खतरे में न हो, लोहे का दस्ताना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) दखलकार, उन समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए बोतलें या सायफनों में डाट लगाने, ढक्कन लगाने, पेंच लगाने, तार लगाने, पन्नी लगाने, केप्सूलिंग साइटिंग या उन पर लेबल चिपकाने के कार्य में लगे हों

(क) चेहरे, गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त फेस गार्डस, और

(ख) बाहों का और कम से कम आधी हथेली और अंगूठे और तर्जनी के मध्य स्थल की रक्षा करने के लिए दोनों बाहों के लिए लोहे के उपयुक्त दस्ताने प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा।

3. **फेस गार्ड्स तथा लोहे के दस्तानों का पहना जाना.–** खण्ड 2 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में लगे हए समस्त व्यक्ति, ऐसी प्रक्रियाओं में कार्य करते समय उक्त कंडिका के उपबंधों के अधीन प्रदान किए गए फेस गार्डस तथा लोहे के दस्ताने पहनेंगे।

4. **चिकित्सीय परीक्षण.–**

(1) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार वाति पेय प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस तथा स्वास्थ्य पंजी को, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–आठ

(नियम 81)

धातु की वस्तुओं के इलेक्ट्रोलाइट, क्रोमियम, निकल, केडेमियम, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना आदि के रूप में धातुओं के अम्ल, भस्म या लवण अन्तर्विष्ट हों, के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग या आक्सीडेशन

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन हेतु–

   (क) **''इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रियाएं''** से अभिप्रेत है धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्रोमियम, निकल, केडेमियम, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना आदि के रूप में धातुओं के अम्ल, भस्म या लवण अन्तर्विष्ट हों, के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग या आक्सीडेशन;

   (ख) **''बाथ'** से अभिप्रेत है कोई ऐसे बर्तन, जो इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया या किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता हो;

   (ग) **''नियोजित''** से अभिप्रेत है ''बाथ'' के द्रव से सम्पर्क सन्निहित करने वाली किसी प्रक्रिया में नियोजित।

2. **वायु निष्कासन.–** ऐसे प्रत्येक बर्तन में, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया की जाती है, प्रभावी वायु निष्कासक प्रयुक्त किया जायेगा। ऐसे वायु निष्कासक की व्यवस्था यांत्रिक साधन द्वारा की जाएगी और वह प्रक्रिया में निकली हुई वाष्प या फुहार पर उसके उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगी। वायु निष्कासन उपकरण इस प्रकार सन्निर्माण, व्यवस्थित तथा संधारित किए जाएंगे कि जिससे किसी कमरे या स्थान में जिसमें कार्य चल रहा हो, वाष्प या फुहार के प्रवेश को रोका जा सके।

3. **अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.–** किसी भी अल्पवयस्क को बाथ पर नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

4. **कार्य के कमरों के फर्श.–** प्रत्येक कमरे का फर्श जिसमें बाथ हो, जल के लिए अभेद्य होगा। फर्श अच्छा तथा समतल दशा में रखा जाएगा और कम से कम एक दिन में एक बार धोया जायेगा।

5. **रक्षात्मक युक्तियाँ.–**

   (1) कारखाने का अधिभोगी, ऐसे समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए जो ऐसी प्रक्रिया में नियोजित किए गए हों, जिसमें उनका किसी द्रव से संपर्क होना प्रत्याशित हो, सुरक्षात्मक उपकरणों के रूप में निम्नलिखित वस्तुओं का प्रदाय करेगा और उन्हें अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और ऐसे उपकरण संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहने जायेंगेः–

   (क) वाटर प्रूफ एप्रैन तथा उपकरण; और

(ख) बाथ पर विस्तृत कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए, रबर के ढीले दस्ताने तथा रबर के बूट या अन्य वाटर प्रूफ जूते तथा रासायनिक चश्मे;

(2) अधिभोगी, नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के संग्रहण तथा सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उसे बनाए रखेगा।

6. **पानी की सुविधायें.**– (1) इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रियाओं और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिये

(क) आवरणयुक्त प्रक्षालन स्थान होगा, जो निम्न में से किसी एक प्रकार का होगा–

(एक) अभेद्य सतह वाली ट्रे होगी, जिसमें निकास पाइप लगा हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई भी हो कि एक समय में प्रत्येक 5 नियोजित व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से.मी. स्थान उपलब्ध हो और ट्रे पर 60 से.मी. से अनधिक अंतराल पर लगी टोटियां या जेट (तीव्रधार) से पानी निरन्तर मिलता हो; या

(दो) कम से कम किसी एक समय में नियोजित ऐसे हर पाँच व्यक्तियों के लिए एक वाश बेसिन होगा, जिसमें निकास पाइप तथा निरन्तर पानी मिलने की व्यवस्था होगी।

(ख) साफ तौलियों का पर्याप्त रूप से प्रदाय होगा व प्रतिदिन वे बदले जाएंगे और साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे।

(2) पैरा (1) में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त एक अनुमोदित प्रकार का इमरजेन्सी शावर, जिसमें आंख धोने का झरना होगा, की व्यवस्था होगी तथा उसे अच्छी कार्य दशा में अनुरक्षित किया जायेगा। जहाँ कहीं आवश्यक हो पानी का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 लीटर क्षमता के स्टोरेज टैंक की आपातकालीन उपयोग हेतु स्वच्छ जल प्रदाय के स्त्रोत के रूप में व्यवस्था होगी।

7. **चेतावनी की आम सूचना.**– निम्न प्ररूप में विनिर्दिष्ट तथा नियोजित कर्मकारों में से अधिकांश द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपा हुआ चेतावनी का एक आम सूचना प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर जुड़ा हुआ होगा, जहाँ से वह कर्मकारों द्वारा आसानी तथा सुगमता से पढ़ा जा सके।

चेतावनी

इलेक्ट्रोलाइटिंक प्लेटिंग

1. इस संयंत्र में संधारित रसायन संक्षारक तथा जहरीले हैं।
2. इस क्षेत्र में धूम्रपान, तम्बाकू खाना, भोजन करना या पानी पीना प्रतिषिद्ध है। इस क्षेत्र में कोई खाद्य या पेय सामग्री नहीं लाई जायेंगी।
3. इन रसायनों में से कुछ त्वचा के माध्यम से सोख लिए जा सकते हैं तथा जहरीला प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
4. खाना खाने के पूर्व भली प्रकार प्रक्षालन करें।
5. इस क्षेत्र में कार्य करते समय प्रदाय की गई सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करें।
6. शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर रसायन गिरने या फैल जाने पर तत्काल पानी से उसे धोया जाए।
7. सभी कर्मकार उनके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु निर्धारित चिकित्सीय जाँच हेतु नियमित रूप से उपस्थित होंगे।

8. चिकित्सीय परीक्षण.–

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा; और

(ग) विभिन्न बक्सों में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त बैरियर क्रीम, आइन्टमेन्ट और इमपेरीमेबल वॉटर प्रूफ प्लास्टर अनुरक्षित करेगा, जो कर्मकारों को आसानी से पहुँच गम्य होकर पूर्णतः वहीं सामान रखने के उपयोग में लिया जाएगा। यदि बाथ में सायनाइड का उपयोग होता हो तो बक्से में आपातकालीन सायनाइड किट भी सम्मिलित होगी।

(2) इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकारों का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह फिटनेस प्रमाणपत्र प्ररूप–पच्चीस में जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस

कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के पंजी को, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–नौ

(नियम 81)

इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स का विनिर्माण तथा उनकी मरम्मत

1. **व्यावृत्तियाँ.–** यह अनुसूची ऐसे इलेक्ट्रिक एक्यमुलेटर्स या उनके भाग के विनिर्माण या उनकी मरम्मत को, जिनमें सीसा या सीसे का कोई यौगिक अन्तर्विष्ट न हो या किसी एक्युमुलेटर की, जो किसी स्थावर बैटरी का भाग है, परिसर पर मरम्मत को लागू नहीं होगी।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–
   (क) **"सीसे की प्रक्रिया"** से अभिप्रेत है, सीसे या सीसे युक्त किसी पदार्थ को गलाने, ढालने, सीसा जलाने या कोई अन्य कार्य, जिसमें लेपनयुक्त चादरों को छांटना या कोई अन्य आकर्षण या काटना सम्मिलित है, जिसमें सीसे के किसी आक्साइड का उपयोग वहन या अभिसाधन या उससे संस्पर्श सन्निहित हो;
   (ख) **"सीसे के रॉआक्साइड का अधिसाधन"** से अभिप्रेत है, सीसे की प्रक्रिया, जिसमें सीसे का किसी पात्र में या एक संक्रिया से दूसरी संक्रिया में किसी उपकरण के द्वारा संवहन को छोड़कर सीसे के रॉआक्साइड का कोई अभिसाधक या वहन सन्निहित हों।

3. **अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध.–** किसी भी अल्पवयस्क को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी कमरे में जिसमें सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. **कतिपय प्रक्रियाओं का पृथक्करण.–** निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा, जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य प्रक्रिया से प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके –
   (क) सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन;
   (ख) लेपन;
   (ग) लेपित चद्दरों को सुखाना;
   (घ) सीसे के जलाने के निर्माण (टकिंग) जो उसके संबंध में आवश्यक रूप से किया जाता हो.
   (ङ) लेपित चद्दरों को लगाना।

5. **वायु स्थान.–** प्रत्येक कमरे में, जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, वहाँ उसमे नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम चौदह क्यूबिक मीटर वायु स्थान होगा और इस वायु स्थान की संगणना करने में तीन मीटर से ऊपर की ऊंचाई की गणना नहीं की जायेगी।

6. **संवातायन.–** कार्य के प्रत्येक कमरे में, पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार की व्यवस्था होगी, जिससे कमरे के समस्त भागों में कार्यसाधन संवातायन प्राप्त किया जा सके तथा बनाये रखा जा सके।

7. **लेपन कार्य के कमरे में कर्मकारों के मध्य दूरी.–** लेपन कार्य के प्रत्येक कमरे में, किसी लेपन के कार्य करने की स्थिति के केन्द्र और उसके निकटतम कार्य करने वाले लेपक के मध्य दूरी पांच फीट से कम नहीं होगी।

8. **कार्य के कमरों के फर्श.–**

(1) प्रत्येक कमरे का, जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, फर्श–

(क) सीमेंट या समान पदार्थ का होगा, जो चिकना हो और जल से अभेद्य रहे;

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा;

(ग) ऐसी सामग्री, संयंत्र या अन्य बाधा से, जो कमरे में की जा रही प्रक्रिया के लिए अपेक्षित न हो, या उसमें निर्मित न की गई हो, रहित रखा जाएगाः

(2) ग्रिड ढालने वाली दुकानों को छोड़कर ऐसे समस्त कमरों के फर्श –

(क) जब कमरे में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किया जाएगा।

(3) ग्रिड ढालने वाली दुकानों में, फर्श को प्रतिदिन साफ किया जाएगा।

(4) पैरा (1), (2) तथा (3) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन या लेपन का कार्य किया जाता हो, वहाँ के फर्श को–

(क) जब कार्य किया जा रहा हो लगातार गीला भी रखा जाएगा;

(ख) जल निकास के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी;

(ग) होज पाइप द्वारा प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाएगा।

9. **कार्य करने की बेंचें.–** कार्य करने की बेंचें, जिन पर सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो–

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी;

(ख) समस्त सामग्री या संयंत्र से जो वहाँ की जा रही प्रक्रिया अपेक्षित न हो या उससे निर्मित न किए गए हों, रहित की जाएगी; और

(ग) ग्रिड को ढालने वाली दुकानों को छोड़कर कार्य करने की ऐसी समस्त बेंचें जब उन पर कोई अन्य कार्य किया जा रहा हो तो पूर्ण रूप से गीली किए जाने के पश्चात् या सफाई करने के चूषण (सक्शन) साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जाएगी; और

(घ) ग्रिड ढालने वाली दुकानों में कार्य करने की ऐसी समस्त बेंचे प्रतिदिन साफ की जाएंगी; और

(ङ) पिन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कार्य की प्रत्येक बेंचें सीसे की चद्दर से या किसी अन्य अभेद्य सामग्री से पूरी ढंकी जाएंगी;

(च) उसके किनारे उठे हुए होंगे;

(छ) लेपन क्रिया की जाते समय लगातार गीली रखी जाएगी।

10. **वायु निष्कासन.–** कार्यसाधक वायु निष्कासन को उपयोग में लाए बिना निम्नलिखित प्रक्रियाएँ नहीं की जाएंगी–

(क) सीसे को या सीसे युक्त पदार्थों को गलाने की;

(ख) सीसे के रॉ–आक्साइड के अभिसाधन की जब तक कि वह बंद साधित्र में न की जाए, जिससे कार्य के कमरे में धूल के फैलने की रोक हो सके;

(ग) लेपन कार्य;

(घ) लेपित चद्दरों को छांटने, रेतने या कोई अन्य अवघर्षण या काटने का कार्य जिससे धूल उत्पन्न हो;

(ङ) निम्नलिखित को छोड़कर सीसे को जलाने की क्रियाः–

(एक) निर्माण के कमरे में टेकिंग,

(दो) सैल के आवरणों के लिए सीसे का अस्तर बनाने हेतु रासायनिक जलाने की क्रिया जो ऐसी रीति में की जाती है कि कार्यसाधक निष्कासन की प्रयुक्ति अव्यवहाँर्य होती है, छोड़कर सीसे के जलाने की क्रिया। ऐसा वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा किया जाएगा और निकली हुई धूल या धुएँ पर उसके उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगा. जिससे किसी कमरे की जिसमें व्यक्ति कार्य करता है, के वायु में उसके प्रवेश को रोका जा सके।

11. **मेल्टिंग पाट (मूषा) से निकलने वाला धुआँ तथा गैस.–** किसी मेल्टिंग पाट के गर्म किए जाने से उत्पन्न होने वाले ज्वलनशील उत्पादों को किसी कमरे में जिसमें व्यक्ति कार्य करता हो, नहीं जाने दिया जाएगा।

12. **मैल रखने के लिए पात्र.–** कस कर लगने वाले ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जो मैल के लिए जैसे ही वह प्रत्येक मेल्टिंग पाट से निकाला जाए, उपयोग में लाया जाएगा, ऐसा पात्र जब कार्य के कमरे में हो तो उस दशा के अतिरिक्त जबकि उसमें मैल इकट्ठा किया जा रहा हो, ढका हुआ रखा जायेगा।

13. **सीसे से क्षेप्य के लिए पात्र.–** कार्य के प्रत्येक कमरे में एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पुरानी चद्दरें तथा क्षेप्य पदार्थ जिनसे धूल उत्पन्न हो सकती हो, निक्षेप किए जाएंगे।

14. **सुखाने के कमरे में रेक तथा शेल्फ.–** सुखाने के किसी कमरे में दिए गए रेक या शेल्फ फर्श से 8 फीट से अधिक नहीं होंगे, न ही 2 फीट से अधिक चौड़े होंगेः

परन्तु, दोनों ओर से बन्द होने वाले या निकलने वाले रेकों या शेल्फों के संबंध में कुल चौड़ाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी। ऐसे रेक या शेल्फ केवल अच्छी तरह से नम किए जाने पर ही साफ किए जाएंगे, जब तक कि इस प्रयोजन के लिए सफाई का कार्यसाधक चूषण–साधित्र ही उपयोग में न लाया जाए।

15. **चिकित्सीय परीक्षण.–**

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान, जिसमें इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स (विद्युत संचय यंत्र) का विनिर्माण और मरम्मत कार्य चलाया जाता हो, का अधिभोगी –

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में पेशाब तथा खून में सीसे की मात्रा की, यूरिन–हीमोग्लोबिन में ए.एल. ए. की मात्रा की कोशिकाओं (सेल्स) में छिद्रता तथा स्थिरता की जाँच निहित होगी। किसी भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के पश्चात् प्रतिष्ठान में तब तक काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक उसे ऐसे निष्पादन हेतु चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ प्रमाणित न कर दिया गया हो।

उक्त प्रक्रिया में, नियोजित प्रत्येक कर्मकार का प्रत्येक तीन कैलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे पुनः परीक्षण में, जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे। उप–पैरा (1) में विनिर्दिष्ट जाँच भी निहित होगी।

(3) इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स का विनिर्माण और मरम्मत हेतु नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(6) अभिलेख को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखा जाएगा।

16. **सुरक्षात्मक वस्त्र.**–निम्नलिखित में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें अच्छी हालत में रखा जाएगाः–

(क) सीसे के रॉआक्साइड के अभिसाधन;

(ख) लेपन;

(ग) विरचन कक्ष;

और ऐसे वस्त्र सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा पहने जायेंगे, सुरक्षात्मक वस्त्रो में एक जलसिद्ध लबादा तथा जल सिद्ध जूते और सीसे के रॉआक्साइड के अभिसाधन या लेपन में नियोजित व्यक्तियों के लिए हेड कवरिंग्स भी होंगे। हेड कवरिंग प्रतिदिन धोए जाएंगे।

17. **भोजन कक्ष.–** सीसे की प्रक्रिया में नियोजित तथा भोजन के अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की, जो

(क) पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से; और

(ख) भोजन गरम करने के लिए समुचित साधनों से सज्जित होगा, व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा। भोजन का कमरा एक उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा।

18. **क्लॉक रूम–** सीसे की प्रक्रिया में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा–

(क) कार्य के घण्टों के दौरान में उतारकर रखे गए वस्त्रों को रखने, साथ ही वस्त्रों को, यदि गीले हों तो सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था से युक्त एक क्लोक रूम होगा। ऐसा आवास भोजन कक्ष से पृथक् होगा;

(ख) खण्ड 16 के अधीन प्रदत्त किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक् तथा उपयुक्त प्रबंध किया जायेगा।

19. **प्रक्षालन की सुविधाएँ.–** सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगाः–

(क) आच्छादित प्रक्षालन स्थान, जिसमें या तो

(एक) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोटियों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो; या

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा और जिसमें जल का समतल प्रदाय होता हो;

(तीन) उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का जो प्रतिदिन बदली जाएंगी, पर्याप्त प्रदाय होगा, जिस प्रदाय में उपकारों तथा सीसे की रॉआक्साइड के अभिसाधन में नियोजित व्यक्तियों की दशा में ऐसे प्रत्येक

कर्मकार के लिए एक पृथक् रूप से चिन्हित तौलिया सम्मिलित होगा; और

(चार) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रशों का पर्याप्त प्रदाय।

(ख) इसके अतिरिक्त उन कमरों के निकट, जिनमें सीसे के रॉ आक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित सूचना द्वारा ऐसी अपेक्षा करे तो प्रचालन की व्यवस्था की जाएगी।

20. **प्रक्षालन के लिए समय का दिया जाना.–** प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्ति के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, जो सीसे के रॉ–आक्साइड के अभिसाधन में या लेपन कार्य में नियोजित किया गया हो, नियमित रूप से दिये जाने वाले भोजन के समय के अतिरिक्त कम से कम दस मिनट प्रक्षालन के हेतु दिए जाएंगे :

परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए एक बेसिन या 60 सेंटीमीटर टब हो तो यह नियम लागू नहीं होगा।

21. **नहाने की सुविधाएँ.–** सीसे के रॉ–आक्साइड के अभिसाधन या लेपन कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्तियों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के समाधान योग्य पर्याप्त नहाने के स्थान और साबुन तथा स्वच्छ तौलियों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था की जाएगी।

22. **कार्य के कमरों में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना.–** कार्य के किसी भी कमरे में. जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो किसी भी खाद्य, पेय, पान तथा सुपारी या तम्बाकू का उपयोग किया जायेगा या ना ही उसे खरीदा जायेगा।

अनुसूची–दस
(नियम 81)
कांच विनिर्माण

1. **छूट.–** यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का किसी प्रतिष्ठान या प्रक्रिया के किसी भी वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाये कि कार्य की विशेष पद्धतियों या किसी प्रतिष्ठान की विशेष स्थितियों के कारण या अन्यथा उसमें नियोजित व्यक्तियों को खतरा पहुँचाए बिना इस अनुसूची की किन्हीं भी अपेक्षाओं को निलंबित या शिथिल किया जा सकता या इस अनुसूची या उसके किसी भी भाग की प्रयुक्ति किसी भी कारण से अव्यवहॉर्य है, तो वह लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा ऐसे निलंबन या शिथिल किए जाने को ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि वह उचित समझे, प्रमाण पत्र में निदेशित किए गए अनुसार प्राधिकृत कर सकेगा।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

   (क) **"कार्य साधक वायु निष्कासक"** से अभिप्रेत है, गैस, वाष्प, धूल या धुएं को निकालने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो (प्रायः रहने वाली वायुमण्डलीय स्थितियों में यथा व्यवहॉर्य) वायु में मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधन नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले धुएँ को, जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प या धूल उत्पन्न होती हो, न हटा सकता हो।

   (ख) **"सीसे से यौगिक"** से अभिप्रेत है, कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक से है, जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक की कुछ मात्रा देता है, जो लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक होता है। शोधन की पद्धति निम्नानुसार होगीः–

   पदार्थ की तौली हुई मात्रा, जो 190 सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गुनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा, पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी, लगातार एक घंटे तक हिलाई जाएगी। इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा। छाने गए स्वच्छ घोल के लेड साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में नीचे तल में बैठ जायेगा और लेड सल्फेट के रूप में उनका भार ले लिया जाएगा।

3. **वायु निष्कासन.– कार्यसाधक वायु निष्कासक के अधीन या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन ही, जैसा कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया जाये, निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाएंगी, अन्यथा नहीं :–**

(क) कच्चे माल का 'समूह' बनाने हेतु मिश्रण;

(ख) काँच या काँच की किन्हीं भी वस्तुओं का सूखा पीसा जाना, चमकाया जाना और उन पर पालिश किया जाना;

(ग) वे समस्त प्रक्रियाएँ, जिनमें हाइड्रोफ्लूरिक एसिड का धुआँ या अमोनिया की वाष्प निकलती हो;

(घ) भट्टी के साँचों या पात्रों के बनाने में समस्त प्रक्रियाएँ, जिनके उपयोग में लाए गए पात्रों का प्रेषण या दलन सम्मिलित है;

(ड.) वे समस्त प्रक्रियाएं जिसमें शुष्क शीशे के यौगिक को उपयोग में लाया जाता है।

4. **अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध.–** किसी भी अल्पवयस्क को खण्ड 3 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में या किसी स्थान पर, जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों, नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

5. **फर्श और कार्य करने की बेंचे.–** ऐसे प्रत्येक कमरे के, जिसमें सीसे के शुष्क यौगिक का शोधन किया जाता हो या जिसमें सिलिका धूल निकलने वाली कोई प्रक्रिया की जाती हो, फर्श तथा कार्य करने की बेचों को गीला रखा जाएगा और वह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करेगाः–

फर्श –

(क) सीमेंट के समान पदार्थ के होंगे, जिससे चिकने हों तथा जल से अभेद्य रहे;

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे; और

(ग) जब कमरे में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किए जाएंगे।

कार्य करने की बेंचें –

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी, और

(ख) जब उन पर कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो तो या पूर्ण रूप से गीली किए जाने के पश्चात् या सफाई करने के चूषण साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जायेंगी।

6. **हाइड्रोफ्लूरिक एसिड का उपयोग.–** उन कमरों को, जिनमें कांच का हाइड्रोफ्लूरिक एसिड से शोधन किया जाता हो, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :–

(क) पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार होंगे, जिससे कमरे के समस्त भागों में कार्यसाधक संवातन किए जा सकें तथा बनाए रखा जा सके;

(ख) फर्श गटापारचा से ढका हुआ तथा दृढ़ होगा और ढकी हुई नाली की ओर क्रमशः ढालू होगा;

(ग) कार्यस्थलों को बहिवर्ती हुडों से इस प्रकार परिवेष्ठित किया जाएगा, जिसने शोधित की जाने वाली वस्तुओं को भीतर जाने के लिए अपेक्षित मार्ग या व्यवहॉर्य छोटे होंगे;

(घ) कार्यसाधक वायु निष्कासन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे गैसे नीचे की ओर निष्कासित हों।

7. **हाइड्रोफ्लूरिक एसिड का परिसंग्रहण तथा परिवहन.–** हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, सीसे या रबर के बने हुए सिलेण्डरों या पात्रों में ही संग्रहित की जाएगी या भेजी जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **फुकनी–** प्रत्येक शीशागार को एक पृथक् फूंकनी दी जाएगी, जिस पर उस व्यक्ति का, जिसे वह दी गई हो, विशिष्ट चिन्ह होगा और प्रत्येक शीशागार को अपनी फूंकनी जीवाणु शून्य करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ तुरन्त उपलब्ध होंगी।

9. **कार्य के कमरे में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना.–** किसी भी कमरे में या कार्यस्थल में, जिसमें खण्ड–3 मे उल्लिखित की गई कोई भी प्रक्रिया की जा रही हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय, पान तथा सुपारी और तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपभोग किया जाएगा।

10. **सुरक्षात्मक वस्त्र.–** दखलकार कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के प्रकार के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों, जूतों और चश्मों की व्यवस्था करेगा, उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा और ऐसे वस्त्र, जूते आदि सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे।

11. **प्रक्षालन की सुविधाएँ–** कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाये रखा जाएगा –

(क) प्रक्षालन स्थान, जिसमें या तो–

(एक) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोटियों या फव्वारों से, जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो; या

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्ति के लिए कम से कम एक, वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या

सदैव शीघ्रता से उपलब्ध होगा और साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रश सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का, जो प्रतिदिन बदली जाएगी, पर्याप्त प्रदाय होगा; और

(ख) टोंटियों सहित खड़े नल पर्याप्त संख्या में होंगे और ऐसे खड़े नलों की संख्या और स्थिति मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के समाधान योग्य होगी।

12. चिकित्सीय परीक्षण.–

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में, जिसमें ग्लास विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, उसका अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) काँच निर्माण प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार काँच विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–ग्यारह

(नियम 81)

धातुओं की पिसाई या पॉलिश तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रियाएँ

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए–
   (क) 'सान' से अभिप्रेत है, प्राकृतिक या विनिर्मित बालुआ पत्थर से बनी हुई सान किन्तु उसमें धातु चक्र या बेलन, जिसमें प्राकृतिक या विनिर्मित सान के टुकड़े अन्वायोजित किए गए हों, सम्मिलित नहीं हैं;
   (ख) 'आघर्षी चक्र' से अभिप्रेत है ऐसे चक्र से, जो बोण्डेड कुरून्द से या समान अपघर्षक से विनिर्मित हो;
   (ग) 'पिसाई' से अभिप्रेत है, यांत्रिक शक्ति की सहायता से सान या अपघर्षक चक्र के द्वारा धातु का अवघर्षण;
   (घ) पालिश' से अभिप्रेत है, यांत्रिक शक्ति की सहायता से किसी चक्र बर्फ, झाड़ने या सदृश्य उपकरण के द्वारा, जिसमें कोई अपघर्षक या चमकाने वाला पदार्थ संलग्न या प्रयुक्त हो,धातु का अपघर्षण, पालिश करना या परिष्कृत करना;
   (ङ) 'रेसिंग' से अभिप्रेत है, प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व परिभ्रामी सान की घुमाई, कटाई या उसका परिष्कार करना;
   (च) 'हेकिंग' से अभिप्रेत है, हेक या समान औजारों के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान के तल का परिष्कृत करना;
   (छ) 'रॉडिंग' से अभिप्रेत है, रॉड, छड़ या धातु की पट्टी के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान तल को परिष्कृत करना।

2. **अपवाद.–**
   (1) इस अनुसूची की कोई भी बात प्रतिष्ठान के किसी ऐसे भाग को छोड़कर, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति धातुओं की पिसाई या पालिश करने में पूर्णतः या मुख्यतः नियोजित किए गए हों. जिसमें केवल मरम्मत की जाती हो, लागू नहीं होगी।
   (2) पैरा 4 को छोड़कर इस अनुसूची की कोई भी बात धातुओं की किसी पिसाई या पालिश करने को लागू नहीं होगी, जो रुक–रुककर की जाती हों और जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी सप्ताह में 12 घण्टे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है !
   (3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, लिखित प्रमाणपत्र द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हए, जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में इस अनुसूची के किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा या उन्हें निलंबित कर सकेगा, यदि कार्य की विशेष पद्धतियों के कारण या अन्यथा नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरे के बिना ऐसी छूट या ऐसा निलंबन व्यवहॉर्य हो।

3. **धूल को हटाने के लिए उपकरण.–** कोई भी रेसिंग, शुष्क पिसाई या पालिश का कार्य निम्नलिखित के बिना नहीं किया जाएगा–

(क) कोई हुड या अन्य उपकरण इस प्रकार निर्मित, विन्यस्त, स्थापित तथा अनुरक्षित होगा, जिसमें फेंकी गई धूल को सारतः रोका जा सके; और

(ख) समुचित आकार की एक नालिका, जो वायुरोधी होगी और इस प्रकार विन्यस्त होगी, जो धूल को दूर ले जाने में समर्थ हो, उस नालिका को बाधा से मुक्त रखा जाएगा और निरीक्षण तथा सफाई के लिए उसे पहुँच के उचित साधनों से युक्त रखा जाएगा और जहाँ व्यवहार्य हो, पंखे से दूरस्थ छोर पर ऐसे संयोजन से युक्त रखा जाएगा, जिससे निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता उक्त नलिका में वायु के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी उपकरण को उससे संलग्न कर सके, और

(ग) एक पंखा या धूल खींचने के लिए पर्याप्त वायु उत्पन्न करने के अन्य कार्यसाधक साधनः

परन्तु, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी अन्य उपकरण को स्वीकार कर सकेगा, जो उसकी राय में फेंकी हुई धूल को रोकने, हटाने तथा उसके निराकरण के लिए उतना ही प्रभावी हो, जितना हुड, नलिका और पंखा होता।

4. **पिसाई की संक्रिया में नियोजन पर निर्बन्धन.–** सान, अपघर्षी चक्र या पालिश के उपकरण पर किसी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पिसाई या पालिश की वास्तविक प्रक्रिया को नहीं करेंगेः

परन्तु, यह कंडिका किसी ऐसे सान, अपघर्षी चक्र या पिसाई के उपकरण पर भारी अथवा स्थूल वस्तुओं के अभिसाधन में सहायता करने के लिए व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करेगी।

5. **पालिश.–** किसी भी कमरे में, जिसमें सान पर पिसाई की जाती हो, सान पर आर्द्र पिसाई से प्रासंगिक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, पालिश या अन्य प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

6. **हेकिंग और रॉडिंग.–** हेकिंग या रॉडिंग तब तक नहीं किया जायेगी, जब तक कि प्रक्रिया के दौरान में या तोः

(क) सान की ऊपरी तल पर जल का पर्याप्त प्रदान न रखा गया हो, या;

(ख) खण्ड 3 की अपेक्षाओं के अनुसार धूल को रोकने के लिए पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था न कर दी गई हो।

7. **धूल उपकरण का परीक्षण.–**

(क) धूल के निकालने या दबाने के लिये समस्त उपकरणों का कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार सक्षम व्यक्ति दवारा परीक्षण किया जाएगा और उसकी जाँच की जाएगी और ऐसे परीक्षण तथा ऐसी जाँच के द्वारा पाई गई कोई त्रुटि यथा व्यवहार्य शीघ्र शोधित कर दी जाएगी।

(ख) प्ररूप–27 में एक ऐसी पंजी रखा जाएगा, जिसमें ऐसे परीक्षण और जाँच के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

8. चिकित्सीय परीक्षण.–

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान , जिसमें धातुओं की पालिश तथा प्रक्रियाओं का कार्य चलाया जाता हो, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) धातुओं की घिसाई या पॉलिश और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार पिसाई या घिसाई की प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–बारह
(नियम 81)
शीशे तथा शीशे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधन

1. **छूट.–** जहाँ मुख्य निरीक्षक का यह समाधान हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध, नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है तो वह लिखित में प्रमाण पत्र द्वारा किसी प्रतिष्ठान का, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे समस्त या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगा।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए–

(क) **"सीसे के यौगिक"** से अभिप्रेत है, कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक, जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक के कुछ मात्रा देता है, जो लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक होता है। रंग लेपों तथा समान उत्पादों और अन्य मिश्रण जिसमें तेल या वार्निश अन्य साधन अंतर्वलित हो ऐसी दशा में, अभिप्रेत है, तेल वार्निश या अन्य साधन को हटाने के लिए पदार्थ को उपयुक्त घोलकों से पूर्णतया मिलाने तथा शोधित करने के पश्चात् शेष बचे पदार्थ के शुष्क भार। शोधन पद्धति निम्नानुसार होगीः–

पदार्थ की तौली हुई मात्रा जो 100 डिग्री सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गुनी हाइडोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा, पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी, लगातार एक घण्टे तक हिलाई जाएगी। इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा। छाने गए स्वच्छ घोल के लेड साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में निष्पादित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में उसका भार ले लिया जाएगा।

(ख) **"कार्यसाधक वायु निष्कासन"** से अभिप्रेत है, गैस, वाष्प, धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप या यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन, जिससे इन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो (प्रायः रहने वाली वायु मंडलिक स्थितियों में यथा व्यवहार्य) वायु में मिल जाने से रोका जा सके, किसी भी वायु निष्कासन को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धुएँ को जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प, धुआँ या धूल उत्पन्न होती हो, न हटा सके।

3. **प्रयुक्ति.**— यह अनुसूची उन समस्त कारखानों या कारखानों के वर्गों को लागू होगी, जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी संक्रियाएँ की जाती हों:—

(क) भट्टी का कार्य, जहाँ जस्ते या सीसे की कच्ची धातु का परिवर्तन या शोधन किया जाता हो।

(ख) राख का, जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो, अभिसाधन, शोधन या परिवर्तन सीसे का चाँदी से अलग करना या सीसे के टुकड़े या जस्ते का गलाना।

(ग) रांगे या मिश्र धातुओं का विनिर्माण, जिसमें दस प्रतिशत से अधिक सीसा हो।

(घ) सीसा—इथिल के किसी आक्साइड, कारबोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, एसीटेट नाइट्रेड या सिलीकेट का विनिर्माण।

(ङ) लेड टेट्राइथिल का हस्तन या मिश्रण।

(च) कोई अन्य संक्रिया, जिसमें सीसे के यौगिक का उपयोग अन्तर्ग्रस्त हो।

(छ) कार्य के कमरों की सफाई जहाँ पूर्वोक्त संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया की जाती हो।

4. **अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध.**— किसी भी अल्पवयस्क को पैरा 3 में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

5. **पालन की जाने वाली अपेक्षाएँ.**— किसी भी व्यक्ति को सीसे के यौगिकों के उपयोग को अन्तर्ग्रस्त करने वाली किसी प्रक्रिया में, यदि प्रक्रिया ऐसी हो कि उसमें सीसे के यौगिक से धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो या उसमें नियोजित व्यक्तियों पर उनके नियोजन के काल में सीसे के यौगिक के छींटे पड़ जाना प्रत्याशित हो तो जब तक कि खण्ड 6 से 13 तक के उपबंधों का पालन न किया जाए, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6. **वायु निष्कासन.**— जहाँ प्रक्रिया धूल, धुआँ, गैस या वाष्प उत्पादक होती हो तो उन्हें हटाने के लिए कार्यसाधक वायु निष्कासक के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, जो इस प्रकार से बनाना गया होगा कि धूल, धुआँ, गैस या वाष्प की उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके।

7. **चिकित्सीय परीक्षण.—**

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान , जिन पर यह अनुसूची लागू हो, के अधिभोगी—

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप—पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की जाँच, मूत्र में ए.एल.ए., हीमोग्लोबिन कंटेन्ट, स्टिपिलिंग ऑफ सेल्स और स्टडीनेस परीक्षण निहित होंगे। प्रतिष्ठान के किसी भी कर्मकार को, जब तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उपयुक्त प्रमाणित न कर दिया गया हो, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का प्रत्येक, तीन कलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे पुनः परीक्षण में, जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त जाँच सम्मिलित होगी।

(4) शीशे तथा शीशे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधन एवं उससे अनुषांगिक प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार सीसे की प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(7) परीक्षण के अभिलेख को, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

8. **कार्य के कमरों में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना.–** कार्य के किसी भी कमरे में जिसमें प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य पेय, पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन तथा विश्राम के अन्तरालों के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कमरे में नहीं रहेगा।

9. **सुरक्षात्मक वस्त्र.–** प्रतिष्ठान के अधिभोगी द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक सर्वछादी (ओवर आल्स) तथा शीर्ष छदकों को उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें बनाए रखा जाएगा तथा स्वच्छ रखा जाएगा और. ऐसे सर्वछादी तथा शीर्ष छादक नियोजित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे।

10. **कार्य के कमरों, औजारों आदि की स्वच्छता.–** वे कमरे, जिनमें व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो तथा उनके उपयोग में लाये जाने वाले समस्त औजारों और साधित्रों को स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा।

11. **प्रक्षालन की सुविधाएँ–** (1) अधिभोगी, नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रक्षालन की सुविधाओं की, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी, उपलब्ध करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा–

(क) चिकनी अभेद्य सतह का टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिसमें किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हई टोंटियों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता; या

(ख) किसी एक समय में नियोजित प्रति दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा और जिसमें स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता है, साथ ही दोनों में से किसी भी दशा में नाखून साफ करने के ब्रशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा।

(2) इस प्रकार प्रदाय की गई सुविधाएँ किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार के अधीन रखी जाएंगी और स्वच्छ रखी जायेंगी।

12. **भोजन कक्ष या स्वल्पाहार गृह.–** अधिभोगी, नियोजित किए व्यक्तियों के उपयोग के लिए उनके भोजन करने की उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था करेगा और उसे बनाए रखेगा। इस व्यवस्था में कार्य के किसी कमरे में पृथक् कमरे का उपयोग सम्मिलित होगा, जिसे पर्याप्त मेजों और बेंचों से सज्जित किया जाएगा तथा जब तक कि गरम भोजन देने वाले स्वल्पाहार गृह की व्यवस्था न हो, भोजन गरम करने हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। कमरे को स्वच्छ वायु के परिचालन द्वारा पर्याप्त रूप से

संवातित किया जाएगा, किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, स्वच्छ रखा जाएगा।

13. **क्लॉक रूम.**— अधिभोगी, नियोजित किए गए व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घण्टों में न पहने जाने वाले वस्त्रों के रखने तथा गीले वस्त्रों के सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान करेगा तथा उसे बनाए रखेगा।

अनुसूची–तेरह

(नियम 81)

पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन

1. **अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध.–** किसी भी अल्पवयस्क को किसी भी भवन में, जिसमें पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन किया जाता हो, किसी भवन में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात या प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. **फ्लेम ट्रेप्स.–** पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र और उससे जुड़े हुए पाइप तथा अन्वायुक्तियों को कम से कम दो कार्यसाधक फ्लेम ट्रेप्स से अन्वायोजित किया जाएगा, जो इस प्रकार बनाए जाएंगे तथा संधारित किए जाएंगे, जिसे किसी बर्नर से निकली हई लौ को संयंत्र तक पहुँचने से पीछे रोक सके, इन ट्रेप्स में से एक संयंत्र के यथासंभव निकट अन्वायोजित किया जाएगा। संयंत्र तथा समस्त नलों और वाल्वों की छिद्र रहित दशा में अधिष्ठापित किया जाएगा और संधारित किया जाएगा।

3. **भवन या कमरा जिसमें उत्पादन किया जाना है.–** इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए उपबंधों के प्रवृत्त होने के पश्चात् पेट्रोल से पेट्रोल गैसों का उत्पादन करने के लिए परिनिर्मित समस्त संयंत्र प्रतिष्ठान के भवन के बाहर अच्छी प्रकार से संवातित पृथक भवन में (जो इसमें इसके पश्चात् उत्पादन भवन के रूप में निर्दिष्ट किया) परिनिर्मित किए जाएंगे। ऐसे संयंत्र की दशा में, जिसका इस अनुसूची से विनिर्दिष्ट किए गए उपबंधों प्रवृत्त होने के पूर्व निर्माण किया गया हो, वहाँ उस कमरे के जिसमें ऐसे सम्बन्धों का निर्माण किया गया है। (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उत्पादन का कमरा' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा प्रतिष्ठान के भवन के शेष भाग के मध्य कोई सीधा सम्पर्क नहीं होगा। जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, ऐसे समस्त उत्पादन के कमरे अग्निरोधी सामग्रियों से निर्मित होंगे।

4. **अग्निशामक.–** पेट्रोल से लगी आगों को बुझाने के लिए कार्यसाधक साधन पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र के निकट सहजगम्य स्थिति में संधारित किए जाएंगे।

5. **संयंत्र का मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया जाना.–** पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले ऐसे संयंत्र में, जिसका नमूना तथा निर्मित मुख्य निरीक्षक–सह सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो, ही विनिर्मित की जाएगी अन्यथा नहीं।

6. **पेट्रोल का बाहर निकालना.–** पेट्रोल को किसी नाली या मोरी में निकल जाने से रोकने के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाएंगे।

7. **धूम्रपान इत्यादि के संबंध में प्रतिषेध.–** कोई भी व्यक्ति उत्पादन के कमरे या भवन या उसके समीपवर्ती स्थान में धूम्रपान नहीं करेगा या दियासलाई अग्नि या अनावरित ज्योति या चिन्गारी उत्पन्न करने के अन्य साधन नहीं लाएगा और अधिकांश कर्मकारों

द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कमरे या भवन में धूम्रपान करने और दियासलाइयां, अग्नि या अनावरित ज्योति या चिन्गारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिषेध करते हुए एक चेतावनी देने वाली सूचना प्रतिष्ठान में लगाई जाएगी।

8. **पेट्रोल या उसके पात्र तक पहुँच.–** किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की किसी पेट्रोल तक या ऐसे पात्र तक, जिसमें पेट्रोल हो या जिसमें वास्तव में पेट्रोल रहा हो, पहुंच नहीं होगी।

9. **विद्युत अन्वायुक्तियाँ.–** समस्त विद्युत अन्वायुक्तियाँ ज्वालारोधी निर्मित की होंगी तथा समस्त विद्युत संवाहक या तो धातु के कंड्यूट से आवृत्त में होंगे या सीसे से ढके होंगे।

10. **दरवाजों का निर्माण–** उत्पादन के कमरे या भवन के समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले या सरकाने वाले बनाये जाएंगे तथा किसी भी दरवाजे में ऐसी रीति से ताला नहीं लगाया जाएगा या उसे अवरोधित या बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें जब गैस का उत्पादन हो रहा हो और कोई व्यक्ति उत्पादन के कमरे या भवन में कार्य कर रहा हो तो उसे अंदर से सरलता से तथा तुरन्त न खोला जा सके।

11. **पात्रों की मरम्मत–** ऐसे किसी भी पात्र की, जिसमें पेट्रोल रहा हो, उत्पादन के कमरे या भवन में मरम्मत नहीं की जाएगी और ऐसे किसी भी पात्र की तब तक मरम्मत नहीं की जाएगी, जब तक कि पात्र में गरम वाष्प न छोड़ी गई हो और उसका आंतरिक भाग पूर्णतः वाष्प से साफ न कर लिया गया हो या सुनिश्चित करने के लिए कि उसे पेट्रोल या ज्वलनशील वाष्प से रहित कर दिया गया है, अन्य समान प्रभावी उपाय ग्रहण न कर लिए गए हों।

12. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) पेट्रोल से पेट्रोल गैस उत्पादन करने की प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार पेट्रोल गैस उत्पादन प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता तथा चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

13. इन नियमों में, पेट्रोल से अभिप्रेत है पेट्रोलियम अधिनियम, 1937 में यथा परिभाषित खतरनाक पेट्रोलियम।

अनुसूची–चौदह
(नियम 81)
अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस

1. **लागू होना.–** यह अनुसूची, उन सभी कारखानों पर लागू होगी, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण, भण्डारण रख–रखाव या उपयोग होता हो।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–
   (क) **''अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव''** से अभिप्रेत है, ऐसे द्रव जिसमें उसके घोल, इमलशन या सस्पेन्शन भी शामिल हैं, जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 14 और 15 द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जाँच करने पर 32 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ज्वलनशील वाष्प निकालते हैं;
   (ख) **''ज्वलनशील दाबयुक्त गैस''** से अभिप्रेत है, ज्वलनशील दाबयुक्त गैस, जो कि विस्फोटक अधिनियम, 1948 (1948 का 4) के अधीन बनाए गए स्टेटिक एण्ड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) रूल्स, 1981 के नियम 2 में परिभाषित है।

3. **भण्डारण.–**
   (1) प्रत्येक कारखानों में उपयोग की जाने वाली ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस उपयुक्त स्थिर भण्डारण टैंक या उपयुक्त रूप से बन्द बर्तन में सुरक्षित स्थान पर जमीन के अन्दर, खुले में या पर्याप्त अग्नि प्रतिरोधक संरचना के बने भण्डार गृह में भण्डारित की जाएगी।
   (2) प्रत्येक बर्तन या टैंक, जिसमें अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस भरी हो या भरी रहती हो, केवल उपयोग, चालन या अनुरक्षण के समय जैसा भी आवश्यक हो, को छोड़कर हमेशा बंद रखे जाएंगे और उसके कभी फैलने या रिसन हो जाने पर उसे बटोरने या किसी उपयुक्त कन्टेनर में तत्काल खाली करने के लिए उपयुक्त व्यवहॉर्य कदम उठाए जाएंगे।
   (3) अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के भण्डारण के लिए उपयोग में आने वाले प्रत्येक कन्टेनर, बर्तन, टैंक, सिलेण्डर या भण्डारण गृह पर स्पष्ट तथा बड़े अक्षरों में शब्द ''खतरा अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव'' या ''खतरा ज्वलनशील दाबयुक्त गैस' अंकित होंगे।

4. **अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रवों के परिवहन हेतु आवेष्ठित प्रणाली.–** प्रतिष्ठान में, जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यवहॉर्य हो, वहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रवों को, भण्डारण टैंक या बर्तन के उपयोग के स्थान पर परिवहन के लिए पूर्ण रूप से आवेष्ठित प्रणाली, जिसमें पाइप लाइनें, पम्प और समरूप उपकरण सम्मिलित हैं, से किया जाएगा। ऐसी आवेष्ठित प्रणाली इस प्रकार रूपांकित स्थापित, चालित और अनुरक्षित होगी कि रिसने या छलक जाने का खतरा नहीं रहे।

5. **हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण बनने से रोक.–** जहाँ कहीं किसी उपकरण पाइप लाइन, वाल्व, जोड़ या प्रणाली के अन्य भाग से अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के रिसने या छलक या फैल जाने की सम्भावना हो, वहाँ

उस फैले हुए या रिसे पदार्थ को बटोरने या बर्तन में भरने या उसे तनु (पतला) करने के सभी व्यवहाँर्य उपाय किए जाएंगे, ताकि हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण का बनना रोक दिया जाए।

6. **ज्वलन की रोक.–** प्रत्येक काम के लिए या अन्य स्थानों पर, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन, रख–रखाव, कार्य या उपयोग किया जाता हो या वहाँ हवा में अतिज्वलनशील या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के इकठ्ठे होने से आग या विस्फोट का खतरा हो, वहाँ ज्वलन के स्त्रोतों को वर्जित करने के सभी व्यावहाँरिक उपाए किए जाएंगे, ऐसी पूर्वावधानियाँ निम्नलिखित होंगी –
   (क) खतरे के क्षेत्र में, या तो सभी प्रकार के विद्युत उपकरण वर्जित होंगे या उनकी संरचना, प्रतिष्ठान तथा अनुरक्षण इस प्रकार होगा कि उसके ज्वलन स्त्रोत होने का खतरे से रोका जा सके;
   (ख) स्थिर विद्युत आवेश को खतरनाक सीमा तक एकत्र होने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाएंगे;
   (ग) कोई व्यक्ति लोहे या स्टील के कीलों युक्त जूते या चप्पल या अन्य खुले हुए लोह पदार्थ की चीज, जिसके घर्षण से चिंगारी निकलने की संभावना हो, को न तो पहनेगा और न ही पहनने की अनुमति दी जाएगी;
   (घ) धूम्रपान, आग लाना या माचिस, लाइटर या अन्य धूम्रपान की सामग्री ले जाना प्रतिषिद्ध होगा;
   (ङ) लोहे के जोड़ युक्त संचालन बेल्टों का उपयोग नहीं किया जाएगा; और
   (च) सभी अन्य पूर्वावधानियाँ, जो भी व्यवहाँर्य हों अपनायी जाएंगी, ताकि अन्य सभी संभावित स्त्रोतों से जैसे खुली ज्वालाएँ, घर्षण से उत्पन्न चिंगारी, मशीनरी या संयंत्र की अति तप्त सतह, रासायनिक अथवा भौतिकी रासायनिक अभिक्रिया और विवरण, उष्मा, प्रारम्भ होने से रोका जा सके।

7. **धूम्रपान का प्रतिषेध.–** किसी स्थान में, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस की उपस्थिति होने पर उन परिस्थितियों में धूम्रपान नहीं करेगा, जिसमें धूम्रपान से आग का खतरा हो। अधिभोगी, इस अपेक्षा के पालन को सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवहाँर्य उपाय करेगा, जिसमें धूम्रपान प्रतिषिद्ध है, यह प्रदर्शित करने वाले बड़े सूचना–पट्ट उस प्रत्येक स्थान पर जहाँ–जहाँ यह अपेक्षा लागू होती हो लगाने होंगे।

8. **अग्निशमन.–** प्रत्येक कारखाने में, जहाँ अति ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण, भण्डारण, कार्य का उपयोग होता हो, वहाँ अग्निशमन के उपयुक्त तथा पर्याप्त साधनों की व्यवस्था होगी। ऐसे साधनों की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता, जिस अभिव्यक्ति में, स्थाई तथा पोर्टेबल अग्निशमन प्रणाली, अग्निशमन पदार्थ, अग्निशमन की विधि और प्रक्रियाएँ उस मानक के अनुसार होना सम्मिलित हैं तथा जो नियमों में विहित किए गए हैं।

9. **चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण.–**

(1) अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस निर्माण भंडारण सम्वहन एवं उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख को, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

10. छूट.– यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियो में या प्रक्रिया के निरन्तर न चलने से या किसी अन्य कारण से सभी या कोई उपबंध प्रतिष्ठान में कर्मकारों के बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक एक लिखित प्रमाणपत्र द्वारा, जिसे कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे किसी प्रतिष्ठान को ऐसे सभी या ऐसे किन्हीं उपबंधों के अध्यधीन, ऐसी शर्ते, यदि कोई हैं, छूट दे सकेगा।

अनुसूची–पन्द्रह

(नियम 81)

कच्ची खालों और चमड़ों की लाइमिंग तथा उनके शोधन और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाएँ

1. **चेतावनी की आम सूचना.–** (1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग (एन्थ्रेक्स) के संबंध में चेतावनी की आम सूचना, प्रतिष्ठान के ऐसे प्रमुख स्थानों पर, जहाँ वे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सकें, चिपकाये जाएंगे।

   (2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग, विषयक चेतावनी की आम सूचना की एक प्रति प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को, जबकि वह काम पर लगाया जाये और तत्पश्चात् यदि नियोजित रहता हो तो प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन दी जायेगी।

   (3) चमड़ी का क्रोम के प्रभाव के संबंध में चेतावनी की आम सूचना प्रत्येक प्रतिष्ठान के, जिसमें क्रोम का घोल उपयोग में लाया जाता हो, प्रमुख स्थानों पर चिपकाए जाएंगे और ऐसी आम सूचना, ऐसी जगह लगाए जाएंगे, जिससे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सके।

   (4) ''प्रथमोपचार'' पेटी या अलमारी की स्थिति और ऐसी पेटी या अलमारी के भारसाधक व्यक्ति का नाम की सूचनाएँ, प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थानों पर चिपकाई जाएंगी।

   (5) यदि प्रतिष्ठान में नियोजित कोई व्यक्ति अशिक्षित हो तो पैरा (1), (2) तथा (4) में उल्लिखित किए गए आम सूचनाओं की विषय–वस्तु को और यदि प्रतिष्ठान में क्रोम के घोल उपयोग में लाए जाते हों तो पैरा (3) में उल्लिखित आम सूचनाओं की विषय वस्तु को ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को सावधानीपूर्वक समझाने के प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

2. **सुरक्षात्मक परिधान.–** दखलकार, सुरक्षात्मक परिधान की निम्नलिखित वस्तुओं को उपलब्ध करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाये रखेगा.

   (क) वर्ण धातु घोलों से सम्पर्क सन्निहित करने वाली प्रक्रियाओं जिसमें ऐसे घोलों का निर्माण भी सम्मिलित है, में नियोजित व्यक्तियों के लिए बरसाती जूते, पायंचे, पेशबन्द तथा दस्ताने;

   (ख) चूनाबाड़ा में नियोजित व्यक्तियों के लिए दस्ताने तथा जूते; और

   (ग) पैरा (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त खाल या चमड़े के काम में सन्निहित होने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक जूते, पेशबन्द तथा दस्तानेः

   परन्तु –

   (एक) दस्ताने, पेशबन्द, पायंचे या जूते, रबर या चमड़े के हो सकते हैं, किन्तु पैरा (क) तथा (ख) के अधीन उपबंधित दस्ताने तथा जूते रबर के होंगे;

(दो) हाथ से फैलाकर तख्ता बनाने वाले या ऐसी प्रक्रियाओं में, जिसमें चूना, सोडियम सल्फाइड या अन्य कास्टिक मदिरा से सम्पर्क होने का जोखिम न हो, नियोजित व्यक्तियों को दस्ताने का उपबंध नहीं भी किया जा सकेगा।

3. **प्रक्षालन की सुविधायें, भोजन कक्ष तथा क्लोक रूम.**— समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें स्वच्छ दशा में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाएगा—

(क) चिकनी अभेघ सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और यह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम 600 कि.मी. का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से, जो 600 कि.मी से अधिक अन्तर पर होंगे, जल का सतत् प्रदाय होता हो; या

(ख) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा, जिसमें जल का सतत् प्रदाय होता हो; साथ ही दोनों में किसी भी दशा में नाखून साफ करने के ब्रशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा; या

(ग) भोजन के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष की, जो पर्याप्त मेजों तथा बेंचों और भोजन गरम करने तथा पानी उबालने के लिए समुचित साधनों से सज्जित होगा—

(एक) भोजन कक्ष किसी ऐसे कमरे या सायबान से, जिसमें खालों या चमड़ों का संग्रह किया जाता हो, शोधन किया जाता हो या अभिसाधन किया जाता हो,

(दो) क्लोक रूम से पृथक होगा, और

(तीन) किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभाव में रखा जाएगा।

(घ) अधिभोगी दखलकार, समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों के दौरान उतारे गए परिधानों के लिए यथोचित स्थान का तथा सुरक्षात्मक परिधान के लिए एक अन्य स्थान का उपबंध करेगा तथा बनाए रखेगा और दोनों मामलों में परिधानों की यदि गीले हो तो सुखाने के लिए पर्याप्त प्रबंध भी करेगा। इस प्रकार उपबंधित स्थान सभी समय स्वच्छ रखा जाएगा और किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा।

4. **कार्य के कमरों में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना.**— कार्य के किसी भी कमरे में या किसी भी सायबान में, जिसमें खालों या चमडों का संग्रह किया जाता हो, शोधन किया जाता है या अभिसाधन किया जाता हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय, पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा।

5. **चिकित्सकीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगीः–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी रखने के लिए अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधायें प्रदत्त करेगा; तथा

(ग) क्रोमियम पदार्थों के संपर्क में रहने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों की सप्ताह में दो बार जाँच कराए जाने की व्यवस्था करेगा; और

(घ) कर्मकारों के आसानी से पहुँच गम्य बाक्स में उपयुक्त मलहम तथा प्लास्टर का प्रदाय करेगा तथा मलहम तथा प्लास्टर के ही उपयोग में लाया जाएगा।

(2) कच्ची खालों और चमड़ों का लाइमिंग तथा उनके शोधन और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के अभिलेख को, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–सोलह

(नियम 81)

प्रिंटिंग प्रेस तथा टाईप फाउन्ड्री में की जाने वाली सीसे की प्रक्रियाएँ

1. **छूट.–** जहाँ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि अनुसूची के समस्त या कोई उपबंध नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाणपत्र द्वारा किसी प्रतिष्ठान को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह उसमें उल्लिखित करे, ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा। ऐसा प्रमाणपत्र का मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकेगा।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए **"सीसायुक्त पदार्थ"** से अभिप्रेत है, ऐसे पदार्थ जिसमें कम से कम पाँच प्रतिशत सीसा हो।

   (1) **"सीसे की प्रक्रिया"** से अभिप्रेत है–

   (क) ढालने तथा यांत्रिक मुद्रयोजन के लिए सीसे या सीसे के किसी पदार्थ के गलाने;

   (ख) उपयोग में लाए गए सीसेयुक्त पदार्थ से मशीनों की रिचार्जिग;

   (ग) किसी अन्य कार्य से है, जिसमें मेल्टिंग पॉट से मैल हटाना, प्लंजर्स का साफ करना सम्मिलित हैं; और

   (घ) सीसेयुक्त पदार्थ का अभिसाधन करने, उसे वहन करने या उसके अन्य उपचार।

   (2) **"कार्यसाधक वायु निष्कासक'** से अभिप्रेत है गैस, वाष्प, धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप या' यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो, वायु के मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो गैस, वाष्प, धुआँ या धूल को उस स्थान से हटा सके, जहाँ वे उत्पन्न होती हों।

3. **वायु निष्कासन (एग्जास्ट ड्राफ्ट).–** निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया कार्यसाधक वायु निष्कासन करके ही की जाएगी अन्यथा नहीं –

   (क) सीसेयुक्त पदार्थ या स्लग्ज (कोष्ठक) के गलाने;

   (ख) सीसेयुक्त पदार्थ को गरम करने की, जिसमें वह वाष्प जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो, निकाली जा सके या जब तक कि वह ऐसी रीति में न किया जाए कि किसी स्थान की, जिसमें कि कार्य किया जाता हो, गैस, वाष्प, धुआँ और धूल में आसानी से मिल जाने से उसे रोका जा सके या जब तक कि विद्युत द्वारा गरम किए गए तथा थर्मोस्टेटिकली कन्ट्रोल्ड मेल्टिंग पार्टस (ताप स्थापकीय नियंत्रित

द्रवण पात्र) में न की जाए। ऐसा वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार बनाया जाएगा, जिससे निकली हुई धूल, धुआँ, गैस या वाष्प पर उसकी उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके।

4. **अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध.**— किसी भी अल्पवयस्क को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

5. **कतिपय प्रक्रियाओं का पृथक्करण**— निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा, जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावी पृथक्करण निश्चित किया जा सके :—

(क) सीसे का या किसी सीसेयुक्त पदार्थ को गलाने की,

(ख) सीसे की सीलें (लैड इन्गाट्स) ढालने की,

(ग) मेकेनिकल कम्पोजिंग (यांत्रिक मुद्रयोजन) की।

6. **मैल रखने के लिए पात्र.**— कसकर लगने वाले ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जो मैल के लिए, जैसे ही कि वह प्रत्येक मेल्टिंग पाट से निकाला जाए, उपयोग में लाया जाएगा, ऐसा पात्र, जब कार्य के कमरे में मशीन के निकट हो, तो उस दशा के अतिरिक्त, जबकि उसमें मैल इकट्ठा किया जा रहा हो, ढंका हुआ रखा जाएगा।

7. **कार्य के कक्ष का फर्श.**— प्रत्येक कमरे का फर्श, जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, —

(क) सीमेंट या समान पदार्थ का होगा, जिससे कि वह चिकना हो और जल से अभेद्य रहे;

(ख) अच्छी स्थिति में, बनाए रखा जाएगा; तथा

(ग) जब उस स्थान में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन पूर्ण तथा साफ किया जाएगा।

8. **भोजन करने का कक्ष (मैस रुम).**— सीसे की प्रक्रिया में नियोजित तथा भोजन के लिए अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त सह भोजन कक्ष की, जो पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से सज्जित होगा, व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

9. **प्रक्षालन की सुविधाएं.**— सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जायेगा।

(क) प्रक्षालन स्थान, जिसमें या तो—

(एक) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक

समय में नियोजित प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट का स्थान मिल – सके तथा जिसमें ऊपर लगी हई टोटियों या फव्वारों से, जो दो फीट (600 मि.मी.) से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो; या

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या सदैव शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगा; और

(ख) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों को, जो प्रतिदिन बदली जाएंगी, पर्याप्त प्रदाय होगा।

10. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक एक प्रतिष्ठान का अधिभोगी, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो,–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की मात्रा, मूत्र में ए.एल.ए. हीमोग्लोबीन, स्टिपलिंग आफ सेल्स और स्टेडीनेस जाँच निहित होगी। कोई भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन बाद जब तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो, काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक एक कर्मकार का प्रत्येक छः मास के कैलेण्डर में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे पुनः परीक्षण में जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे, पैरा (1) में विनिर्दिष्ट जाँच निहित होगी।

(4) प्रिंटिंग प्रेस तथा टाईप फाउन्ड्री में की जाने वाली सीसे की प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में

उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(7) प्ररूप–पच्चीस में चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र और प्ररूप–28 में स्वास्थ्य पंजी, संधारित किये जायेंगे, और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

11. **कार्य के कमरे में खाद्य पेय आदि का प्रतिषेधित होना.–** कार्य के किसी भी कमरे में, जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो किसी खाद्य, पेय, पान, सुपारी या तम्बाकू का उपयोग किया जाएगा और न ही उसे लाया जाएगा।

अनुसूची–सत्रह
(नियम 81)

भाग–एक
रासायनिक कार्य

1. **लागू होना.**– यह अनुसूची रासायनिक कार्यों में किए जाने वाले समस्त विनिर्माण और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं पर लागू होंगी।

2. **परिभाषाएँ.**– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए –

(क) **''रासायनिक कार्य''** से अभिप्रेत है, किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के भाग में किए जाने वाले कार्य जो इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' में सूचीबद्ध किए गए है;

(ख) **"सक्षम वायु निष्कासक''** से अभिप्रेत है, गैस, वाष्प, धुओं या धूल को बाहर निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा प्रभावी किए गए स्थानीय संवातन जिससे ऐसे किसी स्थान, जिसमें काम किया जा रहा हो, की वायु में उसे मिल जाने से रोका जा सके;

(ग) **''ब्लीचिंग पाउडर''** से अभिप्रेत है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे सामान्यतः चूने का क्लोराइड कहा जाता है;

(घ) **''क्लोरेट''** से अभिप्रेत है, क्लोरेट या पर–क्लोरेट;

(ङ) **"कास्टिक''** से अभिप्रेत है, पोटेशियम या सोडियम के हाइड्रोक्साइड;

(च) **"क्रोमो प्रक्रिया''** से अभिप्रेत है, पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट के विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में इन पदार्थों के अभिसाधन, संचालन या अन्य उपचार;

(छ) **"नाइट्रो या एमीनों प्रक्रिया''** से अभिप्रेत है, फीनोल तथा बेन्जीन या इनके समरूप पदार्थों के नाइट्रो या एमीनों यौगिकों का विनिर्माण और इन पदार्थों में से किसी के भी उपयोग से विस्फोटक पदार्थ बनाने;

(ज) **''परमिट टू वर्क प्रणाली''** से अभिप्रेत है, भाग–दो के खण्ड 20 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के साथ अनुपालन;

(झ) **''विषैले पदार्थ''** से अभिप्रेत है, वे सभी पदार्थ, जो जब वे मानव शरीर में श्वाँस लेने या खा लेने या त्वचा द्वारा सोखने के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रविष्ट हो जाने से इसके स्वाभाविक रासायनिक या जीव वैज्ञानी प्रभावों से आरक्षित होने के कारण मनुष्य की मृत्यु या उसके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से पीड़ा या उसके स्वास्थ्य में दीर्घ स्थायी हानिकारक प्रभाव कर दें। उन पदार्थों के संबंध में, टी. एल.वी. (स्वीकार योग्य स्तर) निर्दिष्ट है। उसमें विनिर्दिष्ट उसकी सान्द्रता से अधिक सान्द्रता होने पर वह विषैला होगा;

(ञ) **"आपात स्थिति"** से अभिप्रेत है, उस स्थिति या दशा जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य या जीवन को खतरा हो या जिससे बड़ी मात्रा में आग या विस्फोट या कार्यस्थल तथा बाहरी वातावरण प्रदूषित हो जाए और जो कर्मकारों या आसपास के स्थान को गंभीर रूप से प्रभावित कर दे और जिस परिस्थिति या जिन परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो;

(ट) **"खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया"** से अभिप्रेत है, उच्च गति प्रक्रिया जैसे रनअवे रिएक्शन, डिलड' रि–एक्श इत्यादि और जिनके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का निक्षेप, ज्वलनशील या विषैली गैस या वाष्प का तीव्र निष्कासन, अचानक दाब का बनना आदि होता है ;

(ठ) **"मैनीपुलेशन (अभिसाधन)"** से अभिप्रेत है, कुशलतापूर्वक मिश्रित करना, मिलाना, भरना, खाली करना, पिसाई करना, छानना, सुखाना, पैक करना, झाड़ू या सफाई करना, काम करना, उपयोग करना आदि;

(ड) **"अनुमोदित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण"** से अभिप्रेत है, वे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो संबंधित भारतीय मानक संस्थान के मानदण्डों के अनुरूप हो या उसके अभाव में मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किए गए हों;

(ढ) **"उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण"** से अभिप्रेत है, सुरक्षा उपकरण जो कर्मकार द्वारा उपयोग किए जाने पर उसके जीवन या स्वास्थ्य या शरीर को कोई जोखिम न हो;

(ण) **"सीमित साधन (कन्फाइन्ड स्पेस)"** से अभिप्रेत है, कोई स्थान, जो अपनी संरचना के कारण, साथ ही साथ उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संबंध में उसमें प्रविष्ट होने या वहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए जोखिम विद्यमान हो, काम या काम के दौरान जोखिम उत्पन्न होने की संभावना हो।

भाग–दो

परिशिष्ट 'क' में वर्णित सभी संकर्मों को लागू होने वाली सामान्य अपेक्षाएँ

1. **गृह व्यवस्था.–** (1) कोई पदार्थ फैल जाने पर और आगे प्रक्रिया से पहले उसे साफ किया जाएगा।

(2) फर्श, चूबतरे, साढ़ियाँ, मार्ग, गलियारे किसी प्रकार की बाधाओं से रहित रखे जाएंगे।

(3) संयंत्र के सभी भागों की सफाई तथा कार्य की सुलभता हेतु उसके सभी भागों तक पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे।

2. **रसायनों का अनुचित उपयोग.–** कर्मकारों द्वारा किन्हीं भी रसायनों या विलायकों का या किन्हीं खाली कन्टेनरों का, जिनमें से रसायन या विलायक रहा हो, उन प्रक्रियाओं को छोड़कर, जिनके लिए उनको प्रदाय किया गया है, किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

3. **खाद्य सामग्री के उपयोग का प्रतिषेध आदि.–** किसी भी खाद्य, पेय, तंबाकू, पान या खाने योग्य वस्तु का संयंत्र या उपकरण के किसी भी भाग पर या उसके समीप में न तो संग्रह किया जाएगा न उसे गर्म किया जाएगा और न ही उसका उपयोग किया जाएगा।

4. **सावधानी सूचनाएँ या अनुदेश.–** (1) बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सावधानी की सूचनाएँ, सभी खतरनाक क्षेत्रों में कर्मकारों का ध्यान, स्वास्थ्य के खतरों, अग्नि और विस्फोट के अन्तर्वलित करते हुए और अन्य किसी खतरे जैसे कि प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे पदार्थ या सामग्री के जाँच करने के परिणामस्वरूप या किसी दूषित बर्तन को खाने या पीने के उपयोग में लेने के बारे में आकर्षित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित किए जाने के लिए कर्मकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जा सके।

(2) उपरोक्त सावधानी सूचना के अतिरिक्त कर्मकारों को, प्रक्रिया के खतरों के बारे में विशेष तौर पर जिनसे कि वे काम के समय संपर्क में आ सकते है, शिक्षित तथा अनुदेशित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी शिक्षा तथा अनुदेशों में और असुरक्षित और सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में प्रयुक्त पदार्थों के गुण और प्रत्येक खतरे के बारे में बरती जाने वाली पूर्वावधानियाँ भी सम्मिलित होंगी। कर्मकारों के नियोजन के एक मास के भीतर और पुराने कर्मकारों से इस नियम के क्रियान्वयन में आने के एक मास के भीतर एक वचन पत्र लिया जाएगा कि उन्होंने सावधानी सूचनाएँ और अनुदेशों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और वे उसका पालन करेंगे। सभी कर्मकारों के तथा सभी पर्यवेक्षक कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा अनुदेशों में विभिन्न प्रकार के साधनों (बर्तनों) और पाइप लाइनों पर लगाए गए लेबलों या किए गए रंगों और चिन्हों का आशय या विशिष्टता जानना भी सम्मिलित होगा।

5. **मूल्यांकन और प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले सुरक्षा के उपबंध.–** (1) किसी प्रक्रिया या प्रायोगिक कार्य या परिशिष्ट–क के अधीन वर्णित किसी नए विनिर्माण को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिभोगी वास्तविक में निहित खतरे और रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में निहित खतरों, दोनों को पूरी तरह जानने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा। उपयोग किए जा रहे कच्चे माल वाले अंतिम उत्पाद जो बनाए जाने है और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप–उत्पाद के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप–उत्पाद के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया

जाएगा और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्ही खतरों तथा उसके कर्मकारों पर प्रभावों का सामना करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(2) रूपांकन स्थिति से निराकरण स्थिति तक प्रक्रिया के विवरण उसके खतरे तथा उपरोक्त पैरा (1) में वर्णित अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों की लिखित में विस्तृत जानकारी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को और राज्य सरकार, के इण्डस्ट्रियल हायजिनिक लेबोरेटरी को जल्दी से जल्दी परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित किसी वस्तु के विनिर्माण उसको काम में लाने या उसका भण्डारण करने में, किसी भी दशा में 15 दिन पूर्व दी जाएगी, चाहे वह प्रयोगात्मक आधार पर या पायलट प्लांट या ट्रायल उत्पादन या बड़े पैमाने पर विनिर्माण के रूप में हो।

(3) इस प्रकार मूल्यांकन किए गए स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति सभी खतरों का, सभी स्तरों यथा भवनों, संयंत्र तथा सुविधाओं के रूपांकन, विनिर्माण संरचना, चालन, अनुरक्षण और निवर्तन के समय उनसे सुरक्षा हेतु ध्यान रखे जाएंगे।

(4) पैरा (1) से (3) के अधीन की गई अपेक्षाएँ कार्य को शासित करने वाले अन्य किसी अधिनियम के अधीन उपबंधों के स्थान पर या उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

6. **अधिकृत प्रवेश.–** प्रतिष्ठान या संयंत्र के किसी भाग में, जहाँ किसी प्रकार की खतरनाक संक्रिया या प्रक्रिया चलाई जा रही हो या जहाँ खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हो रही हों, जहाँ खतरनाक रसायनों का भण्डारण हो, वहाँ केवल अधिकृ त व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

7. **उपकरणों तथा सुरक्षा युक्तियों का परीक्षण.–** (1) प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे सभी उपकरण तथा सुरक्षा युक्तियों की, उनके उपयोग के पहले तथा उसमें की गई किसी मरम्मत के बाद, मास में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच की जाएगी। ऐसी जाँच तथा परीक्षणों के अभिलेख, एक पंजी में रखे जाएंगे।

(2) प्रक्रिया में उपयोग लिए जा रहे उपकरणों तथा सुरक्षा युक्तियों को प्रतिदिन या बहुधा, जैसा भी जरूरी हो, संचालित किया जाएगा, ताकि हर सक्षम तथा प्रभावी रूप से उनका पालन सुनिश्चित हो।

8. **विद्युत प्रतिष्ठान–** परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित प्रक्रियाओं में उपयोग में लाई गई सभी विद्युत प्रतिष्ठान उस क्षेत्र में मौजूद खतरों जैसे धूल, नमी, क्षरण, ज्वलनशीलता और विस्फोटकता आदि से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रकार की होगी और जो उस क्षेत्र के लिए उनके निर्माण तय उपयोग को शासित करने वाले भारतीय मानदण्डों के विनिर्देशों के अनुरूप होंगी।

9. **रसायनों का संभालना और उनका भंडारण.–** (1) रसायनों की संभाल और भंडारण के लिए कन्टेनर, उसमें निहित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त शक्तिशाली होंगे। कन्टेनरों तथा उसमें भरे पदार्थों की पहचान हेतु उन पर उपयुक्त लेबल तथा

रंगों के चिन्ह भी लगाए जाएंगे, जो संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगे। लेबल पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। क्षतिग्रस्त कन्टेनरों का प्रयोग केवल उत्तरदायी तथा ज्ञानवान व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा और फैले हुए पदार्थों को उपयुक्त साधनों को प्रयुक्त कर सुरक्षित तरीके से हानि रहित किया जाएगा।

(2) रिएक्शनवेसल्स और कन्टेनरों में रसायनों को चार्ज करने को सम्मिलित करते हए रसायनों के भण्डारण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि आग या विस्फोट या पदार्थों की जहरीली सान्द्रता का नियम 124–ख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से ऊपर निर्माण निवारित किया जा सके।

(3) उपरोक्त पैरा (2) की व्यापकता से युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवस्थाएं उपयुक्त संवातन सुविधाएँ और वेसल्स तथा कन्टेनरों में सुरक्षित स्तर बनाए रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्था में फर्श के प्रकार, फर्श की क्षमता तथा पास में भंडारित अन्य रसायनों के साथ पदार्थो की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

(4) (क) रसायनों और अन्तस्थ उत्पादों, जो अत्यन्त अस्थिर या प्रतिक्रियाशील या विस्फोटक हो, उनका भण्डारण केवल दो मास के उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा तक सीमित होगा।

(ख) जहाँ उपरोक्त उप–पैरा (क) द्वारा निर्धारित सीमा में वृद्धि की जानी हो तो उसके लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से अनुमति लेनी होगी।

(ग) उपरोक्त उप–पैरा (क) और (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–विधा प्रदाता परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित प्रक्रियाओं को करने वाले किन्ही कारखानों का सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक पदार्थों की दो मास के उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा से कम भण्डारण का निर्देश दे सकेगा।

(5) बड़े से बड़े कन्टेनर की क्षमता के बराबर एक आपाती कन्टेनर की व्यवस्था हर समय उपलब्ध होगी, ताकि किसी कन्टेनर में कोई दोष आ जाने के परिणामस्वरूप विषैले पदार्थ की रिसन हो जाने पर विषेले पदार्थ को आपाती कन्टेनर में शीघ्रता से स्थानान्तरित किया जा सके।

(6) अधातु पदार्थों जैसे कि फायबर, ग्लास, रिइन्फोर्ल्ड प्लास्टिक सभी कांच के बर्तन आदि का उपयोग करके संनिर्मित कोई भण्डारण सुविधा अन्तर्वस्तुओं से उत्पन्न प्रत्यावल, यदि कोई हो तो को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होगी और वह भण्डारण भली प्रकार के जुड़ी या स्थिर की हुई होंगी। ऐसे भण्डारण सुविधा में उपयोग में लाए जा रहे काम के चबूतरे, पहुंच

सीढ़ियाँ, पाइप लाइनें, आदि से और भण्डारण सुविधा की संरचना के सहारे न टिकी न जुड़ी होकर स्वतंत्र सहारे से लगाई जाएंगी।

10. **पृथक्करण की सुविधा.–** संयंत्र और उपकरण इस प्रकार सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएंगे कि जिससे संयंत्र या संयंत्र का भाग या उपकरण उपयुक्त संकेत के साथ शीघ्रता से पृथक् किए जा सकें। सिक्योरिटी कार्मिक, मेन्टेनेन्स तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्मिकों के पास हर समय पृथक्करण सुविधा दर्शाने वाले ले–आउट योजना की एक–एक प्रति सदैव उपलब्ध रहेगी और मास में एक बार इन पृथक्करण सुविधाओं के प्रभावी होने के बाबत् जाँच की जाएगी।

11. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण.–** (1) इन अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में निहित खतरों का सामना करने वाले सभी कर्मकारों को उपयुक्त तथा अनुमोदित किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय किया जाएगा। ऐसे उपकरण जारी किए जाने से पहले पूरी तरह साफ, कीटाणु रहित तथा स्वास्थ्यकारी दशा में होंगे।

(2) अधिभोगी सभी कर्मकारों को काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बारे में अवगत, शिक्षित करते तथा उसके बारे में निगरानी करने की व्यवस्था करेंगे।

(3) किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के समुचित होने के बारे में किसी संदेह के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

12. **चेतावनी प्रणाली.–** (1) ध्वनि और दृश्य संकेत देने वाली उपयुक्त तथा प्रभावी चेतावनी प्रणाली, नियंत्रण कक्ष 'साथ ही साथ नाजुक स्थलों प्रक्रिया जहाँ पर नियन्त्रण व्यवस्था उपलब्ध है, स्थापित की जाएगी, जिससे कि चालन–मानक (पैरामीटर) निर्धारित सुरक्षित स्तर के आगे बढ़ने या आग या विस्फोट स्थिति की ओर अग्रसर होने के पहले ही सुधार या सही करने की कार्यवाही की जा सके। ऐसी चेतावनी प्रणाली की हर रोज जाँच की जाएगी और हरेक मास में उसकी निरन्तर कार्य दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उसकी कम से कम एक बार जाँच की जाएगी।

(2) मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसे संयंत्रों या प्रक्रियाओं की दशा में, जहाँ विषैले पदार्थ का उपयोग किया जाता हो और उनके फैलने या रिसने से वहाँ या संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर विषैलापन फैल सकता हो। ऐसी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दे सकेगा।

13. **कार्य के वातावरण में पदार्थों के निष्कासन का नियंत्रण.–** (1) उन सभी संयंत्रों, कन्टेनरों, बर्तनों, सीवर लाइनों, नालियों, धूम्रमार्गों, वाहिनी, पुलियों में सामान्य कार्यदशा और दुर्घटना या आपात अवसरों पर ऐसे पदार्थो के लिए, जिनसे आग या विस्फोट या विषैलापन का खतरा होने की सम्भावना के लिए आवरण या उपमार्ग (बायपास) की निष्कासन, कर्षण के उचित ऋणात्मक दाब के संधारण आदि की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

(2) नियंत्रण व्यवस्था के असफल होने के परिणामस्वरूप कार्य के वातावरण में पदार्थो के निष्कासित होने की स्थति में प्रक्रिया का नियंत्रण करने के लिए ऐसी रीति में कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि और आगे निष्कासन को सुरक्षित स्तर पर ले जाया जा सके।

(3) पैरा (2) में यथाअपेक्षित कदम उठाने से पहले कार्य के वातावरण में निष्कासित हो गए पदार्थ को हवा या पानी के या किसी अन्य उपयुक्त क्रियाकारक से तनु करके या पदार्थ के उपयुक्त उपचार द्वारा हानि रहित किया जाएगा।

14. **खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण.–** खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रभावों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त व्यवस्था, जैसे स्वचालित तथा दूर संवेदी नियंत्रण व्यवस्था की जाएगी। नियन्त्रण असफल होने पर यह व्यवस्था प्रचालित हो जाएगी।

15. **संयंत्र और उपकरणों की जाँच, परीक्षण और मरम्मत.–** (1) प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संयंत्रों के भाग, उपकरण और मशीनों की, जिनके असफल होने पर किसी आपात अवस्था उत्पन्न होने की सम्भावना हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले, जाँच और दो वर्ष के अन्तराल से या उसके मरम्मत किए जाने के बाद, पुनः जाँच की जाएगी। सक्षम व्यक्ति द्वारा संयंत्र के भागों, उपकरणों और मशीनों की, जिनकी उपरोक्तानुसार जाँच की जाती है, पहचान की जाएगी और उपयुक्त जाँच विधि विकसित की जाएगी। दाब पात्र या प्रतिक्रिया भारक पात्रों के संबंध में ऊपर यथा वर्णित जांच करने में निम्नांकित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी, अर्थातः

(क) जाँच करने के पहले हरेक पात्र को बाहर से और जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, वहाँ भीतर से भी सतह पर दिखाई देने वाले दोष, जंग और चिपके हुए अन्य पदार्थों को पूरी तरह साफ किया जाएगा तथा जाँच की जाएगी। सफाई प्रक्रिया के और मैले, यदि कोई हो, की सफाई के दौरान, यदि ऐसा मैल पायरोफेरिक (अग्निजनक) प्रकृति का हो या जिसमें स्वतः ज्वलनशील रसायन हो, वहाँ अग्नि या विस्फोट के विरुदध सभी आवश्यक पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

(ख) जैसे ही जाँच पूरी हो, पात्र को भीतर से पूरी तौर पर जाएगा और उस व्यक्ति जिसके द्वारा जांच की गई है के चिन्ह एवं अंक तथा जाँच का दिनांक उपदर्शित करने वाले की स्पष्ट मुद्रा लगाई जाएगी, और

(ग) कोई पात्र, जो जाँच में असफल हो गया हो या अन्य किसी कारण से उपयोग हेतु असुरक्षित पाया गया हो, उसे या तो नष्ट कर दिया जाएगा या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को सूचना देकर उसे अनुपयोगी कर दिया जाएगा।

(2) संयंत्र उपकरण मशीनों के सभी भागों, जिनके असफल हो जाने पर आपात स्थिति उत्पन्न हो जाने की संभावना होती हो, की सक्षम व्यक्ति द्वारा मास में एक बार परीक्षण किया जाएगा।

(3) पैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट जाँच तथा परीक्षण के अभिलेख तब तक रखें जाएंगे, जब तक कि उक्त संयंत्र, उपकरण और मशीन का वह भाग उपयोग में है।

(4) संयंत्र. उपकरण और मशीन में किए जाने वाले सभी मरम्मत कार्य, जिसमें परिवर्तन, उपान्तरण संयोजन आता है, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे, जो कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया विकसित करेगा। जब पाइप लाइनों की मरम्मत या उपान्तरण किया जाना हो और जोड़ों का वेल्डिंग अपेक्षित हो, तब उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कार्य का नियमन कार्य परमिट प्रणाली से किया जाएगा।

16. **स्टेजिंग.–** (1) अनुरक्षण कार्य या मरम्मत कार्य या सीमित स्थानों में प्रवेश से संबंधित कार्य के लिएं और परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए खड़ेः– सभी मंच, स्थिर, कठोर और पर्याप्त मजबूती के सशक्त पदार्थो से सन्निर्मित होंगे। ऐसे मंच संबंधित भारतीय मानक विशक्तियों के अनुरूप होंगे।

(2) किसी बन्द या खुले पात्र के ऊपर, तब तक मंच नहीं बनाया जाएगा। जब तक कि पात्र मंच पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का संपर्क रोकने के लिए निर्मित तथा हवादार न हो।

(3) इस कार्य के प्रयोजन के लिए सन्निर्मित सभी मंचों तक उपयुक्त पहुँच होगी, जो कि सुरक्षित होगी और उसमें एक मीटर ऊंचाई की उपयुक्त हेन्डरेल और टो–बोर्ड लगे होंगे।

17. **बैठक व्यवस्था.–** परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित प्रक्रियाओं में काम करने वाले 'प्रचालन कार्मिको' के लिए प्रदान की गई बैठने की व्यवस्था सुरक्षित प्रकार से स्थित होगी, जिससे कि विनिर्माण या मरम्मत या अनुरक्षण के दौरान कार्य के वातावरण में या तो संयंत्र और उपकरण के असफल होने या उन पदार्थों के, जो दाबयुक्त हैं, वातावरण में निष्कासित होने से उत्सर्जित जहरीले, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आने में खतरे को रोका जा सके।

18. **सीमित स्थानों में प्रवेश या कार्य.–** (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान, जिस पर इस अनुसूची के उपबंध लागू होते है, का अधिभोगी किसी व्यक्ति को सीमित स्थानों में प्रवेश या कार्य की अनुमति देने के पूर्व निम्नांकित पूर्वावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगाः

(क) सभी सीमित स्थानों और ऐसे स्थानों में सामान्यतः या असामान्यतः सामने आने वाले खतरों की प्रकृति की पहचान और सीमित स्थानों में

प्रवेश करने या काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सुरक्षा उपायों को विकसित करना;

(ख) "कार्य परमिट प्रणाली' द्वारा सीमित स्थानों में प्रवेश या वहाँ कार्य का विनियमन करना, जिसमें ऊपर उप–पैरा (क) के अधीन इस प्रकार विकसित, सुरक्षा उपाय भी आते हैं ;

(ग) प्रवेश या काम करने के लिए उन सीमित स्थानों की जाँच से पहले उस स्थान को प्रक्षालन या निष्क्रिय करने वाले अभिकर्ता से सफाई या वाष्प या अक्रिय गैस से शुद्धिकरण द्वारा और दाब युक्त संवाहन व्यवस्था या ऐसे अन्य उपायों से सुरक्षित बनाएगा ;

(घ) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन हेतु किए जाने वाली ऐसी जाँच, जो आवश्यक हो, किए जाने की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सीमित स्थान प्रवेश या काम करने के लिए सुरक्षित है। ऐसी जाँच कार्य के दौरान सुरक्षा की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए, जितनी बार भी आवश्यक हो, की जाएगी;

(ङ) सीमित स्थान में कार्य करने के लिए अपेक्षित कार्मिकों को उक्त कार्य में अन्तर्निहित खतरों के बारे में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था करेगा। उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसमें बचाव, पुनरुज्जीवन प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अन्तर्निहित हो, तैयार रखेगा। और उक्त कार्य के सारे समय एक उत्तरदायी और योग्य व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा।

(2) प्रबंधक सीमित स्थान में प्रवेश और काम करने की सभी जानकारियों को एक कार्य पंजी (लॉग) में संधारित करेगा और ऐसे अभिलेख में उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्हें काम सुपुर्द किया हो, कार्य का स्थान और ऐसे अन्य विवरण होंगे, जो काम जिन व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया हो, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है, इस प्रकार संधारित कार्य पंजी उतने समय तक रखे जाएंगे, जब तक कि संबंधित कर्मकार सेवा में रहे और उन्हें माँग की जाने पर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा।

19. **अनुरक्षण कार्य आदि.–** (1) संयंत्र तथा उपकरण के अनुरक्षण से संबंधित सभी कार्य, जिसमें इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में उपयोग में लाए गए खतरनाक पदार्थों के रिक्त कन्टेनरों का साफ किया जाना आता है, ''कार्य परमिट प्रणाली'' के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक नियोजित करके और ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के, जिसे खतरों तथा उनसे निपटने में अपेक्षित पूर्वावधानियों का ज्ञान हो, पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

(2) अनुरक्षण का कार्य ऐसी रीति में किया जाएगा कि जिससे समीप काम करने वाले व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को जो वहाँ से गुजरते हों, कोई खतरा न

हो। यदि आवश्यक हो तो ऐसे कार्य के स्थल को घेराबन्द कर दिया जाएगा या असंबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

20. **कार्य परमिट प्रणाली.–** कार्य परमिट प्रणाली और उसकी जैसी ही व्यवस्था में कार्य परमिट प्रणाली के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को करते समय निम्नलिखित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी

(क) कार्य परमिट प्रणाली के अधीन किए जाने वाले सभी कार्य जानकार और जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे;

(ख) संयंत्र या मशीनों या उपकरणों के सभी भाग, जिन पर ''कार्य परमिट प्रणाली'' कार्यन्वित होती हो, कार्य परमिट की सारी कालावधि के दौरान अन्य भागों से पृथक् रहेंगे और कार्य करने के स्थान, जिसमें संयंत्र व मशीनों के भाग सम्मिलित हैं, की सफाई, शुध्दिकरण, धुलाई आदि से सुरक्षित बनाया जाएगा;

(ग) ''कार्य परमिट प्रणाली'' के अधीन सभी कार्य की पूर्व निर्धारित कार्य प्रक्रिया होगी, जिसमें कार्य के साथ सुरक्षा संबद्ध करेगी, ऐसी प्रक्रियाओं का, जब कभी पदार्थ या उपकरणों में कोई बदलाव हो, तब पुनरावलोकन किया जाएगा, ताकि उन्हें सुरक्षित बनाए रखा जा सके सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

(घ) व्यक्ति जिन्हें ''कार्य परमिट प्रणाली'' का क्रियान्वयन कार्य सौंपा गया है, सीमित स्थान में प्रवेश करने से पूर्व सभी प्रकार से कार्य की प्रति मांग और प्रकृति को ध्यान में रखते हए शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होंगे। ऐसे व्यक्तियों को सही कार्य प्रक्रियाओं तथा साथ में कार्य परमिट प्रणाली को क्रियान्वयन करते हुए बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में उपयुक्त तौर पर अवगत करा दिया जाएगा;

(ड.) कार्य परमिट प्रणाली का कार्य करते समय कार्य स्थल के समीप आपातकाल में उपयोग के लिए, जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा जाए, पर्याप्त बचाव और पुनरुज्जीवन तथा प्राथमिक उपचार व्यवस्थाएँ अच्छी चालू हालत में उपलब्ध होगी;

(च) कार्य परमिट प्रणाली का कार्य करते हुए उपयुक्त और अनुमोदित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा;

(छ) कार्य परमिट प्रणाली के अध्यधीन रहते हुए कार्य पूरा होने पर उत्तरदायी व्यक्ति सभी उपकरण और औजार वहाँ से हटाएगा और पूर्ववत् स्थिति बहाल करेगा, जिससे कि नियमित प्रक्रिया करते समय किसी खतरे को रोका जा सकें।

21. **सुरक्षा नमूना लेने वाले कार्मिक.–** नमूना एकत्र करने का कार्य, जिन्हें सौपा गया है, उन व्यक्तियों की सुरक्षा अधिभोगी द्वारा उन्हें सुरक्षित प्रक्रिया के बारे में अनुदेश देकर सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे कार्मिकों को यदि अपेक्षित हो तो उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदत्त किए जाएंगे।

22. **संवातन.–** प्रक्रिया स्थल में जहाँ खतरनाक या विषैले या ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ अन्तर्वलित हो सकते हैं, हर समय पर्याप्त संवातन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगी कि कार्य के वातावरण में या तो हानिकर या विस्फोट में परिणित हो सकने वाली सान्द्रता न बनने दी जाए।

23. **आपात स्थिति का सामना करने की प्रक्रियाएं.–** (1) परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित कार्य करने वाले हरेक प्रतिष्ठान का अधिभोगी उक्त कार्य की प्रक्रिया के दौरान या मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करते समय उत्पन्न हो सकने वाली सभी आपात स्थितियों की पहचान करेगा। इस प्रकार पहचानी गई आपात स्थितियों का प्रतिवर्ष पुनरावलोकन किया जाएगा।

(2) ऐसी पहचानी गई सभी आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए अधिभोगी विस्तृत कार्य योजना बनाएगा, जिसमें बचाव तथा अग्निशमन हेतु बाहरी सहायता बुलाना और चिकित्सीय सुविधा की तत्काल उपलब्धि सम्मिलित होगी।

(3) अधिभोगी आपातकालीन स्थितियों की सूची तथा उनका सामना करने के लिए बनाई गई कार्य योजना की विस्तृत जानकारी मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रेषित करेगा।

(4) अधिभोगी संयंत्र में सभी व्यक्तियों, साथ ही यदि आवश्यक हो तो बाहरी पड़ौसी रहवासियों को सावधान करने के लिए विशिष्ट और पहचानी जा सकने वाली चेतावनी देने की व्यवस्था स्थापित करेगा, ताकि व्यक्तियों उस स्थान को खाली कर सके। आपातकालीन कर्तव्यों पर तैनात व्यक्तियों द्वारा और आपातकालीन प्रक्रिया का पालन किया जा सके। सभी संबंधितों को चेतावनी व्यवस्था और उसके आशय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस व्यवस्था की दक्षता की प्रत्येक मास में जाँच की जानी चाहिए।

(5) वैकल्पिक विद्युत प्रदाय व्यवस्था की जाएगी और जो सामान्य विद्युत प्रदाय प्रणाली से जुड़ी होगी, जिससे इस अनुसूची के इस भाग के खण्ड 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22 तथा भाग–दो, भाग–तीन, भाग–चार और भाग–पांच के इस पैराग्राफ की अपेक्षाओं के अनुपालनार्थ सुविधाओं तथा उपकरणों को निरन्तर विद्युत प्रदाय बन सुनिश्चित बन सके।

(6) किसी स्थान में, जहाँ आपातकालीन स्थिति स्थापित हो, वहाँ अधिभोगी आगे प्रक्रिया कार्य को निलंबित करने की व्यवस्था करेगा और केवल उन लोगों को, जिन्हें आपातकालीन कार्य सौंपे हों, छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों से वह तत्काल स्थान खाली कराएगा।

(7) प्रतिष्ठान के सभी नियोजितों को आपातकाल के दौरान वह स्थान खाली करने की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए उन्हें क्या कार्रवाई करना चाहिए, इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(8) सभी आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रत्येक तिमाही में पूर्वाभ्यास किया जाएगा और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में, यदि कोई त्रुटियाँ पाई जाएं, तो उन्हें उपयुक्त रूप से सुधारा जाएगा।

(9) अधिभोगी 10 प्रतिशत कर्मकारों को प्राथमिक उपचार तथा अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और विशिष्ट प्रक्रिया के विशेष खतरों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्राथमिक उपचारों के करने के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करेगा।

(10) अधिभोगी संपर्क में आए व्यक्तियों के आपातकालीन अवस्था में या प्राथमिक उपयुक्त उपचार हेतु चिकित्सा कर रहे चिकित्सक को जब आवश्यक हो और उसके द्वारा मांग की जाने पर खतरनाक पदार्थ की विशिष्ट रासायनिक पहचान तत्काल देगा।

24. **बहिःस्त्राव के कारण खतरा–** (1) विभिन्न प्रक्रियाओं और संक्रियाओं के बहिःस्त्रावों को, जो खतरनाक या विषैली गैसों उत्सर्जित कर सकते हों, मिश्रित न होने देने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

(2) बहिस्त्राव, जिसमें विषैली गैस मिली हुई हो या जो दूसरे बहिःस्त्राव की उपस्थिति में विषैली गैसों को बढ़ावा दे सकते हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अलग से एकत्र कर उसे सुरक्षित बनाया जा सके, एक स्वतन्त्र नाली प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

भाग–तीन

आग और विस्फोट की जोखिमें

1. **प्रकाश संप्रतिष्ठान सहित ज्वलन के स्त्रोत.–**

(1) किसी भी आंतरिक रहन तथा कोई भी विद्युत मोटर या अन्य विद्युत उपकरण और फिटिंग तथा फिक्सर, जिनसे चिंगारियाँ पैदा होती हैं या दाह उत्पन्न होता हो या कोई अन्य ज्वलन स्त्रोत को या किसी अनावृत प्रकाश को, उस प्रक्रिया, क्षेत्र में, जहाँ वे आग और विस्फोट का खतरा पैदा कर सके, अधिष्ठापित नहीं किया जाएगा और न उसे उपयोग करने की अनुमति होगी।

(2) समस्त ऊष्ण निष्कासक पाइप भवन के बाहर अधिष्ठापित किए जाएंगे और अन्य ऊष्ण पाइपों या ऊष्ण सतह या सतहें, जिनके ऊष्ण होने की सम्भावना हो, उन्हें उपयुक्त रूप से रक्षित किया जाएगा।

(3) खतरे की संभावना और विद्युत उपकरणों या अन्य उपकरण, जो ज्वलन पैदा कर सके, के चयन की दृष्टि से कार्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण संबंधित भारतीय मानक के अनुसार होगा।

(4) जहाँ ज्वलनशील वातावरण उपस्थित हो या पैदा हो सकता हो, वहाँ कर्मकारों के जूतों के सोल में कोई धातु नहीं होगी और ट्रक या कन्वेयर के पहिए संवाहक किस्म के होंगे।

(5) इस क्षेत्र में कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार, जिनसे चिंगारी पैदा न हो सके, इस प्रकार के होंगे।

(6) उन प्रक्रिया क्षेत्रों में, जहाँ आग और विस्फोट का जोखिम हो, धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा और कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में चेतावनी सूचनाएँ विनिर्दिष्ट क्षेत्रो में ''धूम्रपान प्रतिषिद्ध'' करते हुए कारखाने में चिपकाई जाएंगी।

2. **स्थिर विद्युत.**– (1) समस्त मशीनरी तथा संयंत्र, विशेष तौर पर पाइप लाइनें और बेल्ट ड्राइव्स (पट्टा चालन) जिन पर कि स्थिर विद्युत के संचित हो जाने की सम्भावना हो, उन्हें प्रभावी रूप से भूयोजित किया जाएगा। स्थिर विद्युत से चिंगारी रोकने के लिए ज्वलनशील द्रवों के लिए पात्रों में भूयोजित प्रदाय टंकियों से धात्विक संयोजन होगा। जहाँ आवश्यक हो, आर्द्रता नियंत्रित की जाएगी।

(2) भरे जाने और खाली किए जाने के दौरान चल टंकी वैगन भूयोजित किए जाएंगे तथा ऐसे भरे जाने या खाली किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए भूयोजन प्रभावी है, पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

3. **तड़ित से रक्षा.**– जहाँ आवश्यक हो, वहाँ तड़ित सुरक्षा उपकरण फिट किए जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

4. **प्रोसेस हीटिंग (प्रक्रिया तापन).**– किसी प्रक्रिया में, जिसमें आग या विस्फोट होने की सम्भावना हो, ताप–तापन की विधि जितना संभव हो सुरक्षित होगी और जहाँ खुली ज्वाला का उपयोग आवश्यक हो, वहाँ संयंत्र का सन्निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा कि निकलकर बाहर आने वाली कोई भी ज्वलनशील गैस, वाष्प या धूल को ज्वाला या निष्कासित गैसों या अन्य स्त्रोतों, जिनसे ज्वलन होने की सम्भावना हो, को सम्पर्क में आने से रोका जा सके। जहाँ संभव हो वहाँ तापन व्यवस्था खतरे के तापमान से नीचे एक पूर्वानुमति तापक्रम पर स्वतः नियंत्रित होगी।

5. **ज्वलनशील द्रवों की रिसन**.– (1) ज्वलनशील द्रवों को अंतर्विष्ट करने वाले भण्डारण पात्रों से संभावित रिसाव को सीमित करने के लिए बन्डवाल, डाइक, सम्प आदि साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में रहे बेकार पदार्थों का भली प्रकार निवर्तन जानकार तथा उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

(3) ऐसे पात्रों के सामीप्य में समुचित और उपयुक्त आग बुझाने वाले साधन अधिष्ठापित किए जाएंगे।

6. **सेफ्टी वाल्व.**— प्रत्येक स्थिर पात्र और प्रत्येक बंद पात्र, जिसमें गैस उत्सर्जित हो या जिसमें से गैस गुजारी जाती हो और जिसमें वायुमण्डलीय दाब से ऊपर दबाव बढ़ने की संभावना है, वहाँ उसके साथ एक दाबमापी और एक उपयुक्त सेफ्टी वाल्व या अन्य प्रभावशाली समरूप दाबमुक्त करने के लिए संलग्न होगा। ऐसे उपकरण अच्छी दशा में अनुरक्षित रखे जाएंगे।

7. **पाइप लाइनों आदि का अधिष्ठापन.**— ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ को ले जाने वाली सभी पाइप लाइनें यांत्रिक हानि (टूट—फूट) से रक्षित होंगी और किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सप्ताह में एक बार उनमें किसी खराबी या दोष अथवा ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थों के जमाव के बारे में पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाएगा और पाए गए किसी दोष और की गई किसी मरम्मत का अभिलेख रखा जाएगा।

8. **अग्निशमन प्रणालियां.**— (1) 500 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित और परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध क्रियाओं को करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में :—

(क) प्रशिक्षित तथा उत्तरदायी अग्निशमन दस्ता होगा, जो आग या अन्य आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक तथा जीवन रक्षक उपकरणों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इस दल में व्यक्तियों की संख्या, आवश्यक तौर पर अन्तर्निहित जोखिम के आकार पर निर्भर करेगी, लेकिन किसी भी दशा में, किसी भी समय में, ऐसे उपलब्ध प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 8 से कम नहीं होगी। इस दस्ते में निगरानी करने वाले कार्मिक, अग्नि पम्प चालक और विभागीय पर्यवेक्षक तथा अग्नि तथा आपातकालीन सेवाओं के संचालन में प्रशिक्षित चालक सम्मिलित होंगे;

(ख) दस्ते का अगुआ प्रमुख तौर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होंगे और उन्हें प्रतिष्ठान में ही निवास स्थान प्रदत्त कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाएगी;

(ग) दस्ते के कार्मिक को आवश्यक कपड़े, उपकरण जिसमें हेलमेट, बूट और बेल्ट भी आते हैं, उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) दस्ते के हर सदस्य को क्या कार्य सौंपा गया है, यह प्रदर्शित करने वाला मस्टर रोल तैयार किया जाएगा और उसकी प्रति प्रत्येक अगुआ को दी जाएगी और साथ ही विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि वह आपात स्थिति में संदर्भ हेतु आसानी से उपलब्ध रहे।

(3) पम्प चालक सभी उपकरणों की अवस्थिति के बारे में भलीभांति परिचित होगा। वह सभी अग्निशामक उपकरणों के सही चालू दशा में अनुरक्षित रखने

के लिए उत्तरदायी होगा। उसकी जानकारी में आने वाली किसी भी त्रुटि के बारे में वह उस दस्ते के अगुआ को तत्काल अवगत कराएगा।

(4) जहाँ तक व्यवहाँर्य हो प्रतिष्ठान के फायर पम्प रूम और मुख्य द्वार सभी विनिर्माण या भण्डारण क्षेत्रों से टेलीफोन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे और उन्हें ऐसे स्थानों पर सुविधाजनक स्थलों पर रखा जाएगा।

भाग–चार

विषैले पदार्थों की जोखिम

1. **रिसन.–** (1) सभी संयंत्र इस प्रकार रूपांकित और सन्निर्मित होंगे कि विषैले पदार्थों का निकलना रोका जा सके। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ प्रक्रिया के खतरनाक प्रक्रमों (स्टेज) के लिए पृथक भवन, कमरे या रक्षात्मक संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा और भवन इस प्रकार रूपांकित होंगे कि विषैले पदार्थों के किसी निकास को सीमित किया जा सके।

(2) ऐसे रिसावों के खतरनाक प्रभाव को रोकने के लिए कैचपिट बन्डवाल, डाइक या उपयुक्त अन्य सुरक्षा उपायों का उपबंध किया जाएगा। पाइप लाइनों में जोड़ों के नीचे कैचपिट रखे जाएंगे, जहाँ कि अनुरक्षण और अन्य कर्मकारों को ऐसे रिसाव से खतरा हो सकता हो।

2. **ड्रेनेज (नालियों की व्यवस्था).–** उपयुक्त नालियों की व्यवस्था की जाएगी, जो विशेष तौर पर इस प्रयोजन के संग्राहक टैंक तक जाएंगी, जिनमें विषैले पदार्थों को सार्वजनिक सीवर या नालों में विसर्जित विषैले पदार्थों को सार्वजनिक सीवर या नालों में विसर्जित विषैले पदार्थों को सार्वजनिक सीवर या नालों में विसर्जित किए जाने के पूर्व उदासीन बनाया जाएगा, उपचारित किया जाएगा या अन्यथा सुरक्षित बनाया जाएगा।

3. **पात्रों को ढंकना–** (1) प्रत्येक स्थिर पात्र या संरचना, जिसमें कोई विषैला पदार्थ भरा हो और जो इस प्रकार न ढंका गया हो कि कर्मकार के शरीर का कोई भाग दुर्घटनावश सम्पर्क में आ जाने के संभावित जोखिम को दूर किया जा सके, वे इस प्रकार सन्निर्मित होंगे कि जिससे भौतिक संपर्क को टाला जा सके।

(2) ऐसे पात्र को, जब तक कि उसकी किनार समीपस्थ चबूतरे या भूतल से 90 से.मी. ऊपर न हो, सुरक्षित रूप से ऐसे समीपस्थ चबूतरे या भूतल से कम से कम 90 से.मी. ऊपर की ऊंचाई तक घेरा जाएगा।

(3) जहाँ ऐसे पात्र जुड़े हों और किसी ईंट या अन्य किसी संरचना से उनके बीच का स्थान या तो चौड़ाई में 45 से.मी. से कम हो या 45 से.मी.से चौड़ाई में अधिक हो, लेकिन दोनों ओर पर कम से कम 90 से.मी. ऊंचाई तक

सुरक्षापूर्वक न घिरा हो, वहाँ सुरक्षा बैरियर इस प्रकार लगाए जाएंगे कि उनके बीच मार्ग न रहेः

परन्तु इस पैरा का पैरा (2) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा –

(क) अमोनिया सल्फेट के विनिर्माण हेतु उपयोग में लाए गए सेचुरेटर्स;

और

(ख) ब्राइन वाष्पीकरण कढ़ाव का वह भाग, जिसमें रैकिंग, ड्राइंग या भरना अपेक्षित हो।

4. **निरन्तर निष्कासन व्यवस्था.–** (1) कोई प्रक्रिया जिससे विषैली वाष्प, गैस, धुआँ और पदार्थ उत्सर्जित हो, उनमें प्रभावी निरन्तर वायु निष्कासक लगे होंगे। ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया नियंत्रण से, जहाँ संभव हो, इन्टरलाक्ड होगी।

(2) निरन्तर वायु निष्कासक व्यवस्था असफल होने की स्थिति में साधनों की व्यवस्था की जाएगी प्रक्रिया स्वतः ही रोकने के लिए।

5. **वर्क बैन्च.–** विषैले पदार्थों का अभिचालन शामिल करने वाली प्रक्रिया में उपयोग की जा रही सभी वर्क बैंचों के उपयुक्त रूप से श्रेणीबद्ध किया जाएगा और चिकनी अभेद्य सतह से बनी होंगी, जो कार्य समाप्त होने पर प्रतिदिन धोई जाएंगी।

6. **अवशिष्ट का निवर्तन.–** (1) न सोखने वाले पदार्थ के बने उपयुक्त पात्र, जिसमें टाइट फिट ढक्कन हो, वह विषैले पदार्थ के साथ से मिल गए अविशिष्ट पदार्थ जमा करने के लिए व्यवस्था की जाएगी और ऐसे पात्र की सामग्री किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन जलाई जाकर या अन्य उपयुक्त पद्धति का उपयोग कर नष्ट कर दी जाएगी।

(2) विनिर्माण के दौरान, जब कभी गुणवत्ता की दृष्टि से किसी खेप या विषैले अन्तवर्ती उत्पाद को निरस्त किया जाता है उसका निपटान करने से पहले उसे हानि रहित बनाए जाने या अन्यथा उसका उपचार करने या अक्रियाशील करने की पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी।

(3) विषैले पदार्थों के रिक्त पात्रों को उनका निपटान करने से पूर्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन भलीभांति साफ किया जाएगा।

भाग–पांच

विशेष उपबन्ध

1. **नाइट्रो या अमीनों प्रक्रियाओं हेतु विशेष पूर्वावधानियाँ.–** (1) जब तक कि रवेदार नाइट्रो या अमीनों पदार्थ या उनका कोई द्रव पूर्ण रूप से बंद किसी प्रक्रिया में विघटित या उत्तेजित न किया जाता हो, ताकि उसकी धूल या धुआँ न उठे, वहाँ ऐसी प्रक्रियाएँ प्रभावशाली वायु निष्कासक के अधीन या कोई अन्य उपयुक्त साधन

अपनाकर इस प्रकार की जाएंगी कि जिससे कार्य के वातावरण में धूल अथवा धुएँ का निकास न हो।

(2) संयंत्र या उपकरण या औजार का कोई भाग जो नाइट्रो या अमीनी यौगिकों के सम्पर्क में हो, उसे जब तक खाली और पूरी तरह साफ और प्रदूषण मुक्त न कर दिया गया हो, तब तक उनकी मरम्मत या उसका कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(3) शारीरिक सम्पर्क टालने के लिए नाइट्रो या अमीनों यौगिकों को पात्रों की भराई उपयुक्त करछुल (चमचे) का उपयोग करके ही की जाएगी और सिगड़ी पर पात्र इस तरह सुखाए जाएंगे कि उससे निकली गर्म तथा संदूषित हवा कार्य के कमरे में न आए।

(4) नाइट्रो या अमीनो यौगिकों या इसके कच्चे माल से भरे पात्र में या उसके चारों ओर भाप देने को सम्मिलित करते हुए चलाई जाने वाली प्रक्रियाएं इस रीति से चलाई जाएगी कि भाप या वाष्प काम के कमरे के वातावरण में उड़कर वापस न आ सके।

(5) उपर्युक्त प्रतिकारक जैसे मिथाइलीन–ब्लू के इन्जेक्शन नाइट्रो या अमीनों यौगिकों से विषाणता को सम्मिलित करते हुए आपातकालीन अवस्था के दौरान उपयोग हेतु अभिहित स्थलों पर हर समय उपलब्ध रहेंगे।

2. **क्रोम प्रक्रियाओं हेतु विशेष पूर्वावधानियाँ.–** (1) क्रोम प्रक्रियाओं में कच्चे माल की पिसाई और उसका छानना इस रीति से और ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा कि जिससे अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावशील रूप से उसे पृथक् रखा जा सके और वह सक्षम वायु निष्कासक के अधीन रहे। .

(2) जहाँ गीली अवस्था में क्रोम प्रक्रियाएं, जैसे कि लीचिंग, अमलीकरण, सल्फेट, सेटलिंग, वाष्पीकरण, रवे बनाना, सेन्ट्रीफ्यूसेशन या पैकिंग की जाती हो, उसके अत्यंत समीप ही प्रक्षालन विधाएँ होंगी, ताकि शरीर के प्रभावित भाग को बहते हुए पानी से शीघ्रता से धोया जा सके।

(3) प्रशिक्षित नर्स द्वारा क्रोम प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकार के हाथ और पांव का साप्ताहिक निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे निरीक्षण के अभिलेख मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रखे जाएंगे।

(4) कार्य के अभिहित स्थलों पर उपयुक्त मल्हम जैसे ग्लिसरीन, वैसलीन आदि और पृथक् बक्से में जल अभेद्य प्लास्टर हमेशा कर्मकारों को आसानी से पहुँचगम्य होते हुए उपलब्ध होंगा, ताकि नासिका के पर्दे मे छिद्र होना रोका जा सके।

3. सभी काँच के पात्रों में की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए विशेष पूर्वावधानियां. –

(1) प्रक्रियाएं और रासायनिक प्रतिक्रियाएँ जैसे विनाइल क्लोराइड, वैजाइल, क्लोराइड आदि का विनिर्माण आदि, जिन्हें कांच के पात्रों में किया जाना अपेक्षित है, में कांच पात्र टूटने से पास में काम कर रहे व्यक्तियों के बचाव हेतु मजबूत तार की जाली के आवरण की व्यवस्था होगी।

(2) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे ओवराल आदि, जो क्लोरेट कर्मकारों को प्रदत्त हो, उसे कार्यस्थल से दूसरे स्थान को नहीं ले जाया जाएगा और वे अच्छी तरह से रोजाना साफ की जाएंगी।

(3) अग्नि आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए क्लोरेट प्रक्रिया स्थल के पास में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी।

(4) क्लोरेट के रवे बनाने या पिसे हुए क्लोरेट के रवे भरने के लिए लकड़ी के पात्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।

4. रिमफोर्डस प्लास्टिक से बने संयंत्र और उपकरणों के उपयोग में विशेष सावधानियाँ–

(1) सभी संयंत्र और उपकरण, उपयुक्त भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होंगे।

(2) दुर्घटनावश टूट–फूट रोकने के लिए संयंत्र और उपकरण के भण्डारण, परिवहन, कार्य और अधिष्ठापन के दौरान सावधानी बरती जाएंगी।

(3) सभी संयंत्र और उपकरण, इस तरीके से अधिष्ठापित किए जाएंगे, कि जिससे रूपांकन में या विनिर्माता की अनुशंसित किए गए अनुसार ही भार का वितरण सुनिश्चित रूप से हो।

(4) सभी पाइप फिटिंग के कार्य सहारा दिए जाएगे जिससे कि पात्र या टैंक पर शाखाओं को स्थानीय कल भार अपने रूपांकित मूल्य से अधिक न हो।

(5) सभी संयंत्र और उपकरण का अधिष्ठापन के पश्चात उनके दाब की जाँच की जाएगी और सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। जाँच तथा परीक्षण संबंधित मानक के अनुसार होगा। जाँच तथा परीक्षण का प्रमाणपत्र सक्षम व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाएगा और स्थल पर उपलब्ध रखा जाएगा।

(6) सभी संयंत्र और उपकरणों की नियतकालिक जाँच तथा परीक्षण होगा और इस अनुसूची के भाग–दो के पैरा 15 के अनुसार उसके अभिलेख संधारित किए जाएंगे।

(7) उनके उपयोग के दौरान संयंत्र तथा उपकरणों को निर्धारित क्षमता से न तो अधिक भरा जाएगा और न उससे अधिक भारित किया जाएगा।

भाग–छः

चिकित्सीय अपेक्षाएँ

1. **अशुद्धि को दूर करने की सुविधाएँ.–** उन स्थानों में जहाँ पर परिशिष्ट 'क' में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं में विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जा रहा हो, वहाँ किसी आपाती/आपातिक स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपबंध होंगे –

(क) पूर्ण सुसज्जित प्राथमिक उपचार पेटी;

(ख) ऐसे विषाक्त और संक्षारक पदार्थो से संदूषित व्यक्तियों, व्यक्तियों के शरीर के भागों और व्यक्तियों के कपड़ों को पानी से भिगोने के लिए आसानी से पहुँचगम्य साधन होंगे और ऐसे साधन नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार होंगे –

सारणी

व्यक्तियों की संख्या	किसी समय नियोजित
(1)	(2)
50 व्यक्तियों तक	2
51 से 100 व्यक्तियों के बीच	3
101 से 200 के बीच	3+1 प्रत्येक 50 व्यक्ति पश्चात।
201 से 400 के बीच	5+1 तथा प्रति 100 व्यक्ति के लिए।
401 के बीच तथा उससे ऊपर	7+1 तथा प्रति 200 व्यक्ति के लिए।

(ग) आसवित जल या अन्य उपयुक्त पदार्थ से भरी (आई–वाश) आंख धोने की बोतलें पर्याप्त संख्या जो पेटियों या लमारियों में सुगम स्थान पर रखी होंगी। जिन पर स्पष्ट रूप से चिन्ह, हर समय दिखाई दें, अंकित होगा।

2. (1) 50 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए–

(क) एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएँ, जो इसमें इसके पश्चात् कारखाना चिकित्सा अधिकारी के रूप में जाना जाएगा, प्रतिष्ठान के कर्मकारों के लिए उसके अधिसूचित चिकित्सालय में आपात स्थिति के दौरान चिकित्सीय सहायता के लिए रिटेनर के आधार पर उपलब्ध होंगी। वह इस भाग के पैरा 4 में निर्धारित पूर्व रोजगार तथा नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण भी करेगा।

(ख) प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) प्रकियाओ मे प्रशिक्षित न्यूनतम पांच व्यक्ति, जिनके बीच कम से कम एक कार्यरत अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा।

(ग) एक पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) बाक्स।

(2) 51 से 200 कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए–

(क) व्यवसाय स्वास्थ्य केन्द्र में एक कमरा न्यूनतम, 15 वर्ग मीटर का भूमि क्षेत्र मे होना चाहिए, चिकनी बेस तथा अप्रवेश्य सतह से बनी फर्श और दीवारों के साथ तथा रोशनी हवादार तथा पर्याप्त रूप से सुसज्जित होगी।

(ख) एक अंशकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी केन्द्र के समस्त प्रभार्य से अधिक होगा, जो सप्ताह में न्यूनतम दो बार कारखाने को दौरा करेगा और जिसकी सेवाएँ आपात काल के दौरान आसानी से उपलब्ध होंगी।

(ग) कार्यरत अवधि के दौरान कर्तव्यस्थल पर एक अर्ह और प्रशिक्षित ड्रेसर–कम–कम्पाउण्डर होगा।

(घ) एक पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड बाक्स) बाक्स।

(3) 200 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए–

(क) 500 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए एक पूर्णकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी होगा और प्रत्येक 1000 कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक चिकित्सा अधिकारी होगा।

(ख) इस मामले में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र में न्यूनतम दो कमरे होंगे और प्रत्येक का क्षेत्रफल न्यूनतम 15 वर्गमीटर तथा फर्श से बनी दीवालें, चिकनी ठोस और आविश्य सतह से बनी होंगी और जो पर्याप्त रूप से प्रकाशित, हवादार और सुसज्जित होंगी।

(ग) कार्यरत कालावधि के दौरान एक प्रशिक्षित नर्स, एक ड्रेसर–कम–कम्पाउण्डर और एक वार्ड–बाय–कम सफाई कर्मचारी कार्यरत होंगे।

(घ) इस मामले में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रबंधकीय आपातकालीन चिकित्सीय केन्द्र उपयुक्त रूप से सुसज्जित होंगे।

3. **एम्बुलेन्स वैन.–** (1) परिशिष्ट 'क' में पूर्ण रूप से सुसज्जित उल्लिखित प्रक्रियाएँ चलाने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में परिशिष्ट 'ग' के अनुसार उपयुक्त निर्मित तथा पूर्ण रूप से सुसज्जित एम्बुलेन्स वाहन अच्छी हालत में प्रदान और बनाए रखा जाएगा और एक पूर्णकालिक ड्रायवर–कम–मैकेनिक और प्रशिक्षित हेल्पर नियुक्त होंगे, और जो दुर्घटना अथवा बीमारी के गंभीर प्रकरणों में परिवहन के प्रयोजन के लिए प्राथमिक सहायता (फर्स्ट एड) प्रयुक्त करने के लिए प्रशिक्षित होंगे, जब तक कि यह सुविधा समीपस्थ अस्पताल या अन्य स्थान से आपातकालीन स्थिति के दौरान अल्प सूचना पर उपलब्ध हो जाने की व्यवस्था नहीं की गई हो। एम्बुलेन्स वैन का यहां

विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होगा और वह व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप सदैव उपलब्ध रहेगा।

(2) उपरोक्त उप–पैरों (1) में उपबन्धित स्थान के समीप से एम्बुलेन्स वैन प्राप्त करने संबंधी शैथिल्य उन नियोजित कारखानों के लिए लागू नहीं होगा जहाँ 500 से अधिक कर्मकार हों।

4. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मकार का कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगाः–

(क) नियोजन पूर्व एक बार ताकि विशिष्ट कार्य हेतु व्यक्ति की शारीरिक उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके;

(ख) हर छः माह की कालावधि में एक बार, ताकि कर्मकार के स्वास्थ्य का स्तर निर्धारित किया जा सके; और

(ग) उपरोक्त पूर्व नियोजन और नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण के ब्यौरे विहित प्ररूप में अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) कारखाना चिकित्सा अधिकारी का कोई ऐसा निष्कर्ष, जिससे प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की असामान्यता या अनुपयुक्तता प्रकट होती है, तो वह चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को तत्काल उसकी सूचना देगा, जो संबंधित कर्मकार की जाँच करेगा और 30 दिनों के भीतर अपने निष्कर्ष की सूचना देगा। यदि चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की यह राय हो कि इस प्रकार परीक्षण किए गए व्यक्ति के लिए उसके स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रक्रिया से निलम्बन अपेक्षित है, तो वह तद्नुसार अधिभोगी को निर्देशित करेगा, जो उसी प्रक्रिया में कर्मकार को नियोजित नहीं करेगा। प्रक्रिया से इस प्रकार निलम्बित व्यक्ति को वैकल्पिक नियोजन की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि वह चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो चुका हो और ऐसी दिशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त पुनर्वासित किया जाएगाः

परन्तु, यह कि चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे कर्मकार का परीक्षण कर सकेगा, जिसका वह परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रिया में उसके नियोजन हेतु उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए या किसी अन्य कर्मकार के स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करने के लिए परीक्षण करना आवश्यक समझता है और उसकी राय अंतिम होगी।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना किसी व्यक्ति को नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में कार्य करने नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को अनुपयुक्त घोषित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को

चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को अपील करने का अधिकार होगा, और इस संबंध में उसकी राय अंतिम होगी।

(4) पैरा (2) में अन्तर्निहित परिस्थितियों के कारण प्रक्रिया से निलम्बित कर्मकार को, केवल चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् तथा स्वास्थ्य पंजी में प्रविष्टि करने के पश्चात् ही दोबारा उसी प्रक्रिया में नियोजित किया जाएगा।

(5) इस अनुसूची की प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(6) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(8) प्ररूप–पच्चीस तथा **प्ररूप–छब्बीस** में परीक्षण के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे अनुरक्षित रखे जाएंगे।

भाग–सात

अतिरिक्त कल्याण सुविधाएँ

1. **प्रक्षालन सुविधाएँ.–**

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में समस्त कर्मकारों के उपयोग के लिए प्रत्येक 15 कर्मकारों के लिए एक टोंटी प्रदत्त एवं अनुरक्षित होंगी। साथ में लिक्विड सोप जो एक झुकाए जा सकने वाले पात्र में होगा और नाखून साफ करने के ब्रश या प्रभावी सफाई करने के लिए अन्य उपयुक्त साधन होंगे। ऐसी सुविधाएं सुविधापूर्वक सुलभ . होंगी और साफ तथा स्वास्थ्य संबंधी दशा में रखी जाएंगी।

(2) यदि उपरोक्त अपेक्षित प्रक्षालन सुविधाएँ महिलाओं के लिए उपलब्ध हों तो ऐसी सुविधाएं उनके लिए पृथक होंगी तथा समूचित एकांतता में इन सुविधाओं की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

2. **भोजन कक्ष की सुविधाएँ.–** (1) परिशिष्ट "क" में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं को चलाने वाले समस्त कारखानों के अधिभोगी जिनके यहाँ 50 कर्मकार या अधिक नियोजित हों, वहाँ प्रति पाली में काम करने वाले कर्मकारों के लिए ऐसे भोजन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा, जिनमें भली प्रकार हवादार हो और बैठने की सुविधा हेतु वह टेबिलों युक्त होगा, साथ ही वहाँ ठण्डे और स्वास्थ्यकारी पीने के पानी की व्यवस्था होगी।

(2) ऐसी सुविधाओं में सफाई तथा प्रक्षालन की उपयुक्त व्यवस्था सम्मिलित होगी और जो साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में अनुरक्षित की जाएगी।

3. **क्लॉक रूम सुविधाएँ.–**

(1) परिशिष्ट 'क' में अन्तर्निहित किसी प्रक्रिया को चलाने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान का अधिभोगी प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों को लॉकर सहित क्लॉक रूम सुविधाएँ प्रदान करेगा। प्रत्येक कर्मकार को दो लॉकर दिए जाएंगे। एक काम के कपड़ों के लिए दूसरा अलग से निजी कपड़े रखने के लिए होगा और लॉकर इस प्रकार के होंगे कि उसमें कपड़े लटकाकर रखे जा सकें।

(2) पैरा (1) के अनुसरण में इस तरह से प्रदत्त क्लॉक रूम सुविधाएँ, जहाँ तक संभव हो, खण्ड 1(1) के अनुसरण में प्रक्षालन के लिए प्रदत्त सुविधाओं के समीप होंगी, यदि प्रक्षालन सुविधा को क्लॉक रूम सुविधा के पास स्थापित करना संभव न हो तो सफाई एवं प्रक्षालन के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त व्यवस्था होगी।

4. **विशेष स्नानागार सुविधाएँ.–** (1) परिशिष्ट 'ख' के अधीन अन्तर्निहित प्रक्रिया चलाने वाले किसी प्रतिष्ठान के अधिभोगी द्वारा नियोजित सभी कर्मकारों के लिए विशेष स्नानागार सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी और ऐसी सुविधाएँ 25 कर्मकार या उसके भाग के लिए एक स्नानागार की दर से होगी, और उन्हें साफ एवं स्वास्थ्यकारी दशा में बनाए रखा जाएगा।

(2) अधिभोगी परिशिष्ट 'ख' में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों से आग्रह करेगा, कि दिन या पाली का काम पूर्ण होने के पश्चात इस प्रकार स्नानागार सुविधाओं का उपयोग करे और वह स्नानागार सुविधा के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्नान करने वाले कर्मकारों पर प्रभावी रूप से रोक लगाएगा।

(3) उपरोक्त पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य निरीक्षक सह–सुविधाप्रदाता किसी अन्य प्रक्रिया चलाने वाले किसी प्रतिष्ठान में जहाँ उसकी राय में स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानागार सुविधा आवश्यक हो, उसके अधिभोगी से लिखित में विशेष स्नानागार सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

भाग–आठ

कर्मकारों के कर्तव्य

(1) परिशिष्ट ''क'' और परिशिष्ट "ख" में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार किसी सुरक्षा युक्ति या किसी साधित्र या घेरा या जाली की व्यवस्था को अक्रियाशील या दोषपूर्ण नहीं करेगा और उपरोक्त व्यवस्था की दोषपूर्ण होने की रिपोर्ट होते ही शीघ्रता से उनकी सूचना देगा।

(2) परिशिष्ट "क" में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार अपने कार्य स्थान, साथ ही साथ में प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनें, उपकरण या राधित्र की जाँच करेंगे और किसी विकृत चालन या त्रुटि की सूचना तत्काल सुपरवाइजर या प्रबंधक के किसी उत्तरदायी व्यक्ति को देंगे।

(3) सभी कर्मकार किसी कार्य को करने में या इस अनुसूची के अनुसरण में उन्हें किसी आकस्मिक को पूरा करने में प्रबंधक को सभी प्रकार से सहयोग देंगे और उन्हें दिए गए सभी व्यक्तिगत सुरक्षा जारी उपकरणों का हमेशा सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे।

(4) परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार प्रक्रिया प्रक्षेत्र या भण्डारण क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करेंगे। यदि प्रबन्धक द्वारा यदि विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उन केवल ऐसी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।

(5) परिशिष्ट "क" में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार अनाधिकृत स्थान में नहीं रहेंगे, न अनाधिकृत कार्य या किसी व्यवस्था को सुधारने या शार्टकट पद्धति से करने या इस अनुसूची के अनुसरण में प्रदान की गई सुविधा का दुरुपयोग करने का कार्य इस तरह नहीं करेंगे, जिससे उन्हें स्वयं तथा साथ ही अन्य नियोजित के लिए जोखिम पैदा हो।

(6) कर्मकार इन नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार नहीं करेंगे।

भाग–नौ

18 वर्ष से कम उम्र के अल्पवयस्क और स्त्रियों के नियोजन पर रोक–

(1) मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता इस अनुसूची के परिशिष्ट ''क'' में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में 'स्त्रियों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 वर्ष से कम के किशोरों के नियोजन भी लिखित में आदेश द्वारा निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) उपरोक्त पैरा (1) के अनुसरण में जारी किए गए आदेश के कारण प्रक्रिया में कार्य करने से निर्बन्धित या प्रतिषिध ऐसे व्यक्तियों को ऐसा वैकल्पिक कार्य प्रदान किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए अपायकर न हो।

भाग–दस

छूट

1. **छूट की शक्ति–** राज्य शासन या राज्य शासन के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता परिशिष्ट "क" में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं को चलाने वाले किसी प्रतिष्ठान को इस अनुसूची की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन करने से पूर्णतः या भागतः आशिक छूट कर सकेगी। यदि अधिभोगी द्वारा स्पष्ट और समाधानप्रद रूप से यह स्थापित कर दिया जाए, कि नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची में अन्तर्निहित किन्हीं अपेक्षा के स्थान पर उपयुक्त तथा प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने से ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट ''क''

कोई कार्य या उसका कोई भाग जिसमें–

(क) निम्नलिखित में से किसी का विनिर्माण अभिचालन या पुनरोत्पादन किया जाता हैः

(एक) सोडियम, पोटेशियम, लोहा, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, आरसेनिक एन्टीमनी, क्रोमियम, जस्ता, सेलेनियम, मेग्नेशियम, केडमियम, मरकरी (पारा), बेरिलियम और उनके कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण, एलाय, आक्साइड तथा हाइड्रो आक्साइड;

(दो) अमोनिया, अमोनियम, हायड्रोआक्साइड और अमोनियम लवण;

(तीन) कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक सलफ्यूरम, सलफ्यूरिक, नाइट्रिक नायट्रस, हाइड्रोक्लोरिक, हायड्रोफ्लोरिक, हायड्रोआयोजिक, हायड्रोसलफ्यूरिक, हाडयड्रोब्रमोमिक, बोरिक;

(चार) सायनोजन यौगिक, सायनाइड यौगिक, सायनेट यौगिक;

(पाँच) फास्फोरस और आरगोनोफासफोरस कीटाणु नाशकों के अलावा उसके अन्य यौगिक;

(छः) क्लोरीन।

(ख) हाइड्रोजन सल्फाइड के विखंडन द्वारा पैदा हुई मेटनलिक सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऐसे सल्फाइड के उत्पादन में उपयोग;

(ग) ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण या क्लोर–अल्कली संयंत्र में क्लोरीन गैस का उत्पादन;

(घ) (एक) गैसवार या कोलतार या बिटमन या शैल आइल एस्फाल्ट या ऐसे ही टार का कोई अवशेष का रासायनिक विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में आसवन या उपयोग किया जाता है;

(दो) तार आधारित संश्लेषित रंगाई पदार्थ या उनके मध्यवर्ती उत्पादकों का उत्पादन;

(ड) नाइट्रो यौगिकों के विनिर्माण में नाइट्रिक एसिड का उपयोग;

(च) नाइट्रो यौगिकों के उपयोग से विस्फोटकों का उत्पादन;

(छ) ऐलीफेटिक या ऐरोमेटिक यौगिकों या उनके धात्विक या अधात्विक उत्पाद या विस्थापित उत्पाद जैसे कि क्लोरोफार्म, एथिलीन ग्लायकोल, फार्मलडिहायड, बेंजल क्लोराइड, फीनोल, मिथाइल, इथाइल, कीटोन, पेरोक्साइड, कोबाल्ट, कार्बोनिल, टंग्सटन कार्बाइड आदि विनिर्मित या पुनरोत्पादित किए जाते हों।

परिशिष्ट 'ख'

भाग–चार के खण्ड 4 के अनुसरण में विशेष स्नानागार स्थान के संबंध में–

(1) नाइट्रो या अमीनों प्रक्रियाएँ।

(2) सभी क्रोम प्रक्रियाएँ।

(3) गैस या कोलतार के आसवन की प्रक्रियाएँ या रसायन विनिर्माण की प्रक्रियाएँ जिनमें तार का उपयोग किया जाता है।

(4) सायनोजन यौगिक, सायनोइड यौगिक, साइनाइट यौगिक को अन्तर्निहित करने वाली विनिर्माण, अभिचालन कार्य सम्भाल या पुनःप्राप्ति।

(5) ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण अन्तर्निहित करने वाली प्रक्रियाएँ या क्लोरोएल्कली संयंत्र में क्लोरिन गैस का उत्पादन।

(6) निकिल और इनके यौगिकों का विनिर्माण, अभिचालन या पुनः प्राप्ति।

(7) एलीफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों या उनके उत्पादों या संश्लेषित उत्पादों का विनिर्माण, अभिचालन, या पुनः प्राप्ति को अन्तर्निहित करने वाली सभी प्रक्रियाएँ।

परिशिष्ट 'ग'

एम्बुलेन्स :

एम्बुलेन्स में निम्नलिखित उपकरण होंगे–

सामान्यतः

पहियों वाली स्ट्रेचर जिसमें फोल्डिंग तथा एडजस्टिंग युक्त हो;

स्ट्रेचर का सिरा ऐसा हो जो कि ऊपर को झुकाया जा सके;

फिक्स्ड आक्सीजन इकाई उपकरणों सहित;

आवरण युक्त तकिए ;

चादरें;

कंबले;

तौलिए;

एमोसिस बैग;

बैडपेन ;

यूरिनल;

ग्लास।

सुरक्षा उपकरणः

30 मिनट के जीवनासहित फ्लेअर ;

फ्लुड लाइटें;

फ्लेश लाइटें;

ड्राय पाउडल किस्म का अग्निशामक;

पृथकरित लोहे का दस्ताना ;

आपातकालीन उपचार उपकरणः

पुनरुज्जीवनः

पोर्टेबल सेक्शन इकाई;

पोर्टेबल आक्सीजन इकाई;

बैग वाल्व, मास्क, हाथों द्वारा चालित संवातन इकाई;

एअरबेज;

माउथ गैज;

ट्रेकोस्टामी एडॉप्टर्स ;

शार्ट स्पाइन बोर्ड ;

आई.व्ही. फ्ल्यूड्स सहित एडमिनिस्ट्रेशन इकाई;

ब्लडप्रेशर मापी;

क्ग;

स्टेथोस्कोप।

निश्चलता (इमोबिलाइजेशन):

लम्बे तथा छोटे गद्दीदार बोर्ड;

वायर–लेडर–रिप्लेन्टस;

तिकोनी पट्टियाँ;

लॉग एण्ड शार्ट स्पाइन बोर्ड।

ड्रेसिंग:

पटियाँ 4'' + 4'';

यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10' X 36'';

एल्यूमीनियम झिल्ली का रोल;

साफ्ट रोलर पटियाँ 6'' • 5'' गज;

3'' के रोल में एडेसिव टेप;

सेफ्टी पिनें;

बेन्डेज शीट।

जहर (पायजनिंग):

इपाकाक के सायरप;

क्रियाशील चारकोल य सुराक के अनुसार पूर्व मे पैकिट बंद स्नैक बाइटकिट;

पीने का पानी।

आपातकालीन दवाएँ:

केवल चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अधीन (जैसा कि आवश्यक हो)

अनुसूची–अठारह

(नियम 81)

मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण

1. परिभाषाएँ–

(क) **"मिट्टी के बर्तनों"** में मिट्टी के बर्तन (अदर्न वेयर), पत्थर के बर्तन, पोसलन, चीनी, मिट्टी, टोइल्स, चिकनी मिट्टी से अथवा किसी मिश्रण से जिनमें चिकनी मिट्टी तथा अन्य पदार्थ उसे क्वार्टज, पिलट फ्लड्स पर तथा जिप्सन हों, बनी हुई वस्तुएँ सम्मिलित हैं;

(ख) **"कार्यसाधक वायु निष्कासन"** से अभिप्रेत है, धूल या धुएँ को निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संचालन जिससे उसे किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो, वाय न मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धूल या धुएँ को, जहाँ पर ऐसे धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो प्रभावी रूप से न हटा सकता हो;

(ग) **"फेटलिंग"** (टीपटाप करने) में स्केलोपिंग (कामदार कोर काढ़ना), टोइंग, सेण्डपेपरिंग (रगमाल कागज से पालिश करना), सेण्डस्टिकिंग, ब्रशिंग (ब्रुश करना) या मिट्टी के बर्तनों, जिनमें धूल निकलती हो, की कोई अन्य प्रक्रिया सम्मिलित है;

(घ) **"लीडलेस"** (सीसारहित चमक) से अभिप्रेत है, ऐसी चमक से है, जिसमें उसके शुष्क भार के एक प्रतिशत से अधिक लेडमोनोक्सआइड के रूप में माने जाने वाला सीसे का मिश्रण अन्तर्विष्ट न हो;

(ङ) **"लो साल्यूविलीटीग्लज"** से अभिप्रेत है, ऐसी चमक से है, जो नीचे की गई रीति में निरूपित किए जाने पर लेडमोनोक्साइड के रूप में माने जाने वाले घुलनशील सीसे के यौगिक को उसके शुष्कभार के पाँच प्रतिशत से अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट न कर सकती हो;

द्रव्य की तुली हुई मात्रा, जो कि 100 से.ग्रे. तापक्रम पर सुखा ली गई हो और पूर्णतया मिश्रित कर ली गई हो, अपने भार के 1000 गुना भार के बराबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें 0.25 प्रतिशत भार हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा, समान तापक्रम पर एक घण्टे तक लगातार हिलाई जाएगी। इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक ऐसे ही रखा रहने दिया जाएगा और तब छाना जाएगा;

छने हुए घोले में होने वाले लेड सल्फाइड के रूप में निष्पादित किया जाएगा और लैंड सल्फेट के रूप में तोला जाएगा।

(च) **"पिसे हुए चूर्ण किए हुए पिलट या क्वार्टज"** में प्राकृतिक बालू सम्मिलित नहीं है;

(छ) **"पार्टस शॉप"** में वे समस्त स्थान जहाँ प्लेसिंग (रखने) या बिस्टिक फायर (भट्टी मे चढाने) के पूर्व मिट्टी के बर्तनो का शॉपिंग (आकृति दी जाना), फेटलिंग (टीप–टाप की जाना) या अन्य उपचार किया जाता हो, सम्मिलित है।

2. **कार्यसाधक वायु निष्कासनः–** कार्यसाधक वायु निष्कासन के उपयोग के बिना निम्नलिखित प्रक्रियाएँ नहीं की जाएंगी–

संक्रिया		स्थिति
(एक)	सूखे तथा अनुपयुक्त यौगिक के अभिसाधन अथवा उपयोग के अंतर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ	फ्रिट के लिए मिश्रण तैयार करना।
(दो)	किसी भी प्रकार के फैटलिंग संक्रियाए, चाहे वे कच्ची मिटटी के बर्तनों पर हो या मिटटी के सादा बर्तनों पर हो परन्तु यह वैट फैटलिंग तथा यांत्रिक शक्ति की सहायता के बिना मिट्टी की वस्तुओं के यदा कदा सुसज्जित करने को लागू नहीं करेगा	चाको (या फैटलिंग मशीन) पर सुसज्जित करना हाथ से सुसज्जित करना पाइप को चमकाने मोड़ने तक पॉलिश करने के पूर्व धूल उड़ाना मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना चमकाने से पूर्व घिसना
(तीन)	दबाव द्वारा मिट्टी के बर्तन या अन्य वस्तुओं बनाने के लिए चिकनी टाइल्स या किसी अन्य पदार्थ को छानना उन दशाओं को छोड़कर जहाँः– (क) यह एक ऐसी मशीन में किया जाता हो ताकि जिसमें धूल के बहार निकलने को प्रभावी रूप से रोका जा सके या (ख) स्थानांतरित होने वाली सामग्री इतनी नम है की जिससे धूल न निकल सकती हो	कील के सांचे तथा टाइल्स के सांचे के लिए बॉडी बनाना
(चार)	चिकनी मिट्टी से टाइल्स के सांचे बनाना प्रत्येक सांचे से एक निष्कासक छिद्र संग्लन रहेगा यह खंड खपरेलो को छोड़कर चिकनी मिट्टी से वस्तुओं के प्रेसिंग को भी लागू होगा जब तक की पदार्थ इतना नम न हो की जिससे धूल न निकलती हो	टाइल्स का सांचा, कील का सांचा या डाई का सांचा
(पाँच)	दबाव द्वारा चिकनी मिट्टी से बनी हुई टाइल्स की फैट्लिंग करना उस स्थिति के सिवाय जहाँ फेटलिंग पूर्व रूपेण नम पदार्थ से की जाती हो यह खण्ड जब की पदार्थ इतना न हो की जिससे धुल न निकलती हो चिकनी मिट्टी से बनायीं गयी अन्य वस्तुओं के फेटलिंग को भी लागू होगा	हाथ द्वारा सुसज्जित करना

(छः)	आवाओं के उस स्थिति में भरने तथा खाली करने की प्रक्रिया, जहाँ कि पिसे हुए तथा चूर्ण पिंलट, क्वार्टज, एल्युमीनियम या अन्य द्रव अन्तर्वलित हो।	आवाओं के भरने, आवाओं के डबलिंग खाली करने।
(सात)	मिट्टी के सादा बर्तन को ब्रुसिंग, जब तक कि वह प्रक्रिया ऐसे कमरे में न की जाती हो, जिसमें ऐसे कार्यसाधक सामान्य यांत्रिक संवातन या अन्य संवातन की व्यवस्था हो, जो मामले की समस्त परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए कारखाने के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा पर्याप्त प्रमाणित की जाए।	हाथ से सुसज्जित करना, मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना।
(आठ)	मिट्टी के उन सादा बर्तनों का फेटलिंग, जिन्हें चूर्ण, फ्लिंट या क्वार्टज में तपाया गया हो, उस दशा के सिवाय जहाँ कि यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में किया जाए, जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभाव पूर्ण रूप से रोका जा सके।	मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना।
(नौ)	बर्तनों को डुबाने या अन्य प्रक्रिया द्वारा चमकाने की क्रिया के पश्चात् साफ करना।	चमकाना तथा धूल साफ करना।
(दस)	पॉटर बाईज तथा आवाओं के लिए पदार्थों को कुचला जाना तथा उनकी शुष्क पिसाई, जब तक यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में न किया जाता हो, जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभावपूर्ण रूप से रोका जा सके या वह इतना तरह हो जिससे धूल न निकल सकती हो।	क्वार्टज फेल्टस्पर आदि का जॉक्रशिंग एज रनर ग्राप पैबिल मिल ग्राईडिंग, खपरैल के सांचों के लिए पिसाई, ग्रोम डिसईटीग्रेटर।
(ग्यारह)	चूर्ण फ्लिट; क्वार्टज् चिकनी मिट्टी, ग्रोन या इन द्रव्यों के मिश्रण का छानना या अभिसाध, जब तक कि वह इतना नम न हो जिससे धूल न निकल सकती हो।	फायर क्ले (अग्निमुक्तिका) वियेजक, ग्रोन तथा फायर क्ले को हाथ से छानना आवाओं के लिए बोरों में मिंक्स भरना।
(बारह)	शक्ति चालित चाक पर खपरैलों का पीसा जाना, जब तक कि चाकों पर कार्यसाधक रूप से पानी के छिड़काव का उपयोग न किया जाए।	टंकियों को भरना तथा द्रव्यों को मिलाना।
(तेरह)	उत्तोलक तथा वादक द्वारा द्रव्यों का ऊपर उठाना तथा ढ़ोना, जब तक कि प्रभावपूर्ण रूप से समावृत्त न हों, तथा इस प्रकार व्यवस्थित न किए गए हों, जिससे किसी ऐसे स्थान में या उसके समीप जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहे हो, के वायुमंडल से धूल के बाहर निकलने से रोका जा सके।	क्वार्ट्ज फेल्ड्सपर आदि का जॉक्रशिंग, एज रनर या पैबल मिल ग्रइडिंग, खपरैल की बाडी के लिए ग्राइडिंग। टिप्पणी– उत्तोलक, क्रशर तथा ग्रइन्डर के समीप थे।

(चौदह) बहने वाले द्रव्य को तैयार करना अथवा तौल कर अलग करना, सूखे रंगों का लानिंग, कलर ब्लीचिंग।	स्प्रे ग्लेजिंग, ग्लेजिंग तथा डस्टिंग।
(पंद्रह) सांचा बनाने में, जब तक कि प्लास्टर ऑफ पैरिस रखने के लिए उपयोग मे लाए गए पीपों या समान पात्रों के लिए उपयुक्त सामानों की व्यवस्था न हो।	सांचा बनाना
(सोलह) जलाकर चूना बनाए गए द्रव्य का अभिसाधन जब तक कि द्रव्य इतना नम न बनाया गया हो तथा इतना तर न रहे कि जिससे धूल न निकल सके।	जिप्सम को जलाकर चूना बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को छानना
(सत्रह) सुरक्षात्मक उपकरण।	कच्चे मालों को तौलना, धूलजर भरना, वॉल मिल भरना, आवाजों के लिए बोरों में मिक्स भरना। टंकियाँ भरना तथा द्रव्यों को मिलाना

3. निम्नलिखित प्रक्रियाओं में प्रत्येक ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन की जाएगी, जिससे कि एक का दूसरे से तथा अन्य आर्द् प्रक्रियाओं से प्रभावी पृथक्करण किया जा सकेः—

(क) द्रव्यों का क्रशिंग (कुचलना) तथा ड्रई ग्राईडिंग (शुष्क पिसाई) या छानना, फेटलिंग खपरैलों का प्रेसिंग, चिकनी मिट्टी तथा कच्ची मिट्टी के बर्तन सुखाना, आवाओं को भरना तथा खाली करना।

(ख) शुष्क सीसे के यौगिक के उपयोग को अन्तर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ।

4. किसी भी ऐसे ग्लेज का, जो सीसा रहित ग्लेज या लो साल्यूविलीटी ग्लेज न हो, किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन विनिर्माण किए जाते हों।

5. खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट किसी संक्रिया में या किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों, किसी भी अल्पवयस्क को नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

6. कुम्हार के चाक (जाली तथा जिगर) के लिए आड़ की व्यवस्था की जाएगी या वह उस प्रकार बनाया जाएगा, जिससे कि चिकनी मिट्टी की छीलन के चाक से परे गिरने से रोका जा सके।

7. (1) फर्शों को करने के दौरान उडने वाली धूल को नम करने या अन्यथा रोकने के लिए समस्त व्यावहाँरिक उपाय किए जाएंगे;

(2) सफाई की प्रक्रिया के दौरान, जो कि कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् की जाएगी। हवा में उड़ने वाली धूल को रोकने में पद्धति को प्रभावी बनाने के

लिए लकड़ी के गीले बुरादे का या अन्य उपयुक्त पदार्थ का उपयोग किया जाएगा।

8. पोटर की दुकानों, स्लिप हाउसेज, डिपिंग हाउसेज तथा वेयर क्लीनिंग रूम्स के फर्श कठोर चिकने तथा अभेद्य होंगे तथा किसी वयस्क पुरूष द्वारा आर्द्र पद्धति द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिदिन साफ किए जाएंगे।

9. **चिकित्सीय परीक्षण.–**

(1) प्रत्येक कारखाना, जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण किया जाता है, का अधिभोगीः–

(क) उसमें नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी के लिए एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) उप–पैरा (क) मे निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँच के अभिलेख रखे जाएंगे, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होगा।

(3) खण्ड 3 के अधीन उल्लिखित किसी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी व्दारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में खण्ड 2 की मद (एक) से (चार) में उल्लिखित प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के लिए मूत्र और खून में सीसे की मात्रा, ए. एल.ए. हीमोग्लोबिन की मात्रा, स्टिपलिंग ऑफ सेल्स की जांच और पल्मोनरी फंक्शन जांच और सीने का एक्स–रे तथा अन्य कर्मकारों के लिए केवल पल्मोनरी फंक्शन जांच और सीने का एक्स–रे सम्मिलित होंगे। किसी कर्मकार कारखाने में उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन पश्चात् कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की चिकित्सा अधिकारी व्दारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) मद (एक) से (चार) तक के अधीन सम्मिलित किसी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों को प्रत्येक तीन कैलेण्डर मास में एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। सभी कर्मकारों के परीक्षण के संबंध में ऐसी जांच में पैरा (1) में विनिर्दिष्ट सभी जांच सम्मिलित होगी सिवाए एक्स–रे के तीन वर्ष में एक बार होगा।

(5) पोटरी प्रक्रिया पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(6) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ

निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(8) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे अनुरक्षित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता तथा चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

10. **सुरक्षात्मक उपकरण.–** (1) अधिभोगी खण्ड 2 के अधीन सम्मिलित प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सर्वछादी तथा शीर्ष छादकों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा।

(2) अधिभोगी डुबकी लगाने वालों, सहायकों, थोअर्स, जॉली वर्कर्स, ढलाई करने वालों माउण्ड मेकर्स तथा फिल्टर प्रेस एवं पग मिल कर्मकारों के उपयोग के लिए जल सिध्द या सामान पदार्थ के उपयुक्त एप्रनो की, जिन्हें प्रतिदिन स्पंज से पोछा जा सके, व्यवस्था जी जाएगी तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा।

(3) खण्ड 11 (2) के अनुसरण में दिए गए एप्रनों को पहनने वाले व्यक्तियों व्दारा स्पंज से पोछ कर या अन्य आर्द्र प्रक्रिया व्दारा प्रतिदिन पूर्णतया सफाई की जाएगी। सभी ऑवरॉल्स तण सिर ढकने वालो को कम से कम एक सप्ताह मे प्रक्षालन, सफाई या मरम्मत किया जाएगा तथा इसकी धुलाई सफाई या मरम्मत अधिभोगी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(4) किसी व्यक्ति को उपयुक्त तथा कुशल डस्ट रेसपिरेटर पहने बिना धूल वाली वस्तुओं के बोरों को खाली करने, तौलने तथा धूल वाले पदार्थो को मिलाने और वाल मिल्स एवं ब्लंजर्स को भरने का कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **प्रक्षालन की सुविधाएँ.**– (1) अधिभोगी खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक आच्छादित प्रक्षालन स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा, जिसमें या तो –

(एक) चिकनी अप्रवेश्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फिट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोटियाँ या फव्वारों से, जो दो फिट से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो, या

(दो) किसी एक समय मे नियोजित ऐसे प्रत्येक पांच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक टोंटी या खड़ा पाइप होगा और ऐसी टोंटी या पाइप नल एक दूसरे के कम से कम 1.2 मीटर के अंतर पर लगा हुआ होगा, जिसमे नल का सतत् प्रदाय होता हो, और

(2) नाखून साफ करने के ब्रुशों तथा साबुन के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों को, प्रतिदिन बदली जाएगी, पर्याप्त प्रदाय होगा।

12. **प्रक्षालन के लिए समय का दिया जाना.**– प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को, जो खण्ड 2 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया में नियोजित किया गया हो, नियमित रूप से दिए जाने वाले भोजन के समय के अतिरिक्त कम से कम दस मिनट प्रक्षालन के लिए दिए जाएंगे।

13. **भोजन कक्ष.**– (1) विश्राम के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति के लिए 1 वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था होगी तथा जो निम्नलिखित से सुसज्जित होगा–

(एक) पर्याप्त संख्या में पीठ टिकाने वाली मेजों, कुर्सियों या बैंचों से;

(दो) प्रक्षालन के लिए बर्तनों की व्यवस्था से;

(तीन) भोजन गर्म करने के लिए पर्याप्त साधनों से;

(चार) पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा से;

(2) स्वच्छ वायु के परिचालन द्वारा कमरे को पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा तथा किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा।

14. **कार्य के कमरों में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना.–** कार्य के किसी भी कमरे में, जिसमें खण्ड 2 में वर्णित कोई भी प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय पान या सुपारी या तम्बाकू लाई जाएगी तथा न ही उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन अथवा विश्राम के अन्तराल के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी कमरे में नहीं रहेगा।

15. **क्लॉक रूम.–** खण्ड 2 में वर्णित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित व्यक्त की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगाः–

(क) कार्य के घण्टों के दौरान उतार कर रखे गए वस्त्रों को रखने के लिए एक क्लोक रूम की और ऐसा आवास, भोजन के किसी भी कमरे से पृथक होगा;

(ख) खण्ड 11 के अधीन प्रदान किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक तथा उपयुक्त प्रबन्ध की।

16. **ये विनियम किसी भी ऐसे.–** प्रतिष्ठान को लागू नहीं होंगे, जिसमें अन्य किसी पाटरी को छोड़कर निम्नलिखित वस्तुओं में से कोई वस्तु बनाई जाती हो–

(क) बिना पालिश की हुई या साल्ट ईंटें तथा खपरैलें, और

(ख) प्लास्टिक क्ले से तथा या तो बिना पालिश की हुई या केवल सीसा रहित पालिश से पालिश की हुई मिट्टी से बनाई गई वस्तु विद्या संबंधी पकाई हुई मिट्टी (टैरारोटा)।

17. **छूट–** यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध ऐसे कारखाने में नियोजित किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो वह लिखित में प्रमाणपत्र द्वारा ऐसे कारखाने को ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, छूट दे सकेगा, ऐसा प्रमाणपत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा कोई कारण बतलाए बिना ही किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा।

अनुसूची–उन्नीस

(नियम 81)

जल के इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युत विच्छेद) द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न

(1) वह कमरा, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र स्थापित किया जाए, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का संग्रहण तथा सम्पीड़न करने वाले संयंत्र के कमरे से पृथक् होगा।

(2) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा घण्टे–घण्टे भर के अन्तराल के निम्नलिखित बिन्दुओं पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता का परीक्षण किया जाएगाः–

(एक) इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में

(दो) गैस होल्डर इनलैट परय तथा

(तीन) सम्पीड़क के चूषण छोर पर।

शुद्धता के अंक ऐसे परीक्षण करने वाले व्यक्तियों द्वारा पंजी में प्रविष्ट तथा हस्ताक्षरित किए जाएंगे :

परन्तु कुछ भी हो, यदि इलेक्ट्रोलाइसर संयंत्र अलार्म लाइट्स (संकट प्रकाश) सहित आक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता से स्वचालित रिकार्डर से युक्त हों तो यह पर्याप्त होगा। यदि गैसों की शुद्धता का केवल सम्पीड़क के सक्शन–एण्ड पर ही घण्टे–घण्टे के अन्तराल से परीक्षण कर लिया जाएगा।

(3) ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसें उस दशा में सम्पीड़ित नहीं की जाएंगी। यदि खण्ड 2 के अधीन तथा अवधारित उनकी शुद्धता किसी भी समय 98 प्रतिशत से नीचे गिर जाए।

(4) प्रत्येक प्रकार की गैस के लिए कम से कम दो गैस धारक होंगे और उसी गैस के लिए गैस धारक उनके निकास स्थानों के संधि स्थान पर इंटरलाक्ड वाल्व या लीवरों तथा थ्रीवे–काक्स से इस प्रकार युक्त होंगे कि कोई भी गैस–धारक किसी सम्पीड़क तथा इलेक्ट्रोलाइसर से एक ही समय पर संयोजित न हो तथा किसी एक समय पर केवल एक ही गैस–धारक कैपेशर लाइन से संयोजित हो।

(5) किसी भी गैस–धारक के खाली होने की दशा में उसकी बेल को उसकी निम्नतम स्थिति के 30 सेन्टीमीटर (12 इन्च) के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा और यह दर्शाने के लिए कि वह सीमा पहुँच चुकी है। गैस धारक एक दिखने वाले तथा श्रव्य चेतावनी संकेत अन्वायोजित किया जाएगा।

(6) घोल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया जल तथा कास्टिक सोडा औषध निर्माण संबंधी सीमाओं के भीतर रासायनिक रूप से शुद्ध होगा।

(7) इलेक्ट्रोलाइसर सेल्स तथा जेनरेटर टरमिनल्स पर विद्युत संयोजन इस प्रकार लगाए जाएंगे, जिससे ऐसे गलत कनेक्शनों की संभावनाओं को, जिससे ध्रुवता का परावर्तन हो जाए, रोका जा सके।

(8) ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस पाइप अन्तर प्रकट करने वाले रंगों से रंगे जाएंगे तथा हाइड्रोजन गैस पाइप के जोड़ों पर रिसाव होने की स्थिति में पाइप को पुनः

जोड़ने के पश्चात् उसमें हाइड्रोजन का संग्रह करने करने के पूर्व उसकी समस्त हवा निकाल दी जाएगी।

(9) इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में समस्त विद्युत तार तथा साधित्र ज्वालारोधी निर्मित के होंगे या ज्वालारोधी अन्वायुक्तियों से आवृत्त होंगे और कोई भी अनावृत्त ज्योति या ज्वाला या तो किसी इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में या वहाँ, जहाँ कि गैसों के सम्पीड़न तथा भरे जाने का कार्य किया जाता हो, नहीं ले जाई जाएगी और ऐसी चेतावनी की सूचनाएँ प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित की जाएंगी।

(10) इलेक्ट्रोलाइसर संयंत्र तथा गैस धारकों तथा कम्प्रेसर के किसी भी भाग का वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या कटिंग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस भाग से किसी भी विस्फोटक पदार्थ को हटाने के लिए और ऐसी संक्रियाओं के लिए उस भाग को सुरक्षित करने के लिए उपाय न किए जा चुके हों तथा ऐसी संक्रियाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् किसी भी विस्फोटक पदार्थ को उस भाग में ले जाए जाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि विस्फोटक के खतरे को रोकने के लिए धातु को पर्याप्त रूप से ठण्डा न कर लिया गया हो।

(11) संक्रिया, मरम्मत या बनाए रखने का कोई भी कार्य ऐसे व्यक्ति, जो अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा विस्फोट के खतरे के विरुद्ध सावधानियों का ज्ञान होने से ऐसे कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए सक्षम है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(12) चिकित्सीय परीक्षण.– (1) जल के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न की प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की

अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–बीस
(नियम 81)

कंकरी धातुओं या रेत या अन्य कोई घिसने की चीजों द्वारा जो दबी हुई (कंप्रेस्ड) वायु का भाप की दबाव गति से चलित हों, वस्तुओं को साफ सुथरा चिकना, खरखरा आदि करना।

उत्सफोटन (ब्लास्टिंग) के विनियमन

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–
   (क) "उत्सफोटन (ब्लास्टिंग)''–से तात्पर्य कंकरी, धातुकरण, रेतकण या अन्य किसी ऐसी वस्तु से दबी हुई वायु या वाष्प की शक्ति से चलित कोई भी वस्तु के पृष्ठ भाग (सरफेस) को साफ, सुथरा, चिकना, खरखरा करने या निकाल डालने से है।
   (ख) "उत्सफोटन घेरा (ब्लास्टिंग एनक्लोजर)" से तात्पर्य उल्सफोटन के लिए बनाया गया कोष्ठ (चेम्बर) बेरल, पेटी (केबिनेट) या अन्य किसी घेरे से है।
   (ग) "उत्सफोटन (ब्लास्टिंग)'' कोष्ठ (चेम्बर) से तात्पर्य ब्लास्टिंग के ऐसे घेरे से है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी कार्य के संबंध से या अन्यथा उसमें प्रवेश कर सके।
   (घ) "ढली हुई वस्तुओं की सफाई" से तात्पर्य उस स्थिति में, जहाँ पर वह कार्य धातु की ढली हुई वस्तुएँ बनाने से संबंधित अनुषंगिक (इंसीडेंटल) या अनुपूरक (सप्लीमेंटल) प्रक्रिया के रूप में किया जाता हो, ऐसी ढली हुई वस्तुओं से चिपके हुए रेत या अन्य पदार्थ से मुक्त करने से है और उसमें ढली हुई वस्तुओं की सामान्य सफाई तथा कोर निकलना सम्मिलित है, किन्तु इसमें फ्रीट्रीटमेंट संबंधी अन्य क्रिया सम्मिलित नहीं है।

2. **रेत के उत्सफोटन (ब्लास्टिंग) का प्रतिबंध.–** रेत या अन्य कोई पदार्थ, जिनमें मुक्त सिलिका अन्तर्विष्ट हो, ब्लास्टिंग उपकरण में रगड़ने वाली वस्तु के रूप में प्रविष्ट नहीं की जाएगी और उत्सफोटन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगाः

3. **उत्सफोटन प्रक्रिया के संबंध में पूर्वावधानियाँ.– (1) उत्सफोटन घेरे में ही किया जाएगा.–** उत्सफोटन घेरे के सिवाय उत्सफोटन और कहीं नहीं किया जाएगा तथा उत्सफोटन और उसमें ठीक आनुषंगिक कोई कार्य तथा घेरे को खाली करने और इसमें स्थित संयंत्र (प्लांट) तथा उपकरणों सहित घेरे की मरम्मत करने को छोड़कर कार्य अन्य कार्य उत्सफोटन घेरे में नहीं किया जाएगा। उत्सफोटन घेरे का प्रत्येक द्वार, झरोखा (अपेरचर) तथा जोड़ (ज्वाइंट) जबकि उसमें उत्सफोटन क्रिया चल रही हो, बन्द तथा वायुरुद्ध (एयर टाइट) रखा जाएगा।
   (2) **उत्सफोटन घेरे का अनुरक्षण.–** उत्सफोटन घेरा सदैव अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा तथा ऐसे घेरे में या उससे संबंधित उपकरणों से धूल का

निष्कासन और उसके किसी कमरे की हवा में मिलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

(3) **पृथक्कारी उपकरण का उपबंध.**— प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के लिए तथा उसके संबंध में कार्यक्षम उपकरण यावतसाध्य (प्रेक्टिकेबल) अपघर्षक (अबरेसिव) को, जो उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया जा चुका हो और जो पुनः अपघर्षक (अबरेसिव) के रूप में लाया जाना हो, उत्सफोटन से मिली धूल या अन्य पदार्थ के कणों को पृथक करने के लिए व्यवस्था की जाएगी तथा बनाए रखा जाएगा और किसी भी ऐसा अपघर्षक (अबरेसिव) जब तक कि इस प्रकार अलग नहीं किया गया हो, तब तक किसी भी उत्सफोटन उपकरण में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा और न ही उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया जाएगाः

परन्तु, यह खण्ड ब्लास्टिंग कोष्ठ (चेम्बर) के सिवाय इस अनुसूची के प्रवृत्त होने के पूर्व उत्सफोटन के लिए निर्मित या प्रतिष्ठापित घेरे के लिए यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की यह राय हो कि ऐसे पृथक्करण उपकरणों की व्यवस्था करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहॉर्य न हो, लागू नहीं होगा।

(4) **संवातायन संयंत्र (व्हेटिलेटिंग प्लांट) का उपबंध.**— घेरे में निर्मित धूल, यांत्रिक साधन द्वारा लगी निकास (एक्जास्ट ड्राट) से निकालने के लिए प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के लिए एक कार्यक्षम संवातायन संयंत्र (प्लांट) का एक उपबंध किया जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा, निकाली गई तथा हटाई गई धूल ऐसे तरीके से तथा ऐसी रीति में व्यनित की जाएगी कि वह किसी कमरे की हवा में न फैल सके और कमरे में जिसमें कि उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जो ऐसे बैग या अन्य छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग युक्ति (डिवाईस) के कार्य में लगे हुए हों, अन्य व्यक्ति नियोजित किए गए हों, स्थित प्रत्येक अन्य छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग डिवाइस (युक्ति) को खुली हवा में संवातित घेरे में कमरे की सामान्य हवा से पूर्णतः पृथक् रखा जाएगा।

(5) **संवातायन संयंत्र (प्लांट) की क्रिया.**— पैरा (4) के प्रयोजन के लिए उपबंधित संवातायन संयंत्र (प्लांट) में, जब भी उत्सफोटन घेरा उपयोग में हो, चाहे उसमें उत्सफोटन वास्तविक रूप में किया जा रहा हो या नहीं, लगातार चालू रखा जाएगा और ऐसी स्थिति में जब उत्सफोटन कक्ष में यदि कोई व्यक्ति कक्ष के भीतर सफाई करने के प्रयोजन के लिए हो तो भी वह चालू रखा जाएगा।

4. **निरीक्षण तथा परीक्षण.**— (1) प्रत्येक उत्सफोटन घेरे का, जब वह उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया गया हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार विशेष रूप से निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक उत्सफोटन घेरा, उससे

संबंधित उपकरण और संवातायन संयंत्र (प्लांट) का पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाएगा और संवातायन संयंत्र की दशा में सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार जाँच की जाएगी।

(2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच के परिमाण के ब्यौरे एक पंजी में तत्काल प्रविष्ट किए जाएंगे, जो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रखा जाएगा और कारखाने में या उत्सफोटन के संबंध में नियोजित किसी भी कर्मकार को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे किसी निरीक्षण, परीक्षण या जाँच में पाई गई किसी भी त्रुटि की, ऐसे निरीक्षण, परीक्षण या जाँच करने वाले व्यक्ति द्वारा कारखाने के अधिभोगी, प्रबंधक या अन्य समुचित व्यक्ति को तुरन्त रिपोर्ट की जाएगी और इस अनुसूची की पूर्वगामी अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिहार्य विलंब किए बिना दूर की जाएगी।

5. **संरक्षक शिरस्त्राण (हेलमेट्स), लोहे के दस्तानों (गाँटलेट) तथा सर्वच्छादियों (ओवरआल्स) का उपबंध.–** (1) ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जो उत्सफोटन कक्ष में या उससे संबद्ध किसी कार्य में या उस कक्ष को साफ करने में नियोजित हो, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदित प्रकार के संरक्षक (हेलमेट्स) का उपबंध किया जाएगा तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस उपयोग के लिए उपबंधित (हेलमेट्स) को जबकि वह कक्ष में हो, पहनेगा और उसे तब तक नहीं उतारेगा, जब तक कि वह कक्ष के बाहर न हो।

(2) प्रत्येक संरक्षक हेलमेट पर उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हो, दर्शाने वाला एक पहचान चिन्ह रहेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा हेलमेट, जिस पर उसका चिन्ह न हो या ऐसा (हेलमेट) जो अन्य व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो, जब तक कि वह रोगाणुनाशित न कर दिया गया हो, पहनने के लिए अनुज्ञात या अपेक्षित नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक संरक्षक हेलमेट जब वह उपयोग में हो, के साथ कम से कम छः घन फुट प्रति मिनिट की मात्रा में स्वच्छ और समुचित ठंडी हवा का प्रदाय किया जाएगा।

(4) समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए, जबकि वे उत्सफोटन का कार्य कर रहे हों या उत्सफोटन करने में सहायता कर रहे हों, उपयुक्त लोहे के दस्तानों (गान्टलेट्स) तथा सर्वच्छादियों (ओव्हरआल्स) का उपबंध किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जबकि वह ऐसे कार्य में लगा हुआ हो, उसे दिए गए लोहे के दस्ताने (गांलांटलेट) तथा सर्वच्छादी (ओव्हरआल्स) पहनेगा।

6. **सफाई तथा अन्य कार्य के संबंध में पूर्वावधानियाँ.–** (1) जहाँ कोई व्यक्ति, उत्सफोटन उपकरण या उत्सफोटन घेरे या उससे संबंधित किसी अन्य कार्य उत्सफोटन घेरे या उससे संबंधित किसी उपकरण या संवातायन संयंत्र (प्लांट) की

सफाई में लगाया गया हो, जिससे वह धूल के जो कि उत्सफोटन से उत्पन्न हुई हो, निश्वसन की जोखिम से सुरक्षित न हो तो ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहाँर्य पूर्वोपाय किए जाएंगे।

(2) खण्ड 5 में विनिर्दिष्ट किसी सफाई प्रक्रिया के संबंध में और छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग युक्ति (डिवाइस) से धूल हटाने के संबंध में धूल का व्ययन (डिसपोजल) ऐसी रीति से करने के लिए समस्त व्यवहाँर्य पूर्वोपाय किए जाएंगे, जिससे वह धूल किसी कमरे की हवा में प्रविष्ट न हो सके। निर्यात मार्जक (व्हेकुअम क्लीनर्स) का उपबंध किया जाएगा और ऐसी सफाई प्रक्रियाओं में, जब भी व्यवहाँर्य हो, उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा।

7. **संरक्षक कपड़ों (प्रोटेक्टीव्ह वीयर) के संग्रहण के लिए स्थान.–** खण्ड 5 द्वारा उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित हेलमेट लोहे के दस्तानों (गान्टलेट्स) तथा सर्वच्छादियों (ओह्वरआल्स) के संग्रहण के लिए पर्याप्त तथा समुचित स्थान प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के बाहर तथा सुविधानुसार उसके पास ही होगा और ऐसा स्थान स्वच्छ रखा जाएगा। हेलमेट लोहे के दस्ताने (गान्टलेट्स) एवं सर्वच्छादी (ओह्वरआल्स) जबकि वे वास्तविक उपयोग में न हों, इसे स्थान में रखे जाएंगे।

8. **संरक्षक कपड़ों का रखरखाव तथा सफाई.–** इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए उपबंधित तथा पहने गए समस्त हेलमेट लोहे के दस्ताने (गान्टलेट्स) सर्वच्छादी (ओह्वरआल्स) तथा अन्य संरक्षक युक्तियाँ (डिवाइसेस) अच्छी दशा में रखे जाएंगे और जहाँ तक युक्तियुक्त रूप में व्यवहाँर्य हो, प्रत्येक सप्ताह में किसी एक दिन, जबकि उन्हें उपयोग में लाया गया हो, साफ किए जाएंगे, जहाँ ऐसे संरक्षक कपड़ों या युक्तियों (डिवाइसेस) की सफाई करने से निकलने वाली धूल से निश्वसन होना संभव हो, वहाँ ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहाँर्य पूर्वोपाय किए जाएंगे, ऐसे कपड़ों से धूल हटाने के लिए जहाँ व्यवहाँर्य हो, वहाँ निर्वात मार्जन (व्हेक्युम क्लीनर्स) उपयोग में लाए जाएंगे और ऐसे कपड़ों से धूल निकालने के लिए दबाव की हवा (कम्प्रेशर एयर) का उपयोग नहीं किया जाएगा।

9. **निर्वात सफाई संयंत्र (व्हेक्युम क्लिनिंग प्लांट) का रखरखाव.–** इस अनुसुची के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए निर्वात सफाई संयंत्र (व्हेक्युम क्लीनिंग प्लांट) को उचित रूप से बनाए रखा जाएगा।

10. **अल्पवय व्यक्ति के नियोजन करने में निर्बन्धन (रेस्ट्रीक्शन).–** (1) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, उत्सफोटन करने में या उत्सफोटन में सहायता करने या किसी उत्सफोटन कक्ष (ब्लास्टिंग चेंबर) में या किसी उत्सफोटन कक्ष उपकरण या किसी उत्सफोटन घेरे या किसी उपकरण या उससे संबंधित किसी संवातायन संयंत्र को साफ करने में नियोजित नहीं किया जाएगा या ऐसे उपकरणों, घेरा या संयंत्र को बनाए रखने या मरम्मत करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

(2) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, किसी उत्सफोटन घेरे के बीस फुट के भीतर नियमित रूप से कार्य करने के लिए तब तक नियोजित नहीं किया

जाएगा, जब तक कि ऐसा घेरा कोई कमरे में हो और वह व्यक्ति उस कमरे के बाहर हो, वहाँ वह घेरे से आने वाली किसी धातु से प्रभावी रूप से पृथक् हो।

11. **छूट देने या शिथिल करने की शक्ति.–** (1) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि किसी कारखाने या कारखाने के किसी वर्ग में किसी विशिष्ट निर्माण या प्रक्रिया (धातु ढालने की अनुषंगिक या अनुपूरक प्रक्रिया को छोड़कर) उत्सफोटन में रेत या अपघर्षक (अब्रेसिव) के रूप में (फ्री)/सिलिका के साथ अन्य पदार्थ का उपयोग आवश्यक है और निर्माण या प्रक्रिया ऐसे अपघर्षक अब्रेसिव के उपयोग के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है या कार्य की विशेष शर्तों या विशेष तरीके के कारण या अन्यथा इस अनुसूची की किसी आवश्यकता को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से निलंबित या किसी ऐसी आवश्यकता को लागू करना, किसी कारण से अव्यवहार्य या अनुपयुक्त है तो वह राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से लिखित में आदेश द्वारा इस अनुसूची के ऐसे उपबंधों के उक्त कारखानों के वर्ग को किसी ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी कालावधि के लिए जो कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, छूट दे सकेगा।

(2) जहाँ उप–खण्ड (1) के अधीन छूट मंजूर की जा चुकी हो, वहाँ उस आदेश की एक प्रति कारखाने के मुख्य प्रवेश स्थान के सूचना फलक पर उस स्थान पर भी जहाँ उत्सफोटन किया जाता हो, प्रदर्शित की जाएगी।

12. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाने का, जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, अधिभोगी–

(क) उसमें नियोजित सभी कर्मकारों के स्वास्थ्य पर निगरानी के लिए एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति करेगा; और

(ख) उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षणों और उपयुक्त जाँच के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखा जायेगा।

(3) चिकित्सा अधिकारी द्वारा कंकरी धातुओं या रेत या अन्य कोई घिसने की चीजों द्वारा जो दबी हुई (कंप्रेस्ड) वायु का भाप की दबाव गति से चलित हों, वस्तुओं को साफ सुथरा चिकना, खरखरा आदि प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों

को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(6) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–इकीस
(नियम 81)

एस्बेस्टास का कार्य और प्रक्रिया, एसबेस्टास की किसी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की अन्य कोई प्रक्रिया या अन्यथा जिसमें एस्बेस्टास का किसी रूप में उपयोग

1. **लागू होना.–** यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भागों को लागू होगी, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती हों–
   (क) एस्बेस्टास को तोड़ना, क्रश करना, छिन्न–भिन्न करना, खोलना, घिसाई करना, समिश्रित करना या छानना और उसके अनुषंगिक अन्य प्रक्रियाएं जिनमें एस्बेस्टास का काम और अभिचालन शामिल हो;
   (ख) एस्बेस्टास टेक्सटाइल विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएँ, जिनमें प्रिपैरिट्री और फिनिशिंग प्रक्रिया भी शामिल है;
   (ग) पूरी तरह या आंशिक रूप से एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर सुलेशन स्लैब या सैक्शन बनाना और उससे अनुषंगिक प्रक्रियाएँ;
   (घ) पूरी तरह या आंशिक रूप से एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर इन्सुलेटिंग चटाई बनाना या उनकी मरम्मत करना और उनसे अनुषंगिक प्रक्रियाएँ;
   (ङ) एस्बेस्टास कार्ड–बोर्ड और कागज का विनिर्माण;
   (च) एस्बेस्टास सीमेंट की वस्तुओं का विनिर्माण;
   (छ) फुहारे विधि से एस्बेस्टास की प्रयुक्ति;
   (ज) एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर बनी वस्तुओं को सूखी अवस्था में चिरान, पिसाई, टर्निंग, एम्ब्रेडिंग और पालिश करना;
   (झ) एस्बेस्टास धूल को एकत्र करने के किसी कमरे, पात्र, चौम्बर, फिक्सचर या साधित्र की सफाई का कार्य; और
   (ञ) कोई अन्य प्रक्रियाएँ, जिसमें एस्बेस्टास धूल कार्य के वातावरण में छोड़ी जाती हो।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए
   (क) **"एस्बेस्टास"** से अभिप्रेत है, कोई रेशेदार सिलिकेट खनिज और उनका एक्टिनोलाइट, एमोसाइट, एन्थोफाइलाइट, ड्राइसोलाइट, क्रोसिडोलाइट, ट्रमोलाइड या उनका कोई मिश्रण, चाहे वह कच्ची अवस्था में कूटकर या अलग–अलग कर दिया गया हो;
   (ख) **"एस्बेस्टास टेक्सटाइलश"'** से अभिप्रेत है, एस्बेस्टास या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित एस्बेस्टास से बने धागे या कपड़े;
   (ग) **"अनुमोदित"** से अभिप्रेत है, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लिखित में अनुमोदित;

(घ) **"श्वांस–उपकरण"** से अभिप्रेत है, आवश्यक संयोजन युक्त हेलमेट या फेस पीस जिससे उपयोग करने वाला व्यक्ति धूल मुक्त श्वांस ले सके या किसी अन्य अनुमोदित उपकरण;

(ङ) **"सक्षम वायु निष्कासन"** से अभिप्रेत है, धूल निकास के यांत्रिक साधनों द्वारा निर्मित सीमित संवातन, जिसके द्वारा धूल को किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ कार्य हो रहा हो कि हवा से विसर्जित होने से रोका जा सके। किसी निष्कासक को सक्षम नहीं माना जाएगा। यदि वह धूल पैदा होने वाले बिन्दु पर धूल नियंत्रण करने में असफल हो जाता है;

(च) **"तैयार करना"** (प्रिपेरिंग) से अभिप्रेत है, एस्बेस्टास के ओपनिंग के लिए कूटना, टुकड़े करना और अन्य प्रक्रिया करना या उससे अनुषंगिक क्रिया;

(छ) **"बचाव के कपड़े"** से अभिप्रेत है, ओवराल और सिर ढकने के कपड़े, जो (किसी भी दशा में) एस्बेस्टास धूल को बाहर ही रोक दें।

3. **औजार और उपकरण.–** उन प्रक्रियाओं में, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, उपयोग किए जाने वाले कोई औजार या उपकरण इस प्रकार से होंगे कि वे निर्धारित सीमा से अधिक धूल पैदा नहीं करेंगे या वे सक्षम वायु निष्कासक से सज्जित होंगे।

4. **वायु निष्कासक.–** (1) निम्नलिखित प्रक्रियाओं और मशीनों से धूल नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक प्रदत्त होंगे और अनुरक्षित किए जाएंगे–

(क) विनिर्माण और वहन (कन्वेथिंग) मशीनें अर्थात्–

(एक) पूर्व प्रक्रिया पिसाई या शुष्क मिश्रण की मशीनें;

(दो) कार्डिंग, कार्ड वेस्ट और रिंग स्पिनिंग मशीनें और लूम्स;

(तीन) मशीनें या अन्य संयंत्र, जिनमें एस्बेस्टास फीड किया जाता है; और

(चार) एस्बेस्टास के पूरे या मिलाकर बनी वस्तुओं की सूखी हालत में साईंग ग्राइंडिंग टर्निंग, डिलिंग, एबेरजिंग या पालिशिंग में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें।

(ख) सिलेण्डर या काडिंग मशीन के अन्य भागों की सफाई और पिसाई;

(ग) कार्डिंग मशीनों के सिलेन्डर या अन्य संरचनाएं, जिनके अन्दर से खुला एस्बेस्टास गुजरता है या गुजारा जाता है;

(घ) एस्बेस्टास वेस्ट की छंटाई या एस्बेस्टास को हाथ से एस्बेस्टास को किसी अभिचालन हेतु काम आने वाली कार्य बेन्च;

(ङ) बोरेबेल्व या अन्य पोर्टेबल भरने या उन्हें खाली किए जाने की, तौलने की या हाथ से की जाने वाली अन्य अनुषंगिक क्रियाएँ जहाँ की जाती हैं, वे स्थान;

(च) बोरे सफाई की मशीनें;

(छ) हाथों से एस्बेस्टास मिश्रित और ब्लेन्डिंग करना; और

(ज) अन्य प्रक्रियाएँ करना, जिनमें काम के वातावरण में धूल विसर्जित हो।

(2) पैरा (1) के अनुसार प्रदत्त वायु निष्कासक उपकरण, जब उक्त मशीन साधित्र या अन्य संयंत्र या उपकरण, जिसके संबंध में उसे लगाया गया है, के अनुरक्षण या मरम्मत का कार्य जब किया जाए, तब उसे भी उपयोग में लाया जाए, ताकि वायु निष्कासन पैदा हो, जो काम के स्थान की वायु में एस्बेस्टास धूल के प्रवेश को रोके।

(3) वायु निष्कासन उपकरण द्वारा निष्कासित एस्बेस्टास धूल को काम के किसी कमरे में विसर्जित होने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी।

(4) वायु निष्कासन प्रणाली द्वारा किसी कमरे से हटाई गई एस्बेस्टास युक्त धूल उपयुक्त पात्र अथवा फिल्टर बैग में, जो काम के सभी क्षेत्रों से पृथक हो, इकट्ठी की जाएगी।

5. **संवातन प्रणाली की जाँच तथा परीक्षण.–** (1) इस अनुसूची द्वारा अपेक्षित धूल निष्कासन अथवा कम करने के लिए प्रयुक्त सभी संवातन प्रणाली की सप्ताह में एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण और जाँच की जाएगी। इसकी बारह महीने की अवधि में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूरी तरह परीक्षण और जाँच की जाएगी। इस तरह परीक्षण या जाँच में पाई गई किसी त्रुटि को तुरन्त दूर किया जाएगा।

(2) ऐसी परीक्षण और जाँच और संयंत्र की स्थिति और मरम्मत या परिवर्तन के, यदि कोई करना आवश्यक पाया गया हो, विवरण एक पंजी में रखे जाएंगे, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध हों, ऐसे रखा जाएगा।

6. **कुछ प्रक्रियाओं के प्रकरण में पृथक्करण.–** एस्बेस्टास का हाथ से मिश्रण करना या ब्लेन्डिंग करना या एस्बेस्टास युक्त या उसके कुछ भाग को मिलाकर बनाई गई अवरोधक चटाई का बनाना या मरम्मत करने का कार्य किसी ऐसे कमरे में, जिसमें अन्य कार्य किया जा रहा हो, नहीं किया जाएगा।

7. **खुले एस्बेस्टास का भण्डारण और वितरण.–** (1) खुला हुआ सभी एस्बेस्टास, जब कि उसका उपयोग न हो, तब उसे उपयुक्त रूप से बंद पात्र में रखा जाएगा, जिससे उसमें से एस्बेस्टास धूल का निकलना रोका जा सके। एस्बेस्टास का कारखाने के अन्दर वितरण नहीं होगा। सिवाय उस दशा के, जब कि वह बंद पात्र या पूरी तौर पर बंद वहन प्रणाली द्वारा किया जाए।

8. **एस्बेस्टास के थैले.–** (1) कारखाने के अंदर एस्बेस्टास के परिवहन के प्रयोजन के लिए पात्र की तरह प्रयुक्त सभी थैले अभेद्य पदार्थ से निर्मित हों और वे अच्छी दुरुस्त दशा में रखे जावेंगे।

(2) एस्बेस्टास युक्त थैलों की हाथ से पिटाई कर सफाई नहीं की जाएगी, बल्कि खण्ड 3 के अनुपालन में बनी मशीन से थैलों की सफाई की जाएगी।

9. **फर्श और कार्य स्थलों का अनुरक्षण.–** (1) प्रत्येक कमरे में, जिनमें इस अनुसूची की अपेक्षाएं लागू होती हों–

(क) फर्श, काम की बैंच, मशीनों और संयंत्र साफ और एस्बेस्टास चूरा रहित दशा में रखे जाएंगे और तत्काल उपयोग के लिए जो एस्बेस्टास अपेक्षित न हो, उसके भण्डारण की उपयुक्त व्यवस्था होगी; और

(ख) किन्हीं पदार्थ कोई यंत्र, पौधे या अन्य वस्तुओं, जिनकी उस कमरे में किए जाने वाले कार्य में तत्काल आवश्यकता न हो और जो फर्श को भली प्रकार सफाई में बाधा डाले उनमें फर्श को मुक्त रखा जाएगा।

(2) पैरा (1) में उल्लिखित सफाई जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, वायु निर्वात सफाई उपकरण से की जाएगी, जिसका रूपांकन और सन्निर्माण तथा उसका उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि न तो एस्बेस्टास धूल कार्य स्थल की वायु में निकलेगी और न ही विसर्जित होगी।

(3) पैरा (2) में उल्लिखित पद्धति से भिन्न किसी अन्य पद्धति से सफाई की जाती है तो कमरे में सफाई करने वाले और अन्य नियोजित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और बचाव के कपड़े प्रयुक्त किए जाएंगे।

(4) पैरा (2) के उपबंधों के अनुसार वायु निर्वात सफाई उपकरण का उपयोग किया जाए, तब उसका भली प्रकार से अनुरक्षण किया जाएगा और प्रत्येक बार सफाई के बाद उसकी सतह साफ और एस्बेस्टास कचरे और धूल रहित रखी जाएगी।

(5) काम की पाली पश्चात् फर्श पर या कार्य स्थल की अन्य सतहों पर एस्बेस्टास कचरे को पड़ा रहने की अनुज्ञा नहीं होगी और बगैर देरी किए उसे उपयुक्त पात्र में अन्तरित कर दिया जाएगा। कार्य के दौरान भी किसी समय एस्बेस्टास कचरे के फैल जाने पर बगैर देरी किए उसे इस प्रयोजन हेतु रखे गए पात्रों में अन्तरित किया जाएगा।

10. **सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े.–** (1) निम्न कार्यों में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग के लिए अनुमोदित प्रकार के सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े प्रदाय किए जाएंगे और वे अच्छी दशा में बनाए रखे जाएंगे–

(क) खुले हुए एस्बेस्टासयुक्त चेम्बरों में;

(ख) धूल बैठने या छानन के प्रकोष्ठों या उपकरणों की सफाई में;

(ग) सिलेण्डरों जिनमें डाफर, सिलेण्डर शामिल हैं या कार्डिंग मशीन के अन्य कोई भाग की, हाथ की मार से किए सफाई कार्य में; और

(घ) अवरोधक चटाई के विनिर्माण या मरम्मत में भरने, ठोंकने या तल बराबर करने में; और

(ङ) किसी अन्य प्रक्रिया या स्थिति में, जिनमें तकनीकी साधनों से एस्बेस्टास धूल का कार्य के स्थान में, अनुमति दी गई सीमा के भीतर नियंत्रण करने के साधनों का अपनाना व्यवहाँर्य हो।

(2) इस नियम के अनुसार प्रदत्त सांस लेने के उपकरण व बचाव के कपड़े उपयोग हेतु जहाँ पहने व उतारे जा सकेंगे। इसके लिए सुगम स्थिति में स्थित उपयुक्त स्थान की व्यवस्था होगी और जब उनका उपयोग न हो, तब ऐसे उपकरणों व कपड़ों के भण्डारण के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

(3) सभी सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े जब उपयोग न किए जाएं, तब उपरोक्त पैरा (2) के अनुसार प्रदत्त स्थान में भण्डारित होंगे।

(4) सभी बचाव के कपड़ों की एक सक्षम वायु निष्कासक के नीचे या वायु निर्वात सफाई उपकरण से धूल झाड़ी जाएगी और उपयुक्त अन्तरालों पर उनकी धुलाई की जाएगी। सफाई का क्रम और प्रक्रिया ऐसी होगी कि जिससे पहनने वाले का सक्षमता से बचाव सुनिश्चित हो।

(5) सभी सांस लेने के उपकरणों को उपयुक्त अन्तरालों पर साफ और कीटाणु रहित किया जाएगा और मास में एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उनकी पूरी तौर पर जाँच की जाएगी।

(6) सांस लेने के उपकरणों की सफाई और अनुरक्षण के अभिलेख उक्त प्रयोजन हेतु रखे गए एक पंजी में रखे जाएंगे और वह निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध रहेगा।

(7) पैरा (1) में निर्दिष्ट कार्यो को, जिनके लिए उक्त पैरा के अधीन सांस लेने के उपकरण प्रदत्त करना आवश्यक है, करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे उन उपकरणों के भली प्रकार उपयोग किए जाने के लिए पूरी तरह से अनुदेश न दिए गए हों।

(8) पैरा (1) के अनुसरण में प्रदत्त कोई सांस लेने वाला उपकरण, जिसे एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो, उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं पहना जाएगा, जब तक कि उसे आखिरी बार पहनने के पश्चात् पूरी तौर साफ और कीटाणु रहित न कर दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति को उस उपकरण के भली प्रकार उपयोग करने के लिए पूरी तौर पर अनुदेशिक न किया जा चुका हो।

11. **व्यक्तिगत कपड़ों हेतु पृथक स्थान.–** उन सभी कार्यों, जिन पर यह अनुसूची लागू होती है, में नियोजित व्यक्तियों के लिए सुगमता से पहुँचगम्य स्थिति में व्यक्तिगत कपड़ों को रखने के लिए पृथक स्थान की व्यवस्था की जाएगी। यह स्थान, पृथक स्थान होगा, ताकि व्यक्तिगत कपड़ों को संदूषित होने से रोका जा सके।

12. **प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ.–** (1) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कार्यो में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए साफ व अच्छी मरम्मत की दशा में प्रत्येक 15 नियोजित व्यक्ति के लिए एक स्थान की दर से पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान के स्थान होंगे और छायादार स्थान में निरन्तर जलप्रदाय होगा।

(2) प्रक्षालन स्थान में एक मीटर की दूरी से कम न हो, इस अन्तर से स्टैण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम न हो, इतनी संख्या में स्नानागार होंगे।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलियों के प्रदाय की व्यवस्था होगी:

परन्तु यह कि, यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के द्वारा आदेशित किया जाए, तो ऐसे तौलिए प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से प्रदाय किए जाएंगे।

(5) साबुन एवं नाखून साफ करने के ब्रश की पर्याप्त आपूर्ति की जायेगी।

13. **खाने का कमरा.–** (1) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में नियोजित सभी कर्मकारों के, जो आराम हेतु मध्यान्तर में वहाँ रह जाते हों, उपयोग के लिए एक उपयुक्त खाना खाने का कमरा होगा, जिसमें–

(क) पर्याप्त मात्रा में पीछे टिकने के बेन्च सहित बेन्च व टेबिलें होगी;

(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन होंगे।

(2) खाने का कमरा, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार के अधीन होगा और उसे साफ रखा जाएगा।

14. **अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध.**– इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली किन्हीं भी प्रक्रियाओं में अल्पवय व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाएगा।

15. **धूम्रपान के संबंध में प्रतिषेध.–** इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाएं, जहाँ चलाई जाती हों, वहाँ किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। संयंत्र में ऐसे क्षेत्रों में बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में धूम्रपान प्रतिषेध करने हेतु सूचनाएँ चिपकाई जाएंगी।

16. **सावधानी संबंधी सूचनाएँ.–** (1) प्रवेश द्वारों पर और एस्बेस्टास प्रक्रिया क्षेत्र की परिमिति पर सभी व्यक्तियों को आगाह करने के लिए निम्नांकित के संबंध में सावधानी सूचनाएँ प्रदर्शित की जाएंगी–

(क) एस्बेस्टास धूल से स्वास्थ्य के खतरों के बारे में;

(ख) उपयुक्त बचाव उपकरण के उपयोग की आवश्यकता के बारे में;

(ग) अनाधिकृत व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति, जो बिना बचाव उपकरणों के हो, के प्रवेश पर प्रतिषेध के बारे में;

(2) ऐसी सूचनाएँ बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगी।

17. **वायु मानीटरिंग.–** नियंत्रक उपायों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हरेक पाली में कम से कम एक बार वायु में एस्बेस्टास रेशों की मानीटरिंग की जाएगी और प्राप्त परिणामों के अभिलेख विशिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए रखे गए पंजी में प्रविष्ट किए जाएंगे।

18. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी चिकित्सा परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

(3) पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। ऐसी जाँच में पल्मोनरी फंक्शन जाँच, थूक में एस्बेस्टास रेशों की उपस्थिति की जांच और सीने का एक्स–रे सम्मिलित होंगे। किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे स्वस्थ प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(7) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

19. **छूट.–** यदि किसी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इस कारण से कि विशिष्ट परिस्थितियों या प्रक्रिया की अल्प आवृत्ति या किसी अन्य कारण से, यह समाधान हो जाए कि प्रतिष्ठान के कर्मकारों की सुरक्षा हेतु इस अनुसूची के सभी या कुछ उपबंध आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाणपत्र द्वारा, जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे प्रतिष्ठान को ऐसे सभी या उनमें से कुछ उपबन्धों से, ऐसी शर्तों के, यदि कोई है अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करे, छट प्रदान कर सकेगा।

अनुसूची–बाईस
(नियम 81)
क्षतिकारक (कोरोसिव) पदार्थों का हस्तन तथा प्रहस्तन

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–
   (क) **"क्षतिकारक संक्रिया"** से अभिप्रेत किसी प्रतिष्ठान में क्षतिकारक पदार्थों का उत्पादन संग्रहण हस्तन, उनकी प्रक्रिया, पैकिंग या उनका उपयोग करने की संक्रिया;
   (ख) **"क्षतिकारक पदार्थ''** में सम्मिलित हैं, सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाईड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कारबोलिक एसिड, फासफोरिक एसिड, द्रव कोलिन द्रव बोमाइन, अमोनिया, सोडियम, हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं उनका मिश्रण और अन्य ऐसे पदार्थ, जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षतिकारक पदार्थ होना विनिर्दिष्ट करे।

2. **फर्श.–** प्रतिष्ठान के ऐसे प्रत्येक कार्य कक्ष का, जिसमें क्षतिकारक संक्रिया की जाती है। फर्श, अभेद्य, क्षरण एवं अग्नि का प्रतिकार करने वाली सामाग्री से बनाया जायेगा और उसका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा, ताकि कोई क्षतिकारक पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित न हो सके। ऐसे फर्श का भूतल सदैव चिकना एवं स्वच्छ होगा और अच्छी दशा में बनाए रखा जायेगा।

3. **रक्षात्मक संभार (इक्वीपमेंट).–** (क) अभिभोगी किसी भी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रक्षात्मक उपाय के रूप में हाथों के दस्ताने और पैरों के लिए जूते, उपयुक्त एप्रन्स, मुखरक्षक, रसायनों से सुरक्षित चश्मे तथा वायु शुद्ध करने वाले यंत्रों की व्यवस्था करेगा। ऐसे यंत्र अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा साफ और आरोग्य दायक दशा में रखे जाएंगे, जिसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रकारों से परिष्कृत किया जाएगा, ताकि किसी शोधन रसायन के दुष्परिणामों को दूर किया जा सके और उन्हें कीटाणु रहित भी किया जा सके। अधिभोगी उपयुक्त रक्षात्मक स्निग्ध पदार्थ (क्रीम) तथा अन्य निर्मितियों (प्रपरेशन्स) की भी, जब कभी उनकी आवश्यकता हो, व्यवस्था करेगा।
   (ख) उपबन्धित रक्षात्मक यंत्र तथा निर्मितियाँ किसी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी।

4. **जल सुविधाएँ.–** जहाँ क्षतिकारक पदार्थो से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों, वहाँ ऐसी संक्रिया के यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर जो 210 से.मी. (7 फुट) से कम ऊँचाई पर न हो। 1.25 से.मी. (1.2 इंच) व्यास के नल द्वारा, जिसमें शीघ्र कार्य करने वाला वाल्व का प्रयोग किया गया हो, स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी कर्मकार को किसी क्षतिकारक पदार्थ द्वारा क्षति की दशा में क्षतिग्रस्त भाग को पूर्ण रूप से पानी से अच्छी तरह से धोया जा सके, जहाँ कहीं आवश्यक हो, जल सतत प्रदाय के हेतु एक जल संग्राहक (स्टोरेज टैंक) की व्यवस्था की

जाएगी, जिसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई ऐसे होगी, जो कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा स्वच्छ जल के स्त्रोत के रूप में अनुमोदित की जाए।

5. **सावधान करने वाली सूचना.–** अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निम्नलिखित प्ररूप में सावधान करने वाली मुद्रित सूचनाएँ ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी, जहाँ खण्ड 2 में वर्णित क्षतिकारक पदार्थो से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों और जहाँ उन्हें कर्मकारों द्वारा सरलतापूर्वक पढ़ा जा सके। यदि कोई कर्मकार अशिक्षित हो तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित सूचना में अन्तर्विष्ट बातों को सावधानीपूर्वक समझाने का प्रभावी प्रबंध किया जाएगा।

चेतावनी सूचना
खतरा

क्षतिकारक पदार्थ अतिदाहक होते हैं तथा उनसे बनने वाली भाप अत्यन्त खतरनाक होती है। यदि ऐसे पदार्थ का शरीर के किसी भाग से स्पर्श हो जाए तो भाग को तुरन्त ही विपुल जलधारा के नीचे कम से कम 15 मिनट तक रखा जाए। "चिकित्सीय सुविधा तत्काल प्राप्त करें।"

6. **परिवहन.–**

(क) क्षतिकारक पदार्थ धारक पात्रों के सिवाय अन्य किसी भी पात्र में नहीं भरे जाएंगे या उन पात्रों के सिवाय उन्हें हटाया नहीं जाएगा या ले जाया नहीं जाएगा और जब उनका परिवहन किया जाए, तब उसे मजबूत तथा पर्याप्त क्षमता की क्रेटे (टोकरियों) में रखा जाएगा।

(ख) ऐसा धारक पात्र, जिसका धारिता क्षतिकारक पदार्थ 11.5 लीटर्स (2, 1/2 गैलन) या उससे अधिक की हो किसी बर्तन या क्रेट में रखा जाएगा और तत्पश्चात् एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कमरे के नीचे की ऊँचाई तक रखते हए उसे तब ही ले जाया जाएगा, जब कि उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रबर के पहिए वाली गाड़ी प्रयोग में लाई जाए, अन्यथा नहीं।

(ग) क्षतिकारक पदार्थ के धारकों पर सुस्पष्ट लेबिल लगाए जाएंगे।

7. **क्षतिकारक पदार्थों के हस्तन के लिए साधन.–** (क) क्षतिकारक पदार्थो से भरी हुई सुराहियों (जार) बरनियों (कारबायस) तथा अन्य पात्रों के रिक्त करने हेतु उठाने (लिफ्टिंग) या झुकाने (टिल्टिंग) के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) क्षतिकारक पदार्थ हस्तन नंगे हाथों से नहीं किया जाएगा, किन्तु उपयुक्त कलछुओं (स्कूप) या अन्य साधनों के जरिए उनका हस्तन किया जाएगा।

8. **प्रतिबंधक (वाल्व) का खोलना.–** क्षतिकारक पदार्थ से भरे हुए प्रतिबंधक (वाल्व), अधिक सावधानी से खोले जाएंगे। यदि वे आसानी से काम न करते हों, तो उन्हें

खोलने के लिए जोर नहीं लगाया जाएगा। वे इस प्रयोजन के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मकार द्वारा खोले जायेंगे।

9. **टंकी, स्टील्स आदि को साफ करना.–** (क) क्षतिकारक पदार्थो को रखने के लिए उपयोग में लाए गए स्टील्स या अन्य बड़े कक्षों (चेम्बर्स) में बचे हुए अवशेषों (रेसीडयू) को हटाने हेतु उपयुक्त लकड़ी या अन्य सामग्री के लिए ऐसे उपयुक्त औजारों उपयोग में लाए जाएंगे, जिससे अरसिनिरीटेड हाइड्रोजन (अरसिन) के बनने को रोका जा सके।

(ख) जब कभी किसी कर्मकार को ऐसे किसी कक्ष (चेम्बर्स), टंकी (टैंक) गड्ढ़ों (पिट) या अन्य किसी निरुद्ध जगह (कनफाइड स्पेस) में, जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखा गया हो, सफाई करने या उसे व्यवस्थित रूप से बनाए रखने हेतु प्रवेश करना आवश्यक हो तो कर्मकार की सुरक्षा अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित समस्त संभव सावधानियाँ बरती जाएंगी।

(ग) जब कभी संभव हो, किसी उपकरण के किसी ऐसे भाग की मरम्मत या कार्य हाथ मे लेने के पूर्व, जिनमें क्षतिकारक पदार्थ का प्रयोग किया गया हो, ऐसे उपकरण या उसके भाग को लगे हुए अवशेष को उपयुक्त प्रणाली द्वारा मुक्त किया जाएगा।

10. **संग्रह.–** (क) क्षतिकारक पदार्थों की ऐसी जगह संग्रहित नहीं किया जाएगा, जहाँ अन्य रसायन जैसे टरपेंटाईन, कार्बाइड्स मेटेलिक चूर्ण या अन्य ज्वालाग्राही पदार्थ रखे गए हों, जिनका इन क्षतिकारक पदार्थो से घनात्मक अपमिश्रण होने पर उसकी प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है या विषैली ज्वालाएँ या गैस बन सकती हैं।

(ख) क्षतिकारक पदार्थो को रखने के लिए बनाई गई ओव्हर हेडटंकियां, पात्र (बेटेग्स) या अन्य संग्रह योग्य पात्र इस प्रकार व्यवस्थित रूप रखे जाएंगे कि उनमें से पंप द्वारा उक्त पदार्थ निकालते समय या उन्हें भरते समय उक्त क्षतिकारक पदार्थ बहने न पाए तथा उससे किसी व्यक्ति को क्षति न पहुंचे।

(ग) प्रत्येक संग्रह पात्र, जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखे जाते हों एवं जिसकी क्षमता 20 लीटर या उससे अधिक हो तथा उससे संबद्ध नल पंक्ति प्रतिरोधक (वाल्व) एवं फिटिंग्स का प्रतिवर्ष सम्पूर्ण रीति से परीक्षण किया जाएगा और उनमें कोई दोष पाए जाने पर उसे तुरंत ही दूर किया जाएगा। इस प्रकार के परीक्षणों का एक पंजी रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उसे कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा।

11. **अग्निशामक यंत्र और आग बुझाने के साधन.–** योग्य प्रकार के अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने के साधन संग्रहित क्षतिकारक पदार्थ के प्रकार को अनुलक्ष रखते हुए पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे। इन अग्निशामक यंत्रों का आग बुझाने के साधनों को नियमित रूप से जांचा जाएगा एवं उन्हें पुनः भरा जाएगा। इन अग्निशामक यंत्रों या आग बुझाने के साधनों का प्रयोग संबंधी सूचना अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित कराकर ऐसे यंत्र या साधन के पास चिपका दी जाएगी।

12. **चिकित्सकीय परीक्षण.–** (1) चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस अनुसूची में उल्लिखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

13. **छूट.–** यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में उसके प्रबंधक द्वारा आवेदन करने पर मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण या कार्य प्रणाली की अनित्यता के कारण या अन्य किसी कारण के फलस्वरूप जो कि अभिलिखित किए जाएंगे, इस अनुसूची के समस्त या किसी भी उपबंध, जो उक्त कारखानों में नियुक्त व्यक्तियों की सुरक्षा के हेतु आवश्यक न हो तो वह एक लिखित प्रमाणपत्र द्वारा जिसे वह कभी भी निरस्त कर सकता है, उक्त प्रतिष्ठान को ऐसे उपबंधों से और उन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित किया गया हो, छूट दे सकेगा।

अनुसूची–तेईस

(नियम 81)
निर्बाध सिलिका युक्त पत्थर या किसी अन्य पदार्थ का अभिचालन

निम्नलिखित विनिर्माण गतिविधि को निर्बाध सिलिका युक्त पत्थर या अन्य पदार्थ के अभिचालन के रूप में माना जायेगा :

1. स्टोन क्रशर
2. रत्न और आभूषण
3. स्लेट पेंसिल बनाना
4. उद्योग
5. सीमेंट उद्योग
6. मिट्टी के बर्तनों
7. ग्लास निर्माण
8. कोयला आधारित ताप विद्युत गृह

1. **आवेदन.**– यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भागों पर लागू होंगी, जिनमें निर्बाध सिलिका युक्त उपर्युक्त निर्माण गतिविधि की जाती है।

2. **परिभाषाएँ.**– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–
   (क) **''अभिचालन''** से अभिप्रेत है, निर्बाध सिलिका युक्त पत्थर या अन्य पदार्थ, जिनमें पत्थर या ऐसे पदार्थ सम्मिलित हों, का कूटना, तोड़ना, छीलना, आकार देना, पिसाई करना, छानना, मिश्रित करना, छांटना या कार्य करना;
   (ख) **''निर्बाध सिलिका युक्त पत्थर या अन्य पदार्थ''** से अभिप्रेत है, पत्थर या अन्य कोई ठोस पदार्थ, जिसमें निर्बाध सिलिका के वजन का 5 प्रतिशत से कम मात्रा अन्तर्वलित न हो।

3. **निवारक नियंत्रण उपाय.**– किसी कारखाने के किसी भाग के कारखाने में तब तक कोई हेरफेर नहीं किया जायेगा, जब तक कि निम्नलिखित में से एक या अधिक निवारक नियंत्रण उपायों को नहीं अपनाया जाता है, अर्थात् :–

3 (एक) इंजीनियरिंग नियंत्रण उपाय–

(1) गीले तरीके :
   (क) प्रक्रिया में पानी लगाकर या सफाई करके एयरबोर्न सिलिका डस्ट को कम से कम या दबा दिया जाना चाहिए;
   (ख) कंक्रीट या चिनाई की ड्रिलिंग या काटने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(2) हवादार :
   (क) औद्योगिक प्रक्रियाओं से सिलिका धूल को हटाने के लिए स्थानीय निकास प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए;

(ख) बड़े क्षेत्रों में अनुमेय सीमा से कम सिलिका धूल की सांद्रता को कम करने के लिए तनुकरण/वेंटिलेशन का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) धूल संग्रहकर्ता/एचईपीए फिल्टर स्थापित किया जाना चाहिये ताकि धूल को स्त्रोत से हटा दिया जाए और कार्य क्षेत्रों को दूषित होने से रोकने के लिए सभी स्थानांतरण बिन्दुओं को हटा दिया जाये।

(घ) वेंटिलेशन सिस्टम को अच्छी तरह से काय करने की स्थिति में रखा जाना चाहिये।

(3) पृथककरण :

(क) कार्य क्षेत्रों से और सभी स्थानांतरण बिन्दूओं पर धूल हटाने के लिए उच्च दक्षता वाले वायु कण (एचईपीए) फिल्टर के साथ वैक्यूम सिस्टम का उपयोग किया जायेगा।

(ख) सामग्री को स्थानांतरित करने वाले बेल्ट कन्वेयर इसकी पूरी लंबाई में पूरी तरह से संलग्न होना चाहिये।

परंतु, ऊपर बताये गए ऐसे नियंत्रण उपाय आवश्यक नहीं हैं यदि प्रक्रिया या संचालन स्वयं ऐसा है कि निर्मित और प्रचलित धूल का स्तर अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट एक्सपोजर की अनुमेय सीमा से अधिक नहीं है।

(ग) नोटिस का प्रदर्शन स्थानीय भाषा में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में भी किया जायेगा।

(4) धूल नियंत्रण :

(क) कार्य क्षेत्रों से और सभी स्थानांतरण बिन्दुओं पर धूल हटाने के लिए उच्च दक्षता वाले वायु (एचईपीए) फिल्टर के साथ वैक्यूम सिस्टम का उपयोग किया जायेगा।

(ख) कुचली गई सामग्री को स्थानांतरित करने वाले बेल्ट कन्वेयर, इसकी (सामग्री की) लंबाई में पूर्णतः संलग्न होना चाहिये।

परंतु, ऊपर बताये गये ऐसे नियंत्रण उपाय आवश्यक नहीं हैं, यदि प्रक्रिया या संचालन स्वयं ऐसा है कि निर्मित और प्रचलित धूल का स्तर, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट जोखिम की अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं है।

(ग) सूचना का प्रदर्शन, स्थानीय भाषा में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में भी किया जायेगा।

(5) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण.– प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुसार और किसी कार्यस्थल पर लागू होने वाले निम्नलिखित पीपीई प्रदान करेगा।

(क) धूल श्वासयंत्र

(ख) एचईपीए फिल्टर श्वासयंत्र या धुआं श्वासयंत्र।

(ग) एचईपीए फिल्टर श्वासयंत्र फुल फेस पीस के साथ।

(घ) स्व निहित श्वास तंत्र (एससीबीए)

(ङ) फुल फेस पीस, हुड के हेलमेट के साथ वायु श्वासयंत्र की आपूर्ति।

(च) एससीबीए फुल फेस पीस के साथ।

(छ) एचईपीए फिल्टर के साथ संचालित वायु शुद्ध करने वाला श्वासयंत्र।

(6) **युवा व्यक्ति के संबंध में निषेध.–** किसी भी युवा व्यक्ति को अभिचालन से संबंधित किसी भी संचालन में या किसी भी स्थान पर, जहाँ इस तरह के संचालन किये जाते हैं, नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(7) **छूट.–** (1) यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का इस कारण में यह समाधान हो जाए कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण या प्रक्रिया की अल्प आवृत्ति या अन्य किसी कारण से, इस अनुसूची के सभी या कुछ उपबंध कर्मकारों के स्वास्थ्य के बचाव हेतु आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, जिसे वह किसी भी समय अपनी स्वेच्छा से निरस्त कर सकता है, ऐसे प्रतिष्ठान को ऐसे सभी या उनमें से किसी उपबंधों से ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जिन्हें कि वह निर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) सिलकोसिस और निर्बाध सिलिका संबंधी उपजीविकाजन्य रोगों की अधिसूचना के लिए चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सा अधिकारी कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 89 की उप–धारा (4) के तहत् अभियोजित किये जाने के दायी होंगे। इस प्रकार वसूला गया जुर्माना सिलिकोसिस राहत कोष में जमा किया जायेगा।

(3) (दो) चिकित्सा नियंत्रण उपाय.–

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, जिसमें खण्ड 3(एक) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में कर्मकार नियोजित है, यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजित प्रत्येक कर्मकार की जांच, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के भीतर कारखानों के चिकित्सा निरीक्षक/चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाये। इस तरह की चिकित्सा परीक्षा में न्यूमोकोनियोसिस पर मानक आईएलओ रेडियोग्राफ के साथ तुलना करने के लिए फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और छाती एक्सरे–पश्चवर्ती पूर्वकाल (पीए) दृश्य शामिल होगा। किसी भी कर्मचारी को कारखाने में उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिये उपयुक्त प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी की हर बारह महीने में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः जांच की जायेगी। इस तरह की पुनः परीक्षा, जहाँ भी चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, छाती के

एक्स–रे को छोड़कर खण्ड 3(एक) में निर्दिष्ट सभी परीक्षणों को शामिल करें, जिन्हें न्यूमोकोनियोसिस पर आईएलओ रेडियोग्राफ पढ़ने के क्षेत्र में निर्दिष्ट/प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट द्वारा पढ़ा जायेगा और जो कम से कम 3 साल में एक बार होगा।

(3) अनुसूची के लागू होने की तारीख को उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी की एक मानक आकार के एक्स–रे प्लेटों का उपयोग करके अधिभोगी की कीमत पर योग्य रेडियोलॉजिस्ट द्वारा रेडियोलॉजिकल जांच की जायेगी और एक्स–रे मशीनों की शक्ति होगी 300 मिली एम्पीयर (एमए) से अधिक होगी। ऐसे एक्स–रे की रिपोर्ट उक्त तिथि के तीन महीने के भीतर कारखानों के चिकित्सा निरीक्षक/चिकित्सा अधिकारी/मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) यदि किसी समय कारखानों के चिकित्सा निरीक्षक/चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(6) यदि कोई कर्मचारी पहले से ही रोजगार में है और कारखानों के चिकित्सा निरीक्षक/चिकित्सा अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसे पैरा (एक) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया पर काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि एक योग्य रेडियोलॉजिस्ट से, छाती एक्स–रे प्लेट मानक आकार सहित पुनः जांच, अधिभोगी की लागत पर आगे न की गई हो, और उक्त प्रक्रियाओं पर पुनः काम करने के लिए स्वस्थ प्रमाणित न किया गया हो।

(7) चिकित्सक चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए अधिभोगी द्वारा नियुक्त उसके अनन्य उपयोग के लिये कारखाने के परिसर में एक कमरा प्रदान किया जायेगा, जिसे उचित रूप से साफ कर पर्याप्त रूप से प्रकाशित, हवादार और स्क्रीन के साथ सुसज्जित किया जायेगा। कार्यालय स्टेशनरी, कुर्सियों और अन्य सुविधाओं और अन्य उपकरणों के साथ, जो कि समय–समय पर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निर्धारित किया जाये, इस प्रकार नियुक्त चिकित्सक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा–

(क) स्वास्थ्य पंजी अनुरक्षित करना;

(ख) कारखाने में कार्यरत व्यक्ति का चिकित्सीय पर्यवेक्षण करना;

(ग) प्रभावित कर्मकारों के बीमार, घायलों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास की देखभाल करना;

(घ) कार्य कक्षों का निरीक्षण करना जहाँ खतरनाक संचालन किया जाता है और वहाँ कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अपनाये जाने वाले उपाय के प्रबंधन को सलाह देते हैं।

(8) सिलिकोसिस के संपर्क में आने वाले कर्मकारों के स्वास्थ्य अभिलेख को रोजगार की शुरूआत से कम से कम 40 साल की अवधि तक या सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के 15 साल बाद, जो भी बाद में हो, रखा जायेगा और संबंधित कर्मकारों के प्रतिनिधियों के लिये सुलभ होगा।

(9) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किये गये स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र द्वारा किये गये चिकित्सा परीक्षण एवं उचित परीक्षण का अभिलेख, मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा अनुमोदित पृथक पंजी में संधारित किया जायेगा, जिसे निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिये तत्काल उपलब्ध रखा जायेगा तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

3. (तीन) प्रशासनिक नियंत्रण उपाय.–

(1) कार्यस्थल/पर्यावरण निगरानी: अधिभोगी इंजीनियरिंग नियंत्रणों, चयनित श्वसन सुरक्षा, कार्य प्रथाओं और चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता का का मूल्यांकन करने हेतु जोखिम/संकेन्द्रण के परिमाण को निर्धारित का अनुपालन करने हेतु कार्यस्थल/पर्यावरण की निगरानी सुनिश्चित किया जाना है।

(क) एक्सपोजर/संकेन्द्रण माप, कर्मचारी के वास्तविक श्वास जोन में किया जाना चाहिये।

(ख) कुल नमूना समय कम से कम 7 घंटे होगा।

(ग) कार्य स्थल/पर्यावरण निगरानी को त्रैमासिक रूप से दोहराया जायेगा।

(घ) अधिभोगी द्वारा धूल के नमूने लेने की रिपोर्ट जनता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रशिक्षण/जागरूकताः कर्मकारों को निम्नलिखित में प्रशिक्षित किया जायेगा :–

(क) निर्बाध सिलिका धूल जोखिम के स्वास्थ्यगत प्रभाव।

(ख) संचालन और सामग्री जो मुक्त सिलिका धूल खतरों का उत्पादन करती है।

(ग) इंजीनियरिंग नियंत्रण और कार्य अभ्यास नियंत्रण, जो धूल की सांद्रता को कम करते हैं।

(घ) अच्छी गृह व्यवस्था और साफ–सफाई का महत्व।

(ङ) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे श्वासयंत्र आदि का उचित उपयोग।

(च) जोखिम को कम करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यास ।

(3) हाउस कीपिंगः फर्शों का रखरखाव–

(क) सभी फर्श या स्थान, जहाँ पर महीन धूल जमने की संभावना है और जहाँ किसी व्यक्ति को काम करना या गुजरना पड़ता है, वह अभेद्य सामग्री का होना चाहिये और ऐसी स्थिति में बनाये रखा जाना चाहिये कि उन्हें नम तरीके या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह से साफ किया जा सके, जिससे धूल को रोका जा सके। प्रत्येक पाली के दौरान कम से कम एक बार सफाई की प्रक्रिया में वायुवाहित से किया जायेगा।

(ख) इस प्रयोजन के लिए धूल या गीली विधियों को साफ करने के लिये ड्राई स्वीपिंग या संपीड़ित हवा का उपयोग किया जायेगा या एचईपीए फिल्टर के साथ वैक्यूम सिस्टम का उपयोग किया जायेगा।

(ग) कंपन, यातायात और यादृच्छिक वायु प्रवाह के कारण हवा में उड़ने से पहले, शीर्ष किनारों और उपकरणों पर धूल हटा दी जाना चाहिये।

(4) चेंज रूम और धुलाई की सुविधा –

(क) धुलाई और स्नान की सुविधायें आसानी से ऐसे स्थान पर स्थित होंगे, जहाँ कर्मकार आसानी से पहुंच सके।

(ख) कर्मचारियों को दूषित कपड़ां को स्टोर करने के लिये अलग–अलग लॉकर के साथ क्लॉक रूम उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) कर्मकारों को कार्य स्थल से निकलने से पहले नहाना चाहिये और कार्य के दौरान प्रयुक्त पड़े बदलने चाहिये।

(घ) कार्य में प्रयुक्त कपड़े को अंतरंग होके हिला–डुला के साफ नहीं करना चाहिये।

(ङ) भोजन/दोपहर के भोजन के क्षेत्र, खुले क्षेत्रों से दूर स्थित होने चाहिये।

(5) सूचनाओं का प्रदर्शन :

(क) चेतावनी के संकेत/पोस्टर, प्रमुख स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जाने चाहिये।

(ख) चेतावनी के संकेत/पोस्टर में खतरों से संबंधित सावधानियों का समावेश होना चाहिये।

(ग) अच्छा प्रदर्शन स्थानीय भाषा में होगा और अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में भी होगा।

(6) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण – प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुसार और किसी दिए गए कार्यस्थल पर लागू होने वाले निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।

(क) धूल श्वासयंत्र।

(ख) फ्यूम रेस्पिरेटर का एचईपीए फिल्टर रेस्पिरेटर।

(ग) पूर्ण फेसपीस के साथ हेपा फ़िल्टर श्वासयंत्र।

(घ) स्वयं निहित श्वास तंत्र (एससीबीए)।

(च) पूरे चेहरे के टुकड़े, हेलमेट या हुड के साथ आपूर्ति की गई वायु श्वासयंत्र।

(छ) एससीबीए फुल फेस पीस के साथ।

(ज) हेपा फिल्टर के साथ संचालित वायु शुद्ध करने वाला श्वासयंत्र।

(7) अल्पवयस्क के संबंध में निषेध– किसी भी अल्पवयस्क को निर्बाध सिलिका युक्त पत्थर या किसी अन्य पदार्थ का अभिचालन काम में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा या काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

(8) छूट– यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण या प्रक्रियाओं की आवृत्ति में या किसी अन्य कारण से, इस अनुसूची के सभी या किसी भी प्रावधान की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है कारखाने में काम करने वाले, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एक लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, जिसे वह अपने विवेक से किसी भी समय रद्द कर सकता है, ऐसे कारखाने को ऐसे सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है।

अनुसूची–चौबीस

(नियम 81)

विलायक निस्तारण संयंत्र

विलायक विस्तारण संयंत्र से वनस्पतियॉ और पशु स्त्रोतों से तेल अथवा वसा निकालने की प्रक्रिया–

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **''विलायक निस्सारण संयंत्र''** से अभिप्रेत है, एक ऐसा संयंत्र, जिसमें विलायकों के उपयोग से वनस्पतियां या पशु स्त्रोत से तेल या वसा निकालने की प्रक्रिया की जाती है;

(ख) **''विलायक''** से अभिप्रेत है, पेन्टेन, हैक्सेन तथा हेप्टेन जैसे ज्वलनशील द्रव, जिसका उपयोग वनस्पति तेल निकालने के लिए किया जाता है;

(ग) **''विद्युत मशीनरी या साधित्र में''** यथा प्रयुक्त ''ज्वाला रोधी घेरे'' से अभिप्रेत है, ऐसे घेरे जो आवरणों या अन्य प्रवेश द्वारों को उचित रूप से सुरक्षित किए जाने पर, ज्वलनशील गैस या वाष्प के घेरे के भीतर प्रवेश करे या जो घेरे के भीतर उत्पन्न हो, आंतरिक विस्फोट को क्षति पहुंचाए बिना सह सके तथा आंतरिक ज्वलन (या विस्फोटक) को बाहार ज्वलनशील गैस या वाष्प के सम्पर्क में जाने से रोक सके;

(घ) इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ **''सक्षम व्यक्ति''** कम से कम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का सदस्य या उक्त संस्था का सह–सदस्य होगा, जिसे मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित उत्तरदायित्व पूर्ण पद का दस वर्ष का अनुभव प्राप्त हो:

परंतु, यांत्रिक इंजीनियरी अथवा रसायन प्रौद्योगिकी के ऐसे स्नातक को भी सक्षम व्यक्ति माना जाएगा, जिसे तेलों और चर्बियों का विशेषीकृत ज्ञान हो और जिसे किसी विलायक निस्सारण संयंत्र का कम से कम पॉच वर्षों का अनुभव हो:

परंतु यह कि, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके पास उपयुक्त अर्हता तथा अनुभव हो, इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ सक्षम व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

2. **अवस्थिति तथा अभिन्यास (ले–आउट).–** (क) कोई भी विलायक निस्सारण संयंत्र निकटतम रिहायशी बस्ती से 30 मीटर की दूरी के भीतर निर्मित या विस्तारित नहीं किया जाएगा।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र के चारों और संयंत्र से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर ऊंचाई एक अविछिन्न बाड़ लगाई जाएगी।

(ग) बाड़ से घिरे हुए क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई माचिस या खुली हुई ज्वाला या आग ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) बायलर गृह या अन्य भवन, जिसमें खुली ज्वाला वाली प्रकियाएं चलाई जाती है, विलायक निस्सारण संयंत्र से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर स्थित होंगे।

(ङ) यदि गोदाम तथा तैयार करने संबंधी प्रक्रिया के स्थान विलायक निस्सारकण संयंत्र से 30 मीटर से कम दूरी पर हो तो, उनकी दूरी संयंत्र से कम से कम 15 मीटर होगी और विलायक निस्सारण संयंत्र से अदहनशील सामाग्री की 5 मीटर ऊंची एक अविच्छिन्न रोक दीवाल (बेरियर वाल) इस प्रकार बनी होगी कि वह संयंत्र से प्रज्जवलन के सामान्य स्त्रोतों तक अपने छोर के हर तरफ वाष्प संचार के कम से कम 30 मीटर तक जाती हो।

3. **विद्युत** प्रतिष्ठान.– (क) विलायक निस्सारण संयंत्र में अधिष्ठापित या स्थित समस्त विद्युत मोटरों तथा वायरिंग और अन्य विस्तृत उपकरण ज्वालारोधी होंगे।

(ख) संयंत्र तथा भवन, जिसमें ऐसी विभिन्न टंकियॉ तथा धारक (कंटेनर्स) भी सम्मिलित है, जिसमें विलायक संग्रहित किए जाते हो या विद्यमान हो, के समस्त धातु के भाग तथा विद्युत उपकरणों के ऐसे समस्त भाग, जिन्हें अर्जित करना (इंनर्जीइज्ड) अपेक्षित न हो, उचित ढंग से आपस में परिबद्ध कर दिए जाएंगे और उन्हें भूमि से जोड़ दिया जाएगा, ताकि ऐसे भागों का विद्युत विभव, आकस्मिक रूप से बढ़कर भूमि विभव से अधिक न हो सके।

4. **धूम्रपान पर प्रतिबंध.**– विलायक निस्सारण संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर धूम्रपान पर सर्वथा रूपसे प्रतिबंध होगा। इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र में ''धूम्रपान वर्जित है'' सूचक संकेत स्थाई रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

5. **घर्षण के विरूद्ध पूर्वोपाय.**– (क) ऐसे समस्त औजार तथा उपकरण, जिसमें सीढ़ियों, जंजीरें तथा अन्य उत्थापक साधन (लिफ्टिंग, टेकल) सम्मिलित है, जो विलायक निस्सारण संयंत्र में उपयोग के लिए अपेक्षित होते हैं, अस्फुलिंग (नानस्पार्किंग) प्रकार के होंगे।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र की कोई भी मशीनरी या उपकरण पट्टे से चलने वाला नहीं होगा, जब तक कि पट्टा कडंस्टिव पदार्थ का न बना हो।

(ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो नायलोन के कपड़े पहने हुए हो या ऐसे अन्य वस्तुओं के कपड़े पहने हुए हों, जिनसे स्थातिक (स्टेटिक) विद्युत चार्ज उत्पन्न होता हो या ऐसे जूते पहने हुए हो, जिनमें घर्षण द्वारा स्फुलिगों के उत्पन्न होने की संभावना हो, विलायक निस्सारण संयंत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।

6. **अग्निशमन साधित्र.**– (क) विलायक निस्सारण संयंत्र में पर्याप्त संख्या में ऐसे वहनीय अग्निशामक साधनों की व्यवस्था की जाएगी, जो ज्वलनशील तरल पदार्थो से लगने वाली अग्नि के विरूद्ध उपयोग करने के लिए उपयुक्त हो।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र के ऊपर और जिस भवन में ऐसा संयंत्र हो, उस भवन में संग्रहित जल की पर्याप्त पूर्ति से युक्त, स्वचालित जल फुहार छिड़काव पद्धति तथा उपर ली जलप्लावन पद्धति की व्यवस्था की जायेगी।

7. **विद्युत संचरण बंद हो जाने के संबंध में पूर्वोपाय.**– (क) विद्युत संचारण बंद हो जाने की स्थिति में कार के अपने आप बंद हो जाने की व्यवस्था की जायेगी तथा

(ख) आपाती स्थिति में धारित्रों (कंडेन्सर) में जो विद्युत संचारण बंद हो जाने पर स्वतः काम करने लगेंगे, गुरूत्व द्वारा जल भरण के लिए उपरली जल पूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।

8. **चुम्बकीय विलगक (सेपरेटर्स).–** निस्सारणधीन सामग्री हापर के जरिए एक वाहक (कन्वयर) द्वारा निस्सारण में भेजी जाएगी और यह अंतरण लोहे के किन्हीं भी टुकड़े को अलग करने के लिए चुम्बकीय विलगक की व्यवस्था की जायेगी।

9. **निकासन (वेटिंग).–**

(क) विलायक भरी हुई टंकियों को आग लग जाने की स्थिति में अत्याधिक आंतरिक दाब से मुक्त करने के लिए आपाती निकास बनाकर संरक्षित किया जायेगा।

(ख) समस्त आपाती विमोचन विकास, भूमि से कम से कम 6 मीटर की ऊँचाई पर समाप्त होंगे और उनकी अवस्थिति इस प्रकार की होगी कि वाष्प उस भवन में पुनः प्रवेश न कर सके, जिसमें विलायक निस्सारण संयंत्र स्थित हो।

10. **क्षेप्य जल (वेस्ट वाटर).–** प्रक्रियागत क्षेप्य जल एक फ्लैश वाष्पित के माध्यम से बहाया जाएगा, जिससे कि उसे निर्गत होदी (सम्प) में वर्जित करने के पूर्व उसमें रहा कोई भी विलायक अलग किया जा सके। उक्त होदी बाड़ से घिरे क्षेत्र के अंदर होगी तथा बाड़ से आठ मीटर से कम दूरी पर नहीं होगी।

11. **संवातन.–** विनायक निस्सारण संयंत्र सुसंवातित होगा और यदि संयंत्र किसी भवन में अवस्थित हो तो, उस भवन में यांत्रिक संवातन की व्यवस्था होगी, जिसमें प्रति घंटा कम से कम 6 वायु परिवर्तन की व्यवस्था होगी।

12. **भवन व्यवस्था.–** (क) विलायकों का संग्रहण केवल थोड़ी मात्रा को छोड़, जो कि क्षेत्र अनुमोदित सुरक्षित डिब्बों (केन) में संग्रहित की जाएगी, विलायक निस्सारण संयंत्र के व्याप्ति क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।

(ख) तेलीय चिथड़ों और अन्य क्षेप्य सामग्री तथा अवशेषक जो विलायक तथा रंग तेलों को साफ करने के उपयोग में लाए जाते हैं, अनुमोदित आधानों (कंटेनरों) में रखे जाएंगे और उन्हें दिन में कम से कम एक बार परिसर से हटाया जायेगा।

(ग) विलायक निस्सारण संयंत्र के भीतर तथा संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर के स्थान को किसी भी ज्वलनशील वस्तुओं से मुक्त रखा जाएगा तथा बिखरे हुए तेल अथवा विलायकों को तुरन्त साफ कर दिया जायेगा।

13. **परीक्षण तथा मरम्मत.–** (क) विलायक निस्सारण संयंत्र की कमजोरी या संक्षारण तथा टूट–फूट के अवधारण की दृष्टि से सक्षम व्यक्ति द्वारा उसका प्रत्येक 12 महीने में एक बार परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण के संबंध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को अपनी इस टिप्पणी के साथ रिपोर्ट दी जाएगी की संयंत्र चलने की दृष्टि से सुरक्षित स्थिति में है, अथवा नहीं।

(ख) मशीनरी अथवा संयंत्र की कोई भी मरम्मत केवल सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

(ग) संयंत्र को सफाई या मरम्मत के लिए खोलने से पहले और मरम्मत के बाद सालवेन्ट के प्रवेश कराने से पहले अक्रिय गैस या वाष्प से पंजिंग करने की सुविधाएँ प्रदत्त होंगी।,

14. **परिचालन कर्मचारी.–** विलायक निस्सारण संयंत्र में संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन का प्रभार ऐसे सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथों से रहेगा, जो सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाएं तथा किसी भी व्यक्ति को संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. **स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों का नियोजन.–** विलायक निस्सारण संयंत्र में किसी भी स्त्री या अल्प वयस्क व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा।

16. **वाष्प अभिज्ञान (डीटेक्शन).–** एक समुचित प्रकार के ज्वालारोधी, आसानी से एक जगह से दूरी जगह ले जाने लायक ज्वलनशील गैस संसूचक की व्यवस्था की जाएगी और उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा तथा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित विभिन्न अवस्थितियों में वायुमंडल के नेमी नमूना अनुसूची तैयार की जाएगी और उसे इस प्रयोजनार्थ रखे गए पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा।

17. **लॉग बुक.–** निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में संयंत्र परिचालन की एक लॉग बुक रखी जाएगी।

18. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने

की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किए जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–पच्चीस
(नियम 81)
कार्बन डाई सल्फाइड संयंत्र

1. **प्रयुक्ति.–** यह अनुसूची ऐसी सभी विद्युत भट्टियों, जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड बनाया जाता है तथा ऐसे अन्य संयंत्र के संबंध में लागू होगी, जहाँ कार्बन डाइ सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित, परिशोधित तथा संग्रहित किया जाता है। ये नियम, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के अतिरिक्त हैं, उनके अल्पीकरण स्वरूप के नहीं।

2. **निर्माण प्रतिष्ठान तथा परिचालन.–** (क) ऐसे भवन, जिनमें विद्युत भट्टियाँ संस्थापित की गई हों और कार्बन डाई सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित और परिशोधित किया जाता हो, प्रतिष्ठान के अन्य भागों से पृथक् जाएंगे और अधिकतम संवातन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वे खुले प्रकार के होंगे तथा संयंत्र का अभिन्यास ऐसा होगा कि कम से कम संख्या में कर्मकारों को किसी एक समय में भाग या विस्फोटक का खतरा झेलना पड़े।

   (ख) प्रत्येक विद्युत भट्टी और प्रत्येक ऐसा संयंत्र, जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित, परिशोधित और संग्रहित किया जाता हो, अपनी पूरी फिटिंग और संलागों (अटैचमेंट) सहित सुनिर्मित तथा ठोस सामग्री का बना होगा और पर्याप्त सुदृढ़ होगा तथा उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा, ताकि भट्टी या संयंत्र में उत्पन्न आंतरिक दाब को वहन कर सके और उसका विन्यास (डिजाइन) ऐसा होगा कि तरल तथा गैस कार्बन डाई सल्फाइड अपनी सामान्य क्रियाशीलता के दौरान बंद प्रणाली में रहे।

   (ग) विद्युत भट्टी के आधार कंकरीट में अथवा अन्य प्रभावी साधनों में 60 से.मी. गहरे मजबूती से गड़े रहेंगे।

   (घ) प्रत्येक विद्युत भट्टी का प्रतिष्ठापन तथा परिचालन निर्माताओं के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा और ये अनुदेश निर्माण तथा परिचालन के प्रभारी कर्मचारियों को स्पष्टतः समझा दिए जाएंगे।

   (ङ) भट्टी के सही ताप, मापन, सल्फरडोज, स्वीकार्य विद्युत धारा शक्ति उपभोग तथा कोयला के स्तर की नियतकालिक जाँच संबंधी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा या अनुदेश भट्टी के समीप से सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

3. **इलेक्ट्राड्स.–** (क) जहाँ ऊपरी रिंग वाले इलेक्ट्रान अथवा इस्पात के बने सीधे इलेक्ट्राड्स विद्युत भट्टी में काम में आते हो, वहाँ वे बिना जुड़े टयूब के बने होंगे तथा उनमें इलेक्ट्राडों में बने साइफन के जरिए अथवा पोजीटिव दाब वाले पानी के पंप के जरिए प्रशीतन जल प्रणाली से उन्हें किए जाने की व्यवस्था होगी।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट जल प्रशीतन की व्यवस्था स्वचालित चेतावनी प्रणाली से जुड़ी रहेगी, जो इलेक्ट्राडों में प्रशीतन जल में दाब पहुँचाने की स्थिति में उसे संचालित करेगी और नियंत्रण कक्ष में दृश्य श्रव्य चेतावनी संकेत देगी और साथ ही साथ भट्टी परिचालक के लिए विद्युत पूर्ति को तथा आगे जल पूर्ति को रोकेगी। चेतावनी संकेत पद्धति तथा संचालन युक्ति की प्रतिदिन जाँच की जायेगी।

4. **रेपचर डिस्क्स तथा सेफ्टी सील.–** (क) प्रत्येक भट्टी पर पर्याप्त आकार वाली कम से कम दो रेपचर डिस्कों की व्यवस्था की जाएगी, जो परिचालन दाब से दुगुने दाब पर वायु विस्सारित करेगी और उन्हें या तो सीधे ही भट्टी के ऊपरी भाग पर लगाया जाएगा अथवा भट्टी के यथासंभव समीप अलग अलग पाइप के जरिए लगाया जायेगा।

(ख) एक सेफ्टी वाटर सील की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे कोयला (चार कोल) सेपरेटर तथा सल्फर सेपरेटर के मध्य एक बिन्दु पर टेप किया जायेगा।

5. **पायरोमीटर तथा मेनोमीटर.–** (क) भट्टी में विभिन्न स्थानों पर ताप के सही निर्धारण के लिए प्रत्येक विद्युत भट्टी माप जानने के लिए डायल नियंत्रण कक्ष में लगाए जाएंगे।

(ख) दाब मशीनें के लिए मेनोमीटर्स या अन्य उपकरण लगाए जाएंगे।

(एक) सल्फर सेपरेटर के पूर्व तथा पश्चात् आफ टेक पाइप में, तथा

(दो) प्राथमिक तथा द्वितीय कंडेसरों में मेनोमीटरों की व्यवस्था की जाएगी।

6. **चेक वाल्व.–** कार्बन डाई सल्फाइड ले जाने वाली सम्पूर्ण पाइप प्रणाली में उपयुक्त स्थानों पर चेक वाल्व लगाए जाएंगे, ताकि उसके बंद हो जाने की स्थिति में गैस किसी भी भट्टी में उलटी प्रवाहित न हो सके।

7. **विद्युत भट्टी का निरीक्षण तथा अनुरक्षण.–** (क) सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक विद्युत भट्टी का,–

(एक) प्रतिष्ठान के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्व;तथा

(दो) पुनर्निर्माण या मरम्मत के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्व, आंतरिक निरीक्षण किया जाएगा;

(तीन) प्रत्येक भट्टी नियतकालिक रूप से साफ करने या राख निकालने या इलेक्ट्राड बदलने के लिए खोली जाती है, तब उसका, आंतरिक निरीक्षण किया जाए।

(ख) जब कोई विद्युत भट्टी साफ करने या राख निकालने के लिए बन्द की जाती है तो :

(एक) अखंडता की दृष्टि से ईंट अस्तरण (ब्रिक लाइनिंग) की जाँच की जाएगी तथा उसका कोई भाग दोषपूर्ण पाए जाने पर उसे हटा दिया जाएगा।

(दो) उपरोक्त (क) में उल्लिखित अस्तरण के लिए किसी भाग को हटाने के बाद शेल की स्थिति का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाएगा; तथा

(तीन) यदि शेल बनाने वाली कोई भी प्लेट इस सीमा तक संक्षारित (कोरो हेड) पाई जाए कि उससे भट्टी की सुरक्षा खतरे में हो तो उसे बदल दिया जाएगा।

8. **अभिलेखों में संधारण.**— लाग बुक में निम्नलिखित घंटेवार अभिलेख रखे जाएंगे :

(एक) खण्ड 5 के (ख)(एक) तथा (दो) में विनिर्दिष्ट स्थलों पर मेनीमीटर वाचन।

(दो) पारोमीटर तथा सल्फर सेपरेटर के पास के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक कंडेसरों द्वारा दर्शाया गया गैस का ताप।

(तीन) जल का ताप तथा इलेक्ट्रोडों में साइफन के जरिए जल का प्रवाह।

(चार) प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टता तथा करेंट एवं उपभोग की गई ऊर्जा (एनर्जी)।

9. **विद्युत साधित्र वायरिंग तथा अन्वायुक्तियाँ (फिटिंग).**— उन समस्त भवनों में, जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित अथवा संग्रहित किया जाता हो, विद्युत साधित्रों, वायरिंग तथा अन्वायुक्तियों (फिटिंग) की व्यवस्था की जाएगी, जो अग्नि तथा विस्फोट से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करेगी।

10. **धूम्रपान के संबंध में निषेध.**— कोई भी व्यक्ति उन भवनों में, जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित या संग्रहित किया जाता हो धूम्रपान नहीं करेगा या दियासलाइयाँ अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन नहीं ले जाएगा और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कमरों में धूम्रपान करने और दियासलाइयाँ, अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिबंध करते हुए संयंत्र में एक सूचना लगाई जाएगी।

11. **बच निकलने के साधन.**— आपात स्थिति में व्यक्तियों के यथासंभव शीघ्र बचकर सुरक्षित स्थानों में पहुँचने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनका अनुरक्षण किया जाएगा। कम से कम दो स्वतंत्र सीढ़ियाँ जिनकी चौड़ाई 110 से.मी. से कम न हो और जो 54 अंश से अधिक का क्षितिज कोण न बनाती हो, की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक भवन में दोनों ओर समुचित अन्तराल पर की जाएगी, जहाँ कि भट्टियाँ स्थित हों। इन्हें सभी अवरोधों से मुक्त रखा जाएगा और उन्हें ऐसा बनाया जाएगा कि आसानी से आना–जाना हो सकें।

12. **आग के मामले में चेतावनी.**— आग या विस्फोट के मामले में चेतावनी देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जो विद्युत से और विद्युत बंद हो जाने की स्थिति में अन्यत्र यांत्रिक साधनों द्वारा परिचालित होंगी।

13. **आग बुझाने के उपकरण.**— (क) संग्रहित सामग्री की मात्रा तथा उसके स्वरूप में सन्निहित जोखिम से निबटने के अनुरूप पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्निशामक यंत्र अथवा आग बुझाने के उपकरण सदैव तैयार रखे जाएंगे।

(ख) अग्निशामक यंत्रों अथवा अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए, इस संबंध में स्पष्ट अनुदेश, जो नियोजित अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित होंगे, प्रत्येक अग्निशामक यंत्र या अन्य उपकरण पर लगाए जाएंगे।

(ग) आग बुझाने के उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

14. **बल्क सल्फर.**— (क) बल्क सल्फर के संग्रहण के लिए अनावरित अथवा अर्धावरित स्थल के पास इंजिनों आदि से निकलने वाली चिनगारियों के खतरे को समुचित रूप से ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएंगे और इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि ज्वालाएँ, धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ और प्रज्ज्वलन के अन्य स्त्रोत बल्क सल्फर को रखते–उठाते समय उठने वाले धूल के बादलों के संपर्क में न आयें।

(ख) बल्क सल्फर के लिए समस्त आहातें अज्वलनशील पदार्थो से निर्मित होंगे, जिसमें पर्याप्त संचालन व्यवस्था होगी और उनकी डिजाइन इस प्रकार होगी कि उनमें धूल जमा होने का स्थान कम से कम हो।

(ग) आहातों में बल्क सल्फर इस प्रकार रखा उठाया जाएगा कि धूल बादल कम से कम बने और वहाँ ज्वाला, धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ या प्रज्जवलन के अन्य स्त्रोत ले जाने की अनुमति नहीं होगी और जब कभी सल्फर को उठाया या हटाया जाए, तब चिनगारी रोधी औजारों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) जहाँ बल्क सल्फर संग्रहित किया जाता हो, उस आहाते में ऐसी मरम्मत नहीं की जाएगी, जिसमें उसका ताप पैदा हो या हाथ या शक्ति–चालित औजारों का उपयोग हो।

15. **तरल सल्फर.**— अनावृत्त ज्वालाएं बिजली की चिनगारी तथा प्रज्जवलन के अन्य स्रोत जिसमें धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ भी शामिल हैं, पिघले हुए सल्फर के आसपास के स्थान से दूर रखे जाएंगे।

16. **प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षक.**— (क) समस्त विद्युत भट्टियाँ तथा समस्त संयंत्र, जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित, परिशोधित अथवा संग्रहित किया जाता हो, उस स्थिति में सदैव ही पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षणधीन रहेंगे, जबकि भट्टियाँ तथा संयंत्र चालू हों।

(ख) विद्युत भट्टियों तथा संयंत्रों के परिचालन तथा अनुरक्षण के प्रभारी कर्मकार समुचित रूप से अर्हता प्राप्त तथा पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होंगे।

17. **प्रक्षालन सुविधायें.**— दखलकार समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में आच्छादित प्रक्षालन स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे बनाए रखेगा, जिसमें कम से कम एक नल (टेप) अथवा स्टेण्ड पाइप हो और जिससे ऐसे हर पाँच व्यक्तियों को सतत् स्वच्छ जल की पूर्ति होती रहे। ये नल (टेप) स्टेण्ड पाइप 120 से.मी. के अन्तर पर होंगे और साबुन तथा स्वच्छ टावेल पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। सल्फर संग्रहण में नियोजित सभी कर्मकारों को, जो सल्फर उठाने, रखने तथा पिघलाने का कार्य करते हों, नेल ब्रश दिया जायेगा।

18. **व्यक्ति संरक्षी उपकरण.**— (क) कर्मियों के उपयोग के लिए उपयुक्त चश्मों तथा संरक्षी वस्त्रों, जिनमें जेब रहित ऊपरी फोशाकें दस्ताने तठे जूते होंगे, की व्यवस्था की जायेगी—

(एक) द्रव आदि का नियंत्रण करने वाले वाल्वों अथवा कार्यो का परिचालन करते समय;

(दो) सल्फर पात्रों से पिघला हुआ सल्फर निकालते समय; तथा

(तीन) कोयला या सल्फर को उठाते रखते समय।

(ख) असाधारण परिस्थितियों का आपातकाल में उपयोग के लिए उपयुक्त श्वसन संरक्षी उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।

(ग) ऐसे समस्त संरक्षी उपकरणों को उचित तथा सुचारू रूप से साफ करने की व्यवस्था की जाएगी।

19. **क्लॉक रूम.**— प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों के दौरान उतारे गए वस्त्रों के रखने के लिए एक क्लोक रूम तथा ऊपरी पोशाकों या कार्य के समय पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने के लिए क्लोक रूम से पृथक् उपयुक्त यान की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा, इस कारण की व्यवस्था किया गया स्थान एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार होगा तथा उसे स्वच्छ रखा जाएगा।

20. **अप्राधिकृत व्यक्ति.**— केवल अनुरक्षण तथा मरम्मत करने वाले कर्मचारियों तथा संयंत्र परिचालन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों तथा प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ आने वाले व्यक्तियों को ही संयंत्र में प्रवेश दिया जायेगा।

21. **चिकीत्सीय परीक्षण.**— (1) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप—पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप—छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि

में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–छब्बीस
(नियम 81)

मैंगनीज तथा उसके यौगिक का विनिर्माण या उसका प्रहस्तन

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए,–

(क) **''मैंगनीज प्रक्रिया''** से अभिप्रेत है, मैंगनीज या मैंगनीज के किसी यौगिक या मैंगनीज युक्त किसी मिश्रण के किसी प्रकार का प्रसंस्करण, विनिर्माण या उसका प्रहस्तन;

(ख) **''प्रथम नियोजन''** से अभिप्रेत है, किसी मैंगनीज प्रक्रिया में प्रथम नियोजन और उसके अन्तर्गत ऐसा पुनर्नियोजन भी आता है, जो किसी मैंगनीज प्रक्रिया में निरन्तर 3 कैलेण्डर मास से अधिक कालावधि तक नियोजन में न रहने के बाद का हो;

(ग) **''प्रहस्तन''** से अभिप्रेत है, मैंगनीज या मैंगनीज के किसी यौगिक या मैंगनीज युक्त किसी अयस्क या मिश्रण को मिश्रित करना या सम्मिश्रित करना, भरना, खाली करना, पीसना, छानना, सुखाना, पैक करना, साफ करना, अन्यथा उसका हस्तन करना;

(घ) **''कार्यक्षय निकास संवातन''** से अभिप्रेत है, स्थानीय संवातन, जो धूल या धुएं या कुहासे को उसकी उत्पत्ति के स्त्रोत से हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किया गया हो, जिससे कि उसे किसी ऐसे स्थान के वायुमण्डल में निकल जाने से रोका जा सके, जहाँ कि कोई कार्य किया जाता है। कोई भी ऐसा वायु प्रवाह कार्यक्षय नहीं समझा जाएगा, जो धूल या धुएँ या कुहारे को उस स्थान से न हटा सके, जहाँ कि वह उत्पन्न होता है और जो किसी कार्य स्थान में निकल जाने तथा फैल जाने से न रोक सके।

2. **प्रयुक्ति.–** यह अनुसूची प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान को लागू होगी, जिसमें या जिसके किसी भाग में कोई मैंगनीज प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती हो।

3. **छूट.–** यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यह समाधान हो जाए कि अपवादिक परिस्थितियों के कारण या प्रक्रिया के कभी कभार होने के कारण से या किसी अन्य कारण से ऐसे प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों के संरक्षण हेतु इस अनुसूची के समस्त या उनमें से किन्हीं उपबंधों का लागू किया जाना आवश्यक नहीं है, तो वह लिखित में एक आदेश द्वारा, जिसे कि वह अपने स्वविवेक पर प्रतिसंहृत कर सकेगा, ऐसे कारखानों को ऐसी शर्तो या ऐसी कालावधि तक के लिए, जो कि वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, इन समस्त उपबंधों से या उनमें से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा।

4. **किसी प्रक्रिया का पृथक्करण.–** प्रत्येक ऐसी मैंगनीज प्रक्रिया, जिसमें मैंगनीजयुक्त धूल, वाष्प या कुहासा निर्मित हो सकता है, एक पूर्ण परिवेष्ठित पद्धति से की जाएगी या अन्यथा उसके ऐसी अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावी ढंग से पृथक् रखा जाएगा कि जिसके द्वारा अन्य संयंत्रों तथा प्रक्रियाओं के और कारखानों के किसी अन्य भागों तथा प्रक्रिया के अन्य कार्यो में नियोजित व्यक्ति प्रमाणित न हो सके।

5. **प्रक्रिया का संवातन.–** कोई भी ऐसी प्रक्रिया, जिसमें मैंगनीज युक्त धूल, वाष्प या कुहारा उत्पन्न होता हो, एक ऐसे कार्यक्षय निकास संवातन, जो धूल, वाष्प या कुहासा उत्पन्न होने के यथा व्यवहाँर्य निकटतम स्थान पर हो, के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

6. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाना, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य की निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँचों के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, तो ऐसे रखा जाएगा।

(3) मैंगनीज की किसी प्रक्रिया में नियोजित कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। ऐसी जाँच में सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फेट, खून और मूत्र में मैंगनीज की खोज हेतु जाँच और स्टेडीनेस टेस्ट अन्य न्यूरोमस्कुलर को–आर्डिनेशन टेस्ट भी शामिल होंगे, किसी भी कर्मकार को उसके कारखानें में प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे स्वस्थ प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है।

इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(7) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

7. **वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर.–** (1) कारखाने का अधिभोगी तथा प्रबंधक किसी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए काम करने के समय की उपयुक्त पोशाक (ओव्हर आल्स) तथा हेलमेट की व्यवस्था करेगा और उन्हें अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और काम करने के समय की पोशाक तथा हेलमेट किसी मैंगनीज प्रक्रिया में काम करते समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा पहने जायेंगे।

(2) कारखाने का अधिभोगी तथा प्रबंधक उपयुक्त श्वसन संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था धूल, धुएँ तथा कुहासे के प्रश्वसन को रोकने के लिए कर्मकारों द्वारा आपातकाल में उपयोग करने हेतु करेगा। ऐसे उपस्कर के पूरे सेटों की प्राप्ति संख्या सदैव कार्यस्थल के निकट रखी जाएगी और उन्हें समुचित रूप में बनाए रखा जाएगा तथा सदैव ऐसी दशा में रखा जाएगा कि जिससे उनका आसानी से उपयोग किया जा सके।

(3) अधिभोगी प्रबंधक समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर के भण्डारकरण हेतु उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा और वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की साफ–सफाई करने हेतु तथा उनके अनुरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

8. **अल्पवयस्क व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रतिषेध.–** किसी अल्पवयस्क व्यक्ति को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

9. **कार्य कक्षों में भोजन, पेय का प्रतिषेध.**– किसी भी कर्मकार को किसी भी ऐसे कार्य कक्ष में, जिसमें कोई मैंगनीज प्रक्रिया की जाती हो, भोजन, पेय, पदार्थ, पान तथा सुपारी या तंबाखू लाने या उनका उपयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

10. **भोजन कक्ष.–** किसी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्याप्त संख्या में मेजों तथा

बेंचों और भोजन गर्म करने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी। भोजन कक्ष किसी उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा और उसे स्वच्छ रखा जाएगा।

11. **प्रक्षालय की सुविधाएँ.–** मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोगों के लिए स्वच्छ और अच्छी स्थिति में एक छप्परदार प्रक्षालय स्थल की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी–

(1) एक चिकनी अभेद्य सतह वाली नांद (ट्रफ) जिसमें डाटरहित निःसार पाइप (वेस्ट पाइप) लगा होगा। नांद की लंबाई इतनी होगी कि किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से.मी. का स्थान रहे और जिसमें अधिक से अधिक 60 से.मी. की दूरी पर लगे नलों या जेट्स से सतत् जलपूर्ति होती हो या किसी भी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक धोवन कुंडी (वाश बेसिन) जिसमें एक निःसार पाइप तथा डाट लगा होगा और जिसमें सतत् जलपूर्ति होती हो, तथा

(2) पर्याप्त मात्रा में साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रश तथा साफ तौलिए।

12. **क्लॉक कक्ष.–** यदि मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अपेक्षा करे तो मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक समान घर की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा, जिसमें कार्य करने के समय के दौरान उतारे गए कपड़े रखे जा सकें और जिसमें कपड़ों को सुखाने की समुचित व्यवस्था हो।

13. **चेतावनी देने वाले फलक तथा अनुदेश.–** कारखाने के ऐसे प्रमुख स्थानों में निम्नलिखित रूप से तथा नियोजित कर्मकारों में से अधिकांश कर्मकारों की भाषा में छपी हुई चेतावनी देने वाली सूचनाएँ लगाई जाएंगी, जहाँ से कि उन्हें कर्मकारों द्वारा आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके और प्रबंधक या अधिभोगी द्वारा किसी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित समस्त कर्मकारों को उनके कर्तव्यों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में तथा अपने आपकी सुरक्षा के सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों और तरीकों के बारे में सर्वाधिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी। वे सूचनाएं सदैव ही ऐसी स्थिति में रखी जाएगी कि उन्हें पढ़ा जा सके।

चेतावनी सूचना

मैंगनीज तथा मैंगनीज यौगिक

1. मैंगनीज और उसके यौगिक की धूल, धुआँ तथा कुहासा सांस के अन्दर चले जाने पर या निगल लिए जाने पर विषाक्त हो जाता है।
2. कार्यस्थल के निकट भोजन या पानी का उपयोग न करें।
3. भोजन करने से पहले अच्छी तरह से नहा लें।
4. कार्य क्षेत्र को साफ रखें।

5. दिए गए संरक्षा वस्त्रों तथा उपस्करों का उपयोग करें।
6. जब ऐसी स्थितियों में कार्य करना अपेक्षित हो, जहाँ कि धूल, धुआँ या कुहासा सांस के साथ अन्दर चला जाना संभव हो तो इस प्रयोजन के लिए दिए गए श्वसन संबंधी संरक्षा उपस्करों का उपयोग करे।
7. यदि आप तेज सिर दर्द, दीर्घकालिक अनिद्रा या शरीर में असामान्य संवेदनाओं का अनुभव करें तो उसकी सूचना प्रबंधक को दें, जो आपकी परीक्षा तथा उपचार की व्यवस्था करेगा।

अनुसूची–सताइस
(नियम 81)

यह अनुसूची ऐसे कारखानों को लागू होगी, जिनमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण, उठाना–धरना या उपयोग होता है।

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए–

   (क) **''बेन्जीनयुक्त पदार्थ''** से अभिप्रेत है, वह पदार्थ, जिसमें बेन्जीन की मात्रा आयतन में 1 प्रतिशत से अधिक हो;

   (ख) **''प्रतिस्थापक''** से अभिप्रेत है, ऐसा रसायन, जो हानिरहित हो या बेन्जीन की अपेक्षा कम हानिकारक हो और जिसे बेन्जीन के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता हो;

   (ग) **''बन्द प्रणाली''** से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जो काम करने के कमरे के वायुमण्डल में बेन्जीन की भाप को विमुक्त नहीं होने देती;

   (घ) **''सक्षम निकास प्रवात''** से अभिप्रेत है, स्थानीकृत संवातन जिसकी व्यवस्था गैसों, भापों तथा धूल या धुएँ को यांत्रिक साधन द्वारा हटाने के लिए की गई हो, ताकि उन्हें किसी काम करने के कमरे की वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जाए तथा किसी ऐसे प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा, यदि वह ऐसी गैसों, भापों, धुओं या धूल के उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धुओं को हटाने में असफल रहता है।

2. **प्रतिषेध तथा प्रतिस्थापना.–** (क) बेन्जीन और बेन्जीनयुक्त पदार्थों का निम्नलिखित प्रक्रियाओं में उपयोग प्रतिषिद्ध किया जाता है–

   (एक) वार्निश, पेन्ट और थिनर के विनिर्माण में; और

   (दो) सफाई और डी–ग्रीजिंग कार्यों में।

   (ख) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग विलायक का तनुकारक के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह प्रक्रिया जिसमें बेन्जीन का उपयोग किया जाता है। बंद प्रणाली में नहीं किया जाए या जब तक कि उसकी प्रक्रिया उस रीति में न की जाए, जो इस प्रकार हो, मानो कि वह प्रक्रिया बंद प्रणाली में की जा रही है।

   (ग) जहाँ उपयुक्त प्रतिस्थापना उपलब्ध हो, वहीं उनका उपयोग बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के स्थान पर किया जाएगा, तथापि यह उपबंध परिशिष्ट ''क'' में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को लागू नहीं होगा।

   (घ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, राज्य सरकार द्वारा पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए खण्ड 2 पैरा (क) में अधिकथित प्रतिशत से तथा पैरा (ख) के उपबंधों से भी, ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे परिसीमित समयों के भीतर, जो कि

संबंधित नियोजकों तथा कर्मकारों से परामर्श करके अवधारित की जाए, अस्थाई रूप से छूट दे सकेगा।

3. **अन्तःश्वसन से संरक्षण.**— (क) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के उपयोग करने में अन्तर्वलित प्रक्रिया, यथासाध्य, बंद प्रणाली में चलाई जाएगी।

(ख) जहाँ बन्द प्रणाली में इस प्रक्रिया को चलाना व्यवहार्य न हो, वहाँ काम करने के कमरे को, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग किया जाना है। बेन्जीन की भाप को हटाने के लिए, ताकि काम करने के कमरे की वायु में उनकी विमुक्ति को निवारित किया जा सके। एक सक्षम निकास प्रवात से या अन्य साधनों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे कि वायु के बेन्जीन के संकेन्द्रण की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग या 80 एम.जी.एम. से अधिक न हो।

(ग) वायु में बेन्जीन की भाप के संकेन्द्रण का वायु विश्लेषण या भाप उन स्थानों पर जहाँ ऐसी प्रक्रिया, जिनमें बेन्जीन का उपयोग अन्तर्वलित करने वाली प्रक्रिया चलाई जाती हो, प्रत्येक 8 घंटे में या ऐसे मध्यान्तरों में जैसा कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता निर्देश दे, किया जाएगा तथा ऐसे विश्लेषण का परिणाम इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए पंजी में अभिलिखित किया जाएगा। यदि वायु विश्लेषण द्वारा माप किए गए अनुसार वायु में बेन्जीन की भाप को संकेन्द्रण की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग में या 80 एम.जी./एम. से अधिक हो जाती है, तो प्रबंधक ऐसे संकेन्द्रण की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की ऐसी वृद्धि के कारण अभिलिखित करते हुए तत्काल देगा।

(घ) ऐसे कर्मकारों को, जिनके कि किन्हीं विशेष कारणों से काम करने के कमरे की वाय में खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अधिक बेन्जीन से संकेन्द्रण से उत्पन्न होने की संभावना है, श्वासोच्छवास हेतु उचित फेस मास्क दिए जाएंगे। ऐसे उत्पन्न होने की समयावधि जहाँ तक संभव हो, सीमित होगी।

4. **त्वचा संस्पर्श से बचने के उपाय.**— (क) उन कर्मकारों को, जिनके बेन्जीन द्रव या बेन्जीन युक्त द्रव पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना है, उपयुक्त दस्ताने, मलवस्त्र (एप्रन) जूते और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ बेन्जीन या उसकी भाप से प्रभावित न होने वाली सामग्री से निर्मित भापरोधी रसायनिक चश्मे उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ख) उप–खंड (क) में निर्दिष्ट सुरक्षा परिधान अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

5. **अल्पवयस्क के नियोजन सम्बन्धी प्रतिषेध.**— किसी अल्पवयस्क को काम करने के किसी ऐसे कमरे में, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों में उच्छन्न होना अन्तर्वलित हो, नियोजित नहीं किया जायेगा या कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

6. **लेबल लगाना.**– ऐसे प्रत्येक पात्र पर, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थ हो, शब्द बेन्जीन तथा खतरे के अनुमोदित प्रतीक स्पष्ट दृश्य रूप में अंकित होंगे तथा उस बेन्जीन के मूल तत्व के विषय में जानकारी, उसके विषैलेपन के बारे में चेतावनी तथा इस रसायन की ज्वलनशीलता के बारे में चेतावनी प्रदर्शित की जायेगी।

7. **बेन्जीन का अनुचित उपयोग.**– (क) बेन्जीन या बेन्जीन पदार्थों का उपयोग कर्मकारों द्वारा उनके हाथ साफ करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

(ख) ऐसे दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के प्रति कर्मकारों को अनुदेश दिए जाएंगे तथा कर्मकार से, जिसके कि उसके कार्य के समरूप को ध्यान में रखते हुए द्रव बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त द्रव पदार्थों के सम्पर्क में आने की संभावना है, एक लिखित अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी कि उसने अनुदेशों का आशय पूर्ण रूप से समझ लिया है।

8. **काम करने के कमरों से खाना आदि का उपयोग करने पर प्रतिषेध.**– किसी भी कर्मकार को उस काम करने के कमरे में, जिनमें बेन्जीन तथा बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण, उठाना, धरना या उपयोग किया जाता हो, खाने की या पीने की वस्तु के भंडार करने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। काम करने के ऐसे कमरे में धूम्रपान करने या तंबाकू या पान सुपारी खाने पर प्रतिषेध होगा।

9. **जोखिम के सम्बन्ध में अनुदेश.**– प्रत्येक कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन पर बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के मूल तत्व के बारे में, जिसका उसे संव्यवहाँर करना है तथा उसमें अन्तर्वलित जोखिमों के विषय में पूर्ण रूप से अनुदेश किए जाएंगे, कर्मकारों को किसी आपात स्थिति में किए जाने वाले उपायों के बारे में अनुदेश दिए जाएंगे।

10. **सावधानी सम्बन्धी सूचनाएँ.**– सावधानी संबंधी सूचनाएँ जो कि परिशिष्ट–ख में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होंगी तथा बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा सुविधापूर्वक पढ़ी तथा समझी जाने वाली भाषा में होंगी, काम करने के कमरों में उन प्रमुख स्थानों पर जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना, धरना या उपयोग किया जाता है, प्रदर्शित की जाएंगी।

11. **धोने की सुविधाएँ, क्लॉक रूम तथा सहभोजन कक्ष.**– ऐसे कर्मकारों में जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना, धरना या उपयोग किया जाता है, अधिभोगी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा तथा उनको स्वच्छ स्थिति में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा–

(क) धोने सम्बन्धी सुविधाएं, जो कि मानक के अनुरूप प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक नल, जिसमें जल प्रदाय होता हो तथा प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से साबुन तथा एक स्वच्छ तौलिया दिया जायेगा;

(ख) एक क्लॉक रूम, जिसमें प्रत्येक कर्मकार के लिए बाहर पहनने के कपड़े तथा काम करते समय पहनने के कपड़े रखने के लिए दो खण्डों वाला एक लॉकर;

(ग) टेबलों तथा बेंचों से सुसज्जित एक सहभोजन कक्ष, जिसमें भोजन गरम करने का इंतजाम रहेगा, परन्तु जहाँ कर्मकारों के लिए उनके भोजन लेने हेतु केन्टीन या अन्य उचित इंतजाम विद्यमान हों, वहाँ मेस रूम की अपेक्षाओं का परित्याग किया जाएगा।

12. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाना, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वह नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जांच के अभिलेख, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखा जाएगा।

(3) पैरा (1) में उल्लिखित प्रक्रियाओं नियोजित प्रत्येक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में मूत्र में फीनोल का डिटेक्शन और यूरिनरी सल्फाइड रेशों और सी.एन.एस. और हेमोटोलॉजिकल जाँच शामिल होगी। किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे नियोजन हेतु उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) इस अनूसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह **प्ररूप–पच्चीस** में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति

नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(7) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

परिशिष्ट–क
(खण्ड 3 (ख))

(1) बेन्जीन का उत्पादन।

(2) वह प्रक्रिया, जिसमें बेन्जीन का उपयोग रसायन के संश्लेषण हेतु किया जाता है।

(3) मोटर स्पिरिट (जिनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है)।

परिशिष्ट–ख
(खण्ड 11)

(क) जोखिम–

(एक) बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थ हानिप्रद हैं।

(दो) बेन्जीन की भाप को लम्बे समय तक या बारम्बार श्वास के साथ लेने का परिणाम तीव्र, या जीर्ण विमुक्तिकरण होगा।

(तीन) बेन्जीन चमड़ी के द्वारा भी सोखी जा सकती है, जिससे चर्म संबंधी तथा अन्य बीमारियाँ हो सकती है।

(ख) किए जाने वाले निवारक उपाय–

(एक) बेन्जीन भाप को श्वास के साथ जाने से बचाएं।

(दो) चमड़ी में साथ बेन्जीन का लम्बे समय तक या बारम्बार संस्पर्श से बचें।

(तीन) बेन्जीन सोखे हुए या गीले वस्त्र शीघ्रता से उतार दें।

(चार) यदि किसी समय आप बेन्जीन की भाप के अत्यधिक संकेन्द्र से उच्छन्न हो जाएं तथा सिर चकराने, श्वास लेने में कठिनाई, अत्यधिक उत्तेजना तथा चेतना विहीन होने जैसे चिन्ह तथा लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो अपने प्रतिष्ठान प्रबन्धक को तुरन्त सूचित करें।

(पाँच) बेन्जीन के सभी पात्रों को बन्द रखें।

(छः) बेन्जीन तथा बेन्जीन युक्त पदार्थों का उठाना, रखना, उपयोग तथा प्रक्रिया सावधानीपूर्वक करें, ताकि वह फर्श पर गिरकर फैलने न पाए।

(सात) सामान को व्यवस्थित रूप से रखें।

(ग) उपयोग किए जाने वाले संरक्षक उपस्कर–

(एक) ऐसे स्थान में जहाँ बेंजीन की भाप अत्यधिक संकेन्द्रण में मौजूद हो, श्वसन संरक्षक उपस्कर का उपयोग करें।

(दो) स्वजनित्र ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन या वायु सिलेण्डर मास्क का आपात स्थिति में उपयोग करें।

(तीन) अपनी चमड़ी तथा शरीर के भागों को बेन्जीन के संस्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने, अप्रेन, चश्मे तथा गम बूट पहनें।

(घ) बेन्जीन के तीव्र विषाक्तीकरण की दशा में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के उपाय–

(एक) वस्त्रों को यदि वे बेन्जीन से गीले हों तो तुरन्त उतार दें।

(दो) यदि द्रव बेन्जीन आँखों में चला गया हो तो कम से कम 15 मिनिट तक स्वच्छ जल की धारा से आँखों को अच्छी तरह से धोयें और चिकित्सक को तत्काल दिखायें।

(तीन) बेन्जीन की भाप से असामान्य रूप से उच्छन्न होने की दशा में किसी चिकित्सक को तुरन्त बुलायें, उनके आने तक निम्नलिखित कार्य करें।

यदि प्रभावित व्यक्ति होश में हो तो–

(क) उसे खुले स्थान में ताजी हवा में ले जाएं।

(ख) उसे बिना तकिया के लिटा दे तथा उसे शांत और गर्म रखें।

यदि प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो तो–

(क) उसका सिर नीचे की ओर रखते हुए बायें करवट से लिटाना अधिक अच्छा होगा।

(ख) कोई नकली दांत, चूसने की मिठाई (च्यूइंगम) तम्बाखू या अन्य बाहरी पदार्थ को जो उसके मुँह में हों, निकाल दें।

(ग) यदि सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो उसे कृत्रिम सांस दे,

(घ) गहरी श्वास लेने या शरीर पर पड़ने वाले नील (चमड़ी, होंठ, कान, उँगलियों के नाखून की सतह का नीला हो जाना) की दशा में उसे चिकित्सीय ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन डाई ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उसे कृत्रिम श्वसन दिया जाए ऑक्सीजन केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही दी जाए।

अनुसूची–अठ्ठाईस
(नियम 81)
स्लेट पेंसिलों का विनिर्माण

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए–

(क) स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण से अभिप्रेत है, वर्तुलाकार आरी की सहायता या किसी अन्य साधन से, स्लेट पेन्सिलों के विनिर्माण के लिए पत्थर काटना तथा उसमें उससे आनुषंगिक प्रक्रिया जैसे पत्थर का काटना, धरना तथा उसके टुकड़े करना आरी से काटी गई धारियों पेन्सिलों को अलग करना और पेन्सिलों की गिनाई पैकिंग नोक बनाना तथा छंटाई।

(ख) **'सक्षम निकास प्रवात'** से अभिप्रेत है, स्थानीय वृत्त संवातन जिसकी व्यवस्था धूल को यांत्रिक साधन द्वारा हटाने के लिए की गई हो, ताकि उसे किसी ऐसे स्थान की जहाँ कार्य हो रहा हो, वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जा सके तथा किसी ऐसे प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा, यदि वह ऐसी धूल उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धूल को हटाने में असफल रहता है।

2 (क) आरी की सहायता से पत्थरों को काटने या पत्थर में खांचा बनाने की प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि काटने वाली या खांचा बनाने वाले उपस्कर से ऐसा एक सक्षम निकास प्रवात जोड़ नहीं दिया जाता, जो धूल उत्पन्न होने के स्थान से धूल को खींच निकालता हो और उसे कार्य के स्थान से बाहर ले जाता हो।

(ख) जहाँ निकास पंखा तथा काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर अलग–अलग मोटरों से चलाए जाते हों, वहाँ से मोटरें विद्युत से इस प्रकार अन्तर्ग्रन्थित की जाएंगी कि जब तक निकास पंखे की मोटरें काम न करें, तब तक काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मोटर को चालू करना संभव नहीं होगा।

3. (क) किसी भी अल्पवयस्क को पत्थरों को काटने या पत्थरों पर खांचा बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों पर कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) पेन्सिलों की पैकिंग पुनः पैकिंग नोक करने या छांटने खाँचों को तोड़कर खोलने या वैसे ही अन्य कार्य उसी एक शेड में नहीं किए जाएंगे, जिसमें कि पत्थर काटने या उसमें खाँचा बनाने का कार्य किया जाता हो।

4. (क) स्लेट पेंसिलों के विनिर्माण में किसी भी कर्मकार को तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी चिकित्सीय तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा नहीं ली जाती तथा

प्ररूप–पच्चीस में उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए ऐसे नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित न कर दिया गया है।

(ख) उस तारीख को, जिसको यह अनुसूची प्रवर्तन में आए स्लेट पेंसिल के विनिर्माण में नियोजित कर्मकार का उक्त तारीख से 3 मास के भीतर किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी।

(ग) स्लेट पेन्सिल, विनिर्माण में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा पैरा (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित प्रथम परीक्षण के उपरान्त प्रत्येक ऐसे अन्तराल से जो छः मास से अधिक नहीं होगी, चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे अन्तराल से, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए, रेडियोलाजिकल परीक्षण किया जाएगा।

(घ) ऐसे कर्मकार को जो पहले से ही नियोजन में हो तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, स्लेट पेंसिलों के विनिर्माण में कार्य के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक की उसकी पुनः परीक्षा नहीं की जाती और उसे उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता।

(ङ) चिकित्सा अधिकारी, किसी भी कर्मकार की विकिरण चिकित्सीय परीक्षा कराने या उसकी विरुजालयीन, रोग विज्ञान संबंधी अन्यथा परीक्षा आगे और कराई जाने या उसकी विनिर्दिष्ट चिकित्सा की जाने के लिए निर्देश दे सकेगा तथा अधिभोगी और प्रबन्धक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विनिर्दिष्ट परीक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करे और उसके भाग तथा उसे संबंधित समस्त व्यय को वहन करें।

(च) चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक परीक्षा के पश्चात् प्ररूप–पच्चीस में एक प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा।

(छ) प्रबन्धक प्ररूप–पच्चीस में समस्त प्रमाण पत्रों को एक उचित नस्ती में बनाए रखेगा तथा समस्त प्रमाणपत्र को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के समक्ष जब भी मांग की जाए, प्रस्तुत करेगा।

5. किसी भी कर्मकार को पत्थर काटने एवं खांचा बनाने वाली मशीन या किसी अन्य उपस्कर पर जो स्लेट पेंसिल के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर से धूल उत्पन्न करती हो, तब तक कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह धूल वाष्प (इस्ट मास्क) नहीं पहन लेता है।

अनुसूची–उनतीस
(नियम 81)
खतरनाक कीटनाशकों का अभिचालन या विनिर्माण

1. **लागू होना.–** यह अनुसूची, उन सभी कारखानों या उनके किसी भाग को, जिसमें खतरनाक कीटनाशकों का अभिचालन या विनिर्माण, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, चलाई जाती हो, को लागू होगी।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) **'खतरनाक कीटनाशक'** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा पदार्थ जो किसी कीट के नियंत्रण, नष्ट या विकर्षित करने के लिए या उनकी वृद्धि रोकने या वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रस्तावित हो या जिसका उपयोग किया जाता हो, जिसमें उसके अन्तर्गत उसके फार्मूलेशन, जिन्हें कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विषैला माना गया हो और अन्य उत्पाद, जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, आते हैं।

(ख) **'अभिचालन''** में मिश्रित करना ब्लेडिंग करना, फार्मलेशन बनाना भरना, खाली करना पैक करना अथवा अन्य प्रकार से कार्य करना सम्मिलित हैं।

(ग) **'सक्षम वायु निष्कासक'** से अभिप्रेत है, सीमित यांत्रिक संवातन, जो धुआँ, गैस, वाष्प, धूल या कोहरे को हटाने के लिए प्रयुक्त हो, ताकि किसी काम के कमरे, जिसमें कार्य किया जा रहा हो, की हवा में उनका प्रवेश रोका जा सके, किसी वायु निष्कासक को, यदि वह प्रक्रिया के उस बिन्दु पर, जहाँ से ऐसी गैस, धूम्र, धूल, वाष्प या कोहरा उत्पन्न हो, पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहता है तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा।

(घ) **'प्रथम नियोजन'** से अभिप्रेत है, किसी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, प्रथम नियोजन से होगा और उसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में लगातार तीन कलेण्डर मास से अधिक समय तक नियोजित न रहने के उपरान्त हुआ पुनर्नियोजन भी सम्मिलित होगा; और

(ङ) **'निलम्बन'** से अभिप्रेत है, किसी प्रक्रिया से, जिसमें कारखाना कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो ऐसी प्रक्रियाओं से सभी नियोजित व्यक्तियों को निलंबित करने के लिए सक्षम हो, स्वास्थ्य पंजी में हस्ताक्षरित लिखित प्रमाणपत्र द्वारा नियोजन में से किया गया निलम्बन।

3. **कर्मकारों को अनुदेश.–** प्रत्येक कर्मकार को, उसके प्रथम नियोजन पर उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में काम लिए जा रहे रसायनों के गुण, जिसमें खतरनाक गुण भी सम्मिलित होंगे तथा उनके अन्तर्निहित खतरों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिए जाएंगे। किसी आपात स्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस बारे में भी

नियोजितों को अनुदेशित किया जाएगा। ऐसे अनुदेश समयबद्ध रूप से दोहराए जाएंगे।

4. **सावधानी सूचनाएं और प्लेकार्ड.–** इस अनुसूची के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट रूप में और कर्मकारों के बहुमत की भाषा में छापी गई सावधानी सूचनाएँ तथा प्लेकार्ड सभी काम के स्थानों में, जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, प्रदर्शित होंगी, ताकि उन्हें कर्मकारों द्वारा आसानी और सुगमता से पढ़ा जा सके। प्रतिष्ठान के अधिभोगी और प्रबन्धक द्वारा कर्मकारों को उक्त विनिर्माण प्रक्रिया से उद्‌भूत होने वाले स्वास्थ्य के खतरों और बचाव की पद्धति के संबंध में नियतकालिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी सूचनाओं में कर्मकारों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए नियतकालिक चिकित्सीय जाँच की अपेक्षाओं के बारे में अनुदेश सम्मिलित होंगे।

5. **अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में प्रतिषेध.–** किसी अल्पवय व्यक्ति को किसी कार्य के कमरे में, जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या किसी ऐसे कमरे में जहाँ खतरनाक कीटनाशक भण्डारित हो, नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

6. **भोजन, पेय और धूम्रपान का प्रतिषेध.–** (1) किसी ऐसे कमरे में, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, किसी कर्मकार द्वारा कोई खाने का सामान, पेय, तम्बाकू, पान या सुपारी न तो लाई जाएगी न उसका उपयोग किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे कमरे में, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा।

7. **बचाव के कपड़े और बचाव उपकरण.–** (1) लम्बी पतलूनें और कमीजें या लम्बी बाजुओं के ओवराल और सिर के आवरण युक्त बचाव के कपड़ों की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकारों के लिए की जाएगी।

(2) (क) रबर के दस्ताने, गमबूट, रबर–एप्रन, रसायन सुरक्षा चश्मे और रेसपिरेटर्स को सम्मिलित करते हुए बचाव उपकरण की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकारों के लिए की जाएगी।

(ख) जहाँ कीटनाशक तेलयुक्त हों, वहाँ दस्ताने, बूट, एप्रन संश्लेषित रबर से बने हुए होंगे।

(3) कर्मकारों को, जिन्हें ऐसे कपड़े व उपकरण प्रदाय किए गए हों, वे इन बचाव के कपड़ों और बचाव उपकरणों को पहनेंगे।

(4) यदि कर्मकार, निकोटीन या फास्फोरस युक्त कीटनाशक का कार्य करते हों तो कपड़ों व उपकरणों को रोजाना अन्दर से और बाहर से धोया जाएगा और यदि अन्य कोई कीटनाशक का प्रबन्धन करते हों तो, वे (बार–बार) धोए जाएंगे।

(5) बचाव के कपड़े और उपकरणों को अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जायेगा।

8. **फर्श और काम की बेन्च.**– (1) प्रत्येक कमरे के, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, फर्श सीमेन्ट या अन्य अभेद्य पदार्थ का चिकनी सतह वाले होंगे।

(2) फर्श अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित और नाली तक जाने वाले पर्याप्त ढलान वाले होंगे और दिन में एक बार होज पाइप से पूरी तरह धोए जाएंगे।

(3) काम की बेंचें, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, चिकनी तथा असोख पदार्थ प्रमुखतः स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी और प्रतिदिन कम से कम एक बार साफ की जाएंगी।

9. **बिखराव और कचरा.**– (1) यदि खतरनाक कीटनाशक, उसके अभिचालन के दौरान काम की बेंच, फर्श या कर्मकार द्वारा पहने हुए बचाव के कपड़ों पर फैल जाए या बिखर जाए तो ऐसे स्थान या ऐसी वस्तुओं को पूरी तरह अदूषित किए जाने की तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

(2) खतरनाक कीटनाशक में भीगे या लिपटे हुए कपड़े, चिन्दियाँ, कागज या अन्य पदार्थ उपयुक्त पात्र, जिसमें कसा हुआ ढक्कन हो, में एकत्र किए जाएंगे, संदूषित कचरे को सप्ताह में कम से कम एक बार जलाकर नष्ट किया जाएगा।

(3) जहाँ उपलब्ध हो, उपयुक्त निष्क्रिय कारक अभिकर्ता, जब बिखराव हो तो उसको संभालने के समय उपयोग में लेने हेतु तत्काल पहुंच गम्य स्थान पर रखे जाएंगे।

(4) संयंत्र से सभी भागों में सफाई, अनुरक्षण और मरम्मत हेतु, पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे।

10. **खतरनाक कीटनाशक के उपयोग में लिए गए खाली कन्टेनर्स.**– खतरनाक कीटनाशक के उपयोग में दिए गए कन्टेनर रद्द करने या नष्ट करने से पूर्व उसमें बचे हुए पदार्थ को पूरी तरह साफ और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उपचारित किया जायेगा।

11. **हाथ से कार्य करना.**– (1) खतरनाक कीटनाशक का या लम्बे हेंडल वाले कलछी साधन से किए गए अभिचालन के अलावा अन्य प्रकार से हाथ से करने की अपेक्षा या अनुमति नहीं होगी।

(2) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन के दौरान उसके शरीर के किसी भी भाग से सीधे समपर्क से बचा जायेगा।

12. **संवातन.**– (1) प्रत्येक कार्य के कमरे या क्षेत्र, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, में हर समय ताजी हवा के परिचालन से पर्याप्त संवातन की व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रक्रिया जब तक पूरी तरह से बन्द न हो, खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन के दौरान निम्नलिखित कार्य सक्षम वायु निष्कासक के बिना नहीं किए जाएंगे–

(क) खतरनाक कीटनाशक से भरे पात्र को खाली करना;

(ख) खतरनाक कीटनाशक का मिश्रण करना;

(ग) खतरनाक कीटनाशक युक्त द्रव या पाउडर तैयार करना और

(घ) खतरनाक कीटनाशक को एक कन्टेनर, टैंक, हापर या मशीन या छोटे आकार के कन्टेनर में बदलाव या भरना।

(3) उपरोक्त प्रचालन में लगाया हुआ वायु निष्कासन असफल हो जाने पर उक्त प्रचालन का किया जाना बन्द कर दिया जाएगा।

13. **प्रक्षालन हेतु अनुज्ञात समय.–** (1) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन में लगे हुए प्रत्येक कर्मकार को भोजन अवकाश और दिन का कार्य समाप्त होने से पहले नियमित विश्राम मध्यान्तर के अतिरिक्त कम से कम 10 मिनट का समय प्रक्षालन हेतु दिया जायेगा।

(2) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन में लगे हुए प्रत्येक कर्मकार को कोई भी खाने की वस्तु खाने से पूर्व तथा दिन का कार्य खत्म होने की पूरी तौर से प्रक्षालन करना होगा।

14. **प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ.–** (1) जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हों, वहाँ सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए साफ हालत और अच्छी मरम्मत से अनुरक्षित पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान के स्थान बने होंगे, जिनमें छायादार जगह पर प्रति 5 नियोजित व्यक्तियों की दर से एक ऐसे स्थान पर उपयोग के लिए निरन्तर जल प्रदाय भी होगा।

(2) प्रक्षालन स्थान पर एक मीटर के अंतर से स्टेण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम स्नानागार नहीं होंगे।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय किए जाएंगे:

परन्तु, यह कि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यदि आदेशित किया गया हो तो प्रत्येक कर्मकार का व्यक्तिगत रूप से ऐसे तौलिए प्रदाय किए जाएंगे।

(5) पर्याप्त साबुन और नाखुनों के ब्रुश प्रदाय किए जाएंगे।

15. **क्लॉक रूम.–** कारखाने, जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए–

(क) काम करने के समय के दौरान कपड़े उतारने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था, जिसमें यदि कपड़े गीले हों तो कपड़े सुखाने की व्यवस्था होगी, और

(ख) पैरा 7 के अधीन प्रदाय किए गए बचाव के कपड़ों के भण्डारण हेतु उपयुक्त और पृथक व्यवस्था की जाएगी और उसे अनुरक्षित किया जाएगा।

16. **भोजन कक्ष.–** (1) प्रतिष्ठान, जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, में नियोजित सभी कर्मकारों के, जो विश्राम के मध्यान्तर में वहाँ रुक जाता हों, के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष बनाया व अनुरक्षित किया जाएगा, और जो–

(क) पर्याप्त टेबिलों और पीछे टेक सहित बैंच;

(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन से सज्जित होगा।

(2) भोजन कक्ष जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखा जाएगा।

17. **अभिचालन का न किया जाना.–** किसी प्रतिष्ठान में कीटनाशक का विनिर्माण या अभिचालन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी खतरनाक प्रकृति या अन्यथा होने के संबंध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

18. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के सात दिन के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और किसी कर्मकार को जब तक कि उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु प्ररूप–पच्चीस में फिटनेस प्रमाणपत्र द्वारा स्वस्थ प्रमाणित न कर दिया गया हो, काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को 6 कैलेण्डर मास में से कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जायेगा।

(3) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के परीक्षण हेतु व्यवस्था के संबंध में चिकित्सा अधिकारी से व्यवस्था हेतु सहमति मिलने के उपरान्त संबंधित कर्मकारों और चिकित्सा अधिकारी को उपयुक्त सूचना दी जायेगी।

(4) प्ररूप–28 में स्वास्थ्य पंजी में रखा जायेगा।

(5) किसी कर्मकार को निलम्बन पश्चात् स्वास्थ्य पंजी में या उससे संलग्न किए गए चिकित्सा अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना, नियोजित नहीं किया जाएगा। काम के लिए अस्वस्थ होते हुए इस प्रकार प्रक्रिया से निलम्बित व्यक्ति को कारखाना प्रबन्धक द्वारा वैकल्पिक नियोजन की व्यवस्था की जाएगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जायेगा।

(6) अधिभोगी इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा जो सप्ताह में एक बार एवं जब भी आवश्यक हो कारखानें के परिसर में प्रक्रिया पर नियोजित सभी कर्मकारों का खतरनाक कीटनाशकों के अत्यधिक अवशोषण के प्रभाव के संबंध में परीक्षण एवं चिकित्सा करेगा।

(7) आपातकाल में अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की तत्काल उपलब्धता निश्चित करने के लिए अधिभोगी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(8) अधिभोगी खतरनाक कीटनाशक के अत्यधिक शोषण के इलाज के लिए अपेक्षित उपकरणों और प्रतिरोधक और दवाओं का प्रदाय करेगा।

(9) ऐसे परीक्षण, इलाज और जाँचों के अभिलेख रखे जाएंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(10) किसी कारखाने में, जहाँ ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, कर्मकारों के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता निर्दिष्ट अन्तराल से उपयुक्त क्लिनिकल जाँच या जांचों के कराए जाने के लिए आदेशित कर सकेगा, ऐसी जाँच या ऐसी जाँचों के प्रभार नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे।

(11) किसी कारखाने, जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, के प्रत्येक कर्मकार को निर्धारित परीक्षण, जाँच और इलाज कराना होगा।

(12) इस अनूसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(13) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(14) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(15) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जाएंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जाएंगे।

19. **छूट.–** यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि उसकी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की न्यून आवृत्ति या किसी अन्य कारण से, जिन्हें वह लिखित में अभिलिखित करे, प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकार के बचाव के लिए इस अनुसूची

के सभी या कोई उपबन्ध आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाणपत्र द्वारा ऐसे प्रतिष्ठान को सभी या किसी उपबन्ध से ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, छूट दे सकेगा। ऐसा प्रमाणपत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा कारणों को अभिलिखित करके किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा।

परिशिष्ट
सावधानी सूचना

1. इस संयंत्र में, जिन रसायनों का कार्य किया जाता है, वे विषैले हैं।
2. इस क्षेत्र में धूम्रपान, खाना या पेय पीना, तम्बाखू चबाना प्रतिषिद्ध है। इस क्षेत्र में कोई खाने की वस्तु या पेय नहीं लाया जाएगा।
3. इन रसायनों में से कुछ रसायन चमड़ी द्वारा सोखे जा सकते हैं और विषैला प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
4. खाना खाने से पहले भली प्रकार प्रक्षालन करें।
5. पाली समाप्त होने पर अच्छी तरह स्नान करें।
6. इस क्षेत्र में काम करते हुए प्रदाय किए गए बचाव के कपड़े व उपकरणों का उपयोग करें।
7. कीटनाशकों के कन्टेनर खाने की सामग्री रखने के उपयोग में न लाएं।
8. शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर या काम की बैंच पर रसायन फैल जाने पर उसे पानी से तत्काल धो दिया जाए।
9. रसायन फैल जाने से संदूषित कपड़े तत्काल अलग कर दिए जाए।
10. इस क्षेत्र में अधिक सफाई रखी जाएगी।
11. नंगे हाथों से कीटनाशकों का कार्य न करें, हैण्डल लेग, कलछी का उपयोग करें।
12. जी–मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आने जैसी बीमारी की दशा में प्रबन्धक को सूचना देवें, जो इलाज हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगें।
13. सभी कर्मकार अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नियमित रूप से विहित चिकित्सीय जाँच हेतु रिपोर्ट करें।

अनुसूची–तीस

(नियम 81)

कारसिनों जैनिक (कैन्सरकारक) डाय इन्टरमीडियेट का विनिर्माण या अभिचालन

1. **लागू होना.–** यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उसके किसी भाग को लागू होगी, जहाँ कि प्रक्रियाओं में खण्ड 3 और 4 में उल्लिखित पदार्थ बनाए, विनिर्मित किए जाते हैं, उनका कार्य का उपयोग किया जाता है और उन उपदर्शित प्रक्रियाएँ, इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रक्रियाएं' के रूप में निर्दिष्ट की गई हैं और ऐसे निर्देश का अभिप्रेत होगा, इस पैरा में वर्णित कोई भी या सभी प्रक्रियाएँ।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

   (क) **'नियंत्रित पदार्थ'** से अभिप्रेत है इस अनुसूची के खण्ड 4 में वर्णित रासायनिक पदार्थ;

   (ख) **'प्रथम नियोजन'** से अभिप्रेत है उक्त प्रक्रियाओं में प्रथम नियोजन और ऐसी प्रक्रियाओं में लगातार तीन कैलेण्डर मास से अधिक की कालावधि के लिए नियोजन समाप्त हो जाने के उपरान्त पुनर्नियोजन से भी है;

   (ग) **''सक्षम वायु निष्कासक'** से अभिप्रेत किसी स्थान, जहाँ काम किया जाता हो, से गैस, वाष्प, धूल या धूम को यांत्रिक साधनों से प्रभावशील किए गए सीमित संवातन से है, ताकि उस स्थान की वायु में उनके फैलाव को रोका जा सके। किसी वायु निष्कासक को उसी गैस, वाष्प, धूम्र और धूल जहाँ से उत्पन्न हो, उस बिन्दु से पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहे तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा; और

   (घ) **'प्रतिषिद्ध पदार्थ'** से अभिप्रेत इस अनुसूची के खण्ड 3 में उल्लिखित रासायनिक पदार्थों से है।

3. **प्रतिषिद्ध पदार्थ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ 'प्रतिषिद्ध पदार्थ' के रूप में वगीकृत होंगे, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि यह पदार्थ उपस्थित होंगे या रसायनिक प्रतिक्रिया में उपोत्पादक की तरह बनेंगे और उनकी कुल सान्द्रता एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

   (क) वीटा–नेप्थाइल एमीन और उसके लवण;

   (ख) बेंजीन और उसके लवण;

   (ग) 4–अमीनो डाइफिनाइल और उसके लवण;

   (घ) 4–नाइट्रोडाइफिनाइल और उसके लवण; तथा

   (ङ) इन यौगिकों से युक्त कोई पदार्थ।

4. **'नियंत्रित पदार्थ'.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रसायनिक पदार्थ 'नियंत्रित पदार्थ' की तरह वर्गीकृत होंगे –

(क) अल्फा–नेफ्थाइल एमीन या एक प्रतिशत से अनधिक या बीटानेफ्थाइल एमीन युक्त अल्फानेफ्थाइल एमीन जो कि या तो रसायनिक, प्रतिक्रिया के उप–उत्पादन या अन्य किसी रूप में हो और उसके लवण;

(ख) ओर्थो–टोल्यूडाइन और उसके लवण;

(ग) डाइनिजिडाइन और उसके लवण;

(घ) हाई क्लोरो वैन्जिडाइन और उसके लवण;

(ड़) अरामिनय और

(च) मैग्नेट्ट।

5. **नियोजन का प्रतिषेध.–** किसी कारखाने, जिसमें प्रतिषिद्ध पदार्थों को बनाया, विनिर्मित, प्रसंस्कृत किया जाता हो या उनका कार्य उपयोग किया जाता हो, में किसी कर्मकार को उक्त प्रक्रियाओं में केवल उसी दशा में के सिवाय जब कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ने खण्ड 23 के अनुसार छूट प्रदान की गई हो, नियोजित नहीं किया जाएगा।

6. **नियंत्रित पदार्थों के प्रसंस्करण या कार्य करने के लिए अपेक्षाएँ.–** (1) जहाँ कहीं खण्ड 4 में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ बनाए, विनिर्मित, प्रसंस्कृत किए जाते हों या उनका कार्य या उपयोग किया जाता हो, वहाँ कर्मकारों द्वारा जबकि वे उक्त पदार्थ के प्रसंस्करण में और उसके संयंत्र के अन्दर भण्डारण क्षेत्रों के अनुसरण में लगे होने के दौरान उक्त नियंत्रित पदार्थ के श्वासित करने, खाने अथवा शोषित करने से सभी व्यवहाँरिक कदम उठाए जाएंगे।

(2) जहाँ तक संभव होगा, सभी कार्य पूरी तरह बन्द प्रणाली से किए जाएंगे। जहाँ कहीं ऐसे बन्द आवरण संभव न हों, वहाँ उस बिन्दु पर, जहाँ से प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित पदार्थ के वायुमंडल में मिलने की संभावना हो, सक्षम वायु निष्कासन प्रयुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रित पदार्थ कारखाने में, कस कर बन्द किए गए कन्टेनरों में ही प्राप्त किए जाएंगे और केवल जब यह पदार्थ प्रक्रिया या उपभोग में हों, के अलावा वैसे ही रखे जाएंगे। नियंत्रित पदार्थ प्रतिष्ठान से उपयुक्त प्रकार के कस कर बन्द किए गए कन्टेनरों में ही भेजे जाएंगे। सभी कन्टेनरों पर उसके अन्तर्गत वस्तु के बारे में बताते हुए स्पष्ट लेबल लगे होंगे।

7. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण.–** (1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निम्नलिखित वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी और वे उन्हें दी जाएंगी–

(क) लम्बे पतलून और पूरी बाह की कमीजें या ओवराल और शिरस्त्राण, कमीजें या ओवराल से गरदन को पूरी तौर से ढंका जाएगा।

(ख) रबर के गम बूट।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में जब सामान्य कार्य या आपातकाल के अवसर पर कार्य के दौरान चोट का खतरा हो, तो उनमें नियोजित कर्मकारों के उपयोग के लिए

पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की निम्नलिखित वस्तुएँ प्रदाय की जाएंगी–

(क) हाथ के रबर के दस्ताने;

(ख) रबर स्प्रनय; और

(ग) एअर–लाइन–रेस्पिरेटर या अन्य उपयुक्त रेस्पिरेटरी सुरक्षा उपकरण।

(3) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की सभी वस्तुओं को साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में और अच्छी ममत की दशा में अनुरक्षित करना प्रबन्धक की जिम्मेदारी होगी।

8. **अल्पवयस्क के नियोजन के संबंध में प्रतिषेध.–** किसी कमरे में जिसमें उक्त प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, किसी अल्पवयस्क को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी।

9. **काम के कमरे के फर्श.–** प्रत्येक कमरे, जिसमें उक्त प्रक्रिया चलाई जाती हो, के फर्श–

(क) चिकने और जल–अभेद्य होंगे, परन्तु यह कि फर्श निर्माण में एस्फाल्ट या कोलतार का उपयोग नहीं होगा;

(ख) अच्छी मरम्मत की हालत में अनुरक्षित होंगे;

(ग) आसानी से सफाई के लिए उपयुक्त ढलान युक्त और नाली युक्त होंगे; और

(घ) प्रतिदिन धोए जाएँगे और धुलाई का पानी बन्द नाली में से सीवर में जायेगा।

10. **खाली कन्टेनरों का निर्वतन.–** नियंत्रित पदार्थों को रखने के उपयोग में लिए गए खाली कन्टेनरों के त्यक्त किए जाने के पूर्व उसकी अन्तर्वस्तुओं की पूरे तौर पर सफाई की जाएगी और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उनका उपचार किया जायेगा।

11. **हाथ से कार्य.–** नियंत्रित पदार्थों को केवल दस्तेयुक्त करछुल या बेलचे के साधन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से मिश्रित करने, भरने, खाली करने, कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे करछुल या बेलचों को रोजाना पूरी तरह से साफ किया जायेगा।

12. **जोखिम के संबंध में अनुदेश.–** प्रत्येक कर्मकार को उक्त प्रक्रिया में प्रथम नियोजन पर उन विषैले पदार्थों, जिनसे कि उसके आरक्षित रहने की संभावना हो, के गुणों, उसमें अंतर्निहित खतरों तथा बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिये जायेंगे। कर्मकारों को आपात स्थिति से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में भी अनुदेश दिये जायेंगे।

13. **सचेतक कार्ड.–** इस अनुसूची से संलग्न परिशिष्ट में निर्दिष्ट प्ररुप में और उक्त प्रक्रिया में नियोजित बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपवाकर प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थानों में, जहाँ यह पट्ट असानी से देखे और सुगमता से पढ़े जा सके, पर सचेतक कार्ड लगाए जायेंगे। ऐसे सभी कर्मकारों को सचेतक कार्ड में निहित पूर्वावधानियों के बारे में समय–समय पर अनुदेश देने की व्यवस्था प्रबंधक द्वारा की जायेगी।

14. **कर्मकारों के कर्तव्य.**— यह नियोजित कर्मकारों का कर्तव्य होगा कि, वे स्वयं को मूत्र के एक्सफोलिवेटीव साईट्रोलॉजी की जाँच सहित अन्य परीक्षणों के लिए चिकित्सा अधिकारी अथवा योग्य चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष प्रस्तुत रखें।

15. **प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ.**— (1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रक्षालन और स्थान की सुविधाएं प्रदाय की जाएंगी और उन्हें साफ हालत और अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखा जाएगा—

(क) ऐसे कर्मकारों के लिए प्रति 5 कर्मकारों के लिए कम से कम एक स्टैंड पाईप और निरंतर जल प्रदाय युक्त छायादार प्रक्षालन स्थान उपलब्ध होगा। साथ में ही वहाँ साफ तौलिए, साबुन, नाखुन साफ करने के ब्रश का प्रदाय होगा;

(ख) उप—पैरा (क) के अधीन प्रदाय स्टैंड पाईपों में से 50 प्रतिशत स्नानगारों में होंगे, जहाँ प्रतिष्ठान के कार्य समय के दौरान और उसके 1 घंटे बाद तक गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का पानी उपलब्ध कराया जायेगा;

(ग) प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ, उक्त प्रक्रियाएँ जहाँ स्थित हो, उस क्षेत्र के समीप ही होंगी;

(घ) प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत तौर पर साफ तौलिए प्रदाय होंगे; और

(ङ) उप—पैरा (क) उल्लिखित टोंटियों के अतिरिक्त हरेक तल पर एक स्टैंड होगा, जिसमें गर्म पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) कारखाने की वर्दियों और अन्य काम के कमरों की हर रोज धुलाई किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

16. **कार्य के कमरे में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेध.**— ऐसे किसी भी कमरे में, जहाँ उक्त प्रक्रिया चलाई जाती है, कोई भी कर्मकार खाद्य वस्तु, पेय, पान सुपारी या तंबाकू का उपयोग नही करेगा या धूम्रपान नही करेगा और कोई भी कर्मकार खाने या विश्राम के अंतरालों में ऐसे कमरों में नही रहेगा।

17. **क्लॉक रुम.**— उक्त प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के उपयोग के लिए साफ और अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित —

(क) क्लॉक रुम उपलब्ध होगा, जिसमें एक बाहर के कपड़ों के लिए और दूसरा काम के कपडों के लिए, ऐसे दो खानों में लॉकर होंगे या और

(ख) लॉकर रुम और भोजन कक्ष से अलग एक ऐसे स्थान की व्यवस्था होगी, जहाँ प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों का भंडार किया जा सकेगा और ये स्थान किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखे जाएंगे।

18. **भोजन कक्ष.**— उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों के, जो भोजन के मध्यावकाश के दौरान प्रतिष्ठान प्रक्षेत्र में ही रह जाते हो, उपयोग के लिए एक भोजन कक्ष बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा, टेबिलों और बेन्चों से सज्जित तथा भोजन गर्म करने की उपयुक्त साधन युक्त होगा।

19. **प्रक्षालन हेतु समय की अनुमति.**— उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को स्नान के लिए हरेक पाली समाप्त होने से पूर्व 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके

अतिरिक्त प्रत्येक भोजनावकाश के पहले प्रक्षालन के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

20. **नियोजित व्यक्तियों की आयु पर निर्बन्धन.–** 40 वर्ष से कम आयु के किसी कर्मकार को उक्त प्रक्रियाओं में इस अनुसूची के कारखाने को लागू होने के दिनांक के पश्चात् प्रथम बार नियोजित नहीं किया जाएगा।

21. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में, ऐसी जांच, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, शामिल होंगी और मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलाजी सम्मिलित होंगी, किसी भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन पश्चात् कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए उसे फिट प्रमाणित न कर दिया जाए।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का 6 कैलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में ऐसी जॉच सम्मिलित होगी, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, लेकिन मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलाजी उसमें अवश्य सम्मिलित होगी।

(3) चिकित्सा अधिकारी द्वारा पैरा (1) के अधीन चिकित्सीय परीक्षण किए गए व्यक्ति को प्ररुप–15 में फिटनेस का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। पैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट किए गए एक परीक्षण के अभिलेख, जिसमें जॉच की प्रकृति व परिणाम भी सम्मिलित होंगे, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्ररुप–28 में स्वास्थ्य पंजी में अंकित किए जाएंगे।

(4) फिटनेस का प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य पंजी, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होंगे, रखे जाएंगे।

(5) प्रत्येक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी, इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा और उक्त चिकित्सा व्यवसायी को पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(6) इस अनूसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(7) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में

उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(8) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(9) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

22. **छूट–प्रतिषिद्ध पदार्थ.–** (1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाणपत्र द्वारा (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) किसी प्रक्रिया, जिसके दौरान प्रतिषिद्ध पदार्थ के बनाने, प्रसंस्कृत करने, विनिर्भित करने उसका कार्य या उपयोग किया जाता हो, को खण्ड 5 के उपबन्धों से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करें, छूट दे सकेगा। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रक्रिया पूरे तौर पर बन्द और एयर टाइट शील प्रणाली से इस प्रकार की जाती है कि प्रतिषिद्ध पदार्थ केबल उतनी ही मात्रा, जितनी कि प्रक्रिया के नियंत्रण हेतु अपेक्षित है या जैसी उत्पाद को किसी भी प्रतिषिद्ध पदार्थ से रहित बनाने के लिए आवश्यक हो, से अनधिक मात्रा में नहीं निकाला जाता।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड के विनिर्माण का या उपयोग की अनुमति दे सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उससे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी तरह बन्द प्रणाली से इस प्रकार की जाती हों कि केवल बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड को छोड़कर अन्य कार्य प्रतिषिद्ध पदार्थ केवल उतनी ही मात्रा में, जितनी कि प्रक्रिया के नियंत्रण के प्रयोजन जैसी कि उत्पादन की प्रतिषिद्ध पदार्थ रहित बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, अनधिक नहीं निकाली जाए और बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड जब कि पूर्ण बन्द प्रणाली में न हो, को छोड़कर, को सभी समय दो भाग बेन्जेडाइन हायड्रोक्लोराइड को एक भाग पानी से कम न हो, इस अनुपात में गीला कर रखा जाए।

23. **छूट सामान्य.–** यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में या प्रक्रिया को न्यून आवृत्ति या अन्य किसी कारण से मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध कर्मकारों के

बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाणपत्र (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) ऐसे प्रतिष्ठान को सभी या ऐसी किसी भी उपबन्ध से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करें, छूट प्रदान कर सकेगा।

अनुसूची–इकतीस
(नियम 81)
उच्च शोर स्तर अन्तर्निहित करने वाले कार्य

1. **लागू होना.–** यह अनुसूची किसी भी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सभी कार्यों, जिसमें उच्च शोर स्तर हो, को लागू होगी।

2. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

   (क) **'शोर'** से अभिप्रेत है, अनचाही ध्वनियों;

   (ख) **"उच्च शोर स्तर'** से अभिप्रेत है, ए–वेटेड स्केल पर मापे गए शोर स्तर, जो 90 डेसीबल 5 या उससे अधिक हो;

   (ग) **'डेसीबेल'** से अभिप्रेत है, बेल के दसवें भाग, जो कि निर्दिष्ट या वास्तविक संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए गए लोगरेथिम पैमाने का मूल भाग है, बेल संख्या इस अनुपात के 10 के आधार पर लोगरेथिम को व्यक्त करती है। शोर का स्तर (या ध्वनि के दबाव का स्तर 20, 10–6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या 0.0002 डायन प्रति वर्ग सेन्टीमीटर, जो कि सुनने की दहलीज अर्थात् औसतन स्वस्थ सुनने वाले को सुनाई देने के लिये ध्वनि का आवश्यक न्यूनतम स्तर है, के समतुल्य है, डेसीमल का संक्षेप रुप डीबी है;

   (घ) **'आवृत्ति'** से अभिप्रेत है, दाव परिवर्तन की दर, जो सायकल प्रति सेकण्ड या हर्टज में व्यक्त की जाती है;

   (ङ) **'डीबीए'** डेसीबेल में ध्वनि स्तर को व्यक्त करता है, जो कि आउन्डेलेबल मीटर जो धीमी गति से चलित मोटर और ए–वेटेड नेटवर्क पर संचालित से मापी गई हो;

   (च) **'ए–वेटिंग'** से अभिप्रेत है, शोर मापने के प्रयोजन के लिए विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि की तीव्रता के लिए किए गए क्रमिक संशोधन, ताकि एक यंत्र द्वारा मापी गई घ्वनि के दबाव का स्तर मनुष्य के काम द्वारा वास्तविक रूप से अनुभव की गई घ्वनि के अनुसार ही माप को प्रकट करें।

3. **शोर से बचाव.–** प्रत्येक कारखाने में उपयुक्त अभियांत्रिकी नियंत्रण या प्रशासकीय उपाय, जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यवहाँरिक हो, यह सुनिश्चित करने हेतु किए जाएंगे कि कोई भी कर्मकार, नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय शोर के अनावरण स्तर से अधिक ध्वनि स्तर से अनावरित न हो–

सारणी–1
निरन्तर शोर की स्थिति में अनुज्ञेय अनावरण

अनावरण का कुल समय (निरंतर या लघु अनावरण अवधियों में)	ध्वनि का दबाव स्तर डीबीए में

प्रतिदिन घंटों में	
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
$1^{1/2}$	105
1	102
$^{3/4}$	107
$^{1/2}$	110
$^{1/4}$	115

टिप्पणी– (1) 115 डी.बी.ए. से अधिक किसी भी अनावरण की अनुमति नहीं होगी।

(2) किसी अंक और उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसा कि सारणी के कॉलम (1) में इंगित है, के बीच में आने वाले किन्ही अनावरण अवधि के लिए ध्वनि के अनुज्ञेय दबाव का स्तर अनुपातिक आधार पर सीमांकन (ग्राफ) द्वारा अवधारित किया जाएगा।

सारणी–2

झटके या आघात शोर के लिए अनुज्ञेय अनावरण स्तर

उच्चतम ध्वनि का दबाव स्तर की डीबी में	अनुज्ञेय झटकों या आघातों की संख्या प्रतिदिन
(1)	(2)
140	100
135	345
130	1,000
125	3,160
120	10,000

टिप्पणी–(1) 140 डी.बी. उच्चतम ध्वनि स्तर से अधिक पर अनावरण की अनुमति नहीं होगी।

(2) किसी अंक ओर उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसा कि सारणी के कॉलम (1) में इंगित है, के बीच में आने वाली उच्चतम ध्वनि दाब स्तर के लिए अनुज्ञेय प्रति दिवस आधातों की संख्या अनुपातिक आधार पर सीमांकन (ग्राफ से) द्वारा अवधारित की जायेगी।

(3) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए यदि ध्वनि स्तर में परिवर्तन एक सेकण्ड या कम के अन्तराल में अधिकतम अन्तर्निहित हो, तो उक्त शोर को निरन्तर शोर माना जायेगा और सारणी–1 में दिया हुआ मानदंड लागू होगा। अन्य स्थितियों में शोर को झटके का या आघातजन्य शोर मानते हुए सारणी–2 में दिया हुआ मानदंड लागू होगा।

(4) जब दैनिक शोर अनावरण में विभिन्न स्तरों की शोर अनावरण की दो या अधिक कालावधि शामिल हो तो उनके अकेले अलग प्रभाव के बजाए सम्मिलित प्रभाव का आकलन करना होगा। यदि निम्न सूत्र का योग इकाई से अधिक हो तो संयुक्त प्रभाव की सीमा से अधिक माना जाना चाहिए।

$$\frac{\text{क1}+}{\text{ट1}} + \frac{\text{क2}+}{\text{ट2}} + \frac{\text{कन}+}{\text{टन}}$$

यहां क1, क2 आदि एक निर्दिष्ट शोर के स्तर पर अनावरण के वास्तविक कुल समय को व्यक्त करते हैं और ट1, ट2, आदि उक्त स्तर पर अधिकतम अनुज्ञेय अनावरण समय को व्यक्त करते हैं। उपरोक्त संगणना में 90 डीबीए से कम स्तर के शोर अनावरण को छोड़ा जा सकता है।

(5) जहाँ पैरा (1) में विनिर्दिष्ट शोर अनावरण स्तर को उपयुक्त व्यवहाँरिक अभियांत्रिकीय नियंत्रण या प्रशासकीय उपायों द्वारा कम करना संभव न हो, वहाँ जहाँ तक संभव हो, वहाँ तक ऐसे उपायों द्वारा शोर अनावरण कम किया जायेगा और प्रत्येक अनावृत्त कर्मकार को उपयुक्त इअर प्रोटेक्टर प्रदाय किए जायेंगे, ताकि उसका शोर से अनावरण पैरा (1) में विनिर्दिष्ट स्तर तक कम किया जा सके।

(6) जहाँ पैरा (4) के अनुसार प्रदाय किए गए इअर प्रोटेक्टर, कर्मकार द्वारा उसे पहनने पर भी उसके कानों तक पहुंचने वाले शोर को, जैसा कि डीबीए में उक्त इअर प्रोटेक्टर के संबंध में कम किया जाकर नियत किया जाये। सारणी 1 और 2, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन अनुज्ञेय स्तर तक कम न किया जा सके तो शोर अनावरण, अनुज्ञेय अनावरण तक उपयुक्त रूप से घटाई जाएगी।

4. **चिकित्सीय परीक्षण.**—(1) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्ररूप—पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप—छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–बत्तीस
(नियम 81)
विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रैयान (कृत्रिम रेशम) का विनिर्माण

1. **परिभाषाएँ.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) **'अनुमोदित'** से अभिप्रेत है, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लेखी में अनुमोदित;

(ख) **'ब्रीदिंग–एप्रैटस'** से अभिप्रेत है, एक शिरस्त्राण या मुखौटा, जिसमें आवश्यक संयोजन हो और जिसका उपयोग विषैले यथा दम घोंटू (फिक्सिटिंग) अथवा असहनीय वातावरण में स्वासित अदूषित हवा के लिए व्यक्ति कर सके या कोई अन्य अनुमोदित उपकरण;

(ग) **'चर्न'** से अभिप्रेत है, उस पात्र, जिसमें क्षारीय सैल्यूलोज पलप कार्बन–डाइ –सल्फाइड से उपचारित किया जाए;

(घ) **'डम्पिंग'** से अभिप्रेत है, सूखे चर्न से सैल्यूलोज जैन्थेट जिडाल्वर (घोलक) में स्थानान्तरण;

(ङ) **'सक्षम वायु निष्कासक'** से अभिप्रेत है, किसी गैस अथवा वाष्प को हटाने के लिए यांत्रिकीय साधनों द्वारा सीमित संवातन, ताकि वह किसी ऐसे स्थान में, जहाँ काम किया जाता हो, की हवा में उनका निःसृत होना रोका जा सके। किसी वायु निष्कासक को यदि वह उस बिन्दु पर, जहाँ ऐसी गैस या घूम उत्पन्न होती हो, वहाँ से पैदा हुई गैस या घूम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में असफल हो तो उसे सक्षम नहीं माना जायेगा;

(च) **'फ्यूम प्रक्रिया'** से अभिप्रेत है, किसी ऐसी प्रक्रिया, जिसमें कार्बन–डाय–सल्फाइड या डायड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या विसर्जन होता है;

(छ) **'लाइफ बैल्ट'** से अभिप्रेत है, चमड़े या अन्य उपयुक्त पदार्थ से बने बैल्ट, जिसे कि शरीर के चारों ओर सुरक्षापूर्वक कसा जा सके और जिसमें उपयुक्त लंबाई की रस्सी जुड़ी हुई हो और जिनमें प्रत्येक पर्याप्त रूप से मजबूत हो, ताकि वह मनुष्य का वजन को संभाल सके;

(ज) **'सुरक्षा उपकरण'** से अभिप्रेत है, उपयुक्त पदार्थ के बने एप्रन, चश्मे, मुखौटे, आवरण (शील्ड) जूते, दस्ताने और ओवराल।

2. **संवातन.–** (1) सभी कमरों में, जहाँ फ्यूम प्रक्रिया जलायी जाती हो, प्राकृतिक या यांत्रिक साधन से पर्याप्त संवातन होगा, ताकि अन्य नियंत्रणकारी साधनों के साथ–साथ प्रत्येक कार्य के वातावरण को वायु में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता अनुज्ञेय सीमा के अन्दर नियंत्रित की जा सके।

(2) पैरा (1) की अपेक्षाओं के होते हुए भी निम्नलिखित जगहों पर हवा में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक लगाये और अनुरक्षित किए जाएंगे–

(क) सूखे चर्न के डम्पिंग हौपर,

(ख) स्पिनिंग मशीनें,

(ग) स्टेपल फायबर स्पिनिंग में प्रयुक्त ट्रायो–रोलर और कर्टर्स,

(घ) यार्न कैक्स के लिए हायड्रो एक्स ट्रेक्टर्स,

(ङ) उपचार के बाद प्रक्रियाएं, और

(च) स्पिन बाथ।

(3) स्टेपल फायबर स्पिनिंग में प्रयुक्त ट्रायो रोलर्स और कर्ट्स का, जहाँ तक संबंध है, पैरा (1) में चाहेनुसार लगाए गए वायु निष्कासक की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, पूरी तरह चारों ओर से बन्द कराया जाएगा और विभिन्न हिस्सों उपयुक्त शर्ट्स होंगे, ताकि कार्य के वातावरण में निःसृत कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की मात्रा में, बिना अनावश्यक वृद्धि किए अपेक्षित कार्य किए जाते रहे है।

(4) किसी सूखे चर्न की उसकी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद पहले अवशेष कार्बन–डाय–सल्फाइड की वाष्प को, वाष्प निष्कासन की सक्षम व उपयुक्त व्यवस्था चालू कर निष्कासित किए बगैर नहीं खोला जाएगा और उक्त व्यवस्था जब तक चर्न खुला होगा, जब तक निरन्तर चालू रहेगी।

(5) जब कभी पैरा (2), (3) और (4) की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए सामान्यतः अपेक्षित संवातन उपकरण अप्रभावी असफल हो जाए या किसी भी प्रयोजन के लिए बन्द किये जायें, तो उन कार्यों क्षेत्रों में जहाँ उल्लिखित उक्त पैरा में विनिर्दिष्ट उपकरण या प्रक्रियाएँ उपयोग में हो, वहाँ से जितना शीघ्र संभव हो और किसी भी स्थिति में, ऐसी घटना होने पर 15 मिनट के अन्दर ही सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि वे उक्त स्थान छोड़ दें।

(6) (एक) पैरा (2), (3) और (4) में अपेक्षित प्रयोजनों के लिए लगाई गई सभी संवातन प्रणाली का जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार परीक्षण तथा जाँच की जाएगी। सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक 12 माह की अवधि के दौरान एक बार उनका पूरी तौर पर परीक्षण और जाँच की जायेगी। ऐसे परीक्षण और जाँच में किसी प्रकार के दोष पाने पर उन्हें तत्काल सुधारा जायेगा।

(दो) ऐसे परीक्षण और जाँच के विवरण और प्रणाली की हालत और आवश्यक पायी गई मरम्मत या परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरणयुक्त एक पंजी रखा जायेगा और जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

3. **स्पिनिंग मशीनों से क्षेप्य (वैस्ट).–** स्पिनिंग मशीनों से निकले वैस्टयार्न को कसे हुए बन्द ढक्कनयुक्त उपयुक्त कन्टेनरों में इकट्ठा किया जायेगा। ऐसे वेस्ट को अदूषित करने के बाद जितना शीघ्र संभव होगा, निर्वतन कर दिया जायेगा।

4. **सूखे चर्न की लाइनिंग.–** सभी सूखे चर्न की अन्दरूनी सतह पर न चिपकने वाले पेन्ट की परत चढ़ाई जायेगी, ताकि सैल्यूलोज जैन्थेट चर्न की सतह पर न चिपके ऐसी सतह अच्छी दशा में अनुरक्षित की जायेगी।

5. **एअर मॉनीटरिंग.–** (1) नियंत्रक साधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक बार प्रत्येक पाली में हवा में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड को मानीटर किया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त परिणामों को इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर रखे गए पंजी में अंकित किया जायेगा।

(2) पैरा (1) की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए तात्कालिक गैस डिटेक्टर ट्यूब का उपयोग नहीं किया जायेगा। दस मिनट से कम न हो, ऐसी अवधि में हवा का सैम्पल इकट्ठा किया जायेगा और अनुमोदित पद्धति से उसका विश्लेषण किया जायेगा। वे स्थान जहाँ ऐसी मानीटरिंग की जाना है, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निदेशित किए जायेंगे।

(3) यदि कार्बन–डाय–सल्फाइड या हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता जैसी की ऐसी वाष्प या गैस की अनुज्ञेय सीमा, से अधिक होती है, जैसा कि इन नियमों में निर्धारित किया गया है, तो हवा में ऐसे प्रदूषण की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे। ऐसी किसी घटना की सूचना मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को तत्काल दी जायेगी।

6. **फ्यूम प्रक्रिया के कमरे में रुकने पर निर्बन्धन.–** कोई भी व्यक्ति भोजनावकाश या विश्राम के मध्यान्तर के दौरान में किसी कमरे में, जहाँ फ्यूम प्रक्रिया चलती हो, नहीं रुकेगा।

7. **अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में प्रतिषेध.–** किसी फ्यूम प्रक्रिया या किसी कमरे में जहाँ ऐसी प्रक्रिया चलाई जाती हो, किसी अल्पबय व्यक्ति को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी।

8. **सुरक्षा उपकरण.–** (1) नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिभोगी सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय करेगा और उन्हें अच्छी दशा में अनुरक्षित रखेगा।

सारणी

प्रक्रिया	बचाव उपकरण
(1)	(2)
1. सम्पूर्ण डम्पिंग	मुखौटा, दस्ताने, जूते सभी उपयुक्त पदार्थ के बने हुए

2. कताई स्पिनिंग	दस्ताने और जूते
3. प्रक्रियाएँ जिनमें विस्कोस घोल से संपर्क होता हो या संपर्क होने की संभावना है।	उपयुक्त दस्ताने और जूते
4. सल्फर का कार्य	उपयुक्त रसायनिक चश्में
5. कोई अन्य प्रक्रिया, जिसमें खतरनाक रसायनों से सम्पर्क सम्मिलित हो।	सुरक्षा उपकरण, जैसा कि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित आदेश द्वारा निर्देशित किया जाये।

(2) कर्मकारों को प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए विशेष तौर पर पृथक कमरा, कमरे या लाकर्स होंगे और ऐसे उपकरण इस प्रकार बनाए गए कमरे या लाकर्स के अलावा अन्य दूसरे स्थान पर भण्डारित नहीं किए जायेंगे।

9. **सांस लेने के उपकरण.–** (1) प्रत्येक कारखाने में, जहाँ फ्यूम प्रक्रियाएं चलती हैं, पर्याप्त रूप से–

(क) ब्रीदिंग एप्रेटस;

(ख) आक्सीजन और उसके इस्तेमाल के लिए उपयुक्त उपकरण; और

(ग) लाइफ बैल्ट;

का प्रदाय किया जायेगा।

(2) (एक) पैरा (1) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरण अच्छी दशा में असुरक्षित होंगे और उपयुक्त स्थानों पर रखे जायेंगे, ताकि वे सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

(दो) पैरा (1) के उप–पैरा (क) और (ख) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरण उपयुक्त मध्यांतर से साफ और अदूषित किए जायेंगे और प्रत्येक माह में किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा एक बार उनका पूरी तौर पर निरीक्षण किया जायेगा।

(तीन) पैरा (1) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरणों की अनुरक्षण और दशा में उल्लेख इस प्रयोजन के लिए रखे गए पंजी में अंकित किए जायेंगे, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होगा।

(3) ब्रीदिंग एप्रेटस का उपयोग करने और कृत्रिम सांस दिए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मकारों को प्रशिक्षित और समयबद्ध रूप से पुनः प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि इस प्रकार प्रशिक्षित कम से कम दो व्यक्ति सभी कार्य की अवधि के दौरान प्रत्येक कमरे में जहाँ फ्यूम प्रक्रिया चलती हो, उपलब्ध हों।

(4) ब्रीदिंग एप्रेटस को उपयुक्त लेबल लगाकर साफ, सूखे और हलके खोल में रखा जायेगा और यदि उसके फ्यूम से प्रभावित होने की संभावना हो तो उपयुक्त कन्टेनर में रखकर उन्हें सुरक्षित किया जायेगा।

(5) पैरा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य, जिसके लिए ब्रीदिंग एप्रेटस उक्त पैरा के अधीन प्रदाय किया जाना आवश्यक हो, करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के पूरी तरह अनुदेश न दे दिए गए हों।

(6) पैरा (1) के अनुसरण में प्रदाय किया गया कोई ब्रीदिंग एप्रेटस, जो एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका है, दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं पहना जायेगा, जब तक कि आखिरी पहने जाने के बाद उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न कर दिया गया हो और उस व्यक्ति को उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के बारे में समुचित अनुदेश न दे दिए गए हों।

10. **विद्युत फिटिंग.–** किसी ऐसे कमरे, जिसमें कार्बन–डाय–सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या उत्सर्जित या स्पिनिंग रूम के अलावा कार्य के वातावरण में उसके उत्सर्जित हो जाने की संभावना हो, में सभी विद्युत फिटिंग फ्लेम प्रूफ संरचना की होगी और सभी विद्युत संवाहक या तो धातु के कन्ड्यूट या सीसा मढ़े हुए होंगे।

11. **धूम्रपान के संबंध में प्रतिषेध आदि.–** किसी ऐसे कमरे, जिसमें फ्यूम प्रक्रिया चलाई जाती हो, में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा अथवा माचिस, आग या अनावृत्ति रोशनी या चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य साधन नहीं ले जाएगा। बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संयंत्र में धूम्रपान करना और माचिस, आग या अनावृत्त रोशनी अथवा अनावृत्त रोशनियाँ, चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य कोई साधन ऐसे कमरों में ले जाना, प्रतिषिद्ध करने की सूचना, संयंत्र में मुख्य–मुख्य स्थानों पर चिपकाई जायेंगी :

परन्तु, यह कि आग, अनावृत्त रोशनी या अनावृत्त चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन, जब प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, तो वे जिम्मेदार व्यक्ति के निर्देशानुसार ऐसे कमरों में ले जाए जा सकेंगे।

12. **प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ.–** (1) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान करने के स्थान, जो प्रत्येक 25 नियोजित व्यक्ति के लिए एक की दर से होंगे, छायादार स्थान में निरन्तर जल प्रदाययुक्त रूप में उपलब्ध होंगे तथा वे साफ हालत और अच्छी मरम्मत की हुई दशा में अनुरक्षित किए जायेंगे।

(2) प्रक्षालन स्थान पर एक मीटर से अनधिक दूरी के अन्तराल पर स्टेण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थानों पर स्नानागार होंगे।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय होंगे।

परन्तु, यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यदि ऐसा आदेश दिया जाए कि प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से तौलिए दिए जाएं तो तदनुसार ऐसे तौलिए प्रदान किए जायेंगे।

(5) पर्याप्त साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश प्रदाय होंगे।

13. **विश्राम गृह.–** (1) फिलामैंट यार्न स्पिनिंग प्रक्रिया के डम्फिंग कार्यों में लगाए गए कर्मकारों के लिए विश्राम कक्ष प्रदाय होंगे।

(2) ऐसे विश्राम कक्ष में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी और स्वच्छ हवा प्रदाय होगी।

14. **सावधानी सूचनाएँ और अनुदेश.–** (1) निम्नलिखित सूचनाएँ प्रत्येक फ्यूम प्रक्रिया के कमरे में प्रमुख तौर पर प्रदर्शित की जायेंगी।

चेतावनी सूचना

(1) इस कमरे में कार्बन–डाय–सल्फाइड (सी–एस–2) और हाइड्रोजन सल्फाइड (एच–2–एस) गैस उपस्थित हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

(2) सुरक्षा अनुदेशों का पालन करें।

(3) जब अपेक्षित हो, सुरक्षा उपकरणों और ब्रीदिंग एप्रेटस का उपयोग करें।

(4) इस क्षेत्र में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिषिद्ध है।

यह सूचना, बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगी और जहाँ आसानी और सुगमता से पढ़ी जा सके, वहाँ प्रदर्शित होगी। यदि कोई कर्मकार अनपढ़ हो, तो उसे प्रदर्शित सूचनाओं के अन्तर्विष्ट बातों के बारे में सावधानी से स्पष्टीकरण और समझाइश देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायेंगे।

(2) प्रत्येक कर्मकार फ्यूम प्रक्रिया के कमरे में नियोजित हो, उसे उनके काम से जुड़े हुए स्वास्थ्य के खतरों और बचाव के उपायों और उनको स्वयं के बचाने की पद्धति के बारे में अनुदेश देने की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे अनुदेश उसके प्रथम नियोजन पर और नियतकालिक रूप से पुनः दिए जायेंगे।

(3) सरल और विशेष अनुदेश तैयार किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपातकालीन स्थिति में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकलने पर प्रभावी उपाय करना सुनिश्चित हो। यह अनुदेश संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शित होंगे और वहाँ के कर्मकारों की उसी आपात स्थिति में किए जाने वाले कार्यों के बारे में अनुदेश और प्रशिक्षित किया जायेगा।

15. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाने, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा और

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जायेंगे।

(3) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(6) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

16. छूट.– यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का इस बात से समाधान हो जाए कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृत्ति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध प्रतिष्ठान में कर्मकारों के बचाव के लिए अनावश्यक हैं, तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाणपत्र द्वारा जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे प्रतिष्ठान की सभी या ऐसे किसी उपबन्ध से ऐसी शर्तें, यदि कोई हो और जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा।

अनुसूची–तैतीस
(नियम 81)
फाउन्ड्री में कार्य

1. **लागू होना.**– इस अनुसूची के उपबन्ध कारखानों के उन सभी भागों, जहाँ निम्नलिखित में से कोई कार्य या प्रक्रिया चलाई जाती है, को लागू होंगे।

(क) रेत, मिट्टी, ढलाई, सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण के बने सांचों या शैल मोल्डिंग या सेन्टीफ्यूगल ढलाई द्वारा लोहे की कास्टिंग या जैसी की दशा हो, स्टील कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन के अनुषंगिक कोई प्रक्रिया;

(ख) रेत, मिट्टी, धातु, ढलाई, सम्मिश्रण या अन्य पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण या शैल मोल्डिंग, डाई कास्टिंग (प्रेशर डाई कास्टिंग को सम्मिलित करते हुए) सेंटीफ्यूगल कास्टिंग या कन्टिन्यूअस कास्टिंग द्वारा अलोह कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन से अनुषंगिक कोई प्रक्रिया; और

(ग) इन्गोट, विलेट, स्लैब या अन्य समरूप उत्पादों के उत्पादन के लिए अलोह धातु का गलाना और ढालना और उनकी स्ट्रिपिंग करना, किन्तु यह निम्न के संबंध में लागू नहीं होगी–

(क) सीसे के पिघलाने और विद्युत संचायक और सीसे के विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया;

(ख) छपाई कार्यों के प्रयोजन के लिए कोई प्रक्रिया; या

(ग) पिघलाने की कोई प्रक्रिया, जिसमें अवकरण क्रिया से धातु प्राप्त हो या ऐसी क्रिया से अनुषंगिक कोई प्रक्रिया; या

(घ) स्टील का इन्गोट के रूप में उत्पादन; या

(ङ) सोल्डर विनिर्माण के दौरान कोई प्रक्रिया अथवा ऐसे विनिर्माण के संबंध में कोई अनुषंगिक क्रिया; या

(च) इन्गोट, विलेट, स्लेब या समरूप उत्पादन के विनिर्माण या उसके स्ट्रिपिंग के लिए शीशे या सीसायुक्त एलाय का गलाना और ढालना या ऐसे गलाने, ढालने या स्ट्रिपिंग करने से अनुषंगिक प्रक्रियाएं।

2. **परिभाषाएँ.**– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) **'अनुमोदित रेसीपिरेटर'** से अभिप्रेत है, उस प्रकार के रेसीपिरेटर, जो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(ख) **'क्यूपोला या भट्टी'** में सम्मिलित है, उनसे जुड़े संग्राहक;

(ग) **'ड्रेसिंग या फिटलिंग कार्य'** में सम्मिलित है, स्ट्रिपिंग करना और चिपकी हुई रेत, कार रनर, राइजर फ्लेश और ढलाई से अन्य अतिरिक्त धातु को हटाना और उपयुक्त रूप से साफ और चिकनी सतह का विनिर्माण, किन्तु इसमें (क) ड्रेस और फेटलिंग की हुईं कास्टिंग से मशीनिंग या संयोजन के संबंध में

आनुषंगिक रूप से धातु का हटाना, या (ख) कोई कार्य जो इस अनुसूची के अर्थ के अन्तर्गत नोक आउट आपरेशन हो, सम्मिलित नहीं होंगे।

(घ) **'फाउन्ड्री'** से अभिप्रेत है, कारखाने के वे भाग, जिसमें लोहे या स्टील या अलौह ढलाई (कच्चे लोहे या इन्गोट के रूप में स्टील के विनिर्माण को छोड़कर) रेत, मिट्टी, ढलाई सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण से बने सांचों में ढालकर या शैल मोल्डिंग या धातु के सांचो में रेत बिछाकर सेन्ट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जाती हो। इसके साथ ही प्रतिष्ठान का कोई अन्य भाग, जिसमें ऐसे उत्पादन के दौरान और उसके अनुक्रम में जो आनुषांगिक क्रियाएँ की जाती हैं अर्थात् फाउन्ड़ी प्रक्रिया में उपयोग के लिए जाने वाले पदार्थों को बनाना और मिश्रित करना, सांचे और केन्द्रीय भाग का बनाना, नाक–आउट क्रिया और ड्रेसिंग या फेटलिंग क्रियाएँ;

(ङ) **'नाक आउट क्रियाओं'** से अभिप्रेत है, सांचे से कास्टिंग हटाने की समस्त पद्धति या और निम्नलिखित क्रियाएँ, जब उसके संबंध में की जाती हैं अर्थात् स्ट्रिपिंग करना, केन्द्रीय भाग निकालना और राइजर्स तथा रनर्स को हटाना;

(च) **'ढलाई गली'** से अभिप्रेत है, मुख्य गेंग–वे को जाने वाली या क्यूपोला या भट्टी से सीधी गली जहाँ सांचो में धातु उंडेली जाती हो।

3. **कुछ पदार्थों के विभाजक पदार्थों की तरह उपयोग का प्रतिषेध.–** (1) यदि कोई पदार्थ सिलिकान यौगिक युक्त है और जिसमें सूखे पदार्थ की तुलना में उसके भार से पाँच प्रतिशत से अधिक सिलिका की गणना की गई है, ऐसे पदार्थ का विभाजक पदार्थ की तरह उपयोग नहीं किया जाएगाः

परन्तु, यह प्रतिषेध निम्नलिखित को विभाजक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने से निवारित नहीं करेगा। यदि उस सामग्री में किसी अन्य सिलिका का सम्मिश्रण न हो–

(क) जिरकोनियम सिलिकेट (जिरकान),

(ख) कैल्साइन्ड चाइनाक्ले,

(ग) कैल्साइन्ड एल्यूमिनियम फायर क्ले,

(घ) सिलिमेनाइट,

(ङ) केल्साइन्ड या पिघला हुआ एल्यूमिना,

(च) ओलिविन,

(छ) प्राकृतिक रेत।

(2) फेटलिंग या ब्लास्टिंग प्रक्रिया से जमी धूल और अन्य पदार्थ का विभाजक पदार्थ या विभाजक पदार्थ के संगठक की तरह उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. **व्यवस्थाएँ और भण्डारण.–** काम के कमरों में सफाई और सुरक्षा को विकसित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा–

(क) मोल्डिंग बाक्स, लोमप्लेट, लेडल्स, पैटर्न, पैटर्न–प्लेटें, फ्रेम्स, बोर्ड्स, बाक्स वेट्स और अन्य भारी वस्तुएँ इस तरह व्यवस्थित कर रखी जाएंगी कि कार्य अनावश्यक जोखिम के बिना किया जा सके।

(ख) अन्य गियरों और औजारों के भण्डारण के उपयोग के लिए उपयुक्त और सुगमता से पहुँचगम्य रैक्स विन्य या अन्य पात्र प्रदाय किए जायेंगे।

(ग) जहाँ कहीं रेत, ईंधन, मेटल स्क्रेप या अन्य पदार्थ या अवशेष का बड़ा भण्डार हो, वहाँ उपयुक्त विन्स, बन्कर्स या अन्य पात्र ऐसे भण्डारकरण के प्रयोजन के लिए प्रदान किए जायेंगे।

5. **फर्श का सन्निर्माण.–** (1) भीतरी कार्यस्थलों के, जिनमें प्रक्रियाएं की जाती हों, सिवाए उन भागों के जो रेत के बने हों, फर्श समतल और कठोर पदार्थ के होंगे।

(2) ऐसे भीतरी कार्यस्थल के फर्श का कोई भाग, सिवाए उस दशा के जहाँ कि किए जा रहे कार्य के कारण आवश्यक हो, रेत का नहीं होगा।

(3) ऐसे भीतरी कार्यस्थल के फर्श के वे सभी भाग जो रेत के हों, जहाँ तक व्यवहाँर्य हो एक से और मजबूत दशा में अनुरक्षित किए जायेंगे।

6. **भीतरी कार्यस्थलों की सफाई.–** (1) प्रत्येक भीतरी कार्यस्थलों, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो, की दीवारों के पहुँचगम्य सभी भागों और उन दीवारों पर लगी हुई प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 14 मास की कालावधि में कम से कम एक बार उपयुक्त विधि से जमीन से 4. 02 मीटर अनधिक ऊंचाई तक प्रभावी रूप से साफ की जायेगी। इस पैरा के अनुसरण में की गई ऐसी प्रभावी सफाई के अभिलेख, जिसमें दिनांक भी सम्मिलित हों, रखे जायेंगे, सफाई दिनांक तत्काल पहले की धुलाई, सफाई या अन्य उपचार करने के दिनांक से न तो पाँच महीने से कम पहले या उसके नौ महीने बाद की दिनांक नहीं होगी।

(2) प्रत्येक भीतरी कार्यस्थल में, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो, उन भागों को जो रेत के हों, को छोड़कर फर्श के पहुँचगम्य सभी भागों की प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम एक बार उपयुक्त पद्धति से प्रभावी सफाई की जायेगी और वे भाग जो रेत के हों, वे अच्छी दशा में रखे जायेंगे।

7. **शारीरिक क्रियाएँ जिनमें पिघली हुई धातु के कार्य अन्तर्वलित हों.–** (1) पिघली धातु के कार्यों, जिनमें धातु फैल जाने की संभावना हो, को सम्मिलित करते हुए शारीरिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए उक्त प्रक्रिया के लिए कार्यस्थल की–

(क) जो कार्य के सुरक्षापूर्वक निष्पादन हेतु पर्याप्त हो; और

(ख) जो जहाँ तक युक्तियुक्तरूप से व्यवहाँर्य हो अवरोध रहित रखा जा सके, व्यवस्था होगी और उसे अच्छी प्रकार से, अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) कोई क्रिया, जिसमें पिघली हुई धातु से भरा कन्टेनर हाथों से ले जाना सम्मिलित हो, वहाँ फर्श जहाँ क्रिया की जाती हो और वे भाग, जिसमें क्रिया में संबद्ध व्यक्त चलते–फिरते हों, वे दोनों एक ही तल पर होंगे :

परन्तु, यह कि जहाँ अनावश्यक जोखिम के बिना प्रक्रिया के निष्पादन के लिए आवश्यक हो और फर्श के विभिन्न तलों पर स्थित कार्यस्थलों पर क्रिया में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के फर्श से उस तक पहुँचने के सुरक्षित साधन हों, वहाँ इस पैरा की कोई भी बात कभी–कभी तथा अपवाद स्वरूप ऐसे उपयोग को प्रतिबन्धित नहीं करेगी।

8. **गेंगवेज और ढुलाई के गलियारे.–** (1) यह अनुसूची बनने के बाद सन्निर्मित, पुनर्निमित या उस रूप में उपयोग के लिए संपरिवर्तित प्रत्येक कार्य के कमरे, जिस पर यह पैरा लागू होता है, जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहाँर्य हो, पर्याप्त और स्पष्ट रूप से चिन्हित मुख्य गेंगवेज बनाई और अच्छी प्रकार से अनुरक्षित की जायेगी, जो–

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ की होगी और वह विशेषतः रेत की नहीं होगी या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिसमें दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सके;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहाँर्य हो, अवरोध रहित रखी जायेगी; युक्तियुक्त

(ग) यदि पिघली हुई धातु को ले जाने के उपयोग में नहीं ली जाती हो तो कम से कम 920 मिली मीटर चौड़ाई की होगी;

(घ) यदि पिघली धातु ले जाने के उपयोग में ली जाए तो–

(एक) जहाँ प्रमुखतः ट्रक लेडल को उपयोग में लाया जाता हो तो लेडल की पूरी चौड़ाई से कम से कम 600 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(दो) जहाँ दो से अधिक आदमियों द्वारा हैण्ड शैक द्वारा ले जायी जाती हो, वहाँ कम से कम 920 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(तीन) जहाँ दो से अधिक आदमियों द्वारा हैण्ड शैक द्वारा ले जायी जाती हो तो कम से कम 1.2 मीटर चौड़ाई होगी; और

(चार) जहाँ दोनों दिशाओं में से साथ–साथ आदमियों द्वारा हैण्ड शैक लाई जाए तो कम से कम 1.8 मीटर चौड़ाई होगी।

(2) इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित, पुनःनिर्मित या ऐसे उपयोग के लिए परिवर्तित कमरे में, जिस पर यह पैरा लागू होता हो, पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित गलियारा इस प्रकार बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा कि उसमें–

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ का होगा और विशेषतः रेत का नहीं होगा या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिससे दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सके;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्तरूप से व्यवहाँर्य हो, अवरोध रहित रखा जाएगा;

(ग) यदि पिघली हुई धातु को हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा प्रति लैडल दो व्यक्ति से अनधिक द्वारा ले जाया जाए तो कम से कम 460 मिलीमीटर चौड़ा होगा, लेकिन जहाँ गलियारे के किनारे कार्यमोल्ड गलियारे के फर्श

से 510 मिलीमीटर ऊंचा हो तो गलियारा कम से कम 600 मिलीमीटर से कम चौड़ा नहीं होगा;

(घ) यदि पिघली हुई धातु दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा ले जाई जावे तो लैडल कम से कम 769 मिलीमीटर चौड़ा होगा;

(ङ) यदि क्रेन, ट्राली या ट्रक लैडल द्वारा पिघली धातु ले जाई जावे तो कार्य के सुरक्षित रूप से निष्पादन के लिए वह पर्याप्त चौड़ाई का होगा।

(3) किसी कमरे या कमरे के भाग पर, यदि उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के कारण कमरे का या कमरे के उस भाग का फर्श रेत का हो तो पैरा (1) और (2) की अपेक्षाएँ लागू नहीं होंगी।

(4) इस पैरा में कार्य के कमरे, जिस पर यह पैरा लागू होता हो, से अभिप्रेत है लौह या अलौह फाउन्ड्री के उस भाग, जिसमें पिघली धातु परिवहित या उपयोग की जाती हो या इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित, पुनः निर्मित या उपयोग के लिए संपरिवर्तित कमरे, जिस पर यह पैरा लागू होता है, से अभिप्रेत उस कमरे से है, जिसका सन्निर्माण, पुनर्निर्माण या उपयोग हेतु संपरिवर्तन यह अनुसूची के बनने के बाद प्रारंभ हुआ हो।

9. **क्यूपोला और भट्टियों के समीप कार्य.–** क्यूपोला या भट्टी के किसी पनाले जो पिघली धातु के निकास के लिए हों, के निकासी वाले सिरे से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा से 4 मीटर की दूरी के अंदर या ऐसे पनाले के सिरे पर कोई लैडल जो भरने के लिए लगी हो, के निकटतम भाग से 2.4 मीटर दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, दोनों ही स्थिति में सिवाय उस दशा के जबकि क्यूपोला या भट्टी के उपयुक्त उपयोग या अनुरक्षण के लिए उक्त कार्य उल्लिखित दूरी के भीतर हो, करना आवश्यक हो या उक्त कार्य ऐसे समय और ऐसी दशाओं के अधीन किया जा रहा हो कि कार्य करने वाले व्यक्ति को पिघली हुई धातु, जो क्यूपोला या भट्टी या पनाले के सिरे पर भरने के लिए लगी लैडल में हो, से कोई जोखिम न हो।

10. **धूल और धूम्र.–** (1) कार्य के कमरे के अंदर लैडल को गर्म करने या सुखाने के लिए कोयले, कोक या लकड़ी की खुली आग का उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि धुआँ और अन्य अशुद्धियों को काम के कमरे के वातावरण में प्रविष्ट होने या बने रहने से रोकने के लिए जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, उपयुक्त साधन न किए गए हो।

(2) सांचों को सुखाने के लिए केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर, जो अपरिहार्य हों, कोयले, कोक या लकड़ी की खुली आग का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(3) मोल्ड स्टोव्ह, कोर–स्टोव्ह और एनीलिंग भट्टी इस प्रकार रूपांकित, सन्निर्मित अनुरक्षित और कार्य में लिए जायेंगी कि जहाँ तक व्यवहाँर्य हो किसी कार्य के कमरे में, जब व्यक्ति उसमें नियोजित हो, उस अवधि के दौरान घृणात्मक या हानिकारक धुआँ प्रविष्ट न हो सके।

(4) सभी नाक आउट क्रियाएँ इस प्रकार की जायेंगी कि–

(क) फाउन्ड्री के पृथक् भाग में, जिसमें उपयुक्त तौर पर पार्टीशन किया गया हो, एक कमरा या उसका भाग, जिसमें जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, स्थानीय वायु निष्कासन संवातन और उच्च स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा;

(ख) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में, जहाँ तक युक्तियुक्तरूप से व्यवहाँर्य हो, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय वायु निष्कासन संवातन होगा या जहाँ यह अनुपालन युक्तियुक्तरूप से व्यवहाँर्य न हो, वहाँ उच्चतम स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा।

(5) सभी ड्रेसिंग और फैटलिंग क्रियाएँ–

(क) एक पृथक् कमरे में या फाउन्ड्री के उपयुक्त तौर पर लगाए गए पार्टीशन से बने पृथक् भाग में; या

(ख) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में या जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् किया गया हो, की जायेंगी और जहाँ तक युक्तियुक्तरूप से व्यवहाँर्य हो, उन्हें उपयुक्त स्थानिय वायु निष्कासक संवातन या धूल दबाने के समरूप प्रभाव साधन, जो धूल उत्पन्न होने वाले बिन्दु के जितना समीप संभव हो, क्रियाशाली हो, के साथ किया जायेगा।

11. वायु निष्कासन संयंत्र का अनुरक्षण और परीक्षण.– (1) धूल और धुम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र भली प्रकार अनुरक्षित होंगे।

(2) धूल और धुम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र का, प्रत्येक सप्ताह में एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण और निरीक्षण किया जायेगा। सक्षम व्यक्ति द्वारा 12 महीने की अवधि में कम से कम एक बार उनकी पूरी तौर पर परीक्षण और जॉच की जायेगी और ऐसे परीक्षण और जॉच के परिणामो का विवरण अनुमोदित पंजी में रखा जायेगा, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। परीक्षण और जॉच करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे परीक्षण और जॉच में पाए गए किसी दोष में कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक को तत्काल सूचना दी जायेगी।

12. सुरक्षा उपकरण.– (1) कर्मकारो के बचाव हेतु विनिर्दिष्ट उपयुक्त सुरक्षा उपकरण प्रदाय और अनुरक्षित किये जाएंगे–

(क) उपयुक्त दस्ताने या हाथ के बचाव के लिए अन्य सामग्री उन कर्मकारों के लिए, जो किसी गर्म पदार्थ, जिससे कि हाथों के जलने, झुलसने या जख्म के जोखिम की संभावना हो, के कार्य में लगे हो या कच्चे लोहे, रफ कास्टिंग या अन्य वस्तु, जिसमें हाथ के कटने या पिघलने की संभावना हो, के कार्य में लगे हो;

(ख) अनुमोदित रैसपिरेटर्स उन कर्मकारों के लिए जो घनी धूल सान्द्रता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं में कार्य करते है, जिसे वर्तमान संवातन व्यवस्था द्वारा शीघ्रता और प्रभावी रूप से दूर न किया जा सके।

(2) एक व्यक्ति द्वारा पैरा (1) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त रैसपिरेटर को पहनने के बाद अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं पहना जाएगा, जब तक कि उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न किया जा चुका हो।

(3) व्यक्ति, जो उनके किसी समय–

(क) क्यूपोला या भट्टी के पनाले पर काम या सेवा ऐसी परिस्थिति में करते हो कि उक्त पदार्थ उनके शरीर के संपर्क में आ सकता हों और उक्त पदार्थ ऐसे तापमान पर हो कि उसके शरीर के संपर्क में आने पर शरीर जल सके; या

(ख) पिघली धातु को उड़ेलने के संबंध में या सहायता करने के काम में लगे हो; या

(ग) पिघली धातु युक्त किसी लैडल या सांचे को शारीरिक शक्ति से चलाने या हाथ से ले जाते हो; या

(घ) नॉकिंग आउट क्रियाओं, जिसमें पदार्थ एसे तापमान हो कि उसका शरीर से संपर्क उसे जला सके, के काम में लगे हों, को उपयुक्त जूते और गैटर प्रदाय होंगे और जो उन्हें, जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, उनके पैर और घुटनों को जलने के जोखिम से बचने के लिए पहनेंगे।

(4) जहाँ उपयुक्त हो उड़ने वाले पदार्थो (किसी प्रक्रिया के दौरान निक्षेपित छिलकों, चिंगारियों और पिघली धातु के झलकने को सम्मिलित करते हुए) से बचाव के लिए उपयुक्त स्क्रीन प्रदान किए जायेंगे।

(5) इस पैरा के अनुसरण में प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदाय और अनुरक्षित किये जायेगें और उनकी सफाई और अनुरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

(6) पैरा (1) और (4) के अनुसरण में प्रदाय किए गए उपकरणों का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पूरा और उपयुक्त उपयोग किया जायेगा और वह उनके किसी दोष या हानि के बारे मे अधिभोगी, प्रबंधक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को बिना देरी किए सूचित करेगा।

13. प्रक्षालन और स्नान सुविधाएं.– (1) फाउन्ड्री में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए–

(क) छाया के नीचे प्रक्षालन स्थान जिसमें या तो–

(एक) अभेद्य सतह का नांद, जिसमें बिना प्लग का वेस्ट पाइप जुड़ा हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई हो कि एक बार में 10 व्यक्ति नियोजित करने के लिए ऐसे प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 60 सेन्टीमीटर स्थान हो और जिसमें नांद के ऊपर 60 सेंटीमीटर से अनधिक

अंतराल पर स्थित टोंटियों या जैट के द्वारा पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता हो; या

(दो) किसी भी इस समय नियोजित प्रत्येक ऐसे 10 व्यक्तियों के एक टोंटी या स्टेण्ड पाइप की दर से, जो 1.2 मीटर के अंतर से लगे हों, टोंटी या स्टेण्ड पाइप होंगे, जिनमें साफ पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता है; और

(ख) उप–पैरा (क) के अधीन प्रदाय किए गए स्थानों में कम से कम आधे प्रक्षालन स्थान स्नानागार के रूप में होंगें।

(ग) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलिए पर्याप्त रूप से प्रदाय होंगे, जो प्रतिदिन बदले जावेंगे तथा साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे।

(2) पैरा (1) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त सुबिधाएं जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रभार में रखी जायेंगी और साफ तथा व्यवस्थित दशा में अनुरक्षित की जायेंगी।

14. **धातु के तलछट और मैल का निर्वतन.–** पिघली धातु से निकाले गए तलछट और मैल को उपयुक्त पात्र में रखा जायेगा।

15. **निक्षेप का निर्वतन.–** शैल मोल्डिंग से सभी निक्षेप पदार्थ (जली रेत को सम्मिलित करते हुए) के निर्वतन के लिए कास्टिंग की नाक आउट क्रिया के बाद जितना व्यवहाँर्य हो सके उतने शीघ्र उपयुक्त उपाय किये जायेगें।

16. **द्वार के बाहर छोड़े हुए पदार्थ और उपकरण.–** द्वार के बाहर छोड़े हुए पदार्थ और उपकरण (जिनमें केवल अस्थायी तौर पर या कभी–कभार छोड़े गए उपकरण भी सम्मिलित है) को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा तथा रखा जायेगा, जिससे अनावश्यक जोखिम दूर हो सके। ऐसे सभी पदार्थ और उपकरणों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित साधन होंगे और जहाँ तक व्यवहाँर्य हो। ऐसी पहुंच सड़क या पगडंडी से होगी, जो भली प्रकार अनुरक्षित होगी ऐसी सड़क या पगडंडी सपाट और मजबूत सतह की होगी और जितना युक्तियुक्तरूप से व्यवहाँर्य हो अवरोध रहित रखी जायेगी।

17. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाने, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। वह प्ररूप–पच्चीस पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ

निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

18. छुट.– यदि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृत्ति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची से सभी या कोई उपबंध प्रतिष्ठान के कर्मकारों के बचाव के लिए अनावश्यक है, तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र, जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, के द्वारा ऐसे प्रतिष्ठान को सभी या ऐसे किसी उपबंध से, ऐसी शर्तें, यदि कोई हो, और जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा।

अनुसूची–चौंतीस

(नियम 81)

इंडक्शन फर्नेस में पिघालने की प्रक्रिया

1. **लागू होना.–** इन अनुसूची के प्रावधान, उन कारखानों की संक्रिया के सभी भागों पर लागू होगी, जहाँ धातु का पिघलाने का कार्य इंडक्शन फर्नेस में किया जाता है और अन्य संबंद्ध प्रक्रियाओं में किया जाता है।

2. **परिभाषाएं.–**

(1) **"इंडक्शन फर्नेश"** से अभिप्रेत है, ऐसी भट्टी, जिसमें भट्टी के चारों ओर लिपटे हुए कॉइल के माध्यम से विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करके एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, बदले में वोल्टेज सृजित करती है, और बाद में धातु के माध्यम से विद्युत प्रवाह से पिघलाया जाता है।

(2) **"कॉइल"** से अभिप्रेत है, इंडक्शन फर्नेस का कॉइल;

(3) **"लडली"** से अभिप्रेत है, पिघला हुआ धातु ले जाने के लिए प्रयुक्त उपकरण;

(4) **"मोल्ड"** से अभिप्रेत है, स्टील, रेत, दोमट, मोल्डिंग संरचना या सामग्री के अन्य मिश्रण से बने मोल्ड;

(5) **"व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)"** से निर्दिष्ट है, सुरक्षात्मक कपड़े, हेलमेट, काले चश्में, या अन्य वस्त्र या उपकरण, जो पहनने वाले के शरीर को चोट या संक्रमण से बचाने के लिए डिजाईन किया गया है।

(6) **"दुर्दम्य"** से अभिप्रेत है, गड्ढे में बनी दुर्दम्य ईंटों का अस्तर।

3. **व्यवस्था और भंडारण.–** कार्यस्थलों में सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन किया जायेगाः–

(क) बक्से, दोमट प्लेटें, लडली, पैटर्न, पैटर्न प्लेटें, फ्रेम, बोर्ड, बॉक्स वजन और अन्य भारी वस्तुएं इस प्रकार व्यवस्थित की जायेगी और रखी जायेंगी, ताकि अनावश्यक जोखिम के बिना, काम करने के लिए सक्षम हो सके;

(ख) अन्य गियर और उपकरणों के भंडारण के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक रूप से सुलभ रैक, डिब्बे या अन्य पात्र प्रदान किये जायेंगे और उनका उपयोग किया जायेगा;

(ग) जहाँ रेत, ईंधन, धातु स्क्रैप या अन्य सामग्री या अवशेषों, उपयुक्त डिब्बे, बंकर या अन्य पात्र का थोक भंड़ारण है, ऐसे भंड़ारण के उद्देश्य के लिए व्यवस्था किये जायेंगे।

4. **प्लेटफार्म और फर्श का निर्माण, रखरखाव.–** (1) फर्नेस का प्लेटफार्म, विस्फोटकों का सामना करने हेतु अच्छा निर्माण, ध्वनि सामग्री और पर्याप्त शक्ति का होना चाहिये।

(2) प्लेटफार्म, पर्याप्त आकार का होना चाहिये, ताकि वहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों और कच्चे माल को चार्ज करने के लिये समायोजित किया जा सके।

(3) प्लेटफार्म पर कम से कम दो सीढ़ियां होनी चाहिये।

(4) इनडोर कार्यस्थलों की फर्श, जिसमें प्रक्रियायें की जाती हैं, जिसका भाग रेत के हैं के अलावा, कठोर सामग्री की सतह होगी।

(5) ऐसे किसी भी इनडोर कार्यस्थल के फर्श का कोई भी हिस्सा, रेत का नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहाँ किये गये कार्य के कारण यह आवश्यक हो।

(6) ऐसे इनडोर कार्यस्थल के फर्श की सतह के सभी भाग, जो रेत के हैं, जहाँ तक व्यवहाँर्य हो, बनाये रखा जायेगा और मजबूत स्थिति में होगा।

5. **प्राधिकृत व्यक्ति.–** (1) प्लेटफार्म पर या निकटस्थ भट्टी के पास कार्य करने के लिये अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को प्लेटफार्म पर या निकटस्थ भट्टी के पास जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) पैरा (1) के अपवाद के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति को, प्रशिक्षित किया जाना चाहिये और निर्धारित कार्मिक सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाने चाहिये।

(3) कोई व्यक्ति किसी भट्टी में के किसी टोंटी के अंतिम प्रतिपादन के माध्यम से गुजरने वाली या पिघला हुआ धातु के परिदाय करने में प्रयुक्त टोंटी एक खड़ी रेखा से 4 मीटर की दूरी के भीतर अथवा ऐसे टोंटी के अंतिम स्थिति में किसी लडली के निकटतम भाग के माध्यम से गुजरने वाली खड़ी रेखा से 2.4 मीटर की दूरी के भीतर किया जाना चाहिये, या तो अन्य मामले में, जहाँ उस कार्य में फर्नेस के अनुरक्षण के उचित उपयोग हेतु आवश्यक हो, को छोड़कर, ऐसे कार्य को उतनी दूरी के भीतर किया जाना चाहिये और ऐसे समय में एवं ऐसे शर्तों के अधीन किया जाना चाहिये कि धातु के पिघलाने से किसी व्यक्ति को खतरा न हो, जो कुपोला या फर्नेस से निकलता है या टोंटी के अंतिम स्थिति में लडली में विद्यमान हो।

6. **एग्जॉस्ट प्लांट का रखरखाव और जांच.–** (1) निकालने, दबाने या नियंत्रित धूल या धुएं के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त सभी वेंटिलेशन संयंत्र उचित रूप से अनुरक्षित रखे जायेंगे।

(2) निकालने, दबाने या नियंत्रित धूल या धुएं के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त सभी वेंटिलेशन संयंत्र का, जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह एक बार जांच की जायेगी और निरीक्षण किया जायेगा। ऐसी प्रत्येक परीक्षा में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा इसकी पूरी तरह से जांच और परीक्षण किया जायेगा और परीक्षण को पंजी में दर्ज किया जायेगा, जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा। ऐसी किसी भी जांच में कोई त्रुटि पाये जाने पर, कारखाने के अधिभोगी को परीक्षा और परीक्षण पुनः कराना होगा।

7. **लैडल.–** (1) गर्म तरल धातु डालने के लिये लैडल रखने से पहले, इसका पूरी तरह निरीक्षण किया जाना चाहिये।

(2) कलछी को टोंटी के नीचे रखें।

(3) डालना शुरू करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :

(क) केवल न्यूनतम आवश्यक संख्या के व्यक्ति उपस्थित रहें;

(ख) वे सभी पीपीई जैसे फेस शील्ड, फ्लेम रिटार्डेट सूट, पायल, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, हेलमेट और सेफ्टी शूज का प्रयोग करेंगे।

(4) लैडल केवल फर्नेस प्रभारी से मंजूरी के बाद ही हटा दिया जायेगा।

(5) लैडल को झुकी हुई स्थिति में नहीं ले जाया जायेगा।

8. **भट्टी का संचालन और रखरखाव.–** (1) अधिभोगी, विनिर्माता द्वारा आपूर्ति निर्देश के अनुसार फर्नेस संचालित करेगा।

(2) अधिभोगी विनिर्माता द्वारा आपूर्ति अनुरक्षण सूची के अनुसार भट्टी का रख–रखाव रखेगा।

(3) कॉइल (कुंडल) की नियमित अंतराल पर जांच होनी चाहिये।

(4) अपवर्तक को नियमित अंतराल पर बदला जायेगा।

9. **कार्य अनुमति.–** अधिभोगी, उस व्यक्ति को कार्य अनुज्ञा जारी करेगा, जो सीमित स्थान में, ऊंचाई पर या बिजली के उपकरणों पर काम करने वाला है।

10. **वांशिग सुविधाएं.–** अधिभोगी, सभी नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिये साफ सुथरी स्थिति में और अच्छी रूप में, पानी और साबुन, तौलिया आदि की पर्याप्त आपूर्ति के साथ धुलाई की जगह प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

11. **सुरक्षात्मक उपकरण.–** अधिभोगी, खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पीपीई प्रदान करेगा और बनाये रखेगा।

12. **अल्पवस्क के नियोजित करने पर प्रतिषेध.–** किसी भी अल्पवयस्क को इस सूची के अन्तर्गत आने वाले प्रक्रिया के किसी भी क्षेत्र में नियोजित नहीं किया जायेगा।

13. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाने, जिस पर अनुसूची लागू होती है, का अधिभोगी–

(क) उसमें कार्यरत कर्मकारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; तथा

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) इस अनुसूची की प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी। वह **प्ररूप–पच्चीस** पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों

को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–पैंतीस
(धारा 82 के तहत् नियम 123 देखिये)
पॉवर प्रेस

1. **लागू होना.–** यह अनुसूची प्रेस ब्रेक सहित सभी प्रकार के पावर को लागू होगी, सिवाय जब गर्म धातु की संक्रिया में प्रयुक्त हो।

2. **परिभाषा.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए :

(क) **''अनुमोदित''** से अभिप्रेत है, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित;

(ख) **''नियत साधन''** से अभिप्रेत है, पावर प्रेस के उपकरणों को घेरा करने के लिए प्रदान किया गया साधन, जिसे पावर के किसी मशीन से संबंद्ध या उस पर अवलंबित किसी भी भाग को हटाया न जा सके तथा इसमें बंद उपकरण का वह भाग शामिल है, जो गार्ड के रूप में कार्य करता है;

(ग) **''पावर प्रेस''** से अभिप्रेत है, मोल्डिंग, प्रेसिंग, ब्लैंकिग, राइजिंग, ड्रांईग और इसी तरह के अन्य उद्देश्यों के लिये धातु या अन्य उद्योगों में प्रयुक्त मशीन;

(घ) **''सुरक्षा उपकरण''** से अभिप्रेत है, किसी पावर प्रेस के उपकरणों के लिए प्रदान किया गया साधन और कोई अन्य सुरक्षा उपकरण।

3. **स्टार्टिंग और स्टॉपिंग मैकेनिज्म.–** स्टार्टिंग और स्टॉपिंग मैकेनिज्म को एक सेफ्टी स्टॉप के साथ उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि टूल शटिंग आदि के दौरान प्रेस को ओवर रनिंग या रैम के नीचे जाने से रोका जा सके।

4. **टूल एंड डाई की सुरक्षा.–**

(1) प्रत्येक प्रेस में, स्लिप प्लेट के साथ एक नियत गार्ड प्रदान किया जाना चाहिए, जो उपकरण के सामने और सभी किनारों को नीचे की ओर से घेरकर रखेगा।

(2) प्रत्येक डाई को उसके सामने और किनारों के चारों ओर एक नियत गार्ड के साथ प्रदान किया जायेगा, और एक सुरंग के रूप में पीछे की ओर विस्तारित किया जायेगा, जिसके माध्यम से दबाया गया वस्तु, प्रेस के पीछे की ओर आता हो।

(3) पैरा (1) और (2) के रूप में निर्दिष्ट गार्ड के डिजाईन, निर्माण और परस्पर प्रास्थिति, ऐसी होगी, जिससे कि कर्मकार के हाथ या उंगलियाँ, खतरे के क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना न हो।

(4) मशीन को, डाई गार्ड के तल पर एक छोटा से विवर के माध्यम से परिपुष्ट किया जायेगा, किन्तु एक चौड़े विवर में, द्वितीय या पश्चातवर्ती संक्रियाओं को अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि भरण, किसी ढलानयुक्त माध्यम से किया जाता है।

(5) पैरा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी स्वचालित या किसी अन्तरर्ग्रथन गार्ड, नियत गार्ड के स्थान पर उपयोग किया जा सकेगा, किन्तु जहाँ इस तरह के गार्ड उपयोग किये जा रहे हैं, वे एक कुशल कार्य

दशा में रखे जायेंगे और यदि किसी भी गार्ड को दोषपूर्ण रूप से विकसित किया जाता है तो पावर, तब तक संचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि गार्ड के दोष को हटाया नहीं जाता।

5. **पावर प्रेस को उपयोग के लिये तैयार करने हेतु व्यक्तियों की नियुक्ति.–** (1) खण्ड 4 के पैरा (4) में उपबंधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति, पावर प्रेस के उपकरणों को स्थापित, पुनःस्थापित, समायोजित या प्रयास तब तक नहीं करेगा, अथवा किसी भी सुरक्षा उपकरण को उत्पादन हेतु जोखिमयुक्त पूर्व तैयारी के संस्थापित किये जाने या समायोजित किये जाने वाले उसके किसी भी सुरक्षा उपकरण की संप्रतिष्ठान या समायोजन या किसी सुरक्षा उपकरण का निरीक्षण या परीक्षण तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वहः–

(क) अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ख) पैरा (2) के अनुसार प्रशिक्षित न किया गया हो; तथा

(ग) उन कार्यों को, जो यथास्थिति, पावर प्रेस के उस वर्ग या प्रकार अथवा सुरक्षा उपकरण के उस वर्ग या प्रकार से संबंधित है, पूरा करने के लिये कारखाने के अधिभोगी द्वारा नियुक्त न किया गया हो और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(2) प्रशिक्षण में, संबंधित विषय में पावर प्रेस एवं सुरक्षा उपकरण, जिसके संबंध में प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति करना प्रस्तावित है, के प्रत्येक प्रकार के संबंध में उपयुक्त और पर्याप्त व्यवहाँरिक निर्देश शामिल होगा।

6. **पावर प्रेस और सुरक्षा उपकरणों की जांच और परीक्षण.–** (1) किसी भी पावर प्रेस या सुरक्षा उपकरण को, किसी कारखाने में पहली बार या किसी पावर प्रेस पर पहली बार सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि पावर प्रेस की स्थिति में कारखाने में या पावर प्रेस, जिसके संबंध में इसे उपयोग किया जाना है, में संप्रतिष्ठान के पश्चात्, पूरी तरह से जांच और परीक्षण न कर लिया गया हो।

(2) किसी भी पावर प्रेस का उपयोग तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि बारह महिने की तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के भीतर किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इसकी पूरी तरह से जांच और परीक्षण नहीं किया गया हो।

(3) किसी भी पावर प्रेस का उपयोग तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रत्येक सुरक्षा उपकरण (फिक्स्ड फेंसिंग के अलावा) छः महिने की तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के भीतर हो, जब पावर प्रेस की स्थिति में एक सक्षम व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से जांच और परीक्षण नहीं किया गया हो।

(4) पूर्वगामी प्रावधान के तहत् कोई जांच और परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति, निम्नलिखित विवरण वाली जांच और परीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को निरीक्षण के लिए सुगम रूप से उपलब्ध रखा जायेगा,–

(क) कारखाने के अधिभोगी का नाम;

(ख) कारखाने का पता;

(ग) पावर प्रेस या सुरक्षा उपकरण, जैसी भी स्थिति हो, की पहचान करने के लिये पर्याप्त पहचान संख्या या चिन्ह;

(घ) तारीख, जिस पर पावर प्रेस या सुरक्षा उपकरण, कारखाने में उपयोग में पहली बार लिया गया हो;

(ङ) उपरोक्त पैरा (2) की आवश्यकता के अनुसार किये गये प्रत्येक आवधिक संपूर्ण जांच की तिथि;

(च) इस तरह की गहन जांच के दौरान पाये गये पावर प्रेस या सुरक्षा उपकरण के सुरक्षित संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी दोष का विवरण और ऐसे दोषों को दूर करने के लिये उठाये गये कदम।

7. **जांच एवं परीक्षण से प्रकट दोष.–** (1) जहाँ किसी भी पावर प्रेस में या किसी सुरक्षा उपकरण में खण्ड 6 के तहत् किसी भी जांच और परीक्षण द्वारा जांच और परीक्षण करने वाले सक्षम व्यक्ति की राय में कोई भी दोष प्रकट होता है, या तोः–

(क) उक्त दोष, कर्मकारों के लिये खतरे का कारण है और इसके परिणामस्वरूप पावर प्रेस या सुरक्षा उपकरण, जैसी भी स्थिति हो, का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि उक्त दोष का उपचार नहीं किया जाता है; या

(ख) उक्त दोष, कर्मकारों के लिये खतरे का कारण है और इसके परिणामस्वरूप पावर प्रेस या सुरक्षा उपकरण, जैसी भी स्थिति हो, उस विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति के पश्चात् उपयोग नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि उक्त दोष का उपचार नहीं किया जाता है, ऐसे दोष को, यथासंभव शीघ्र, जांच और परीक्षण के पूर्ण होने के पश्चात् कारखाने के अधिभोगी को सक्षम व्यक्ति द्वारा लिखित में सूचित किया जायेगा तथा इस उप–पैरा के भीतर आने वाले दोष के मामले में, उस अवधि, जिसके भीतर सक्षम व्यक्ति की राय में, उस दोष का निवारण किया जाना है, सूचना में शामिल होगा।

(2) प्रत्येक मामले में, जहाँ इस खण्ड के अंतर्गत सूचना अधिसूचित किया जायेगा, इस खण्ड के तहत् रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, खण्ड (6) के पैरा (4) अधीन रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सक्षम व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जांच और परीक्षण के पूरा होने के चौदह दिनों के भीतर भेजेगा।

(3) जहाँ किसी भी तरह के दोष को इस खण्ड के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार अधिभोगी को अधिसूचित किया गया है, पावर प्रेस या सुरक्षा उपकरण, जैसी भी स्थिति हो, उक्त दोष के साथ, उपयोग में नहीं लाया जायेगा,–

(क) पैरा (1) के उप–पैरा (क) के भीतर आने वाले दोष के मामले में, जब तक विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद उक्त दोष का उपचार नहीं किया जाता है।

(ख) पैरा (1) के उप–पैरा (ख) के भीतर आने वाले दोष के मामले में, जब तक विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद उक्त दोष का उपचार नहीं किया जाता है।

(4) किसी भी दोष, जिसके पैरा (1) के तहत् सूचना को अधिसूचित किया गया है, यथाशीघ्र व्यवहॉर्य रूप से का उपचार किया गया है, के बाद, अधिभोगी द्वारा या उसकी ओर से उपायों को बताते हुए और तारीख, जिस पर दोष को दूर किया गया, का एक अभिलेख संधारित किया जायेगा।

8. **सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण और परीक्षण.–** (1) कोई पावर प्रेस में कोई भी उपकरण स्थापित या समायोजित नहीं की जायेगी, जब तक खण्ड 5 के तहत् प्रयोजन के लिए नियुक्त या अधिकृत व्यक्ति द्वारा उस पावर प्रेस में लगे प्रत्येक सुरक्षा उपकरण का निरीक्षण या जांच न किया गया हो :–

परंतु, यह कि किसी भी निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जहॉं उपकरणों के कोई भी समायोजन के कारण पावर प्रेस पर किसी भी सुरक्षा उपकरण में कोई बदलाव या अवरोध का कारण नहीं है, और यदि उपकरण के समायोजन के बाद, सुरक्षा उपकरण उक्त व्यक्ति की राय में कुशल कार्य दशा में बने रहेंगे।

(2) प्रत्येक पावर प्रेस और प्रत्येक सुरक्षा उपकरणों का उक्त पावर प्रेस पर संस्थापित करने के दौरान, प्रतिदिन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निरीक्षण या परीक्षण किया जायेगा।

9. **निरीक्षण और परीक्षण के दौरान प्रकट कमियां.–** (1) जहॉं किसी व्यक्ति को खण्ड 8 के तहत् उसके द्वारा किए गए निरीक्षण एवं जांच के फलस्वरूप यह प्रतीत होता है कि किसी भी आवश्यक सुरक्षा उपकरण, जो पावर प्रेस में उचित रूप से संस्थापित नहीं है या वैसा कोई अन्य सुरक्षा उपकरण, जो पावर प्रेस में संस्थापित है, उसकी राय में उचित रूप में नहीं है, तो वह तत्काल प्रबंधक को इसकी सूचना देगा।

(2) पैरा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहॉं खण्ड 8 के तहत् किसी भी निरीक्षण और परीक्षण में कोई भी दोष, किसी सुरक्षा उपकरण में प्रकट हो रहा है, निरीक्षण और परीक्षण करने वाला व्यक्ति, प्रबंधक को तत्काल इसकी सूचना देगा।

(3) जहॉं किसी सुरक्षा उपकरण में कोई दोष, खण्ड 7 के तहत् लिखित रूप में किसी सूचना के अध्यधीन है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा उपकरण का उपयोग, उक्त दोष के उपचार के बिना, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किया जा सकता

हो, तो इस पैरा के पैरा (2) की अपेक्षाएं, उक्त दोष के लिये तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि उक्त अवधि समाप्त न हो जाये।

10. **पावर प्रेस और सुरक्षा उपकरणों की पहचान.–** प्रत्येक पावर प्रेस और प्रत्येक सुरक्षा उपकरण के पहचान के प्रयोजन के लिए, इसके लिए उपबंधित अनुसार विशिष्ट और स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जायेगा।

11. **संचालकों (आपरेटरों) को निर्देश और प्रशिक्षण.–** किसी भी पावर प्रेस पर कार्य शुरू करने से पहले ऑपरेटरों को सुरक्षित तरीके से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित और निर्देशित किया जायेगा।

12. **छूट.–** (1) किसी भी कारखाने के संबंध में, कारखाना के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाता है कि प्रक्रियाओं की परिस्थिति या आवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची के सभी या किन्हीं अन्य प्रावधान, कारखाने में किसी पावर प्रेस पर नियोजित कर्मकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, लिखित में प्रमाणपत्र द्वारा, जिसे वह अपने विवेक से किसी भी समयय रद्द कर सकता है, ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, जैसा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, ऐसे सभी या किन्हीं प्रावधानों से ऐसे कारखाने को छूट दे सकता है।

(2) जहाँ इस तरह की छूट प्रदान की गई है, वहाँ ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिसके अध्यधीन प्रदान की गई है, दर्शित करते हुए प्रमाणपत्र की स्पष्ट प्रतिलिपि कारखाने में ऐसे स्थान पर चस्पा करायेगा, जहाँ नियोजित व्यक्तियों द्वारा सहज दृश्य रूप से पढ़ा जा सके।

13. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाने, जिस पर अनुसूची लागू होती है, का अधिभोगी,–

(क) उसमें कार्यरत कर्मकारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; तथा

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) इस अनुसूची की प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह **प्ररूप–पच्चीस** पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के

अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–छत्तीस
(नियम 81)

कर्तन या कतरनी और गिलोटिन मशीनें

1. **परिभाषा.–** इस अनुसूची के प्रयोजन के लिएः–

(क) **''गिलोटिन''** से अभिप्रेत है, ऐसी मशीन, जो आमतौर पर सीधे, प्रवण धार वाले ब्लेड से सुसज्जित होती है, जो किसी स्थिर प्रतिरोधी धार के लंबवत रूप से संचालित होती है और धातु या गैर–धातु या गैर–धातु पदार्थों को काटने के लिए उपयोग की जाती है;

(ख) **''कर्तन'' या ''कर्तन मशीन''** से अभिप्रेत है, ऐसा मशीन, जो आमतौर पर सीधे प्रवण धार वाले ब्लेड से सुसज्जित होता है, जो विरोधी धार में, परिभ्रामी सहित, अतिव्यापी कर्तन पहियों के साथ खड़ी रूप में संचालित होती है तथा धातुओं या गैर–धातु पदार्थों के कर्तन के लिये उपयोग की जाती है;

(ग) **''कतरनी या कतरनी मशीन''** से अभिप्रेत है, ऐसी मशीन, जो आमतौर पर गोलाकार डिस्क प्रकार के चाकू से सुसज्जित होती है, और धातु या गैर–धातु पदार्थ के काट–छांट या काटने के लिये या संकीर्ण तख्ते (पट्टी) में इन्हें लम्बवत कतरन के लिये उपयोग की जाती है, इस अनुसूची के उद्देश्य के लिये, इन शब्दों में ब्रेड या अन्य खाद्य के टुकड़े के लिये, जो परिभ्रामी चाकू या कतरन चक्र के साथ सुसज्जित होती है, शामिल है।

2. **गिलोटिन और कर्तन.–** (1) जहाँ चाकू के सामने में मशीन फ्रेम को बांधा हुआ पर्याप्त बल का कोई बेरियर मेटल गार्ड, यथा साध्य रूप से, उपलब्ध कराया जायेगा और इस प्रकार जुड़ा हुआ होगा, जिससे कि ऑपरेटर के शरीर के किसी भी भाग को, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बेरियर गार्ड या पार्श्व के उतरते समय सम्पर्क में आने से रोका जा सकेः

परन्तु, यह कि कागज मुद्रण और संबंद्ध उद्योगों के मामले में, जहाँ एक निश्चित बेरियर मेटल गार्ड, उसकी ऊंचाई या ध्वनि के कारण उपयुक्त नहीं है, वहाँ उपयुक्त घूर उपकरण, जिसमें ऑपरेटर के दोनों हाथों से किया जाना अपेक्षित है, अथवा स्वचालित यंत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि ब्लेड के प्रत्येक अवरोह में खतरे के क्षेत्र से ऑपरेटर के दोनों हाथों को सम्पर्क में आने से रोका जा सके।

(2) ऐसी मशीनों के पीछे में, एक पतला गार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके ऊपर विवर खण्ड का आवरण होगा, और ऐसी रीति से एक सुरक्षित दूरी पर एकत्र किया जायेगा, जिससे कि ब्लेड के उतरने–पहुंचने के समय पीछे में व्यक्ति को निवारित किया जा सकेगा।

(3) बिजली से चलने वाले गिलोटिन कटर, निरंतर भरण ट्रिमर को छोड़कर, निम्नलिखित से सुसज्जित होंगे :–

(क) आरंभिक उपकरणों, जिसमें काटने की गति शुरू करने के लिए दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करना अपेक्षित हो और चाकू के पूर्ण स्ट्रोक के दौरान कम से कम एक हाथ से नियंत्रण अपेक्षित हो; या

(ख) स्वचालित गार्ड, ब्लेड के प्रत्येक उचित भाग पर ऑपरेटर के हाथों को खतरे के क्षेत्र से हटा देगा, जिससे कि उपकरणों, जिसके काटने की गति शुरू करने के लिए यंत्र के दो अलग–अलग संचालन अपेक्षित है, को शुरू करने के लिए एक हाथ के संयोजन से उपयोग किया जा सके, और इस तरह से चाकू के प्रत्येक पूर्ण चक्र के पश्चात् अनआरंभिक स्थिति में सकारात्मक रूप से वापस होने के लिए किया गया है।

(4) जहाँ दो या अधिक कर्मकारों को दोनों हाथों के नियंत्रण के साथ सुसज्जित विद्युत चालित उसी गिलोटिन कटर के लिए, एक ही समय पर नियोजित किया गया हो, तो मशीन इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि प्रत्येक कर्मकार, काटना शुरू करने के लिये सुरक्षा ट्रीप पर दोनों हाथ एक साथ उपयोग करना तथा काटना पूरा करने के लिए कम से कम एक हाथ का नियंत्रण करना अपेक्षित किया जायेगा।

(5) निरंतर ट्रिमर के अलावा बिजली चालित गिलोटिन कटर, ब्रॉक या अन्य स्टापिंग मशीन के अतिरिक्त, आपातकालीन मशीन के साथ, जो ब्रॉक के विफल होने की स्थिति में संचालित करने से मशीन को रोकेगा, जब मशीन का आरंभ, अन–आरंभिक स्थिति में हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

3. **कतरनी मशीन.–** (1) धातु और चमड़े, रबर, कपड़ा या अन्य गैर–धातु पदार्थों को काटने के लिए मशीनों पर परिभ्रामी डिस्क प्रकार के चाकू में, यदि कार्य स्तर के तल पर खड़े ऑपरेटरों के पहुंच के भीतर हो, सामग्री के तल में यथा निकट यथा व्यवहाँर्य सभी समयों में धारयुक्त–चाकूयुक्त गार्ड प्रदान किया जायेगा और जो कि–

(क) सामग्री की मोटाई के लिए स्वचालित रूप से स्वयं को समायोजित करें; या

(ख) नियत किया जाना चाहिए या मैन्युअली समायोजित किया जाना चाहिए, ताकि गार्ड के नीचे और सामग्री के बीच की जगह, किसी भी समय, 6 मिमी (1/4 इंच) से अधिक न हो।

(2) कतरनी मशीन के टेबल या बेंच के नीचे ब्लेड के हिस्से को, गार्डों द्वारा आच्छादित किया जायेगा।

4. **इंडेक्स कटर और वर्टिकल पेपर स्लॉटर.–** इंडेक्स कटर, और किताबों के सिरों से स्ट्रिप्स काटने के लिए और इसी तरह के संचालन के लिए अन्य मशीनों को,

फिक्स्ड गार्ड सहित उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि ऑपरेटरों की उंगलियां, ब्लेड और टेबल के बीच न आ सकें।

5. **कॉर्नन कटर.–** पेपर बॉक्स के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कार्नर कटर निम्नलिखित से सुसज्जित होंगेः–

(क) उपयुक्त गार्ड, मशीनों में चाकू के सामने बंधा हुआ और स्लॉट या छेद, आपरेटरों के लिये दृश्ययुक्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए; या

(ख) अन्य गार्ड, कर्मकारों की उंगलियों की सुरक्षा के लिए समान रूप से कुशल हो।

6. **बैंड चाकू.–** बैंड चाकू पर बैंड पहियों और ब्लेड के सभी भाग उर्ध्वाधर मशीनों पर स्लाइडिंग गाईड एवं टेबल के बीच कार्य दशा या क्षैतिज मशीनों पर पहिया गार्ड के बीच कार्य दशा को छोड़कर शीट धातु, जो कि मोटाई या समान शक्ति की अन्य सामग्री में 1 मिलीमीटर (0.04 इंच) से कम नहीं होगा, हिंग्ज गार्ड के साथ पूरी तरह से संलग्न किया जायेगा।

7. **चिकित्सीय परीक्षण.–** (1) प्रत्येक कारखाने, जिस पर अनुसूची लागू होती है, का अधिभोगी,–

(क) उसमें कार्यरत कर्मकारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; तथा

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) इस अनुसूची की प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह **प्ररूप–पच्चीस** पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के

पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–सैंतीस
(नियम 81)

एलपीजी/एसिटिलीन/आर्गन के उपयोग के साथ वेल्डिंग/कटिंग ऑपरेशन

1. **प्रयोज्यता.–** यह अनुसूची ऑक्सीजन गैस के साथ जंक्शन पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एसिटिलीन गैस या आर्गन आदि के उपयोग से सामग्री की वेल्डिंग/कटिंग में सभी कार्यों पर लागू होती है।

2. **उपकरण.–** (1) गैस सिलेण्डर, चाहे वे खाली हों या भरे हों, उन कमरों में नहीं रखे जाने चाहिए, जहाँ वेल्डिंग या कटिंग का कार्य किया जा रहा हो।

(2) तरलीकृत गैस सिलेंडर, जब उपयोग में हो, हमेशा बेहतर स्थिति में रखे जायेंगे, और इस प्रकार रखे जायेंगे कि उसे आघात नहीं किया जा सकता हो।

(3) खुली आग, रोशनी, आग और धुम्रपान के प्रकाश, किसी ऐसे सिलेण्डर के निकट रखने हेतु निषिद्ध किया जाएगा, जिसमें वे गैसें, जो वेल्डिंग, कटिंग या हीटिंग के लिये उपयोग में हैं को छोड़कर, ज्वलनशील गैसों से युक्त है।

(4) सभी सिलेंडरों को उन सभी परिचालनों से कम से कम 10 मीटर की सुरक्षित दूरी पर संग्रहित किया जाना चाहिए, जो पिघली हुई धातु की आग, लपटें, चिंगारी उत्पन्न करते हैं या जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक गर्मी होती है।

(5) प्रत्येक गैस सिलेंडर में दक्ष मानक टाइप प्रेशर रेगुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा और गैस के बैक फ्लो को दूसरे नॉन–रिटर्न टाइप वॉल्व द्वारा प्रतिबंधित किया जायेगा।

(6) सभी वेल्डिंग/कंटिग मशाल, मानक प्रकार का होगा, नॉन रिटर्न वाल्व के साथ प्रदान की जानी चाहिए।

(7) वेल्डिंग/कटिंग की जगह के पास और गैस सिलेंडर के भंडारण के पास भी उपयुक्त प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए जायेंगे।

(8) प्रत्येक गैस की पहचान के लिए गैस सिलेंडरों से पाइप लाइनों को विशिष्ट रंगों से रंगा जायेगा।

3. **सामान्य.–** (1) वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन, ज्वलनशील धूल, गैसों, तेल या वाष्प विस्फोटक युक्त क्षेत्रों में निषिद्ध किया जायेगा।

(2) वेल्डिंग और कटिंग का कार्य, जो उन स्थानों पर किया जाता है, जहाँ वेल्डर और उनके सहायकों के अलावा अन्य व्यक्ति काम कर रहे हैं या आ–जा रहे हैं, उन्हें उपयुक्त स्थिर या पोर्टेबल स्क्रीन के माध्यम से कम से कम 2.15 मीटर (7 फीट) ऊंचाई में संलग्न किया जाना चाहिये।

(3) वेल्डिंग/कटिंग, पाइप लाइनों, ब्रेकेट, नॉन–रिटर्न वाल्व और प्रेशर रेग्युलेटर जैसे सभी उपकरणों सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच की जायेगी, जो इस तरह के

उपकरणों की, पर कम से कम 15 दिनों की अवधि में एक बार उचित स्थिति में होने की जांच करेगा।

(4) वेल्डिंग/कटिंग की प्रक्रिया, उस कार्य में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मकारों द्वारा की जायेगी और जो आग, बैक फायर और विस्फोट के खतरों से अवगत हो।

(5) उपकरणों की जांच की एक लॉग बुक और वेल्डिंग/कटिंग ऑपरेशन के लिये प्रशिक्षित कर्मकारों का एक पंजी, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निर्देशित अनुसार संधारित किया जायेगा।

4. चिकित्सीय परीक्षण.– (1) प्रत्येक कारखाने, जिस पर अनुसूची लागू होती है, का अधिभोगी,–

(क) उसमें कार्यरत कर्मकारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; तथा

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) इस अनुसूची की प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह **प्ररूप–पच्चीस** पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में, कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उस आधार पर आगे स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर कार्य में बने रहने से उस कर्मकार के स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणपत्र में तथा स्वास्थ्य पंजी में, **प्ररूप–छब्बीस** में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अपने निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जायेगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अस्वस्थ है। इस प्रकार के अवसरों में अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो कार्य के लिए अस्वस्थ पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने आगे परीक्षण करने के पश्चात्, उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए स्वस्थ्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षण के अभिलेख, ऐसे संधारित किये जायेंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हो, ऐसे रखे जायेंगे।

अनुसूची–अड़तीस
(नियम 84 देखिये)

सामग्री सुरक्षा डाटा शीट

1. सामग्री की पहचान

उत्पाद का नाम	रसायनिक पदनाम
व्यापार का नाम	समानार्थी शब्द

सूत्र	लेबलः श्रेणी / वर्ग	सीएएस संख्या	यूएन संख्या
विनियमित पहचान	शिपिंग नाम कोड / लेबल		हज्चेम कोडः
	खतरनाम अपशिष्ट पहचान संख्या		

खतरनाक सामग्री	सीएएस संख्या
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

2. भौतिक और रसायनिक गुण

भौतिक अवस्थाः (गैस, तरल, ठोस)	डिग्री सेल्सियस में क्वथनांक	35 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब .....मिली मीटर एचजी
दिखावट	डिग्री सेल्सियस में गलनांक / हिमांक बिन्दु	30 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकरण दर
श्रंग	वाष्प घनत्व (वायु =1)	30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में घुलनशीलता।
ग्रे एपौविटी आईटीसी।)	विशिष्ट गुरूत्वाकर्षण (पानी–1)	पीएच

3. आग और विस्फोटक खतरों के आंकड़े

विस्फोट / ज्वलनशीलता	फ्लैश बिन्दु (डिग्री) से.	एलईएल%	ऑटो इग्निशन तापमान डिग्री से.
	फ्लैश बिन्दु (डिग्री) से.	यूईएल%	टीडीजी ज्वलनशीलता (वर्गीकरण)

4. प्रतिक्रियाशील खतरे

स्थिर से स्थिरता	प्रभाव	(खतरनाक दहन उत्पाद)
	मुक्ति	(खतरनाक अपघटन उत्पाद)
	असक्रियता	(स्थिति से बचने के लिए)
खतरनाक पॉलिमराइजेशन	हो सकता है/हो नहीं सकता	(स्थिति से बचने के लिए)
बेजोड़ता	सामग्री, जिससे बचा जाना है	

5. स्वास्थ्य खतरे के आंकड़े

मार्गो की एंट्री : (सांस लेना, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली और आंख से संपर्क और अंतर्ग्रहण)
एक्सपोजर का प्रभाव /लक्षण :

एलडी 50 (रैट में) (मौखिक रूप से या लगातार अवशोषण) मिलीग्राम/किग्रा शरीर का वजन)	एलसी 50 (रैट में) मिलीग्राम/1) /4 घंटे

अनुज्ञेय एक्सपोजर सीमा (पीईएल) सीमा–रेखा एसीजीआईएच का मूल्य (टीएलवी)	पीपीएम मिलीग्राम/घनमीटर पीपीएम मिलीग्राम/घन घनमीटर	शॉर्ट टर्म एक्सपोजर (एसटीईएल) गंध सीमा	पीपीएम मिलीग्राम/घनमीटर पीपीएम मिलीग्राम/घनमीटर

आपातकालीन उपचार : .....

6. खतरा विशिष्टता

एनएफपीए खतरा संकेत	स्वास्थ्य	ज्वलनशीलता	स्थिरता	विशेष

खतरे का ज्ञान

दहनशीलता तरल	जल प्रतिक्रिया सामग्री	उत्तेजक
ज्वलनशील सामग्री	ऑक्सीकारक	सेंसिटाइजर
पायरोफोरिक सामग्री	कार्बनिक पेरोक्साइड	कासीनजन
विस्फोटक सामग्री	संक्षारक सामग्री	उत्परिवर्तजन
अस्थिर सामग्री	संपीड़ित गैस	अन्य (निर्दिष्ट करें)

7. सुरक्षित उपयोग डेटा

हवादार	सामान्य / यांत्रिक
	स्थानीय निकास
अपेक्षित सुरक्षात्मक उपकरण	आंखे (निर्दिष्ट करें)
	श्वसन (निर्दिष्ट करें)
	दस्ताने (निर्दिष्ट करें)
	वस्त्र (निर्दिष्ट करें)
	अन्य (निर्दिष्ट करें)
सावधानी	संचालन और भंडारण (निर्दिष्ट करें)
	अन्य (निर्दिष्ट करें)

8. आपातकालीन प्रतिक्रिया डेटा

आग	आग बुझाने का माध्यम
	विशेष प्रक्रिया
	असामान्य खतरे
एक्सपोजर (सांस लेना, त्वचा और आंखों का संपर्क, अंतर्ग्रहण)	अग्नि सहायता के उपाय
फैलाव	कदम, जो इसमें उठाये गये
	अपशिष्ट निपटान विधि

9. अतिरिक्त जानकारी

10. उपयोग किये गये स्त्रोत

संदर्भ के लिए किताबें, पत्रिकाएं, आदि

11. निर्माता / आपूर्तिकर्ता डेटा :

फर्म का नाम डाक का पता टेलीफोन नंबर टेलेक्स नंबर टेलीग्राफिक पता आपात स्थिति में संपर्क व्यक्ति	मानक पैकिंग
	अन्य
	अन्य
	आपातकालीन दूरभाष। ट्रांजिट क्षेत्र में

परिवर्णी शब्द और शब्दावली की शर्तो :

सीएएस : रसायनिक सार सेवा पंजीकरण संख्या

यू.एन. संख्या/संयुक्त राष्ट्र संख्या

हज्चेम कोड : फायर ब्रिगेड ऑपरेशंस (ईएसी), यूके, आपातकालीन कार्रवाई कोड की संयुक्त समिति द्वारा आबंटित ।

टीडीजी ज्वलनशीलता : खतरनाक माल का परिवहन – ज्वलनशीलता संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्गीकरण।

एनएफपीए/नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, यूएसए।

एल डी 50 में और एल सी 50, शरीर के वजन कि.ग्रा. में खुराक उपचार किये गये 50 प्रतिशत जानवरों (चूहों) पर घातक प्रभाव सहित 4 घंटे के लिए मि.ग्रा./1 में संकेन्द्रण का प्रतिनिधित्व

पीईएल : अनुज्ञेय एक्सपोजर सीमा, जैसा कि संविधियों में है।

टीएलवी : सरकारी औद्योगिक स्वच्छताविदों के अमेरिकी सम्मेलन, (एसीजीआईएच), यूएसए द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड सीमा मूल्य।

एसटीईएल : संविधि में या एसीजीआईएच द्वारा यथा निर्धारित शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट।

दिशानिर्देश :

सभी कॉलमों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिये। कुछ जानकारी के मामले में, जो लागू न हो या उपलब्ध न हो, नहीं/ प्रयोज्य या नहीं/उपलब्ध, चिन्ह का प्रयोग कर सकते है।

अनुसूची–उनतालीस

(नियम 93 देखिये)

कारखानों में उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपकरण

1. गर्म और ठंडे पानी की सदैव उपलब्धता के साथ चमकता हुआ सिंक।
2. कम से कम 180 से.मी./ 105 से.मी. चिकने शीर्ष वाली मेज।
3. यंत्रों को स्टारलाइज करने कि लिए साधन।
4. एक सोफे।
5. अभिन्न फिटिंग के साथ दो बाल्टी या कंटेनर।
6. एक केतली और स्प्रिट स्टोव या उलबते पानी के अन्य उपयुक्त साधन।
7. स्पिरिट्स अमोनियाक एरोमेटिक्स (120 मिली) की एक बोतल।
8. दो मध्यम आकार के स्पंज।
9. दो किडनी ट्रे।
10. शौचालय के लिये चार टिकिया।
    अधिमानतः एंटीसेप्टिक
11. दो गिलास टम्पलर और दो वाइन गिलास
12. दो नैदानिक थर्मामीटर।
13. दो चाय के चम्मच।
14. दो ग्रेज्युटेड (120 मिलीलीटर) मापने वाले चश्मे।
15. आंखें धोने के लिए एक वॉश बॉटल (1000 सीसी)।
16. 20 में से 1 बोतल (एक लीटर) कार्बोलिक लोशन।
17. तीन कुर्सियां।
18. एक स्क्रीन।
19. एक इलेक्ट्रिक हैंड टॉर्च।
20. टिटनेस टॉक्सीड की पर्याप्त आपूर्ति।
21. कोरा माइन लिक्विड (60 मि.ली.)।
22. गोलियां– एंटीहिस्टामिनिक, एंटीस्पास्मोडिक (25 प्रत्येक)।
23. सुइयों के साथ सीरिंज– 2 सीसी और 10 सीसी।
24. दो सुई धारक, बड़े और छोटे।
25. एक ड्रेसिंग संदंश।
26. एक स्केलपेल।
27. एक स्टेथोस्कोप।
28. रबर पट्टी–दबाव पट्टी।

29. आवश्यक अनुलग्नकों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर।

30. एक रक्तचाप उपकरण।

31. एक पटेलर हैमर।

32. फेफड़े के कार्य मापन के लिए एक पीक–फ्लो मीटर।

33. एक पेट धोने का सेट।

34. निर्माण प्रक्रिया के लिए विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसित कोई अन्य उपकरण।

35. इसके अलावा–

(1) 51 से 200 कर्मकारों को रोजगार देने वाले कारखानों के लिए –

1. चार सादे लकड़ी के टुकड़े 900 मि.मी. × 00 मि.मी. × 6 मि.मी.।
2. चार सादे लकड़ी के टुकड़े 50 मिमी × 75 मि.मी. × 12 मि.मी.।
3. दो सादे लकड़ी के टुकड़े 250 मि.मी.× 50 मि.मी. × 12 मि.मी.।
4. एक जोड़ी धमनी संदंश।
5. इंजेक्शन–मॉर्फिया, पेथिडीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरामाइन, नेवाकन (2 प्रत्येक)।
6. एक सर्जिकल कैंची।

(2) 200 से अधिक कर्मकारों को रोजगार देने वाले कारखानों के लिए–

1. आठ सादे लकड़ी के टुकड़े 900 मि.मी. × 100 मि.मी. × 6 मि.मी.।
2. आठ सादे लकड़ी के टुकड़े 350 मि.मी. × 75 मि.मी. × 6 मि.मी.।
3. चार सादे लकड़ी के टुकड़े 250 मि.मी. × 50 मि.मी. × 12 मि.मी.।
4. दो जोड़ी धमनी संदंश।
5. इंजेक्शन–मॉर्फिया, पेथाडाइन, ऐट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरामाइन, नेवाकैन (4 प्रत्येक)।
6. दो सर्जिकल कैंची।

अनुसूची–चालीस

(नियम 99 देखिये)

रसायनों और विषाक्त पदार्थों के संपर्क की अनुज्ञेय सीमा

क्रमांक	पदार्थ	एक्सपोजर की अनुज्ञेय सीमाएं			
		समय–भारित औसत संकेन्द्रण (8 घंटे) एम		अल्पकालिक जोखिम सीमा (15 मिनट)*	
		पीपीएम	मिलीग्राम/एम**	पीपीएम	मिलीग्राम/एम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एसीटैल्डिहाइड	100	180	150	270
2.	सिरका अम्ल	10	25	15	37
3.	एसीटोन	750	1780	1000	2375
4.	एक्रोलिन	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	एक्रिलो नाइट्राइल–स्किन	2	4.5	–	–
6.	एल्ड्रिन–स्किन	–	0.25	–	–
7.	एलिलक्लोराइड	1	3	2	6
8.	अमोनिया	25	18	35	27
9.	अनिलिन–स्किन	2	10	–	–
10.	एन्सीडाइन (ओ.पी.इसोमर) स्किन	0.1	0.5	–	–
11.	आर्सेनिक और घुलनशील यौगिक (के रूप में)	–	0.2	–	–
12.	बेंजीन (एससी)	10	30	–	–
13.	बेरिलियम और यौगिक (बीई के रूप में) (एससी)	–	0.002	–	–
14.	बोरॉन ट्राइफ्लोराइड–सी	1	3	–	–
15.	ब्रोमिन	0.1	0.7	0.3	2
16.	बुटान	800	1900	–	–
17.	2–ब्यूटेन (मिथाइलएथिल कीटोन–एमईके	200	590	300	835
18.	एन–ब्यूटाइल एसीटेट	150	710	200	950
19.	एम–ब्यूटाइल	50	150	–	–

	अल्कोहल–स्किन–सी				
20.	से./टर्ट. बूटील एसीटेट	200	950	–	–
21.	ब्यूटाइल मर्केप्टन	0.5	1.5	–	–
22.	कैडिमियम धूल और लवण (सीडी के रूप में)	–	0.05	–	–
23.	कैल्शियम ऑक्साइड	–	2	–	–
24.	कार्बेरिल (सेविन)	–	5	–	–
25.	कार्बोफुरन (फुरदान)	–	0.1	–	–
26.	कार्बन डाइसल्फाइड–स्किन	10	30	–	–
27.	कार्बन मोनोआक्साइड	50	55	400	440
28.	कार्बन टेट्राक्लोराइड–स्किन (एससी)	5	30	–	–
29.	क्लोर्डीन–स्किन	–	0.5	–	2
30.	क्लोरीन	1	3	3	9
31.	क्लोरोबेंजीन (मोनोक्लोरो बेंजीन)	75	350	–	–
32.	क्लोरोफॉर्म (एससी)	10	50	–	–
33.	बीआईएस (क्लोरोमेथिल) ईथर (एचसी)	0.001	0.005	–	–
34.	क्रोमिक एसिड और क्रोमेट्स (सीआर के रूप में)	–	0.05	–	–
35.	क्रोमस लवण (सीआर के रूप में)	–	0.5	–	–
36.	कॉपर धूआं	–	0.2	–	–
37.	कपास की धूल, कच्ची *	–	0.2*	–	–
38.	क्रेओसोल, सभी आइसोमर्स–स्किन	5	22	–	–
39.	साइनाइड्स (सीएन के रूप में) स्किन	–	5	–	–
40.	विषैली गैस	–	10	20	–
41.	डीडीटी (डाइक्लोरोडी फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन)	–	1	–	–
42.	डेमेटन–स्किन	–	0.1	–	–
43.	डायजिनॉन–स्किन	–	0.1	–	–

44.	डाईब्यूटाइल फथैलेट	—	5	—	—
45.	डिचोलोर्वोस (डीडीवीपी)—स्किन	0.1	1	—	—
46.	डाइल्ड्रिन—स्किन	—	0.25	—	—
47.	डिनिट्रोबेंजीन (सभी आइसोमर्स) स्किन	0.15	1	—	—
48.	डाइनिट्रोटोलुइन—स्किन	—	1.5	—	—
49.	डिपेनिल— (बिफेनिल)	0.2	1.5	—	—
50.	एंडोसल्फान (थियोडन)—स्किन	—	0.1	—	—
51.	एंड्रिन—स्किन	—	0.1	—	—
52.	इथाइल एसीटेट	400	1400	—	—
53.	एथिल अल्कोहोल	1000	1900	—	—
54.	इथीलेमीन	10	18	—	—
55.	फ्लोराइड्स (एफ के रूप में)	—	2.5	—	—
56.	फ्लोराइन	1	2	2	4
57.	फॉर्मलडिहाइड (एससी)	1.0	1.5	2	3
58.	फार्मिक एसीड	5	9	—	—
59.	गैसोलीन	300	900	500	1500
60.	हाइड्राजीन—स्किन (एससी)	0.1	0.1	—	—
61.	हाइड्रोजन क्लोराइड—सी	5	7	—	—
62.	हाइड्रोजन साइनाइड—स्किन—सी	10	10	—	—
63.	हाइड्रोजन फ्लोराइड (एफ के रूप में)—सी	3	2.5	—	—
64.	हाइड्रोजन पेरोक्साइड	1	1.5	—	—
65.	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	15	21
66.	आयोडीन—सी	0.1	1	—	—
67.	आयरन ऑक्साइड फ्यूम (एफई2, ओ3) (एफ ई) के रूप में	—	5	—	—
68.	आइसोमाइल एसीटेट	100	525	—	—
69.	आइसोमाइल अल्कोहल	100	360	125	4500
70.	आइसोबुटिल अल्कोहल	50	150	—	—
71.	सीसा, इनोर्जडस्ट, धूल और	—	0.15	—	—

	धुएं पीबी के रूप में)				
72.	लिंडेन–स्किन	–	0.5	–	–
73.	मैलाथियान स्किन	–	10	–	–
74.	मैंगनीज (एम एन के रूप में) धूल और यौगिक–सी	–	5	–	–
75.	मैंगनीज धुआं (एम एन के रूप में)	–	1	–	3
76.	मर्कुटी (एचजी के रूप में) स्किन (एक) ऐल्किल यौगिक (दो) एल्काइल वाष्प को छोड़कर सभी रूप।	– –	0.01 0.05	– –	0.03 –
77.	आर्यल और अकार्बनिक यौगिक	–	0.1	–	–
78.	मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) –स्किन	200	260	250	310
79.	मिथाइल सेलोसोल्व (2–मेथॉक्सी इथेनॉल)–स्किन	5	16	–	–
80.	मिथाइल आइसोबुटिल कीटोन	50	205	75	300
81.	मिथाइल आइसोसाइनेट कीटोन	0.02	0.05	–	–
82.	नेफथलीन	10	50	15	75
83.	निकल कार्बोनिल (एनआई के रूप में)	0.05	0.35	–	–
84.	नाइट्रिक एसिड	2	5	4	10
85.	नाइट्रिक ऑक्साइड	25	30	–	–
86.	नाइट्रोबेंजीन–स्किन	1	5	–	–
87.	नाइट्रोजन डाइऑक्साइड	3	6	5	10
88.	आइलमिस्ट मिनरल	–	5	–	10
89.	ओजोन	0.1	0.2	0.3	0.6
90.	पैराथियान–स्किन	–	0.1	–	–
91.	फिनोल–स्किन	5	19	–	–
92.	फोरेट (थिमेट)– स्किन	–	0.05	–	0.2
93.	फॉस्जीन (कार्बोनिल	0.1	0.4	–	–

	क्लोराइड)				
94.	फॉस्फीन	0.3	0.4	1	1
95.	फॉस्फोरिक एसिड	—	1	—	3
96.	फास्फोरस (पीला)	—	0.1	—	—
97.	फास्फोरस पेंटाक्लोराइड	0.1	1	—	—
98.	फास्फोरस ट्राइक्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3
99.	पिक्रिक एसिड —स्किन	—	0.1	—	0.3
100.	पिरिडीन	5	15	—	—
101.	सिलेन(सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड)	5	7	—	—
102.	सोडियम हाइड्रोक्साइड—सी	—	2	—	—
103.	स्टाइरीन, मोनोमर (फिनाइल— एथिलीन)	50	215	100	425
104.	सल्फर डाइऑक्साइड	2	5	5	10
105.	सल्फर हेक्साफ्लोराइड	1000	6000	—	—
106.	गंधक का तेजाब	—	1	—	—
107.	टेट्राइथाइल लेड (पीबी के रूप में)—स्किन	—	0.1	—	—
108.	टोल्यूनि (टोलओल)	100	375	150	560
109.	ओ—टूलोइडाइन एससी—स्किन	2	9	—	—
110.	ट्रिब्यूटाइल फॉस्फेट	0.2	2.5	—	—

111.	ट्राइक्लोरो–एथिलीन	50	270	200	1080
112.	यूरेनियम, प्राकृतिक (यू के रूप में)	–	0.2	–	0.6
113.	विनाइल क्लोराइड (एचसी)	5	10	.–	–
114.	वेल्डिंग का धुंआ	–	5	–	–
115.	जाइलीन (ओ.एम.पी. आइसोमर)	100	435	150	655
116.	जिंक आक्साइड (एक) धुआं (दो) धूल (कुल धूल)	 – –	 5 10	 – –	 10 –
117.	जिरकोनियम यौगिक (जेडआर के रूप में)	–	:	–	10

पीपीएम : मरक्यूरी के 25^0 से. और 760 मिमी के पैमाने से दूषित हवा के प्रति मिलियन वाष्प या गैस के हिस्से

मिलीग्राम/मी.^{3} हवा के प्रति घनमीटर पदार्थ की मिलीग्राम।

* क्रमिक एक्सपोजर के बीच कम से कम 60 मिनट अंतर के साथ दिन में 4 बार से अधिक न हो,

** मिलीग्राम/मी.^{3} = आण्विक भार

.....× एक्स पीपीएम

24.45

सी : सीलिंग लिमिट को दर्शाता है।

स्किन : श्लेष्मा झिल्ली और आंख सहित संक्रमण क्रम द्वारा सक्षम एक्सपोजर के संभावित योगदान को दर्शाता है।

एससी : संदिग्ध मानव कार्सिनोजेन्स को दर्शाता है।

एचसी : पुष्टि किए गए मानव कार्सिनोजेन्स को दर्शाता है।

पदार्थों	अनुज्ञेय समय–भारित औसत संकेन्द्रण (टीडब्लयूए) (8 घंटे)
सिलिका, सी आई ओ$_2$ (क) क्रिस्टलीय (एक) क्वार्ट्ज	
(1) धूल गिनती के संदर्भ में	10600 एमपीपीसीएम प्रतिशत क्वार्ट्ज +10
(2) श्वसन योग्य धूल के संदर्भ में	10 मिलीग्राम/मी.^{2} श्वसन योग्य क्वार्ट्ज +2

(3) कुल धूल के संदर्भ में	30 मिलीग्राम/मी^{2}
(दो) क्रिस्टोबलाइट	क्वार्ट्ज में दी गई आधी सीमा
(तीन) ट्राइडीमाइट	क्वार्ट्ज में दी गई आधी सीमा
(चार) सिलिका, फ्यूज्ड	क्वार्ट्ज के लिए समान सीमा।
(पांच) त्रिपोली	क्वार्ट्ज के सामने दिए गए आइटम (2) में सूत्र के समान सीमा
(ख) अनाकार सिलिकेट	10 मिलीग्राम/मी^{2}, कुल धूल
अभ्रक (एचसी)	2 फाइबर/एमएल, लंबाई में 5 यूएम से अधिक और चौड़ाई में 3 यू एम से कम।
पोर्टलैंड सीमेंट	10 मिलीग्राम/मी^{3}, 1 प्रतिशत से कम क्वार्ट्ज युक्त कुल धूल।
कोयले की धूल	2 मिलीग्राम/मी^{3}, श्वसन योग्य धूल अंश, जिसमें 5 प्रतिशत से कम क्वार्ट्ज होता है।

एमपीपीसीएम = मिलियन कण प्रति घनमीटर हवा, प्रकाश–क्षेत्र तकनीकों द्वारा गिने गए इम्पिंगर नमूनों के आधार पर।

* जैसा कि 400 पर मेमब्रेन फिल्टर विधि द्वारा निर्धारित किया गया है–

450 × आवर्धन (4 मिमी आबजेक्टिव) फेस कान्ट्रास इलूमीकेशन

सांस लेने योग्य धूल :

निम्नलिखित विशेषताओं के साथ आकार–चयनकर्ता के लिये अंशः

वायुगतिकीय व्यास (यू एम) (इकाई घनत्व क्षेत्र)	**प्रतिशत उत्तीर्ण चयनकर्ता**
<2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25

अनुसूची–इकतालीस

(नियम 120 देखिये)

जांच करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने के लिए नियुक्त अधिकारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का प्रकार	जांच करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने के लिए अधिकारी नियुक्त	धारा, जिसके तहत् जांच की जाती है और जुर्माना अधिरोपित किया जाता है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कारखाना	संयुक्त मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की श्रेणी निम्न का न हो	धारा 12 की उप–धारा (3), धारा 94, 96, 97, 99, 106 और धारा 114 की उप–धारा (3)
2	कारखानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठान	उप श्रम आयुक्त की श्रेणी निम्न का न हो	धारा 12 की उप–धारा (3), धारा 94, 96, 97, 99, 106 और धारा 114 की उप–धारा (3)

अनुसूची–बयालीस

(नियम 121 देखिये)

अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का प्रकार	अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	कारखाना	अपर मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की श्रेणी से निम्न का न हो
2.	कारखानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठान	अपर श्रमायुक्त की श्रेणी से निम्न का न हो

अनुसूची–तैंतालीस

(नियम 124 देखिये)

एकल अनुज्ञप्ति के लिए प्राधिकरण

स.क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	एकल जिले के लिए ठेकेदार अनुज्ञप्ति	जिला श्रम अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त
2.	कई जिलों अथवा राज्य के लिए ठेकेदार अनुज्ञप्ति	सहायक श्रम आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो।
3.	बीड़ी और सिगार के लिए आद्योगिक परिसर	श्रम अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त
4.	खतरनाक/50 से अधिक कर्मकारों (गैर–खतरनाक) के लिए कारखाना अनुज्ञप्ति	मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता
5.	अधिकतम 50 कर्मकारों गैर–खतरनाक के लिए कारखाना अनुज्ञप्ति	उप मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता/निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

अनुसूची–चौवालीस

(नियम 124 देखिये)

कॉमन अनुज्ञप्ति के लिए प्राधिकारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का संयोजन	अधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	कारखाना और ठेकेदार	मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता
2.	कारखाना एवं बीड़ी और सिगार के लिए औद्योगिक परिसर	मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता
3.	ठेकेदार एवं बीड़ी और सिगार के लिए औद्योगिक परिसर	मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता
4.	कारखाना और ठेकेदार एवं बीड़ी और सिगार के लिए औद्योगिक परिसर	मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th May 2026

NOTICE

No.-RULE-8/67/2026-LABOUR.— Draft Occupational Safety, Health and Working Conditions (Chhattisgarh) Rules, 2021 was published vide Chhattisgarh Gazette, Extraordinary Notification No. F 10-2/2021/16, dt. 25-05-2021 as required under sub-section (1) of Section 133 and sub-section (1) of Section 135 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

And whereas, vide notification number S.O. 5321 (E), dated 21st November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, under Section 3, Sub-section (ii), all the provisions of the said Code have been brought into the force.

Now therefore, the following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of powers conferred by Sections 133 and Section 135 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No. 37 of 2020) read with Section 24 of General Clauses Act, 1897 (No. 10 of 1897) and in supersession of the-

1. The Chhattisgarh Factories Rules; 1962;
2. The Chhattisgarh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Rules, 2008;
3. The Chhattisgarh Control of Industrial Major Accident Hazard Rules, 1999;
4. The Chhattisgarh Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules,1973;
5. The Chhattisgarh Beedi and Cigar Workers (Service Conditions) Rules 1968;
6. The Chhattisgarh Motor Transport Workers Rules, 1963 and
7. The Chhattisgarh Inter–State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1981

except as respected things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified as required by sub-section (1) of Section 133 and sub-section (1) of Section 135, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Under Secretary, Department of Labour, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (i) specifying the name and address of the

person/organization and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and column (iv) reasons thereof.

Objections and suggestions, if any, received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.

DRAFT RULES

CHAPTER– I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Occupational Safety, Health and Working Conditions, Rules, 2026.

(2) They shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall apply to any establishment in relation to which appropriate Government is the State Government under the Code.

(4) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appellate Authority**" means an appellate officer notified by State Government for the purpose of different Sections of the Code and these rules;

(b) "**Appendix**" means an appendix appended to these rules;

(c) "**Approved**" means approved in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator or the officer notified by the State Government in this regard as the case may be;

(d) "**Belt**" includes any driving strap or rope.

(e) "**Board**" means the Board as and where relevant under Section 17 of the Code.

(f) "**Calendar year**" means the period of twelve months beginning with the first day of January in any year;

(g) "**Casual leave**" means leave to cover casual absence of the employees from duty for personal reasons;

(h) "**Child**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (ii) of Section 2 of The Child And Adolescent Labour (Prohibition And Regulation) Act, 1986 (No. 61 of 1986)

(i) "**Code**" means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No. 37 of 2020);

(j) "**Degree**" (of temperature) means degrees on the Celsius Scale.

(k) "**Department**" means Labour Department, Government of Chhattisgarh;

(l) "**Designated Authority**" means an officer notified by the Government for the purpose of Section 119 of the Code.

(m) "**District Magistrate**" in relation to any establishment, means the District Magistrate who is vested with the executive powers of maintaining law and order in the revenue district in which the establishment is situated:

Provided that in case of a establishment, which is situated partly in one district and partly in another, the District Magistrate for the purpose shall be the District Magistrate authorized in this behalf by the State Government;

(n) "**Electronically**" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of the Code.

(o) "**Family**", when used in relation to a worker, means —

(i) spouse;

(ii) children including adopted children of the worker who are dependent upon him and have not completed the age of eighteen years; and

(iii) parents, grand–parents, widowed daughter and widowed sister dependent upon such worker.

Explanation.— For the purposes of this clause, such dependents shall not be included who are, for the time being, getting more than 21,000/– per month income from such sources or it may be notified by the State Government of Chhattisgarh from time to time.

(p) "**Fume**" includes gas or vapour.

(q) "**Hazardous substance**" means any substance or such quantity of the substance as may be prescribed in **Schedule–A (part–i & part–ii)** or

preparation of which by reason of its chemical or physio–chemical properties or handling is liable to cause physical or health hazards to human being or may cause harm to other living creatures, plants, micro–organisms, property or the environment;

(r) "**Labour Commissioner**" means an officer as such or in the capacity of Labour Commissioner appointed by the State Government;

(s) **"Licensing Officer"** means the licensing officer declared by State government for the purpose of different sections of the Code and these rules;

(t) "**Manager**" means a person nominated or appointed as such by the occupier of the factory which looks after day to day affairs in the factory.

(u) "**National standards**" means standards as approved by the Bureau of Indian Standards and in the absence of such standards, the standards approved by the State Government for a specific purpose;

(v) "**Official portal**" means official web portal of the Labour Department, Government of Chhattisgarh.

(w) "**Plant or equipment**" includes any plant, equipment, gear, machinery, apparatus or appliance, or any part thereof;

(x) "**Power**" means electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency;

(y) "**Pressure**" means air pressure in bars above atmospheric pressure;

(z) "**Pressure plant**" means the pressure vessel along with its piping and other fittings operated at a pressure greater than the atmospheric pressure;

(za) "**Prime Mover**" means any engine, motor or other appliance which generates or otherwise provides power;

(zb) "**Public Health Authority**" means the Local Health Officer having jurisdiction over the area;

(zc) "**Qualified Nurse**" means a person who possesses a qualification in nursing recognized under the Indian Nursing Council Code, 1947, and who is registered with the Chhattisgarh Nurses Registration Council, or a similar registered body of any other State in India.

(zd) "**Registering Officer**" means the registering officer appointed by State government for the purpose of different sections of the Code and these rules;

(ze) "**Responsible Person**" means a person appointed by the employer to be responsible for the performance of specific duty or duties and who has sufficient knowledge and experience and the requisite authority for the proper performance of such duty or duties;

(zf) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules;

(zg) "**Section**" means a section of the Code;

(zh) "**Workplace**" means all places where workers are required to be present or to go for work and which are under the control of an employer.

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 shall have the meaning respectively assigned to them in that Code.

CHAPTER–II

REGISTRATION

3. Application for registration under Section 3.- (1) (i) The employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in **Form-I** on the official portal by giving details about the establishment, and uploading documents related to Registration of the establishment, proof of Identity and address of the employer as specified in the said Form. The said Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(ii) The Permanent Account Number (PAN) of the applicant or the establishment, allotted under Income Tax Act,1961 (43 of 1961) or any other unique number allotted to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the said form, may be verified online.

(iii) The certificate of registration shall be issued in **Form-II** electronically immediately, if the application is complete in all respect but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto generated:

Provided that in exceptional circumstances the State Government may, for such period, by notification, as specified therein dispense with requirement of electronic registration, in respect of

establishment or class of establishment, for part or whole of State, and submission of application in **Form-III** so provided, may be allowed.

(iv) Every application referred to in rule 3, shall be accompanied by the fee prescribed as per **Schedule–1**, for registration of the establishment. All fees payable under these rules shall be credited into the Government treasury under the State head of the account notified in this regard:

Provided that, if the application for registration is not made within time as prescribed in sub-section (1) of Section 3 of the Code a late fee of 25 % of fee payable as prescribed under rule 3 shall be charged.

(v) The certificate of registration shall be non-transferable and a copy of the certificate of registration shall be displayed in the premises of the establishment at a conspicuous place(s) in hard copy or electronically.

(2) (i) For the purpose of registration of factories an officer not below the rank of Assistant Director cum Inspector–cum–facilitator will remain the registering authority and for registration of establishments other than factories not below the rank of Labour Officer will be the registering authority.

(ii) In the case where establishments fall under the category of factories as well as other establishments the registering authority shall be jointly held by Assistant Director cum Inspector–cum–facilitator for the Factories and the Labour Officer.

(iii) The Registering Officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), comply with such requirements within the time stated in such direction and such employer shall; there upon comply with the direction issued by such Officer in this behalf.

(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other Central labour laws or State labour laws for the time being in force shall, update the registration particulars on the official portal, within six months from the date on which this Rule comes into force.

(4) Any registration obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that establishment has been given an opportunity to show cause within a period of 30 days, electronically or by registered post or by speed post, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(5) The employer shall quote the registration number on all documents prepared or completed by him in connection with the Code or the Rules or the Regulations or the Scheme, as the case may be, made thereunder and in all correspondence with the office concerned.

(6) (i) Any change in the ownership, management or any particular furnished in registration **Form-I** submitted on the official portal shall be updated on the portal by the employer within thirty days of such change.

(ii) Where, on receipt of application referred to in sub–rule (i), the Registering Officer is satisfied that a change has occurred in the particulars of the establishment, shall issue a certificate of registration in **Form-II** and record therein the change which has occurred and amend the register of establishment accordingly.

(7) The employer of an establishment, to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in process of closure, may apply for cancellation of registration online on the official portal after giving complete details of the dues payable under the Central Labour Codes for the time being in force:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Central labour Codes and any other Central labour laws or State labour laws for the time being and submitted a self-certification to that effect along with the application.

(8) The Registering Officer shall maintain a register of establishment electronically in **Form-III** showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued by him.

(9) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area where the proposed establishment is situated or as the case may be, the work is to be executed, intimating the actual date of the commencement, completion of work and cessation of establishment as the case may be, in **Form-IV** electronically and the same shall be auto-shared to Employees' Provident Fund Organization (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC).

4. Appeal under Section 4.

(1) The employer, aggrieved by the order of Registering Officer, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the State

Government as per Schedule-II or any other officer as notified by the State Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically or by registered post or speed post.

(2) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form as specified by the Government by general or special order.

(3) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the Registering Officer, against whose order the appeal has been preferred and the Registering Officer shall there upon send the records of the case to the appellate officer online electronically or by registered post or speed post.

(4) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice electronically or by registered post or speed post to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal. If the appellant is present when the appeal is called on for the hearing, the Appellate Officer shall proceed to hear the appellant or his authorised agent and any other person summoned by him for this purpose, and pronounce judgment on the appeal confirming, reversing or varying the order appealed against the appeal is preferred.

(5) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order of dismissal to the applicant electronically or by registered post or speed post.

(6) Where an appeal has been dismissed, the appellant may apply electronically or by registered post or speed post, to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order of dismissal under sub-rule (5) and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(7) The order of the appellate officer under sub-rule (6) shall be communicated electronically or by registered post or speed post to the appellant and copy thereof shall be sent to the Registering Officer against whose order the appeal has been preferred.

(8) An appeal under this rule shall be dispose of within thirty days from the date on which the appeal is received under sub-section (4).

5. **Notice of commencement and cessation of operation under Section 5.-** The employer of every establishment being factory or relating to contract labour or building or other construction works shall within thirty days of the commencement or cessation of operation of the establishment, submit to the Registering Officer notice of commencement and cessation of operation in **Form-IV**, electronically and the notice of cessation of operation shall be enclosed with a certificate that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

CHAPTER–III

DUTIES OF EMPLOYERS AND EMPLOYEES

6. **Annual Health Examination of employees under clause (c) of sub-section (1) of Section 6:** Every employer of factory (not covered under sub-section (za) of Section 2 or Section 82 of the code), building & other construction work, beedi and cigar work, plantation, motor transport undertaking or any class of establishment as may be notified by the State Government, shall arrange to conduct free of cost, medical examination for every employee annually i.e. within 120 days from the commencement of the calendar year who has completed 40 years of age. The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per proforma in the **Form-V.** The Medical Certificate shall be submitted by the qualified medical practitioner to the concerned employer and employee:

Provided that employer of factory which is covered under sub-section (za) of Section 2 or Section 82 of the code shall conduct free of cost, medical examination for every employee annually i.e. within 120 days from the commencement of the calendar year by a qualified medical practitioner as per proforma in the **Form-V(A).** The Medical Certificate shall be submitted by the qualified medical practitioner to the concerned employer and employee:

Provided further that occupier shall ensure that all medical examinations are conducted in hospital registered under Chhattisgarh Nursing Home Act, 2010.

Provided also that an employer may avail facility for medical examination of the employee (s) under relevant rule of Code on Social Security

(Chhattisgarh) Rules, 2025 through Employees' State Insurance Corporation (ESIC).

7. Letter of appointment to employee under clause (f) of sub–section (1) of Section 6 – No employee shall be employed in any establishment unless he has been issued a letter of appointment in the prescribed **Form–VI:**

Provided that, an employee who has not been issued an appointment letter containing the required particulars, shall be issued an appointment letter within three months of coming into force of this rule.

8. Notice of accidents and dangerous occurrences under sub–section (1) of Section 10 and Section 11–

(1) Where at any place in an establishment which is a factory, building and other construction work, plantation, beedi and cigar works an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof in **Form–VII** electronically and inform by telephone to the Inspector–cum–Facilitator, Chief Inspector–cum–Facilitator, District Magistrate or Sub–divisional Officer and the officer–in–charge of the nearest police station; and the family members or kin of the injured or deceased person.

(2) Where at any place in an establishment which is a factory, building and other construction work, plantation, beedi and cigar works; an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in **Form–VII** within twelve hours after the completion of forty eight hours, electronically to the Inspector–cum–Facilitator.

(3) Wherein an establishment there is any dangerous occurrence as specified in the **Schedule–3**, whether causing any bodily injury or disability or not, a notice in **Form–VII** electronically shall within twelve hours be sent to:

(a) The Inspector–cum–facilitator;

(b) District Magistrate or Sub–divisional Officer;

Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and

electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within twelve hours of the death.

Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later on occurs in more than one spell, the report there of shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator in the **Form-VII** within 24 hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.

9. Notice of disease under sub–section (1) and (2) of Section 12 –

(1) A notice in **Form–VIII** shall be sent forthwith electronically, to the Inspector–Cum Facilitator and Chief Inspector–cum–facilitator, by the employer or occupier or manager of an establishment within 07 days in which there occurs any disease as notified under the Third Schedule of the Code.

(2) If any qualified medical practitioner attends on a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule to the code, the qualified medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the Chief Inspector-cum-Facilitator stating-

(a) the name and full postal address of the patient,

(b) the disease from which he believes the patient to be suffering, and

(c) the name and address of the establishment in which the patient is or was last employed.

10. Duties of employee under clause (d) and (g) of Section 13.– If an employee comes to know about any unsafe or unhealthy condition in the establishment, he shall report to the manager, health and safety representative or safety officer, as soon as practicable, electronically or in writing or telephonically and such representative or officer or manager, as the case may be, report to the employer electronically or by the registered post or speed post.

11. Rights of Employee under sub–section (3) of Section 14.– On receipt of information from the employee relating to the existence of an imminent danger to their safety and health, the employer shall take immediate remedial action in

this regard. The employer whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such actions taken, to the Inspector–cum–facilitator electronically or by registered post or speed post.

CHAPTER - IV

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

12. State Occupational Safety and health advisory Board under Section 17.

(1) The State Government shall, by notification, constitute the State Occupational Safety and Health Advisory Board to discharge the functions conferred on it by or under this Code and to advise the State Government on the matters relating to—

(a) standards, rules and regulations to be declared or framed under this Code;

(b) Implementation of the provisions of this Code and the standards, rules and regulations relating thereto;

(c) the issues of policy and program relating to occupational safety and health referred to it, from time to time, by the State Government; and

(d) any other matter in respect of this Code referred to it, from time to time, by the State Government.

(2) Members – For the purpose of Section 17 of the Code the State Occupational, Safety and Health Advisory Board shall consist of :–

(i) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary Labour Department, Government of Chhattisgarh– Chairman, *ex officio*.

(ii) Chairman, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur– Member, *ex officio.*

(iii) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary, Department of Commerce and Industries, Government of Chhattisgarh–Member, *ex officio.*

(iv) Labour Commissioner, Government of Chhattisgarh–Member, *ex officio member secretary.*

(v) Commissioner, Health and Family Welfare, Govt. of Chhattisgarh–Member, *ex officio*

(vi) Chief inspector–cum–Facilitator, Government of Chhattisgarh–Member, *ex officio*.

(vii) Director, Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh– Member *ex officio***.**

(viii) Secretary, Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board – Member, *ex officio.*

(ix) Secretary, Chhattisgarh Unorganized Workers Welfare Board – Member, *ex officio*

(x) Commissioner, Chhattisgarh Labour Welfare Board– Member, *ex officio*

(xi) CEO/Director, ESIS, Govt. of Chhattisgarh– Member, *ex officio*

(xii) Five representative of employers– Members

(xiii) Five representative of employees– Members

(xiv) Five eminent persons connected with field of Occupational Safety and health– Member,

Members referred to in clause XII, XIII, XIV as above shall be nominated by the Government of Chhattisgarh.

(3) Term of Office.— The terms of office of members as referred in clause XII, XIII, XIV of sub rule (2) shall be three years:

Provided that an outgoing member shall continue in board until the nomination of his successor is notified by the State Government.

(4) Nomination – Procedure for nomination of members, and discharge of their functions shall be prescribed by the State Government.

(5) Resignation.—

(a) A member of the State board, not being an ex officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairperson of the State Board.

(b) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the State Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the State Government which is earlier.

(c) A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the tenure of office of the member in whose place he is appointed.

(6) Cessation of membership. — If any member of the State board, not being an ex–officio member, fails to attend three consecutive meetings of the State board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of such State board for such absence, he shall cease to be a member of State board:

Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of State Board.

(7) Disqualification for membership.– A person shall be disqualified for being a member of the State Board—

(i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;

(ii) if he is an un–discharged insolvent; or

(iii) if he has been convicted for an offence, having a penalty of imprisonment of three months or more;

(8) Removal from membership.–The State Government may remove any member of the State Board, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such State Board:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a presentation against the proposed action under this rule.

(9) Travelling Allowance for members.–

(i) the travelling allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journeys performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(ii) the non–official members of the State Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the State Board at such places as per rate admissible to First Class Officer of the State Government.

(10) Meeting of the Board and Quorum.–

(1) The State Board shall meet atleast once in a year or as often as necessary.

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

(2) No business shall be transacted at any meeting unless at least 6 members are present, Provided that if at any meeting less than 6 members are

present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is a prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the member of members attending:

Provided that when the Chairperson calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

(11) Chairperson to preside at meetings.— The Chairperson shall preside over all meetings of the Board, and if the Chairperson is, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, any member nominated by the Chairperson in this behalf, and in the absence of such nomination, any other member elected by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.

(12) Minutes of meetings.—The proceedings of each meeting of the Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson as soon after the meeting as possible, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

(13) Allowances payable to Non–official members.—Every non–official member shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Board and its sub–committees at rates admissible to Class I officers of the State Government.

(14) Appointment of Secretary, other Officers and Staff.—

(1) The Board may, with the prior concurrence of the State Government, appoint an officer not below the rank of a Class I officer as Secretary of the Board.

(2) The Board may, with approval of state government, appoint such other officers and employees as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions;

(15) Formation of advisory committee or technical committee - The State Government, by notification, may constitute technical committee or advisory committee of the State Advisory Board, consisting of such number of members and having such qualifications as may be prescribed, to assist the State Government or State Advisory Board in discharge of their functions.

13. Collection of statistics and portal for inter-State migrant workers under sub-sections (1) and (2) of Section 21.-The employer shall submit the details of inter-state migrant workers and of their occupational safety and health statistics electronically on web portal designated for the purpose by the State government or such member of workers as may be specified by general or special order under.

14. Safety Committee under sub-section (1) of Section 22 –

(1) Employer of every establishment shall constitute safety committee wherein –

(a) one hundred or more workers are ordinarily employed; or

(b) "hazardous process" as defined under section 2 (za) of the Code is being carried out; or

(c) any process or operations declared to be "dangerous operations" under section 82 of the Code is being carried out;

(2) The tenure of the safety committee shall be for three years. The safety committee shall meet at least once in every quarter**.**

(3) The representative of the workers shall be chosen by the registered trade Union. In case where there is no registered trade union the members may be chosen by the workers of the establishment:

Provided that there shall be adequate representation of the women workers in the committee.

(4) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of–

(a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;

(b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees, conducted at such establishments.

(5) The owner, employer, occupier or manager shall, within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendations of the Safety Committee, shall take action to implement the recommendations.

15. Composition of Safety Committee.– (1) The representatives of the management on Safety Committee, shall consist of-

(a) a senior official, who by his position in the organization can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Chairman;

(b) a Safety Officer and Medical Officer wherever available and the safety officer in such a case shall be the Secretary of the Committee; and

(c) A representative each from the production, maintenance and purchase departments.

(2) (i) the Safety Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed twenty;

(ii) the representatives of the employer in the Safety Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the establishment, preferably the heads of major departments of the establishment;

(iii) the representative of the workers in the Safety Committee shall be chosen in the following manner, namely: -

(a) where there is a sole negotiating union or negotiating union under sub-section (2) or sub-section(3) of section 14 or a negotiating council under sub-section(4) of that section 14 of the Industrial Relations Code,2020(35 of 2020) or negotiating union or under said sub section (3) negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker‘s representatives on the Safety Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Safety Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(b) where there is no such sole negotiating union or negotiating union or negotiating council as referred to the clause (a), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker‘s representatives on the Safety Committee:

Provided that, the employer may, deploy an electronic process of conducting the process of choosing representative of workers over an information technology application, online platform or like other platform under:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers on the Safety Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed in the industrial establishment:

Provided also that the tenure of the members of the Safety Committee shall be three years.

Provided also that in case there is no recognized both negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding choosing of the worker‘s representative to the Safety Committee, the matter may be referred to the Labour Commissioner, who shall after hearing the parties decide the matter and his decision shall be final.

(3) The minutes of the meeting of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be recorded.

(4) Function and duties of the Safety Committee in an establishment shall include–

(a) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the Safety and Health Policy of the establishment;

(b) dealing with all matters concerning health, safety and environment and to arrive at practicable solutions to problems encountered;

(c) creating safety awareness amongst all workers;

(d) undertaking educational, training and promotional activities;

(e) discussing reports on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the reports;

(f) looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of the workers and suggest corrective measures; and

(g) Reviewing the implementation of the recommendations made by it.

16. Qualification of Safety Officer – (1) A person shall not be eligible for appointment as a Safety Officer relating to factory or building or other construction work unless he possesses –

(i) a recognized degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years; or

(ii) a recognized degree in physics or chemistry and has had practical experience of working in a supervisory capacity for a period of not less than 5years; or

(iii) a recognized diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years;

(iv) possesses a degree or diploma in industrial safety recognized by the Central Government or State Government in this behalf;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any person who –

(i) possesses a recognized degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5years in a department of the Central or State Government which deals with the administration of the Factories or Building or other Construction works or

(ii) possesses a recognized degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years, full time, on training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; shall also be eligible for appointment as a Safety Officer.

17. Duties of Safety Officers in case of factory and building or other construction works.- The duties of a Safety Officer shall be to advise and assist in the fulfillment of its statutory obligations, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment and such duties shall include the following, namely; –

(i) to advise the concerned departments in planning and organizing measures necessary for the effective control of personal injuries;

(ii) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;

(iii) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;

(iv) to provide advice on matters related to carrying out plant safety inspections;

(v) to carry out plant safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;

(vi) to render advice on matters related to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;

(vii) to investigate selected accidents;

(viii) to investigate the cases of notifiable diseases listed in the Third Schedule to the Code;

(ix) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures; and

(x) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries.

18. Facilities to be provided to Safety Officers.–The employer of the establishment shall provide each Safety Officer with such facilities equipment and information as are necessary to enable him to discharge his duties effectively.

19. Prohibition on performance of other Duties. – No Safety Officer shall be required or permitted to do any work which is inconsistent with safety norms of the department to the performance of the duties prescribed in Rule 17.

20. Number of Safety Officers.– In every **factory and building or other construction works** where appointment of Safety officer is mandatory, the employer shall appoint safety officers as laid down in **Schedule–4**.

Provided that, any appointment, when made in a **factory and building or other construction works**, shall be notified electronically to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction and Chief Inspector-cum-Facilitator, giving full details of the qualifications, experience, terms and conditions of service of such safety officers.

CHAPTER - V

HOURS OF WORK AND ANNUAL LEAVE WITH WAGES

21. Daily and weekly hours with intervals and spread over under clause (b) of sub-section (1) of Section 25.:

(1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty eight hours in any week.

(2) The period of work in each day under sub-rule (1), with intervals and spread overs, shall be as notified by the State Government.

22. Weekly day of rest under sub–section (2) of Section 26.–

(1) For the purpose of Section 26, there shall be posted up in a conspicuous place outside the office of every establishment a notice showing the weekly holiday. Where the weekly holiday is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the holiday allowed to each relay, or set of persons or individual in Hindi or English.

(2) The State Government may, by notification, exempt such workers as it thinks fit from the provisions of sub-section (1) of Section 26.

23. Compensatory holidays.- (1) Except in the case of worker engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day, the compensatory holidays to be allowed under sub-section (3) of Section 26 shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

(2) The manager of the establishment shall display, on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works specified under section 26 is displayed. Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.

(3) Any compensatory holiday or holidays to which a worker is entitled shall be given to him before he is discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required to be given before discharge or dismissal.

24. Wages for overtime under Section 27.– (1) Where in an establishment worker works for more than eight hours in any day or for more than forty–eight hours in any week, as the case maybe, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be $1/26^{th}$ of his monthly wages; and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings as the case may be.

(4) The spread over for the workers shall exceed twelve hours in any one day under the following works and circumstances in factories, building or other construction, motor transport namely;

(a) urgent repairs;

(b) work in the nature of preparatory or complimentary work;

(c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;

(d) work which for technical reasons must be carried on continuously;

(e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day,

(f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;

(g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

(h) engaged in an engine–rooms or boiler–houses or in attending to power–plant or transmission machinery;

(i) engaged in process on account of the break–down of machinery;

(j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;

(k) exceptional press of work and

(l) engaged in any work, which is notified by the State Government or Central government in the Official Gazette as a work of national importance;

Provided that no worker shall be allowed to work overtime exceeding one hundred forty four hours in any quarter of a year.

25. **Restriction on double employment under Section 30 –** No worker shall be required or allowed to work in a factory if he has already been working in any other such similar establishment within the preceding twelve hours, save in such circumstances as may be prescribed by the State Government.

26. **Notice of periods of work under sub–section (2) of Section 31.–** The notice referred to in sub–section (2) of Section 31 shall be displayed at conspicuous places on a notice board or electronic board of the establishment and maintained

in **Form–IX** and copy of such notice shall be sent to Inspector–cum–facilitator electronically or by registered post or speed post.

CHAPTER - VI

MAINTENANCE OF REGISTERS, RECORDS AND RETURNS

27. Maintenance and production of reports, registers and other records under Section 33.- (1) Every employer of establishment shall maintain**:-**

(a) Register of employees in **Form-X**

(b) Register of attendance-cum-muster roll in **Form X(A)**

(c) Register of wages, over time and deduction in **Form X(B)**

(2) Registers under this chapter shall be maintained electronically or otherwise. Entries in the registers shall be made in English or Hindi. Every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector cum-facilitator or any person authorized in that behalf of the State Government.

Provided that all the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.

(3) Every employer shall issue wage slips, electronically or manually to the employees in **Form X(C)** as prescribed under rule 44 of Code on wages (Chhattisgarh) Rules 2026 and sub-section (3) of Section 50 of the Code on wages, 2019 before one day of payment of wages to the employee.

(4) In respect of establishment which are required to maintain register under the rules framed under the Code on wages 2020, Social Security code, 2020 the following registers and wage slips required to be maintained by the employer of the establishment under those Codes and rules made thereunder shall be deemed to be maintained by the employer under these rules, namely:-

(a) Register of employees

(b) Register of Attendance-cum-Muster Roll

(c) Register of Wages, over time and deductions

(d) Wage slip

(5) All registers and other records required to be maintained under the Code and Rules made thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided for, shall be kept at an office or the nearest

convenient building within the precincts of the work place or at a place within a radius of three kilometers.

(6) Annual Returns –

(a) The employer to which the provisions of this Code applies on or before the 1st day of March in each year, upload a unified annual return in **Form-XI** and **XI(A)** prescribed under the Rules made in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No.37 of 2020) online on the official portal of the State Government, giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year; provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation – For the purposes of this sub-rule, the expression ―electronic form‖ shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(b) If the employer to which the provisions of this Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance as the case may be, upload online, on the official portal of the State Government, a further unified return in **Form-XI** and **XI(A)** referred to in clause (a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

(c) In case of manual registers and other records, be legibly entered in ink in English or Hindi;

(d) Manual registers and other records be preserved in original for a period of five years after the date of the last report or entry;

Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of five years period, true copies thereof, if available, shall be preserved for the prescribed period;

(e) Manual registers and other records be produced, electronically or by registered post or speed post, on demand before the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator or any person authorized in that behalf of the State Government.

28. Display on notice board.- Every employer shall display or caused to be displayed at the conspicuous place of the workplace of the establishment under his control, notices owing the name and address of the establishment, hours of work,

wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence in the establishment for the last five years, name and address of the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction over such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers in English or Hindi.

29. Return.- Every employer of an establishment shall send annually a return relating to such establishment in **Form-XI** related to category of employees, health & welfare facilities retrenchment/ layoffs, bonus, maternity benefits etc. to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction so as to reach him not later than 28th day of February following the end of each calendar year with a copy to Labour Commissioner electronically.

30. Register of accident and dangerous occurrences.- The registers of accident and dangerous occurrences required by sub-clause (v) of clause (a) of Section 33 shall be maintained in **Form-XII.**

31. Register of leave with wages under clause (a) of Section 33.-

(1) The owner, agent or manager of every establishment shall maintain in respect of every employee thereof a record of leave with wages electronically or manually in **Form-XIII.**

(2) The register mentioned in sub-rule (1) shall be preserved for a period of five years after the last entry in them has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been properly transferred to the new register.

CHAPTER - VII

INSPECTOR-CUM-FACILITATOR AND OTHER AUTHORITY

32. Qualification and experience of Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (5) of Section 34.– (1) Qualification and experience for the post of Chief Inspector-cum-Facilitator for various establishments shall be notified by the State Government.

(2) The State Government may, by notification, appoint any person as Chief Inspector-cum-Facilitator, who is an officer in the cadre of the Indian Administrative Service or the State Administrative Service having experience in labour related matter.

33. Power to take samples of any articles or substances under clause (x) of sub-section (1) of Section 35.- (1) An Inspector-cum-Facilitator shall take samples or substances in an establishment as per the inspection scheme mandated under

the Official Portal after informing the employer of the establishment, taken in the manner herein after provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being–

(a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator in contravention of any of the provisions of the code or the rules made there under, or

(b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-Facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the person informed under that sub-section unless such person willfully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-Facilitator requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this rule.

(4) The Inspector-cum-Facilitator shall-

(a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);

(b) forth with send the second portion to a Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis and report thereon;

(c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

34. Powers and duties of Inspector–cum–facilitator under clause (xiv) of sub–section (1) of Section 35.– Without prejudice to the powers of an Inspector–cum–Facilitator given in sub–section (1) of section 35, an Inspector–cum–Facilitator shall, for the purpose of the execution of the powers assigned to him under the code within the local limits of his jurisdiction have power to do all or any of the following things, that is to say –

(a) Inspector-cum-Facilitator shall, after every inspection, as may be deemed necessary, issue prohibition or improvement notice pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code, and rules and regulations made there under, to the employer or occupier or owner.

(b) An Inspector-cum-Facilitator shall, at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with and his findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by him under the Code or the regulations made there under shall be recorded and maintained.

(c) To photograph any person, to inspect, examine, measure, copy, photograph, sketch or test, as the case may be, any building or room, any plant, machinery, appliance or apparatus any register or document or anything provided for the purpose of securing the health, safety or welfare of the employees employed in an establishment;

(d) In the case of an Inspector–cum–Facilitator who is a duly qualified medical practitioner, to carry out such medical examinations as may be necessary for the purposes of his duties under the code.

(e) The Chief Inspector–cum–Facilitator or Inspector–cum–Facilitator may issue such orders to the other departments or agencies to comply with the orders issued under sub–section (2) of section 38 or any other section as specified in the Code.

35. Qualification and experience of experts to be empanelled for third party audit and certification under Section 37.- (1) The State Government may, by notification, formulate a scheme to empanel experts possessing such qualifications and experience as may be prescribed for the purpose of such start-up establishments or class of establishments, as may be specified in the notification.

(2) The experts empanelled under sub-rule (1), shall,—

(a) be assigned the third party audit and certification in a randomised manner, by the State Government through a web-based scheme;

(b) carry out the audit and certification in the manner and for the purpose specified in the scheme referred to in sub-rule (1); .

(c) perform such duties as may be specified in such scheme and submit his report to the concerned employer and to the Inspector-cum-Facilitator.

36. Manner of providing alternative employment under sub-clause (d) of clause (A) of sub-section (1) of Section 38.– Every occupier shall provide alternate employment, due to power exercised by Inspector-cum-facilitator as given under sub-clause (a) of clause (A) of sub-section (1) of section 38, to the affected workers in other areas of the factory or its part.

Provided that the wages of the affected person shall not be reduced due to alternate employment.

Provided that if the whole or any part of a factory is fully closed by an order, then it shall be the duty of the employer to pay wages and other benefits to the affected workers as per Code of Wages 2020 for the number of days.

37. Appointment of Medical officer under sub-section (1) of Section 42.-

(1) The Medical Officer shall be a medical practitioner who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019 (30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (l) of section 35, section 36, section 37 and section 40 of the said Act.

(2) The Medical Officer shall be trained in Occupational Health course including International Labour Organisation (ILO) classification of chest Radiograph duly recognized by the Central Government or State Government.

38. Duties of Medical Officer under sub–section (2) of Section 42. –

(1) On receipt of a reference under clause (c) sub section (2) of section 42, the medical officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the worker sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment and the worker concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek the opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopedic surgeon as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as government may direct:

(a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in First Schedule to the Code;

(b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to hazardous nature of any process carried on or hazardous condition of work;

(c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operation involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;

(d) to undertake occupational health survey for any or class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as specified in Third Schedule of the code.

(e) to assess the age and issue fitness of adolescent in for employment in factory or building and other construction work or any class of establishment as may be notified by State Government.

CHAPTER – VIII

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO EMPLOYMENT OF WOMEN

39. Employment of women in establishment under Section 43.– The following conditions shall be met for employment of women during night or before 6.00 A.M. and beyond 7.00 P.M in any day, namely:–

(1) the consent of women employee shall be taken in **Form–XIV**;

(2) Every employer will keep a complaint box for women workers.

(3) Each employer will display the phone number of local police station, police control room and women's help center at an easily visible place of the establishment.

(4) Provide adequate shelter, restroom and night creche for women employees.

(5) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Social Security Code, 2020 (36 of 2020);

(6) adequate transportation facilities shall be provided to women employee to pick–up and drop such employee at her residence;

(7) the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning toilet, washrooms, drinking water, entry and exit of women employee should be well-lit; the toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace where such women employee are employed

and suitable provisions of Closed-circuit television (CCTV) Surveillance on the way to these facilities shall be provided;

(8) provide safe, secure and healthy working conditions such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.

(9) dedicated telephone numbers of the establishment shall be displayed at conspicuous places both at the establishment as well as inside the vehicles, so that any women employee can utilize them, in case of any exigency or emergency;

(10) The provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied.

40. Adequate Safety of employment of women in dangerous operations under Section 44.– The State Government may declare from time to time by notification, the class of establishments and the standard for safeguarding of women in hazardous and dangerous processes.

CHAPTER - IX

SPECIAL PROVISIONS FOR CONTRACT LABOUR AND INTER–STATE MIGRANT WORKERS ETC

PART - I

CONTRACT LABOUR

41. Qualification and Criteria of the Contractor, etc. under sub-section (1) and (2) of Section 47.- For the purposes of obtaining license, the contractor as an entity or as an individual shall not be an undischarged insolvent or be convicted at any time during the last two years, of an offence which is liable for punishment for more than three months of imprisonment.

42. Conditions of License under sub-section (3) of Section 47.-

(1) The contractor shall ensure that:

i. the hours of work shall conform to these rules relating to Section 25;

ii. the wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 (29 of 2020).

iii. if the contract labour of the contractor is working at the premises of the principal employer, then, it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, canteen and crèche; and

iv. all other facilities and entitlements shall be provided by the contractor.

(2) In case the contractor fails to make payment of minimum wages to the contract labour, then, the Labour Commissioner or his representative, shall cause such payment to be made to the contract labours who have not been paid**,** out of the security deposit referred to in rule 76 including by invoking the bank guarantee.

(3) The contractor shall intimate within fifteen days of the receipt of a contract work order about the details of the contract work order in the manner as specified in rule 84.

43. Form and manner of application for contractor license under of sub-section (1) of Section 48.- Every application by a contractor within a state for the grant of a license shall be made on-line electronically through Official Portal in **FORM-XV** to the authority referred to in section 119 (hereafter in the chapter referred to as authority).

44. Single Licence for Contractor in more than one Districts or for whole of State under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 47 or sub-section (1) of Section 119.-

(1) If a contractor desirous of obtaining licence for-

(i) supplying or engaging contract labour or

(ii) undertaking or executing the contract works under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47 then, he shall apply electronically on the Official Portal in **Form-XV** to the licensing authority for more than one Districts or for the whole of State,

(2) Application for single licence under this rule shall be submitted electronically to the authority.

(3) The concerned District shall be consulted by the authority electronically. If no response is received within thirty days from the date of issue of such communication the consultation process is deemed to have been complied with.

(4) All applications under this rule shall be either approved or disapproved within a period of 45 days, from the date of application by the contractor, beyond which it shall be deemed that there are no objections and the license shall be auto-generated on the Portal referred to in sub-rule (1).

(5) Copy or copies of the licence so issued shall be sent to the District in whose jurisdiction, the contract work or works for which licence is issued, falls.

(6) License issued under this rule shall be valid for five years.

45. Forms, terms and conditions of license.- (1) Every license granted under this chapter shall be in **FORM-XVI**.

(2) Every license granted or renewed is subject to the following conditions, namely:—

(i) the license shall be non-transferable;

(ii) the number of contract labour employed by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the license;

(iii) save as provided in these rules, the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the license shall be non-refundable;

(iv) the rates of wages payable to the contract labours by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, shall not be less than the rates so fixed.

46. Procedure for issue of license under sub-section (2) of Section 48.-

(1) Before a license is issued under this chapter, bank guarantee for an amount of security calculated at the rate of rupees 1000/- for each of the contract labours to be employed, in respect of which the application for license has been made, shall be deposited by the contractor with the authority for performance of the conditions of the license and compliance with the provisions of the Code and the rules made thereunder.

If contractor proposes to engage one lakh or more but less than one lakh fifty thousand contract labours an amount of security shall be Rs. 10 Crores, engages one lakh fifty thousand but less than two lakhs contract labour an amount of security shall be Rs. 15 Crores, engages two lakh or more contract labour an amount of security shall be Rs. 20 Crores

(2) Wherein the issued contract license had expired, based on the request of the applicant in **Form - XVI**, the authority may adjust the security deposit under sub-rule (1) in respect of his application for new license.

(3) The fees to be paid for the grant of a license shall be as specified in the table below, namely;

(a)	No license is required up to 49 contract labour	Nil.
(b)	50 and above but not exceeding 100 contract labour	Rs. 1000
(c)	101 and above but not exceeding 300 contract labour	Rs. 2000
(d)	301 and above but not exceeding 500 contract labour	Rs. 3000
(e)	501 and above but not exceeding 1000 contract labour	Rs. 5000
(f)	1001 and above but not exceeding 5000 contract labour	Rs. 10000
(g)	5001 and above but not exceeding 10000 contract labour	Rs. 20000
(h)	10001 and above but not exceeding 20000 contract labour	Rs. 30000
(i)	exceeding 20001 contract labour	Rs. 40000

47. Renewal of license under Section 48.- (1) Every contractor shall apply electronically on the Official portal to the licensing authority for renewal of the license.

(2) Every such application shall be submitted on the Portal referred to in sub-rule (1) at least 30 days prior to expiry of license period but not before 90days of such expiry of license.

(3) The fee chargeable for renewal of the license shall be the same as for the grant of license under rule 46.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent, shall be payable for such renewal.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew license within 7 days electronically failing which the licence shall be deemed to be

issued and auto generated and responsibility of such failure shall be on such authority.

(5) The License granted may be amended by applying electronically in **Form-XV** within 15 days from such changes, by giving details about the amendment with increase in number of workers and with requisite security deposit amount and with difference of Fee if any, along with copy of treasury challan/e-challan or otherwise as proof of payment.

48. Refund of security deposit.- (1) On expiry of the period of license the contractor may, if he does not intend to have his license renewed further, make an application electronically to the licensing authority for the refund of the security deposited by him (in form of bank guarantee) along with copy of licence so expired and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) If the authority is satisfied that there is no breach of the conditions of license or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, he shall direct the refund of the security deposit to the applicant.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of contractor‘s security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposit, and balance, if any, shall be refunded to the contractor within 30 days from the making of application under sub-rule (1).

(4) Any application for refund shall, as far as possible, be disposed of within 30 days of the making of such application.

49. Responsibility of contractor under sub-section (4) of Section 48.-

(1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.

(2) In case where the contract labour employed by the contractor performs the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the holidays, hours of work and other conditions of service of the contract labour of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work.

In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the concerned Labour Officer/Assistant Labour Commissioner whose decision shall be final.

(3) In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the contract labour of the contractor shall be such as specified under the Code and rules made there under.

(4) All contract labour shall be made member of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, (36 of 2020).

(5) The contractor shall notify any change in the number of contract labours or conditions of work to the Authority, electronically.-

50. Intimation of work order and time limit for intimation under Section 50.-

(1) Every contractor shall within fifteen days of the receipt of a contract work order shall intimate about the contract work order containing the details such as the name of the principal employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work orders to the authority.

(2) The details of work order shall be sent under sub-rule (1) by the contractor or his authorized representative.

(3) The intimation under sub-rule (1) shall also be sent electronically on the Official Portal or e-mail of the Labour Commissioner or his representative as may be notified on the website of Labour Commissioner.

51. Revocation or suspension of license under Section 51.- (1) If the authority is satisfied that the licence has been obtained by mis-representation or suppression of any material fact or if the contractor has failed to comply with the conditions subject to which licence was granted or the contractor has contravened any provision of Part-I of Chapter-XI of the Code or rules made there under, the Authority shall issue a show cause notice of 15 days to the contractor electronically. On receipt of the reply if any, from the contractor within 15 days of the receipt of the notice, the Licensing Authority shall examine the same and in case the licensing authority feels that the continuation of contract business by the contractor is going to lead to grave harm to the contract labours, he may pass a speaking the order recording the reasons for revocation or suspension or otherwise and communicate the order to the contractor electronically or by registered post or speed post. A copy of the Order shall also be endorsed to the Labour Commissioner and concerned State Authorities.

(2) If the contractor has complied with the concerned provisions of the Code and rules made there under within the stipulated time period, the Licensing Authority shall revoke the suspension giving a speaking order or else the suspension may be continued.

(3) If the contractor fails to comply with the order in sub-rule (1), the authority may forthwith pass an order of revocation of license, recording the reasons thereof and communicate to the contractor electronically or by registered post or speed post. The copy of the order shall be endorsed electronically to Labour Commissioner and the concerned State Authority.

52. Appeal under sub–section (1) of Section 52: The appellate authority under sub–section (1) of section 52 of the Code shall be notified by the State Government on this behalf.

53. Responsibility of Payment of wages under Section 55.- (1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronic mode only.

(4) The Wages of contract labours shall be paid without any deductions of any kind, except those specified by the State Government by general or special order in this behalf or permissible under the Code on Wages 2019 (29 of 2019), by the contractors to the contract labour.

(5) A notice showing wage period and date and time of disbursement of wages of contract labour shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the principle employer electronically or in person under acknowledgement.

(6) Every contractor (including the contractors employing less than 50 contract) shall send half-yearly return in **Form-XI(A)** so as to reach the Labour Officer/Assistant Labour Commissioner concerned not later than 30 days from the close of the half year, electronically, labour that is to say January to June, July to December.

(7) In case contractor fails to make payment of wages to the contract labour within 7 days of completion of wage period, then the principal employer shall take necessary action and make payment of wages in full or the unpaid balance dues, as the case may be, to the concerned contract labour employed

by the contractor within 15 days and recover the amount so paid from the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as debt payable by the contractor or from the Security deposit lying with the Principal Employer.

(8) Every principle employer of an establishment shall submit annual return in **Form-XI (Part-II)** so as to reach the authority and concerned Labour Officer/Assistant Labour Commissioner so as to reach him not later than 1st March following the end of each Calendar year electronically, except in cases of contract which undertakes to produce given result.

54. Making payment of wages from the security deposit amount under sub-section (4) of Section 55.- If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, the concerned Labour Commissioner or his representative or the competent officer as may be notified by the state government shall conduct or cause to conduct, an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit. The contractor shall re-furnish the security deposit as by such labour commissioner or representative or officer as the case may be within a period of fifteen days or else his license will be liable to be suspended.

55. Experience Certificate under Section 56.- Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate in **Form-XVII** to the contract labour giving details of the period, work performed, experience gained in various fields performed by such contract labour.

56. Prohibition of employment of contract labour under clause (b) of sub-section (2) of Section 57.-If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application, to the Labour Commissioner from time to time giving reasons along with supporting documents and the Labour Commissioner shall pass order after hearing the concerned parties.

PART – II

INTER–STATE MIGRANT WORKERS

57. Journey allowance to Inter–State Migrant Worker under Section 61.–

The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to & fro journey to inter-state migrant worker by train (not less than II Class Sleeper) or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment

to the place of residence in the home state in the event: if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishment(s) in preceding twelve months;

Provided that the journey allowance shall be given to an inter-state migrant worker once in twelve months. In the event of change of employer by the inter-state migrant worker during the middle of the employment period and he has not availed the journey allowance from his previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-state migrant worker, the employer where the inter-state migrant worker is presently working and such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including the period spent with the previous employer, then the employer shall give journey allowance.

58. Setting up of a Toll–Free helpline number to the inter–state migrant worker under Section 63.– A Toll Free helpline number shall be provided by the Labour Department, to address queries and grievances of the migrant workers.

59. Study of inter–state migrant workers under Section 64.– The State Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of inter–state migrant workers. Wherever required the State Government may also consult expert organizations and different stakeholders involved in the safety, health and welfare of inter–state migrant workers.

PART – III

AUDIO – VISUAL WORKER

60. **Agreement for Audio-visual worker under clause (a) of sub-section (2) of Section 66.-** The Form of agreement for the audio-visual workers with the producer is given in **Form-XVIII** The agreement shall be registered with the competent authority as may be notified by the State Government.

61. Procedure for reference of disputes to a Conciliation Officer or a Tribunal under sub-section (1) of Section 66.- The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be in conformity with the Industrial Relations, Code 2020 (35 of 2020) and Rules framed there under.

PART – IV

BEEDI AND CIGAR WORKERS

62. The application for grant of licence and licence fees. –

(1) Every application under sub–section (1) of Section 119 for a licence to use or allowed to be used any place or premises as an industrial premises shall be made electronically in **Form–XV**

(2) The application shall be accompanied with the following documents, namely :–

(a) plans approved, electronically, by competent authority as declared by the Labour Commissioner showing–

(i) the site of such place or premises, the areas to be used for manufacturing processes and the immediate surroundings of such place or premises, including adjacent buildings, structures, roads, drains and the like; and

(ii) the plan elevation and necessary cross–sections of the building, structures and details relating to natural lighting, ventilation, means of escape in case of fire, position of the plant and machinery, if any, used, aisles and passage–ways in or in relation to, the various buildings which are intended to be used for manufacturing processes;

(b) the e-challan showing that the appropriate fee for licence as notified by the state government time to time.

(3) Before granting a licence, the Licensing Authority shall also take into consideration whether the site of an industrial premises is altered with respect to previous approval, or whether any industrial premise/s has been closed by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application with a view to causing prejudice to the interests of the labour.

63. Application for renewal of licence. –

(1) Every application for renewal of a licence under Section 74 shall be made electronically in **Form–XV**. The application shall be accompanied by the following documents, namely :

(a) the licence sought to be renewed;

(b) the E–Challan showing that the appropriate fee for renewal of the licence specified in the official gazette has been paid.

(2) The provisions of sub–rule (3) of Rule 62 shall, so far as may be, apply to an application made under this rule.

64. Form and terms and conditions of licence. –

(1) A licence under Section 74 shall be issued electronically in **Form-XIX**

(2) Every licence granted or renewed under Section 74 shall be subject to the following conditions, namely :

(i) the manufacturing process shall be carried on only in that part of the industrial premises specified for the purpose in the licence;

(ii) the maximum number of employees employed in the industrial premises shall not on any day exceed the number specified in the licence;

(iii) power driven machinery not specified in the licence shall not be used in the manufacturing process in the premises;

(iv) except with the prior permission in writing of the competent authority the industrial premises shall not be extended and except with the like permission no structural alteration shall be made in any building on such premises;

(v) the licence shall not be transferable;

(vi) except as provided in these Rules the fees paid for the grant, or, as the case may be, renewal of the licence shall be non–refundable.

(vii) compliance with the provisions of welfare of the labour in the locality, interest of the public generally and such other matters as may be prescribed by the State Government.

(viii) licence shall be issued for a duration of five years.

65. Fees. –(1) The fees to be paid for the grant or renewal of a licence under Section 74 shall be as per **Schedule–6** or as may be prescribed by State Government.

66. Credit of fees. – All fees payable under these rules shall be credited, electronically.

67. Non refundable fees – If the competent authority refuses to grant or renew any licence under Section 74, the fees paid thereof shall not be refunded.

68. Appeals under Section 75. – An appeal against the order of the Licensing Authority refusing grant or renewal of license shall be made appellate authority as may be notified by State Government and shall –

(a) be made electronically within a period of thirty days from the date of receipt the order sought to be appealed against;

(b) be accompanied by a copy of the order appealed against.

(c) memorandum containing grounds and facts.

(d) treasury challan, of Rs. 100, as a proof of payment of appeal fees should also be attached with the application electronically. This fee may also change from time to time as notified by State Government.

69. Wetting and cutting – The State Government may permit the wetting and cutting of beedi or tobacco leaves by employees outside the industrial premises subject to such conditions as may be prescribed from time to time on this behalf.

70. Permission for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves outside industrial premises under Section 76–

(1) The employer on behalf of the employees shall make an application online in **Form-XX** addressed to Labour officer/Assitant labour commissioner or authority as may be prescribed by State Government to obtain permission for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves, which shall be examined and forwarded by the authority with comments within 7 days to the labour commissioner. The Labour Commissioner shall forward the application with his comments within a period of seven days to the state Government. The State Government shall decide the application within a period of thirty days and grant permission for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves by employees outside industrial premises subjected to terms and conditions as laid by State Government. The permission so granted shall be valid only for such period as specified in the order granting permission.

(i) The employer who applies for the above permission shall have valid license issued under section 74.

(ii) The suitability of the place where it is proposed to be used for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves.

(iii) Wetting or cutting of beedi or tobacco leaves shall be carried on only in that place where permission is granted.

(iv) The total number of employees employed by the employer for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves outside the industrial premises shall not exceed the total number of workers for which licence is issued under section 74.

(v) The State Government may, in addition to the foregoing terms and conditions, determine and specify in the permission such other terms and conditions, in individual cases as it may deem necessary.

(2) The employer shall maintain the record of the work permitted under sub-rule (1) in **Form-XXI**

PART – V

FACTORIES

71. Approval of plans of Factories Under Section 79 –

(1) No building or structure for a factory be constructed, reconstructed, extended or taken into use as a factory or part of a factory unless previous permission in writing is obtained from the chief Inspector-cum-Facilitator. Online application in **Form–XXII** for such permission shall be made on Official portal to the chief Inspector-cum-Facilitator which shall be accompanied by the following documents:–

(a) The process flow diagram of the manufacturing process supplemented by a brief description of the process in its various stages.

(b) Details of raw materials, intermediates and finished products with their inventories and particulars of their harmful effects towards health of workers and the remedial measures. In the case of chemical substances, their chemical names and storage quantities shall be mentioned;

(c) Plans showing –

(i) The site of the factory and immediate surrounding including adjacent buildings and other structures, roads, drains, etc. drawn to a scale not less than 1:500.

(ii) Detail drawings which include plan, elevation and necessary cross sectional elevations of the various buildings and structures including all relevant details relating to natural lighting, ventilation and means of escape in case of emergency. In case of applicability, the plans shall also clearly indicate the lay–out of the plant and machinery, position of aisles and passage–ways, fire fighting arrangements, safety arrangements for working at height, position and mode of storage of chemicals, hazardous substance, flammable liquid or gases, canteen, occupational health centre, latrines, urinals and other sanitary provisions and shall be drawn to a scale not less than 1:100;

(d) Details of lifting machine, pressure plants, reactors and confined spaces to be installed;

(e) particulars of orders and no–objection certificates, if any, issued by other authorities, in respect of the proposed factory therewith;

(f) particulars in connection with the maximum number of workers to be employed in each work room, together with the area of ventilating

openings and cubic space available per worker to be employed in each room;

(g) particulars in connection with other requirements of the code and the rules and the Schedule there under applicable to the proposed factory;

(h) such other particulars as the Chief Inspector-cum-Facilitator may require so as to visualise situation of the safety of the lives and the environment likely to be effected by the factory, such as safety reports about the design and the operation of the plant from any competent person having working experience of not less than 5 years in that line, mode of disposal of effluents, neutralisation of the toxic substance any, and so forth:

(2) If the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that the plans are in consonance with the requirements, he may approve the plans subject to such conditions, if any, as he may specify for fulfilment of the requirements, and return one copy of each plan to the applicant on official portal and to the Inspector-cum- Facilitator of the area respectively seeking compliance of the terms of approval before the premises so approved is taken into use as a factory or part of a factory.

(3) No manufacturing process shall be carried on in any building constructed, re-constructed, extended or occupied for using as a factory or part of a factory whose plans were approved as referred to in sub-rule(2) until certificate of stability in **Form–XXIII,** appended to these rules, in respect of those buildings which have been delivered online to the Chief Inspector-cum-Facilitator and accepted by him.

(4) The certificate of stability referred to in sub-rule (3) shall be signed by a competent person.

72. Form and manner of application for factory license under sub–section (2) of Section 79.– The occupier seeking license for a factory shall apply electronically in **Form–XV** on Official Portal of Department by giving details about the factory, and uploading documents related to licence of the Factory along with copy of treasury challan/e–challan or otherwise as proof of payment of the amount of requisite fees, as specified in the **Schedule–5**. The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

Provided that any person shall not be appointed as manager for more than one factory.

Provided that the Fee prescribed in part A, part B and part C of **Schedule-5** for different categories of Factories shall be applicable from 1st day of year in which these rule shall come into force and thereafter every three year there will be an increase in payable fee by 30%.

73. Conditions for Renewal of license –

(A) All such application for renewal of license shall be renewed on condition of:

(i) Payment of renewal fee, as applicable, for the period as desired by the applicant;

Provided that such license shall stand null and void on non–payment of renewal fee.

(ii) Filing of Unified Annual Returns electronically within the notified time–frame every year;

Provided that such license shall stand null and void if the said Unified Annual returns are not duly filed every year within the notified time–frame.

(iii) Submission of testing reports for all lifting tools and tackles, pressure vessels, dangerous machinery, confined spaces, and any other equipment in the factory that require testing and certification, as per availability in the factory.

(iv) Approval of the on-site emergency plan for hazardous factories and submission of reports of mock drills conducted at the factory at regular intervals.

(v) Submission of safety audit and fire audit reports as per the nature of the factories in a manner as may be prescribed.

(B) Any modification or changes in the factory to exceed the limits of the power installed on any day or maximum number of workers to be employed on any day or effects any change in the name of the factory or change in occupier or change in manufacturing process or expansion of factory or such particulars referred in licence application that require separate approvals shall not be covered under the process of renewal of license.

74. Renewal of license. – (a) An application for the renewal of a license shall be made to the chief Inspector-cum-Facilitator in **Form-XV** not less than 30 days before the date on which the license expires. The application shall be accompanied by the treasury chalan as the proof of the payment of the amount of fees as specified in the Schedule given under Rule 72;

Provided that the State Government may by general or special order, extend the period for application for renewal of a licence.

(b) No application for the renewal of license made after the expiry of the period specified in sub-rule (a) or if the period is extended, after the expiry of such extended period, be entertained and the license renewed unless it is accompanied by a treasury Chalan as the proof of payment of the amount of fees specified in the Schedule referred to sub-rule (a) and an additional fee equal to 25 percent fees payable for the license which is to be renewed.

75. Procedure for issue of license – The licensing authority shall, on application being made to him under rule 72 and rule 74, issue licence in **Form–XXIV** electronically within such time period as prescribed in the Code;

Provided that the licence may be issued subject to compliance with the conditions specified therein.

76. Amendment of licence.–

(1) When at any time, during the term of a license, the occupier finds it necessary to exceed the limits of the power installed on any day or maximum number of workers to be employed on any day or effects any change in the name of the factory or change in occupier, he shall make an application with documents required for amendment of a license to the licensing authority within thirty days of such change and the licensing authority may amend the license accordingly.

(2) An application for amendment shall be made online in **Form–XV** along with a treasury e–challan as a proof of payment of the fees for amendment of a license, which shall be Rupees One Hundred plus the amount of fees payable under Rule on the basis of total maximum power installed on any one day as intended to increase or maximum number of workers intended to be employed on any one day during the calendar year or both, as the case may be, less the amount already remitted for the original license.

77. Cancellation or suspension of license.– When the Licensing Authority is satisfied that the license has been obtained by mis–representation or suppression of any material fact or if the occupier has failed to comply with the conditions subject to which license was granted or the Occupier has contravened any provision of the Part–VII, Chapter–XI of the Code or rules or repetitive contraventions of the Code and rules made thereunder, he shall issue a show cause notice to the occupier and seek a just and proper reply within 15 days electronically. On receipt of the reply if any, from the occupier, the Licensing Authority shall examine the same within 15 days and in case the licensing

authority feels that the continuation of business by the occupier is in violation of the conditions of license, he may pass a Speaking Order recording the reasons for cancellation or suspension or otherwise and communicate to the occupier electronically. A copy of the Order shall be endorsed to the Chief Inspector-cum-Facilitator and Labour Commissioner, Chhattisgarh.

78. Appeal.– Any person aggrieved by the decision of the authority referred to in Section 119 of the Code refusing to grant or renew a licence, or cancelling or suspending a licence, relating to this Part, may appeal to the State Government or an authority appointed by State Government and such authority may by order confirm, modify or reverse any order refusing to grant or renew a licence, or cancelling or suspending a licence, relating to this Part. The applicant shall :–

(a) File an application electronically or otherwise within a period of thirty days from the date of receipt the order sought to be appealed against;

(b) Annex a copy of the order appealed against.

(c) Annex the memorandum containing grounds and facts.

(d) Attach treasury challan, of Rs. 100, as a proof of payment of appeal fees with the application electronically. This fee may also change from time to time as notified.

79. Credit of fees. – All fees payable under these rules shall be credited into the Government treasury under the State head of the account notified in this regard.

80. Liability of owner of premises under Section 80 –

(1) Wherein any premises separate buildings are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be responsible for the provision and maintenance of common facilities and services, such as approach roads, drainage, water supply, lighting and sanitation.

(2) Wherein any premises, independent or self–contained, floors or flats are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall also be liable as if he/she were the occupier or manager of a factory, for any contravention of the provisions of this code in respect of —

(i) latrines, urinals and washing facilities in so far as the maintenance of the common supply of water for these purposes is concerned;

(ii) fencing of machinery and plant belonging to the owner and not specifically entrusted to the custody of user or an occupier;

(iii) safe means of access to the floors or flats and maintenance and cleanliness of staircases and common passages;

(iv) precautions in case of fire;

(v) maintenance of hoists and lifts; and

(vi) maintenance of any other common facilities provided in the premises.

(3) The Chief Inspector–cum– facilitator shall have, subject to the control of the State Government, power to issue orders to the owner of the premises in respect of carrying out the provisions of sub–rule (1) and sub–rule (2).

(4) The provisions of sub–rule (2) relating to the liability of the owner shall apply where in any premises independent rooms with common latrines, urinals and washing facilities are leased to different occupiers for use as separate factories:

Provided that the owner shall be responsible also for complying with the requirements relating to the provision and maintenance of latrines, urinals and washing facilities.

(5) The Chief Inspector–cum–Facilitator shall have, subject to the control of the State Government, the power to issue orders to the owner of the premises referred to in sub-rule (4) in respect of carrying out the provisions of section 24 of the code.

81. Dangerous manufacturing processes or operations under Section 82. –

(1) The following manufacturing processes or operations when carried on in any factory are declared to be dangerous operations under Section 82 :–

1. Manufacture of aerated water and processes incidental thereto.
2. Electrolytic plating or Oxidation of metal articles by use of an electrolyte containing chromic acid or other chromium compounds.
3. Manufacture and repair of electric accumulators.
4. Glass manufacture.
5. Grinding or glazing of metals.
6. Manufacture and treatment of lead and certain compounds of lead.
7. Generating Petrol gas from petrol.
8. Highly flammable liquids and flammable compressed gases.
9. Liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto.
10. Lead Process carried in Printing Press and Types Foundries.
11. Chemical Works.

12. Manufacture of Pottery.
13. Compression of Oxygen and Hydrogen by the Electrolysis of Water.
14. Cleaning or smoothing roughening, etc. of articles by a jet of sand, metal shots, or grit or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam.
15. Handling and processing of Asbestos, Manufacture of any article of asbestos and any other process of manufacture or otherwise, in which asbestos is used in any form.
16. Handling and manipulation of corrosive substances.
17. Manipulation of stone or Any Other Material Containing Free Silica.
18. Solvent Extractions Plants.
19. Carbon Di–sulphide plants.
20. Manufacture or Manipulation of Manganese and its compounds.
21. Applicable to factories in which Benzene or substances containing Benzene are manufactured, handled or used.
22. Manufacture of Slate Pencils.
23. Manufacture or manipulation of dangerous pesticides.
24. Manufacture or manipulation of carcinogenic dye intermediates.
25. Operations involving high noise levels.
26. Manufacture of Rayon by viscose process.
27. Operations in Foundries.
28. Process of Melting in an Induction Furnace
29. Power Presses.
30. Shears, slitters and guillotine machines.
31. Welding/cutting operation using lpg/acetylene/argon

(2) The provisions specified in the **Schedule–7** to **Schedule–37** shall apply to any class or description of factories where in dangerous manufacturing processes or operations specified in each Schedule are carried on and the term 'First employment' appearing in various Schedule means employment or re–employment there in after cessation of employment in such processes or operations for a period exceeding three calendar months.

(3) Notwithstanding the provisions specified in the **Schedule–7** to **Schedule–37**, the Inspector–cum facilitator may by issue of order in writing to the manager or occupier or both, direct them to carry out such measures and within such time as may be specified in such order to remove conditions dangerous to the health and safety of the workers, or to suspend any process where such process constitutes, in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator, an imminent danger of poisoning or toxicity or a major hazard.

(4) The occupier shall ensure medical examinations of all the worker engaged in dangerous operation that is being carried out in the factory to be conducted in **Form-V(A).** Frequency of re-examination shall be as laid down in respective Schedule;

Provided that apart from the clinical, pathological & other tests as mentioned in respective Schedules, the medical officer may recommend for such tests and examinations of the worker employed in dangerous operations as he feels necessary. Occupier shall ensure to arrange additional tests & examinations as recommended by the medical officer;

Provided further that occupier shall ensure that all medical examinations are conducted in hospital registered under Chhattisgarh Nursing Home Act, 2010.

(5) Register or record of medical examinations and tests connected therewith required to be carried out under any of the Schedule from **Schedule** 7 **to Schedule 37** in respect of any worker shall be maintained electronically in the Chhattisgarh Labour department portal and also kept readily available to the Inspector-cum-Facilitator and shall be preserved till the expiry of five years after the worker cease to be in employment of the factory.

(6) The medical officer after examining a worker, employed/or to be employed in any dangerous operation as specified in any of the Schedule from **Schedule 7 to Schedule 37**, shall issue a certificate of fitness in **Form-XXV**. The health register shall be maintained in **Form-XXVI.**

82. Site appraisal committees under Section 83 –

(1) The State Government may, for purpose of seeking advice to consider applications for grant of permission for the initial location of a factory involving a hazardous process or for the expansion of any such factory, appoint a Site appraisal committee consisting of—

(a) The Chief Inspector–cum– Facilitator of the State who shall be its Chairman;

(b) The State Government may appoint senior official of the Industrial Health and Safety Department to be the Secretary of the Committee.

(c) A representative of the State Environment Conservation Board appointed under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974);

(d) A representative of the Department of industries of the State;

(e) A representative of the Department of forest of the State;

(f) An expert in the field of occupational safety and health;

(g) A representative of the Town and country Planning Department of the State Government, and not more than five other members who may be co–opted by the State Government who shall be —

(i) A scientist who has specialized knowledge of the dangerous process involved in the factory;

(ii) A representative of the local authority within whose jurisdiction the factory is to be established, and

(iii) Not more than three other persons as deemed fit by the State Government.

(2) No member, unless required to do so by a Court of Law, shall disclose otherwise than in connection with the purposes of the Code, at any time any information relating to manufacturing or commercial business or any working process which may come to his knowledge during his tenure as a Member of this Committee.

(3) Applications for appraisal of sites. - (a) Application for appraisal of sites in respect of the hazardous process factories covered under Section 2 (za) of the Code shall be submitted to the Chairman of the Site Appraisal Committee.

(b) The application for site appraisal shall be submitted in the **Form-XXVII** in official portal. The committee may dispense with Furnishing information on any particular item in the Application Form if it considers the same to be not relevant to the application under consideration.

(4) Functions of the Committee. - (a) The Secretary shall make arrangements to register the applications received for appraisal of site in a separate register and acknowledge the same within a period of 7 days.

(b) The Secretary shall fix up meeting in such a manner that all the applications received and registered are referred to the Committee within a period of one month from the date of their receipt.

(c) The Committee may adopt a procedure for its working keeping in view the need for expeditious disposal of applications.

(d) The Committee shall examine the application for appraisal of a site with reference to the prohibitions and restrictions on the location of industry and the carrying on of processes and operations in different areas as per the provisions as Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 framed under the Environment Protection Act, 1986.

(e) The Committee may call for documents, examine experts, inspect the site if necessary and take other steps for formulating its views in regard to the suitability of the site.

(f) Wherever the proposed site requires clearance by the Ministry of Industry or the Ministry of Environment and Forests, the application for Site Appraisal will be considered by the Site Appraisal Committee only after such clearance has been received.

83. The manner of disclosing information by occupier of a factory under sub-section (1) of Section 84 – The occupier of every factory involving a hazardous process shall disclose all the information regarding dangers, including health hazards and the measures to overcome such hazards arising from the exposure to or handling of the materials or substances in the manufacture, transportation, storage and other processes, to the workers employed in the factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator, the local authority within whose jurisdiction the factories situate and the general public in the vicinity in following manner :–

The occupier of a factory carrying on a 'hazardous process' shall provide:–

(a) On–site emergency plan and detailed disaster control measures for factory having approval from Chief Inspector-cum-Facilitator every 2 years and make known to the workers employed therein and to the general public living in the vicinity of the factory, the safety measures required to be taken in the event of an accident taking place.

(b) A list of 'hazardous processes' carried on in the factory;

(c) Detailed policy with respect to the health and safety of the workers employed therein under sub-section (2) of section 84 and intimate such policy to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the local authority and, thereafter, and

after every 12 months, inform the Chief Inspector-cum-Facilitator and the local authority of any change made in the said policy.

(d) Hazard Identification (HAZID) Study to be carried out to identify potential hazards during manufacturing process, which can adversely affect workers or neighbouring population in a serious manner.

(e) Hazard evaluation studies like safety audit, fault tree analysis, event tree analysis, Report of Hazard and operability (HAZOP) study of all the hazardous processes and dangerous operations carried out to reduce the probability and consequences of any incident, after every twelve months to the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(f) Location and availability of all Material Safety Data Sheets of all the hazardous substances

(g) Physical and health hazards arising from the exposure to or handling of Substances,

(h) Measures taken by the occupier to ensure safety and control of physical and health hazards;

(i) Measure to be taken to ensure safe handling, storage and transportation of hazardous substances;

(j) Details of personal protective equipment provided in the factory.

(k) Measures to be taken by the workers in case of any spillage or leakage of hazardous substances;

(l) Any other information considered necessary by the occupier to ensure safety and health of workers.

84. Material Safety Data Sheet under sub-section (1) of Section 84 –

(1) The occupier of every factory carrying out a 'hazardous process' shall arrange to obtain or develop information in the form of material Safety Data Sheet (MSDS), in respect of every hazardous substance or material handled in the manufacture, transportation and storage in the factory. It shall be accessible upon request to a worker for reference.

(a) Every such Material Safety Data Sheet shall include the following information:

(i) The identity used on the label;

(ii) Hazardous ingredients of the substances;

(iii) Physical and chemical characteristics of the hazardous substance;

(iv) The physical hazards of the hazardous substances, including the potential for fire, explosion and reactivity;

(v) The health hazards of the hazardous substances including signs and symptoms of exposure, and any medical conditions which are generally recognized as being aggravated by exposure to the substance;

(vi) The primary route (s) of entry;

(vii) The permissible limits of exposure of chemical and toxic substances in the manufacturing process in any factory as prescribed under section 88 of the Code, and in respect of a chemical not covered by the said Schedule, any exposure limit used or recommended by the manufacturer, importer or occupier;

(viii) Any generally applicable precautions for safe handling and use of the hazardous substance, which are known, including appropriate hygienic practices, protective measures during repairs and maintenance of contaminated equipment, procedures for clean up of spills and leaks;

(ix) Any generally applicable control measures, such as appropriate engineering, controls, work practices, or use of personal protective equipment;

(x) Emergency and first–aid procedures;

(xi) The date of preparation of the Material Safety Data Sheet, or the last change to it; and

(xii) The name, address and telephone number of the manufacturer, importer, occupier or other responsible party preparing or distributing the Material Safety Data sheet, who can provide additional information on the hazardous substance and appropriate emergency procedures, if necessary.

(b) The occupier while obtaining or developing a Material Safety Data sheet in respect of a hazardous substance shall ensure that the information recorded accurately reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. If he becomes aware of any new significant information regarding the hazards of a substance, or ways to protect against the hazards, this new information shall be added in the Material Safety Data Sheet as soon as practicable.

(c) An example of such a Material Safety Data Sheet is given in **Schedule–38.**

(2) Labelling. – Every container of hazardous substance shall be clearly labelled or marked to identify:

(a) the contents of the containers;

(b) the name and address of the manufacturer or importer of the hazardous substance;

(c) the physical and health hazards; and

(d) the recommended personal protective equipment needed to work safely with the hazardous substance.

85. Disclosure of information to workers under sub-section (1) of Section 84 –

(1) The occupier of factory carrying out a 'hazardous process' shall supply to all workers the following information in relation to handling of hazardous materials or substances in manufacture, transportation, storage and other processes:

(a) requirements of Section 84 of the Code;

(b) a list of 'hazardous processes' carried out in the factory;

(c) location and availability of all Material Safety Data Sheets as required under Rule 84;

(d) physical and health hazards arising from the exposure to or handling of substances;

(e) measures taken by the occupier to ensure safety and control of physical and health hazard;

(f) measure to be taken by the workers to ensure safe handling, storage and transportation of hazardous substances;

(g) personal protective equipment required to be used by workers employed in 'hazardous process' or dangerous operation;

(h) meaning of various labels and markings used on the containers of hazardous substances as provided under Rule 84;

(i) signs and symptoms likely to be manifested on exposure to hazardous substances and to whom to report;

(j) measures to be taken by the workers in case of any spillage or leakage of a hazardous substances;

(k) role of workers vis–a–vis the emergency plan of the factory, the evacuation procedures in particular;

(l) any other information considered necessary by the occupier to ensure safety and health of workers.

(2) The information required by sub–rule (1) shall be copied and made known to workers individually through supply of booklets or leaflets and display of cautionary notices at the workplaces.

(3) The booklets, leaflets and the cautionary notices displayed in the factory shall be in the language understood by the majority of the workers and also explained to them.

(4) The occupier shall review once in every calendar year and modify, if necessary, the information furnished under sub–rule (1) to the workers and the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(5) In the event of any change in the process or operations of methods of work or when any new substance is introduced in the process or in the event of a serious accident taking place, the information so furnished shall be reviewed and modified to the extent necessary.

(6) The Chief Inspector-cum-Facilitator may direct the occupier to supply further information to the workers as deemed necessary.

86. Disclosure of information to the general public under sub-section (1) of Section 84 –

(1) The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall inform the general public who are likely to be in the area which might be affected by an accident. Such information shall include–

(a) Name of the factory and address where situated;

(b) Identification, by names and position, of the person giving the information;

(c) Confirmation that the factory has approval from the Directorate Industrial Health and Safety and Chhattisgarh Environment Conservation Board;

(d) An explanation in simple terms of the hazardous process(s) carried on in the premises in language spoken by majority of population;

(e) The common names of the hazardous substances used which could give rise to an accident likely to affect them, with an indication of their principal harmful characteristics;

(f) Brief description of the measures to be taken to minimize the risk of such an accident in compliance with its legal obligations under relevant safety statutes;

(g) Salient features of the approved disaster control measures adopted in the factory;

(h) Details of the factory's emergency warning system, for the General Public;

(i) General advice on the action members of the public should take on hearing the warning;

(j) Brief description of arrangements in the factory, including liaison with the emergency services, to deal with foreseeable accidents of such nature and to minimize their effects; and

(k) Details of where further information can be obtained.

(2) The occupier shall also supply any further information,–

(a) To general public as directed by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time;

(b) To the elected representatives of the general public on request.

(3) The information prescribed in sub–rule (1) and (2) shall be in the Regional Language or Hindi.

87. Disclosure of information to the local authority under sub-section (1) of Section 84 – The occupier of every factory carrying out a 'hazardous process' shall furnish the following information in writing to the local authority having jurisdiction over the area in which the factory is situated, namely:–

(a) The information furnished to general public as prescribed under rule 86,

(b) A statement of the names and quantities of hazardous substances generally stored or in process.

88. Health & safety policy under sub-section (2) of Section 84 –

(1) Occupier of every factory, covered in the First Schedule under sub-section (za) of Section 2 of the code or carrying out processes or operations declared to be dangerous under Section 82 of the code, shall prepare a written statement of his policy in respect of health and safety of workers at work.

(2) Occupier of every factory covered under sub rule (1) shall inform the Chief Inspector–cum–Facilitator or Inspector–cum–facilitator and local authority a

detailed health and safety policy every two years or any changes made in the said policy.

(3) The Health and Safety Policy should contain or deal with–

(a) declared intention and commitment of the top management to health, safety and environment and compliance with all the relevant statutory requirements;

(b) organisational set up to carry out the declared policy clearly assigning the responsibility at different levels; and

(c) arrangements for making the policy effective.

(4) In particular, the policy should specify the following:–

(a) arrangements for involving the workers;

(b) intentions of taking into account the health and safety performance of individuals at different levels while considering their career advancement;

(c) fixing the responsibility of contractors, sub–contractors, transporters and other agencies entering the premises;

(d) providing a resume of health and safety performance of the factory in its Annual Report;

(e) relevant techniques and methods, such as safety audits and risk assessment for periodical assessment of the status on health, safety and environment and taking all the remedial measures;

(f) stating the intentions to integrate health and safety in all decisions including those dealing with purchases, of plant, equipment, machinery and material as well as selection and placement of personal;

(g) arrangements for informating, education and training and retraining its own employees at different levels and the public, wherever required.

(5) A copy of the declared Health and Safety Policy signed by the occupier shall be made available to the Inspector–cum–Facilitator having jurisdiction over the factory and to the Chief Inspector–cum–Facilitator.

(6) The policy shall be made widely known by

(a) making copies available to all workers including contract workers, apprentices, transport workers, suppliers, etc.

(b) displaying copies of the policy at conspicuous places; and

(c) any other means of communication in a language understood by the majority of workers.

(7) The occupier shall revise the Health and Safety Policy as often as may be appropriate, but it shall necessarily be revised under the following circumstances:

(a) whenever any expansion or modification having implication on safety and health of persons at work is made; or

(b) wherever new substance(s) or articles are introduced in the manufacturing process having implications on the health and safety of persons exposed to such substances.

(8) The occupier shall send the revised updated health and safety policy at the interval of every two years, to the Chief Inspector-cum-Facilitator.

89. Information to be furnished by Occupier of Hazardous process Industry to the Chief Inspector–cum–Facilitator under sub-section (5) of Section 84 –

(1) The occupier of every factory carrying on 'hazardous process' shall furnish, in writing, to the Chief Inspector-cum-Facilitator a copy of all the information furnished to the workers, local authority and general public.

(2) A copy of compilation of Material Safety Data Sheets in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory shall be furnished to the Chief Inspector-cum-Facilitator, and the local Inspector-cum-Facilitator.

(3) The occupier shall also furnish any other information asked for by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time for the purpose of this Act and Rules made thereunder.

(4) The Information desired under this Rule shall be furnished electronically in prescribed **Form–XXVIII**.

90. Information on industrial wastes under sub-section (7) of Section 84 –

(1) The information furnished under Rules 85, 86, 87 and 89 shall include the quantity of the solid and liquid wastes generated per day, their characteristics and the method of treatment such as incineration of solid wastes, chemical and biological treatment of liquid wastes, and arrangements for their final disposal.

(2) It shall also include information on the quality and quantity of gaseous waste discharged through the stacks or other openings, and arrangements such as provision of scrubbers, cyclone separators, electrostatic precipitators or

similar such arrangements made for controlling pollution of the environment.

(3) The occupier shall also furnish the information specified in sub–rules (1) and (2) to the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

91. Issue of Guidelines under Section 84 – For the purpose of compliance with the requirements of Section 84 or Section 85, the Chief Inspector–cum–Facilitator may, if deemed necessary, issue guidelines from time to time to the occupiers of factories carrying on `hazardous process'. Such guidelines shall be based on national Standards, Codes of Practice, or recommendations of International bodies such as International Labour Organization and World Health Organization.

92. Medical Examination of Workers Employed in Hazardous Process under Section 85 –

(1) Workers employed in hazardous process shall be medically examined by a qualified medical practitioner in the following manner, namely :–

(a) Once before employment, to ascertain physical fitness of the person to do the particular job;

(b) Once in a period of twelve months, to ascertain the health status of all the workers in respect of occupational health hazards to which they are exposed; and where in the opinion of the qualified medical practitioner it is necessary to do so at a shorter interval in respect of any worker;

(2) No person shall be employed for the first time without a certificate of Fitness in **Form–XXV** granted by the medical Officer. If the medical officer declares a person unfit for being employed in any hazardous process covered under section 2(za) of the code, such a person shall have the right to appeal to the Inspector–cum Facilitator, who shall refer the matter to the civil surgeon/ medical inspector–cum–facilitator whose opinion shall be final in this regard. If the Inspector himself is also a medical officer, he may dispose of the application himself.

(3) The details of pre–employment and periodical medical examinations carried out as aforesaid shall be recorded in the Health Register **Form–XXVI**.

(4) Any findings of the medical officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall immediately be reported to the civil surgeon/medical inspector–cum–facilitator who shall, examine the concerned worker and communicate his findings to the occupier within 30 days. If the civil surgeon/medical inspector–cum–facilitator is of

the opinion that the worker so examined is required to be taken away from the process for health protection, he shall direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the worker so taken away shall be provided with alternate placement unless he is fully incapacitated, in the opinion of the medical officer, in that case the worker effected shall be suitably rehabilitated:

Provided that the medical inspector–cum–facilitator on his own examine any worker when he considers it necessary to do so far ascertaining the suitability of his employment in the 'hazardous process' or for ascertaining the health status of any worker.

(5) The worker taken away from employment in any process under sub–rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the Medical Officer and after making entries to that effect is the Health Register.

(6) An Inspector may, if he deems it necessary to do so, refer a worker to the Medical Officer or Medical Inspector–cum–facilitator for medical examination as required under sub–rule (1).

(7) The worker required to undergo medical examination under these rules and for any medical survey conducted by or on before the Central or the State Government shall not refuse to undergo such medical examination.

93. Occupational Health Centre under Section 85 –

(1) In respect of any factory carrying on hazardous process there shall be provided and maintained in good order an occupational health centre inside factory premises with the services and facilities as per scale laid down hereunder: –

(a) For factories employing up to 50 workers –

(i) the services of a qualified medical practitioner on retainer ship basis in his clinic to be notified by the occupier. He shall carry out the pre–employment and periodical medical examination as stipulated under rule–92 and render medical assistance during any emergency;

(ii) at least five persons trained in first–aid procedures amongst whom at least one shall always be available during the working period; and

(iii) a fully equipped first–aid box.

(b) For factories employing 51 to 200 workers–

(i) an occupational health Centre having a room with a minimum floor area of fifteen square metres with floors and walls made of smooth and impervious surface and with adequate illumination and ventilation as well as equipment and with adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the **Schedule–39**;

(ii) a part–time qualified medical practitioner shall be in overall charge of the centre who shall visit the factory at least twice every week and whose services shall be readily available during medical emergencies;

(iii) one qualified and trained dresser–cum–compounder on duty throughout the working period; and

(iv) a fully equipped first–aid box in all the departments.

(c) For factories employing above 200 workers——

(i) one full–time qualified medical practitioner for factories employing up to five hundred workers and one more medical officer for every additional one thousand workers or part thereof;

(ii) an Occupational Health Centre having at least two rooms each with a minimum floor area of fifteen square metres with floor and walls made of smooth and impervious surface and adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the **Schedule–39**.

(iii) there shall be one nurse, one dresser–cum compounder and one sweeper–cum–ward boy throughout the working period; and

(iv) the Occupational Health Centre shall be suitably equipped to manage medical emergencies.

(2) The qualified medical practitioner required to be appointed under sub–rule (1) shall have any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019 (30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (l) of section 35, 36, 37 and 40 of the Act and should possess a certificate of Training in Industrial Health of minimum three months duration recognised by the State Government;

Provided that–

(i) a person possessing a Diploma in Industrial Health or

equivalent shall not be required to possess the certificate of training as aforesaid;

(ii) the Chief Inspector–cum–Facilitator may, subject to such conditions as he may specify, grant exemption from the requirement of this sub–rule, if in his opinion a suitable person possessing the necessary qualification is not available for appointment; and

(iii) in case of a person who has been working as qualified medical practitioner for a period of not less than three years on the date of commencement of this rule, the Chief Inspector–cum–Facilitator may, subject to the condition that the said person shall obtain the aforesaid certificate of training within a period of three years, relax the qualification.

(3) The syllabus of the course leading to the above certificate and the organisations conducting the said course shall be approved by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institute of the Government in accordance with the guidelines issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institute.

(4) Within one month of the appointment of a qualified medical practitioner, the occupier of the factory shall furnish to the Chief Inspector–cum–Facilitator the following particulars, namely:–

(a) Name and address of the qualified medical practitioner;

(b) Qualifications;

(c) Experience, if any; and

(d) The sub–rule under which was appointed.

94. Ambulance Van under Section 85 –

(1) In any factory carrying on hazardous process, there shall be provided and maintained in good condition a suitably constructed ambulance van equipped with items as per sub–rule (2) and manned by a full–time Driver–cum–mechanic and helper trained in first–aid for the purposes of transportation of serious cases of accidents or sickness. The ambulance van shall not be used for any purpose other than the purpose stipulated herein and will normally be stationed at or near to the Occupational Health Centre:

(2) Provided that a factory employing less than two hundred workers may make arrangements for procuring such a facility at short notice from nearby

hospital or other places, to meet any emergency.

(3) The ambulance should have the following equipments :—

(a) General –

— A wheeled stretcher with folding and adjusting devices; with the head of the stretcher capable of being tilted upward;

— Fixed suction unit with equipment;

— Fixed oxygen supply with equipment;

— Pillow with case;

— Sheets;

— Blankets;

— Towels;

— Emesis bag;

— Bed Pan ;

— Urinal;

— Glass

(b) Safety equipment –

— Flares with life of thirty minutes;

— Flood lights;

— Flash lights;

— Fire extinguisher dry powder type;

— Insulated gauntlets.

(c) Emergency care equipments–

(i) Resuscitation –

— Portable suction unit; Portable Oxygen units;

— Bag–valve–mask, hand operated artificial ventilation unit;

— Airways;

— Mouth gases;

— Tracheostomy adopters;

— Short spine board;

— I. V. Fluids with administration unit;

— B.P. manometer;

— Gugg;

— Stethoscope

(ii) Immobilization –

— Long and short padded boards;

— Wire ladder splints;

— Triangular bandage;

— Long and short spine boards.

(iii) Dressings –

— Gauze pads – 4" x 4";

— Universal dressing 10" x 36";

— Roll of aluminum foils;

— Adhesive tape of 3";

— Safety pins;

— Bandage sheets;

— Burn sheet.

(iv) Poisoning –

— Syrup of ipecac;

— Activated Charcoal pre–packaged in doses;

— Snake bite kit;

— Drinking water.

(v) Emergency Medicines –

— As per requirement (under the advice of a Medical Officer only).

95. Decontamination Facilities under Section 85 – In every factory carrying out `hazardous process' the following provisions shall be made to meet emergency:

(a) fully equipped first aid box;

(b) readily accessible means of water for washing, drenching clothing of workers as well as for those who have been contaminated with hazardous and corrosive substances and such means shall be as per scale shown in the table below:–

Table

No. of persons employed at any time	No. of drenching showers
Upto 50 persons	2
Between 51 to 100	3
101 to 200	3 + 1 for every 50 persons thereafter
201 to 400	5 + 1 for every 100 persons thereafter
401 and above	7 + 1 for every 200 persons thereafter

(c) a sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently situated and clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.

96. Qualification of persons handling Hazardous Substances under Section 85 –

(1) All persons who are required to supervise the handling of hazardous substances shall possess the following qualifications and experience :–

(a) A degree in Chemistry or Diploma in Chemical Engineering or Technology with 5 years experience; or

(b) A Master's Degree in Chemistry or a Degree in Chemical Engineering or Technology with 2 years of experience.

(c) The experience stipulated above shall be in process operation and maintenance in the Chemical Industry.

(2) The Chief Inspector–Cum–Facilitator may require the supervisor to undergo training in Health and Safety. The syllabus and duration of the training in health and safety and the organisation conducting the training shall be approved by the DGOSH or the State Government in accordance with the guideline issued by the DGOSH.

97. Health Records accessible to Workers under Section 85 –

The occupier of every factory carrying out hazardous process shall make available the health records including the records of workers exposure to hazardous process or, as the case may be, the medical records of any worker for his perusal under the following conditions :–

(a) once in every six months or immediately after the medical examination whichever is earlier;

(b) where the qualified medical practitioner or medical Officer, as the case may be, is of the opinion that the worker has manifested signs and symptoms of any modifiable disease as specified in the Third Schedule to the Code;

(c) where the worker leaves the employment;

(d) where any one of the following authorities so direct :—

(i) the Chief Inspector–cum–Facilitator;

(ii) the Health Authority of Central or State Government;

(iii) The Director Employees State Insurance Corporation;

98. National board to enquire into certain situations under Section 86 – The national occupational safety and health advisory board on the directions of the Central Government, in the event of the occurrence of an extraordinary situation involving a factory engaged in a hazardous process, may inquire into the standards of health and safety observed in the factory with a view to finding out the causes of any failure or neglect in the adoption of any measures or standards prescribed by the State Government or State occupational safety and health advisory board for the health and safety of the workers employed in the factory or the general public affected, or likely to be affected due to such failure or neglect and for the prevention of recurrence of such extraordinary situations in future in such factory or elsewhere.

99. Permissible Limit of exposure of Chemicals and Toxic substances in Factories under Section 88 – Without prejudice to the requirements in any other provisions in the Act or the rules made there under, the requirements specified in the **Schedule–40** shall apply to all factories.

100. Appeal against the order of Inspector–cum–Facilitator under Section 90 –

(1) Chief Inspector–cum–facilitator, Chhattisgarh shall be Appropriate Authority for the purpose of Section– 90 of the Code.

(i) The occupier or manager shall make an application in **Form–XXIX** to

the appropriate authority within 7 days from the date of receipt of order passed by Inspector-cum-Facilitator.

(ii) The Appropriate Authority shall refer matter within 7 days to the Deputy Chief Inspector-cum-Facilitator of factories.

(iii) The Deputy Chief Inspector-cum-Facilitator of Factories shall examine the matter within 15 days from date of receipt.

(iv) The Deputy Chief Inspector–cum–facilitator, Chhattisgarh shall submit a report within next 15 days to the Chief Inspector–cum–facilitator.

(v) The Chief Inspector–cum–facilitator shall pass an order within 7 days from the date of receipt of report.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may extend the time period given in clause (iii) of sub–rule (1) for a period not more than 30 days.

101. Power to make rules to give exemption under Section 91 – The State Government may by notification order in writing exempt any provisions of the Code to a person holding position as per clause (a) of sub-section (1) of Section 91 or in respect of any worker or class of worker in any establishment or class of establishment as per clause (b) of sub-section (1) of Section 91.

PART–VI

PLANTATION

(Rule 102 to 119 prescribed under Section 92 and 93)

102 Housing accommodation for workers.–Every employer shall provide for workers and his family residing in a plantation, housing accommodation as near as possible to the place of work.

103. Standard and specification of housing accommodation.– All housing accommodation for workers in a plantation shall have separate rooms for women employees. Effective and suitable provision shall be made in every room for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air and there shall also be provided and maintained sufficient and suitable natural or artificial lighting. The rooms or other suitable alternative accommodation shall be of such dimensions so as to provide at least a floor area of 10 square meters excluding area of kitchen and toilet for each person making use of the room. The accommodations shall be so constructed as to afford adequate protection against heat, wind, rain and shall have smooth, hard and impervious floor surface.

104. Sites for housing accommodation.–

(1) The housing accommodation shall be provided on dry well–drained land consistent with the requirement regarding distance from the plantation, has supplies of wholesome drinking water within a reasonable distance. In materials tracts, the houses shall be provided at a safe distance from the swamps and marshes and above the highest flood level.

(2) Adequate lighting arrangements shall be provided in and around the area in which housing accommodation is provided.

(3) The employer shall maintain in good condition the approach roads and paths to the area where houses are located as also the sewers and drains in that area.

(4) The employer shall not deny to the public free access to those parts of the Plantation where the workers are housed.

(5) The employer shall cause the vicinity of all houses to be kept clear of refuse and excreta and the latrines and drains to be cleaned out daily and all refuse in or near them to be collected, removed and disposed of hygienically.

105. Maintenance of houses.–

(1) The employer shall, at his own expense, maintain all houses provided for accommodation of workers in a fit and safe condition and execute annual and such other repairs as may be necessary from time to time.

(2) A worker occupying a house may, and an Inspector–cum–Facilitator appointed under the Code shall, bring to the notice of the employer any defects in the condition of a house which make it dangerous to the health and safety of the worker. Where an Inspector–cum–Facilitator brings any such defects to notice, it shall be the duty of the employer to rectify them with the least possible delay.

(3) The employer shall get all the houses lime–washed at least once every year and all the doors, windows and other wooden structures varnished or painted once in three years.

106. Accommodation to be rent free.–No rent shall be charged by an employer for the housing accommodation provided to workers and their families residing in his plantation.

107. Crèche's facilities for children – Every employer of the plantation wherein fifty or more workers(including workers employed by any contractor) are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, shall provide crèches facilities.

108. Educational facilities for worker's children. Every employer shall if the number of worker's children between the ages of six to twelve in his plantation exceeds 25, provide and maintain a Primary School or Schools for imparting Primary education to the children .

109. Medical facilities –

(1) Every employer of Plantation shall provide a hospital in his plantation. There shall be two types of hospitals in plantations, viz, Garden Hospitals and Group Hospitals—

(i) Garden Hospitals will deal with out–patients, in–patients not requiring any elaborate diagnosis and treatment, infectious cases, midwifery, simple prenatal and postnatal care of infants and children and periodical inspection of workers.

(ii) Group Hospitals shall be capable of dealing efficiently with all types of cases normally encountered but will not be used for routine treatment. Admission to Group Hospitals shall be only on the recommendation of a garden hospital doctor.

(2) Equipment and drugs.– Every dispensary, garden hospital and group hospital shall maintain such equipment and drugs, etc., as may be specified by the State Government.

(3) Medical records.– The Medical Officer–in–charge of each dispensary, garden or group hospital shall maintain

(i) medical record in respect of every patient as may be prescribed by the State Government for the purpose; and

(ii) comply with such regulations as may be made by the State Government in respect of rules applicable to medical stores.

110. Recreational facilities.–

(1) Every employers shall provide and maintain—

(i) Recreation Centre to the scale of one for every one hundred and seventy–five families of resident workers or part thereof with provision for a radio and television set and indoor games for adult workers and Childs as specified by the Labour Commissioner of the state with prior approval of the State Government subject to there being at least one centre for each Plantation or out garden thereof;"

(ii) where adequate flat open space is available within a reasonable distance, a playground or playgrounds for adult and child workers with necessary sports equipment for out– door games:

(2) Every recreation centre to be provided and maintained shall be conveniently situated as near as possible to the workers quarters.

111. Uses, handling, transport and storage of insecticides, pesticides, chemical and toxic substances within the plantation.–

(1) No insecticides, pesticides, chemical and toxic substances shall be transported or stored in such a way as to come into direct contact with foodstuffs or animal feeds or drinking water.

(2) If any insecticide, pesticides, chemicals and toxic substances are found to be leaked out in transport or storage, it shall be the responsibility of the employer to take such measures urgently to prevent poisoning and pollution of soil or water, if any.

(3) The packages containing insecticide, pesticides, chemicals and toxic substances shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing such articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.

(4) The rooms or premises meant for storing insecticide, pesticides, chemical and toxic substances shall be well built, dry, well lit and ventilated with sufficient dimension.

112. Prohibition or restriction on employment of women and adolescent workers in handling insecticides, chemicals and toxic substances.– No women worker or adolescent worker shall be permitted to be engaged in handling or storage or transport of insecticide ,pesticide, chemicals and toxic substances

113. Appointment and qualification of Supervisors.– The use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances shall be supervised by a competent person who should possess the following qualifications.—

(i) He shall be a graduate in Agriculture or in Science or he shall possess a Certificate Course on handling of chemicals and toxic substances conducted by the recognized institutes.

(ii) He should be given training from a designated Training Instituted; and

(iii) He should also possess a valid certificate from a recognized institute for giving first aid treatment to workers.

114. Training of Workers–

(1) The workers involved in handling insecticides, chemicals, and toxic substances shall be arranged for suitable training in observing safety precautions and handling safety equipment provided to them in the institutes notified by the State Government from time to time.

(2) All the workers who apply, handle, transport or come into contact with agrochemicals or other chemical substances must be trained in at least in the following subjects.—

(i) General occupational health;

(ii) Formulations, names, and the biocide action of the substances used in the case of pesticides;

(iii) Correct use of personal protective clothing and equipment;

(iv) Preventive measures and measures for reducing damage to health and the environment, caused by the chemical substances, equipment, techniques, signage, medical examination, etc.,

(v) Emergency procedures, first aid and medical attention for cases involving poisoning or undue contact with chemical substances;

(vi) Techniques for handling chemical substances and for the correct application of agro chemicals;

(vii) Secure handling and transportation of agro–chemicals for drivers; and

(viii) Other necessary training suitable for the plantation.

115. Periodic medical examination to the workers.—

(1) Every worker who is engaged in the work of handling, dealing, or spraying or mixing insecticides, chemical and toxic substances shall be medically examined initially at the time of employment and thereafter once in a year in the hospitals notified on this behalf.

(2) The medical examination and tests shall be recorded as per **Form–V**

(3) Any person showing symptoms of poisoning shall be immediately examined and given proper treatment.

116. Maintenance of health record.—Every employer shall maintain a health record of every worker such as annual medical examination or any other examination

which shall be kept in the plantation and every such worker shall have access to such record.

117. Washing, bathing and cloak room facilities.–

(1) Every employer shall provide washing, bathing and cloak room facilities to the workmen, who are employed in handling insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances.

(2) Protective clothing and equipment.—

(a) Persons handling insecticides, chemicals and toxic substances during its operation, distribution, mixing, spraying shall be adequately protected with appropriate clothing.

(b) The protective clothing shall be made of materials which prevent or resist the penetration of any form of insecticide, chemical and toxic formulations. The materials shall also be washable so that the toxic elements may be removed after each use.

(c) A complete suit of protective clothing shall consist of the following dresses, namely.—

(i) Protective outer garment with hat.

(ii) Rubber gloves or such other protective gloves extended way up to the forearm made of materials impermeable to liquids.

(iii) Dust proof goggles.

(iv) Boots.

(v) Reusable cloth masks.

118. Display of list of insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances.— Every employer shall display in plantations the list of insecticides, chemicals and toxic substances as notified by the Central Government, from time to time, under the insecticides Act, 1968 (Central Act 46 of 1968).

119. Precautionary notices.—Every employer in the plantations shall display the following precautionary notices at or near the place where the insecticides, chemicals and toxic substances are handled.—

(i) Use protective clothing like overalls, gloves, rubber gum–boots and wide brimmed hats.

(ii) Do not wear clothes contaminated with insecticides and pesticides.

(iii) Clean the protective clothing by washing with soap and water.

(iv) Do not allow children, sick persons and pregnant women and nursing mothers to handle insecticides and pesticides.

(v) Do not eat, drink, smoke or chew while handling insecticides and pesticides.

(vi) Never blowout clogged nozzles with your mouth.

(vii) Do not use leaking sprayers. Avoid contamination of the skin, mouth and eyes.

(viii) Do not inhale the insecticides unattended in the fields.

(ix) Never spray insecticides and pesticides against the wind.

(x) Do not leave insecticides and pesticides unattended in the fields.

(xi) Do not allow humans and livestock to enter the insecticides and pesticides sprayed fields for a period of time, suggested by the manufacturers.

(xii) Do not wash insecticides and pesticides containers near a well or running stream.

(xiii) Keep clean water, soaps and towels ready for use.

(xiv) Wash hands and exfoliate skin thoroughly with soap and water before eating, drinking, smoking or, chewing and after work.

(xv) Keep the insecticides and pesticides locked in the store room and out of reach of children and other unauthorized persons.

(xvi) Do not enter the sprayed field. Follow the re–entry periods for all insecticides and pesticides including herbicides, suggested by the manufacturers.

(xvii) Keep insecticides and pesticides in their original, labeled containers.

(xviii) Do not decant insecticides and pesticides into unlabeled containers except for immediate use.

(xix) Dispose the containers safely after thoroughly emptying and washing. They may be buried in a place away from a water source.

(xx) Never reuse the container for any other purposes if it is impossible to remove the traces of insecticides and pesticides from the containers.

CHAPTER X

OFFENCE AND PENALTIES

120. Officer and manner to impose Penalty under sub-section (1) of Section 111 -

(1) An officer as specified in **Schedule–41** shall be the officer appointed for the purpose of sub-section (1) of section 111 of the Code in its respective jurisdiction.

(a) An officer, appointed under sub–rule(1), upon acquired knowledge of an offence under the Code shall serve a notice, within fifteen days of such knowledge, on a person who is supposed to have committed an offence.

(b) The person on whom notice has been served shall reply within the period prescribed in the notice which shall not be more than fifteen days.

(c) An officer, appointed under sub–rule (1), may call any person to appear before him along with any record/document required for the purpose of enquiry he is holding.

(d) An officer, appointed under sub–rule (1), shall complete enquiry within sixty days from the start of such enquiry and pass a speaking order.

(e) The amount of penalty imposed and received shall be credited to the fund established under sub–section (1) of section 115 and record of such shall be maintained in **Form–XXX** electronically.

(2) The state government may, by notification, appoint any officer for the purpose of sub-section (1) of section 111.

121. Appellate Authority for Penalty under sub-section (3) of Section 111 -

(a) State Government shall authorize an officer as specified in **Schedule–42** to act as Appellate Authority for the purpose of section 111 of the Code.

(b) The aggrieved person shall prefer an appeal to the officer authorized under sub–rule (1) in **Form–XXXI** within the period prescribed under sub-section (3) of section 111 of the Code.

(c) A fee at the rate of 10% of penalty imposed shall be accompanied by appeal which is to be paid electronically through e–challan and shall be credited to Government treasury.

(d) The appellate Authority shall decide appeal in the manner prescribed under sub-section (4) of section 111 of the Code.

122. Manner of compounding of offences by the authorized officer specified under sub-section (1) of Section 114.-

(1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of Section 114 shall issue electronically a compounding notice to the concerned alleged accused person for the offence for which is compoundable under section sub-section (1) of Section 114.

(2) The person so noticed under sub-rule (1) may apply to the officer electronically in **Form-XXXII** and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Officer referred to in sub-rule (1) shall issue a composition certificate within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the one month before the institution of prosecution, the prosecution shall be proceeded with in the competent Court.

(5) No prosecution shall be instituted without giving an opportunity to the employer to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of Section 110 and compounding as under Section 114.

(6) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of Section 114 shall maintain compounding register in **Form-XXXIII** electronically.

CHAPTER–XI

SOCIAL SECURITY FUND

123. Social Security Fund under Section 115 –

(1) For the purpose of sub-section (1) of Section 115, the amount received from composition of the offence as specified in sub–section (4) of Section 114 and the amount of the penalty as specified in sub–section (6) of Section 111, shall be credited to the Chhattisgarh Unorganised Workers State social security Board.

(2) The other sources of fund administered under sub-section (2) of Section 112 of the Code may be;

(a) grant and subsidies to the Board made by the Central or State Government;

(b) all voluntary donations;

(c) any sum borrowed

(d) any other sources as notified by the State Government from time to time.

(3) The Secretary of the Chhattisgarh Unorganised Workers State social security Board shall maintain a record of funds, to be used for welfare of unorganised workers, electronically in **Form–XXXIV**.

(4) Fund shall be expended as per provision of sub-section (3) of Section 115 on welfare schemes of the Chhattisgarh Unorganised Workers State social security Board as notified by the State Government from time to time.

CHAPTER–XII

MISCELLANEOUS

124. Rules prescribed under Section 119 –

1. **Appropriate authority** – The State Government shall appoint appropriate authority as per **Schedule–44** for issuing common licence in respect of a factory, industrial premises for beedi and cigar work and for engaging contract workers or any combination thereof or as per **Schedule–43** for issuing single licence for any one of them under the Code.

2. **Application for license under sub-section (2) of Section 119** –

   (a) The applicant desiring common license or single license shall submit application in **Form–XV** electronically.

   (b) The applicant desiring to obtain a single license for any of the factory or industrial premises for beedi and cigar work or for engaging contract workers, the license fee applicable is prescribed in **Schedule–5** for factories, **Schedule–6** for industrial premises for beedi and cigar work and as specified in sub-rule (3) of rule 46 for engaging contract workers. The State Government shall change fees from time to time by notification.

   (c) The applicant desiring to obtain a common license for factory, industrial premises for beedi and cigar work and for engaging contract workers, or any combination thereof the license fee applicable shall be the sum of fee for single license for establishments as desired by the applicant.

3. **Inter–State migrant workers** – The applicant shall submit required information including inter–state migrant workers employed in relation to the licence for engaging contract workers.

4. **Actions under sub-section (3) of Section 119** – The appropriate authority within thirty days of receipt of application shall take necessary action and make necessary inquiry, if required, as prescribed in sub–rule 5 and 6.

5. Common License for factory, industrial premises for beedi and cigar work and for engaging contract workers or any combination thereof or single licence for any one of them.

(1) any person desirous of obtaining common licence in respect of a factory, industrial premises for beedi and cigar work and for engaging contract workers or any combination thereof or single licence for any one of them under this Code shall make an application in **Form-XV** to the designated authority on portal along with fee as prescribed.

(2) For the purpose of licence in respect of a factory, industrial premises for beedi and cigar work and for engaging contract workers fee shall be payable as provided in the schedules annexed to these rules.

(3) The designated Authority shall issue license in **Form-XXXV** within such time period as prescribed in the code.

6. **Appeal under sub-section (6) of Section 119** – Any person aggrieved by the decision of the appropriate authority refusing to grant or renew a licence, or cancelling or suspending a common license referred to in sub–rule 5 or single licence referred as in sub–rule 6, may, appeal to the State Government or an authority appointed by State Government and such authority may by order confirm, modify or reverse any order refusing to grant or renew a licence, or cancelling or suspending a licence. The applicant shall:–

(a) file an application electronically within a period of thirty days from the date of receipt of the order sought to be appealed against;

(b) be accompanied by a copy of the order appealed against.

(c) memorandum containing grounds and facts.

(d) treasury challan, at the rate of 10% of licence fees, as a proof of payment of appeal fees should also be attached with the application electronically. This fee may also change from time to time as notified by State Government.

125. Manner of survey on situation relating safety and health under sub-section (2) of Section 121 – The Chief Inspector–cum–Facilitator, officer or the committee so appointed by state government to undertake survey in accordance with provisions of sub-section (2) of Section 121 of the code, may, at any time during the normal working hours of an establishment, or at any other time as is

found by him or the committee to be necessary, after giving notice in writing to the employer or manager of the establishment or any other person who for the time being purpose to be in charge of the establishment, undertake survey relating to safety and health in the establishment and outside.

(1) Employer or manager or other person shall afford all facilities for such a survey, including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data relevant to the survey.

(2) For the purpose of facilitating surveys every worker and person in near vicinity, if so required by the person conducting the survey, presents himself to undergo such medical examination as may be considered necessary by such person and furnish all information in his possession and relevant to the survey.

(3) Any time spent by a worker for undergoing medical examination or furnishing information under sub rule (2) shall, for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work, be deemed to be time during which such worker worked in the establishment.

(Rule 126 to Rule 128 Prescribed under clause(za) of sub-section(2) of Section 135)

126. Grievance redressal mechanism for contract labour.-

1. The contract labour may submit his grievance(s) relating to health, working conditions and wages, at the level of principal employer, who shall look into the matter and redress grievance(s) if any.
2. A committee may be constituted consisting of a chairman, who shall be the authorized representative of the principal employer. The committee shall have representatives of principal employer and contractors. The aforesaid committee shall hear and dispose off the grievance(s) of the contract labour within a period of one month.
3. In case, the grievance(s) is not redressed within one month of raising of such grievance(s), the principal employer shall forward the grievance(s) to the concerned Inspector-cum-facilitator electronically or through registered post or speed post.

127. Annual increment of regular worker of a contractor.- A worker who is regularly employed by the contractor for any activity and his employment is

governed by mutually accepted standards of the condition of employment shall be such that he gets an annual increment of not less than 2% of his wages.

128. Competent person. - (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognise any person as 'competent person' within such area and for such period as may be specified for the purposes of carrying out tests, examinations, inspections and certification for such buildings, dangerous machinery hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated by the Code and the Rules made thereunder, located in a factory, if such person possess the qualification, experience and other requirements as set out in the Schedule annexed to this Rule:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may relax the requirements of qualifications in respect of a 'Competent person' if such a person is exceptionally experienced and knowledgeable, but not the requirements in respect of the facilities as his command:

Provided further that where it is proposed to recognise a person employed under the Chief Inspector-cum-Facilitator as a 'competent person', concurrence of the State Government shall be taken and such a person after being so recognized shall not have powers of an 'Inspector-cum-Facilitator' :

Provided further that the 'competent person' recognized under this provision shall not be above the age of 62 and shall be physically fit for the purpose of carrying out the tests, examination and inspection.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognise an institution of repute, having persons possessing qualifications and experience as set out in the Schedule annexed to sub-rule (1) for the purposes of carrying out tests, examinations inspection and certification for buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines, and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated of the Code and the Rules made thereunder, as 'competent person' within such area and for such period as may be specified.

(3) The Chief Inspector-cum-Facilitator on receipt of an application in the prescribed **Form-XXXVI** from a person or **Form-XXXVII** from an institution intending to be recognised as a 'competent person' for the purposes of the Code and the Rules made thereunder shall register such application and after satisfying himself with regard to competence and facilities available at the disposal of the applicant may recognise the

applicant as a 'competent person'. Such application shall be disposed of either by issuing a certificate of competency in the prescribed **Form-XXXVIII** or by rejecting the same specifying reasons there of within a period of 60 days.

(4) Every application for recognition as a competent person shall be accompanied by a treasury challan for having credited fees online as specified in the table below:

Table

Sl. No.	Competency Certificate	Scope	Fees for Recognition
1	To an individual	State	Rs. 25,000/- (Irrespective of the provisions for which competency certificate is applied for)
2	To an institution	State	Rs. 25,000/- (For each of the Persons, irrespective of the provisions for which competency certificate is applied for)
3	To an individual	Factory	Rs. 50,000/- (Irrespective of the provisions for which competency certificate is applied for)

(5) A certificate issued under this rule shall be valid for a period of twelve months on payment of a fee as specified in the table above.

(6) The Chief Inspector-cum-Facilitator, if he has reason to believe that a 'competent person'-

(a) has violated any condition stipulated in the certificate of competency;

(b) has carried out a test, examination and inspection or has acted in a manner inconsistent with the intent or the purpose of the Code or the Rules made thereunder, or has omitted to act as required under the Code or the Rules made thereunder;

(c) has rendered himself unfit for any other reason to be recorded in writing;

may revoke the certificate of competency after giving an opportunity to the 'competent person' of being heard.

Explanation. - For the purpose of this Rule, an institution includes an organisation.

(7) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, for reasons to be recorded in writing, require recertification of lifting machines, lifting tackles, pressure

plant or ventilation system, as the case may be, which has been certified by a competent person outside the State -

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIPUL KUMAR GUPTA, Deputy Secretary.

Schedule

Sl. No.	Section or Rules of safety standards under which competency is recognised	Qualification required	Experience for the purpose	Facilities at his command
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**(i) Point number 6 – Plan approval mechanism** made under serial number 73 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18. **(ii) Point number 14 – Safety of building and machinery** made under serial number 21 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18.	Degree in Civil or structural Engineering; or equivalent	(1) A minimum of 10 years experience in the design or construction or testing or repair of structure; (2) Knowledge of non destructive testing, various codes of practices that are current and the effect of the vibrations and natural forces on the stability of the building; and (3) Ability to arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of the structure or the building.	
2.	**Point number 13 – Welding, Cutting and Brazing** made under serial number 73 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18.	Degree in Electrical or Mechanical or equivalent	(1) A minimum of 7 years experience in :- (a) the design or operation or maintenance; or (b) the testing examination & inspection of relevant machinery, their guards, safety devices and appliances. (2) He shall- (a) be conversant with the safety devices and their proper functioning; (b) be able to identify defects and any other cause leading to the failure; and (c) have ability to arrive at a reliable conclusion with regard to the safety device and appliance used during Welding, Cutting and Brazing operations and connected works.	Gauges for measurement instrument for measurement of speed and any other equipment or device to determine the safety while doing Welding, Cutting and Brazing operations and connected works.
3	**(i) Point number 42 – Pressure plant** made under serial number 11 in	Degree in chemical or electrical or	(1) A minimum experience of 10 years in- (a) design or erection or	Facilities for carrying out hydraulic test non-

	the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18. **(ii) Point number 43 – Water-sealed gasholder** made under serial number 73 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18. **(iii) Point number 117 – Highly flammable liquids and gases** made under serial number 29 in the first schedule under clause (za) of sub-section (1) of section 2.	metallurgical or Mechanical Engineering or its equivalent	maintenance, or (b) testing, examination and inspection for pressure plants. (2) He shall be- (a)conversant with the relevant codes of practices and test procedure relating to pressure vessels; (b) conversant with other statutory requirements concerning the safety of unfired pressure vessels and equipment operating under pressure; (c) conversant with the non destructive testing techniques as are applicable to pressure vessels; (d) able to identify the defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of the pressure plant.	destructive test gauges equipment/ gadget for measurement and any other equipment or gauge to determine the safety in the use of pressure vessels.
4	**Point number 44 – Hoists and lifts** made under serial number 8 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18.	A degree in Electrical and/or Mechanical Engineering or its equivalent.	(1) A minimum experience of 7years in- (a) design or erection or maintenance, or (b) inspection and test procedures of lifts and hoists. (2) He shall be- (a)conversant with relevant codes of practices and test procedures that are current; (b)conversant with other statutory requirements covering the safety of the Hoists and Lifts; (c) able to identify the defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of the Hoists and Lifts.	Facilities load testing, tensile Testing gauges equipment/ Gadget for measurement and any other equipment required for determining the safe working conditions of the Hoist and Lifts.
5	**Point number 45 – Lifting machines, chains, ropes, lifting tackles and loose gears**	Degree in Mechanical or Electrical or Metallurgical	(1) A minimum experience of 7 years in-(a) design or creation or maintenance, or (b) testing, examination and	Facilities for load testing, heat treatment, equipment/

	made under serial number 9 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18.	Engineering or its equivalent.	inspection of lifting machinery, chains, ropes and lifting tackles. (2) He shall be- (a) conversant with the relevant codes of practices and test procedure that are current; (b) conversant with fracture mechanics and metallurgy of the material of construction; (c) Conversant with heat treatment/ stress relieving Techniques as applicable to stress bearing components and part of lifting machinery and lifting tackles; (d) capable of identifying defects and arriving at a reliable conclusion with regard to the safety of the lifting machinery, chains, ropes and lifting tackles.	gadget for measurement, gauge and such other equipment to determine the safe working conditions of the lifting machinery tackles.
6	**(i) Point number 46 – Power press;** **(ii) Point number 48 – Centrifugal machine;** **(iii) Point number 55 – Thermic fluid heaters;** **(iv) Point number 57 – Ovens and driers;** made under serial number 73 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18.	Degree in Mechanical or Electrical or its equivalent.	(1) A minimum of 7 years experience in :- (a) the design or operation or maintenance; or (b) the testing examination & inspection of relevant machinery, their guards, safety devices and appliances. (2) He shall- (a) be conversant with the safety devices and their proper functioning; (b) be able to identify defects and any other cause leading to the failure; and (c) have ability to arrive at a reliable conclusion with regard to the safety device and appliance and the machine guard.	Gauges for measurement instrument for measurement of speed, temperature etc. and any other equipment or device to determine the safety in use of such dangerous machines.
7	**Point number 80 – Chemical works** made under serial number 73 in the second schedule under clause (f) of sub-section (2) of section 18.	Master's degree in Chemistry, or a degree in Chemical Engineering or equivalent.	(1) A minimum experience of 7 years in the design, fabrication, installation testing of plant, equipment and machinery of chemical works. (2) He shall be conversant with relevant codes of practice and tests procedures that are current in respect of plant, equipment	Meters, instruments and devices duly calibrate and certified for carrying out the tests and certification of safety in

			and machinery of chemical works.	working in confined spaces.
8	**(i) Point number 93 – Power Generating Industries (2) – Coal, Lignite and Gas Power Stations** made under serial number 5 in the first schedule under clause (za) of sub-section (1) of section 2. **(ii) Point number 112 – Manufacture, handling and processing of asbestos and its products** made under serial number 24 in the first schedule under clause (za) of sub-section (1) of section 2.	Degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent.	(1) A minimum experience of 7 years in the design, fabrication, installation testing of ventilation system and systems used for extraction and collection of dusts, fumes and vapours other ancillary equipment. (2) He shall be conversant with relevant codes of practice and tests procedures that are current in respect of ventilation and extraction system for dusts, fumes and vapours shall be able to arrive at a reliable conclusion with regard to effectiveness of the system	Facilities for testing the ventilation system instruments and Gauges for testing the effectiveness of the extraction system for dusts, vapour and fumes and any other equipment needed for determining the efficiency and adequacy of these system.
9	**(i) Point number 99 – Drug and Pharmaceutical Industries** made under serial number 11 in the first schedule under clause (za) of sub-section (1) of section 2. **(ii) Point number 111 – Grinding and Glazing of metals** made under serial number 23 in the first schedule under clause (za) of sub-section (1) of section 2. **(iii) Point number 113 – Extraction of Oils and Fats from vegetable and animal sources** made under serial number 25 in the first schedule under clause (za) of sub-section	Master's degree in Chemistry, or a degree in Chemical or Mechanical or Electrical Engineering or equivalent.	(1) A minimum experience of 7 years in the design, fabrication, installation testing of plant, equipment and machinery used in the process. (2) He shall be conversant with relevant codes of practice and tests procedures that are current in respect of plant, equipment and machinery used in the process.	Meters, instruments and devices duly calibrate and certified for carrying out testing of plant, equipment and machinery used in the process.

	(1) of section 2. **(iv) Point number 127 – Nano-particles utilising industry** made under serial number 39 in the first schedule under clause (za) of sub-section (1) of section 2.			

Form–I

(See rule-3)

Application for Registration for existing establishments/New establishment/Amendment to certificate of Registration

A. Establishment Details.

1. Retrieve details of Establishment through LIN:

2. Name of Establishment:

3. Location and Address of the Establishment:

3a. PAN:

4. Others details of Establishment:

a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:

b. Total Number of the contract employees engaged:

c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:

5 (a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
(1)	(2)	(3)	(4)

5 (b) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement Of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
(1)	(2)	(3)	(4)

6. Ownership Type/Sector:

7. Activity as per National Industrial Classification:

8. Details of Selected NIC Code:

9. Identification of the establishment e-sign/ digital sign of employer/ representative:

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/ Chief Executive/etc. :

2. Designation :

3. Father's/ Husband's Name of the Employer :

4. Email Address, Telephone& Mobile No. :

C. Manager Details

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment

2. Address of Manager:

3. Email Address, Telephone & Mobile No. :

D. Contractor Details

Name and Address Contractor	Email address &Mobile of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Date of Commencement/ Probable date of Completion of work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

E. Others Details: –

Signature/ E-sign/digital sign of employer

Dated:-

Place:-

Form–II

(See rule-3(1))

Certificate of Registration of Establishment

Registration No. Date

A Certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub section (2) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020(…37.of 2020) to… ..... (Name of the establishment)

1. Nature of work carried on in the establishment (Please tick mark)

(a) Factory (b) Contract Work

(c) Building and Other Construction Works (d) any other work (not covered above)

2. Details of the establishment:

a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:

b. Total Number of the employees engaged through contractor ……..

c. Total Number of Contractors and their details:

c. Number of inter-state migrant workers engaged:

3 (a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
(1)	(2)	(3)	(4)

3 (b) For mines

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3 (c) For Dock work

Name of Dock Work / Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous Chemicals handled and stored along with quantity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3 (d) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement Of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
(1)	(2)	(3)	(4)

4. Remarks of registering officers

Place:

Date:

/Signature E -Sign/DSC of Registering Officer

along with designation

Conditions of Registration

(1) Every certificate of registration issued under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:

(a) the certificate of registration shall be non-transferable;

(b) The number of workers employees employed in an establishment directly and contract employees shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and

(c) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.

(2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of workers employees or the conditions of work to the registering officer within 30 days.

(3) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be work is to be executed, intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of establishment such work in Form IV annexed to these rules electronically.

(4) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried on.

Form–III

(see rule-3(8))

Register of Establishment

SI. No.	Nature of work	Registration No. and Date	Name and Address, location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer	Total number of Workers and Total Horsepower (if any)	Total number of Contract Workers	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(a) Factories (b) Building And other Construction work (c) Contract work (d) Interstate Migrant Work (e) Any other work(not covered above)						

Form–IV

(See rule-3(9) and rule-5)

Notice of Commencement / completion of work /cessation of Establishment:

1. Registration No:

2. Name and Address of Establishment:-

3. Name and Designation of employer (who has ultimate control over the affairs of the establishment) :-

4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-

5. Nature of work of the establishment :-

6. In case of the notice is for commencement of work the approximate duration of work:-

7. in case of completion of work/cessation of establishment, the date of completion /cessation:

I/We here by intimate that the work of establishment having registration No. ..... dated …… is likely to commence/cessation is likely to be completed with effect from …… (Date)/ On ..... (Date)

In case of cessation of work:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment has been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Signature of the Employer

To,

The Inspector-cum-Facilitator

Form–V

(See Rule-6)

HEALTH EXAMINATION

PART –A (Sl.No.1-11) : To be filled by the Employee

1. Name of employee…… 2. Sex…. ….. 3. Age (with DOB)……..

4. Company…… 5.Designation……. 5a. UAN:……

6. In-charge Employer / Executive Contacts……

7. Complete personal /plant Address ……

8. Mobile /Phone …… 9.Email……

10. Medical illness (Current) and under treatment & medication, If any…….

11. Nature of Job (furnish more details, if hazardous and work-related viz. Physical, Chemical, Biological, Ergonomic etc) ……

Date: Signature of Employee

PART-B:

12.Medical Test Carried out & Reports to be Attached as Annex . Medical Officer's interpretation/ Opinion of the Tests below (To indicate only if abnormal , referring the attached Test reports) :

a. Ht. Wt. Chest, Waist Circumference, Body Mass Index: ……

b. Vision (Ophthalmologist tests):

i. Visual Acuity both Right & left eyes …….

ii. Colour Vision……..

c. Blood Pressure ……..

d. Complete Blood Count: ……

e. Blood Sugar (Fasting/PPBS/HbA1C)…….

f. SpO2……..

g. Blood Urea Nitrogen (BUN)…..……..

h. SGOT/SGPT……..

i. Lipid profile……..

j. ESR……..

k. Thyroid profile…….

l. X-ray Chest etc……

m. ECG……

n. Others if any…….

13.Final Diagnosis/ Opinion / Treatment if any, advise by qualified medical practitioner ……

14. Does the person has seizure (s) related disorders or difficulties working at Height ? If yes, explain the works to be avoided: Yes/No/ NA (Not applicable)

Date: Signature of the qualified medical practitioner

SEAL

NOTE: All the above information is highly confidential between the Applicant and the Examining Physician. Sharing of the above with Employer or any other agency/persons is permitted only on obtaining Consent from the Applicant/Employee.

Form–V(A)

(See Rule–6)

Annual health examination of employees of those factories which are covered under section 2(za) or section 82 of the Code

The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per following proforma:

A. Demographics:

Question	Answer
Date:	
Name of the Worker:	
Age:	
Permanent Address	
Gender:	
Total Number of family Members	
Total monthly family Income:	
Is the employee under ESI (Employees' State Insurance) Scheme? If yes, provide IP Number	
Is the employee under any other health scheme apart from ESI–Scheme? (If yes, provide the name of the scheme)	

B. **Occupational History**

Question	Answer	Remarks
Present Designation:		
Work Profile		
Duration of service in the present work profile		
Working Hours per shift:		
Night Shift Per Week		
Night Shift per Month		

C. Brief Review of Medical History: Diagnosed previously or currently under treatment or Currently suffering from

Question	**Answer (Yes/No)**	**Remarks**
Anaemia		
Jaundice		
Asthma		
COPD		
History of Any other Lung Disease: (If Yes, Please Specify)		

Vertigo/Dizziness		
Diabetes Mellitus		
Hypertension		
Any Cancer (If Yes, Please Specify the Cancer)		
Chronic Low Back Pain		
Chronic Pain in hand or Elbow		
Hernia		
Hydrocele		
Varicose Vein		
Haemorrhoids		
History of amputation/fracture/dislocation injury during work (If Yes, please specify)		
Dermatitis (If Yes, specify Site)		
Hearing Impairment		
Visual Impairment		
Any Major Illness requiring hospitalization in last 1 year (If Yes, Name of the Disease)		
Occupational Injury in Last 1 year: if yes Specify the Location of injury and frequency		

D. **Current Symptoms–Diseases Module**

Question	Answer (Yes/No)	Remarks
Smoking habit		
Chewing Tobacco or Pan Masala or Gutkha:		
Alcohol Addiction		
Dermatosis (Irritant Contact Dermatitis/Eczema/Chloracne/Allergic Contact Dermatitis):		
Mucosal Irritation of eyes/Nose/Throat with response to chemical agent or biological agent:		
Symptoms like Respiratory Difficulty/ Chest Tightness Dry Cough at beginning of shift:		
Currently suffering from TB:		
Jaundice or Hepatitis		
Visual Problems/ Hearing Problems		
Any current injury (amputation/ fracture/ dislocation)		

E. **Physical Examination**

Date of Examination:

Question	Answer (Yes/No) or as appropriate	Remarks
General Skin Condition: (If Any Dermatitis, please mention its location)		
Weight (in Kg):		
Height (in Meter)		
Temperature (0F):		
BP:		
Pulse:		
SpO2:		
Respiratory Rate:		

***F.* Investigation Report**

□□Routine Blood Investigation: Attach the photocopy of the report

□□Blood Grouping & Rh Typing and HB Electrophoresis Once in a lifetime (report to be attached along with annual health checkup every year)

Parameter	(Normal/Increase/Decrease)	Value
Hb%:		
Total WBC Count and Differential Count:		
Platelet Count		
ESR:		
FBS:		
PPBS:		
HBA1C level		
BUN:		
Creatinine:		
Total Protein		
Albumin		
Globulin		
SGOT		
SGPT		
Bilirubin		
Urine RE		
Urine ME		
Sputum test for AFB		

G. Standard Chest X Ray (PA) View: attach the photocopy of the report along with x-ray film (physical/digital)

Date

Parameter	(Normal/Abnormal)	Value (if any important)

Report		

H. Eye Examination: attach the photocopy of the report

Date:

Parameter	Value/Result/Interpretation
Visual inspection of Eye for any abnormality like corneal opacity/scaring, cataract etc.	
Visual Acuity: Right	
Visual Acuity: Left	
Colour Vision	
Field of Vision	
Binocularity	
Lateral Phoria	
Vertical Phoria	
Stereoscopic Vision and Depth Perception Testing	

I. 12-lead ECG: Final Report:

J. Audiometry report of both ears.

Date

Parameter	(Normal/Abnormal)	Value (if any important)
Report		

K. spirometry report –

Date

Parameter	(Normal/Abnormal)	Value (if any important)
Report		

J. MEDICAL FITNESS TESTS FOR PERSONS WORKING AT HEIGHT *(as may be applicable):*

K. Any other information/examination/biological investigation/test as mutually agreed by the employer and qualified medical practitioner.

Signature of qualified medical practitioner

Form–VI

(See rule-7)

Appointment letter

i. Name of employee:

ii. Date of birth:

iii. Father‘s / Mother‘s name:

iv. Aadhar number:

v. Labour Identification Number (LIN) of the establishment:

vi. Universal Account Number (UAN) or Insurance Number (ESIC)(if available):

vii. Designation:

viii. Category of skill:

ix. Date of joining:

x. Wages/Basic/Pay and Dearness Allowance:

xi. Other allowance including accommodation whichever is/are applicable:

xii. Avenue for achieving higher wages or higher position:

xiii. Applicability of social security Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) benefits:

xiv. Broad Nature of duties to be performed:

xv. Any other information:

Signature

Occupier or employer or owner or manager

Form–VII

(See rule-8)

NOTICE OF ACCIDENT OR DANGEROUS OCCURRENCE

E.S.I.C. Employer's Code number:

E.S.I.C. Insurance Number of the injured person :

1. Name of employer :

2. Address of works / premises where the accident or dangerous Occurrence took place :

3. Nature of industry and LIN of the establishment:

4. Branch or department and Exact place where the accident or dangerous occurrence took place :

5. Name and address of the injured person :

6. (a) Sex

(b) Age (at the last birthday) :

(c) Occupation of the injured person :

7. Local E.S.I.C. Office to which the injured person is attached :

8. Date, shift and hour of accident or dangerous occurrence :

9. (a) Hour at which the injured person started work on the day of accident or dangerous occurrence :

(b) whether wages in full or part are payable to him for the day of the accident or dangerous occurrence :

10. (a) Cause or nature of accident or dangerous occurrence :

(b) If caused by machinery-

(i) Give the name of machine and the part causing the accident or dangerous occurrence :

(ii) State whether it was moved by mechanical power at the time of accident or dangerous occurrence :

(c) State exactly what the injured person was doing at the time of accident or dangerous occurrence :

(d) In your opinion, was the injured person at the time of accident or dangerous occurrence -

(i) acting in contravention of provisions of any law applicable to him; or

(ii) acting in contravention of any Orders given by or on behalf of his employer; or

(iii) acting without instructions from his employer?

(e) In case reply to (d) (i), (ii) or (iii) is in the affirmative, state whether the act was done for the purpose of and in connection with the employer's trade or business. :

11. In case the accident or dangerous occurrence took place while travelling in the employer's transport, state whether-

(a) the injured person was travelling as a passenger to or from his place of works;

(b) the injured person was travelling with the express or implied permission of his employer;

(c) the transport is being operated by or on behalf of the employer or some other person by whom it is provided in pursuance of arrangements made with the employer; and :

(d) the vehicle is being/not being operated in the ordinary course of public transport service :

12. In case the accident or dangerous occurrence took place while meeting emergency, state-

(a) its nature; and

(b) whether the injured person at the time of accident or dangerous occurrence was Employed for the purpose of his employer's trade or business in or about the premises at which the accident or dangerous occurrence took place. :

13. Describe briefly how the accident or dangerous occurrence took place :

14. Names and addresses of witnesses :

(1) ……

(2) ……

15. (a) Nature and extent of injury(e.g. fatal, loss of finger, fracture of leg, scald, scratch followed by sepsis, etc.) :

(b) Location of injury (e.g. right leg, left hand, left eye, etc.)

16. (a) If the accident or dangerous Occurrence was not fatal, state whether the injured person was disabled for more than 48 hours :

(b) date and hour of return of work :

17. (a) Physician, dispensary or hospital from whom or which the injured person received or is receiving treatment :

(b) Name of dispensary/panel doctor elected by the injured person :

18. (a) Has the injured person died ? :

(b) If so, date of death :

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature and Name and Designation of owner/ employer/manager

Date of dispatch of report :

Place:

Form–VIII

(See rule-9)

NOTICE OF DISEASE

(1) Name and address the employer or Occupier or Manager

(2) Name and address of establishment:

(3) Nature of establishment:

(4) Details of Patient:

(a) Name of Patient:

(b) Worker number of Patient:

(c) Address of patient:

(d) Precise occupation of patient:

(5) Nature of disease from which patient is suffering:

(6) Date of detection of disease:

(7) Details of medical practitioner:

(8) Has the case been reported to the Medical Officer:

Date:

Signature of employer or occupier or manager

Form–IX

(See rule-26)

NOTICE OF PERIODS OF WORK

Name of the Establishment …….Place …….district……

Periods of work Groups , Relays	Men												Women											
	Total no. of employed												Total no. of women employed											
	A			B			C			D			E			F			G			H		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Description of Groups, Nature of work	Remarks

On Working days

From …..

To …..

From …..

To …..

From …..

To …..

On partial Working days From …..

To …..

From …..

To …..

Date on which this notice is first exhibited :

Signature of manager or agent :

Date :

Form-X

(See rule-27)

EMPLOYEE REGISTER

(The register can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment		
To be maintained for all employees of the establishments		
1.	Employee Code	
2.	Name	
3.	Surname	
4.	Gender	
5.	Father's/Spouse's Name	
6.	Date of Birth	
7.	Place of Birth	
8.	Nationality	
9.	Education level	
10.	Date of Joining	
11.	Designation	
12.	Category (unskilled, semi-skilled, skilled or highly skilled)	
13.	Type of employees / worker	
14.	Mobile Number	
15.	Universal Account Number (UAN)	
16.	PAN	
17.	PPF No.	
18.	Nominee	
19.	EPS/NPS	
20.	Details of Family	
21.	Details of Posting	
22.	Scale of Pay	
23.	Promotion	
24.	ESIC IP Insurance No.	

25.	Aadhaar number	
26.	Bank A/c No.	
27.	Bank	
28.	Branch(IFSC)	
29.	Present address	
30.	Permanent address	
31.	Service Book No.	
32.	Date of Exit	
33.	Reason for Exit	
34.	Mark of Identification	
35.	Photo	
36.	Specimen Signature/Thumb Impression	
37.	Remarks	

Form-X (A)

(See rule-27)

ATTENDANCE REGISTER-CUM-MUSTER ROLL

(The attendance register-cum-muster roll can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

		For **the Month** of**....**, year 20.....
Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment		
1.	Serial Number	
2.	Employee Code	
3.	Name	
4.	Designation	
5.	Shift or relay	
6.	Place of work/department/section	
7.	Date and timings of **In** and **Out**	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
8.	Total number of days worked	
9.	Total number of extra hours worked	
10.	In case of tour or assignments outside the work place suitable entries may be made	
11.	Signature of Register keeper	

Form–X (B)

(See rule-27)

REGISTER FOR WAGES, OVERTIME AND DEDUCTIONS

(The register can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment		
Wage Period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)		
1.	Serial Number	
2.	Employee Code Number	
3.	Name	
4.	Designation	
5.	**Rate of Wage**	
	(a) Basic	
	(b) DA	
	(c) Other allowance	
	(d) Total	
6.	No. of days worked	
7.	Overtime hours worked	
8.	Amount of Wages Earned	
	(a) Basic	
	(b) DA	
	(c) Other allowance	
	(d) Payment of overtime	
	(e) Total wages earned	
9.	Deductions	
	(a) EPF	
	(b) ESIC	
	(c) Society	
	(d) Income Tax	
	(e) Insurance	
	(f) Others	
	(g) Recovery of Fine	

	(h) Recovery of Damaged/Losses	
	Total Deductions	
10.	Net Payment	
11.	Receipt by Employees/Bank Transaction ID	
12.	Date of Payment	
13.	Initials of Employer/Representative	
14.	Remarks	

Form–X (C)
(See rule-27)
Wage slip

Name of the Establishment				
Address:.....			Period:..... ..	
1.	Name of the Employee:			
2.	Father's/Spouse's Name:			
3.	Designation:			
4.	UAN:			
5.	Bank Account Number:			
6.	Wage period:			
7.	Rate of wages payable	a) Basic	b) D.A.	c) other allowances
8.	Total attendance/unit of work done:			
9.	Overtime wages			
10.	Gross wages payable			
11.	Total deductions	a) PF	b) ESI	c) Others
12.	Net wages paid			

FORM-XI

(See rule-29)

ANNUAL RETURN

FOR THE YEAR …….ENDING 31st December.

Single Annual Integrated Return to be filed On-line under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the Code on Industrial Relations, 2020,theCode on Social Security , 2020,and the Code on Wages, 2019 and the rules made thereunder.

Instructions to fill up the Annual Return

(1) This return is to be filled-up and furnished on or before 1st march every year.

(2) This return is to be filled-up in case of Contractor or manpower supplier who have engaged more than 50 workers.

Applicable to All Establishments - part-I

A. General Information:

Sl. No.			Instructions for filling the column
1.	Labour Identification Number		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN), Registration Number
2.	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3.	Name of the Establishment		
4.	Email ID (employer)		
5.	Telephone No. (employer)		
6.	Mobile number (employer)		
7.	Premise name		
8.	Sub-locality		
9.	District		
10.	State		
11.	Pin code		
12.	Geo Co-ordinates		
B(a).	**Hours of Work in a day**		

B(b).	**Number of Shifts** **Number of hours in a shift**	

C. Details of Manpower Deployed									
Details	**Directly employed**				**Employed through Contractor**				**Grand Total**
Skill Category	**Highly Skilled**	**Skilled**	**Semi-Skilled**	**Un-Skilled**	**Highly Skilled**	**Skilled**	**Semi-Skilled**	**Un-Skilled**	
(i) Maximum No. of employees employed in the establishment in any day during the year	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T
(ii) Average No. employed in the establishment during the year	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T
(iii) Maximum number of Migrant Worker during the year (Section 59 of OSH Code)	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T
(iv) Number of fixed term employee engaged	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T

D. Details of contractors engaged in the Establishment:		
Sl. No.	Name with LIN of the Contractor	No. of Contract Labour Engaged

E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.			
Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)	Instructions for filling
1.	Whether facility of Canteen provided (as per section24(v) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments wherein hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed
2.	Crèches(as per section 67of Code on Social Security Code, 2020 and Section 24 of the OSH Code 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed
2a	If 2 above is not given than whether Crèches allowance under Rule.. of Social Security Code given.	Tick yes or no in the box and not applicable	Reference rule.. on Social Security
3.	Ambulance Room(as per section 24(2)(i) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to factory, building and other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4.	Safety Committee (as per Section 22(1) of OSH Code, 2020.	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to establishment employing 100 workers or more, factory carrying on hazardous process and dangerous operation.
5.	Safety Officer(as per Section 22(2) of OSH Code, 2020)	No. of safety officers appointed	Applicable to factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BoCW employing 250 workers or more.
6.	Qualified Medical Practitioner(asperSection12 (2) of OSH Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:			**Instructions for filling**
1.	Is the Works Committee has been functioning.(Section 3 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.		
2.	Whether the Safety Redressal Committee constituted (Section 4 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment employing 20 or more workers
3.	Number of registered Unions in the establishments.		
4.	Whether any negotiation union exist(Section14 of IR Code,2020)	Yes/No	
5.	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)	Yes/No	

6.	Number of workers discharged/dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:				
	Dismissed	**Retrenched**	**Discharged /Terminated or Removed**	**Grand Total**	

7.	**Man-days lost during the year on account of**				
Sl. No.	Reasons	Period /Date	No. of man-days lost		
(a)	Strike				
(b)	Lockout				

8.	**Details of retrenchment / lay off**				
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	Applies on industrial establishment employing 300 or more workers

G. Details pertaining to maternity benefit:				
No. of female employees	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:			
Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid

I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH Code,2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH Code, 2020 along with the details of affected persons

J. Man days and Production Lost due to accidents / dangerous occurrence			
Sl. No.	**Accident/Dangerous Occurrence**	**Man days lost**	**Production Lost**

PART II

(See rule 29)

ANNUAL RETURN period ending 31st December

(to be submitted by the principal employer on Official Portal)

1. Name of the principal employer:
2. Name of the establishment:
3. Registration number (LIN) of the establishment:
4. Details of the Contractors, wages paid, etc.:

Sl.	Month	Name and address of the contractors	LIN of the contractor	Name of the work	Maximum number of contract worker employed	Amount paid against wage bill (if applicable) to the contractor (including EPF, ESIC, Bonus etc.)	Date of payment of wage bill (if applicable)	Amount of the wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Date of payment of wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Remarks

Signature of the principal employer

Date:

Form-XI(A)

(See rule-53)

(Half Yearly Return (January to June / July to December) to be submitted by Contractor to be filed electronically to the Labour Commissioner

1. Name and address of the contractor:
2. Name and address of the principal employer and LIN:
3. LIN of the contractor:
4. License number of the contractor (if applicable):
5. Name of the contract work with location/station:
6. Details of the number of Contract Workers, Wages Paid etc.:

Sl. No.	Months	Number of Contract Labour employed	Total amount of wages paid in a month	Overtime	Bonus	Date and amount of Wage bill received by contractor from Principal Employer	ECR number of ESIC	ECR number of EPF	Wages paid by 7th of the month or due date as applicable Yes/No	remark
	January									
	February									
	March									
	April									
	May									
	June									

Signature of the contractor:

Date:

Form-XII

(See rule-30)

REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

Name of Injured/deceased person (if any)	Date of Accident or dangerous occurrence	Date of report to Inspector-cum-Facilitator	Nature of accident or dangerous occurrence	Date of return of injured Person to work	Number of days the injured Person was absent from work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Form-XIII

(See rule-31)

REGISTER FOR LEAVE WITH WAGES

Part I - Adults
Part II - Adolescents
Establishment: Name of worker :
Department : Father's Name:

Sl. No	Sl.no. in the register of workers	Date of entry into service	Interruptions					Leave due with effect from	Whether leave not desired during the next 12 months	Date from which the worker is allowed leave	Wages for Leave Paid in	Discharged worker		Remarks
			Sickness and accidents	Authorized Leave	Lock Out or Legal Strike	Involuntary unemployment	others					Date of Discharge	Date and amount of payment made in lieu of leave due	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Form–XIV

(See rule–39)

Consent of Women Employees for working in Night Shifts

Name of Establishment	
Name of Employer	
Name of the Woman Employee	
Designation of the Woman Employee	
Name of the supervisor In charge	
How many women are Working in Night Shift	
Duration of work in night shift	From …. To ……..
Available Transportation Facilities	
Other Safety Issue	
Contact No. for emergency	
Serious illness (if any, give details)	
Signature of the Woman Employee	
Signature of the Supervisor	

Date ……..

Signature of the Employer/occupier/manager

Form-XV
(See rule-43, 62 & 72)
APPLICATION FOR LICENSE

On Line Application for License/ Renewal of License/Amendment of License (including Common/single license)
ESTABLISHMENT PROFILE:
Registration Number ……..
Labour Identification Number ……. Date ……..
Acknowledgement Number: **……** Date of Application: **……**
I. Particulars of Establishment for which licence required:
1. Name of Establishment:
2. Address of establishment
(a) Head Office address along with email Id :
(b) Corporate office address along with email Id:
3. Telephone/Mobile Number :
4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)
5. Details of selected NIC Code:
6. Nature of work carried on in main establishment :
7. Identifier of the Establishment : (Select) : e-sign/digital sign
II. Details of Employer:
1. Full Name of Employer:**.....** relationship with establishment.
2. Full Address of Employer:
3. Email Id of employer:
4. Mobile No. of employer:
III. Particulars of the Contract Labour to be employed / is employed (If licence is required work wise)

Locations of worksites	Name of works	Activity as per national industrial classification	Date of commencement	Date of completion	Name of Establishments in which contract labour is/proposed to be employed	Name Address, email id of the Site In charge
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. Maximum number of workmen proposed to be employed on the Establishment on any date: **24**
6. Amount of Licence Fee: **INR** **(Transaction Id :)**
7. Amount of Security Deposit: **INR** **(Transaction Id :)**

IV. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH COMMON LICENCE REQUIRED , (IF APPLYING FOR)

Type of Establishments	Name & Address of establishment	(i) Nature of work carried out in the establishment (ii) Activity as per National Ind'l classification	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

V. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH SINGLE LICENCE IS REQUIRED (IF APPLYING FOR)

Name of States in which the establishments are situated	Name of each work	Maximum number of labour will be/is employed	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/proposed to be employed	Registration number, if obtained, then details thereof
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

VI. For Factory

1. Name of the Establishment	2. Nature of Manufacturing Process or Processes				
	2 a	2 b	2 c	2 d	2 e
	To be carried-on in the factory in the last twelve months (in the case of factories already in existence); and	To be carried- on in the factory during The next twelve months (in the case of all factories);	whether it involves hazardous process (give details);	whether it involve any dangerous operation (wholly or partly) (give details);	whether any chemical substance is used, handled, stored or processed there at.

3. Names, quantities and values of principal products manufactured during the last twelve months (in the case of factories already in existence).....			
Sl no.	Name	Quantity	Value
1			
2			

4. Detail of Workers (other than power generating factories)		
4(a) Maximum number of worker proposed to be employed on anyone day during the year.	4(b) Maximum number of workers Employed on any one day during the last twelve month (in the case of factories already in existence).	4(c) Number of worker to be ordinarily employed in the factory.

5. Nature of Power installed/proposed to be installed (in KW/MW) ……..	
5(a)Power installed(in KW/MW)	5(b) Power proposed to be installed

6. Nature of Power generation (including captive power plants) ……			
6(a) Capacity (in KW/MW)	6(b) Maximum number of worker proposed to be employed on anyone day during the year.	6(c) Maximum number of workers Employed on any one day during the last twelve month (in the case of factories already in existence).	6(d) Number of worker to be ordinarily employed in the factory.

7. Full name and residential address of the occupier, i.e.			Full name and address of the owner of the premises or building (including the precincts thereof)
(a) the partner/proprietor of the factory in case of a private firm or proprietary concern;	(b) the directors, in case of company or firm	(c) the person or persons appointed to manage the affairs of the factory by the Central Government/State Government or the local authority in case of a factory owned by Government or local authority.	
7a	7b	7c	8

9. Full name and residential address of the person who shall be the manager of the factory for the purposes of the Code.

10. Reference number(s) and date of approval/allotment of site whether for old or new building and for construction or extension of factory by the State Government.	11. Reference number and date of approval of the arrangements if any, made for the disposal of trade waste and effluent and the name authority granting such approval.	12. Reference number(s) and date(s) of approval of plans by Chief Inspector–cum–Facilitator Chhattisgarh.	13. Reference number(s) and date(s) of approval of onsite emergency plans by Chief Inspector of Factories, Chhattisgarh

14 License fee (refer schedule 6) ……(link to e–challan to pay the fee)

VII. For Beedi and Cigar (Beedi cigar will fill the employees' details here online)

Financial resources of the employer e.g. (particulars and value of movable and immovable properties, bank reference, income–tax assessment, etc.)	whether the employer is a trade mark holder registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958	Value of beedis or cigars or both manufactured at the industrial premises during the preceding financial year	Previous experience of the applicant in the industry
(1)	(2)	(3)	(4)

Whether the proposed site of the industrial premises amounts to the alteration of the site of any existing industrial premises and, if so, the reasons for such alteration	Whether any industrial premises was closed by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application and, if so, the reasons therefor	Source of obtaining Tobacco	Whether the Beedis or Cigars or both manufactured will be sold and marketed by himself or through a proprietor or a registered used of trade mark registered under the trade and merchandise act, 1958, or any other person	Whether the plans of the premises are enclosed…
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE
1. Licence No. Date :
2. LIN & PAN
3. Name and address of the establishment:
4. Date of expiry of previous licence :
5. Whether the licence of the employer/occupier/contractor was suspended or revoked:
6. Details of Fees paid : (Enclose e-payment receipt): Amount …. date of payment :
E-sign /digital sign of the employer/contractor date:
APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE :
1. Licence No Date:
2. LIN & PAN
3. Name and address of the establishment:
4.Details for which amendment is sought :
(a). Maximum number of worker presently employed : (If there is increase in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/security deposit as per law needs to be deposited:
(b). Details of fees paid through e payment date on which made :
(c). Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)

E-sign /digital sign of the employer/occupier/contractor

Date

place

Form-XVI
(See rule-45)
PROFORMA OF LICENSE

Licence No. ---------- Reg. No. ---------- Date of Reg. ----------
Licence is hereby granted to ----------
for the premises known as ----------
situated at ----------
nature of work_____
for use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

The ---------- 20.. Issuing Authority

Sl.No.	Period of	Valid For	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment	Signature of the Issuing Authority
		Maximum number of Contract labour /workers on any one day					

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour /workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

E-sign /digital sign of the designated authority

Form–XVII

(See rule 55)

EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT EMPLOYEE

To whom so ever concerned
1. Name and full address of contractor/employer*:
2. LIN/PAN No. of the contractor/employer *:
3. Email Id of the contractor /employer*:
4. Mobile No. of the contractor/employer *:
5. Nature and location of work:
6. Name and full address of Principal Employer*:
7. LIN/PAN No. of the Principal Employer:*
8. Email Id of the Principal Employer :*
9. Mobile No. of the Principal Employer:*
10. Name of the worker*:
11. UAN / Aadhaar No.:
12. Mobile No. :
13. Serial Number in the Employee Register:
14. Registration number, date and name of the Board if the building and other construction worker is registered as a beneficiary:
15. Period of employment:
16. Designation:

Seal and Signature of Contractor

*Please strike off whichever is not applicable.

Form-XVIII

(See rule-60)

Agreement between Producer and Audio-visual worker

This agreement is made on this day ..... month .....year..... between Messers..... having office at .....(hereinafter referred to as the "Producer") on the first part and Shri/Smt/Kum .....son/daughter/wife of Shri ..... residing at ..... (herein after referred to as the "audio-visual worker") on the second part. The terms 'Producer' and 'audio-visual worker' shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives:

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be from the date hereof till the completion of the audio-visual and this period shall not exceed consecutive months.

2. That the audio-visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on his confirmation, to his respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by him in writing.

3. That inconsideration of the audio-visual worker services, as aforesaid, the Producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive a sum of Rs. .....(Rupees .....) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs. .....payable in ..... equal installments.

4. That in the event of the audio-visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the audio-visual worker to complete the audio-visual production, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive additional remuneration on pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the production.

5. That in case the assignment of the audio-visual worker is completed earlier than the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the producer shall settle the account of the audio-visual worker and pay the remaining balance of the agreement amount in

full before the commencement of re-recording work/censor of the production, whichever is earlier.

6. That the audio-visual worker shall, if so required,

(a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the a scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs. .....per hour or part thereof for such early attendance.

(b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.

7. That the Producer shall provide transport and food or pay traveling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer's and audio-visual worker's representative organizations.

8. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

9. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

10. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a

notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

11. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be titled to employ another audio-visual worker in his/her place.

12. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are proved before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audiovisual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favour of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

13. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audio-visual worker whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

14. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

15. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

16.That the Producer shall also pay for all traveling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

17. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

18. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as form the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

19.That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker’s duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall been titled to employ another audio-visual worker in his/her place.

20. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker’s total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of

the Producer against the audio-visual worker are provide before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audiovisual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favor of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

21. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audio-visual workers whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

22. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

23. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

24. That the audio-visual worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

25. That the Producer shall not without the consent in writing of the audio-visual worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

26. That the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 shall be applicable to this agreement.

27. That the Producer shall not utilise the work of the audio-visual worker in any film, other than the audio-visual under this agreement, without prior permission of the audio-visual worker. The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1. Witness	Producer	Name Address
2. Witness	audio-visual worker	Name Address

Form-XIX

(See rule-64)

PROFORMA OF LICENSE FOR BEEDI WORKS

Licence No.----------

Reg. No.---------- Date of Reg.----------

Licence is hereby granted to for the premises known as situated at For use as a establishment within the limits stated here in after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under. The----------20.. Issuing Authority

Sl. No.	Period of issue	Valid For	Maximum number of employees /workers on any one day	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment

Signature of the Issuing Authority

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of employees/workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment

Signature of the Issuing Authority

Form-XX

(see rule-70)

An application for permission to provide beedi leaves for the purpose of wetting or cutting of beedi leaves out side industrial premises

To,

The Labour officer/Assitant labour commissioner,

Dist. - …….. Chhattisgarh

Subject- An application for permission to provide beedi leaves for the purpose of wetting or cutting of beedi leaves out side industrial premises

Respected Sir,

I here by declared that, following employees :-

Sr. No.	Name and Address of the Employee	Gender (Male/Female/ Transgender)	Age of the Employee	Period of permission (month and year)	
				From	to

are my employees to whom I will be giving beedi leaves for the purpose of wetting and cutting outside my industrial premises I here by request to the authority that on behalf of my above mentioned employees, be permitted to take beedi leaves out side of my industrial premises. I will abide all the terms and condition lay down by the Government.

Signature of Employer.

Form–XXI

(see rule–70)

Record of Outside Work

Number and date of Government's Order permitting work outside the industrial premises.....

Date	Place or places where outside work was permitted	Nature of work	Nature of employee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Form–XXII

(See rule-71)

Application for approval of plans and for permission to construct/extend/or take into use any building as a factory

1. Name of Applicant .....

2. Address of the applicant on which he desires to be communicated in this regard.....

3. Aadhar No. of Applicant ……. Pan No. ……

4. Full name and postal address of factory.....

5. Situation of the factory located/to be located on in Road/Railway at..... town/village..... of Tehsil..... District.....

6. The manufacturing process :

(A) To be carried (if new factory)/being carried (if exist)..... (give description).....

(B)Whether it involves hazardous processes as interpreted under Section 2 (za) (give details).....

(C) Whether it involves wholly or partly any dangerous operations as declared under Section 82 (give details).....

(D) If yes for (c) and (D), whether provisions of installation/arrangements to be made according to the relevant Schedule have been incorporated in the plan.....

7. (A) Number of workers to be employed in the factory. .....

(B) Whether provision of amenities and facilities required to all workers according to the Code and the Rules made thereunder have been taken care of in the plans.....

8. (A) Whether lifts/hoists/lifting machines of any kind installed/to be installed in the plans (give details).....

(B) If yes for (A) whether provisions according to the Code and the Rules thereunder, have been taken care of in the plan (give details).....

9. (A) Whether any worker will be required to work at different floors or at a height from where he is likely to fall or work at a congested place due to machines or fittings or in a confined space, pit or sumps? (give details).....

(B) If so, whether provision of arrangements to be made for access, escape and ensure safety, in accordance to the Code and the Rules thereunder have been taken care of in the plans? (give details).....

10. Whether there is any possibility of escape of dangerous fumes/gases or explosion?

If so whether provision on suitable arrangements to be made according to the Code and Rules thereunder have been taken care of in the plans? (give details).....

11. What materials are used/to be used for construction of :–

(a) Building (give details).....

(b) Roofing (give details).....

12. Particulars of the drawings submitted alongwith particulars of information submitted according to the requirement of Rules –

(1) .....

(2) .....

Date..... Signature E –Sign/DSC of the Occupier

Form–XXIII

(See rule-71)

Certificate of Stability

1. Name of the factory.....

2. Village, town and district in which the factory is situated.....

3. Full postal address of the factory.....

4. Name of the occupier of the factory.....

5. Name of manufacturing process to be carried on in the factory.....

6. Number of floors on which workers will be employed.....

7. Material of construction. Walls roof etc.

8. Number of buildings/ structures, give details :

   (a) Constructed area on ground floor

   (b) Total Constructed area and height of each floor

9. Tests were applied;–

   (a) Rebound Hammer test

   (b) Ultrasonic pulse velocity test

   (c) any other tests; namely

10. Details of examination of steel structures and sheet roofing :

   (a) high raised chimney: state it is self supported or tied by tensioning ropes; are the tensioning ropes/ foundation fastening safe and in good state :

   (b) Observation regarding steel structures, if any :

   (c) Observation regarding stability of sheet roofing ; if provided :

11. Defects/ requirement of repair if any;

This is certified that I have inspected the building/buildings the plans of which have been approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator in his letter No..... dated..... and examined the various parts including the foundations with special reference to the machine, plant etc., that have been installed. I am of the opinion that the building/buildings which has/have been

constructed/reconstructed/extended/taken into use is/are in accordance with the plans approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator in his letter mentioned above, that it/they is/are structurally sound and that its/their stability will not been endangered by its/their use as a factory/part of a factory for the manufacture of.....for which the machinery, plant, etc. installed are intended.

Signature of Occupier ……

Date …….

Signature of competent person .....

Qualification.....

Address.....

Date.....

Certification No..... date.....of competency issued by Chief Inspector-cum-Facilitator. If employed by a company or a association, name and address of the company or association.

Form–XXIV

(See rule-75)

LICENSE TO WORK A FACTORY

For use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

Licence No ……..

Establishment registration number ……...

(Mention this number invariably in all correspondences withthis office)

Fees Paid Rs. …….

E–Challan No.	Amount	Date

Licence is hereby granted to Shri..... Occupier of..... located of..... District (Subject to the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the rule made thereunder and the conditions annexed herewith)

Valid only for the premises at the above location (as per the plan approved under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and Rules).

(i) for use as a factory employing not more than ……..(in words …….) workers on any one day during the year and having installed motive power not exceeding ……. Horse power (in words .....) where the manufacturing process of ……. will be carried by him.

(ii) for use as a factory employing not more than ……..(in words …….) workers on any one day during the year and having power generation not exceeding ……. Mega watt (in words .....)

The licence shall remain in force till the 31st day of December, 20.....

Excess Fess : …….

Place : ……..

Dated .....

Signature of Licensing Authority

Note: The authenticity of this certificate be verified at www.cglabour.nic.in.

(This licence shall be framed and exhibited in the factory and shall be made available to the factory Inspector on demand)

(1) Application for renewal of licence; in the prescribed form (form No. 17 as in Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) accompained with the Original challan for adequates fees, shall be made on or before the first day of December of the preceding year. For late submission of the application 25% of the scheduled licence fee shall be paid in addition.

Note: For calculating the maximum number of workers to be employed on any day during the year the total number of workers (in all shifts) employed on that day and the workers employed through all agencies also included in this total shall be taken.

(2) All fees shall be deposited electronically in treasury through e–challan under the following head of account. ……. Receipts is under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020" Care shall be taken to reproduce this head correctly on all e–challan forms and that the seal of the Treasury or the Bank is legibly affixed.

(3) The fee for obtaining a, duplicate copy of for effecting any amendment therein is as prescribed in the rules.

Form–XXV

(See rule-81)

Certificate of Fitness

Serial Number ……..... Date of examination …../……/……

Name of employee…….……

Age……..…yrs, Sex……Aadhar Number…….…… …….……

Father's/ Husband's Name ……..…….

Address……

Name of the factory/ building and other construction work /establishment in which he/she wishes to be employed…… Nature of job in which he/she wishes to be employed……

This is to certify that I have examined the above person as nearly as can be ascertained from my examination, considering the nature of job and the factory, he/she is:

Fit for employment	Temporarily UNFIT (may be produced for examination after 3 months)	UNFIT for employment

S.no and date of last certificate(if so) issued.....

Recomendation of Medical Officer

.....

…….....

…….…….....

Signature/Left thumb impression of the person examined

Signature & seal of medical officer

Form–XXVI

(See rule-81)

Health Register

(In respect of persons employed in occupations declared to be dangerous operations and hazardous process)

1. Name Of Factory ……
2. Address Of Factory ……
3. Name of Factory Medical Officers ……
4. Qualification of Factory Medical Officers ……
5. Contact No. of Factory Medical Officers ……
6. No Of Worker Employed In Factory ……
7. Does the factory involves hazardous processes as per section 2(za) the OSH Code 2020
8. specify the dangerous operation taking place in the factory Schedule-7 to Schedule-37 under rule 92 of CG OSH rules 2022

Sr. No.	Name of Worker	Sex (M/F/O)	Age in years	Aadhar Card no.	Factory Identity Card Number	Date of Medical Examinatin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Type of Medical Examination (Pre-employment / Periodic)	Result of Medical Examination (FIT/ UNFIT)	Notifiable disease observed if any (Yes / No)	Recommeded for Job rotation or rehabilitation (Yes / No)	Basis of Job rotation or rehabilitation recommendation	Signature of Factory Medical Officer
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Form–XXVII

(See rule-82)

Application to the Site Appraisal Committee

1. Name and address of the applicant :

2. Site Ownership Date :

(1). Revenue details of site such as survey No., Plot No. etc.

(2). Whether the site is classified as forest and if so, whether approval of the Central Government under Section 5 of the Indian Forests Act, 1927 has been taken.

(3). Whether the proposed site attracts the provisions of section 3(2)(v) of the environment protection Act, 1986, if so, the nature of the restrictions.

(4). Local authority under whose jurisdiction the site is located.

3. Site Plan :

(1). Site Plan with clear identification of boundaries and total area proposed to be occupied and showing the following details nearby the proposed site :

(a) Historical monument, if any, in the vicinity.

(b) Names of neighbouring manufacturing units and human habitats, educational and training institutions, petrol installations, storages of LPG and other hazardous substances in the vicinity and their distances from the proposed units.

(c) Water sources (rivers, streams, canals, dams, water filtration plants, etc.) in the vicinity.

(d) Nearest hospitals, fire–stations, civil defence stations and police stations and their distances.

(e) High tension electrical transmission lines, pipe lines for water, oil, gas or sewerage, railway lines, roads, stations, jetties and other similar installations.

(2). Details of soil conditions and depth at which hard strata obtained.

(3). Contour map of the area showing nearby hillocks and difference in levels.

(4). Plot Plan of the factory showing the entry and exit points, roads, within, water drains etc.

4. Project Report :

(1) A summary of the salient features of the Project.

(2) Status of the organisation (Government, Semi–Government, Public or Private etc.).

(3) Maximum number of persons likely to be working in the factory.

(4) Maximum amount of power and water requirements and source of their supply.

(5) Block diagram of the buildings and installations, in the proposed supply.

(6) Details of housing colony, hospital, school and other infrastructural facilities

Proposed

5. Organisation structure of the proposed manufacturing Unit/factory :

(1) Organisation diagrams of :

(a) Proposed enterprise in general.

(b) Health, safety and environment protection departments and their linkage to operation and technical departments.

(2) Proposed Health and Safety Policy.

(3) Area allocated for treatment of wastes and effluent.

(4) Percentage outlay on safety, health and environment protection measures.

6. Meteorological data relating to the site :

(1) Average, minimum and maximum of–

(a)Temperature;

(b) Humidity;

(c) Wind velocities during the previous ten years.

(2) Seasonal variations of wind direction.

(3) Highest water level reached during the floods in the area recorded so far.

(4) Lightening and Seismic data of the area.

7. Communication links :

(1). Availability of telephone/telex/wireless and other communication facilities for outside communication.

(2). Internal communication facilities proposed.

8. Manufacturing Process Information :

(1) Process flow diagram.

(2) Brief write up on process and technology.

(3) Critical process parameters such pressure build–up, temperature rise and run– away reactions.

(4) Other external effects critical to the process having safety implications, such as ingress of moisture or water, contact with incompatible substances, sudden power failure.

(5) Highlights of the build–in safety/pollution control devices or measures/incorporated in the manufacturing technology.

9. Information of Hazardous Materials :

(1) Raw materials, intermediates, products and by–products and their quantities(Enclose Material Safety Data Sheet in respect of each hazardous substance).

(2) Main and intermediate storages proposed for raw materials/ intermediates/products/by products (maximum quantities to be stored at any time).

(3) Transportation methods to be used for materials inflow and outlow, their quantities and likely routes to be followed.

(4) Safety measures proposed for–

– handling or materials;

– internal and external transportation, and

– disposal (packing forwarding of finished products).

10. Information on Disposal/Disposal of Wastes and Pollutions :

(1) Major pollutions (Gas, liquid, Solid) their characteristics and quantities (average and at peak loads).

(2) Quality and quantity of solid wastes generated method of their treatment and disposal.

(3) Air, water and soil pollution problems anticipated and the proposed measures to control the same, including treatment and disposal of effluent.

11. Process Hazards Information :

(1) Enclose a copy of the report on environmental impact assessment.

(2) Enclose a copy of the report on Risk Assessment study.

(3) Published (open or classified) reports, if any, on accident situations occupational health hazards or similar plants elsewhere (within or outside the country).

12. Information of proposed Safety and Occupational Health Measures :

(1) Details of fire fighting facilities and minimum quantity of water. CO2 and or other fire fighting measures needed to meet the emergencies.

(2) Details of in–house medical facilities proposed.

13. Information on Emergency Preparedness :

(1) Onsite emergency plan.

(2) Proposed arrangements, if any, for mutual aid scheme with the group of neighbouring factories.

14. Any other relevant information.

I certify that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and nothing of importance has been concealed while furnishing it.

.....

Name and signature of the applicant

Form–XXVIII

(See rule-89)

Information to be furnished by Occupier of Hazardous process Industry to the Chief Inspector–cum–Facilitator

1. Name of Factory ……
2. Address …….....
3. Product …….
4. Manufacturing process ……
5. (a) Raw Material ……
   (b) Name & Maximum storage Capacity .....
6. (a) Finished Product
   (b) Name & Maximum storage Capacity
7. (a) Intermediate Products
   (b) Name & Maximum storage Capacity
8. Hazards associated with the Factory
9. Safety Measures observed
10. Fire & Explosion risk
11. Fire fighting arrangements
12. Occupational health center details
13. Mutual aid members
14 . Constition of safety committee
15. Details for disposal of hazardous waste

Signature of Occupier

Form–XXIX

(See rule-100)

Application for appeal against the order passed by Inspector-cum-Facilitator

a. Name of occupier/manager: ……..

b. Name and Address of factory: …….

c. Details of grievance: ……..

d. Reasons of claim: ……...

e. Details of documents attached: ……..

Signature of occupier/manager

Form-XXX

(See rule-120)

Penalty Register

Name of office …….. Deputy Chief Inspector-cum-Facilitator/Assistant Labour Commissioner

Address ……..

For the month of..... (Name of month with year)

S.No.	Name and address of person on whom penalty imposed	Name and address of establishment in relation to person on whom penalty imposed	Date and number of reference of imposing penalty	Offences for which penalty imposed	Amount of penalty	Date of deposit	Whether appeal preferred	Signature of officer imposing penalty	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(a) Total penalty collected at the end of month:

(b) Details of transfer of amount to fund:

(i) Date:

(ii) Amount:

(iii) Bank details of transfer:

Signature and seal of

Deputy Chief Inspector-cum-Facilitator/

Assistant Labour Commissioner

Form–XXXI

(See rule-121)

Performa for Appeal before the Appellate Authority against Order of Imposing Penalty

To,

Appellate Authority

[Under Section 111(3) of the Code]

Sir,

I undersigned with following details prefer an appeal against case number …….. dated …… order of officer ……. office ……. imposing penalty under section 111(3) of The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code 2020.

1. Name and address of the establishment/factory.
2. Name of the person preferring appeal and address details
3. Amount of penalty imposed by the officer.
4. Ground for Appeal
5. Document regarding submission of 10% fees of penalty imposed.
6. Order of penalty imposed by the officer.
7. Other supporting documents

Declaration

I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis–represented in the above calculation made by me/us.

Signature of person preferring appeal

Name: ……

Date: ……..

Place: …….

Mobile Number: ……

E–mail (if any): ……

Form–XXXII

(See rule-122)

APPLICATION FOR COMPOUNDING OF OFFENCE

To,

The authorised officer [under
section 114(1)]

1. Name of applicant …….
2. Father's / Husband's name of the applicant ……
3. Address of the applicant …….…….
4. Name and Address of establishment in relation to applicant .....
5. Particulars of the offence …….
6. Section of the Code under which the offence is committed ……
7. Maximum fine provided for the offence under the Code ……
8. Whether prosecution against the applicant is pending or not …….
9. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence, if had committed, then, full detail of the offence
   ……
   ……
10. Any other information which the applicant desires to provide

……
……

Dated: Applicant

(Name and signature)

Form–XXXIII

(See rule-122)

Compounding/Composition Register

Name of office …….. Deputy Chief Inspector-cum-Facilitator/Assistant Labour Commissioner

Address ……..

For the month of..... (Name of month with year)

S.No.	Name and address of person of whom offence compounded	Name and address of establishment in relation to person of whom offence compounded	Date and number of reference of composition/compounding	Offences which are compounded	Amount of penalty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(b) Total penalty collected at the end of month:

(c) Details of transfer of amount to fund:

(i) Date:

(ii) Amount:

(iii) Bank details of transfer:

Signature and seal of

Deputy Chief Inspector-cum-Facilitator/

Assistant Labour Commissioner

Form– XXXIV

(See rule-123)

Register of Social Security fund

S.No.	Amount received for fund	Source from received	Date of receive	Details of credit to the Chhattisgarh Unorganised Workers Welfare Board		
				Amount	Date	Bank detail
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Form-XXXV

(See rule-124)

Common License

Common License No_____ Registration No._____

Date of Registration _____

Common License is hereby granted to …… occupier/employer of M/s…….. address ……. for use of :-

(a) for factory –

(ii) employing not more than ……..(in words ……. workers on any one day during the year and having installed motive power not exceeding ……. Horse power in words .....) where the manufacturing process of ……. will be carried by him.

(ii) employing not more than ……..(in words ……. workers on any one day during the year and having power generation not exceeding ……. Mega watt in words .....)

(b) Industrial Premise of Beedi and Cigar manufacturing where …… employees are employed directly or indirectly on any day during a year.

(c) employing contract labourers (more than 50)…… on any day at …….. during a year for work …… having deposited rupees …… security amount.

Details of fee :

Fee deposited	Date	Challan No.

This common license is valid from dated …….. to …….

Digitally signed by designated authority

Date of Issuance

Form-XXXVI

(See rule-128)

Application for grant of certificate of competency to a person

1. Name .....
2. Date of birth .....
3. Name of the Organisation .....

   (if not self-employed)
4. Designation .....
5. Educational qualification

   (copies of testimonials to be attached) .....
6. Details of professional experience

   (in chronological order): .....
7. Membership, if any, of professional bodies .....
8. (i) Details of facilities (examination, ...

   testing etc.) at his disposal

   (ii) Arrangements for calibrating and .....

   maintaining the accuracy of these facilities.
9. Purpose for which competency certificate .....

   is sought (section or rule or safety standard

   should be stated)
10. Whether the applicant has been .....

    declared as a competent person under

    any state.

    (If so, the details)
11. Any other relevant information .....
12. Declaration by the applicant. .....

I……..hereby declare that the information furnished above is true, undertake :-

(a) that in the event of any change in the facilities at my disposal (either addition or deletion) or may leaving the aforesaid organisation, will promptly inform the Chief Inspector-cum-facilitator ;

(b) to maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturers instructions or as per National Standard; and

(c) to fulfil and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and Instructions issued by the Chief Inspector-cum-facilitator from time to time.

Place..... ….....

Date..... Signature of the applicant

Declaration by the Institution (if employed)

I.....certify that Shri..... whose details are furnished above, is in our employment and nominate him on behalf of the organization for the purposes of being declared as a competent person under the code. I also undertake that I will :

(a) notify the Chief Inspector-cum-facilitator in case the competent person leaves our employment;

(b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above;

(c) notify the Chief Inspector any change in the facilities (either addition or deletion).

Date..... Signature.....

Designation.....

Telephone No.....

Official Seal.....

Form-XXXVII

(See rule-128)

Form of application for grant of certificate of competency to an Institution

1. Name and full address of the Organisation. ……
2. Organisation status (specify whether Govt., Autonomous, Co-operative, Corporate or Private). ……
3. Purpose for which competency certificate is sought (specify section or rule or safety standard) ……
4. Whether the Organisation has been declared as a competent person under this or any other statute. If so, give details: ……
5. Particulars of persons employed and possessing qualification and experience as set out in Schedule. ……

S.No	Name of Designation	Qualification	Experience	Section or rule or safety standard which competency is sought for.
1. 2.				

6. Details of facilities (relevant to item 3) above and arrangements made for their maintenance and periodic calibration. …….
7. Any other relevant information: …….
8. Declaration:

I…… hereby, on behalf of certify the details furnished above are correct to the best of my knowledge. I undertake to:-
(i) maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturers instructions or as per National Standards; and
(ii) to fulfil and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Inspector-cum-facilitator from time to time.

Place and Date

Signature of Head of the Institution or of the persons authorised to sign on his behalf.

Designation …….

Form-XXXVIII

(See rule-128)

Certificate of competency issued to a person or an Institution

1. ..... in exercise of the powers conferred on me under Section 2 (l) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the rules made thereunder, hereby recognise..... (Name of the Institution) or Shri .....(Name of applicant) employed in (Name of Organisation) to be a competent person for the purpose of carrying out tests, examinations and certification…….
……
……...
as the case may be, used in factory located in …….under safety standard ……made under Section 18 of the Code.
This certificate is valid from…….. to……
his certificate is issued subject to the conditions stipulated hereunder:

(i) Tests, examinations and inspections shall be carried out in accordance with the provisions of the Code and the Rules made thereunder;

(ii) Tests, examinations and inspections shall be carried out in under direct supervision of the competent person or by a person so authorised by an institution recognised to be a competent person;

(iii) The certificate of competency issued in favour of a person shall stand cancelled if the person leaves the organisation mentioned in this application.

(iv) The institution recognised as a competent person shall keep the Chief Inspector-cum-facilitator informed of the names, designation and qualifications of the persons authorised by it to carry out tests, examinations and inspections.

(v)

(vi)

Section Official Seal Signature of the Chief Inspector-cum-Facilitator

SCHEDULE – A

(See rule 2(q))

Hazardous Substances

Part –I

(a) ***Toxic Chemicals***: Chemicals having the following values of acute toxicity and which owing to their physical and chemical properties, are capable of producing major accident hazards:

S.No.	Toxicity	Oral toxicity LD_{50}(mg/kg)	Dermal toxicity LD_{50}(mg/kg)	Inhalation toxicity LC_{50}(mg/l)
1.	Extremely toxic	>5	<40	<0.5
2.	Highly toxic	>5–50	>40–200	<0.5–2.0
3.	Toxic	>50–200	>200–1000	>2–10

(b) Flammable Chemicals:

(i) flammable gases: Gases which at 20°C and at standard pressure of 101.3KPa are:–

(a) ignitable when in a mixture of 13 percent or less by volume with air, or;

(b) have a flammable range with air of at least 12 percentage points regardless of the lower flammable limits.

Note : The flammability shall be determined by tests or by calculation in accordance with methods adopted by International Standards Organization ISO Number 10156 of 1990 or by Bureau of

Indian

Standard ISI Number 1446 of 1985.

(ii) ***extremely flammable liquids*** : chemicals which have flash point lower than or equal to 23°C and boiling point less than35°C.

(iii) ***very highly flammable liquids*** : chemicals which have a flash point lower than or equal to 23°C and initial boiling point higher than35°C.

(iv) ***highly flammable liquids*** : chemicals which have a flash point lower than or equal to 60°C but higher than23°C.

(v) ***flammable liquids*** : chemicals which have a flash point higher than 60°C but lower than90°C.

(c) ***Explosives*** : explosives mean a solid or liquid or pyrotechnic substance (or a mixture of substances) or an article.

(a) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings;

(b) which is designed to produce an effect by heat, light, sound, gas or smoke or a combination of these as the result of non–detonative self sustaining exothermic chemical reaction.

PART II

LIST OF HAZARDOUS AND TOXIC CHEMICALS

1. Acetaldehyde	41. AntimycinA
2. Aceticacid	42. ANTU
3. Aceticanhydride	43. Arsenicpentoxide
4. Acetone	44. Arsenictrioxide
5. Acetonecyanohydrin	45. Arsenoustrichloride
6. Acetonethiosemicarbazide	46. Arsine
7. Acetonitrile	47. Asphalt
8. Acetylene	48. Azinpho–ethyl
9. Acetylene tetrachloride	49. Azinphosmethyl
10. Acrolein	50. Bacitracin
11. Acrylamide	51. Bariumazide
12. Acrylonitrile	52. Barium nitrate
13. Adiponitrile	53. Bariumnitride
14. Aldicarb	54. Benzalchloride
15. Aldrin	55. Benzenamine,3–Trifluoromethyl
16. Allylalcohol	56. Benzene
17. Allylamine	57. Benzene sulfonylchloride
18. Allylchloride	58. Benzene. 1– (chloromethyl)–4Nitro
19. Aluminium(powder)	59. Benzene arsenicacid
20. Aluminiumazide	60. Benzidine
21. Aluminiumborohydride	61. Benzidinesalts
22. Aluminiumchloride	62. Benzimidazole. 4, 5–Dichloro–2 (Trifluoromethyl)

23. Aluminiumfluoride	63. Benzoquinone–P
24. Aluminiumphosphide	64. Benzotrichloride
25. Aminodiphenyl	65. Benzoylchloride
26. Aminopyridine	66. Benzoylperoxide
27. Aminophenol–2	67. Benzylchloride
28. Aminopterin	68. Beryllium(Powder)
29. Amiton	69. Bicyclo (2, 2, 1) Heptane –2– carbonitrile
30. Amitondialate	70. Biphenyl
31. Ammonia	71. Bis (2–Chloroethyl)sulphide
32. Ammoniumchloro platinate	72. Bis (Chloromethyl)Ketone
33. Ammoniumnitrate	73. Bis (Tert–butyl peroxy)cyclohexane
34. Ammoniumnitrite	74. Bis (Terbutylperoxy)butane
35. Ammoniumpicrate	75. Bis(2,4,6–Trimitrophenylamine)
36. Anabasine	76. Bis (Chloromethyl)Ether
37. Aniline	77. Bismuth andcompounds
38. Aniline2,4,6–Trimethyl	78. Bisphenol–A
39. Anthraquinone	79. Bitoscanate
40. Antimonypentafluoride	

80. BoronPowder	127. Chloroaniline –4
81. Borontrichloride	128. Chlorobenzene
82. Borontrifluoride	129. Chloroethyl chloroformate
83. Boron trifluoridecomp. With methylether, 1:1	130. Chloroform
84. Bromine	131. Chloroformyl morpholine

85. Brominepentafluoride	132. Chloromethane
86. Bromo chloromethane	133. Chloromethyl methyl ether
87. Bromodialone	134. Chloronitrobenzene
88. Butadiene	135. Chlorophacinone
89. Butane	137. Chlorosulphonic acid
90. Butanone–2	138. Chlorothiophos
91. Butyl aminetert	139. Chloroxuron
92. Butyl glycidalether	140. Chromic acid
93. Butylisovalarate	141. Chromic chloride
94. Butyl peroxymaleatetert	142. Chromium powder
95. Butyl vinylether	143. Cobalt carbonyl
96. Butyl–n–mercaptan	144. Cobalt Nitrilmethylidyne compound
97. C.I.Basicgreen	145. Cobalt (Powder)
98. Cadmiumoxide	146. Colchicine
99. Cadmiumstearate	147. Copper and Compounds
100. Calciumarsenate	148. Copperoxychloride
101. Calciumcarbide	149. Coumafuryl
102. Calciumcyanide	150. Coumaphos
103. Camphechlor(Toxaphene)	151. Coumatetralyl
104. Cantharidin	152. Crimidine
105. Captan	153. Crotenaldehyde
106. Carbacholchloride	154. Crotonaldehyde
107. Carbaryl	155. Cumene
108. Carbofuran(Furadan)	156. Cyanogen bromide

109. Carbontetrachloride	157. Cyanongen iodide
110. Carbondisulphide	158. Cyanophos
111. Carbonmonoxide	159. Cyanothoate
112. Carbonphenothion	160. Cyanuric fluoride
113. Carvone	161. Cyclo hexylamine
114. Cellulosenitrate	162.Cyclohexane
115. Chloroaceticacid	163.Cyclohexanone
116. Chlordane	164. Cycloheximide
117. Chlorofenvinphos	165. Cyclopentadiene
118. Chlorinatedbenzene	166. Cyclopentane
119. Chlorine	167. Cyclotetramethylen etetranitramine
120. Chlorineoxide	168. Cypermethrin
121. Chlorinetrifluoride	169. DDT
122. Chlormephos	170. Decaborane (1:4)
123. Chlormequatchloride	171. Demeton
124. Chloroacetal chloride	172. DemetonS–Methyl
125. Chloroacetaldehyde	173. Di–n–propylperoxydicarbonate (Conc = 80%)

174. Dialifos	217. Dimethylcarbonyl chloride
175. Diazodinitrophenol	218. Dimetilan
176. Dibenzylperoxydicarbonate (Conc>= 90%)	219. Dinitro O–cresol
177. Diborane	220. Dinitrophenol
178. Dichloroacetylene	221. Dinitrotoluene
179. Dichlorobenzalkoniumchloride	222. Dinoseb

180. Dichloroethyl ether	223. Diniterb
181. Dichloromethylphenylsilane	224. Dioxane–p
182. Dichlorophenol – 2,6	225. Dioxathion
183. Dichlorophenol – 2,4	226. Dioxine N
184. Dichlorophenoxyaceticacid	227. Diphacinone
185. Dichloropropane – 2,2	228. Diphosphoramide octamethyl
186. Dichlorosalicylic acid–3,5	229. Diphenyl methane di–isocynate (MDI)
187. Dichlorvos(DDVP)	230. Dipropylene Glycol Butyl ether
188. Dicrotophos	231. Dipropyleneglycolmethyl ether
189. Dieldrin	232. Disec–butyl peroxydicarbonate (Conc.>80%)
190. Diepoxybutane	233. Disufoton
191. Diethyl carbamazinecitrate	234. Dithiazamine iodide
192. Diethylchlorophosphate	235. Dithiobiurate
193. Diethylethtanolamine	236. Endosulfan
194. Diethylperoxydicarbonate (Conc=30%)	237. Endothion
195. Diethyl phenylenediamine	238. Endrin
196. Diethylamine	239. Epichlorohydrine
197. Diethyleneglycol	240. EPN
198. Diethylene glycoldinitrate	241. Ergocalciferol
199. Diethylenetriamine	242. Ergotamine tartarate
200. Diethleneglycolbutylether	243. Ethanesulfenyl chloride, 2 chloro
201. Diglycidylether	244. Ethanol 1–2 dichloracetate
202. Digitoxin	245. Ethion
203. Dihydroperoxypropane (Conc >=30%)	246. Ethoprophos

204. Diisobutylperoxide	247. Ethyl acetate
205. Dimefox	248. Ethyl alcohol
206. Dimethoate	249. Ethyl benzene
207. Dimethyldichlorosilane	250. Ethyl bis amine
208. Dimethylhydrazine	251. Ethylbromide
209. Dimethyl nitrosoamine	252. Ethylcarbamate
210. Dimethyl P phenylene diamine	253. Ethylether
211. Dimethyl phosphoramidicyanidic acid (TABUM)	254. Ethyl hexanol–2
212. Dimethyl phosphorochloridothioate	255. Ethylmercaptan
213. Dimethyl sufolane (DMS)	256. Ethyl mercuricphosphate
214. Dimethyl sulphide	257. Ethylmethacrylate
215. Dimethylamine	258. Ethylnitrate
216. Dimethylaniline	259. Ethylthiocyanate

260. Ethylamine	305. Hexamethylene diamine N N dibutyl
261. Ethylene	306. Hexane
262. Ethylenechlorohydrine	307. Hexanitrostilbene 2, 2, 4, 4, 6, 6
263. Ethylenedibromide	308. Hexene
264. Ethylenediamine	309. Hydrogen selenide
265. Ethylene diaminehydrochloride	310. Hydrogen sulphide
266. Ethyleneflourohydrine	311. Hydrazine
267. Ethyleneglycol	312. Hydrazine nitrate
268. Ethylene glycoldinitrate	313. Hydrochloric acid (Gas)
269. Ethyleneoxide	314. Hydrogen

270. Ethylenimine	315. 315. Hydrogen bromide
271. Ethylene dichloride	316. Hydrogen cyanide
272. Femamiphos	317. Hydrogen fluoride
273. Femitrothion	318. Hydrogen peroxide
274. Fensulphothion	319. Hydroquinone
275. Fluemetil	320. Indene
276. Fluorine	321. Indium powder
277. Fluoro2–hyrdoxy butyricacid amid salt ester	322. Indomethacin
278. Fluoroacetamide	323. Iodine
279. Fluoroacetic acid amide saltsand esters	324. Iridium tetrachloride
280. Fluoroacetylchloride	325. Ironpentacarbonyl
281. Fluorobutyric acid amidesalt esters	326. Iso benzan
282. Fluorocrotonic acid amidessalts esters	327. Isoamyl alcohol
283. Fluorouracil	328. Isobutyl alcohol
284. Fonofos	329. Isobutyro nitrile
285. Formaldehyde	330. Isocyanic acid 3, 4– dichlorophenyl ester
286. Formetanatehydrochloride	331. Isodrin
287. Formicacid	332. Isofluorophosphate
288. Formoparanate	333. Isophoronediisocyanate
289. Formothion	334. Isopropylalcohol
290. Fosthiotan	335. Isopropylchlorocarbonate
291. Fuberidazole	336. Isopropylformate
292. Furan	337. Isopropyl methylpyrazolyl dimethyl carbamate
293. Gallium Trichloride	338. Juglone(5–Hydroxy Naphthalene–1,4 dione)

294. Glyconitrile (Hydroxyacetonitrile)	339. Ketene
295. Guanyl–4–nitrosaminoguynyl–1– tetrazene	340. Lactonitrile
218. Heptachlor	341. Leadarsenite
219. Hexamethyl terta–oxyacyclononate (Conc 75%)	342. Lead at high temp(molten)
220. Hexachlorobenzene	343. Leadazide
221. Hexachlorocyclohexan (Lindane)	344. Leadstyphanate
222. Hexachlorocyclopentadiene	345. Leptophos
223. Hexachlorodibenzo–p–dioxin	346. Lenisite
224. Hexachloronapthalene	347. Liquified petroleumgas
225. Hexafluoropropanone sesquihydrate	348. Lithiumhydride
226. Hexamethyl phosphoromide	349. N–Dinitrobenzene

350. Magnesium powder orribbon	395. Methyl phosphonic dichloride
351. Malathion	396. Methyl thiocyanate
352. Maleic anhydride	397. Methyl trichlorosilane
353. Malononitrile	398. Methyl vinyl ketone
354. ManganeseTricarbonyl cyclopentadiene	399. Methylene bis (2–chloroaniline)
355. Mechlorethamine	400. Methylene chloride
356. Mephospholan	401. Methylenebis–4,4(2–chloroaniline)
357. Mercuricchloride	402. Metolcarb
358. Mercuricoxide	403. Mevinphos
359. Mercuryacetate	404. Mezacarbate
360. Mercuryfulminate	405. Mitomycin C
361. Mercury methylchloride	406. Molybdenum powder

362. Mesitylene	407. Monocrotophos
363. Methaacroleindiacetate	408. Morpholine
364. Methacrylicanhydride	409. Muscinol
365. Methacrylonitrile	410. Mustard gas
366. Methacryloyloxyethyl isocyanate	411. N–Butyl acetate
367. Methanidophos	412. N.–Butyl alcohol
368. Methane	413. N–Hexane
369. Methanesulphonylfluoride	414. N– Methyl–N, 2, 4, 6– Tetranitroaniline
370. Methidathion	415. Naphtha
371. Methiocarb	416. Nephthasolvent
372. Methonyl	417. Naphthalene
373. Methoxy ethanol (2–methyl cellosolve)	418. Naphthylamine
374. Methoxyethyl mercuric acetate	420. Nickelpowder
375. Methyacrylol chloride	421. Nicotine
376. Methyl 2–chloroacrylate	422. Nicotinesulphate
377. Methyl alcohol	423. Nitricacid
378. Methyl amine	424. Nitricoxide
379. Methyl bromide (Bromomethane)	425. Nitrobenzene
380. Methyl chloride	426. Nitrocellulose(dry)
381. Methyl chloroform	427. Nitrochlorobenzene
382. Methyl chloroformate	428. Nitrocyclohexane
383. Methyl cyclohexene	429. Nitrogen
384. Methyl disulphide	430. Nitrogendioxide
385. Methyl ethyl ketone peroxide (Conc.60%)	431. Nitrogenoxide

386. Methyl formate	432. Nitrogentrifluouide
387. Methyl hydrazine	433. Nitroglycerine
388. Methyl isobutyl ketone	434. Nitropropane–1
389. Methyl isocyanate	435. Nitropropane–2
390. Methyl isothiocyanate	436. Nitroso dimethyl amine
391. Methyl mercuric dicyanamide	437. Nonane
392. Methyl Mercaptan	438. Norbormide
393. Methyl Methacrylate	439. O–Cresol
394. Methyl phencapton	440. O–NitroToluene

441. O–Toludine	523. Potassiumnitride
442. O–Xylene	524. Potiassiumnitrite
443. O/PNitroaniline	525. Potassiumperoxide
444. Oleum	526. Potassium silvercyanide
445. OO Diethyl S ethyl suph. Methylphos	527. Powdered metals andmixtures
446. OO Diethyl S propythiomethyl phosdithioate	528. Promecarb
447. OO Diethyl sethtylsulphinyl methylphosphorothioate	529. Promurit
448. OO Diethyl sethylsulphonyl methylphosphorothioate	530. Propanesultone
449. OO Diethyls ethylthiomethylphospho–rothioate	531. Propargylalcohol
450. Organorhodiumcomplex	532. Propargylbromide
451. Oroticacid	533. Propen–2–chloro–1,3–diou diacetate
452. Osmiumtetroxide	534. Propiolactonebeta
453. Oxabain	578. Stannaneacetoxytriphenyl

496. Phosphine	579. Stibine (Antimonyhydride)
497. Phosphoricacid	580. Strychnine
498. Phosphoric acid dimethyl(4– methyl thio)phenyl	581. Strychninesulphate
499. Phosphorthioic acid dimethylS(2– Bis) Ester	582. Styphinic acid (2, 4,6– trinitroresorcinol)
500. Phosphorothioic acid methyl (ester)	583. Styrene
501. Phosphorothioicacid,OO Dimethyl S–(2–methyl)	584. Sulphotec
502. Phosphorothioic,methyl–ethyl ester	585. Sulphoxide, 3–chloropropyl octyl
503. Phosphorous	586. Sulphurdichloride
504. Phosphorousoxychloride	587. Sulphurdioxide
505. Phosphorouspentaoxide	588. Sulphurmonochloride
506. Phosphoroustrichloride	589. Sulphurtetrafluoride
507. Phosphorous pentachloride	590. Sulphurtrioxide
508. Phthalicanhydride	591. Sulphuricacid
509. Phylloquinone	592. Tellurim(powder)
510. Physostignine	593. Telluriumhexafluoride
511. Physostigninesalicylate(1:1)	594. TEPP (Tetraethylpyrophosphate)
512. Picric acid (2, 4, 6–trinitrophenol)	595. Terbufos
513. Picrotoxin	596. Tert–Butylalcohol
514. Piperdine	597. Tert–Butyl peroxycarbonate
515. Piprotal	598. Tert–Butyl peroxyisopropyl
516. Pirinifos–ethyl	599. Tert–Butyl peroxyacetate(Conc>=70%)
517. Platinouschloride	600. Tert–Butyl peroxypivalate(Conc>=77%)
518. Platinumtetrachloride	601. Tert–Butylperoxyiso–butyrate

519. Potassiumarsenite	602. Tetrahydrofuran
520. Potassiumchlorate	603. Tertamethyllead
521. Potassiumcyanide	604. Tetranitromethane
522. Potassiumhydroxide	605. Tetra–chlorodibenzo–p–dioxin, 1, 2, 3, 7, 8(TCDD)

606. Tetraethyllead	647. Trichlorophenol 2, 3, 6
607. Tetrafluoriethyne	648. Trichlorophenol 2, 4, 5
608. Tetramethylenedisulphotetramine	649. Trichlorophenyl silane
609. Thallicoxide	650. Trichlorophon
610. Thalliumcarbonate	651. Triethoxy silane
611. Thalliumsulphate	652. Triethylamine
612. Thallouschloride	653. Triethylene melamine
613. Thallousmalonate	654. Trimethyl chlorosilane
614. Thalloussulphate	655. Trimethyl propane phosphite
615. Thiocarbazide	656. Trimethyl tin chloride
616. Thiocynamicacid, 2(Benzothiazolyethio) methyl	657. Trinitro aniline
617. Thiofamox	658. Trinitro benzene
618. Thiometon	659. Trinitro benzoicacid
619. Thionazin	660. Trinitrophenetole
620. Thionyl chloride	661. Trinitro–m–cresol
621. Thiophenol	662. Trinitrotoluene
622. Thiosemicarbazide	663. Tri–orthocreysylphosphate
623. Thiourea (2 chloro–phenyl)	664. Triphenyl tinchloride
624. Thiourea (2–methyl phenyl)	665. Tris(2–chloroethyl)amine

625. Tirpate (2,4–dimethyl–1,3–di– thiolane)	666. Turpentine
626. Titanium powder	667. Uranium and itscompounds
627. Titanium tetra–chloride	668. Valinomycin
628. Toluene	669. Vanadiumpentaoxide
629. Toluene –2,4–di–isocyanate	670. Vinyl acetatemononer 671. Vinylbromide
630. Toluene 2,6–di–isocyanate	672. Vinylchloride
631. Trans–1,4–di chloro–butene	673. Vinyl cyclohexane dioxide
632. Tri nitro anisole	674. Vinyl fluoride
633. Tri (Cyclohexyl) methylstannyl 1,2,4 triazole	675. Vinyl norbornene
634. Tri (Cyclohexyl) stannyl–1H–1, 2, 3–triazole	676. Vinyl toluene
635. Triaminotrinitrobenzene	677. Vinyledene chloride
636. Triamphos	678. Warfarin
637. Triazophos	679. Warfarin Sodium
638. Tribromophenol 2, 4, 6	680. Xylene dichloride
639. Trichloro napthalene	681. Xylidine
640. Trichloro chloromethyl silane	682. Zinc dichloropentanitrile
641. Trichloroacetyl chloride	683. Zink phosphide
642. Trichlorodichlorophenylsilane	684. Zirconium & compounds
643. Trichloroethyl silane	
644. Trichloroethylene	
645. Trichloromethane sulphenyl chloride	
646. Trichloronate	

Schedule–1

(See rule 3)

SCHEDULE OF FEES FOR REGISTRATION OF ESTABLISHMENT

S.No	Classification of Establishment	Registration Fees
1	Establishment employing 10 to 50 workers	Rs. 1000/–
2	Establishment employing 51 to 100 workers	Rs. 3000/–
3	Establishment employing 101 to 200 workers	Rs. 5000/–
4	Establishment employing 201 to 500 workers	Rs. 7000/–
5	Establishment employing more than 500 workers	Rs. 10,000/–

Schedule–2

(See rule 4)

Officers appointed as appellate authority

S. No.	Name of Establishment	Appellate authority
1	Factories	Not below the rank of Joint Chief Inspector-cum-Facilitator
2	Establishment other than Factories	Not below the rank of Deputy Labour Commissioner

Schedule–3

(See rule 8)

The following classes of occurrences are designated as dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely:–

(i) Bursting, of any *lifting appliance* or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;

(ii) Collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane.

(iii) Explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;

(iv) Explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas.

(v) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;

(vi) collapse of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;

(vii) Spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;

(viii) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;

(ix) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;

(x) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal bunker or hopper in working below ground;

(xi) a rock–burst in working belowground; a premature collapse of any part of the working;

(xii) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;

(xiii) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;

(xiv) failure of dump or side in opencast working; a blowout;

(xv) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered; or spark generated due to electrical flash–over causing burn injury to any person;

(xvi) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;

(xvii) or any other occurrences as maybe prescribed by the Chief Inspector–cum–facilitator

Schedule–4

(See rule 20)

Number of Safety Officers

(A) For Factories

Sr.No.	Employment	Number of Safety officers
1	2	3
1.	500 to 1000 workers	One safety officer
2.	1001 to 2000 workers	Two safety officers
3.	2001 to 5000 workers	Three safety officers
4.	Above 5000 workers	One additional safety officer for every 2500 additional workers

(B) For factories carrying on Hazardous process/dangerous operations

Sr.No.	Employment	Number of Safety officers
1	2	3
1.	250 to 500 workers	One safety officer
2.	501 to 1000 workers	Two safety officers
3.	1001 to 2000 workers	Three safety officers
4.	2001 to 5000 workers	Five safety officers
5.	Above 5000 workers	One additional safety officer for every 1000 additional workers

(C) For Building or other construction work

Sr.No.	Employment	Number of Safety officers
1	2	3
1.	250 to 500 workers	One safety officer
2.	501 to 1000 workers	Two safety officers
3.	1001 to 2000 workers	Three safety officers
4.	2001 to 5000 workers	Five safety officers
5.	Above 5000 workers	One additional safety officer for every 1000 additional workers

Schedule–5

(See rule 72)

Scale of fees payable for registration or renewal and amended of the licence for factories

PART–'A'

Scale of fees payable for registration or renewal and amended of the licence for factories as may be defined in section 2 w (i) or notified under section 81 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 except the factories specified in the part 'B' & 'C'

Horse Power	Number of worker											
	01–09	10–20	21–50	51–100	101–250	251–500	501–750	751–1000	1001–1500	1501–2000	2001–5000	More than 5000
0–10	1440	2410	3370	4820	5790	11580	17370	19300	28960	38610	43440	57920
11–20	1920	3370	4820	7240	9650	14480	19300	24130	38610	43440	57920	72400
21–50	2410	4820	7240	9650	14480	19300	24130	33780	43440	57920	72400	86880
51–100	3860	9650	14480	19300	24130	28960	33780	45850	57920	72400	86880	96530
101–250	4820	14480	19300	24130	28960	33780	45850	53090	72400	86880	96530	106190
251–500	7240	19300	24130	28960	33780	43440	57920	67570	86880	96530	106190	120670
501–750	9650	24130	28960	33780	43440	53090	67570	77220	96530	106190	115840	125490
751–1000	11580	28960	38610	43440	57920	62740	77220	86880	106190	115840	125490	135150
1001–2000	24130	33780	43440	53090	67570	77220	86880	96530	115840	125490	135150	144800
2001–3000	33780	38610	53090	67570	86880	106190	125490	144800	164110	183410	202720	222030
3001–4000	43440	53090	62740	77220	96530	115840	135150	154450	173760	193070	212380	231680
4001–5000	53090	62740	77220	96530	115840	135150	154450	173760	193070	212380	231680	250990
Above–5000	62740	77220	96530	115840	135150	154450	173760	193070	212380	231680	250990	270300

PART–'B'

Scale of fees payable for registration or renewal of the license for factories as may be defined in section 2 w (ii) or notified under section 81 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 except the factories specified in the part 'A' & 'C'

						(Annual Fees in Rs.)		
Number of worker								
Upto 20	**From 21 to 50**	**From 51 to 100**	**From 101 to 250**	**From 251 to 500**	**From 501 to 1000**	**From 1001 to 1500**	**From 1501 to 2000**	**More than 2000**
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1440	2410	3860	4820	9650	24130	33780	38610	62740

PART–'C'

Scale of fees payable for registration or renewal or amendment of the license for Power Generating factories as may be defined in section 2 w (i) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 except the factories specified in the part 'A' & 'B'

Mega watt	**Number of worker**				
	Upto–100	**101–250**	**251–500**	**501–1000**	**More than 1000**
Upto 20	48360	57920	67570	77230	86880
21–50	57920	67570	77230	86880	96530
51–100	67570	77230	86880	96530	106190
101–250	77230	86880	96530	106190	115840
251–500	86880	96530	106190	115840	125490
501–1000	96530	106190	115840	125490	135150
More than 1000	115840	125490	135150	144800	154450

The Fee prescribed in part A, part B and part C of Schedule 6 for different categories of Factories shall be applicable from 1st day of year in which these rule shall come into force and thereafter every three year there will be an increase in payable fee by 30 %.

Schedule–6

(See rule 65)

Fees for licensing of premises for

Beedi and Cigar work–

	Fees for industrial premises in which power driven machinery is used	Fees for industrial premises in which power driven machinery it not used
	(1)	(2)
If the number of employees proposed to be employed on any day during the financial year for which the licence is required or renewed–	Rs.	Rs.
10-20	1500	1000
21-50	2500	2000
51-100	4000	3000
101-250	7000	5000
251 and above	10000	7000

Schedule–7

(See rule 81)

Manufacture of Aerated Waters and Processes incidental thereto

1. **Fencing of machines.** – All machines for filling bottles or siphons shall be so constructed, placed or fenced as to prevent, as far as may be practicable, a fragment of a bursting bottle or siphon from striking any person employed in the factory.

2. **Face–guards and gauntlets.** –

(1) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in filling bottles or safeness–

(a) suitable face–guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the whole hand arms :

Provided that–

(i) paragraph 2 (1) shall not apply where bottles are filled by means of an automatic machine so constructed that no fragment of a bursting bottle can escape, and

(ii) where a machine is so constructed that only one arm of the bottler at work upon it is exposed to danger, a gauntlet need not be provided for the arm which is not exposed to danger.

(2) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in corking, crowing, screwing, wiring, foiling, capsulin, sighting or labeling bottles or siphon–

(a) suitable face–guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the arm and at least half of the palm and the space between the thumb and forefinger.

3. **Wearing of face–guards and gauntlets.** – All persons engaged in any of the processes specified in paragraph 2 shall, while at work in such processes wear the face–guards and gauntlets provided under the provisions of the said paragraph.

4. **Medical Examination by the medical officer** –

(1) Every worker employed in the processes this schedule applies to, shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the Aerated Waters processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) Fitness and health register shall be maintained and shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–8

(See rule 81)

Electrolytic plating or oxidation of metal articles by use of an electrolyte containing acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium, zinc, copper, silver, gold, etc.

1. Definition. – For the purposes of this Schedule,–

(a) *"electrolytic process"* means the electrolytic plating or oxidation of metal articles by the use of an electrolyte containing acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium, zinc, copper, silver, gold, etc.;

(b) *"bath"* means any vessel used for an electrolytic process or for any subsequent process;

(c) *"employed"* means employed in any process involving contact with liquid from a bath.

2. Exhaust draught. – An efficient exhaust draught shall be applied to every vessel in which an electrolytic process is carried on. Such draught shall be provided by mechanical means and shall operate on the vapour or spray given off in the process as near as may be at the point of origin. The exhaust draught appliance shall be so constructed, arranged and maintained to prevent the vapour or spray entering into any room or place in which work is carried on.

3. Prohibition relating adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work at a bath.

4. Floor of work–rooms. – The floor of every work room containing a bath shall be impervious to water. The floor shall be maintained in good and level condition and shall be washed down at least once a day.

5. Protective devices. –

(1) The occupier shall provide and maintain in good and clean condition the following articles of protective devices for the use of all persons employed on any process at which they are liable to come in contact with liquid from a bath and such devices shall be worn by the persons concerned:–

(a) water–proof aprons and bibs; and

(b) for persons actually working at a bath, loose fitting rubber gloves and rubber boots or other waterproof footwear and chemical goggles.

(2) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable accommodation for the storage and drying of protective devices.

6. Water facilities. –

(1) There shall be provided and maintained in good repairs for the use of all persons employed in electrolytic process and processes incidental to it–

(a) a wash place under cover, with either–

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, and of sufficient length to allow at least 60 cm. for every 5 persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 cms.; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and having a constant supply of water laid on.

(b) a sufficient supply of clean towels renewed daily, and soap or other suitable cleaning material.

(2) In addition to the facility in sub–paragraph (1) an approved type of emergency shower with eye fountain shall be provided and maintained in good working order. Wherever necessary, in order to ensure continuous water supply storage tank of 1500 liters capacity shall be provided as a source of clean water for emergency use.

7. Cautionary placard. – A cautionary placard in the form specified below and printed in the language of the majority of the workers employed shall be affixed in a prominent place in the factory where it can be easily and conveniently read by the workers.

Cautionary Notice

Electrolytic Plating

1. Chemicals handled in this plant are corrosive, and poisonous.

2. Smoking, chewing, tobacco, eating food or drinking, in this area is prohibited. No food stuff or drink shall be brought in this area.

3. Some of these chemicals may be absorbed through the skin and may cause poisoning.

4. A good wash shall be taken before meals.

5. Protective devices supplied shall be used while working in this area.

6. Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor shall be immediately washed away with water.

7. All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.

8. Medical facilities and examination by the medical officer –

(1) The occupier of every factory in which electrolytic processes are carried on shall–

(a) make arrangement of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a); and

(c) maintain a sufficient supply of suitable barrier cream, ointment and impermeable water proof plaster in a separate box readily accessible to the workers and used solely for the purpose of keeping substances. In case cynides are used in the bath, the box shall also contain an emergency cyanide kit.

(2)The Every worker employed in the electrolytic processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances hall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–9

(See rule 81)

Manufacture and repair of electric accumulators

1. **Savings.** – This Schedule shall not apply to the manufacture or repair of electric accumulators or parts thereof not containing lead or any compound of lead; or to the repair on the premises, of any accumulator forming part of a stationary battery.

2. **Definition.** – For the purposes of this Schedule–

   (a) *"Lead process"* means the melting of lead or any material containing lead, casting, pasting, lead burning, or any other work, including trimming or any other abrading or cutting of pasted plates involving the use, movement of manipulation of, or contact with any oxide of lead;

   (b) *"Manipulation of raw oxide of lead"* means any lead process involving any manipulation or movement of raw oxides of lead other than its conveyance in a receptacle or by means of an implement from one operation to another;

3. **Prohibition relating to adolescent** – No adolescent shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide or lead or pasting is carried on.

4. **Separation of certain processes.** – Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another, and from any other process:–

   (a) Manipulation of raw oxide of lead;

   (b) Pasting;

   (c) Drying of pasted plates;

   (d) Formation with lead burning ("tacking") necessarily carried on in connection therewith;

   (e) Melting down of pasted plates.

5. **Air space.** – In every room in which a lead process is carried on, there shall be at least fourteen cubic meter of air space for each person employed therein, and in computing this air space no height over three meters shall be taken into account.

6. Ventilation. – Every work–room shall be provided with inlets and outlets of adequate size as to secure and maintain efficient ventilation in all parts of the room.

7. Distance between workers in pasting room. – In every pasting–room the distance between the centre of the working position of any paster and that of the paster working nearest to him shall not be less than five feet.

8. Floor of work–rooms. –

(1) The floor of every room in which a lead process is carried on shall be–

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition;

(c) kept free from materials, plant, or other obstruction not required for, or produced in the process carried on in the room.

(2) In all such rooms other than grid casting shops the floor shall be– (a) cleansed daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

(3) In gird casting shops, the floor shall be cleansed daily.

(4) Without prejudice to the requirements of sub–paragraphs (1), (2) and (3), where manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on, the floor shall also be–

(a) kept constantly moist while work is being done;

(b) provided with suitable and adequate arrangements for drainage;

(c) thoroughly washed daily by means of a hose pipe.

9. Work–benches. – The work–benches at which any lead process is carried on shall–

(a) have a smooth surface and be maintained in sound condition;

(b) be kept free from all materials or plant not required for, or produced in, the process carried on thereat; and, all such work–benches other than those in grid casting shops shall–

(c) be cleansed daily either after being thoroughly damped or by means of a suction cleaning apparatus at a time when no other work is being carried on thereat; and, all such work–benches in grid casting shops, shall–

(d) be cleansed daily; and, every work–bench used for pasting, shall–

(e) be covered throughout with sheet lead or other impervious material;

(f) be provided with raised edges;

(g) be kept constantly moist while pasting is being carried on.

10. Exhaust draught. – The following processes, shall not be carried on without the use of an efficient exhaust draught–

(a) Melting of lead or materials containing lead;

(b) Manipulation of raw oxide of lead, unless done in an enclosed apparatus so as to prevent the escape of dust into the work–room;

(c) Pasting;

(d) Trimming, brushing, filing or any other abrading or cutting of pasted plates giving rise to dust;

(e) Lead burning, other than–

(i) "tacking" in the formation–room;

(ii) chemical burning for the making of lead linings for cell cases necessarily carried on in such a manner that the application of efficient exhaust is impracticable. Such exhaust draught shall be effected by mechanical means, and shall operate on the dust or fume given off as nearly as may be at its point of origin, so as to prevent it entering the air of any room in which person work.

11. Fumes and gases from melting post. – The products of combustion produced in the heading of any melting pot shall not be allowed to escape into a room in which person work.

12. Container for dross. – A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting pot. Such receptacle shall be kept covered while in the work–room, except when dross is being deposited therein.

13. Container for lead waste. – A suitable receptacle shall be provided in every work–room in which old plates and waste material which may give rise to dust shall be deposited.

14. Racks and shelves in drying–room. – The racks or shelves provided in any drying–room shall not be more than 8 feet from the floor nor more than 2 feet in width:

provided that as regards racks or shelves set or drawn from both sides the total width shall not exceed 4 feet. Such racks or shelves shall be cleaned only after being thoroughly damped unless an efficient suction cleaning apparatus is used for this purpose.

15. Medical facilities and examination by the medical officer –

(1) The occupier of every factory in which manufacture and repair of electric accumulators is carried on shall–

(a) make arrangement of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein, and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) Every worker employed in lead processes shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine hemoglobin content, stippling of cells and steadiness tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

Every worker employed in the said process shall be re–examined by a medical officer at least once in every three calendar months. Such re–examination shall, wherever the medical officer considers appropriate, include tests specified in sub–paragraph (1).

(3) Every worker employed in the manufacture and repair of electric accumulators shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the

medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The record of the shall be maintained, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

16. Protective clothing. – Protective clothing shall be provided and maintained in good repair for all persons employed in–

(a) manipulation of raw oxide of lead;

(b) pasting;

(c) the formation–room;

and such clothing shall be worn by the persons concerned. The protective clothing shall consist of waterproof apron and waterproof footwear, and also, as regards persons employed in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting, head coverings. The head coverings shall be washed daily.

17. Mess–room. – There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process and remaining on the premises during the meal intervals a suitable mess–room which shall be furnished with (a) sufficient tables and benches, and (b) adequate means for warming food. The means–room shall be placed under the charge of a responsible person, and shall be kept clean.

18. Cloak–room. – There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process–

(a) a cloak–room for clothing put during working hours with adequate arrangements for drying the clothing if wet. Such accommodation shall be separate from any mess room;

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing provided under paragraph 16.

19. Washing facilities. – There shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in a lead process–

(a) A wash–place under cover, with either–

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow of at least two feet for every five such persons employed at any one time, and having a

constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water laid on;

(iii) a sufficient supply of clean towels made of suitable materials renewed daily, which supply, in the case of pesters and persons employed in the manipulation of raw oxide of lead, shall include a separate marked towel for each such worker; and

(iv) a sufficient supply of soap or other suitable be cleansing material and of main brushes.

(b) There shall in addition be provided means of washing in close proximity to the rooms in which manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on if required by notice in writing from the Chief Inspector-cum-facilitator.

20. Time to be allowed for washing. – Before each meal and before the end of the day's work, at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person who has been employed in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting:

Provided that if there is one basin or 60 centimeter of trough for each such person, this rule shall not apply.

21. Facilities for bathing. – Sufficient bath accommodation to the satisfaction of the Chief Inspector-cum-facilitator shall be provided for all persons engaged in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting, and a sufficient supply of soap and clean towels.

22. Foods, drinks, etc, prohibited in work–rooms. – No food, drink, pan and supari or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any work–room in which any lead process is carried on.

Schedule–10

(See rule 81)

Glass Manufacture

1. Exemption. – If the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied in respect of any factory or any class of process that, owing to the special methods of work or the special condition in a factory or otherwise, any of the requirements of this Schedule can be suspended or relaxed without danger to the persons employed therein, or that the application of this schedule or any part thereof is for any reason impracticable, he may by certificate in writing authorise such suspension or relaxation as may be indicated in the certificate for such period and on such conditions as he may think fit.

2. Definitions. – For the purpose of this Schedule–

(a) *"Efficient exhaust draught"* means localised ventilation effected by mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them (as far as practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume, or dust, originate;

(b) *"Lead compound"* means any compound of lead other than galena which, when treated in the manner described below, yield to an aqueous solution of hydrochloric acid a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis. The method of treatment shall be as follows :–

A weight quantity of the material which has been dried at 190°C. and thoroughly mixed shall be continuously, shaken for one hour, at the common temperature with1,000 times its weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 percent by weight or hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighted as lead sulphate.

3. Exhaust draught. – The following processes shall be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector-cum-facilitator:–

(a) The mixing of raw materials to form a "batch".

(b) The dry grinding, glazing and polishing of glass or any article of glass.

(c) All processes in which hydrofluoric acid fumes or, ammonia vapours are given off.

(d) All processes in the making of furnace moulds or "pots" including the grinding or crushing of used "pots".

(e) All processes involving the use of a dry lead compound.

4. Prohibition relating to adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 3 or at any place where such operations are carried on.

5. Floor and work–benches. – The floor and work–benches of every room in which a dry compound of lead in manipulated or in which any process is carried on giving off silica dust shall be kept moist, and shall comply with the following requirements :–

The floors shall be–

(a) of cement of similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition; and

(c) cleaned daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

The work–benches shall–

(a) have a smooth surface and be maintained in sound condition, and

(b) be cleansed daily either after being thoroughly damped or by means of a suction cleaning apparatus at a time when no other work is carried on thereat.

6. Use of hydrofluoric acid. – The following provisions shall apply to rooms in which glass is treated with hydrofluoric acid :–

(a) There shall be inlets and outlets of adequate size so as to secure and maintain efficient ventilation in all parts of the room;

(b) The floor shall be covered with gutta–percha and be tight, and shall slope gently down to a converted drain;

(c) The work–places shall be so enclosed in projecting hoods that openings required for bringing in the objects to be treated shall be as small as practicable; and

(d) The efficient exhaust draught shall be so contrived that the gases are exhausted downwards.

7. Storage and transport of hydrofluoric acid. – Hydrofluoric acid shall not be stored or transported except in cylinders or receptacles made of lead or rubber.

8. Blow–pipes. – Every glass–blower shall be provided with a separate blow pipe bearing the distinguishing mark of the person to whom it is issued and suitable facilities shall be readily available to every glass–blower for sterilizing blow pipe.

9. Food drinks, etc., prohibited in work rooms. – No food, drink pan and supari and tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any room or work place wherein any process specified in paragraph 3 is carried on.

10. Protective clothing. – The occupier shall provide, maintain in good repair and keep in a clean condition of the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3 suitable protective clothing, footwear and goggles according to the nature of the work, and such clothing footwear, etc. shall be worn by the persons concerned.

11. Washing facilities. – There shall be provided and maintained in a cleanly state in good repairs for the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3–

(a) a wash place with either–

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug and of sufficient length to allow of at least two feet every five such person employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted, with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and a sufficient supply of clean towels made of suitable material renewed daily with a sufficient supply of soap or other suitable cleaning material and of nail brushes; and

(b) a sufficient number of stand pipes with taps, the number and location of such stand pipes shall be to the satisfaction of the Chief Inspector-cum-facilitator.

12. Medical facilities and examination by the medical officer –

(1)The occupier of every factory in which glass manufacturing processes are carried on shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the Glass Manufacture shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator.

Schedule–11

(See rule 81)

Grinding or Glazing of Metal and Processes incidental thereto

1. Definitions. – For the purposes of this Schedule–

(a) *"grindstone"* means a grindstone composed of natural or manufactured sandstone but does not include a metal wheel or cylinder into which blocks of natural or manufactured sandstone are fitted;

(b) *"abrasive wheel"* means a wheel manufactured of bonded emery or similar abrasive;

(c) *"grinding"* means the abrasion, by aid of mechanical power, of metal, by means ofa grindstone or abrasive wheel;

(d) *"glazing"* means the abrading, polishing or finishing, by aid of mechanical power of metal, by means of any wheel, buff, mop or similar appliance to which any abrading or polishing substance is attached or applied;

(e) *"racing"* means the turning up, cutting or dressing of a revolving grindstone before it is brought into use for the first time;

(f) *"hacking"* means the chipping of the surface of grindstone by a hack or similar tool;

(g) *"rodding"* means the dressing of the surface of a revolving grind stone by the application of a rod, bar or strip of metal to such surface.

2. Exceptions. –

(1) Nothing in this Schedule shall apply to any factory in which only repairs are carried on except any part thereof in which one or more persons are wholly or mainly employed in the grinding or glazing of metals.

(2) Nothing in this Schedule except paragraph 4 shall apply to grinding or glazing of metals carried on intermittently and at which no person is employed for more than 12 hours in any week.

(3) The Chief Inspector-cum-facilitator may, by certificate in written, subject to such conditions as he may specify therein, relax or suspend any of the provisions of this Schedule in respect of any factory, if, owing to the special methods of work or otherwise, such relaxation or suspension is practicable without danger to the health or safety or the persons employed.

3. Equipment for removal of dust. – No racing, dry grinding or glazing shall be performed without–

(a) a hood or other appliance so constructed, arranged, placed and maintained as substantially to intercept the dust thrown off; and

(b) a duct of adequate size, air tight and so arranged as to be capable of carrying away the dust, which duct shall be kept free from obstruction, and shall be provided with proper means of access for inspection and cleaning, and where practicable, with a connection at the end remote from the fan to enable the Inspector-cum-facilitator to attach there to any instrument necessary for ascertaining the pressure of air in the said duct; and

(c) a fan or other sufficient means of producing a draught sufficient to extract the dust :

Provided that the Chief Inspector-cum-facilitator may accept any other appliance that is, in his opinion, as effectual for the interception, removal and disposal of dust thrown off as a hood, duct and fan.

4. Restriction on employment on grinding operations. – Not more than one person shall at any time perform the actual process of grinding or glazing upon a grind stone, abrasive wheel or glazing appliance :

Provided that this paragraph shall not prohibit the employment of persons to assist in the manipulation of heavy or bulky article at any such grindstone, abrasive wheel or glazing appliance.

5. Glazing. – Glazing or other process, except processes incidental to wet grinding upon a grindstone shall not be carried on in any room in which wet grinding upon a grindstone is done.

6. Hacking and rodding. – Hacking or rodding shall not be done unless during the process either–

(a) an adequate supply of water of laid on at the upper surface of the grindstone, or

(b) adequate appliances for the interception of dust are provided in accordance with the requirements of paragraph 3.

7. Examination of dust equipment. –

(a) All equipment for the extraction or suppression of dust shall at least once in every six months be examined and tested by a competent person, and any defect disclosed by such examination and test shall be rectified as soon as practicable.

(b) A register containing particulars of such examination and test shall be kept in a **Form–27**.

8. Medical facilities and examination by the medical officer –

(1)The occupier of every factory in which glazing of metal and processes are carried on shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2)Every worker employed in the Grinding or Glazing of Metal and Processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time, the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the Grinding or Glazing processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall bere–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–12

(See rule 81)

Manufacture and Treatment of Lead and certain compounds of Lead

1. **Exemptions.** – Where the Chief Inspector is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed, he may, by certificate in writing exempt any factory from all or any of such provisions, subject to such conditions as he may specify therein.

2. **Definitions.** – For the purposes of this Schedule–

   (a) *"lead compound"* means any compound of lead other than galena which, when treated in the manner described below, yields to an aqueous solution of hydrochloric acid, a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis. In the case of paints and similar products and other mixtures containing oil or fat the "dry weight" means the dry weight of the material remaining after the substance has been thoroughly mixed and treated with suitable solvents to remove oil, fats, varnish or other media;

   The Method of treatment shall be as follows :–

   A weight quantity of the material which has been dried at 100°C and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature with 1000times its weight of an aqueous solution of hydrofluoric acid containing 0.25 percent by weight to hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour, and then filtered. The lead salt contained in clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighed as lead sulphate.

   (b) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation affected by heat or mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them (as far as practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fumes or dust originate.

3. **Application.** – The Schedule shall apply to all factories or parts of factories in which any of the following operations are carried on:–

(a) Work at a furnace where the reduction or treatment of zinc or lead ores is carried on.

(b) The manipulation, treatment or reduction of ashes containing lead, the desilverising of lead or the melting of scrap lead or zinc.

(c) The manufacture of solder or alloys containing more than ten per cent or lead.

(d) The manufacture of any oxide, carbonate, sulphate, chromate, acetate nitrate or silicate of lead–ethyl.

(e) Handling or mixing of lead tetra–ethyl.

(f) Any other operation involving the use of a lead compound.

(g) The cleaning of work–rooms where any of the operations aforesaid are carried on.

4. Prohibition relating to adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3.

5. Requirements to be observed. – No person shall be employed or permitted to work in any process involving the use of lead compounds if the process is such that dust or fume from a lead compound is produced therein or the persons employed therein are liable to be splashed with any lead compound in the course of their employment unless the provisions of paragraphs 6 to 14 are complied with.

6. Exhaust draught. – Where dust, fume, gas or vapour is produced in the process provision shall be made for removing them by means of an efficient exhaust so draught so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour as closely as possible to the point of origin.

7. Medical facilities and examination by the medical officer –

(1) The occupier of every factory to which this schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the processes referred to in paragraph –1 shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests of lead in blood and urine. ALA in urine hemoglobin contents, stippling of cells and steadiness test. No worker

shall be allowed to work after15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(3) Every worker employed in the said process shall be re–examined by a medical officer at least once in every three calendar months. Such re–examination shall, wherever the medical officer considers appropriate, include tests as specified in sub–paragraph(1).

(4) Every worker employed in the Manufacture and Treatment of Lead and certain compounds of lead processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the lead processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (5) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

8. Food, drinks, etc., prohibited in work–rooms. – No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work–room in which the process in carried on, and no person shall remain in any such room during intervals of meals or rest.

9. Protecting clothing. – Suitable protective overalls and head coverings shall be provided, maintained and kept clean by the factory occupier and such overalls and head coverings shall be worn on by the persons employed.

10. Cleanliness of work–rooms, tools, etc. – The rooms in which the persons are employed and all tools and apparatus used by them shall be kept in a clean state.

11. Washing facilities. – (1) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable washing facilities consisting of–

(a) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug and of sufficient length to allow at least two feet for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(b) at least one wash basin for every ten persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of clean water; together with in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleaning material and clean towels.

(2) The facilities so provided shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

12. Mess–room or canteen. – The occupier shall provide and maintain for the use of the persons employed suitable and adequate arrangements for taking their meals. The arrangements shall consist of the use of a room separate from any work–room which shall be furnished with sufficient tables and benches, and unless a canteen serving hot meals is provided adequate means of warming food shall be provided. The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air, shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

13.Cloak–room. – The occupier shall provide and maintain for the use of persons employed suitable accommodation for clothing not worn during working hours, and for the drying of wet–clothing.

Schedule–13

(See rule 81)

Generating petrol gas from petrol

1. **Prohibition relating to adolescent.** – No adolescent shall be employed or permitted to work in or shall be allowed to enter any building in which the generating of petrol gas from petrol is carried on.

2. **Flame traps.** – The plant for generating petrol gas from petrol and associated piping and fittings shall be fitted with at least two efficient flame traps so designed and maintained as to prevent a flash back from any burner to the plant. One of these traps shall be fitted as close to the plant as possible. The plant and all pipes and valves shall be installed and maintained free from leaks.

3. **Generating building or room.** – All plants for generating petrol gas from petrol erected after the coming into force of the provisions specified in this schedule, shall be erected outside the factory building proper in a separate well ventilated building(hereinafter referred to as the "generating building"). In the case of such plant erected before the coming into force of the provisions specified in this schedule there shall be on direct communication between the room where such plants are erected(hereinafter referred to as "the generating–room"); and the remainder of the factory building. So far as practicable, all such generating rooms shall be constructed of fire resisting materials.

4. **Fire–extinguishers.** – A efficient means of extinguishing petrol fires shall be maintained in an easily accessible position near the plant for generating petrol gas from petrol.

5. **Plant to be approved by Chief Inspector-cum-Facilitator.** – Petrol gas shall not be manufactured except in a plant for generation petrol gas the design and construction of which has been approved by the Chief Inspector-cum-facilitator.

6. **Escape of Petrol.** – Effective steps shall be taken to prevent petrol from escaping into any drain or sewer.

7. **Prohibition relating to smoking, etc.** – No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in the generating room or building or in the vicinity thereof and a warning notice in the language understood by the majority of the workers shall be posted in the

factory prohibiting smoking and the carrying of matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark into such room or building.

8. Access to petrol or container. – No unauthorized person shall be access to any petrol or to a vessel containing or having actually contained petrol.

9. Electric fittings. – All electric fittings shall be of flame– proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in mental conduits or be lead–sheathed.

10. Construction of doors. – All doors in the generating room or building shall be constructed to open outwards or to side and no door shall be locked or obstructed or fastened in such a manner that it cannot be easily and immediately opened from the inside while gas is being generated and any person is working in the generating–room or building.

11. Repair of containers. – No vessel that has contained petrol shall be repaired in a generating–room or building and no repairs to any such vessel shall be undertaken unless live steam has been blown into the vessel and until the interior in thoroughly steamed out or other equally effective steps have been taken to ensure that it has been rendered free from petrol or inflammable vapour.

12. Medical examination by the medical officer – (1) Every worker employed in generating petrol gas from petrol processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(1) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(2) No person who has been found unfit to work shall be re–employed or permitted to work in the said processes, unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(3) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

13. In these Rules Petrol means dangerous petroleum as defined in the Petroleum Act, 1937.

Schedule–14

(See rule 81)

High Flammable Liquids and Flammable Compressed Gases

1. **Application.** – This schedule shall apply to all factories where high flammable liquids or flammable compressed gases are manufactured, stored, handled or used.

2. **Definition.** – For the purpose of this Schedule–

   (a) *"highly flammable liquid"* means the liquid including its solution, a emulsion or suspension which when tested in a manner specified by Sections 14 and 15 of the Petroleum Act, 1934 gives off flammable vapour at a temperature less than 32 degree Celsius;

   (b) *"Flammable compressed gas"* means flammable compressed gas defined in Rule2 of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981 framed under the Explosives Act, 1948 (No. IV of 1948).

3. **Storage.** –

   (1) Every flammable liquid or flammable compressed gas used in every factory shall be stored in suitable fixed storage tank, or in suitable closed vessel located in a safe position under the ground, in the open or in a store room of adequate fire resistant construction.

   (2) Except as necessary for use, operation or maintenance every vessel or tank which contains or had contained a highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be always kept closed and all reasonably practicable steps shall be taken to contain or immediately drain off to a suitable container any spill or leak that may occur.

   (3) Every container, vessel, tank, cylinder or store room used for storing highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be clearly and in bold letters marked "Danger–Highly Flammable Liquid" or "Danger–Flammable Compressed Gas."

4. **Enclosed systems for Conveying Highly Flammable Liquids.** – Where it is reasonably practicable, highly flammable liquids shall be conveyed within a factory in totally enclosed systems consisting of pipe lines, pumps and similar appliances from the storage tank or vessels to the point of use. Such enclosed systems shall be so designed installed, operated and maintained as to avoid leakage or the risk of spilling.

5. Preventing Formation of Flammable Mixture with Air. – Where there is possibility for leakage or spill of highly flammable liquid or flammable compressed gas from an equipment, pine line, valve joint or other part of a system, all practicable measures shall be taken to contain, drain off or dilute such spills or leakage as to prevent formation of flammable mixture with air.

6. Prevention of Ignition. – In every room work place or other location where highly flammable liquid or flammable combustible is stored, conveyed, handled or used or where there is danger or fire of explosion from a accumulation of highly flammable liquid or flammable compressed gas in air all practicable measure shall be taken to exclude the sources of ignition. Such precautions shall include the following :–

(a) all electrical apparatus shall either be excluded from the area of risk or they shall be of such construction and so installed and maintained as to prevent the danger of their being a source of ignition;

(b) effective measures shall be adopted for prevention of accumulation of static charge to a dangerous extent;

(c) no person shall wear or be allowed to wear any foot wear having iron or steel nails or any other exposed ferrous materials which is likely to cause sparks by friction;

(d) smoking, lighting or carrying of matches, lighters or smoking materials shall be prohibited;

(e) transmission belts with iron fasteners shall not be used;

(f) all other precautions, as are reasonably practicable, shall be taken to prevent initiation of ignition from all other possible sources such as open flames, frictional sparks, overheated surfaces of machinery or plant, chemical or physical–chemical reaction and radiant, heat.

7. Prohibition of smoking. – No person shall smoke in any place where highly flammable liquid or flammable compressed gas is present in circumstances that smoking would give rise to a risk of fire. The occupier shall take all practicable measures to ensure compliance with this requirements including display of a bold notice indicating prohibition of smoking at every place where this requirement applies.

8. Fire Fighting. – In every factory where highly flammable liquid or flammable compressed gas is manufactured, stored, handled or used an appropriate and adequate means of fighting a fire shall be provided. The adequate and suitability of such means which expression includes the fixed and portable fire

extinguishing systems, extinguishing materials, procedures and the process of fire fighting shall be to the standards and levels prescribed in the rules.

9. Medical examination by the medical officer –

(1) Every worker employed in processes where high flammable liquids or flammable compressed gases are manufactured, stored, handled or used shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

10. Exemptions. – If in respect of any factory the Chief Inspector is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

Schedule–15

(See rule 81)

Liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto

1. Cautionary notices. –

(1) Cautionary notices as to anthrax, in the form specified by the Chief Inspector-cum-facilitator shall be affixed in prominent positions in the factory where they may be easily and conveniently read by the persons employed.

(2) A copy of a warning notice as to anthrax in the form specified by the Chief Inspector-cum-facilitator shall be given to each person employed when he is engaged, not subsequently it still employed, on the first of each calendar year.

(3) Cautionary notices as to the effects of chrome on the skin shall be affixed in prominent positions in every factory in which chrome solutions are used, as such notices shall be so placed as to be easily and conveniently read by the persons employed.

(4) Notices shall be affixed in prominent places in the factory stating the position of the "First aid" has or cupboard and the name of the person in charge of such box or cupboard.

(5) If any person employed in the factory is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to such illiterate person the contents of the notices specified in paragraphs 1, 2 and 4, and if chrome solutions are used in the factory, the contents of the notice specified in paragraph 3.

2. Protective Clothing. – The occupier shall provide and maintain in good conditions the following articles of protective clothing :–

(a) Waterproof footwear, leg coverings, aprons and gloves for persons employed in processes involving contact and chrome solutions, including the preparation of such solutions;

(b) Gloves and boots for persons employed in lime yard; and

(c) Protective footwear, aprons and gives of persons employed in processes involving the handling of hides or skins, other than in process specified in clauses (a) and (b):

Provided that–

(i) the gloves, aprons, leg coverings, or boots, may be of rubber or leather, but the gloves and boots to be provided under sub–clauses (a) and (b) shall be of rubber;

(ii) the gloves may not be provided to persons flushing by hand or employed in processes in which there is no risk of contact with lime, sodium sulphide or other caustic liquor.

3. Washing facilities, mess–room and cloak–room. – There shall be provided and maintained in a clearly state and in good repairs for the use of all persons employed–

(a) a trough with a smooth, impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least 600mm for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 600mm; or

(b) at least one wash basin for every ten such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe, and plug and having a constant supply to water; together within, in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleaning material, and clean towels;

(c) a suitable mess–room adequate of the number remaining on the premises during the meal intervals which shall be furnished with sufficient tables and The mess–room benches, and adequate means for warming good and for boiling water.

(i) be separate from any room or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated,

(ii) be separate from the cloak–room, and

(iii) placed under the charge of a responsible person;

(d) The occupier shall provide and maintain, for the use of all persons employed, suitable accommodation for clothing put off during working hours and another accommodation of protective clothing and shall also make adequate arrangements for drying up the clothing in both the case, if wet. The accommodation so provided shall be kept clean at all time and place in the charge of a responsible person.

4. Food, drinks, etc., prohibited in work–rooms. – No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work room or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated.

5. Medical Examination –

(1) The occupier of every factory to which this schedule applies; shall–

(a) make arrangement a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a);and

(c) arrange for inspection of the hands of all the persons keeping in contact with chromium substances to be made twice a week; and

(d) provide and maintain and supply suitable ointment and plaster in a box readily accessible to the workers and solely used for the purpose of keeping the ointment and the plaster.

(2) Every worker employed in liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental there to processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–16

(See rule 81)

Lead processes carried in Printing Presses and Type Foundries

1. **Exemption.** – Where the Chief Inspector in satisfied that all or any of the provisions of his schedule are not necessary of the protection of persons employed he may, by certificate in writing, exempt any factory from all or any such provisions subject to such, conditions as he specifies therein. Such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector-cum-facilitator.

2. **Definitions.** – For the purpose of this schedule, 'Lead Material' means material containing not less than five per cent of lead.

(1) 'Lead Process' means–

(a) the melting of lead or any lead material for casting and mechanical composing;

(b) the recharging of machines with used lead material;

(c) any other work including removal of dross from melting pot cleaning of plungers; and

(d) manipulation, movement or other treatment of lead material;

(2) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation effected by heat or mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove gas, vapour, fume or dust at the point where they originate.

3. **Exhaust draught.** – None of the following processes shall be carried on except with an efficient exhaust draught :–

(a) melting lead material or slugs;

(b) heating lead material so that vapour containing lead in given off; or unless carried on in such a manner as to prevent free escape of gas, vapour, fumes or dust into any place in which work is carried on or unless carried on in electrically heated and thermostatically controlled melting post. Such exhaust draught shall be effected by mechanical means and so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour given off as closely as may be at its point of origin.

4. Prohibition relating to adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any lead process.

5. Separation of certain process. – Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another and from any other material :–

(a) melting of lead or any lead material;

(b) casting go lead ingots;

(c) mechanical composing.

6. Container for dross. – A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting. Such receptacle shall be kept covered while in the workroom near the machine except when the dross is being deposited therein.

7. Floor of workroom. – The floor of every workroom where lead process is carried on shall be–

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition; and

(c) shall be cleaned throughout daily after being thoroughly damped with water at a time when no other work is being carried on at the place.

8. Mess–room. – There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process and remaining on the premises during the meal intervals, a suitable mass room which shall be furnished with sufficient tables and benches.

9. Washing facilities. – There shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in a lead process–

(a) wash place with either–

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every five such persons employed at any one time and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet(600 mm); or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and

(b) a sufficient supply of clean towels made of suitable material renewed daily with a sufficient supply of soap or other suitable cleaning material.

10 Medical facilities and Examination –

(1) The occupier of every factory to which this schedule applies, shall–

(a) make arrangement a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in a lead process shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests of lead in urine and blood. ALA in urine hemoglobin, stippling of cells and steadiness tests. No workers shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(3)Every worker employed in the said processes shall be re–examined by a Medical officer at least once in every six calendar months. Such re–examination shall, wherever the Medical officer considers appropriate, include tests as specified in sub–paragraph (1)

(4) Every worker employed in lead processes carried in Printing Presses and type Foundries processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form 26**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the medical fitness in **Form-XXV** and health register in **Form-XXVI**, shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

11. Food, drinks, etc., prohibited in work–room. – No food, drink, pan and "Supari" or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any work–room in which any lead process in carried on.

Schedule–17

(See rule 81)

Part I

Chemical Works

1. Application. – This schedule shall apply to all manufacture and processes incidental thereto carried on in chemical works.

2. Definitions. – For the purpose of this schedule–

(a) *"Chemical works"* means any factory or such part of any factory as are listed, in Appendix 'A' to this schedule;

(b) *"efficient exhaust draught"* means Localised ventilation effected by mechanical or other means for the removal of gas, vapour, fume or dust to prevent it from escaping into the air of any place in which work is carried on;

(c) "bleaching powder" means the bleaching powder commonly called chloride of lime;

(d) *"chlorate"* means chlorate or per chlorate;

(e) *"caustic"* means hydroxide of potassium or sodium;

(f) *"chrome process"* means the manufacture of chromate or bi–chromate of potassium or sodium or the manipulation, movement or other treatment of these substances;

(g) *"nitro or amino process"* means the manufacture of nitro or amino derivatives of phenol and of benzene or its homologous, and the making of explosives with the use of any of these substances;

(h) *"the term 'permit to work' system"* means the compliance with the procedures laid down under para 20 of Part II;

(i) *"toxic substances"* means all those substances which when they enter into the human body, through inhalation or ingestion or absorption through skin,

in sufficient quantities cause fatality or exert serious affliction of health or chronic harmful effects on the health of persons exposed to it due to its inherent chemical or biological effects. In respect of substances whose

TLV exceeding the concentration specified therein in the rules would make the substance toxic;

(j) *"emergency"* means a situation or condition leading to a circumstance or set of circumstances in which there is danger to the life or health of persons or which could result in big fire or explosion or pollution to the work and outside environment, affecting the workers or neighbourhood in a serious manner, demanding immediate action;

(k) *"dangerous chemical reactions"* means high speed reactions, runaway reactions, delayed reactions, etc. and are characterized by evolution of large quantities of heat, intense release of toxic or flammable gases or vapours, sudden pressure build–up etc.

(l) *"manipulation"* means mixing, blending, filling, emptying, grinding sieving, drying, packing, sweeping, handling, using etc.

(m) *"approved personal protective equipment"* means items of personal protective equipment conforming to the relevant ISI specifications or in the absence of it, personal protective equipment approved by the Chief Inspector-cum-facilitator;

(n) *"appropriate personal protective equipment"* means that when the protective equipment is used by the worker, he shall have no risk to his life or health or body; and

(o) *"confined space"* means any space by reason of its construction as well as in relation to the nature of the work carried therein and hazards to the persons entering into or working inside exist or are likely to develop during working.

Part II

General requirements applying to all the works in Appendix 'A'

1. Housekeeping. –

(1) Any spillage of materials shall be cleaned up before further processing.

(2) Floors, platforms, stairway, passages and gangways shall be kept free of any obstructions.

(3) There shall be provided easy means of access to all parts of the plant to facilitate cleaning.

2. **Improper use of chemicals.** – No chemicals or solvents or empty containers containing chemicals or solvents shall be permitted to be used by workers for any purposes other than in the processes for which they are supplied.

3. **Prohibition of the use of food, etc.** – No food, drink, tobacco, pan or any edible item shall be stored or heated or consumed on or near any part of the plant or equipment.

4. **Cautionary Notice and Instructions.** –

(1) Cautionary notices in a language understood by the majority of workers shall be prominently displayed in all hazardous are as drawing the attention of all workers about the hazards to health, hazards involving fire and explosion and any other hazard such as consequences of testing of material or substances used in the process or using any contaminated container for drinking or eating, to which the workers attention should be drawn for ensuring their safety and health.

(2) In addition to the above cautionary notice, arrangement shall be made to instruct and educate all the process including the specific hazards to which they may be exposed to, in the normal course of their work. Such instructions and education should also dealt with the hazards involved in unauthorized and unsafe practices including the properties of substances used in the process under normal conditions as well as abnormal conditions and the precautions to be observed against each and every hazard. Further an undertaking from the workers shall be obtained within one month of their employment and for old workers employed, within one month of coming into operation of the rules, to the effect that they have read the contents of the cautionary notices and instructions, understood them and would abide by them. The training and instructions to all workers and all supervisory personnel shall include the significance of different types of symbols and colours used on the labels stuck or painted on the various types of containers and pipe lines.

5. **Evaluation and provision of safeguards before the commencement of process.** –

(1) Before commencing any process or any experimental work, or any new manufacture covered under Appendix 'A', the occupier shall take all possible steps to ascertain definitely all the hazards involved both from the actual operations and the chemical reactions including the dangerous chemical reactions. The properties of the raw materials, used the final products to be made, and any by–products derived during manufacturing,

shall be carefully studied and provisions shall be made for dealing with any hazards including effects on workers, which may occur during manufacture.

(2) Information in writing giving details of the process, its hazards and the steps taken or proposed to be taken from the design stage to disposal stage for ensuring the safety as in sub–para (1) above should be sent to the Chief Inspector-cum-facilitator and the Industrial Hygiene laboratory of State Government at the earliest, but in no case less than 15 days before commencing manufacture, handling, or storage of any of item covered under Appendix 'A', whether on experimental basis, or as pilot plant or as trial production, or as large scale manufacture.

(3) The design, construction installation, operation, maintenance and disposal of the buildings, plant and facilities shall take into consideration effective safeguards against all the safety and health hazards so evaluated.

(4) The requirements under the sub–para (1) to (3) shall not act in lieu of or in derogation to, any other provisions contained in any Act governing the work.

6. Authorised entry. – Authorised persons only shall be permitted to enter any section of the factory or plant where any dangerous operations or processes are being carried on or where dangerous chemical reactions are taking place or where hazardous chemicals are stored.

7. Examination of instruments and safety devices. –

(1) All instruments and safety devices used in the process shall be tested before taking into use and after carrying out any repair to them examined once in a month by a competent person. Records of such tests and examinations shall be maintained in a register.

(2) All instruments and safety devices used in the process shall be operated daily or as often as it is necessary, to ensure its effective and efficient working at all times.

8. Electrical installations. – All electrical installations used in the process covered in Appendix 'A' shall be of an appropriate type to ensure safety against the hazard prevalent in that area such as suitability against dust, dampness, corossion, flammability and explosivity etc. and shall confirm to the relevant ISI specifications governing their construction and use for that area.

9. Handling and storage of chemicals. –

(1) The containers for handling and storage of chemicals shall be adequate strength taking into consideration the hazardous nature of the contents. They shall also be provided with adequate labelling and colour coding arrangements to enable identification of the containers and their contents indicating to the respective ISI standards. The instructions given in the label shall be strictly adhered to. Damaged containers shall be handled only under supervision of acknowledgeable and responsible person and spillage shall be rendered innocuous in safe manner using appropriate means.

(2) The arrangements for the storage of chemicals including charging of chemicals in reactions vessels and containers shall be such as to prevent any risk of fire or explosion or formation of toxic concentration of substances above the limits specified in Rule.

(3) Without prejudice to the generality of the requirements in sub–para (2) above, the arrangements shall have suitable ventilation facilities and shall enable the maintenance of safe levels in vessels and containers. Such arrangements shall also be taken into consideration, the type of flooring and the capacity of flooring and the compatibility requirements of substances with other chemicals stored nearby.

(4) (a) Storage of chemicals and intermediate product which are highly unstable or reactive or explosive shall be limited to the quantities required for two months use.

(b) Where the quantities laid down in the above clause (a) are to be exceeded, the permission of the Chief Inspector-cum-facilitator shall be obtained.

(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b) above, the Chief Inspector-cum-facilitator may direct any factory carrying out processes covered in Appendix 'A' to further limit the storage of hazardous substances to quantities less than two months on consideration of safety.

(5) Stand by arrangements equal to the biggest container shall always be available to transfer the toxic substances quickly into the stand by storage facility if any defect develops in any of the container resulting in the release of toxic substances.

(6) Any storage facility constructed using non–metallic material such as Fibre glass Reinforced Plastics (FRP) all glass vessels etc., shall have adequate strength to withstand and stress, if any, exerted by the contents and shall be

properly anchored, working platforms, access ladders, pine–lines etc. used in such storage facility shall not have any support on the structure of the storage facility and shall be independently supported.

10. Facility for isolation. – The plant and equipment shall be so constructed and maintained as to enable quick isolation of plant or part of plant or equipment, with appropriate indication. One copy of the layout plan indicating the isolation facilities shall always be available with the security personnel, the maintenance and the health and safety personnel and these isolating facilities shall be checked for its effectiveness once in a month.

11. Personal protective equipment. –

(1) All workers exposed to the hazards in the processes covered by this Schedule shall be provided with appropriate and approved type of personal protective equipment. Such equipment shall be in a clean, and hygienic condition before issue.

(2) The occupier shall arrange to inform, educate and supervise all the workers in the use of personal protective equipment while carrying out the job.

(3) As regards any doubt regarding the appropriateness of any personal protective equipment, the decision of the Chief Inspector-cum-facilitator will be final.

12. Alarm systems. –

(1) Suitable and effective alarm systems giving audible and visible indications, shall be installed at the control room as well as in all strategic locations where process control arrangements are available so as to enable corrective action to be taken before the operational parameters exceed the predetermined safe levels or lead to conditions conductive for an outbreak of fire or explosion to occur. Such alarm systems shall be checked daily and tested every month at least once to ensure its performance efficiency at all times.

(2) The Chief Inspector-cum-facilitator may direct such system to be installed in case of plants or processes where toxic materials are being used and spillage or leakage of which may cause wide spread poisoning in or around the plant.

13. Control of escape of substances into the work atmosphere. –

(1) Effective arrangements such as, enclosure, or by pass, or efficient exhaust draught, maintenance of negative pressure etc., shall be provided in all

plants, containers, vessels, sewers, drains, flues, ducts, culverts, and spread of substances which are likely to give rise to fire or explosion or toxic hazards during normal working and in the event of accident or emergency.

(2) In the event of the failure of the arrangements for control resulting in the escape of substances in the work atmosphere immediate steps shall be taken to control the process in such a manner, that further escape is brought down to the safe level.

(3) The substances that would have escaped into the work atmosphere before taking immediate steps as required in sub–para (2), shall be rendered innocuous by diluting with air or water or any other suitable agent or by suitable treating the substances.

14. Control of dangerous chemical reactions. – Suitable provisions, such as automatic and/or remote control arrangement shall be made for controlling the effects of dangerous chemical reactions. In the event of failure of control arrangement shall come into operation.

15. Testing, examination and repair of plant and equipments. –

(1) All parts of plant, equipment and machinery used in the process which in the likely event of their failure may give rise to an emergent situation shall be tested by a competent person before commencing process and retested at an interval of two years or after carrying out repairs to it. The competent person shall identify the parts of the plant, equipment and machinery required to be tested as aforesaid and evolve a suitable testing procedures. In carrying out the test as mentioned above in respect of pressure vessels or reaction vessels the following precautions shall be observed, namely :–

(a) before the test is carried out, each vessel shall be thoroughly cleaned and examined externally, and as far as practicable, internally also for surface defects, corrosion and foreign matter. During the process of cleaning and removal of sludge, if any, all due precautions shall be taken against fire or explosion, if such sludge is of pyropheric nature or contains spontaneously combustible chemicals;

(b) as soon as the test is completed, the vessel shall be thoroughly dried internally and shall be clearly stamped with the marks and figures indicting the person by whom testing has been done and the date of test; and

(c) any vessel which fails to pass the test of which for any other reason is found to be unsafe for use shall be destroyed or rendered unusable under intimation to the Chief Inspector-cum-facilitator.

(2) All parts of plant, equipment, machinery which in the likely event of failure may give rise to an emergent situation shall be examined once in a month by the competent person.

(3) Records of testing and examination referred to in paragraphs (1) and (2) shall be maintained as long as that part of the plant, equipment and machinery are in use.

(4) All repair work including alteration, modification and addition to be carried out to the plant, equipment and machinery shall be done under the supervision of a responsible person who shall evolve a procedure to ensure safety and health of person doing the work. When repairs or modification is done on pipelines, and joints are required to be welded but welding of joints are required to be welded, the responsible person shall regulate the aforesaid work through a 'permit to work system'.

16. Staging. – (1) All staging that is erected for the purpose of maintenance work or repair work or for work connected with entry into confined spaces and used in the processes included in Appendix 'A' shall be stable, rigid and constructed out of substantial material of adequate strength. Such staging shall confirm to the respective Indian Standard specifications.

(2) Staging shall not be erected over any closed or open vessel unless the vessel is so constructed and ventilated to prevent exposure or persons working on the stages.

(3) All the staging constructed for the purpose of this work shall have appropriate access which are safe and shall be fitted with proper hand rails to a height of one meter and toe–board.

17. Seating arrangements. – The seating arrangements provided for the operating personnel working in processes covered in Appendix 'A' shall be located in a safe manner as to prevent the risk of exposure to toxic, flammable and explosive substances evolved in the work environment in the course of manufacture or repair of maintenance, either due to failure of plant and equipment or due to the substances which are under pressure, escaping into the atmosphere.

18. Entry into or work in confined spaces. –

(1) The occupier of every factory to which the provisions of this schedule apply, shall ensure the observance of the following precautions before permitting any person to enter or work inside the confined spaces :–

(a) identify all confined spaces and the nature of hazards that are encountered in such spaces, normally, or abnormally, and arrange to develop the most appropriate safeguards for ensuring the safety and health of persons entering into or working inside, the confined spaces;

(b) regulate the entry or work inside the confined spaces through a 'permit to work system' which should include the safeguards so developed as required under sub–clause (a) above;

(c) before testing the confined space for entry into or work, the place shall be rendered safer by washing or cleaning with neutralizing agents or purging with steam or inert gases and making adequate forced ventilation arrangements or such measure which will render the confined space safe;

(d) shall arrange to carry out such tests as are necessary for the purposes by a competent person and ensure that the confined space is safe for the person to enter or work. Such testing shall be carried out as often as is necessary during the course of work to ensure its continued safety;

(e) shall arrange to educate and train the personnel who would be required to work in confined spaces about the hazards involved in the work. He shall also keep in readiness the appropriate and approved personal protective equipment including arrangements for rescue, resuscitation and first aid, and shall arrange supervision of the work at all times by a responsible and knowledgeable person.

(2) The manager shall maintain a log of all entry into a work–in, confined spaces and such record shall contain the details of persons assigned for the work, the location of the work and such other details that would have a bearing on the safety and health of the persons assigned for this work. The log book so maintained shall be retained as long as the concerned workers are in service and produced to the Inspector-cum-facilitator when demanded.

19. Maintenance work etc. –

(1) All the work connected with the maintenance of plants and equipment including cleaning of empty containers which have held hazardous substances used in the processes covered in this Schedule, shall be carried out under 'permit to work system' employment trained personnel and under

the supervision of responsible person having knowledge of the hazards and precautions required to deal with them.

(2) Maintenance work shall be carried out in such a manner that there is no risk to persons in the vicinity or to persons who pass by. If necessary, the place of such work shall be condoned off or the presence of unconnected persons effectively controlled.

20. Permit to work system. – The permit to work system shall *inter alia* include the observance of the following precautions while carrying out an specified work to be subjected to the permit to work system :–

(a) all work subject to the permit to work system shall be carried out under the supervision of a knowledgeable and responsible person;

(b) all sorts of plant or machinery or equipment on which permit to work system is carried out, shall remain isolated from other parts throughout the period of permit to work and the place of work including the parts of plant, machinery shall be rendered safe by cleaning, purging, washing, etc.;

(c) all work subject to the permit to work system shall have predetermined work procedures which integrate safety with the work. Such procedures shall be reviewed whenever any change occurs in material or equipment so that continued safe/safety is ensured;

(d) persons who are assigned to carry out the permit to work system shall be physically fit in all respects taking into consideration the demands and nature, of the work before entering into the confined space. Such person shall be adequately informed about the correct work procedures as well as the precautions to be observed while carrying out the permit to work system;

(e) adequate rescue arrangements wherever considered necessary and adequate first aid, rescue and resuscitation arrangements shall be available in good working condition near the place of work while carrying out the permit to work system, for use in emergency;

(f) appropriate and approval personal protective equipment shall be used carrying out the 'permit to work system';

(g) after completion of work subject to the 'permit to work system' the person responsible shall remove all the equipment and tools and restore to the original condition so as to prevent any danger while carrying out regular process.

21. Safety sampling personnel. – The occupier shall ensure the safety for persons assigned for collecting sample by instructing them on the safe procedure. Such personnel shall be provided with proper and approval personnel protection equipment, if required.

22. Ventilation. – Adequate ventilation arrangements shall be provided and maintained at all times in the process area where dangerous or toxic or flammable or explosive substances could be evolved. These arrangements shall ensure that concentrations, which are either harmful could result in explosion, are not permitted to be build up in the work environment.

23. Procedures for meeting emergencies. –

(1) The occupier of every factory carrying out the works covered in Appendix 'A', shall arrange to identify all types of possible emergencies that could occur in the processes during the course of work or while carrying out maintenance work or repair work. The emergencies so identified shall be reviewed every year.

(2) The occupier shall formulate a detailed plant to meet all such identified emergencies including arrangements for summoning outside help for rescue and firefighting and arrangements for making available urgent medical facilities.

(3) The occupier shall send the list of emergencies and the details of procedures and plans formulated to meet the emergencies, to the Chief Inspector-cum-facilitator

(4) The occupier shall arrange to install distinctive and recognizable warning arrangements to caution all persons inside plant as well as the neighboring community, if necessary, to enable evacuation of persons and to enable the observance of emergency procedures by the persons who are assigned emergency duties. All concerned must be well informed about the warning arrangements and their meaning. The arrangements must be checked for its effectiveness every month.

(5) Alternate power supply arrangements shall be made and interlocked with the normal power supply system so as to ensure constant supply of power to the facilities and equipment meant for compliance with requirements of paragraphs 10, 11, 12, 13,14, 18, 22 and this paragraph of Part II, Part III, Part IV and Part V of this Schedule.

(6) The occupier shall arrange to suspend the further process work in a place where emergency is established and shall forthwith evacuate all persons in that area except workers who have been assigned emergency duties.

(7) All the employees of the factory shall be trained about the action to be taken by them including evacuation procedures during emergencies.

(8) All emergency procedures must be rehearsed every three months and deficiencies, if any, in the achievement of the objectives shall suitably be corrected.

(9) The occupier shall arrange to have ten per cent of the workers trained in the use of first aid fire fighting appliances and in rendering of specific first aid measure taking into consideration the special hazards of the particular process.

(10) The occupier shall furnish immediately on request the specific chemical identity of the hazardous substance to the treating physician when the information is needed to administer proper emergency or first–aid treatment to exposed.

24. Danger due to effluents. –

(1) Adequate precautions shall be taken to prevent the mixing of effluents from different processes and operations which may cause dangerous or poisonous gases to be evolved.

(2) Effluents which contain or give rise in the presence of other effluents to poisonous gases shall be provided with independent drainage system to ensure that they may be trapped and rendered safe.

Part III

Fire and Explosions Risks

1. Sources of ignition including lighting installation. –

(1) No internal combustion engine and no electric motor or other electrical equipment, and fittings and fixtures capable of generating sparks of otherwise causing combustion or any other source of ignition or any naked light shall be installed or permitted to be used in the process area where there could be fire and explosion hazards.

(2) All hot exhaust pipe shall be installed outside a building and other hot pipes or hot surface or surfaces likely to become hot shall be suitably protected.

(3) The classification of work areas in terms of its hazard potential and the selection of electrical equipment or other equipment that could constitute a source of ignition shall be in accordance with the respective Indian Standard.

(4) Where a flammable atmosphere may be prevalent or could occur, the soles of footwear worn by workers shall have no metal on them, and the wheels of trucks or conveyors shall be conductive type.

(5) All tools and appliances used for work in this area shall be of non–sparking type.

(6) Smoking in process areas where there are risks of fire and explosion shall be prohibited and warning notices in the language understood by majority of workers shall be posted in the factory prohibiting smoking into specified areas.

2. Static electricity. –

(1) All machinery and plant, particularly, pipe lines and belt drives, on which static charge is likely to accumulate, shall be effectively earthed. Receptacles for flammable liquids shall have metallic connections to the earthed supply tanks to prevent static sparking. Where necessary, humidity shall be regulated.

(2) Mobile tanker wagons shall be earthed during filling and discharge, and precautions shall be taken to ensure that earthling is effective before such filling or discharge takes place.

3. Lightening protection. – Lightening protection arrangement shall be fitted where necessary, and shall be maintained.

4. Process heating. – The method of providing heat for a process likely to result in fire and explosion shall he as safe as possible and where the use of naked flame is necessary, the plant shall be so constructed as to prevent any escaping flammable gas, vapor or dust coming into contact with the flame, or exhaust gases, or other sources likely to cause ignition. Wherever possible the heating arrangement shall be automatically controlled at a predetermined temperature below the danger temperature.

5. Leakage of flammable liquids. – (1) Provision shall be made to confine by means of bund walls, dykes, sumps etc. possible leakages from storage vessels containing flammable liquids.

(2) Waste material in contact with flammable substances shall be disposed off suitably under the supervision of knowledgeable and responsible person.

(3) Adequate and suitable fire–fighting appliances shall be installed in the vicinity of such vessels.

6. Safety valves. – Every still and every closed vessel in which gas is evolved or into which gas is passed, and in which the pressure is liable to rise above the atmospheric pressure, shall have attached to it a pressure gauge, and a proper safety valve or other equally efficient means to relieve the pressure. These appliances shall be maintained in good condition.

7. Installation of pipe line etc. – All pipe lines carrying flammable or explosive substances shall be protected from mechanical damage and shall be examined by a responsible person once in a week to detect any deterioration or defects, or accumulation or flammable or explosive substances, and record kept of any defects found and repairs made.

8. Fire fighting systems. –

(1) Every factory employing 500 or more persons and carrying out processes listed in Appendix 'A' shall provide:–

(a) Trained and responsible fire fighting squad so as to effectively handle the firefighting and life saving equipment in the event of fire or other emergency. Number of persons in this squad will necessarily depend upon the size or risk involved, but in no case shall be less than 8 such trained persons to be available at any time. The squad shall consist of watch and ward personnel, fire pump man and departmental supervisors and operators trained in the operation of fire and emergency services.

(b) Squad leaders shall preferably be trained in a recognized government institution and their usefulness enhanced by providing residence on the premises.

(c) Squad personnel shall be provided with clothing and equipment including helmets, boots and belts.

(2) A muster roll showing the duties allocated to each member of the squad shall be prepared and copies supplied to each leader as well as displayed in prominent places so as to be easily available for reference in case of emergency.

(3) The pump man shall be thoroughly conversant with the location of all appliances. He shall be responsible for maintaining all fire fighting equipment in proper working order. Any defect coming to his notice shall be immediately be brought to the notice of squad leader.

(4) As far as is practicable, the fire pump room and the main gate(s) of the factory be connected to all manufacturing or storing areas through telephone interlinked and placed in a convenient location near such areas.

Part IV

Risk of Toxic Substances

1. Leakage. – (1) All plants shall be so designed and constructed as to prevent the escape of toxic substances. Where necessary, separate buildings, rooms, or protective structures shall be used for the dangerous stages of the process and the buildings shall be so designed as to localize any escape of toxic substances.

(2) Catch pits, bund walls, dykes, or other suitable safeguards shall be provided to restrict the serious effects of such leakages. Catch pits shall be placed below joints in pipelines where there is danger involved to maintenance and other workers from such leakage.

2. Drainage. – Adequate drainage shall be provided and shall lead to collection tanks specifically provided for this purpose wherein deleterious material shall be neutralized treated or otherwise rendered safe before it is discharged into public drains or sewers.

3. Covering of vessels. – (1) Every fixed vessel or structure containing any toxic substance and not so covered as to eliminate all reasonable risk of accidental contract of any portion of the body of a worker, shall be so constructed as to avoid physical contact.

(2) Such vessel shall, unless its edge is at least 90 centimeters above the adjoining ground or platform, be securely fenced to a height of at least 90 centimeters above such adjoining ground or platform.

(3) Where such vessels adjoin and the space between them, clear of any surrounding brick or other work is either less than 45 centimeters in width or is 45 or more centimeters in width, but is not securely fenced on both sides to a height of at least 90 centimeters, secure barriers shall be so placed as to prevent passage between them :

Provided that sub–paragraph (2) of this paragraph shall not apply to–

(a) Saturators used in the manufacture of sulphate of ammonia; and

(b) that part of the sides of brine evaporating pans which require raking, drawing or filling.

4. Continuous exhaust arrangement. –

(1) Any process evolving toxic vapour, gas, fume and substance shall have efficient continuous exhaust draught. Such arrangement shall be interlocked in the process control wherever possible.

(2) In the event of failure of continuous exhaust arrangement means shall be provided to automatically stop the process.

5. Work bench. – All the work benches used in processes involving the manipulation of toxic substances shall be graded properly and shall be made of smooth impervious surface which shall be washed daily after the completion of work.

6. Waste disposal. –

(1) There shall be provided a suitable receptacle made of non–absorbable material with a tightly fitting cover for depositing waste material soiled with toxic substances, and the contents or such receptacle shall he destroyed by burning of using other suitable methods under the supervision of a responsible person.

(2) During the course of manufacture, whenever any batch or intermediate products having toxicity is rejected on consideration of quality, sufficient precautions shall be taken to render them innocuous or otherwise treat them or inactive them, before disposal.

(3) The empty containers of toxic substances shall be cleaned thoroughly before disposal under the supervision a responsible person.

Part V

Special Provisions

1. Special precautions for Nitro or Amino Processes. –

(1) Unless the crystallized nitro or amino substances or any of its liquor is broken or agitated in a completely enclosed process so as not to give rise to dust or fume, such process shall be carried on under an efficient exhaust drought or by adopting any other suitable means in such a manner as to prevent the escape of dust or fume in the working atmosphere.

(2) No part of the plant or equipment or implements which was in contact with nitro or amino compounds shall be repaired, or handled unless they have been emptied and thoroughly cleaned and decontaminated.

(3) Filling of containers with nitro or amino compounds shall be done only by using a suitable scoop to avoid physical contact and the drying of the containers in the stove shall be done in such a manner that the hot and contaminated air from the stove is not drawn into the work–room.

(4) Processes involving the steaming into or around any vessel containing nitro or amino compounds or its raw materials shall be carried out in such a manner that the steam or vapor is effectively prevented to be blown back into the working atmosphere.

(5) Suitable antidotes such as methylene blue injections shall always be available at designated places of work for use during emergency involving the poisoning with nitro or amino compounds.

2. Special precautions for 'chrome processes'. –

(1) Grinding and sieving of raw materials in chrome processes shall be carried on in such a manner and under such condition as to secure effective separation from any other processes and under an efficient exhaust draught.

(2) There shall be washing facilities located very near to places where wet chrome processes such as leaching, acidification, sulphate settling evaporation, crystallisation, centrifugation or packing are carried out, to enable quick washing of affected parts of body with running water.

(3) Weekly inspection of hand and feet of all persons employed in chrome process shall be done by a qualified nurse and record of such inspections shall be maintained in a form approved by the Chief Inspector-cum-facilitator.

(4) There shall be always available at designated places of work suitable ointment such as glycerine, vaceline, etc. and water proof plaster in a separate box readily accessible to the workers so as to protect against perforation of nasal septum.

3. Special precautions for processes carried out in all glass vessels. –

(1)Processes and chemical reactions such as manufacture of vinyl chloride, benzyl chloride etc. which are required to be carried out in all glass vessels shall have suitable means like substantial wiremesh covering to protect persons working nearby in the event of breakage of glass vessel.

(2) The personal protective equipment like overall, etc. provided for the chlorate workers shall not be taken from the place of work and they shall be thoroughly cleaned daily.

(3) Adequate quantity of water shall be available near the place of chlorate process for use during fire emergency.

(4) Wooden vessel shall not be used for the crystalisation of chlorate or to contain crystalised ground chlorate.

4. Special precautions in the use of plant and equipment made from reinforced plastics–

(1) All plants and equipments shall conform to appropriate Indian or any other National Standard.

(2) Care shall be taken during storage, transport, handling and installation of plant and equipments to avoid accidental damage.

(3) All plants and equipments shall be installed in such a way as to ensure that loads are distributed as intended in design or as per the recommendation of the manufacturers.

(4) All pipe work shall be supported so that total loads local to the branches on the vessel or tank do not exceed their design values.

(5) After erection all plants and equipments shall be subjected to a pressure test followed by a thorough examination by a competent person. The test and examination shall be as per relevant standard. A certificate of test and examination by competent person shall he obtained and kept available at site.

(6) All plants and equipments shall be subjected to periodical test and examination and record maintained as per paragraph 15 in Part II of this Schedule.

(7) Plant and equipments during their use shall not be subjected to over filling or overloading beyond rated capacity.

Part VI

Medical Requirements

1. Decontamination facilities. – In all places where toxic substances are used in processes listed in Appendix 'A' the following provisions shall be made to meet an emergency :–

(a) fully equipped first aid box;

(b) readily accessible means of drenching with water persons, parts of body of persons, and clothing of persons who have been contaminated with such toxic and corrosive substances and such means shall be as shown in the table below :–

Table

No. of persons	Employed at anytime
Upto50persons	2
Between51to100	3
Between101to200	3 + 1 every 50personsthereafter
Between201to400	5+1forevery100persons
Between 401 and above	7+1forevery200persons

(c) a sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently situated and clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.

2. (1) For factories employing upto 50 workers. –

(a) The services of a qualified medical practitioner here in after known as Factory Medical Officer, available on a retainership basis, in his notified clinic near factory for seeking medical help during emergency. He will also carry out the pre–employment and periodical medical examinations as stipulated in paragraph 4 of this Part.

(b) A minimum of five persons trained in first aid procedures, amongst whom at least one shall always be available during the working period.

(c) A fully equipped first aid box.

(2) For factories employing 51 to 200 workers. –

(a) The occupational health centre shall have a room having a minimum floors area of 15 sq. mtr, with floor and walls made of smooth, hard and impervious surface and shall be adequately illuminated, ventilated and equipped.

(b) A part time Factory Medical Officer will be in over all charge of the Centre who shall visit the factory minimum twice in a week and whose services shall be readily available during emergencies.

(c) There shall be one qualified and trained dresser–cum–compounder on duty throughout the working period.

(d) A fully equipped first aid box.

(3) For factories employing above 200 workers. –

(a) There shall be one full time Factory Medical Officer for factories employing up to 500 workers and one more medical officer for every 1000 workers or part thereof.

(b) The occupational health centre in this case shall have a minimum of 2 rooms each having a minimum floor area of 15 sq. m. with floors and walls made of smooth, hard and impervious surface and shall be adequately illuminated, ventilated and equipped.

(c) There shall be one trained nurse, one dresser–cum–compounder and one sweeper–cum–ward boy throughout the working period.

(d) The Occupational Health Centre in this case shall be suitably equipped to manage medical emergencies.

3. Ambulance van. –

(1) In every factory carrying out processes covered in Appendix'A' there shall be provided and maintained in good condition a suitably constructed and fully equipped ambulance van as per Appendix 'C' manned by a full–time driver–cum–mechanic and helper trained in the first aid for the purposes of transportation of serious cases of accidents or sickness unless arrangements for procuring such facility at short notice during emergencies have been made with the nearby hospital or other places. The ambulance van shall not be used for any purpose other than the purpose stipulated herein and will always be available near the Occupational Health Centre.

(2) The relaxation to procure Ambulance Van from nearby places provided for in sub–para (1) above will not be applicable to factories employing more than 500 workers.

4. Medical examination-

(1) Workers employed in processes covered in Appendix'A'shall be medically examined by a Factory Medical Officer in the following manner:–

(a) once before employment, to ascertain physical suitability of the person to do the particular job;

(b) once in a period of 6 months, to ascertain the health status of the worker; and

(c) the details of pre–employment and periodical medical examinations carried out as aforesaid shall be recorded in the prescribed form.

(2) Any finding of the Factory Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall immediately be reported to the Medical Inspector-cum-facilitator who shall in turn, examine the concerned workers and communicate his findings within 30 days. If the Medical Inspector-cum-facilitator is of the opinion that the person so examined is required to be suspended from the process for health protection he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he is fully incapacitated in the opinion of the Medical Inspector-cum-facilitator in which case the person affected shall be suitably rehabilitated:

Provided that the Medical Inspector-cum-facilitator on his own may examine any other worker whom he feels necessary to be examined for ascertaining the suitability of his employment in the process covered in Appendix 'A' or for ascertaining the health status of any other worker and his opinion shall be final.

(3) No person shall be newly appointed without the Certificate of Fitness granted by the Factory Medical Officer. If the Factory Medical Officer declares a person, unfit for being appointed to work in the process covered in Appendix 'A', such person shall have a right of appeal to the Medical Inspector-cum-facilitator, whose opinion shall be final in this regard.

(4) The worker suspended from the process owing to the circumstances covered in sub–para (2) shall be employed again is the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the Medical Inspector-cum-facilitator and after making entries to that effect in the health register.

(5) Every worker employed in the processes of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(6) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a

record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person in unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(7) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(8) The record of the examinations **Form-XXV** and **Form-XXVI**, shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Part VII

Additional Welfare Amenities

1. **Washing facilities.** – (1) There shall be provided and maintained in every factory for the use of all the workers taps for washing, at the rate of one tap for every 15 persons including liquid soap in a container with tilting arrangement and nail brushes or other suitable means for effective cleaning. Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

   (2) If washing facilities as required above are provided for women, such facilities shall be separate for them and adequate privacy at all times shall be ensured in such facilities.

2. **Mess room facilities.** – (1) The occupier of all the factories carrying out processes covered in Appendix 'A' and employing 50 workers or more, shall provide for all the workers working in a shift mess room facilities which are well ventilated and provided with tables and sitting facilities along with the provisions of cold and hygienic drinking water facilities.

   (2) Such facilities include suitable arrangement for cleaning and washing and shall be maintained in a clean and hygienic condition.

3. **Cloak room facilities.** – (1) The occupier of every factory carrying out any process covered in Appendix 'A' shall provide for all the workers employed in

the process cloak room facilities with lockers. Each worker shall be provided with two lockers, one for work clothing and another separately for personal clothing and the lockers should be such as to enable the keeping of the clothing in a hanging position.

(2) The cloak room facilities so provided in pursuance of sub–para (1) shall be located as far as possible near to the facilities provided for washing in pursuance of para 1 (1).If it is not possible to locate the washing facilities the cloak room facilities shall have adequate and suitable arrangements for cleaning and washing.

4. Special bathing facilities. –

(1) The occupier of any factory carrying out the process covered under Appendix 'B' shall be provided special bathing facilities for all the workers employed and such facilities shall be provided at the rate of 1 for 25 workers and part thereof, and shall be maintained in a clean and hygienic condition.

(2) The occupier shall insist all the workers employed in the processes covered in Appendix 'B' to take bath after the completion of the day's or shift work using the bathing facilities so provided and shall also effectively prevent such if those workers taking bath in any place other than the bathing facilities.

(3) Notwithstanding anything contained in sub–para (1) above, the Chief Inspector-cum-facilitator may require in writing the occupier of any factory carrying out any other process for which in his opinion bathing facilities are essential from the health point of view, to provide special bathing facilities.

Part VIII

Duties of workers

(1) Every worker employed in the processes covered in Appendix 'A' and Appendix 'B' not make any safety device or appliance or any guarding or fencing arrangement, in operative or defective and shall report the defective condition of the aforesaid arrangement as soon as he is aware of any such defect.

(2) Before commencing any work, all workers employed in processes covered in Appendix 'A' shall check their work place as well as the machinery, equipment or appliance used in the processes and report any mal–function or defect immediately to the supervisor or any responsible person of the management.

(3) All workers shall co–operate in all respects with the management while carrying out any work or any emergency duty assigned to them in pursuance of this schedule and shall always use all the personal protective equipments issued to them in a careful manner.

(4) All workers employed in the processes covered in Appendix 'A' or Appendix 'B'shall not smoke in the process area or storage area. If special facilities are provided by the management only such facilities should be used.

(5) All workers employed in the processes covered in Appendix 'A' shall not remain in unauthorized place or carry out unauthorized work or improvise any arrangement or adopt short cut method or misuse any of the facilities provided in pursuance of the Schedule, in such a manner as to cause risk to themselves as well as or to others employed.

(6) The workers shall not refuse undergoing medical examination as required under these rules.

Part IX

Restriction on the employment of adolescents under 18 years of age and women.

(1) The Chief Inspector of Factories may by an order in writing, restrict or prohibit the employment of women and adolescents under the age of 18, in any of the processes covered in Appendix 'A' of the Schedule on consideration of health and safety of women and adolescents.

(2) Such persons who are restricted or prohibited from working in the process due to the order issued in pursuance of sub–para (1) above shall be provided with alternate work which is not detrimental to their health or safety.

Part X

Exemptions

1. Power of exemption. – The State Government or subject to the control of the State Government, the Chief Inspector-cum-Facilitator may exempt from the compliance with any of the requirements of this Schedule partly or fully, any factory carrying out processes covered in Appendix 'A' if it is clearly and satisfactorily established by the occupier that the compliance with any of the requirement is not necessary to ensure the safety and health of persons employed

as suitable and effective alternate arrangements are available to any of the requirements covered in this schedule.

Appendix 'A'

Any works or that part of works in which –

(a) The manufacture, manipulation or recovery of any of the following is carried on:-

(i) sodium, potassium, iron, aluminium, cobalt, nickel, copper, arsenic, antimony, chromium, zinc, selenium, magnesium, cadmium, mercury, beryllium and the inorganic and inorganic salts, alloys, oxides and hydroxides;

(ii) ammonia, ammonium hydroxide and salts of ammonium;

(iii) the organic or inorganic compounds or sulphurous, sulphuric, nitric, nitrous, hydrochloric, hydroflouric, hydroiodic, hydrosulphuric, hydrobromil boric;

(iv) cyanogen compounds, cyanide compounds, cyanate compounds;

(v) phosphorous and its compounds other than organo–phosphorous insecticides;

(vi) chlorine.

(b) hydrogen sulphide is evolved by the decomposition or metallic sulphides, orhydrogensulphide is used in the production of such sulphides;

(c) bleaching powder is manufactured or chlorine gas is produced in chloralkali plants;

(d) (i) gas tar or coal tar or bitumen or shale oil asphalt of any residue of such tar is distilled or is used in any process of chemical manufacture;

(ii) tar based synthetic colouring matters or their intermediates are produced;

(e) nitric acid is used in the manufacture of nitro compounds;

(f) explosives are produced with the use of nitro compounds;

(g) aliphatic or aromatic compounds or their metallic and non–metallic derivatives or substituted derivatives, such as chloroform, ethylene glycol, formaldehyde, benzylechloride, phenol, methyl ethyl ketone peroxide, cobalt, carbonyl, tungsten carbide etc. are manufactured or recovered.

Appendix 'B'

Concerning Special Bathing Accommodation in pursuance of para 4 of Part IV–

(1) Nitro or amino processes.

(2) All chrome processes.

(3) Processes of distilling gas or coal tar or processes of chemical manufacture in which tar is used.

(4) Processes involving manufacture, manipulation, handling or recovery of cyanogens compound, cyanide compound, cyanate compounds.

(5) Processes involving manufacture of bleaching powder or production of chlorine gas in chloralkali plants.

(6) Manufacture, manipulation or recovery of nickel and its compounds.

(7) All processes involving the manufacture, manipulation or recovery of aliphatic or aromatic compounds or their derivatives or substituted derivatives.

Appendix 'C'

Ambulance :

Ambulance should have the following equipments :–

General :

An wheeled stretcher with folding and adjusting devices;

Head of the stretcher must be capable of being titled upward;

Fixed oxygen supply with equipments Fixed oxygen supply with equipments;

Pillow with cases;

Sheets;

Blankets;

Towels;

Emosis bag;

Bed pan;

Urinal;

Glass.

Safety equipment :

Flares with life of 30 minutes;

Flood lights;

Flash lights;

Fire extinguisher dry powder type;

Insulated guantlets.

Emergency care equipments :

Resuscitation :

Portable suction unit;

Portable oxygen unit;

Bag–valve–mask, hand operated artificial ventilation unit;

Airways;

Mouth gage;

Tracheostomy adaptors;

Short spine board;

I.V. Fluids with administration unit;

B.P. manometer;

Cugg;

Stetheoscope.

Immobilization :

Long and short padded boards;

Wire ladder splints;

Triangular bandage;

Long and short spine board.

Dressings :

Gauze pads 4" + 4";

Universal dressing 10" X 36";

Roll of aluminium foils;

Soft roller bandages 6" x 5 yards;

Adhesive tape in 3" roll;

Safety pins;

Bandage sheets;

Bandage sheet;

Poisoning :

Syrup of Ipecac;

Activated charcoal; Pre packeted in doses

Snake bite left;

Drinking water.

Emergency Medicines :

As per requirement (under the advice of Medical Officer only)

Schedule–18

(See rule 81)

Manufacture of Pottery

1. Definitions. –

(a) "Pottery" includes, earthenware, stoneware,, porcelain, china,tiles and any other articles made from clay or from mixture containing clay and other materials such as quartz, flint feldspars and gypsum.

(b) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation effected by mechanical or other means for the removal of dust or fume so as to prevent it from escaping into the air of any place in which work in carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove effectively dust or fume generated at the point where dust orfume originates.

(c) "Fettling" includes scalloping towing, sand papering, and sticking, brushing or any other process of cleaning of pottery where in which dust is given off.

(d) "Leadless glaze" means a glaze which does not contain more than one percent ofits dry weight of a lead compound calculated as lead monoxide.

(e) "Low solubility glaze" means a glaze which does not yield to dilute hydrochloric acid more than five percent of its dry weight of a soluble lead compound calculated as lead monoxide when determined in the manner described below :–

A weighed quantity of the material which has been dried at 100°C and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature with1000 times of weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 percent by weight of hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighted as lead sulphate.

(f) Ground or ordered faint or quartz does not include natural sands.

(g) "Potter's shop" includes all places where pottery is formed by pressing or by anyother process and all places where shaping, fettling or other treatment of pottery articles prior to placing or the biscuit fire is carried on.

2. Efficient exhaust draught. – The following processes shall not be carried onwithout the use of an efficient exhaust draught–

Operations	Locations
(i)All processes involving the manipulation or use of dry and unfitted Lead compound.	Preparing mix for frit.
(ii)The fettling operations of any kind, whether on green ware or Biscuit, provided that this shall not apply to the wet fettling, and to the occasional finishing of pottery articles without the aid of mechanical power.	Finishing on wheels (of fettling machine) Hand finishing,Blowing of dust, before glazing pipe, turning and polishing. Finishing of Biscuits. Rubbing before glazing.
(iii)The shifting of clay dust or any othermaterial for making tiles or otherarticles by pressure, except where:– (a) This is done in a machine so enclosed as to effectually prevent the escape of dust, or (b) The material to be shifted is so damp that no dust can be given off.	Making body forToggle press andTile press.
(iv)The pressing of tiles from clay dust, an exhaust opening being connected with each press, this clause shall also apply to the pressing from clay dust of articles other than tiles, unless the material is so damp that no dust is given off.	Tiles press, Toggle press or Dye–press.
(v) The fettling of tiles made from clay dust by pressure, except where the fettling is done wholly on or with damp material, this clause shall also apply to the fettling of other articles made from clay dust, unless the material is so damp that no dust is given off.	Hand finishing.
(vi) The process of loading and unloading of saggers where handling and	Loading of saggers, doubling

manipulation of ground and powdered flint, quartz, alumina, or other materials are involved.	unloading of saggers.
(vii)The brushing of earthenware biscuits, unless the process is carried on in a room provided with efficient general mechanical ventilation or other ventilation which is certified by the Inspector-cum-facilitator as adequate having regard to all the circumstances of the case.	Hand Finishing of Biscuits.
(viii)Felling of Biscuits were, which hasbeen fired in powdered flint or quartz except where this is done in machines so enclosed as to effectually prevent the escape of dust.	Finishing Biscuits.
(ix)Ware cleaning after the application of glaze by dipping or other process.	Glazing & Dusting
(x) Crushing and dry grinding of materials for potter bodies, and saggers, unless carried on in machines, so enclosedas to effectually prevent the escape of dust or is so damp that no dust can be given off.	Low crushing of quartz, feldspars etc. Edge runner of pebble mill grinding. Grinding for tile body. Grog disintegrator.
(xi) Sieving or manipulation of powdered flint, quartz, clay grog or mixture of these materials unless it is so damp that no dust can be given off.	Fire clay disintegrator. Hand sieving of grog and Fire Clay. Filling bags with mix for sagger. Charging of tanks and mixing the Materials.
(xii) Grinding of tiles on power driven wheel unless an efficient water spray is used on the wheels.	
(xiii)Lifting and conveying of materials by elevators and conveyers unless they are	Jaw crushing of quartz, feldspar etc. Edge runner or pebble mill

effectively enclosed and so arranged as to prevent escape of dust into the air in or near to any place in which persons are employed.	grinding. Grinding for tilebody. **Note.**–Elevators were close to the crushers and grinders.
(xiv)The preparation or weighing out of flow material, lawning of dry colours, colour dusting and colour blowing.	Spary glazing. Glazing and dusting.
(xv) In mould making unless the bins or similar receptacles used for holding plaster of Paris are provided with suitable covers.	Mould making.
(xvi) The manipulation of calcined material unless the materials have been made and remains so wet that no dust is given off.	Calcining gypsum.Sieving Plaster ofParis.
(xvii) Protective Equipment.	Weighing of raw materials charging the blunder charging the ball mill. Filling bags with mix forsagger. Charging ofthe tanks and mixing the materials

3. Each of the following processes shall be carried on in such manner and under such conditions so as to secure effectual separation from one another and from other processes :–

(a) Crushing and dry grinding or sieving of materials, fettling, pressing of tiles, drying of clay and greenware, loading and unloading of saggers.

(b) All processes involving the use of a dry lead compound.

4. No glaze which is not leadless glaze or a low solubility glaze shall be used in a factory in which pottery is manufactured.

5. No adolescent shall be employed or permitted to work any of the operation specified in clause 2, or at any place where such operations are carried on.

6. The potter's wheel (Jolly and Jigger) shall be provided with screens or so constructed as to prevent clay scappins being thrown off beyond the wheel.

7. (1) All practical measure shall be taken by damping or otherwise to prevent dust arising during cleaning of floors.

(2) Damp saw dust or other suitable material shall be used to render the moist method effective in preventing dust rising into the air during the cleaning process which shall be carried out after work has ceased.

8. The floors of potter shops, slip houses, dipping houses and ware cleaning rooms shall be hard, smooth and impervious and shall be thoroughly cleaned daily by amoist method by an Adult male.

9. Medical facilities and Examination –

(1) The occupier of every factory in which a manufacturing of pottery is carried on, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator.

(3) Every worker employed in any process mentioned under paragraph 3, shall be examined by medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and pulmonary function test and chest X–ray for workers engaged in processes mentioned in items (i) to (iv) of paragraphs 2 and pulmonary function tests and chest X–rays for the others. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(4)All persons employed in any of the process included under item (i) to (iv) shall be examined by a medical officer once in every 3 calendar months. Such examinations in respect of all the workers shall include all the tests as specified in sub–paragraph (1) except chest X–ray which will be once in 3years.

(5) Every worker employed in pottery processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(6) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record

of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(7) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(8) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

10. Protective equipment. –

(1) The occupier shall provide and maintain suitable overalls and head coverings for all persons employed in process included under clause 2.

(2) The occupier shall provide and maintain suitable aprons of a water proof or similar material, which can be sponged daily, for the use of the dippers, assistants, throwers, jolly workers, casters, mound makers and filter press and pug mill workers.

(3) Aprons provided in pursuance of clause 11 (2) shall be thoroughly cleaned daily by the weavers by sponging or other wet process. All overalls and head covering shall bewashed, cleaned and mended at least once a week and this washing, cleaning or mending shall be provided for by the occupier.

(4) No person shall be allowed to work in emptying specks of dusty materials, weighing out and mixing of dusty materials and charging of ball mills and blungers without wearing a suitable and efficient dust respirator.

11. Washing Facilities. – (1) The occupier shall provide and maintain, in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in any of the processes specified in clause 2, a wash place under cover, with either–

(i) a trough with smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every five such persons employed at any one time, and having constant supply of clean water from taps or jets above the through at intervals of not more than two feet, or

(ii) at least one tap or stand pipe for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water, the tap or stand pipe being spaced not less than 1.2 meters apart; and

(2) A sufficient supply of clean towels made of suitable material changed daily, with sufficient supply of nail brusher and soap.

12. Time allowed for washing. – Before each meal and before the end of the days work, at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person employed in any of the processes mentioned in clause 2.

13. Mess–room. – (1) There shall be provided and maintained for use of all persons remaining within the premises during the rest intervals, a suitable mess–room, providing accommodation of 10 square feet per head and furnished with–

(i) a sufficient number of tables and chairs or benches with back rest;

(ii) arrangements for washing utensils:

(iii) adequate means for warming food;

(iv) adequate quantity of drinking water.

(2) The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air and placed under the charge of responsible person and shall be kept clean.

14. Food, drinks, etc., prohibited in work–rooms. – No food, drinks, pan and supari, or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work–room in which any of the processes mentioned in clause 2 are carried on and no person shall remain in any such room during intervals for meals or rest.

15. Cloak–room etc. – There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in any of the processes mentioned in clause 2 :–

(a) a cloak–room for clothing put off during working hours and such accommodation shall be separate from any mess room;

(b) seperate and suitable arrangements for the storage of protective equipment provided under clause II.

16. These regulations shall not apply to a factory in which any of the following articles, but no other pottery, are made

(a) unglazed or salt brick and tiles, and

(b) architectural terra cotton made from plastic clay and either unglazed or glazed with a leadless glaze only.

17. Exemptions. – If in respect of any factory the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed in such factory, he may by a certificate in writing exempt such factory from all or any such provisions, subject to such conditions as he may specify therein, such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector without assigning any reasons.

Schedule–19

(See rule 81)

Compression of Oxygen and Hydrogen produced by the electrolysis water.

(1) The room in which electrolyser plant is installed shall be separate from the plant for storing and compressing the oxygen and hydrogen.

(2) The purity of oxygen and hydrogen shall be tested by a competent person at hourly intervals at the following points :–

(i) in the electrolyser room;

(ii) at the gas holder inlet; and

(iii) at the section end of the compressor.

The purity figure shall be entered and signed by the person carrying out such tests in the register :

Provided, however, that if the electrolyser plant is fitted with automatic recorder of purity of oxygen and hydrogen with alarm lights, it shall be sufficient if the purity of the gases is tested at hourly intervals at the suction end of the compressor only.

(3) The oxygen and hydrogen gases shall not be compressed, if their purity as determined under clause 2 above falls below 98 per cent at any time.

(4) There shall be at least two gas holders for each kind of gas and the gas holders for same gas shall not be fitted with inter–locked valves or levers and three way cocks at the junction of their outlets in such a way that no gas holder is connected to the compressor and to the electrolyser at the same time, and only one gas holder is connected to the compressor, line at any one time.

(5) The bell of any gas holder shall not be permitted to go within 30 cm. of its lowest position when empty, a visual and an audible warning signal shall be fitted to the gas holder to indicate that this limit is reached.

(6) The water and caustic soda used for making shall be chemically pure within pharmaceutical limits.

(7) Electrical connections at the electrolyser cells and at the generator terminals shall be constructed as to preclude the possibility of wrong connections leading to the reversal of polarity.

(8) Oxygen and hydrogen gas pipes shall be painted with distinguishing colours and in the event of leakage at the joints of the hydrogen gas pipe, the pipe after reconnection shall be purged of all air before drawing in hydrogen gas.

(9) All electrical wiring and apparatus in the electrolyser room shall be of flame–proof construction or enclosed in flame–proof fitting and no naked light or flame shall be taken either in the electrolyser room or where compression and filling of the gases is carried on and such warning notices shall be exhibited in prominent places.

(10) No part of the electrolyser plant and the gas holders and compressor shall be subjected to welding, brazing, soldering or cutting until steps have been taken to remove any explosive substance from that part and render the part safe for such operations and after the completion of such operations no explosive substance shall be allowed to enter that part until the metal has cooled sufficient to prevent risk of explosion.

(11) No work of operation, repair or maintenance shall be undertaken except under the direct supervision of a person who, by his training, experience and knowledge of the necessary precautions against risk of explosion is competent to supervise such work.

12. Medical Examination –

(1) Every worker employed in the process of compression of Oxygen and Hydrogen produced by the electrolysis water shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person in unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–20

(See rule 81)

Cleaning or smoothening, roughening, etc., of articles by a jet of sand, metal short, orgrit, or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam.

Blasting Regulations

1. Definitions. – For the purposes of this Schedule :–

(a) "Blasting" means cleaning, smoothening, roughening, or removing of any part of thesurface of any article by the use as an abrasive of a jet of sand, metal shot or grit orother material, propelled by a blast of compressed air or steam.

(b)"Blasting enclosure" means a chamber, barrel, cabinet or any other enclosure designed for the performance of blasting therein.

(c) "Blasting chamber" means a blasting enclosure in which any person may enter at anytime in connection with any work or otherwise.

(d) "Cleaning of castings" where done as an incidental or supplemental process in connection with the making of metal castings means the freeing of the casting from adherent sand or other substance and includes the removal of cores and the general smoothing of a casting, but does not include the free treatment.

2. Prohibition of Sand Blasting. – Sand or any other substance containing free silica shall not be introduced as an abrasive into any business apparatus and shall not be used for blasting.

3. Precautions in connection with Blasting Operations. –

(1) *Blasting to be done inblasting enclosure.* – Blasting shall not be done except in a blasting enclosure and no work other than blasting any work immediately incidental thereto and clearing and repairing of the enclosure including the plants and appliances situated therein, shall be performed in a blasting enclosure. Every door, aperture and joint of blasting enclosure, shall be kept closed and air tight while blasting is being done therein.

(2) *Maintenance of blasting enclosure.* – Blasting enclosure shall always be maintained in good condition and effective measures shall be taken to prevent dust escaping from such enclosure, and from apparatus connected therewith, into air of any room.

(3) *Provision of separating apparatus.* – There shall be provided and maintained for and in connection with every blasting enclosure, efficient apparatus for separating, so far as practicable abrasive which has been used for blasting and which is to be used again as an abrasive from dust or particles of other materials arising from blasting; and no such abrasive shall be introduced into any blasting apparatus and used for blasting until it has been so separated :

Provided that this clause shall not apply, except in the case of blasting chambers, to blasting enclosures constructed or installed before the coming into force of this Schedule, if the Chief Inspector-cum-facilitator is of opinion that it is not reasonable practicable to provided such separating apparatus.

(4) *Provision of ventilating plant.* – There shall be provided and maintained in connection with every blasting enclosure efficient ventilating plant to extract by exhaust drought effected by mechanical means, dust produced in the enclosure. The dust extracted and removed shall be disposed of by such method and in such manner that it shall not escape into the air of any room; and every other filtering or settling device situated in a room in which persons are employed, other than persons attending to such bag or other filtering or settling device, shall be completely separated from the general air of that room in an enclosure ventilated to the open air.

(5) *Operation of ventilating plant.* – The ventilating plant provided for the purpose of sub–paragraph (4) shall be kept in continuous operation whenever the blasting enclosure is in use whether nor not blasting is actually taking place therein, and in the case of blasting chamber, it shall be in operation even when any person is inside the chamber for the purpose of cleaning.

4. Inspection and Examination. –

(1) Every blasting enclosure shall be specially inspected by a competent person at least once in every week in which it is used for blasting. Every blasting enclosure, the apparatus connected therewith and the ventilating plant, shall be thoroughly examined and in the case of ventilating plant, tested by a competent person at least once in every month.

(2) Particulars of the result of every such inspection, examination and test shall forthwith be entered in a register, which shall be kept in a form approved by the Chief Inspector and shall be available for inspection by any workman employed in or in connection with blasting in the factory. Any defect found on any such inspection, examination or test shall be immediately reported by the person carrying out the inspection, examination or test to the Occupier,

Manager or other appropriate person and without prejudice to the foregoing requirements of this Schedule, shall be removed without avoidable delay.

5. Provision of protective helmets, gauntlets and overalls. –

(1) There shall be provided and maintained for the use of all persons who are employed in a blasting chamber, whether in blasting or in any work connected therewith or in cleaning such a chamber, protective helmets of a type approved by a certificate of the Chief Inspector-cum-facilitator and every such person shall wear the helmet provided for this use whilst he is in the chamber and shall not remove it until he is outside the chamber.

(2) Each protective helmet shall carry a distinguishing mark indicating the person by whom it is intended to be used and no person shall be allowed or required to wear a helmet not carrying his mark or a helmet which has been worn by another person and has not since been thoroughly disinfected.

(3) Each protective helmet when in use shall be supplied with clean and not unreasonably cold air at a rate of not less than six cubic feet per minute.

(4) Suitable gauntlets and overalls shall be provided for the use of all persons while performing blasting or assisting at blasting, and every such person shall while so engaged wear the gauntlet and overall provided.

6. Precautions in connection with cleaning and other work. –

(1) Where any person is engaged upon cleaning of any blasting apparatus or blasting enclosure or of any apparatus or ventilating plant connected therewith or the surroundings thereof or upon any other work in connection with any blasting apparatus or blasting enclosure or with any apparatus or ventilating plant connected therewith so that he is exposed to the risk of inhaling dust which has arisen from blasting. All practicable measures shall be taken to prevent such inhalation.

(2) In connection with any cleaning operation referred to in clause 5, and with the removal of dust from filtering or settling devices all practicable measures shall be taken to dispose of the dust in such a manner that it does not enter the air of any room. Vacuum cleaners shall be provided and used where practicable for such cleaning operations.

7. Storage accommodation for protective wear. – Adequate and suitable storage accommodation for the helmets, gauntlets and overalls required to be provided by clause 5 shall be provided outside and conveniently near to every blasting enclosure and such accommodation shall be kept clean. Helmets, gauntlets and overalls when not in a actual use shall be kept in this accommodation.

8. Maintenance and cleaning of protective wear. – All helmets, gauntlets, overalls and other protective devices or clothing's provided and worn for the purposes of this Schedule, shall be kept in good condition and so far as is reasonably practicable shall be cleaned on every week day in which they are used, Where dust arising from the cleaning of such protective clothing or devices is likely to be inhaled; all practicable measures shall be taken to prevent such inhalation. Vacuum cleaners shall wherever practicable, be used for removing dust from such clothing and compressed air shall not be used for removing dust from any clothing.

9. Maintenance of vacuum cleaning plant. – Vacuum cleaning plant used for the purpose of this Schedule shall be properly maintained.

10. Restrictions in employment of adolescents. –

(1) No person under 18 years of age shall be employed in blasting or assisting at blasting or in any blasting chamber or in the cleaning of any blasting apparatus or any blasting enclosure or any apparatus or ventilating plant connected therewith or be employed on maintenance or repair work at such apparatus, enclosure or plant.

(2) No person under 18 years of age shall be employed to work regularly within 8 meters of any blasting enclosure unless the enclosure is in a room and he is outside that room where he is effectively separated from any dust coming from the enclosure.

11. Power to exempt or relax. –

(1) If the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied that in any factory or any class of factory, the use of sand or other substance containing free silica as an abrasive in blasting in necessary for a particular manufacture or process(other than the process incidental or supplemental to making of metal castings) and that the manufacture or process cannot be carried on without the use of such abrasive or, that owing to the special conditions, or special method of work or otherwise any requirement of this schedule can be suspended either temporarily or permanently or can be related without endangering the health of the persons employed or that application of any of such requirements is for any reason impracticable or inappropriate, he may, with the previous sanction of the State Government, by an order in writing exempt the said factory or class of factory from such provisions of this Schedule, to such an extent and subject to such conditions and for such period as may be specified in the said order.

(2) Where an exemption has been granted under sub–clause (1), a copy of the order shall be displayed at a notice board at a prominent place at the main entrance or entrances to the factory and also at the place where the blasting is carried on.

12. Medical facilities and Examination –

(1) The occupier of every factory to which schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in the process of cleaning or smoothening, roughening, etc., of articles by a jet of sand, metal short, or grit, or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–21

(See rule 81)

Handling and Processing of Asbestos, Manufacture of any Article of Asbestos and any other Process of Manufacture or otherwise in which Asbestos is used in any Form

1. Application. – This schedule shall apply to all factories or parts of factories in which any of the following processes in carried on :–

(a) breaking, crushing, disintegrating, opening, grinding, mixing or seiving of asbestos and any other processes involving handling and manipulation of asbestos incidental thereto;

(b) all processes in the manufacture of asbestos textiles including preparatory and finishing processes;

(c) making of insulation slabs or sections, composed wholly or partly of asbestos, and processes incidental thereto;

(d) making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos, and processes incidental thereto;

(e) manufacture of asbestos cardboard and paper;

(f) manufacture of asbestos cement goods;

(g) application of asbestos by sprays methods;

(h) sawing, grinding, turning, abrading and polishing in dry state of articles composed wholly or partly of asbestos;

(i) cleaning of any room vessel, chamber, fixture of appliance for the collection of asbestos dust; and

(j) any other processes in which asbestos dust is given off into the work environment.

2. Definitions. – For the purpose of this schedule–

(a) *"asbestos"* means any fibrous silicate mineral and any admixture containing actionlite, amosite anthophylite, chrysolite crocidolite, tremolite or any mixture thereof, whether crude, crushed or opened;

(b) *"asbestos textiles"* means yarn or cloth composed of asbestos or asbestos mixed with any other material;

(c) *"approved"* means approved for the time being in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator;

(d) *"breathing apparatus"* means a helmet or face piece with necessary connection by means of which a person using it breathes air free from dust or any other approved apparatus;

(e) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation by mechanical means for the removal of dust so as to prevent dust from escaping into air of any place in which work is carried on, draught shall be deemed to be efficient which fails to control dust produced at the point where such dust originates.

(f) *"preparing"* means crushing, disintegrating, and any other processes in or incidental to the opening of asbestos;

(g) *"protective clothing"* means overalls and head covering, which (in either case) will when exclude asbestos dust.

3. Tools and Equipment. – Any tools or equipment used in processes to which this schedule applied shall be such that they do not create asbestos dust above the permissible limit or are equipped with efficient exhaust draught.

4. Exhaust draught. –

(1) An efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control dust from the following processes and machines :–

(a) manufacture and conveying machinery namely :–

(i) preparing grinding or dry mixing machines;

(ii) carding, card waste and ring spinning machines, and looms;

(iii) machines or other plant fed with asbestos; and

(iv) machines used for the sawing, grinding, turning, drilling, abrading or polishing; in the dry state of articles composed wholly or partly of asbestos;

(b) cleaning, and grinding of the cylinders or other parts of a carding machines;

(c) chambers, hoppers or other structures into which loose asbestos is delivered or passes;

(d) work–benches for asbestos waste sorting or for other manipulation of asbestos by hand;

(e) workplaces at which filling or emptying of sacks, skips or other portable containers, weighing or other process incidental thereto which is effected by hand, is carried on;

(f) sack cleaning machines;

(g) mixing and blending of asbestos by hand; and

(h) any other process in which dust is given off into the work environment.

(2) Exhaust ventilation equipment provided in accordance with sub–paragraph (1) shall, while any work of maintenance or repair to the machinery, apparatus or other plant or equipment in connection with which it is provided is being carried on, be kept in use so as to produce an exhaust draught which prevents the entry of asbestos dust into the air of any work place.

(3) Arrangements shall be made to prevent asbestos dust discharged from exhaust apparatus being drawn into the air of any workroom.

(4) The asbestos bearing dust removed from any workroom by the exhaust system shall be collected in suitable receptacles or filter bag as which shall be isolated from all work areas.

5. Testing and examination of ventilating systems. – (1) All ventilating systems used for the purpose of extracting or suppressing dust as required by this schedule shall be examined and inspected once in every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any defects found by such examinations or test shall be rectified forthwith.

(2) A register containing particulars of such examination and tests and the state of the plant and the repairs or alternations (if any) found to be necessary shall be kept and shall be available for inspection by an Inspector-cum-facilitator.

6. Segregation in case of certain process. – Mixing of blending by the hand of asbestos, or making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos shall not be carried on in any room in which any other work is done.

7. Storage and distribution of loose asbestos. – All loose asbestos shall while not in use, be kept in suitable closed receptacles which prevent the escape of asbestos dust there from such asbestos shall not be distributed within a factory except in such receptacles or in a totally enclosed system of conveyance.

8. Asbestos sacks. – (1) All sack used as receptacle for the purpose of transport of asbestos within the factory shall be constructed of impermeable materials and shall be kept in good repair.

(2) A sack which has contained asbestos shall not be cleaned by hand beating but by a machine, complying with paragraph 3.

9. Maintenance of floors and workplaces. –

(1) In every room in which any of the requirements of this schedule apply–

(a) the floors, work–benches, machinery and plant shall be kept in a clean state and free from asbestos debris and suitable arrangements shall be made for the storage of asbestos not immediately required for use; and

(b) the floors shall be kept free from any materials, plant or other articles not immediately required for the work carried on in the room, which would obstruct the proper cleaning of the floor.

(2) The cleaning as mentioned in sub–rule (1) shall so far as is practicable, as carried out by means of vacuum cleaning equipment so designed and constructed and soused that asbestos dust neither escape nor is discharged into the air of any workplace.

(3) When the clearing is done by any method other than that mentioned in sub–paragraph (2), the persons doing cleaning work and any other person employed in that room shall be provided with respiratory protective equipment and protective clothing.

(4) The vacuum cleaning equipment used in accordance with provisions of sub–paragraph (2) shall be properly maintained and after each cleaning operation, its surfaces kept in a clean state and free from asbestos waste and dust.

(5) Asbestos waste shall not be permitted to remain on the floors or other surfaces at the work place at the end of the working shift and shall be transferred without delay to suitable receptacles. Any spillage of asbestos waste occurring during the course of the work at any time shall be removed and transferred to the receptacles maintained for the purpose without delay.

10. Breathing apparatus and protective Clothing. –

(1) An approved breathing apparatus and protective clothing shall be provided and maintained in good conditions for use for every person employed–

(a) in chambers containing loose, asbestos;

(b) in cleaning, dust settling or filtering chambers or apparatus;

(c) in cleaning the cylinders, including the doffer cylinders, or other parts of a carding machine by means of hand–stickers; and

(d) in filling, beating or leveling in the manufacture or repair of insulating mattresses; and

(e) in any other operation of circumstances in which it is impracticable to adopt technical means to control asbestos dust in the work environment within the permissible limit.

(2) Suitable accommodation in conveniently accessible position shall be provided for the use of persons when putting on or taking off breathing apparatus and protective clothing provided in accordance with this rule and for the storage of such apparatus and clothing when not in use.

(3) All breathing apparatus and protective clothing when not in use shall be stored in the accommodation provided in accordance with sub–rule (2) above.

(4) All protective clothing in use shall be deducted under an efficient exhaust draught or by vacuum cleaning and shall be washed at suitable intervals. The cleaning schedule and procedure should be such as to ensure the efficiency in protecting the weaver.

(5) All breathing apparatus shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible person.

(6) A record of the cleaning and maintenance and of the condition of the breathing apparatus shall be maintained in a register provided for that purpose which shall be readily available for inspection by an Inspector.

(7) No person shall be employed to perform any work specified in sub–paragraph (1)for which breathing apparatus is necessary to be provided under that sub–paragraph unless he has been fully instructed in the proper use of that equipment.

(8) So breathing apparatus provided in persuance of sub– paragraph (1) which has been worn by a person shall be worn by another person unless it has been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

11. Separate accommodation for personal clothing. – A separate accommodation shall be provided in a conveniently accessible position for all persons employed in operations to which this schedule applied for storing of personal clothing.

This should be separated from the accommodation provided under sub–paragraph (2) to prevent contamination of personal clothing.

12. Washing and bathing facilities. –

(1) There shall be provided and maintained in a clean stage and in good repair for the use of all workers employed in the processes covered by the schedule, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 15 persons employed.

(2) The washing places shall have standpipes placed at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathroom.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so order by the Inspector-cum-facilitator.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. Mess–room. – (1) There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory covered by this schedule, remaining on the premises during the rest intervals, a suitable mess–room which shall be furnished with

(a) sufficient tables and benches with back rest; and

(b) adequate means for warming food.

(2) The mess–room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

14. Prohibition of employment of adolescents. – No adolescent shall be employed in any of the process covered by this schedule.

15. Prohibition relating to smoking. – No person shall smoke in any area where processes covered by this schedule are carried on. A notice in the language understood by majority of the workers shall be posted in the plant prohibiting smoking at such areas.

16. Cautionary Notices. – (1) Cautionary notices shall be displayed at the approaches and along the perimeter of every asbestos processing area to warn all persons regarding–

(a) hazards to health from asbestos dust;

(b) need to use appropriate protective equipment;

(c) prohibition of entry to unauthorised person, or authorised persons but without protective equipment.

(2) Such notices shall be in the language understood by the majority of the workers.

17. Air Monitoring. – To ensure the effectiveness of the control measures, monitoring of asbestos fiber in air shall be carried out once at least in every shift and the record of the results so obtained shall be entered in a register specially maintained for the purpose.

18. Medical facilities and examination.

(1) The occupier of every factory or part of the factory to which the schedule applies shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitate to.

(3) Every worker employed in the processes specified in paragraph 1 shall be examined by a Medical Officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include pulmonary function tests, tests for detecting asbestos fibres in sputum and chest X–ray. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Medical Officer.

(4) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with

alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

19. Exemptions. – If in respect of any factory the Chief Inspector is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify therein.

Schedule–22

(See rule 81)

Handing and manipulation of Corrosive substances

1. Definitions. – For the purpose of this Schedule–

(a) *"Corrosive operation"* means an operation of manufacturing, storing handing, processing, packing, or using any corrosive substance in a factory

(b) *"Corrosive substance"* includes sulphuric acid, nitric acid hydrochloric acid, hydrofluoric acid, carbolic acid, phosphoric acid, liquid chlorine, liquid bromine, ammonia, sodium hydroxide and potassium hydroxide and a mixture thereof and any other substance which the State Government by notification in the *Official Gazette* specify to be a corrosive substance.

2. Flooring. – The floor of every work–room of a factory in which corrosive operation is carried on shall be made of impervious, corrosion and fire resistant material and shall be so constructed as to prevent collection of any corrosive substance. The surface of such flooring shall be smooth and cleaned as to often as necessary and maintained in sound condition.

3. Protective equipment. – (a) The Occupier shall provide for the use of all persons employed in any corrosive operation suitable protective wear for hands and feet, suitable aprons, face shields, chemical safety goggles, and respirators. The equipments shall be maintained in good order and shall be kept in clean and hygienic condition by suitable treating to get rid of the ill effects of any absorbed chemicals and by disinfecting. The Occupier shall also provide suitable protective creams and other preparations wherever necessary.

(b) The protective equipment and preparations provided shall be used by the person employed in any corrosive operation.

4. Water facilities. – Where any corrosive operation is carried on, there shall be provided as the close to the place of such operation as possible, a source of clean water at a height of 2.1 meters. from a pipe of 1.25 cm. diameter and fitted with a quick acting valve so that in case of injury to the worker by any corrosive substance, the injured part can be thoroughly flooded with water, Wherever necessary, in order to ensure continuous water supply, a storage tank having a minimum length, breadth and height of 210 cm., 120 cm. and 60 cm. respectively or such dimensions as are approved by the Chief Inspector of Factories, shall be provided as the source of clean water.

5. Cautionary Notice. – A cautionary notice in the following form and printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be displayed prominently close to the place where any of the operations mentioned in paragraph 2 above is carried out and where it can be easily and conveniently read by the workers. If any worker is illiterate effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice so displayed.

Cautionary Notice

Danger

Corrosive substances cause severe burns and vapors thereof may be extremely, hazardous. In case of contact, immediately flood the part effected with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention quickly.

6. Transport. – (a) Corrosive substances shall not be filled moved, or carried except in containers and when they are to be transported, they shall be included in crates of sound construction and sufficient strength.

(b) A container with a capacity of (11.5 litres) (2½ gallons) or more of a corrosive substances shall be placed in a receptacles or crate and then carried by more than one person, at a height below the waist line unless a suitable rubber wheeled truck is used for the purpose.

(c) Containers for corrosive substances shall be plainly labeled.

7. Devices for handling Corrosives. – (a) Suitable tiling or lifting device shall be used for emptying jars, carboys and other containers of corrosives.

(b) Corrosive substance shall not be handled by hands but by means of a suitable scoop or other devices.

8. Opening valves. – Valves fitted to containers holding a corrosive substance shall be opened with great care. If they do not work freely, they shall not be forced open. They shall be opened by a worker suitably trained for the purpose.

9. Cleaning tanks, stills, etc. – (a) In cleaning out or removing residues from stills or other large chamber used for holding any corrosive substance, suitable implements, made of wood or other material shall be used to prevent production of arseniuretted hydrogen (Arsine).

(b) Whenever it is necessary for the purpose of cleaning or other maintenance work for any worker to enter chamber tank, vat, pit or other confined space where a corrosive substance had been stored, all possible precautions shall be taken to ensure the workers' safety.

(c) Wherever possible, before repairs are undertaken to any part of equipment in which a corrosive substance was handled, such equipment or part thereof shall befreed of any adhering corrosive substance by adopting suitable methods.

10. Storage. – (a) Corrosive substances shall not be stored in the same room with other chemicals, such as turpentine, carbides, metallic powders and combustible materials the accidental mixing with which may cause a reaction which is either violent or gives rise to toxic fumes and gases.

(b) Pumping or filling overhead tanks, receptacles, vats or other containers storing corrosive substances shall be so arranged that there is no possibility of any corrosive substance over flowing and causing injury to any person.

(c) Every container having capacity of twenty liters or more and every pipe line, valves and fitting used for storing or carrying corrosive substances shall be thoroughly examined every year for finding out any defects, and defects shall be removed forthwith. A register shall be maintained of every such examination made and shall be produced before the Inspector whenever required.

11. Fire extinguishers and firefighting equipment. – An adequate number of suitable type of fire extinguishers or other fire fighting equipment, depending on the nature of chemicals stored, shall be provided. Such extinguishers or other equipment shall be regularly tested and refilled. Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be affixed near each extinguisher or other equipment.

12. Medical Examination–(1) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person in unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

13. Exemption. – If in respect of any factory on an application made by the manager, the Chief Inspector-cum-facilitator, is satisfied that owing to the exceptional circumstances, or thein frequency of the process or for any other reason to be recorded by him in writing, all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed therein, he may by a certificate in writing, which he may at any time revoke, exempt the factory from such of the provisions and subject to such conditions as he may specify therein.

Schedule–23

(See rule 81)

Manipulation of stone or Any Other Material Containing Free Silica

The following Manufacturing Activity shall be considered as manipulation of Stone or other material containing free Silica :

1. Stone Crushers
2. Gem and jewellery
3. Slate Pencil Making
4. Agate Industry
5. Cement industry
6. Pottery
7. Glass Manufacturing
8. Coal fired thermal power plant

1. **Application–** This Schedule shall apply to all factories or parts of factories in which the above said manufacturing activity containing free silica is carried on.

2. **Definitions–** For the purpose of this schedule–

   (a) "Manipulation" means crushing, breaking, chipping, dressing, grinding, sieving, mixing, grading or handling of stone or any other material containing free silica or any other operation involving such stone of material;

   (b) "Stone or any other material containing free silica" means a stone or any other solid material containing not less than 5% by weight of free silica

3. **Preventative Control Measures**– No manipulation shall be carried out in a factory of part of a factory unless one or more of the following preventive control measures are adopted namely–

3(I) Engineering Control Measures

(1) Wet Methods:

(a) Airborne Silica Dust should be minimized or suppressed by applying water to the process or clean up;

(b) Water should be provided to drilling or sawing of concrete or masonry

(2) Ventilation:

(a) Local exhaust systems should be used to remove silica dust from industrial processes.

(b) Dilution/ventilation may be used to reduce free silica dust concentration to below the permissible limits in large areas.

(c) Dust collectors/ HEPA filter should be set up so that dust shall be removed from the source and all transfer points to prevent contaminating work areas.

(d) Ventilation systems should be kept in good working conditions.

(3) Isolation:

(a) Containment methods should be used while carrying out sand blasting.

(b) Cabins of vehicles or machinery cutting & drilling that night contain free silica should be enclosed and sealed.

(4) Dust Control:

(a) Vacuum System with High Efficiency Particle Air (HEPA) filter shall be used to remove dust from work areas and at all transfer points.

(b) The belt conveyors transferring crushed material shall be totally enclosed throughout its length.

Provided the such control measures as above said are not necessary if the process or operation itself is such that the level of dust created and prevailing does not exceed the permissible limit of Exposure specified in the Second Schedule of the Act.

(c) The display of notice shall be in the local language and also in the language understood by the majority of the workers.

(5) Personal Protective Equipment – The occupier of the every factory to which this schedule apply shall provide the following PPEs as per relevant BIS Standards and as applicable to a given work place.

(a) Dust respirator.

(b) HEPA filter respirator or fume respirator.

(c) HEPA filter respirator with full face piece.

(d) Self contained breathing apparatus (SCBA)

(e) Supplied air respirator with a full face piece, helmet of hood.

(f) SCBA with full face piece.

(g) Powered air purifying respirator with a HEPA filter.

(6) Prohibition relating young person's – No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations involving manipulation or at any place where such operations are carried out.

(7) (1) Exemptions – If in respect of any factory, the Chief Inspector is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this Schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may in his discretion revoke at any time, exempt such factory from all any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein .

(2) The notification of Silicosis and free silica related occupational diseases b medical Practitioner/Medical Officer shall be liable to be prosecuted under Sec. 89(4) of the Factory Act, 1948. The Fine so collected shall be deposited in the Silicosis relief fund.

3 (II) Medical Control Measures

(1) The occupier of every factory in which a worker employed in the processes specified in Sub Rule I, shall ensure that every worker employed be examined by a Medical Inspector of Factories/Medical Officer within 15 days of his first employment. Such medical examination shall include pulmonary function test and chest X Ray–posterior Anterior (PA) view to be compared with standard ILO Radiographs on Pneumoconiosis. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Medical Officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re–examined by a Medical Officer at least once in every twelve months. Such re–examination, wherever the Medical Officer considers appropriate, include all the test as specified in sub–paragraph (I) except chest X–Ray shall be read by a radiologist specified/trained in the field of reading ILO Radiographs on Pneumoconiosis and which will atleast once in 3 years.

(3) Every worker employed in any of the aforesaid processes on the date on which the schedule comes into force shall be radiological examined by the qualified Radiologist at the cost of the occupier using a standard sixe X–Ray plates and the power X–Ray machines shall be more than 300 milli ampere (mA). The report of such X–Ray shall be submitted to the Medical Inspector

of Factories/Medical Officer/Chief Inspector for within three months of the said date.

(4) If at any time the Medical Inspector of Factories/Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker he shall make a record of his findings in the said Certificate and the health register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person unfit for work in the said processes. The person so suspended from the shall be provided with alternate placement facilities unless he fully is incapacitated in the opinion of the Medical Officer, in which case the person affected shall be suitable rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub paragraph (4) above shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer, after further examination, again certificates him fit for employment in those processes.

(6) If a worker already in employment and declared unfit by the Medical Inspector of Factories/Medical Officer shall not be allowed to work on any of the processes specified in sub rule 1, unless he has been examined again along with standard size chest X–Ray plate from a qualified Radiologist, at the cost of the occupier and has been certified to be fit to work on the said processes again.

(7) For the purpose of medical supervision by the medical practitioner/Medical Officer so appointed by the occupier shall be provided for his exclusive use a room in the factory premises which shall be properly cleaned, adequately, lighted, ventilated and furnished with the screen, a table with office stationary, chairs and other facilities and other equipments as may be prescribed by the Chief Inspector-cum-Facilitator for time to time. The medical practitioner so appointed shall perform he following duties–

a. Maintain health register;

b. Undertake medical supervision of person employed in the factory;

c. Look after health, education and rehabilitation of sick, injured of affected workers;

d. Carry out inspection of work rooms where dangerous operation are carried out and advise the management of the measure to be adopted for the protection of health of the workers employed therein.

(8) The Health Records of the workers exposed to Silicosis shall be kept up to a minimum period of 40 years from the beginning of the employment or 15 years after retirement or cessation of the employment, whichever is later and shall be accessible to workers concerned of their representatives.

(9) The record of medical examinations and appropriate test carried out by the said medical practitioner certificate of fitness and health shall be maintained in separate register approved by the Chief Inspector of Factories, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector and produce on demand.

3 (III) Administrative Control Measures

(1) Work place/Environment Monitoring : the occupier to ensure work place/environment monitoring to be performed to determinate magnitude of exposure/concentration to evaluate engineering controls, selecting respiratory protection, work practices and the need for medical surveillance.

a. Exposure/concentration measurement should be made in the employee's actual breathing zone.

b. Total sampling time shall be at least 7 hours.

c. Work place/Environment Monitoring shall be repeated quarterly.

d. The report of dust sampling by occupier shall be made available to the public.

(2) Training/Awareness : Workers shall be trained in the following :–

a. Health effects of free silica dust exposure

b. Operations and material that produce free silica dust hazards.

c. Engineering controls and work practice controls that reduce dust concentrations.

d. The importance of good house keeping and cleanliness.

e. Proper use of personal protective equipment such as respirators etc.

f. Personal hygiene practices to reduce exposure

(3) House Keeping : Maintenance of floors –

a. All floors or places where fine dust is likely to settle on and whereon any person has to work or pass shall be of impervious material and maintained in such condition that they can be thoroughly cleaned by a

moist method or any other method which would prevent dust being airborne in the process of cleaning once at least during each shift.

b. For this purpose Dry sweeping or compressed air shall be used for clean up of dust or wet methods or vacuum system with a HEPA filter shall be used.

c. Dust on over head ledges and equipment should be removed before it becomes air borne due to vibration, traffic and random air current.

(4) Change room and washing facilities

a. Washing and bathing faculties shall be conveniently located at a place easily accessible to the workers.

b. Cloak room with individual lockers shall be provided for employees to store uncontaminated clothing.

c. Workers shall take bath and change the work clothes before they leave the work site.

d. Work clothes shall not be closed cleaned be blowing or shaking.

e. Eating/lunch areas shall be located away from exposed areas.

(5) Display of Notices :

a. Warning signs/Posters shall be displayed conspicuously in a prominent place.

b. The warning signs/Posters shall contain the Hazards precautions.

c. The display of nice shall be in the local language and also in the language understood by the majority of the workers.

(6) Personal Protective Equipment – The occupier of the every factory to which this schedule apply shall provide the following PPEs as per relevant BIS Standards and as applicable to a given work place.

(a) Dust respirator.

(b) HEPA filter respirator of fume respirator.

(c) HEPA filter respirator with full facepiece.

(d) Self contained breathing apparatus (SCBA)

(e) Supplied air respirator with a full face piece, helment or hood

(f) SCBA with full face piece.

(g) Powered air purifying respirator with a HEPA filter.

(7) Prohibition relating to adolescent – No adolescent shall be employed or permitted to work in any of the operations involving manipulation of stone or any other material containing free silica.

(8) Exemptions– If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator may by a certificate in writing, which he may in his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify therein.

Schedule–24

(See rule 81)

Solvent extraction Plants: Process of Extracting Oils and Fats from vegetable and animal sources in Solvent Extraction Plants

1. Definitions. – In this schedule unless the context otherwise requires :–

(a) *"Solvent Extraction Plant"* means a plant in which the process of extracting oils and fats from vegetable and animal sources by use of solvents is carried on.

(b) *"Solvent"* means an inflammable liquid such as pentane hexane and heptanes used for the extraction of vegetable oils.

(c) *"Flame roof"* enclosure as applied to electrical machinery or apparatus means an enclosure that will withstand, when covers or other access doors are properly secured, an internal explosion of the flammable gas or vapour which may enter, or which maybe originally inside the enclosure without suffering damage and without communicating internal inflammation for explosion to the external flammable gas or vapour.

(d) *"Competent Person"* for the purpose of this schedule shall be at least Member of the Institution of Engineers (India) or an Associate Member of the said instruction with10 years experience in a responsible position as may be approved; by the Chief Inspector-cum-facilitator:

Provided that a graduate in Mechanical Engineering or Chemical Technology with specialized knowledge of oils and fats and with a minimum experience of 5 years in a solvent extraction plant shall also be considered to be competent person :

Provided further that the Chief Inspector may accept any other person having suitable qualification and experience as a competent person for purposes of this Schedule.

2. Location and Lay–out. –

(a) No solvent extraction plant shall be constructed or extended to within a distance of 30 meters from the nearest residential locality.

(b) A 1.5 meter high continuing fencing shall be provided around the solvent extraction plant up to minimum distance of 15 meters from the plant.

(c) No person shall be allowed to carry any matches or an open flame or fire inside the area bound by the fencing.

(d) Boiler house and other building where open flame process are carried on shall be located at least 30 meters away from the solvent extraction plant.

(e) If godowns and preparatory processes are at less than 30 meters distance from the solvent extraction plant, there shall be atleast 15 meters distance from the plant, and a continuous barrier wall of non–combustible material 1.5 meters high from the solvent extraction plant so that it extends to at least 30 meters of vapour travel around its ends from the Plant to the possible sources of ignition.

3. Electrical Installation. –

(a) All electrical motors and wiring and other electrical equipment installed or housed in Solvent Extraction Plant shall be of flame proof construction.

(b) All metal parts of the plant and building including various tanks and containers where solvents are stored or are present and all parts of electrical equipment not required to be energised shall be properly bounded together and connected to the earth so as to avoid accidental rise on the electrical potential of such part above the earth potential.

4. Restriction on Smoking. – Smoking shall be strictly prohibited within 15 meters distance from Solvent Extraction Plant. For this purpose 'No Smoking' signs shall be permanently displayed in the areas.

5. Precaution against friction. –

(a) All tolls and equipments including ladders, chains, and other lifting tackle required to be used in Solvent Extraction Plant shall be of non sparking type.

(b) No machinery or equipment in Solvent Extraction Plant shall be belt driven unless the belt is made of conductive material.

(c) No person shall be allowed to enter in the Solvent Extraction Plant if wearing clothes made of Nylon or such other Fiber that can generate static electrical charge, or wearing foot wear which is likely to cause sparks by friction.

6. Fire–fighting apparatus. –

(a) Adequate number of portable fire extinguisher suitable for use against flammable liquid fire shall be provided in the Solvent Extraction Plant.

(b) An automatic water sprinkler system overhead deluge system with sufficient supply of storage water shall be provided over Solvent Extraction Plant and throughout the building housing such plant.

7. Precaution against power failure. –

(a) Provision shall be made for the automatic cutting off of steam in the event of power failure and also.

(b) For emergency over head water supply for feeding water by gravity to condensers which shall come into play automatically with the power failure.

8. Magnetic Separators. – The material under extraction shall be fed to the extractor by a conveyer through a hopper and a magnetic separator shall be provided to remove any piece of iron during its transfer.

9. Venting. – (a) Tanks containing solvents shall be protected with emergency venting to relieve excessive internal pressure in the event of fire.

(b) All emergency relief vents shall be terminated at least 6 meters above the ground and be so located that vapours will not re–enter the building in which solvent extraction plant is located.

10. Waste water. – Process waste water shall be passed through a flash evaporator to remove any solvent before it is discharged into a sump which should be located within the fenced area, but not closer than 8 m. to the fence.

11. Ventilation. – The Solvent Extraction Plant shall be well ventilated and if the Plant is housed in a building the building shall be provided with mechanical ventilation with provision for at least six air changes per hour.

12. Housekeeping. – (a) Solvent shall be stored in an area covered by Solvent Extraction Plant except in small quantity which shall be stored in approved safety cans.

(b) Waste materials such as oily–rage, other waste and absorbents used to wipe off solvent and paints and oils shall be deposited in approved containers and removed from the premises at least once a day.

(c) Space within the Solvent Extraction Plant and within 15 meters from the Plant shall be kept free from any combustible materials and any spills of oil or solvent, shall be cleared up immediately.

13. Examination and Repairs. – (a) The Solvent Extraction Plant shall be examined by the competent person to determine any weakness or corrosion and wear, once in every 12 months. Report of such examinations shall be supplied to

the Inspector with his observations as to whether or not the Plant is in safe condition to work.

(b) No repairs shall be carried out to the Machinery or Plant except under the direct supervision of the competent person.

(c) Facility shall be provided for purging the plant with inert gas or steam before opening for cleaning or repairs and before introducing solvent after repairs.

14. Operating personnel. – The operation of the plant and machinery in the Solvent Extraction Plant shall be in the charge of such duty qualified and trained persons as are certified by the competent persons to be fit for the purpose and no other person shall be allowed to operate the plant Machinery.

15. Employment of woman and adolescents. – No woman or adolescents shall be employed in the solvent extraction plant.

16. Vapour Detection. – A suitable type of the flame proof and portable combustible gas indicator shall be provided and maintained in good working order and a schedule of routine sampling of atmosphere at various locations as approved by the Chief Inspector-cum-facilitator shall be drawn out and entered in a register maintained for the purpose.

17. Log Book. – A log book of plant operation shall be maintained in a proforma approved by the Inspector-cum-facilitator,

18. Medical Examination–

(1) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the

medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–25

(See rule 81)

Carbon Disulphide Plants

1. **Application.** – This Schedule shall apply to all electric furnaces in which carbon–disulphide is generated and all other Plants where carbon disulphide after generation is condensed, refined and stored. These Rules are in addition to and not in derogation of any of the provisions of the Act and Rules made thereunder.

2. **Construction, Installation and Operations.** –

(a) The buildings in which electric furnaces are installed and carbon disulphide after generation is condensed and refined shall be segregated from other parts of the factory and shall be open type to ensure optimum ventilation and the plant layout shall be such that only a minimum number of workers are exposed to the risk of any fire or explosion at any one time:

(b) Every electric furnace and every Plant in which carbon disulphide is condensed, refined and stored with all their fittings and attachments shall be of good construction ,sound material and of adequate strength maintained in good order to sustain the internal pressure to which the furnace or the plant may be subjected and shall be so designed that carbon disulphide liquid and gas are in closed system during their normal working.

(c) The Electric furnace supports shall be firmly grounded about 60 centemeter in concrete or by other effective means.

(d) Every electric furnace shall be installed and operated according to manufacturer's instructions and these instructions shall be clearly imparted to the personnel incharge of construction and operation.

(e) The instructions regarding observations of correct furnace temperature sulphur doze, admissible current/power consumption and periodical checking of charcoal level shall be strictly complied with. These instructions shall be exhibited at conspicuous place near the furnace.

3. **Electrodes.** – (a) Where upper ring electrode(s) or straight electrodes made of steel are used in the electric furnace, they shall be of steamless tube constructed and shall have arrangement for being connected to cooling water system through a siphon–built in the electrodes or through positive pressure water pump.

(b) The arrangement for cooling water referred to in clause (a) shall be connected with automatic alarm system which will actuated in the event of interruption of cooling water in the electrodes and given visible and audible alarm signals in the control room and simultaneously stop power supply for the furnace operation and to stop the further supply of water. The alarm system and the actuating device shall be checked every day.

4. Rapture Discs and Safety Seal. – (a) At least two rapture discs of adequate size which shall blow off at a pressure twice the maximum operating pressure shall be provided on each furnace and shall either be mounted directly on the top of the furnace or each through an independent pipe as close as possible to the furnace.

(b) A safety water shall be provided and tapped from a point between the charcoal separator and the sulphur separator.

5. Pyrometer and Manometers. – (a) Each electric furnace shall be fitted with adequate number of pyrometers to give an indication of the temperature as correctly as reasonably practicable at various points in the furnace. The dials for reading the temperature shall be located in this control room.

(b) Manometers or any other suitable devices shall be provided for indicating pressure :–

(i) In the off take pipe before and after the sulphur separator; and

(ii) In primary and secondary condensers.

6. Check Valves. – All piping carrying carbon disulphide shall be fitted with check valves at suitable position so as to prevent gas from flowing back into any electric furnace in the event it is shut down.

7. Inspection and Maintenance of Electric Furnace

(a) Every electric furnace shall be inspected internally by a competent person:–

(i) Before being placed in service after installation:

(ii) Before being placed in service after reconstruction or repairs; and

(iii) Periodically every time the furnace is opened for cleaning and de–ashing or for replacing electrodes.

(b) When an electric furnace shut down for cleaning and deashing :–

(i) The brick lining shall be checked for continuity and any part found defective be removed.

(ii) After removal of any part of the lining referred to in (a) the condition of the shell be closely inspected; and

(iii) Any plates forming shell found corroded to the extent that safety of the furnace is endangered shall be replaced.

8. Maintenance of Records. – The following hourly records shall be maintained in a log book :

(i) Manometer reading at the points specified in (5) (b) (i) and (ii).

(ii) Gas temperature indicated by pyrometers and all other vital points near the sulphur separator and primary and second condensers.

(iii) Water temperature and flow of water through the siphon in the electrodes.

(iv) Primary and secondary voltages and energy consumed.

9. Electrical Apparatus–Wiring and Fittings. – All buildings in which carbon disulphide is refined or stored shall be provided with electrical apparatus, wiring and fittings which shall afford adequate protection from fire and explosion.

10. Prohibition relating to Smoking. – No person shall smoke or carry matches fire or naked light of other means of producing a naked light or spark in buildings in which carbon disulphide is refined or stored and a notice in the language understood by a majority of the workers shall be pasted in the Plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or spark into such rooms.

11. Means of Escape. – Adequate means of escape shall be provided and maintained to enable persons to move to a safe place as quickly as possible in case of an emergency. At least two independent staircases of not less than 110 cm. in width and making an angle of not more than 45 from the horizontal shall be provided in every building housing the furnaces at reasonable intervals at opposite ends. These shall always be kept clear of all obstructions and so designed as to afford easy passage.

12. Warning in case of fire. – There shall be adequate arrangements for giving warnings in case of fire or explosion which shall operate on electricity and in case of failure of electricity by some mechanical means.

13. Fire fighting equipments. – (a) Adequate number of suitable fire extinguishers or other fire fighting equipment shall be kept in constant readiness for dealing with risks involved and depending on the amount and nature of material stored.

(b) Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used printed in the language which the majority of the workers employed understand shall be affixed to each extinguisher or other equipments.

(c) Adequate number of persons shall be trained in the use of fire fighting equipments.

14. Bulk Sulphur. – (a) Open or semi–enclosed spaces for storage of bulk sulphur shall be sited with due regard to the dangers which may arise from sparks given by locomotives etc. and precautions shall be taken to see that flames, smoking and matches, and other sources of ignition do not come in contact with the clouds of dust arising during handing of bulk sulphur.

(b) All enclosures for bulk sulphur shall be of non–combustible construction, adequately ventilated and so designed as to provide a minimum of ledges on which dust may lodge.

(c) The bulk sulphur in the enclosure shall be handled in such manner as to minimize the formation of dust clouds and no flame, smoking and matches or other sources of ignition shall be allowed and non–sparking tools shall be used whenever sulphur is shoveled.

(d) No repairs involving flames, heat or use of hand or power tools shall be made in the enclosure were bulk sulphur is stored.

15. Liquid Sulphur. – Open flames, electric sparks and other sources of ignition including smoking and matches, shall be excluded from the vicinity of molten sulphur.

16. Training and Supervision. – (a) All electric furnaces and all Plants in which carbon disulphide is condensed, refined or stored shall be under adequate supervision at all times while the furnaces and plants are in operation.

(b) Workers incharge of operation and maintenance of electric furnaces and the plants shall be properly qualified and adequately trained.

17. Washing facilities. – The occupier shall provide and maintain in a clean state and in good repair for the use of all persons employed wash place under cover with atleast one tap or standpipe having a constant supply of clean water for every five such person, the taps or stand–pipes being space not less 120 cm. apart with sufficient supply of soap and clean towels. All the workers employed

in the sulphur storage, handling and melting operations shall be provided with nail brush.

18. Personal Protective Equipment. –

(a) Suitable goggled and protective clothing consisting of overalls without pockets, gloves and foot wear shall be provided for the use of operators :–

(i) When operating valves or cooks controlling fluids etc.

(ii) Drawing off of molten sulphur from pots; and

(iii) Handling charcoal or sulphur.

(b) Suitable respiratory protective equipment shall be provided and stored in the appropriate place for use during abnormal conditions or in an emergency.

(c) Arrangements shall be made for the proper and efficient cleaning of all such protective equipment.

19. Cloak–Rooms. – There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in the process a suitable cloak–room for clothing put off during work hours and a suitable place separate from the cloak–room of that storage of overalls or working clothes. The accommodation so provided shall be placed in the charge of responsible person and shall be kept clean.

20. Unauthorised Persons. –Only maintenance and repair personnel, person directly connected with plant operating and those accompanied by authorised person shall be admitted into the plant.

21. Medical Examination–

(1) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–26

(See rule 81)

Manufacture manipulation of "Manganese" and its compound

1. Definitions. – For the purpose of this schedule–

(a) *"Manganese Process"* means processing manufacture of manipulation of

manganese or any compound of manganese or any area of any mixture containing manganese.

(b) *"First employment"* means first employment in any manganese process and includes also re–employment in any manganese process following any cessation of employment for a continuous period exceeding 3 calendar months.

(c) *"Manipulation"* means mixing, blending, filling, emptying, grinding, sewing, drying, packing, sweeping or otherwise handling of manganese of a compound of manganese, or an ore of mixture containing manganese.

(d) *"Efficient Exhaust Ventilation"* means localized ventilation effected by mechanical means for the removal of dust or fume or mist at its source of origin so as to prevent it from escaping into the atmosphere of any place where any work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove the dust or mist at the point where it is generated and fails to prevent it from escaping into and spreading into the atmosphere of a work place.

2. Application. – This Schedule shall apply to every factory in which or in any part of which any manganese process is carried on.

3. Exemption. – If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied that owing to any exceptional circumstances, or infrequency of the process or for any other reason application of all or any of the provisions of this schedule is not necessary for the protection of the persons employed in such factory he may, by an order in writing which he may at his discretion revoke, exempt such factory from all or any of the provisions of such conductions and for such period as he may specify in the said order.

4. Isolation of process. – Every manganese process which may give rise to dust, vapour or mist containing manganese, shall be carried on in a totally enclosed system or otherwise effectively isolated from other processes so that other plants

and process and other parts of the factory and persons employed on other work of process may not be affected by the same.

5. Ventilation of process. – No process in which any dust, vapour or mist containing manganese is generated, shall be carried but except under an efficient exhaust ventilation which shall be applied as near to the point of generation as practicable.

6. Medical Examination–

(1) The occupier of every factory to which this Schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a separate register which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in any manganese processes shall be medically examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of a serum calcium, serum phosphate and manganese in blood and urine and also include steadiness tests other neuromuscular coordination tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified for such employment by the medical officer

(4) Every worker employed in the processes of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6)

shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector–cum–facilitator

7. Personal Protective Equipment. – (1) The Occupier and Manager of the Factory shall provide and maintain in good and clean condition suitable overalls and head coverings for all persons employed in any manganese process and such overalls and head coverings shall be worn by the persons while working on a manganese process.

(2) The occupier and Manager of the factory shall provide suitable respiratory protective equipment for use by workers in emergency to prevent inhalation of dust fumes. Sufficient number of complete sets of such equipment shall always be kept near the work place and the same shall be properly maintained and kept always in a condition to be used readily.

(3) The Occupier and Manager shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable accommodation for the storage and make adequate arrangements for cleaning and maintenance of personal protective equipment.

8. Prohibition relating to adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any manganese process.

9. Food, drinks prohibited in the work–rooms. – No food, drink, pan and supari or tobacco shall be allowed to be brought into or consumed by any worker in anywork–room in which any manganese process carried on.

10. Mess Room. – There shall be provided and maintained for the use of the persons employed in a manganese process a suitable mess room which shall be furnished with sufficient tables and benches and adequate means for warming of food. The mess room shall be placed under the charge of a responsible person and shall bekept clean.

11. Washing Facilities. – There shall be provided and maintained in a clean state and in good condition, for the use of persons employed in manganese process a wash place under cover, with either :–

(1) A trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug. The trough shall be of sufficient length to allow at least to 60 centimeters for every ten such persons employed at any one time, and having

a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 centimeters; or atleast one wash basin for every five such persons at any one time, fitted with a wasted pipe and plug and having a constant supply of water; and

(2) Sufficient supply of soap or other suitable cleaning material and nail brushes and clean towels.

12. Cloak Room. – If the Chief Inspector so requires there shall be provided and maintained for the use of persons employed in manganese process a cloak–room for clothing put off during working hours with adequate arrangement for drying the clothing.

13. Cautionary Play card and instructions. – Cautionary notice in the following form and printed in the language of the majority of the workers employed shall be affixed in prominent places in the factory where they can be easily and conveniently read by the workers and arrangement shall be made by the manager or occupier to instruct periodically all workers employed in a manganese process regarding the health hazards connected with their duties and the best preventive measure and methods and to protect themselves. The notice shall always be maintained in a legible conditions.

Cautionary Notice

Manganese and Manganese compound

1. Dust fumes and mists of Manganese and compounds are toxic when in haled or when injected.
2. Do not consume food or drink near the work place.
3. Take a good wash before taking meals.
4. Keep the working area clean.
5. Use the protective clothing and equipments provided.
6. When required to work in situations where dust, fumes or mists are likely to be inhaled, use respiratory protective equipment provided for the purpose.
7. If you get severe headaches, prolonged sleeplessness or abnormal sensations on the body, report to the Manager who would make arrangements for your examination and treatment.

Schedule–27

(See rule 81)

This Schedule shall apply to factories in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used.

1. Definitions. – For the purposes of this Schedule–

(a) *"Substance containing benzene"* means substance wherein benzene content exceeds one percent by volume;

(b) *"Substitute"* means a Chemical which is harmless or less harmful than benzene and can be used in place of benzene;

(c) *"enclosed system"* means a system which will not allow escape of benzene vapours to the working atmosphere;

(d) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation effected by mechanical means for the removal of gases, vapours and dusts or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any work–room and no draught shall be deemed to be efficient if it fails to remove smoke/generated at the point where such gases, vapours, fumes or dust originates.

2. Prohibition and substitution. –

(a) use of Benzene and substances containing Benzene is prohibited in the following processes :–

(i) Manufacture of Varnishes, paints and thinners; and

(ii) Cleaning and degreasing operations.

(b) Benzene or substances containing benzene shall not be used as a solvent or diluent unless the process in which it is used is carried on in an enclosed system or unless the process is carried on in a manner which is considered equally safe as if it were carried out in an enclosed system.

(c) Where suitable substitutes are available, they shall be used instead of benzene or substances containing benzene. This provision, however, shall not apply to the processes specified in Appendix A.

(d) The Chief Inspector-cum-facilitator may, subject to confirmation by the State Government, permit, exemptions from the percentage laid down in clause 2(a) and also from the provisions of sub–clause (b) temporarily under

conditions and within limits of time to be determined after consultation with the employers and workers concerned.

3. Protection against inhalation. –

(a) The process involving the use of benzene or substances containing benzene shall, as far as practicable be carried out in an enclosed system.

(b) Where, it is not practicable to carry out the process in an enclosed system, the workroom in which benzene or substances containing the benzene are used shall be equipped with an efficient exhaust draught or other means for the removal of benzene vapours to prevent their escape into the air of the workroom so that the concentration of benzene in the air does not exceed 25 parts per million by volume or 80 mg/m.

(c) Air analysis of or the measurement of concentration of benzene vapours in air shall be carried out every 8 hours or at such intervals as may be directed by the Chief Inspector-cum-facilitator at places where process involving use of benzene is carried on and the result of such analysis shall be recorded in a register specially maintained for this purpose. If the concentration of benzene vapours in air and measured by air analysis, exceeds 25 parts per million by volume or 80 mg./m. the Manager shall forthwith report the concentration to the Chief Inspector stating the reasons for such increase.

(d) Workers who for special reasons are likely to be exposed to concentration of benzene in the air of the work–room exceeding the maximum referred to in clause (b)shall be provided with suitable respirators of face mask. The duration of such exposure shall be limited as far as possible.

4. Measures against skin contact. –

(a) Workers who are likely to come in contact with liquid benzene or liquid substances containing benzene shall be provided with suitable gloves, aprons, boots where necessary vapour tight chemical goggles, made of material not affected by benzene or its vapours.

(b) The protective were referred to in sub–clause (a) shall be maintained in good conditions and inspected regularly.

5. Prohibition relating to employment of adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any work–room involving exposure to benzene or substances containing benzene.

6. Labelling. – Every container holding benzene or substances containing benzene shall have the word "Benzene" and approved danger symbols clearly visible on

it and shall also display information on benzene content, warning about toxicity and warning about inflammability of the chemical.

7. Improper use of benzene. –

(a) The use of benzene or substance containing benzene by workers for cleaning their hands or their work clothing shall be prohibited.

(b) Workers shall be instructed on the possible dangers arising from such misuse, and written acknowledgment from every workers who having regard to nature of his work likely to come in contact with liquid benzene or liquid substances containing benzene, shall be obtained that he has fully understood the import of the instructions.

8. Prohibition of consuming food, etc., in workrooms. – No workers shall be allowed to store or consume food or drink in the workroom in which benzene or substance containing benzene are manufactured, handled or used. Smoking and chewing tobacco or pan betel nut shall be prohibited in such workrooms.

9. Instructions as regards risks. – Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties of benzene or substances containing benzene which he has to handle and of the dangers involved. Workers shall also be instructed on the measures to be taken to deal with in an emergency.

10. Cautionary notices. – Cautionary notices in the form specified in Appendix B and presented in the language easily read and understood by the majority of the workers shall be displayed in prominent places in the work–rooms where benzene or substance containing benzene are manufactured, handled or used.

11. Washing facilities, cloak room and mess room. – In factories in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used, the occupier shall provide and maintain in clean state and in good repair–

(a) Washing facilities under cover of the standard of at least one tap for every 10 persons having supply of water with soap and a clean towel provided individually to each worker.

(b) A cloak room with lockers for each worker, having two compartments one for street clothing and one for work clothing.

(c) A mess room furnished with tables and benches with arrangement for warming food provided that where a canteen or other proper arrangements exist for the workers to take their meals, the requirements of mess room shall be dispensed with.

12. Medical facilities and Examination–

(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in processes mentioned in paragraph 1, shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of phenol in urine and determination of urinary sulphideration and CNS and hematological tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(4) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Appendix A

[Clause 3 (b)]

(1) Production benzene.

(2) Process where benzene is used for chemical synthesis.

(3) Motor spirits (used as fuel).

Appendix B

(Clause 11)

(a) The hazards–

(i) Benzene and substances containing benzene are harmful.

(ii) Prolonged of repeated breathing of benzene vapours may result in acute or chronic poisoning.

(iii) Benzene can also be absorbed through skin which may cause skin and other diseases.

(b) The preventive measures to be taken–

(i) Avoid breathing of benzene vapours.

(ii) Avoid prolonged or repeated contact of benzene with skin.

(iii) Remove benzene soaked or wet clothing promptly.

(iv) If any time you are exposed to high concentration of benzene vapours and exhibit the sign and symptoms such as dizziness, difficulty in breathing over excitement of consciousness, immediately inform your Factory Manager.

(v) Keep all the containers of benzene closed.

(vi) Handle, use and process benzene and substances containing benzene carefully in order to prevent their spillage on floor.

(vii) Maintain good housekeeping.

(c) The protective equipment to be used–

(i) Use respiratory protective equipment in a place where benzene vapours are present in high concentration.

(ii) In emergency, use self generating oxygen mask or oxygen or air cylinder masks.

(iii) Wear hand gloves, aprons, goggles and gum boots to avoid contact of benzene with your skin and body parts.

(d) The first–aid measures to be taken in case of acute benzene poisoning–

(i) Remove the clothing immediately if it is wet with benzene.

(ii) If liquid benzene enters eyes, flush roughly for at least 15 minutes with clean running water and immediately secure medical attention.

(iii) In case of unusual exposure to benzene vapour call a physician immediately. Until he arrives do the following :–

If the exposed person is conscious

(A) Move him to fresh air in open.

(B) Lie him down without a pillow and keep him quiet and warm.

If the exposed person is unconscious

(A) Lie him down preferably on the left side with the head low.

(B) Remove any false teeth, chewing gum, tobacco or other foreign objects which may be in his mouth.

(C) Provide him artificial respiration in case difficulty is being experienced in breathing.

(D) In case of hollow breathing or cyanosis (blueness of skin, lips, ears, finger nail–beds), he should be provided with medical oxygen or oxygen carbon di oxide mixture. If needed he should be given artificial respiration. Oxygen should be administered by a trained person only.

Schedule–28

(See rule 81)

Manufacture of Slate Pencil

1. Definitions. – For the purposes of this Schedule–

(a) Manufacture of slate pencils means cutting of stone with the aid of circular saw or any other means for the manufacture of slate pencils and includes incidental processes, such as, handling and slicing of stone separating the pencils at the grooves cut by saws and incidental processes, such as, counting, packing, pointing and sorting of pencils.

(b) *"Efficient exhaust draught"* means localised ventilations by mechanical means for the removal of dust so as to prevent the dust from escaping into the air of any place in which work in carried on and no draught shall be deemed to be efficient which fails to remove . the dust produced at the point where such dust originates.

2. (a) No process of cutting the stones or making a groove in the stone with the help of saw shall be carried out unless the cutting or grooving equipment is fitted with such an efficient exhaust draught, which exhausts the dust from the place where the dust or ignites and carries it away from the place of work.

(b) Where the exhaust fan and the cutting or grooving equipment are driven by separate motors, these motors shall be electrically so interlocked that unless the motor of the exhaust fan is working, it shall not be possible to start the motor used for driving the cutting or grooving equipment.

3. (a) No adolescent shall be required or allowed to work in the machines used for cutting the stones or making grooves on the stones.

(b) The work such as packing, repacking, pointing or sorting of pencil, breaking open the grooves or similar other operations, shall not be carried out in the same shed in which the operations or cutting of stone or making grooves on them are carried out.

4. (a) No worker shall be employed on the manufacture of slate pencils, unless he has been medically and radiologically examined by a medical officer, and declared fit for such employment by grant of certificate of fitness in **Form-XXV**.

(b) Every workers employed on the manufacture of slate pencil on the date on which this Schedule comes in force shall be medically and radiologically examined by a medical officer within 3 months of the said date.

(c) Every worker employed on the manufacture of slate pencil manufacturing shall be medically examined by a medical officer at a interval of not more than six months after the first examination conducted under the said sub–clauses (a) and (b) and shall be radiologically examined at an interval as may be directed by the medical officer.

(d) Worker already in employment and declared unfit by a medical officer shall not be allowed to work on the manufacture of slate pencils, unless he is examined again and granted a certificate of fitness.

(e) The medical officer may direct that a worker may be got radiologically examined or the may be subjected to further examination, clinical, pathological or otherwise, or that he may undergo specified treatment, and it shall be the responsibility of the occupier and the manager to arrange for the specified examination and treatment, and to bear all expenses thereof and in connection therewith.

(f) The medical officer shall, after each examination grant a certificate in **Form-XXV**.

(g) The manager shall maintain all certificates on **Form-XXV** in a proper file and shall produce all the certificates before the Inspector-cum-facilitator whenever demanded.

5. No worker shall be required or allowed to work on cutting, groove making machine or any other equipment generating dust from the stone used for manufacturing slate pencils, unless he is wearing dust mask.

Schedule–29

(See rule 81)

Manufacture of manipulation of dangerous pesticides

1. Application. – This schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof in which the process of manufacture or manipulation of dangerous pesticide hereinafter referred to as the said manufacturing process is carried on.

2. Definitions. – For the purpose of this Schedule–

(a) *"dangerous pesticides"* means any product proposed or used for controlling, destroying or repelling any pest or for preventing growth or mitigating effects of such growth including any of its formulations which is considered toxic under and is covered by the Insecticides Act, 1968 and the rules made thereunder and other product, as may be notified from time to time by the State Government;

(b) *"manipulation"* includes mixing, blending, formulation, filling, emptying, packing or otherwise handling;

(c) *"efficient exhaust draught"* means localised mechanical ventilation for removal of smoke, gas, vapour, dust, fume or mist so as to prevent them from escaping into the air of any work room in which work is carried on. No exhaust draught shall be considered efficient if it fails to remove smoke generated at the point where such gas, fume, dust, vapour, or mist originates from the process;

(d) *"first employment"* shall mean first employment in any manufacturing process to which this schedule applies and shall also include re–employment in the said manufacturing process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months; and

(e) *"suspension"* means suspension from employment in any process wherein a dangerous pesticide is manipulated, by written certificate the health register signed by the Medical officer who shall be competent to suspend all persons employed in such process.

3. Instruction to workers. – Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties including dangerous properties of the chemicals handled in the said manufacturing process and the hazards involved. The employees shall also be instructed in the measures to be taken to deal with any emergency. Such instructions shall be repeated periodically.

4. Cautionary notice and placards. – Cautionary notices and placards in the form specified in appendix to this schedule and printed in the language of the majority of the workers shall be displayed in all work places in which said manufacturing process is carried on so that they can be easily and conveniently read by the workers. Arrangements shall be made by the occupier and the manager of the factory to periodically instruct the workers regarding the health hazards arising in the said manufacturing process and method of protection. Such notices shall include brief instructions regarding the periodical clinical tests required to be undertaken for protecting health of the workers.

5. Prohibition relating to employment of adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored.

6. Food, drinks and smoking prohibited. –

(1) No food, drink, tobacco, pan or supari shall be brought into or consumed by any worker in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

(2) Smoking shall be prohibited in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

7. Protective clothing and protective equipment. –

(1) Protective clothing consisting of long pants and shirt or over all with long sleeves and head covering shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(2) (a) Protective equipment consisting of rubber gloves, gum boots, rubber aprons, chemical safety goggles and respirators shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(b) Gloves, boots, aprons shall be made from synthetic rubber where a pesticide contains oil.

(3) Protective clothing and equipment shall be worn by the workers supplied with such clothing and equipment.

(4) Protective clothing and equipment shall be washed daily from inside and outside if the workers handle pesticides containing nicotine or phosphorus and shall be washed frequency to handling other pesticides.

(5) Protective clothing and equipment shall be maintained in good repair.

8. Floors and work–benches. –

(1) Floors in every workroom where dangerous pesticides are manipulated shall be of cement or other impervious material giving a smooth surface.

(2) Floors shall be maintained in good repair, provides with adequate slope leading to a drain and thoroughly washed once a day with hose pipe.

(3) Work–benches where dangerous pesticides are manipulated shall be made of smooth, non–absorbing material preferably stainless steel and shall be cleaned atleast once daily.

9. Spillage and waste. –

(1) If a dangerous pesticide during its manipulation splashes or spills on the work–bench, floor or on the protective clothing worn by a worker, immediate action shall be taken for thorough decontamination of such areas or articles.

(2) Cloth, rags, paper or other material soaked or soiled with a dangerous pesticide shall be deposited in a suitable receptacle with tight fitting cover. Contaminated waste shall be destroyed by burning at least once a week.

(3) Suitable deactivating, where available, shall be kept in a readily accessible place for use while attending to a spillage.

(4) Easy means for access shall be provided to all parts of the plant for cleaning, maintenance and repairs.

10. Empty containers used for dangerous pesticides. – Containers used for dangerous pesticides shall be thoroughly cleaned of their contents and treated with an inactivating agent before being discarded or destroyed.

11. Manual handling. –

(1) A dangerous pesticide shall not be required or allowed to be manipulated by hand except by means of a long handled scoop.

(2) Direct contact of any part of the body with a dangerous pesticide during its manipulation shall be avoided.

12. Ventilation. –

(1) In every workroom or area where a dangerous pesticide is manipulated, adequate ventilation shall be provided at all times by the circulation of fresh air.

(2) Unless process is completely enclosed, the following operations during manipulation of a dangerous pesticide shall not be undertaken without an efficient exhaust draught :–

(a) emptying container holding a dangerous pesticide;

(b) blending a dangerous pesticide;

(c) preparing a liquid or powder formulation containing a dangerous pesticide; and

(d) changing or filling a dangerous pesticide into a container, tank hopper or machine or small sized containers.

(3) In the event of a failure of the exhaust draught provided on the above operation, the said operations shall be stopped forthwith.

13. Time allowed for washing. –

(1) Before each meal and before the end of the day's work atleast ten minutes in addition to the regular rest interval shall be allowed for washing to each worker engaged in the manipulation of dangerous pesticide.

(2) Every worker engaged in the manipulation of dangerous pesticide shall have a through wash before consuming any food and also at the end of the day's work.

14. Washing and bathing facilities. –

(1) There shall be provided and maintained in a dean state and in good repair for the use of all workers employed in the factory where the said manufacturing process is carried on, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 5 persons employed.

(2) The washing place shall have stand pipes placed at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector-cum-facilitator.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

15. Cloak–room. – There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory where the said manufacturing process is carried on–

(a) a cloak–room for clothing put off during working hours with adequate arrangements for drying clothing, if wet; and

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing provide dander paragraph 7.

16. Mess room. –

(1) There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory in which the said manufacturing process is carried on and remaining on the premises, during the rest intervals, a suitable messroom which shall be furnished with–

(a) sufficient tables and benches with back–rest; and

(b) adequate means for warming food.

(2) The mess room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

17. Manipulation not to be undertaken. – Manufacture or manipulation of a pesticides shall not be undertaken in any factory unless a certificate regarding its dangerous nature or otherwise is obtained from the Chief Inspector-cum-facilitator.

18. Medical facilities and Examination–

(1) Every worker employed in the said manufacturing process shall be examined by the medical officer within seven days of the first employment and no worker shall be allowed to work unless certified fit by a certificate of fitness in **Form-XXV** for such employment by the medical officer.

(2)Every worker employed in the said manufacturing process shall be re–examined by a medical officer at least once in 6 calendar months.

(3)Due notice shall be given to the medical officer and the concerned workers regarding the arrangements for examination of workers employed in the said manufacturing process after obtaining the consent regarding the arrangement from the medical officer.

(4)Health register in **Form-XXVI** shall be maintained.

(5)No worker after suspension shall be employed without written sanction from the medical officer entered in or attached to the health register. The person so

suspended from the process being unfit for work in that process shall be provided with alternate placement facilities by factory management unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitates.

(6) The occupier shall engage a qualified medical practitioner approved by the Chief Inspector who shall examine and when necessary treat on the premises of the factory, all workers who are employed in the said manufacturing process, for effect of excessive absorption of the dangerous pesticide atleast once a week.

(7)The occupier shall make necessary arrangements to ensure quick availability of qualified medical practitioner in emergency.

(8)The occupier shall provide medicines and antidotes and other equipment required for treatment of excessive absorption of dangerous pesticides.

(9)Records of such examinations and treatments and tests shall be maintained and shall be made available to Inspector-cum-facilitator.

(10)The Chief Inspector may order suitable clinical test or tests to be carried out at specified intervals in respect of workers in any factory where such manufacturing process is carried on. Charges for such test or tests shall be borne by the occupier.

(11)Every worker in any factory where the said manufacturing process is carried on, shall undergo the prescribed examinations, tests and treatments.

(12) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(13) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(14) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the

Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(15) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

19. Exemption. – If in respect of any factory the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or the infrequency of the said manufacturing process or for any other reason which he shall record in writing all or any of the provision of this schedule are not necessary for the protection of the workers employed in the factory, he may by a certificate in writing exempt such factory, from all or any of the provisions on such condition as he may specify therein. Such certificate may, at any time, be revoked by the Chief Inspector-cum-facilitator after recording his reasons therefore.

Appendix

Cautionary Notice

1. Chemicals handled in this plant are poisonous substances.
2. Smoking, eating food or drinking, chewing tobacco in this area is prohibited. No food stuff or drink shall be brought in this area.
3. Some of these chemicals may be absorbed through skin and may cause poisoning.
4. A good wash shall be taken before meals.
5. A good bath shall be taken at the end of the shift.
6. Protective clothing and equipment supplied shall be used while, working in this area.
7. Containers of pesticides shall not be used for keeping food stuffs.
8. Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor or work–bench shall be immediately washed away with water.
9. Clothing contaminated due to splashing shall be removed immediately.
10. Scrupulous cleanliness shall be maintained in this area.
11. Do not handle pesticides with bare hands, use scoops provided with handle.
12. In case of sickness like nausea, vomitting, giddingness, the manager should be informed who will make necessary arrangements for
13. All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.

Schedule–30

(See rule 81)

Manufacture or manipulation of Carcinogenic dye intermediates

1. **Application.** – This schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof where processes in which the substances mentioned in paragraphs 3 and 4formed, manufactured, handled, or used and the processes incidental thereto in the course of which these substances are formed, are carried on. The processes indicated in this paragraph shall be referred to hereinafter as "the said processes", and such a reference shall mean any or all the processes described in this paragraph.

2. **Definitions.** – For the purpose of this schedule–

   (a) *"controlled substances"* means chemical substances mentioned in paragraph 4 of this schedule;

   (b) *"first employment"* means first employment in the said processes and also or employment in such processes following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

   (c) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation effected by mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fume so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume or dust originates; and

   (d) *"prohibited substances"* means chemical substances mentioned in paragraph 3 of this schedule.

3. **Prohibited substances.** – For the purpose of this schedule, the following chemical substances shall be classified as "prohibited substances" except when these substances are present or are formed as a by–product of a chemical reaction in total concentration and exceeding one per cent :

   (a) beta–naphthylamine and its salts;

   (b) benzidine and its salts;

   (c) 4–amino diphenyl and its salts;

   (d) 4–nitro diphenyl and its salts; and

   (e) any substances containing any of these compounds.

4. Controlled substances. – For the purpose of this schedule, the following chemical substances shall be classified as "controlled substances.

(a) Alpha–naphthylamine oralpha–naphthylamine containing not more than one percent of betanaphthylamine either as a by–product if chemical reaction or otherwise and its salts;

(b) ortha–tolidine and its salts;

(c) dianisidine and its salts;

(d) dichlorobenzidine and its salts;

(e) auramine; and

(f) magnets.

5. Prohibition of employment. – No person shall be employed in the said processes in any factory in which any prohibited substance is formed, manufactured, processed, handled, or used except as exempted by the Chief Inspector-cum-facilitator as stipulated in paragraph 23.

6. Requirements for processing or handling controlled substance.

(1)Wherever any of the controlled substances referred to in paragraph 4 are formed, manufactured, processed, handled, or used, all practical steps shall be taken to prevent inhalation, ingestion or absorption of the said controlled substance by the workers while engaged in processing that substance, and its storage or transport within the plant, or in cleaning or maintenance of the concerned equipment, plant, machinery and storage areas.

(2) As far as possible all operations shall be carried out in a totally closed system. Wherever such enclosure is not possible, efficient, exhaust draught shall be applied at the point where the controlled substances are likely to escape into the atmosphere during the process.

(3) The controlled substances shall be received in the factory in tightly closed containers and shall be kept so except when these substances are in process or in use. The controlled substance shall leave the factory only in tightly closed containers of appropriate type. All the containers shall be plainly labeled to indicate the contents.

7. Personal protective equipment. –

(1) The following item to personal protective equipment shall be provided and issued to every worker employed in the said processes :–

(a) long trousers and shirts or overall with full sleaves and head cover in the shirt or overall shall cover the neck completely; and

(b) rubber gum–boots.

(2) The following item of personal protective equipment shall be provided in sufficient numbers for use by workers employed in the said processes when there is danger or injury during the performance of normal duties or in the event of emergency :–

(a) rubber hand gloves;

(b) rubber aprons; and

(c) Airline respirators or other suitable respiratory protective equipment.

(3) It shall be the responsibilities of the manager to maintain all item of personal protective equipment in a clean and hygienic conditions and in good repair.

8. Prohibition relating to employment of adolescent. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on.

9. Floors of work–room. – The floor of every work–room in which the said processes are carried on shall be–

(a) smooth and impervious to water provided that asphalt or tar shall not be used in the composition of the floor;

(b) maintained in a state of good repair;

(c) with suitable slope for easy cleaning and provided with gutters; and

(d) thoroughly washed daily with the drain water being led into a sewer through a closed channel.

10. Disposal of empty containers. – Empty containers used for holding controlled substances shall be thoroughly cleaned of their contents and treated with an inactivating agent before being discharged.

11. Manual handling. – Controlled substances shall not be allowed to be mixed, filled, emptied or handled except by means of a scoop with a handle. Such scoop shall be thoroughly cleaned daily.

12. Instructions regarding risk. – Every worker on his first employment in the said processes shall be fully instructed or the properties of the toxic chemicals to which heis likely to be exposed to of the dangers involved and the precautions to

be taken. Workers shall also be instructed on the measures to be taken to deal with an emergency.

13. Cautionary placards. – Cautionary placards in the form specified in appendix attached to this schedule and printed in the language of the majority of the workers employed in the said processes shall be affixed in prominent places in the factory, where the placards can be easily and conveniently read. Arrangements shall be made by the manager to instruct periodically all such workers regarding the precautions contained in the cautionary placards.

14. Obligations of the workers. – It shall be the duty of the persons employed in the said processes to present themselves for the medical examination including exfoliative cytology of urine by the Medical officer or the qualified medical practitioner as provided for under these rules.

15. Washing and bathing facilities. –

(1) The following washing and bathing facilities shall be provided and maintained in a clean state and in good repairs for the use of all workers employed in the said processes :–

(a) a wash place under cover having constant supply of water and provided with clean towels, soap and nail brushes and with atleast one stand pipe, for every five such workers;

(b) 50 per cent of the stand pipes provided under clause (a) shall be located in bath–rooms where both hot and cool water shall be made available during the working hours of the factory and for one hour thereafter.

(c) the washing and bathing facilities shall be in closed proximity of the area housing the said processes;

(d) clean towels shall be provided individually to each worker; and

(e) in addition to the taps mentioned under clause (a), one stand pipe, in which warm water is made available, shall be provided on each floor.

(2) Arrangement shall be made to wash factory uniforms and other work clothes every day.

16. Food, drinks, etc. prohibited in workroom. – No worker shall consume food,drink, pan, supari or tobacco or shall smoke in any workroom in which the said processes or carried on and no worker shall remain in any such room during intervalsfor meals or rest.

17. Cloak–room. – There shall be provided and maintained in clean state and in good repair for the use of the workers employed in the said processes–

(a) a cloak–room with lockers having two compartments one for street clothes and the other for work clothes, and

(b) a place separate from the locker room and the mess room, for the storage of protective equipment provided shall be under the care of a responsible person and shall be kept clean.

18. Messroom. – There shall be provided and maintained for the use of the workers employed in the said processes who remain on the premises during the meal intervals, a messroom which shall be furnished with tables and benches and provided with suitable means for warming food.

19. Time allowed for washing. – Before the end of each shift 30 minutes shall be allowed for bathing for each worker who is employed in the said processes. Further, atleast 10 minutes shall be allowed for washing before each meal in addition to the regular time allowed for meals.

20. Restriction on age of persons employed. – No worker under the age of 40 years shall be engaged in the factory in the said processes for the first time after the date on which the schedule comes into force.

21. Medical Examination–

(1) Every worker employed in the said processes shall be examined by a medical officer within 14 days of his first employment. Such examination shall include tests which the medical officer may consider appropriate and shall include ex–foliative cytology of the urine. No worker shall be allowed to work after 14 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(2)Every worker employed in the said processes shall be re–examined by a medical officer at least once in every six calendar months. Such examination shall include tests which the medical officer may consider appropriate but shall include ex–foliative cytology of the urine.

(3)A person medically examined under sub–paragraph (1) shall be granted by the medical officer certificate of fitness in **Form-XXV**.The record of each examination carried out as referred to in sub–paragraphs (1) and (2)including the nature and the results of the tests shall be entered by the medical officer in a health register in **Form-XXVI**.

(4) The certificate of the fitness and the health register shall be kept readily available for inspection by any Inspector.

(5) The occupier of every factory in which the said processes are carried on shall engage a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed in such processes. His appointment shall be subject to approval of the Chief Inspector-cum-facilitator. The occupier shall provide to him all the necessary facilities for the purposes referred to in sub–paragraph (1).

(6) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(7) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(8) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(9) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

22. Exemptions–Prohibited substances.–

(1) The Chief Inspector-cum-facilitator may by a certificate in writing (which he may at his discretion revoke at any time), subject to such conditions, if any, as may be specified therein, exempt any process in the course of which any of the prohibited substances is formed, processed, manufactured, handled, or used, from the provisions of paragraph 5 if he is satisfied that the process is carried out in a totally enclosed and hermetically sealed system in such a manner that the prohibited substance is not removed from the system except in quantities no greater than that required for the purpose of control of the

process or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from any of the prohibited substances.

(2) The Chief Inspector-cum-facilitator may allow the manufacture, handling or use of benzidinehydro chlorine provided that all the processes in connection with it are carried out in a totally enclosed system in such a manner that no prohibited substance other than benzidine hydrochloride is removed there from except in quantities no greater than that required for the purpose of control of the processes or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from prohibited substances and that adequate steps are taken to ensure that benzidine hydrochloride is except while not less than one part of water to two parts of benzidine hydrochloride at all times.

23. Exemptions general. – If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for the protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing (which he may in his discretion revoke at any time), exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify herein.

Schedule–31

(See rule 81)

Operations Involving High Noise Levels

1. Application. – This schedule shall apply to all operations in any manufacturing process having high noise level.

2. Definitions. – For the purpose of this Schedule–

(a) *"Noise"* means any unwanted sound;

(b) *"High noise level"* means any noise level measured on the A–weighted scale is90dB above;

(c) *"Decibel"* means one–tenth of "Bell" which is the fundamental division, of a logarithmic scale used to express the ratio of two specific or implied quantities, the number of "Bells" denoting such a ratio being the logarithm to the base of 10 of this ratio. The noise level or the sound pressure level corresponds to a reference pressure of 20 x 10–6 Newton's per square meter or 0.0002 dynes per square centimeter which is the threshold of hearing, this is, the lowest sound pressure level necessary to produce the sensation of hearing in average healthy listener. The decibel in abbreviated formin dB;

(d) *"Frequency"* means the rate of pressure variations expressed in cycles per second or hertz;

(e) *"dBA"* refers to sound level in decibels as measured on a sound level meter operating on the A–weighting net work with slow meter response.

(f) *"A–weighting"* means making graded adjustments in the intensities of sound of various frequencies for the purpose of noise measurements, so that the sound pressure level measured by an instrument reflects the actual response of the human ear to the sound measured.

3. Protection against noise. – In every factory suitable engineering control or administrative measure shall be taken to ensure, so far as reasonably practicable that no worker is exposed to sound levels exceeding the maximum permissible noise exposure levels specified in Tables 1 and 2 below :–

Table 1

Permissible Exposure in Case of continuous Noise

Total time of exposure(continuous or number of short–term exposures) per day, in hours	Sound pressure level in dBA.
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
¾	107
½	110
¼	115

Note. – (1) No exposure in excess of 115 dBA is to be permitted.

(2) For any period of exposure falling in between any figure and the next high or lower figure as indicated in column 1 the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis

Table 2

Permissible Exposure levels for Impulsive or Impact Noise

Peak sound pressure level in dB	Permitted number of impulses or impact per day
(1)	(2)
140	100
135	315
130	1000

125	3160
120	10000

Note.– (1) No exposure in excess of 140 dB peak sound pressure level is permitted.

(2) For any peak sound pressure level falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column1, the permitted number of impulses or impact per day is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

(3) For the purpose of this schedule, if the variations in the noise level involve maximum at intervals of one second or less, the noise is to be considered as a continuous one and the criteria; given in Table 1 would apply. In other cases, the noise is to be considered as impulsive or impact noise and the criteria given in Table 2 would apply.

(4) When the daily noise–exposure is composed of two or more periods of noise exposure at different levels their combined effect should be considered, rather than the individual effect of each. The mixed exposure should be considered to exceed the limit value if the sum of functions

$$\frac{C1}{T1} + \frac{C2}{T2} + \frac{CN}{TN}$$

exceeds unity,–

Where the C1, C2, etc. indicate the total time of actual exposure at a specified noise level and T1, T2, etc. denote the time of exposure permissible at that level. Noise exposure of less than 90 dBA may be ignored in the above calculation.

(5) Where it is not possible to reduce the noise exposure to the levels specified in sub–paragraph (1) by reasonably practicable engineering control or administrative measures, the noise exposure shall be reduced to the greatest extent feasible by such control measures, and each worker so exposed shall be provided with suitable ear protectors so as to reduce the exposure to noise to the levels specified in sub–paragraph (1).

(6) Where the ear protectors provided in accordance with sub–paragraph (4), and worn by a worker cannot still attenuate the noise reaching near his ear, as determined by subtracting the attenuation value in dBA of the ear protectors concerned from the measured should pressure level, to a level permissible under Table 1 or Table 2 as the case.

4. Medical Examination–

(1) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–32

(See rule 81)

Manufacture of Rayon by Viscose Process

1. Definitions. – For the purpose of this Schedule,–

(a) *"approved"* means approved for the time being in writing by the Chief Inspector;

(b) *"breathing apparatus"* means a helmet or face piece with necessary connections by means of which the person using it in a poisonous, as phyxisting or irritant atmosphere breathes unpolluted air, or any other approved apparatus;

(c) *"churn"* means the vessel in which alkali cellulose pulp is treated with carbon–di–sulphide;

(d) *"dumping"* means transfer of cellulose xanthate from a dry churn to a dissolver;

(e) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation by mechanical means for the removal of any gas or vapour, so as to prevent if from escaping into the air of anyplace in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient if it fails to control effectively any gas or vapour generated at the point where such gas or fume or iginates;

(f) *"fume process"* means any process in which carbon disulphide or hydrogen sulphide is produced, used or given off;

(g) *"life belt"* means belt made of leather or other suitable material which can be securely fastened round the body with a suitable length of rope attached to it, each of which is sufficiently strong to sustain the weight of man;

(h) *"protective equipment"* means apron, goggles, face shields, foot wear, gloves and overalls made of suitable materials.

2. Ventilation. –

(1) In all workrooms where a fume process is carried on, adequate ventilation by natural or mechanical means shall be provided so as to control in association with other control measures, the concentration of Carbon–di–sulphide and hydrogen sulphide in the air of every work environment within the permissible limits.

(2) Notwithstanding the requirements in sub–paragraph (1) an efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control the concentration of carbon–di–sulphide and hydrogen sulphide in the air at the following location:–

(a) dumping hoppers of dry churns;

(b) spinning machines;

(c) trio rollers and cutters used in staple fibre spinning;

(d) hydro–extractors for yarn cakes;

(e) after treatment processes, and

(f) spin baths.

(3) In so far as the spinning machines and trio rollers and cutters used in staple fibre spinning are concerned, they shall be, for the purpose of ensuring the effectiveness of the exhaust draft to be provided as required in sub–paragraph (I), enclosed as fully as practicable and provided with suitable shutters in sections to enable the required operations to be carried out without giving rise to undue quantities of Carbon–di–sulphide and hydrogen sulphide escaping to the work environment.

(4) No dry churn shall be opened after completion of reaction without initially exhausting the residual vapours of carbon–di–sulphide by operation of suitable and efficient arrangement for exhausting the vapours which shall be continued to be operated as long as the churn is kept opened.

(5) Whenever any ventilation apparatus normally required for the purpose of meeting the requirements in sub–paragraphs (2), (3) and (4) is ineffective, fails, or is stopped for any purpose whatsoever, all persons shall be required to leave the work areas where the equipment or processes specified in the above said sub–paragraphs are in use, as soon as possible, and in any case not later than 15 minutes after such an occurrence.

(6) (i) All ventilating system provided for the purposes as required in sub–paragraphs(2), (3) and (4) shall be examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any defects found by such examinations or test shall be rectified forthwith.

(ii) A register containing particulars of such examination and tests, and the state of the systems and the repairs of alterations (if any) found to be

necessary shall be kept and shall be available for inspection by an Inspector-cum-facilitator.

3. Waste from spinning machines. – Waste yarn from the spinning machines shall be deposited in suitable containers provided with close fitting covers. Such waste shall be disposed off as quickly as possible after decontamination.

4. Lining of Dry Churns. – The inside surface of all dry churns shall be coated with anon–stickly paint so that cellulose xanthate will not stick to the surface of the churn.Such coating shall be maintained in good condition.

5. Air monitoring. – (1) To ensure the effectiveness of the control measures, monitoring of carbon–di–sulphide and hydrogen sulphide in air shall be carried out once atleast in every shift and the record of the results so obtained shall be entered in a register specially maintained for the purposes.

(2) For the purpose of the requirement in sub–paragraph (1), instantaneous gas detector tubes shall not be used. Samples shall be collected over a duration of not less than 10 minutes and analyzed by an approved method. The locations where such monitoring is to be done shall be as directed by the Inspector-cum-facilitator.

(3) If the concentration of either carbon–di–sulphide or hydrogen sulphide exceeds the permissible limits for such vapour or gas as laid down in these rules, suitable steps shall be taken for controlling the concentrations in air of such contamination. A report of such occurrence shall be sent to the Chief Inspector-cum-facilitator forthwith.

6. Prohibition to remain in fume process room. – No person during his intervals for meal, or rest shall remain in any room wherein fume process is carried on.

7. Prohibition relating to employment of adolescents. – No adolescent shall be employed or permitted to work in any fume process or in any room in which any such process is carried on.

8. Protective equipment. – (1) To occupier shall provide and maintained in good condition protective equipment as specified in the table for use of persons employed in the processes referred to therein.

Table

(1) (2)

Process	Protective Equipment

(1)	(2)
1. Dumping Overalls,	face–shields, gloves and footwear all made of suitable materials.
2. Spinning Suitable aprons,	Gloves and footwear.
3. Process involving or likely to involve contact with viscose solution.	Suitable gloves and footwear.
4. Handling of sulphur	Suitable chemical goggles.
5. Any other process involving contact with hazardous chemicals	Protective equipment as may be directed by the Inspector by an order in writing.

(2) A suitable room, rooms or lockers shall be provided exclusively for the storage of all the protective equipment supplied to workers and no such equipment shall be stored at any place other than the room, rooms or lockers so provided.

9. Breathing apparatus. –

(1) There shall be provided in every factory where fume process is carried on, sufficient supply of–

(a) breathing apparatus;

(b) oxygen and a suitable appliances for it administration; and

(c) life belts.

(2) (i) The breathing apparatus and other appliances referred to in sub–paragraph (1)shall be maintained in good condition and kept in appropriate locations so as to be readily available.

(ii) The breathing apparatus and other appliances referred to in clauses (a) and (b) of sub–paragraph (1) shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible persons.

(iii) A record of the maintenance or the condition of the breathing apparatus and other appliances referred to in sub–clause (1) shall be entered in a register provided for that purposes which shall be readily available for inspection by an Inspector.

(3) Sufficient number of workers shall be trained and periodically retrained in the use of breathing apparatus and administering artificial respiration so that atleast 2 such trained persons would be available during all the working hours in each room in which fume process is carried on.

(4) Breathing apparatus shall be kept properly labeled in clean, dry, light–proof cabinets and if liable to be affected by fumes, shall be protected by placing them in suitable containers.

(5) No person shall be employed to perform any work specified in sub–paragraph (1)for which breathing apparatus is necessary to be provided under the sub–paragraph unless he has been fully instructed in the proper use of the equipment.

(6) No breathing apparatus provided in pursuance of sub–paragraph (1) which has been worn by a person shall be worn by another person unless it has been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

10. Electric fitting. – All electric fitting in any room in which carbon–di–sulphide is produced, used or given off or is likely to be given off into the work environment, other than a spinning room, shall be of flame proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in metal conduits or be lead–sheathed.

11. Prohibition relating to smoking, etc. – No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in a room in which fume process is carried on. A notice in the language understood by the majority of the workers shall be posted prominent locations in the plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or other means of producing naked light or spark into such rooms :

Provided that fire, naked light or other means of producing a naked light of spark maybe carried on in such room only when required for the purposes of the process itself under the direction of responsible person.

12. Washing and bathing facilities. –

(1) There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all workers employed in the process covered by the schedule,

adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 25 persons employed.

(2) The washing places shall have standpipes places at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. Rest room. – (1) A rest room shall be provided for the workers engaged in doffing operations of filament yarn spinning process.

(2) Such rest room shall be provided with fresh air supply and adequate seating arrangement.

14. Cautionary notice and instructions. –

(1) The following cautionary notice shall be prominently displayed in each fume process rooms.

"Cautionary Notice :

1. Carbon–di–sulphide (CS2) and Hydrogen Sulphide (H2S) which may be present in this room are hazardous to health.
2. Follow safety instructions.
3. Use protective equipment and breathing apparatus as and when required.
4. Smoking is strictly prohibited in this area."

This notice shall be in a language understood by the majority of the workers and displayed where it can be easily and conveniently read. If any worker is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice so displayed.

(2) Arrangements shall be made to instruct each workers employed in any room in which a fume process is carried on regarding the health hazards, connected with their work and the preventive measures and method to protect themselves. Such instructions shall be given on his first employment and repeated periodically.

(3) Simply and special instructions shall be framed to ensure that effective measures will be carried out in case of emergency involving escape of carbon–di–sulphide and hydrogen sulphide. Those instructions shall be displayed in the concerned areas and workers shall be instructed and trained in the actions to be taken in such emergencies.

15. Medical Examination–

(1) The occupier of each factory to which this schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical officer shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector.

(3) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on **Form-XXV**.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

16. Exemptions. – If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the

processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any he may specify therein.

Schedule–33

(See rule 81)

Operations in Foundries

1. Application. – Provisions of this schedule shall apply to all parts of factories where any of the following operations or processes are carried on :–

(a) the production of iron castings or, as the case may be, steel castings by casting in mould, made of sand, loam, moulding composition or other mixture of materials, or by shall moulding, or by centrifugal casting and any process incidental to such production;

(b) the production of non–ferrous castings by casting metal in moulds made of sand, loam, metal, moulding composition or other material or mixture of materials, or by shell mouldings, die–casting (including pressure die–casting), centrifugal casting or continuous casting and any process incidental to such production; and

(c) the melting and casting of non–ferrous metal for the production of ingots, billets, slabs or other similar products, and the stripping thereof; but shall not apply with respect to–

(a) any process with respect to the smelting and manufacture of lead and the Electric Accumulators;

(b) any process for the purposes of a printing worker; or

(c) any melting process in which metal is obtained by a reducing operation or any process incidental to such operation; or

(d) the production of steel in the form of ingots; or

(e) any process in the course of the manufacture of solder or any process incidental to such manufacture; or

(f) the melting and casting of lead or any lead based alloy for the production of ingots, billets, slabs or other similar products or the stripping thereof, or any process incidental to such melting, casting or stripping.

2. Definitions. – For the purpose of this schedule–

(a) *"approved respirator"* means a respirator of a type approved by the Chief Inspector;

(b) *"cupola or furnace"* includes a receiver associated therewith;

(c) *"dressing or fettling operations"* includes stripping and other removal of adherents and cores, runners, risers, flash and other surplus metal from a casting and the production of reasonably clean and smooth surface, but does not include–(a) the removal of metal from a casting when performed incidentally in connection with the machining or assembling of castings after they have been dressed or fettled, or (b)any operation which is a knock–out operation within the meaning of this schedule;

(d) *"foundry"* means those parts of a factory in which the production of iron or steel or non–ferrous castings (not being the production of pig iron or the production of steel in the form of ingots) is carried on by casting in moulds made of sand, loam, moulding composition or other mixture of materials, or by shell moulding or by centrifugal casting in metal moulds lined with sand, or die casting including pressure die castings, together with any part of the factory in which any of the following processes are carried on as incidental processes in connection with and in the course of, such production, namely, the preparation and mixing of materials used in foundry process, the preparation of moulds and cores knock out operations and dressing or feting operations;

(e) *"knock–out operations"* means all methods of removing castings from moulds and the following operations, when done in connection therewith, namely, stripping, coring–out and the removal of runners and risers;

(f) *"pouring aisle"* means an aisle leading from a main gangway or directly from a cupola or furnace to where metal is poured into moulds.

3. Prohibition of use of certain materials as parting materials. –

(1) A material shall not be used as a parting material if it is a material containing compounds of silicon calculated as silica to the extent more than 5 per cent by weight of the dry materials :

Provided that this prohibition shall not prevent the following being used as a parting material if the material does not contain an admixture of any other silica:–

(a) Zirconium silicate (Zirocon)

(b) Calcined china clay

(c) Calcined aluminous fireclay

(d) Sillimanite

(e) Calcined or fused alumina

(f) Olivine

(g) Natural sand.

(2) Dust or other matter deposited from a fettling or blasting process shall not be used as a parting materials or as a constituent in a parting material.

4. Arrangement and storage. – For the purposes of prompting safety and cleanliness in workrooms the following requirements shall be observed :–

(a) molding boxes, loam plates, ladles, patterns, pattern plates, frames, boards, box weights, and other heavy articles shall be so arranged and placed as to enable work to be carried on without unnecessary risk;

(b) suitable and conveniently accessible racks, bins, or other receptacles shall be provided and used for the storage of other gear and tools;

(c) where there is bulk storage of sand, fuel, metal scrap or other materials or residues, suitable bins bunkers or other receptacles shall be provided for the purposes of such storage.

5. Construction of floors. –

(1) Floors of indoor work places in which the processes are carried on, other than parts which are of sand shall have an even surface of hard material.

(2) No part of the floor of any such indoor workplace shall be of sand except where this is necessary by reason of the work–done.

(3) All parts of the surface of the floor of any such indoor workplace which are of sand shall, so far as practicable, be maintained in an even and firm condition.

6. Cleanliness of indoor workplaces. –

(1) All accessible parts of the walls of every indoor workplace in which the processes are carried on and of everything affixed to those walls shall be effectively cleaned by a suitable method to a height of not less than 4.2 meters from the floor atleast once in every period of fourteen months. A record of the carrying out of every such effective cleaning in pursuance of this paragraph including the date (which shall be not less than five months nor more than nine months after the last immediately proceeding washing, cleaning or other treatment).

(2) Effective cleaning by a suitable method shall be carried out atleast once every working day of all accessible parts of the floor of every indoor

workplace in which the processes are carried on, other than parts which are of sand, and the parts which are of sand shall be kept in good order.

7. Manual operations involving molten metal. –

(1)There shall be provided and properly maintained for all persons employed on manual operations, involving molten metal with which they are liable to be splashed, a working space for that operation :–

(a) which is adequate for the safe performance of the work; and

(b) which, so far as reasonably practicable, is kept free from obstruction.

(2) Any operation involving the carrying by hand of a container holding molten metal shall be performed on a floor and parts of which where any person walks, while engaged in the operations shall be on the same level:

Provided that, where necessary to enable the operation to be performed without undue risk, nothing in this paragraph shall prevent the occasional or exceptional use of a working space on a different level from the floor, being a space provided with a safe means of access from the floor for any person while engaged in the operation.

8. Gangways and pouring aisels. –

(1) In every workroom to which this paragraph applies constructed, reconstructed or converted for use as such after the making of this Schedule and, so far as reasonably practicable, in every other workroom to which this paragraph applies, sufficient and clearly defined main gangways shall be provided and properly maintained which–

(a) shall have an even surface of hard material and shall, in particular, not be of sand or have on them more sand than is necessary to avoid risk of flying metal from accidental spillage;

(b) shall be kept, so far as reasonably practicable, free from obstruction;

(c) if not used for carrying molten metal, shall be atleast 920 millimeters in width;

(d) if used for carrying molten metal shall be–

(i) where truck ladles are used exclusively, atleast 600 millimeters wider than the overall width of the ladle;

(ii) where hand shanks are carried by not more than two men, atleast 920 millimeters in width;

(iii) where hand shanks are carried by more than two men, atleast 1.2 meters in width; and

(iv) where used for simultaneous travel in both directions by mean carrying hand shanks, atleast 1.8 meters in width.

(2) In workroom to which this paragraph applies constructed, reconstructed or converted for use as such after the making of this Schedule, sufficient and clearly defined pouring aisles shall be provided and properly maintained which–

(a) shall have an even surface of hard material and shall, in particular, not be of sand or have on them more sand than is necessary to avoid risk of flying metal from accidental spillage;

(b) shall be kept so far as reasonable practicable free from obstruction;

(c) if molten metal is carried in hand ladles or bull ladles by not more than two men per ladles, shall be atleast 460 millimeters wide, but where any moulds alongside the aisle are more than 510 millimeters above the floor of the aisle, the aisle shall be not less than 600 millimeters wide;

(d) if molten metal is carried in hand ladles or bull ladles by more than two men per ladle, shall be at least 769 millimeters wide;

(e) if molten metal is carried in crane, trolley or truck ladles, shall be of a width adequate for the safe performance of the work.

(3) Requirements of sub–paragraphs (1) and (2) shall not apply to any workroom or part of a workroom if, by reason of the nature of the work done therein, the floor of that workroom or, as the case may be, that part of a workroom has to be of sand.

(4) In this paragraph "workroom to which this paragraph applies" means a part of a ferrous or non–ferrous foundry in which molten metal is transported or used, and a workroom to which this paragraph applies shall be deemed, for the purposes of this paragraph to have been constructed, reconstructed or converted for use as such after the making of this schedule if the construction, reconstruction, or conversion thereof was begun after the making of this schedule.

9. Work near cupolas and furnaces. – No person shall carry out any work within a distance of 4 meters from a vertical line passing through the delivery and of any spout of a cupola or furnace, being a spout used for delivering molten metal, or within a distance of 2.4 meters from a vertical line passing through the

nearest part of any ladle which is in position at the end of such a spout, except, in either case, where it is necessary for the proper use of maintenance of a cupola or furnace that work should be carried out with in that distance of that work is being carried out at such a time and under such conditions that there is no danger to the person carrying it out from molten metal which is being obtained from the cupola or furnace or is in a ladle in position at the end of the spout.

10. Dust and fumes. – (1) Open coal, coke or wood fires shall not be used for heating or drying ladles inside a workroom unless adequate measures are taken to prevent, so far as practicable, fumes or other impurities from entering into or remaining in the atmosphere of the workroom.

(2) No open coal, coke or wood fires shall be used for dying moulds except in circumstances in which the use of such fires is unavoidable.

(3) Mould stoves, core stoves and annealing furnaces shall be so designed constructed, maintained and worked as to prevent, so far as practicable, offensive or injurious fumes from entering into any workroom during any period when a person is employed therein.

(4) All knock out operations shall be carried out–

(a) in a separate part of the foundry suitably partitioned off, being a room or part in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation and a high standard of general ventilation are provided; or

(b) in an area of the foundry in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation is provided, or where compliance with this requirement is not reasonably practicable, a high standard of general ventilation is provided.

(5) All dressing or fettling operations shall be carried out–

(a) in a separate room or in a separate part of the foundry suitably– partitioned off; or

(b) in an area of the foundry set apart for the purpose; and shall, so far as reasonably practicable, be carried out with effective and suitable local exhaust ventilation or other equally effective means of suppressing dust, operating as near as possible to the point of origin of the dust.

11. Maintenance and examination of exhaust plant. –

(1) All ventilation plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall be properly maintained.

(2) All ventilating plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person atleast once in every period of twelve months; and particulars of the results of every such examination and test shall be entered in an approved register which shall be available for inspection by an Inspector. Any defect found on any such examination and test shall be immediately reported in writing by the person carrying out the examination and test of the occupier or manager of the factory.

12. Protective equipment. –

(1) The occupier shall provide and maintain suitable portable equipment specified for the protection of workers–

(a) suitable gloves or other protection for the hands for workers engaged in handling any hot material likely to cause damage to the hands by burn, scald or scar, or in handling pig iron, rough castings, or other articles likely to cause damage to the hands by cut or abrasion;

(b) approved respirators for workers carrying out any operations creating a heavy dust concentration which cannot be dispelled quickly and effectively by the existing ventilation arrangements.

(2) No respirator provided for the purposes of clause (1) has been worn by a person shall be worn by another person if it has not since been thoroughly cleaned and disinfected.

(3) Persons who for any of their time :–

(a) work at a spout of or attend to, a cupola or furnace in such circumstances that material there from may come into contact with the body being material at such at temperature that its contact with the body would cause a burn; or

(b) are engaged in, or in assisting with, the pouring of molten metal; or

(c) carry by hand or move by manual power any ladle or mould containing molten that; or

(d) are engaged in knocking out operations involving material at such a temperature that its contact with the body would cause a burn; shall be

provided with suitable footwear and gaiters which worn by them prevent, so far as reasonably practicable, risk of burns to his feet and ankles.

(4) Where appropriate, suitable screens shall be provided for protection against flying (including splashes of molten metal and sparks and chips thrown off in the course of any process).

(5) The occupier, shall provide and maintain suitable accommodation for the storage and make adequate arrangement for cleaning maintaining of the protective equipment supplied in pursuance of this paragraph.

(6) Every person shall make full and proper use of the equipment provided for his protection in pursuance of sub–paragraphs (1) and (4) and shall without delay report to the occupier, manager of other appropriate person any defect in, or loss of, the same.

13. Washing and bathing facilities. –

(1) There shall be provided and maintained in clean state and good repair for the use of all workers employed in the foundry–

(a) a wash place under cover with either–

(i) a trough with impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow atleast 60 centimeters for every 10 such persons employed at any one time and having a constant supply of clean water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 centimeters; or

(ii) atleast one tap or stand pipe for every 10 such persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water, the tap or stand pipe being spaced not less than 1.2 s apart; and

(b) not less than one half of the total number of washing places provided under clause(a) shall be in the form of bath rooms.

(c) a sufficient supply of clean towels made of suitable material changed daily, with sufficient supply of nail brushes and soap.

(2) The facilities provided for the purposes of sub–paragraph (1) shall be placed in charge of a responsible person or persons and maintained in a clean and orderly condition.

14. Disposal of dross and skimming's. – Dross and skimming's removed from molten metal or taken from a furnace shall be placed forthwith in suitable receptacles.

15. Disposal of waste. – Appropriate measures shall be taken for the disposal of all waste products from shell moulding (including waste burnt sand) as soon as reasonably practicable after the castings have been knocked–out.

16. Material and equipment left out of doors. – All material and equipment left out of doors (including material) and equipment so left only temporarily or occasionally shall be so arranged and placed as to avoid unnecessary risk. There shall be safe means of access to all such material and equipment and, so far as reasonably practicable, such access shall be by roadways or pathways which shall have a firm and even surface and shall, so far as reasonably practicable be kept free from obstruction.

17. Medical Examination–

(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue Fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

18. Exemptions. – If in respect of any factory the Chief Inspector-cum-facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector-cum-facilitator may by a certificate in writing, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such condition, if any, he may specify therein.

Schedule–34

(See rule 81)

PROCESS OF MELTING IN INDUCTION FURNACE

1. Application: Provisions of this schedule shall apply to all parts of factories operations where melting of metal is done in induction furnace and other allied processes are carried on.

2. Definitions:

(1) "Induction Furnace" means furnace in which a strong magnetic field created by passing an electric current through a coil wrapped around the furnace. The magnetic field in turn creates a voltage across, and subsequently an electric current through, the metal to be melted.

(2) "Coil" means coil of Induction Furnace

(3) "Ladle" means equipment used to carry melted metal

(4) "Mould" means moulds made of steel, sand, loam, moulding composition or other mixture of materials.

(5) **"**Personal Protective Equipment" Personal Protective Equipment (PPEs)refers to protective clothing, helmets, goggles, or other garments or equipment designed to protect the wearer's body from injury or infection.

(6) " Refractory" means lining of refractory bricks made in pit

3. Arrangement and storage – For the purposes of promoting safety and cleanliness in workrooms the following requirements shall be observed:–

(a) moulding boxes, loam plates, ladles, patterns, pattern plates, frames, boards, box weights, and other heavy articles shall be so arranged and placed as to enable work to be carried on without unnecessary risk;

(b) Suitable and conveniently accessible racks, bins, or other receptacles shall be provided and used for the storage of other gear and tools;

(c) Where there is bulk storage of sand, fuel, metal scrap or other materials or residues, suitable bins, bunkers or other receptacles shall be provided for the purpose of such storage.

4. Construction, maintenance of platform and floors –

(1) The platform of furnace should be of good construction, sound material and adequate strength to withstand explosion

(2) The platform must be of adequate size to accommodate persons working there and raw material to be charged

(3) The platform must be provided with at least two stairs

(4) Floors of indoor workplaces in which the processes are carried on, other than parts which are of sand, shall have been surface of hard material.

(5) No part of the floor of any such indoor workplace shall be of sand except where this is necessary by reason of the work done.

(6) All parts of the surface of the floor of any such indoor workplace which are of sand shall, so far as practicable, be maintained in an even and firm condition.

5. Authorised person : –

(1) No person except those authorised to work on platform or near furnace shall be allowed on the platform or near furnace.

(2) Person covered under exception of sub–rule (1) must be trained and provided with prescribed personnel protective equipments.

(3) No person shall carry out any work within a distance of 4 meters from a vertical line passing through the delivery end of any spout of a furnace, being a spout used for delivering molten metal, or within a distance of 2.4 meters from a vertical line passing through the nearest part of any ladle which is in position at the end of such a spout, except, in either case, where it is necessary for the proper use of maintenance of furnace that work should be carried out within that distance of that work is being carried out at such a time and under such conditions that there is no danger to the person carrying it out from molten metal which is being obtained from the cupola or furnace or is in a ladle in position at the end of the spout.

6. Maintenance and examination of exhaust plant –

(1) All ventilation plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall be properly maintained.

(2) All ventilating plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall be examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a

competent person at least once in every such examination and test shall be entered in an register which shall be available for inspection by an Inspector–cum–Facilitator. Any defect found on any such examination and carrying out the examination and test to the occupier of the factory.

7. Ladle

(1) Before the ladle is placed for pouring the hot liquid metal, it shall be thoroughly inspected

(2) Place the ladle below the spout.

(3) Before pouring is started, it shall be ensured that:

(a) Only minimum required nos. of persons shall be present.

(b) They all shall use PPEs like face shield, flame retardant suit, anklets, goggles, hand gloves, helmets and safety shoes.

(4) Ladle shall be removed only after clearance from the Furnace In–charge.

(5) Ladle shall not be transported in tilted condition.

8. Operation and Maintenance of furnace:

i. The occupier shall operate the furnace as per instructions supplied by manufacturer.

ii. The occupier shall keep the maintenance of furnace as per maintenance schedule supplied by manufacturer.

iii. The coil should be checked at regular intervals

iv. The refractories shall be changed at regular interval

9. Work Permit

The occupier shall issue work permit to the person supposed to work in confined space, at height or on electric equipments.

10.Washing facilities –

The occupier shall provide and maintain, in a clean state and in good repair for the use of all persons employed a wash place under cover with sufficient supply of water and soap, towel etc.

11. Protective equipment –

The occupier shall provide and maintain suitable PPEs for all persons employed in process as specified in sub–rule (2).

12. Prohibition of employment of Adolescent – No adolescent shall be employed in any of the process covered by this schedule

13. Medical Examination–

(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue Fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule – 35

(See rule 81)

POWERS PRESSES

1. **Application: –** This Schedule shall apply to all types of power presses including press brakes, except when used for working hot metal.
2. **Definition: –**For the purpose of this Schedule,–
   - " approved" means approved by the Chief Inspector–cum–Facilitator;
   - "fixed fencing" means fencing provided for the tools of a power press being fenced which has no moving part associated with or dependent upon the mechanism of a power and includes that part of a closed tool which acts as a guard;
   - "power press" means a machine used in metal or other industries for moulding, pressing, blanking, raising, drawing and similar other purposes;
   - "safety device" means the fencing and any other safeguard provided for the tools of a power press.
3. **Starting and stopping mechanism: –** The starting and stopping mechanism shall be provided with a safety stop so as to prevent over running of the press or descent of the ram during tool shutting. Etc.
4. **Protection of tool and die:–**
   - Each press shall be provided with a fixed guard with slip plate on the underside enclosing the front and all sides of the tool.
   - Each die shall be provided with a fixed guard surrounding its front and sides, and extending to the back in the form of a tunnel through which the pressed article falls to the rear of the press.
   - The design, construction and mutual position of the guards referred to in sub–Para– graphs (1) and (2) shall be such as to preclude the possibility of the worker's hand or fingers reaching the danger zone.
   - The machine shall be fed through a small aperture at the bottom of the dye guard, but a wider aperture may be permitted for second or subsequent operations if feeding is done through a chute.

- Notwithstanding anything contained in sub–paragraphs (1) and (2) an automatic or an interlocked guard may be used in place of a fixed guard, but where such guards are used they shall be maintained in an efficient working condition and if any guard develops a defect, the power shall not be operated unless the defect guard is removed.

5. Appointment of persons to prepare power presses for use:–

(1) Except as provided in sub–paragraph (4) of paragraph 4, no person shall set, re–set, adjust or try out the tools on a power press or install or adjust any safety device thereon, being installation or adjustment preparatory to production of die proving, or carry out an inspection and test of any safety device thereon required by paragraph 8 unless he:–

(a) has attained the age of eighteen years;

(b) has been trained in accordance with the sub–paragraph (2); and

(c) has been appointed by the occupier of the factory to carry out those duties in respect of the class or description of power press or the class or description of safety device, as the case may be belongs; and the name of every such person shall be entered in a register.

(2) The training shall include suitable and sufficient practical instructions in the matter in relation to each type of power press and safety device in respect of which it is proposed to appoint the person being trained.

6. Examination and testing of power presses and safety devices:

(1) No power press or safety device shall be taken into use in any factory for the first time in that factory or in case of a safety device for the first time on any power press, unless it has been thoroughly examined and tested, in the case of a power press, after installation in the factory or in the power press in connection with which it is to be used.

(2) No power press shall be used unless it has been thoroughly examined and tested by a competent person within the immediately preceding period of twelve months.

(3) No power press shall be used unless every safety device (other than fixed fencing) thereon has within the immediately preceding period of six months when in position on that power press, been thoroughly examined and tested by a competent person.

(4) The competent person carrying out an examination and test under the foregoing provision shall make a report of examination and test containing

the following particulars and every such report shall be kept readily available for inspection;

(a) Name of the occupier of the factory;

(b) Address of the factory;

(c) Identification number or mark sufficient to identify the power press or the safety device, as the case may be;

(d) Date on which the power press or the safety device was first taken into use in the factory;

(e) The date of each periodical thorough examination carried out as per requirements of sub–paragraph (2) above;

(f) Particulars of any defects affecting the safe working of the power press or the safety device found during such thorough examinations and steps taken to remedy such defects.

7. Defect disclosed through examination and tests:–

(1) Where any defect is disclosed in any power press or in any safety device by any examination and test under paragraph 6 and in the opinion of the competent person carrying out the examination and test, either:–

(a) the said defect is a cause of danger to workers and in consequence the power press or safety device, as the case may be ought not to be used until the said defect has been remedied; or

(b) the said defect may become a cause of danger to workers and in consequence the power press or safety device as the case may be, ought not to be used after the expiration of a specified period unless the said defect has been remedied, such defect shall, as soon as possible after the completion of the examination and test, be notified in writing by the competent person to the occupier of the factory and in the case of a defect falling within clause (b) of this sub–paragraph, such notification shall include the period within which, in the opinion of the competent person, the defect ought to be remedied.

(2) In every case where notification has been notified under this paragraph, a copy of the report made under sub–paragraph, a copy of the report made under sub–paragraph (4) of paragraph 6 shall be sent by the competent person to the Inspector–cum–Facilitator of the concerned area within fourteen days of the completion of the examination and test.

(3) Where any such defect is notified to the occupier in accordance with the foregoing provisions of this paragraph, the power press or safety device as the case may be, having the said defect, shall not be used;

(a) in the case of a defect falling within clause (a) of sub–paragraph (1) until the said defect has been remedied; and

(b) in the case of defect falling within clause (b) of sub–paragraph (1) until the said defect has been remedied after the expiration of the specified period.

(4) As soon as is practicable, after any defect of which notification has been notified under sub–paragraph (1), has been remedied, a record shall be made by or on behalf of the occupier stating the measures by which and the date on which the defect was remedied.

8. Inspection and test of safety devices:

(1) No power press shall be used after the setting, resetting or adjustment of the tools thereon unless a person appointed or authorized for the purpose under paragraph 5 has inspected and tested every safety device thereon while it is in position on the said power press and has certified it to in order:

Provided that no inspection, test and certificate shall be required where any adjustment of the tools has not caused or resulted in any alteration to or disturbance of any safety device on the power press, and, if after the adjustment of the tools, the safety device remain, in the opinion of the said person in efficient working order.

(2) Every power press and every safety devices thereon while it is in position on the said power press shall be inspected and tested by a trained person every day.

9. Defects disclosed during an inspection and test:–

(1) Where it appears to any person as a result of any inspection and test carried out by him under paragraph 8 that any necessary safety device is not in proper position on a power press or that any safety device which is in position on a power press, is not in his opinion suitable he shall notify the same to the manager forthwith.

(2) Except as provided in sub–paragraph (3) where any defect is disclosed in a safety device any inspection and test under paragraph 8, the person carrying out the inspection and test shall notify the same to the manager forthwith.

(3) Where any defect in a safety device is the subject of a notification in writing under paragraph 7 by virtue of which the use of the safety device may be continued during the specified period without the said defect having been remedied, the requirement in sub– paragraph (2) of this paragraph shall not apply to the said defect until the said period has expired.

10. Identification of power presses and safety devices:–For the purpose of identification every power press and every safety device provided for the same, shall be distinctively and plainly marked.

11. Training the instructions to operators:–The operators shall be trained and instructed in the safe method of work before starting work on any power press.

12 Exemptions:–

(1) If in respect of any factory, the Chief Inspector–cum–Facilitator of Factories is satisfied that owing to the circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule are not necessary for the protection of the workers employed on any power press or in the factory, the Chief Inspector– cum–Facilitator may by a certificate in writing (which he may in his discretion revoke at any time), exempt such factory from all or ay of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

(2) Where such exemption is granted, a legible copy of the certificate, showing the conditions if any, subject to which it has been granted, shall be kept posted in the factory on a place where it may be conveniently read by the persons employed.

13. Medical Examination–

(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue Fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–36

(See rule 81)

SHEARS SLITTERS AND GUILLOTINE MACHINES

1. Definitions:–For the purpose of this schedule:–

(a) "guillotine" means a machine ordinarily equipped with straight, bevel edged blade operating Vertically against a stationery resisting edge and used for cutting metallic or non–metallic or non–metallic substances;

(b) "Shears" or "shearing machine" means a machine ordinarily equipped with straight, bevel edged blades operating vertically against resisting edged, or with rotary, overlapping cutting wheels and used for shearing metals or non–metallic substances; and

(c) "Slitter" or slitting machine" means a machine ordinarily equipped with circular disc–type knives, and used for trimming or cutting into metal or non–metallic substances or for slitting them into narrow strips; for the purpose of this schedule, this term includes bread or other food slices equipped with rotary knives or cutting discs.

2. Guillotine and Shears:–

(1) Where practicable, a barrier metal guard of adequate strength shall be provided at the front of the knife, fastened to the machine frame and shall be so fixed as would prevent any part of the operator's body to reach the descending blade from above, below or through the barrier guard or from the sides:

Provided that in case of machines used in the paper printing and allied industries, where a fixed barrier metal guard is not suitable on account of the height and volume of the material being bed, there shall be provided suitable staring devices which require simultaneous action of both the hands of the operator or an automatic device when will remove both the hands of the operator from the danger zone at every descent of the blade.

(2) At the back of such machines, an inclined guard shall be provided over which the slit pieces would slide and be collected at a safe distance in a manner as

would prevent a person at the back from reaching the descending bladed

(3) Power–driven guillotine cutters, except continuous feed trimmers, shall be equipped with:–

(a) starting devices which require the simultaneous action of both hands to start the cutting motion and of at least one hand control during the complete stroke of the knife: or

(b) an automatic guard will remove the hands of the operator from the danger zone at every decent of the blade, used in conjunction with one hand starting devices which require two distinct movements of the device to start the cutting motion, and so designed as to return positively to the non–starting position after each complete cycle of the knife.

(4) Where two or more workers are employed at the same time on the same power driven guillotine cutter equipped with two–hand control, the device shall be so arranged that each worker shall be required to use both hands simultaneously on the safety trip to start the cutting motion, and at least one hand on a control to complete the cut.

(5) Power–driven guillotine cutters, other than continuous trimmer, shall be provided, in addition to the brake or other stopping mechanism, with an emergency device which will prevent the machine from operating in the event of failure of the brake when the starting mechanism is in the non–starting position.

3. Slitting Machine:–

(1) Circular disc type knives on machines for cutting metal and leather, paper, rubber, textile or other non metallic substances shall, if within reach of operators standing on the floor of working level, be provided with guards enclosing the knife edges at all times as near as practicable to the surface of the material, and which may either:–

(a) automatically adjust themselves to the thickness of the material; or

(b) be fixed or manually adjusted so that the space between the bottom of the guard and the material will not exceed 6 mm (1/4inch) at any time.

(2) Portions of blades underneath the tables or benches of slitting machines shall be covered by guards.

4. Index cutters and Vertical Paper Slotters:– Index cutter, and other machines for cutting strips from the ends of books, and for similar operations, shall be provided with fixed guards, so arranged the fingers of the operators cannot come between the blades and the tables.

5. Corner Cutters:–Corner cutters used in the manufacture of paper boxes, shall be equipped with:–

(a) suitable guard, fastened to the machines in front of the knives and provided with slots or perforations to afford visibility of the operations ;or

(b) other guards equally efficient for the protection of the fingers of the workers.

6. Band Knives:– Band Wheels on band knives, and all portions of the blades except the working side between the sliding guide and the table on vertical machines, or between the wheel guards on horizontal machines, shall be completely enclosed with hinged guards of sheet metal not less than 1 mm (0.04 inch) in thickness or of other material of equal strength.

7. Medical Examination–(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue Fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-**

XXVI. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–37

(See rule 81)

WELDING/CUTTING OPERATION WITH THE USE OF LPG/ACETYLENE/ARGON

1. **Applicability:** This Schedule is applicable to all operations in welding/cutting of materials with the use of Liquefied petroleum gas or acetylene gas or argon etc; in on junction with oxygen gas.

2. **Equipments:**

(1) Gas cylinders whether filled of empty shall not be stored in rooms where welding or cutting work is being done.

(2) Liquefied gas cylinder, when is use shall always be kept in an upright position and shall be so placed that they cannot be knocked over.

(3) Open flames, lights, lighting of fire and smoking shall be prohibited in close proximity to any cylinder containing flammable gases, except those which are in use for welding, cutting or heating.

(4) All cylinders shall be stored at a safe distance of not less than 10 meters from all operations which produce, flames, sparks of molten metal or result in excessive heat.

(5) Every gas cylinder shall be provided with efficient standard type pressure regulator and back flow of gas will be restricted by second non–return type valve.

(6) All welding/cutting torch shall be of standard type which should be provided with non return valve.

(7) Suitable type of fire extinguishers shall be provided near the welding/cutting place and also near the gas cylinder storage.

(8) Pipe lines from gas cylinders shall be painted with distinctive colours for identification of each gas.

3. **General:**

(1) Welding and cutting operation shall be prohibited in areas containing explosive of flammable dusts, gases, oil or vapours.

(2) Welding/cutting operations that are carried out in places where persons other than the welders and their helpers are working or passing shall be

enclosed by means of suitable stationary or portable screens at least 2.15 meters (7 ft.) in height.

(3) All equipments like welding/cutting torch, pipe lines, brackets, non–return valves and pressure regulators shall be examined by a competent person having know–how of such equipments, at least once in a period of 15 days.

(4) The welding/cutting process shall be carried out by workers specially trained in that job and know of the hazards of fire, back–fire and explosion.

(5) A log book of examination of equipments and a register of trained workers for welding / cutting operation shall be maintained in the forms as directed bythe Inspector–cum–Facilitator.

4. Medical Examination–(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall–

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue Fitness on **Form-XXV**.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register **Form-XXVI**. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub–paragraph (6) shall be re–employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator and Medical Inspector-cum-facilitator.

Schedule–38

(See rule 84)

Material Safety Data Sheet

1. IDENTITY OF MATERIAL

Product Name	Chemical Designation
Trade name	Synonyms

Formula	Label: Category class	CAS Number	UN Number
Regulated Identification	Shipping Name Codes/ Label	HAZCHEM Code:	
	Hazardous Waste Identification Number		

Hazardous Ingredients	CAS Number
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

2. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical state: (Gas, Liquid, Solid)	Boiling Point in degree C	Vapour Pressure at 35 degree C .....mm Hg.
Appearance	Melting/ Freezing Point in degree C	Evaporation rate at 30 degree C

Colour	Vapour Density (air=1)	Solubility in water at 30 degree C.
Gray appouivity itc.)	Specific Gravity (Water–1)	pH

3. FIRE AND EXPLOSIVE HAZARDS DATA

Explosion / Flammability	Flash Point (deg.) C	LEL %	Auto ignition Temperature degree C
	Flash Point (deg.) C	UEL%	TDG Flammability (Classification)

4. REACTIVE HAZARDS

Stability To Static	Impact	(Hazardous Combustion Products)
	Discharge	(Hazardous Decomposition Products)
	Reactivity	(conditions to avoid)
Hazardous Polymerisation	May/May not occur	(conditions to avoid)
Incompatibility	Materials to avoid	

5. HEALTH HAZARD DATA

Routes of Entry : (inhalation, skin, mucous membranes and eye contact and ingestion)
Effects of Exposure/ Symptoms :

LD50 (in rat) (Orally or persutaneous absorption) Mg/kg body weight)	LC50(in rat) (mg/1) / 4 hours

Permissible Exposure Limit (PEL) Threshold Limit Value (TLV) ofACGIH	ppm mg/cu.m ppm mg/cu.m.	Short term Exposure (STEL) Odour Threshold	ppm mg/cu.m ppm mg/cu.m

Emergency Treatment :

6. HAZARD SPECIFICATION

NFPA Hazard Signal	Health	Flammability	Stability	Special

known hazards

Combustible Liquid	Water Reaction Material	Irritant
Flammable material	Oxidizer	Sensitizer
Pyrophoric material	Organic peroxide	Carcinogen
Explosive material	Corrosive Material	Mutagen
Unstable material	Compressed Gas	Others (Specify)

7. SAFE USAGE DATA

Ventilation	General/ Mechanical
	Local Exhaust
Protective equipment required	Eyes (Specify)
	Respiratory (Specify)
	Gloves (Specify)
	Clothing (Specify)
	Others (Specify)
Precautions	Handling & Storage (Specify)
	Others (Specify)

8. EMERGENCY RESPONSE DATA

Fire	Fire Extinguishing Media
	Special Procedure
	Unusual Hazards
Exposure (inhalation, skin and eye contact, ingestion)	Fire Aid Measures
Spills	Steps to be taken
	Waste Disposal Method

9. ADDITIONAL INFORMATION

10. SOURCES USED

Reference to books, journals, etc.

11. MANUFACTURER/ SUPPLIER DATA

Firm's Name Mailing Address	Standard Packing
Telephone Number Telex Number	
Telegraphic Address Contact Person in Emergency	Other
	Other
	Emergency Tel. In Transit Area

Acronyms and Glossary of terms :

CAS : Chemical Abstract Service Registration NumberUN Number | United Nations Number

HAZCHEM Code : Emergency Action Code (EAC), allocated by the Joint Committee of Fire Brigade Operations, UK.

TDG Flammability : Transport of Dangerous Goods – Flammability Classification by United Nations.

NFPA | National Fire Protection Association, USA.

LD50 and LC50 represent the dose in mg/kg of body weight and the concentration in mg/1 for 4 hours having lethal effect on 50% of the animals(rats) treated

PEL: Permissible Exposure Limit as laid down in the Statutes.

TLV : Threshold Limit Value as laid down by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists, (ACGIH), USA.

STEL : Short Term Exposure Limit as laid down in the statutes or by the ACGIH.

GUIDELINES :

All efforts should be made to fill in all the columns. No column should be left blank. In case certain information is not applicable or available. N/App. or N/Av. Sign may be used.

Schedule–39

(See rule 93)

Equipment for occupational Health Centre in Factories.

1. A glazed sink with hot and cold water always available
2. A table with a smooth top at least 180 cm.x105 cm.
3. Means for sterilizing instruments.
4. A couch.
5. Two buckets or containers with close fitting.
6. A kettle and spirits stove or other suitable means of boiling water.
7. One bottle of spirits ammoniac aromatics(120 ml)
8. Two medium size sponges.
9. Two Kidney trays.
10. Four cakes of toilet, preferably antiseptic 11 Two glass tumblers and two wine glasses
12. Two clinical thermometers.
13. Two tea spoons.
14. Two graduated (120ml) measuring glasses.
15. One wash bottle (1000 cc) for washing eyes.
16. One bottle (one liter) carbolic lotion 1 in 20.
17. Three chairs.
18. One screen.
19. One electric hand torch.
20. An adequate supply of tetanus taxied.
21. Cora mine liquid (60ml.).
22. Tablets–Antihistaminic, antispasmodic (25 each)
23. Syringes with needles –2 cc, and 10 cc.
24. Two needle holders big and small.
27. One dressing forceps
28. One scalpels.
29 One stethoscope.
30. Rubber bandage–pressure bandage.
31. Oxygen cylinder with necessary attachments.
32. One Blood Pressure apparatus,
33. One patellar Hammer.
34. One Peak–flow meter for lung function measurement.

35. One stomach wash set.
36. Any other equipment recommended by the Factory Medical Officer according to specific need elating to manufacturing process.
37. in addition –

(1) For factories employing 51 to 200 workers–

1. Four plain wooden splints 900 mmx00 mmx6mm
2. Four plain wooden splints 50 mm x 75 mm x 6mm.
3. Two plain wooden splints 250 mm x 50 mm x 12 mm.
4. One pair artery forceps.
5. Injections–morphia, pethidine, atropine, adrenaline, coramine, nevacan (2 each).
6. One surgical scissors.

(2) For factories employing above 200 workers.

1. Eight plain wooden splints 900 mm x 100 mm x 6 mm.
2. Eight plain wooden splints 350 mm x 75 mm x 6 mm.
3. Four plain wooden splints 250 mm x 50 mm x 12 mm.
4. Two pairs artery forceps.
5. Injections –morphia, pethadine, atropine , adrenaline, coramine, nevacan (4each).
6. Two surgical scissors.

Schedule–40

(See rule 99)

Permissible limit of exposure of Chemicals and Toxic Substances

S. No	Substance	Permissible limits of exposure			
		Time–weighted average Concentration (8hrs)M		Short–term exposure limit (15min)*	
		Ppm	mg/m^{3}**	Ppm	mg/m^{3}**
1	2	3	4	5	6
1.	Acetaldehyde	100	180	150	270
2.	Acetic acid	10	25	15	37
3.	Acetone	750	1780	1000	2375
4.	Acrolein	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	Acrylo nitrile –Skin	2	4.5	–	–
6.	Aldrin –skin	–	0.25	–	–
7.	Allylchloride	1	3	2	6
8.	Ammonia	25	18	35	27
9.	Aniline–Skin	2	10	–	–
10.	Anisidine (o–p–isomers) Skin	0.1	0.5	–	–
11.	Arsenic and Soluble	–	0.2	–	–

	com– pounds (as)				
12.	Benzene(S.C.)	10	30	–	–
13.	Beryllium and Compound (as Be) (S.C.)	–	0.002	–	–
14.	Boron trifluoride –C	1	3	–	–
15.	Bromine	0.1	0.7	0.3	2
16.	Butane	800	1900	–	–
17.	2–Butane (methylethyl Ketone –MEK)	200	590	300	835
18.	n–Butyl acetate	150	710	200	950
19.	n–Butyl alcohol–Skin–C	50	150	–	–
20.	Sec./ tert.Butyl acetate	200	950	–	–
21.	Butyl mercaptan	0.5	1.5	–	–
22	Cadmium dusts and salts (as Cd)	–	0.05	–	–
23.	Calcium oxide	–	2	–	–
24.	Carbaryl (Sevin)	–	5	–	–
25.	Carbofuran (Furadan)	–	0.1	–	–
26.	Carbon disulphide–Skin	10	30	–	–
27.	Carbon monoxide	50	55	400	440

28.	Carbon tetrachloride – Skin (S.C)	5	30	–	–
29.	Chlordene –Skin	–	0.5	–	2
30.	Chlorine	1	3	3	9
31.	Chlorobenzene (Monochloro benzene)	75	350	–	–
32.	Chloroform (S.C.)	10	50	–	–
33.	bis (Chloromethyl) ether (H.C.)	0.001	0.005	–	–
34.	Chromic acid and chromates (as Cr.)	–	0.05	–	–
35.	Chromous salts (as Cr)	–	0.5	–	–
36.	Copper Fume	–	0.2	–	
37.	Cotton dust, raw*	–	0.2*	–	–
38	Creosol, all isomers – Skin	5	22	–	–
39.	Cyanides (as CN)–Skin	–	5	–	–
40.	Cyanogen	–	10	20	–
41.	DDT (Dichlorodi phenyl trichloroethane)	–	1	–	–
42.	Demeton –Skin	0.01	0.1	–	–

43.	Diazinon–Skin	–	0.1	–	–
44.	Dibutyl phthalate	–	5	–	–
45.	Dicholorvos (DDVP)–Skin	0.1	1	–	–
46.	Dieldrin–Skin	–	0.25	–	–
47.	Dinitrobenzene (all isomers)–Skin	0.15	1	–	–
48.	Dinitrotoluene–Skin	–	1.5	–	–
49.	Diphenyl–(Biphenyl)	0.2	1.5	–	–
50.	Endosulfan(Thiodan)–Skin	–	0.1	–	–
51.	Endrin –Skin	–	0.1	–	–
52.	Ethylacetate	400	1400	–	–
53.	Ethyl alcohol	1000	1900	–	–
54.	Ethylamine	10	18	–	–
55.	Fluorides (as F)	–	2.5	–	–
56.	Fluorine	1	2	2	4
57.	Formaldehyde (S.C.)	1.0	1.5	2	3
58.	Formic acid	5	9	–	–
59.	Gasoline	300	900	500	1500

60.	Hydrazine–Skin (S.C.)	0.1	0.1	–	–
61.	Hydrogen Chloride–C	5	7	–	–
62.	Hydrogen Cyanide–Skin–C	10	10	–	–
63.	Hydrogen flouride (as F)–C	3	2.5	–	–
64.	Hydrogen peroxide	1	1.5	–	–
65.	Hydrogen sulphide	10	14	15	21
66.	Iodine –C	0.1	1	–	–
67.	Iron oxide fume (Fe_2O_3)(as Fe)	–	5	–	–
68.	Isoamyl acetate	100	525	–	–
69.	Isomyl alcohol	100	360	125	4500
70.	Isobutyl alcohol	50	150	–	–
71.	Lead, inorg Dusts, dusts and fumes (as Pb).	–	0.15	–	–
72.	Lindane –Skin	–	0.5	–	–
73.	Malathion Skin	–	10	–	–
74.	Manganese (as Mn) dust and compounds–C	–	5	–	–
75.	Manganese fume (as Mn	–	1	–	3

	)				
76.	Mercury (as Hg)–Skin– (i) Alkyl compounds (ii) All forms except alkyl vapor	– –	0.01 0.05	– –	0.03 –
77.	Aryl and inorganic compounds	–	0.1	–	–
78.	Methyl alcohol (Methanol)–Skin	200	260	250	310
79.	Methyl Cellosolve (2–Methoxy ethanol)–Skin	5	16	–	–
80.	Methyl isobutyl ketone	50	205	75	300
81.	Methyl isocyanate ketone	0.02	0.05	–	–
82.	Naphthalene	10	50	15	75
83.	Nickel carbonyl (as Ni)	0.05	0.35	–	–
84.	Nitric acid	2	5	4	10
85.	Nitric oxide	25	30	–	–
86.	Nitrobenzene–Skin	1	5	–	–
87.	Nitrogen dioxide	3	6	5	10
88.	Oil mist–mineral	–	5	–	10
89.	Ozone	0.1	0.2	0.3	0.6

90.	Parathion–Skin	–	0.1	–	–
91.	Phenol–Skin	5	19	–	–
92.	Phorate(Thimet)–Skin	–	0.05	–	0.2
93.	Phosgene (Carbonyl chloride)	0.1	0.4	–	–
94.	Phosphine	0.3	0.4	1	1
95.	Phosphoric acid	–	1	–	3
96.	Phosphorus (yellow)	–	0.1	–	–
97.	Phosphorus pentachloride	0.1	1	–	–
98.	Phosphorus trichloride	0.2	1.5	0.5	3
99.	Picric acid – Skin	–	0.1	–	0.3
100.	Pyridine	5	15	–	–
101.	Silane (Silicon tetrahydride)	5	7	–	–
102.	Sodium Hydroxide–C	–	2	–	–
103.	Styrene, monomer (Phenyl–ethylene)	50	215	100	425
104.	Sulphur dioxide	2	5	5	10
105.	Sulphur hexafluoride	1000	6000	–	–

106.	Sulphuric acid	–	1	–	–
107.	Tetraethyl lead (as Pb)– Skin	–	0.1	–	–
108.	Toluene (Toluol)	100	375	150	560
109.	o– Toluidine –Skin(S.C)	2	9	–	–
110.	Tributyl phosphate	0.2	2.5	–	–
111.	Trichloro –ethylene	50	270	200	1080
112.	Uranium, natural (as U)	–	0.2	–	0.6
113.	Vinyl chloride (H.C.)	5	10	–	–
114.	Welding fumes	–	5	–	–
115.	Xylene (o,m,p –isomers)	100	435	150	655
116.	Zinc oxide (i) Fume (ii) Dust (Total dust)	 – –	 5 10	 – –	 10 –
117.	Zirconium compounds (as Zr)	–	5	–	10

ppm : Parts of vapor or gas per million parts of contaminated air by volume at 25°C and 760 mm of mercury

mg/ m^3: milligrams of substance per cubic meter of air.

* : Not more than 4 times a day with at least 60 min. interval between

successive exposures.

** :mg/ m^3 = Molecular weight

——————————————————x ppm

24.45

C : Denotes ceiling limit.

Skin: denotes potential contribution to the overall exposure by the cutaneous route including mucous membranes and eye.

S.C. : denotes suspected human carcinogens.

H.C. : denotes confirmed human carcinogens.

Substances	Permissible time–weighted average concentration (TWA) (8 hours)
Silica, SiO_2	
(a) Crystalline	
(i) Quartz	
(1) In terms of dusts count	10600 mppcm % Quartz +10
(2) In terms of respirable dust	10 mg/ m^2 Respirable Quartz +2
(3) In terms of total dust	30 mg/ m^2 % Quartz +3
(ii) Cristobalite	Half the limits given against quartz
(iii) Tridymite	Half the limits given against quartz
(iv) Silica, fused	Same limits as for quartz.

(v) TripolI	Same limit as in formula in item (2) given against quartz
(b) Amorphous silicate	10mg/ m^3, total dust
Asbestos (H.C.)	*2 fibers/ ml, greater than 5 um in length and less than 3 um in breadth.
Portland cement	10 mg/ m^3, total dust containing less than 1% quartz.
Coal dust	2 mg/ m^3, respirable dust fraction containing less than 5% quartz

mppcm = Million particles per cubic meter of air, based on impinger samples counted by light–field techniques. *As determined by the membrane filter method at 400 –

450 x magnification (4 mm objective) phase contrast illumination.

Respirable Dust:

Fraction passing a size–selector with the following characteristics:

Aerodynamic Diameter (um) (Unit density sphere)	% passing selector
< 2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25

Schedule–41

(See rule 120)

Officers appointed for holding enquiry and imposing penalty

S. No.	Type of Establishment	Officer Appointed for holding enquiry and imposing penalty	Section under which enquiry is conducted and penalty is imposed
1	Factories	Not below the rank of Joint Chief Inspector-cum-facilitator	Sub–section (3) of section 12, sections 94, 96, 97, 99, 106 and sub–section (3) of section 114
2	Establishment other than Factories	Not below the rank of Deputy Labour Commissioner	Sub–section (3) of section 12, sections 94, 96, 97, 99, 106 and sub–section (3) of section 114

Schedule–42

(See rule 121)

Officers appointed as appellate authority

S. No.	Type of Establishment	Officer Appointed as appellate authority
1	2	3
1	Factories	Not below the rank of Additional Chief Inspector-cum-facilitator
2	Establishment other than Factories	Not below the rank of Additional Labour Commissioner

Schedule–43

(See rule-124)

Authority for single license

S. No.	Type of license	Authorised officer
1	Contractor license for Single District	Labour Officer/Assistant Labour Commissioner
2	Contractor license for multiple districts or for State	Not below the rank of Assistant Labour Commissioner
3	Industrial premises for beedi and cigar	Labour Officer/Assistant Labour Commissioner
4	Factory license for hazardous/ for more than 50 workers (non hazardous)	Chief Inspector-cum-facilitator
5	Factory license for upto 50 workers (non hazardous)	Deputy Chief Inspector-cum-facilitator/ Inspector-cum-facilitator

Schedule–44

(See rule-124)

Authority for common license

S. No.	Combination of Establishment	Authorised officer
1	Factory and contractor	Chief Inspector-cum-facilitator
2	Factory and industrial premises for beedi and cigar	Chief Inspector-cum-facilitator
3	Contractor and industrial premises for beedi and cigar	Chief Inspector-cum-facilitator
4	Factory and contractor and industrial premises for beedi and cigar	Chief Inspector-cum-facilitator

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.